




“मो'मिन” की नमाज़



लेखक
मुनाजिरे अहले सुन्नत

अल्लामा अब्दुसत्तार हमदानी

मस्जिद बरकाती-नूरी



मरकज़े एहले सुन्नत बरकाते रज़ा
इमाम अहमदरज़ा रोड, मेमनवाड, पोरबन्दर, गुजरात

www.Markazahlesunnat.com

“قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۗ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ”

“बेशक ! मुराद को पहुँचे ईमान वाले जो अपनी नमाज़ में गिड़गिड़ाते हैं.” (कन्ज़ुल ईमान)

मो'मिन की नमाज़



:: लेखक ::

अल्लामा अब्दुस्सत्तार हमदानी “मस्रूफ़”

(बरकाती - नूरी)

:: प्रकाशक ::

मरकज़े अहले सुन्नत बरकाते रज़ा

इमाम अहमद रज़ा रोड, मेमनवाड,

पोरबंदर-गुजरात-भारत

प्रकाशन के सर्व अधिकार प्रकाशक को आधीन हैं

पुस्तक का नाम	: मो'मिन की नमाज़
लेखक / संपादक	: अल्लामा अब्दुस्सत्तार हमदानी 'मस्रूफ़' बरकाती-नूरी
कम्पोज़िंग	: समीना मोहंमदअशफ़ाक़ शेख - अहमदआबाद
प्रूफ़ रीडिंग	: लेखक (स्वयं)
अनूमोदन	: हज़रत मुफ़ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी, ओझा गंज (बस्ती-यू.पी.)
समर्थक अभिप्राय	: हज़रत मुफ़ती मुजीब अशरफ़ साहब नागपुर (महाराष्ट्र)
प्रकाशक	: मरकज़े अहले सुन्नत बरकाते रज़ा पोरबंदर (गुजरात)
प्रिन्टिंग	: भारत ओफ़सेट, दिल्ली
प्रिन्टिंग व्यवस्था	: कुतुब ख़ाना अमजदिया, दिल्ली.
प्रकाशन तिथि	: शव्वाल -१४२४ (डिसेम्बर - २००२)
आवृति	: प्रथम (२)
प्रतः	: ५,००० (पांच हज़ार)
मुल्य	: रू.

मिलाने के पते

1. Kutub khana Amjadia, 425, Matia Mahal, Delhi - 6.
2. Farooqia Book Depot, 422/C, Matia Mahal, Delhi - 6.
3. Maktabatul Madina, 19/20, Mohammed Ali Building,
Mohammad Ali Road, Opp. Mandvi Post Off., Mumbai-3.
4. Darool Uloom Gause-Aazam, Memonwad, Porbandar.

अर्जे नाशिर

नहमदोहु-व-नुसल्लि अला रसुलिहिल करीम

काम वोह ले लिजीए तुम को जो राज़ी करे

ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ो दुस्स

अल-हमदो लिल्लाह !

मरकज़े अहले सुन्नत बरकाते रज़ा पोरबंदर बहुत क़लील अर्से में इशाअते कुतुब के सिलसिले में एक मिसाली कारनामा अन्जाम दे कर ओलोमा-ए-अहले सुन्नत व अवामे अहले सुन्नत से दादो तेहसीन हासिल कर चुका है। अइम्म-ए-दीन और ओलोमा-ए-अहले सुन्नत और खुसूसन आला हज़रत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, इमामे अहले सुन्नत, इमाम अहमद रज़ा मोहक्किफ़े बरेल्वी (अलैहिर्हरमतो व रिदवान) कि तसानिफे जलीला मन्ज़रे आम पर लाने के सिलसिले में हमारा मुस्तक़िबल का प्रोग्राम अज़ीम पैमाने पर कार बन्द होगा।

मरकज़े अहले सुन्नत बरकाते रज़ा सिर्फ छे माह के कलील अर्से में हस्बे ज़ैल कुतुब शाएअ कर चुका है।

अरबी किताबें

- (१) अलमोवाहिबुल्लदुन्या (चार जिल्लों में)
- (२) खसाइसे कुब्रा (दो जिल्लों में)
- (३) वफ़ाउल वफ़ा (दो जिल्लों में)
- (४) अशिशफ़ा बे तारीफ़े हुकूकिल मुस्तफ़ा
- (५) नसीमुरियाज़ (चार जिल्लों में)
- (६) हुज्जतुल्लाहे अलल आलमीन
- (७) अल मुबीन खत्मन्नबियीन

- (८) कहरुद दइयान अला मुरतद बे कादयान
- (९) अलजुराजुद-दइयानी अला मुरतदिल कादयानी
- (१०) इम्बाउल अज़किया फी हयातिल-अम्बिया
- (११) एअलामुल आलाम बे अन्ना हिन्दुस्तान दारूल इस्लाम
- (१२) मसालिकुल-होनफा फी अबवयल मुस्तफ़ा
- (१३) हुक्कुल मरजान लेमोहिमे हुकमिदहुखान
- (१४) अल-मदहुन्नबवी बैनल गुलूवे वल इन्साफ
- (१५) जवाहिरुल बेहार फी फज़ाइलिनन्बीयील मुख्तार (४ जिल्लों में)
- (१६) अल-मन्ज़ूमतुस्सलामिया
- (१७) कसीदा बुर्दा शरीफ
- (१८) कसीदा अल-हमज़िया
- (१९) अशशैख़ अब्दुल कादिर जीलानी
- (२०) जामेअ करामातिल अवलिया (दो जिल्लों में)
- (२१) किताबुल फज़रुल-मुनीर
- (२२) अल-इन्सानुल कामिल
- (२३) इज़ाहतुल ऐब बे सैफिल ग़ैब
- (२४) अज़्जुबदतुज़्ज़किय्या-ले-तेहरिमे-सुजुदित-तहिय्या
- (२५) अस्सुओ-वल-इाब-अला-मसिहिल-कज़्ज़ाब
- (२६) अआलिल-इफ़ादा-फि-तअज़ियतिल-हिन्दे-वश-शहादा

उर्दू किताबें

- (२७) इमाम अहमद रज़ा एक मज़लूम मुफ़्किर
- (२८) अल-कौलुल अज़हर फील इक्तेदाए बे लाउड स्पीकर
- (२९) सियानतुस्सलात अन हीलिल बिदात
- (३०) अतफ़सीलुल अनवर फी हुक्मे लाउड स्पीकर
- (३१) उमूरे इशरीन दर इम्तेयाज़े सुन्नीयीन
- (३२) सर कटाते हैं तेरे नाम पे मरदाने अरब (दो जिल्लों में)
- (३३) इज़ाहतुल ऐब बे-सैफिल ग़ैब

- (३४) मदरिजुन्नबुव्वत (फारसी) (दो जिल्दों में)
 (३५) मो'मिन की नमाज़
 (३६) जामेउल अहादिष (६- जिल्दों में)
 (३७) कही - अन - कही

हिन्दी किताबें

- (३८) मो'मिन की नमाज़

ज़ैरे तबाअत किताबें

मरकज़े अहले सुन्नत के बानी हज़रत अल्लामा अब्दुस्सत्तार हम्दानी 'मस्रूफ़' की निम्न लिखित किताबें छप रही हैं और वह किताबें बहुत ज़ल्द वांचक मित्रों के हाथों में आ जायेंगी.

- ❁ फन्ने शायरी और हस्सानुल हिन्द
- ❁ खैरे बशर की नूरी बशरियत
- ❁ मोमिन की नमाज़ (अंग्रेजी)
- ❁ खज़ीनतुल इल्म की तसानीफे मुजहिदे आज़म
- ❁ आ'ला हज़रत और मोर्डन टेक्नोलोजी
- ❁ बिदअत और बरेली (गुजराती)
- ❁ धमाका (दो हज़ार सफ़हात में)
- ❁ अहसनुत्तकवीम (अंग्रेजी)
- ❁ कलामे रज़ा (गुजराती)

अन्य किताबें

बहुत जल्द ही हम पचास किताबें प्रगट करनेवाले हैं. उनमें से बीस किताबें इमामे अहले सुन्नत आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मोहक्किबरेल्वी (रदीयल्लाहो अन्हो) की उर्दू किताबों को अरबी भाषा में अनुवाद किया गया है. इसके इलावा

मिल्लते इस्लामिया के महान इमामों और चिंतकों की अप्राप्य अरबी, फारसी और उर्दू किताबें इस्लामी साहित्य के क्षितिज में प्रकाशित तारों की हैसियत से अपना इमानी प्रकाश फैलायेंगी और मुस्लिम समुदाय जिसके द्वारा लाभदायी होगा.

इस वक्त आप के हाथ में किताब 'मो'मिन की नमाज़' है. इसका गहरी दृष्टि से वांचन करने से आप विश्वास की कक्षा में स्वीकार करेंगे कि नमाज़ के विषय पर वांचक मित्रों को प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक दिलचस्पी से वांचन करने पर मजबूर करनेवाली अपनी श्रेणी की यह अद्वितीय किताब है. अकीदे और अमल के सुधार पर विस्तृत संख्या में पुस्तकें प्रकाशन करके और इस द्वारा मस्लके आ'ला हज़रत के सहीह अनुमोदक की हैसियत से 'मरकज़े अहले सुन्नत बरकाते रज़ा' पोरबंदर के बुलन्द पाये होस्ले और द्रढ विश्वास से काम करनेकी गतिसे यह अपेक्षा है कि येह इदारा बहुत जल्द मिल्लते इस्लामिया के हर वर्ग के लोगों की दृष्टि में प्रिय बन जाएगा.

अल्लाह तबारक-व-तआला अपने हबीबे अकरम और महबूबे आज़म सल्लल्लाहो अलयहे वसल्लम के सदके व तुफैल में मरकज़े अहले सुन्नत बरकाते रज़ा का पुस्तक प्रकाशन का सिलसिला जारी रखे और उसे कुबूलियते खासो आम बना कर इसके नफा बख़्श फवाइद को आलामी पैमाने पर फैलाए और इस इदारा की निःस्वार्थ भव्य सेवाओंको कुबूल फरमाए.

आमीन.

वेजाहे सय्येदिल मुर्सलीन अलैहे अफज़लुरसलाते वत्तसलीम.

सगे दरबारे नूरी

अरशद अली जीलानी बरकाती

“जान जबलपुरी”

खादीम : मरकज़े अहले सुन्नत बरकाते रज़ा,

पोरबंदर, गुजरात (भारत)

११ रबीउल आखर, स. हि. १४२३

२३ जुन - २००२, इत्वार

अनुमोदन (तकरीज़)

अज : फकीहे मिल्लत मुफती जलालुद्दीन अहमद अमजदी
स्थापक तथा व्यवस्थापक : मरकज़ इफ्ता, ओझा गंज, ज़िल्ला बस्ती (उ.प्र.)

बिरिमल्लाहिर्रहमानिर्रहिम

*“अल्हम्दो लिल्लाहे तअला-वरसलातो-वरसलामो अला
रसूलेहिल आ'ला”*

नमाज़ हर मुसलमान आकिल बालिग़ (पुख्त व्यसक) मर्द व औरत पर फर्ज़ है और सारी इबादतें जो मुसलमानों के लिये ज़रूरी करार दी गई हैं, उन में सब से ज़यादा अहम है। लेकिन बहुत से मुसलमान नमाज़ तो पढ़ते हैं मगर उस के हुकुक की रिआयत नहीं करते, जिस के सबब कभी ऐसा होता है कि नमाज़ कामिल तौर पर अदा नहीं होती और सवाब कम हो जाता है और कभी नमाज़ ऐसी होती है कि उसका दोबारा पढ़ना ज़रूरी होता है और ऐसी नमाज़ अगर फिर से न पढ़ी तो नमाज़ी गुनेहगार होता है। और कभी अपनी ला-इल्मी या ला-परवाही से इस तरह नमाज़ पढ़ता रहेता है कि जिस के सबब फ़ासिक और मरदू-दुश्शहादा हो जाता है, हालांकि वो अपने आप को नेक गुमान करता है और कभी ऐसा होता है कि नमाज़ के सारे शराएत वुजू और गुस्ल वगैरा पुरे तौर पर सहीह होते हैं और नमाज़ के तमाम अरकान भी अदा होते हैं लेकिन नमाज़ी इस में कोई ऐसी बात कर बैठता है कि जिस के सबब उसकी नमाज़ बिल्कुल नहीं होती और उस का अज़-सरे-नौ(फिरसे) पढ़ना उस पर फर्ज़ होता है, मगर इस की तरफ नमाज़ी की तवज़्जोह नहीं होती, तो सारी महेनत उस की बरबाद हो जाती है और फर्ज़ उस पर बाक़ी रहे जाता है। जनाब मौलाना अब्दुस्सत्तार साहिब हमदानी बरकाती रज़वी नूरी (ज़ीदत महासेनोहुम) लाइके सद मुबारक बाद और काबिले हज़ार तहसीन हैं, कि उन्होंने ज़ेरै नज़र किताब

‘मो’मिन की नमाज़’ बिल्कुल नये अन्दाज़ से ऐसे तरीके पर मुरत्तब की है कि थोड़ी सी तवज़्जोह से हर मुसलमान आसानी के साथ जान सकता है कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं कि वो सब की सब छूट जायें फिर भी नमाज़ हो जाती है, सिर्फ सवाब कम होता है और वो कौन से काम हैं कि जिन में से किसी के भी कस्दन छोड़ने से नमाज़ का दोबारह पढ़ना वाजिब होता है। और भूल कर छूट जाने से सज़्द-ए-सहव वाजिब होता है। और नमाज़ की वो कौन सी बातें हैं कि जिन में से अगर एक भूल कर भी छूट जाए तो नमाज़ बिल्कुल नहीं होती और उस का अज़-सरे-नो पढ़ना फर्ज़ होता है।

मौलाना हमदानी ने इस किताब में बहुत से मुश्किल मसाइल को मिसाल के साथ लिख कर इस का समझना भी बहुत आसान कर दिया है, जिन से ज़ाहिर होता है कि तफ़्हीम पर उन को पुरी कुदरत हासिल है। ज़हव-ए-कुब्रा, साय-ए-अस्ली और निस्फुन्नहार-ए-शरइ, व उर्फी, किसे कहते हैं ? मिसाल से बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है और नक्शा के साथ उन को इस तरह समझाया है कि बहुत से आलिम और फाज़िल कि सनद रखनेवाले, जो अब तक इन चीज़ों को नही समझ सके हैं, वो इस किताब की मदद से समझ सकते हैं और मौलाना हमदानी ने शुरू में हल्ले लुगात और शरई इस्लेताहात को भी तहरीर कर दिया है, जिस से मसाइल के समझने में लोगों को बड़ी सहूलत होगी। लेहाज़ा येह कहना गलत न होगा कि नमाज़ के मसाइल की उर्दु की मुस्तनद किताबों में येह एक एसा बेश-बहा(मुल्यवान) इज़ाफा है, जिस की हमारे यहां मिसाल नहीं। इस किताब को पढ़ने से ज़ाहिर हुवा कि मौलाना हमदानी साहिब को नमाज़ के मसाइल में भी अच्छी ख़ासी बसीरत हासिल है।

आलिम बनाने वाली किताब “बहारे शरीअत” और आलिम को मुफती बनाने वाली किताब “फतावा रज़विया” का उन्होंने बड़ी गहरी नज़र से मुतअला किया है। इस के इलावा मौलाना मौसूफ में और भी बहुत सी खुबियां पाइ जाती हैं, जिन में से एक ये है कि वो ताजिर (व्यापारी) होने के साथ बहुत

बड़े मुसन्निफ भी हैं कि अब तक एक सौ (१००) से ज़ाइद किताबें लिख चुके हैं और हुनुज़ येह सिलसिला जारी है।

मौलाना हमदानी साहब अब अपनी उमर के उस हिस्से को तय कर रहे हैं कि जहां पहुँच कर आम तौर पर लोगों को माल की लालच बढ़ जाती है, लेकिन अल्लाह तआला का उन पर ख़ास फज़लो करम है कि उस ने माल की मोहब्बत उनके दिल से निकाल दी है। इस्लामो सुन्नियत और मस्लके अ़ाला हज़रत की तबलीगो इशाअत के लिये दिल खोल कर अपना माल खर्च कर रहे हैं कि अ़ाइदे अहले सुन्नत की ताइद करनेवाली पुरानी अहम अरबी किताबें अपने खर्च से छपवा कर अरब शयुख़ को मुफ़त पहुँचा रहे हैं और हिन्दुस्तान के मख़पूस ओलमा-ए-केराम को भी बतौरै नज़र पेश कर रहे हैं।

दुआ है कि खुदा-ए-अज़्जो जल बतुफैले हुज़ूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम उन के माल और अहलो अयाल में बेश अज़ बेश ख़ैरो बरकत अता फरमाए, उन की सारी दीनी ख़िदमतों को शर्फ़े कुबूलियत (स्वीकृती) से नवाज़े और उन्हे अज़रे जज़ील व जज़ाए जलील बे मसील से सरफराज़ फरमाए, आमीन. बे हुरमते नबिय्येहिल करीम अलैहे व अ़ला आलिहि अफ़ज़लुस्सलाते व अकमलुत्तसलीम.

जलालुद्दीन अहमद अमजदी

२६, जमादिउल उला, १४२२ हिजरी

१७, अगस्त, २००१ इस्वी

एक नज़र इधर भी ...

हज़रत फकीहे मिल्लत, आबरु-ए-सुन्नियत, अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी (रहमतुल्लाहे तआला अलयहे) का शुमार अहले सुन्नत के महा विद्वान तथा भव्य आलिमों में होता है. वो अपनी ज्ञान क्षमता तथा विशाल वांचन गुण के कारण अद्वितीय थे. अनेक प्रखर आलिम आपकी छत्रछाया में रहे कर इफ़ता (मुफ्ती बनने का) शिक्षण प्राप्त कर रहे थे. हज़रत के ज्ञान की भव्यता वर्तमान युग के प्रमाणित आलिमों के नजदीक स्वीकृत थी. आपने अपने जीवनकाल दरमियान अनेक इस्लामिक पुस्तकें तथा फत्वे लिखकर मुस्लिम संप्रदायकी महान सेवा अन्जाम दी है.

'मो'मीन की नमाज़' किताब का हज़रतने अनूमोदन करके किताब की विश्वस्नीयता तथा आधार भूतता को प्रमाणित किया है. हज़रत की येह तकरीज़ (अनूमोदन) हज़रत के जीवनकाल का अन्तिम आलेखन है, क्युंकि वर्णनीय अनूमोदन के आलेखन के शीघ्र बाद आप ने इस फ़ानी दुनिया को अलविदा कह कर स्वर्ग की तरफ प्रयाण किया. हज़रत के सुपुत्र आदरणीय मौलाना अनवार अहमद साहिब के कथन अनुसार हज़रत के जीवन का येह अंतीम लेखन है क्युंकि इसके बाद हज़रत द्वारा किसी भी प्रकारकी लेखन क्रिया अस्तित्व रूप में नहीं आइ. इस लिये इस किताब "मो'मिन की नमाज़" पर हज़रत की येह तकरीज़ ऐतिहासिक अनूमोदन है.

परन्तु अफसोस.... !

हज़रत फकीहे मिल्लत की अचानक विदाय की घटना इस्लामी संप्रदाय के लिये अत्यंत आघातजनक तथा असह्य दुःखद घटना है. इल्म और फज़ूल के आकाश से एक अत्यंत चमक्ता और दमक्ता सूर्य अचानक अस्त हो गया. और चारों तरफ दुःख के दर्दभरे बादल छा गए.

अल्लाह तबारक व तआला हज़रत फकीहे मिल्लत की कब्रे शरीफ पर अपनी रहेमत के असंख्य फूलोंकी बारिश नाज़िल फरमाए और मिल्लते इस्लामिया को हज़रत का विकल्प और सच्चा जानशीन (पदग्रहक) अर्पण करे. आमीन.

(दुआगो)

अब्दुस्सत्तार हम्दानी 'मस्रूफ'

-: लेखक :-

❁ अर्जे नाशिर	०३
❁ अनूमोदन; मुफती जलालुद्दीन अमजदी	०७
❁ इन्तिसाब (अर्पण)	१९
❁ हवालों में प्रस्तुत किताबें (मआख़ज़-व-मराजे')	२३
❁ अभिप्राय (हज़रत मुफती मुजीब अशरफ)	३०
❁ प्रस्तावना (मुकद्दमा)	३५
❁ हल्ले लुगत (शब्द कोष)	४६
❁ नमाज़े पंज वक्त	५५

प्रकरण - १ "शरई व फिक़ही इस्तेलाहात"

❁ ग्यारह (११) इस्तेलाहात और उनकी वज़ाहत	५८
---	----

प्रकरण - २ "नमाज़ की शर्तों का बयान"

❁ नमाज़ की छेः शर्तें और तफ़्सीली अहक़ाम	६४
❁ नमाज़ की पहली (१) शर्त : "तहारत और उसके तअल्लुक से ज़रूरी मसाइल"	६४
❁ नमाज़ की दूसरी (२) शर्त : "सतरे-औरत और उसके कुछ अहम मसाइल"	६७
❁ नमाज़ की तीसरी (३) शर्त : "इस्तिक़बाले-किब्ला और उसके मसाइल"	७१
❁ नमाज़ की चौथी (४) शर्त : "वक्त"; हर वक्त की नमाज़ के मसाइल में देखें"	७४
❁ नमाज़ की पांचवी शर्त (५) : "नियत आर उसके ज़रूरी मसाइल"	७५
❁ नमाज़ की छठी (६) शर्त : "तकबीरे-तहरीमा" (प्रकरण ३ में मसाइल देखें)	७९

प्रकरण - ३ "नमाज़ के फ़राइज़"

❁ नमाज़ के सात (७) फ़राइज़ और उनके अहक़ाम	८०
---	----

❁ नमाज़ का पहला(१)फर्ज़:तकबीरे-तहरीमा और उसके मसाइल	८०
❁ नमाज़ का दूसरा (२) फर्ज़ : क़याम और उसके तअल्लुक से ज़रूरी मसाइल	८५
❁ नमाज़ का तीसरा(३)फर्ज़ क़िरात और उसके ज़रूरी मसाइल	९०
❁ नमाज़ का चौथा (४) फर्ज़ : रूकूअ और उसके मसाइल	१०६
❁ नमाज़ का पांचवा (५) फर्ज़ : सजदा और सजदा के मुफ़्स्सल मसाइल	१११
❁ नमाज़ का छठा (६) फर्ज़ : का'द-ए-आख़िरा	११७
❁ नमाज़ का सातवाँ (७) फर्ज़ : ख़ुरूज-बे-सुन्नेहि	१२५

प्रकरण - ४ : "नमाज़ के वाजिबात"

❁ नमाज़ के वाजिबात की फेहरिस्त (सूची)	१३०
---	-----

प्रकरण - ५ : "नमाज़ की सुन्नतें"

❁ नमाज़ की सुन्नतों की फेहरिस्त (सूची)	१३५
--	-----

प्रकरण - ६ : "नमाज़ के मुस्तहब्बात"

❁ नमाज़ के मुस्तहब कामों की फेहरिस्त (सूची)	१४४
---	-----

प्रकरण - ७ : "नमाज़े - पंज वक्त"

❁ नमाज़े फज़ की फज़ीलत , रकअतों की संख्या और साल का वक्त	१५१
❁ नमाज़े फज़ के मुतअल्लिक अहम मसाइल	१५३
❁ नमाज़े जोहर की फज़ीलत, रकअतें और वक्त	१६०
❁ ज़वाल के मुतअल्लिक अवाम की ग़लतफहमी का इज़ाला (निराकरण)	१६१
❁ नहारे-शरई और नहारे-उरफी की मुदल्लल चर्चा	१६३

❁ नहारे शरई और नहारे उरफी की वज़ाहत और निस्फुन्हार ... मालूम कैसे हो ?	१६५
❁ ज़हव-ए-कुब्रा, इस्तवा-ए-हकीकी और ज़वाल का नक़शा (रूडुश्च).	१६९
❁ वक्ते ज़ोहर कब तक रहेता है ? और साया-ए-असली मा'लूम करने का तरीका	१७१
❁ नमाज़े ज़ोहर के मुतअल्लिक ज़रूरी मसाइल	१७६
❁ नमाज़े अस् की फज़ीलत, रकअतें और सालभर के वक्त की मात्रा	१८१
❁ नमाज़े अस् के मुतअल्लिक ज़रूरी मसाइल	१८३
❁ नमाज़े मगरिब की फज़ीलत, रकअतें और समय	१८९
❁ नमाज़े मगरिब के मुतअल्लिक ज़रूरी मसाइल	१९१
❁ नमाज़े इशा की फज़ीलत, रकअतें और समय	१९५
❁ नमाज़े इशा के मुतअल्लिक ज़रूरी मसाइल	१९७
❁ नमाज़े वित्र की फज़ीलत, अहेकाम और मसाइल	१९८

प्रकरण - ८ : “नमाज़े जुम्आ”

❁ नमाज़े जुम्आ की फज़ीलत, रकअतें और समय	२०३
❁ नमाज़े-जुम्आ के मसाइल और नमाज़े-जुम्आ काइम करने के सात (७) शराइत	२०५
❁ जुम्आ की पहली (१) शर्त : शहर होना और शहर के मुतअल्लिक मसाइल	२०७
❁ जुम्आ की दूसरी (२) शर्त : सुल्ताने-इस्लाम	२१०
❁ जुम्आ की तीसरी (३) शर्त : वक्ते ज़ोहर	२११
❁ जुम्आ की चौथी (४) शर्त : खुल्बा और उसके ज़रूरी मसाइल	२१२

❁ खुल्बा सुनने के अहेकाम और ज़रूरी मसाइल	२१७
❁ जुम्आ की पांचवीं (५) शर्त : नमाज़ से पहले खुल्बा होना	२२४
❁ जुम्आकी छठी (६) शर्त : जमाअत और उसके ज़रूरी मसाइल	२२४
❁ जुम्आ की सातवीं (७) शर्त : इज़ने-आम और उसकी शरई वज़ाहत	२२८
❁ जुम्आ की नमाज़ किन पर फर्ज़ है ? फर्ज़ होने की सात (७) शर्तें	२३२
❁ जुम्आ फर्ज़ होने की सातों शर्तों की वज़ाहत और अहेकाम	२३२
❁ किन लोगों पर जुम्आ फर्ज़ नहीं ?	२३७
❁ जुम्आ के खुल्बे की अज़ान ज़माना-ए-अक़दस में कहां दी जाती थी ?	२३८
❁ इस बात का सुबूत कि अज़ाने-खुल्बा ख़ारिजे मस्जिद दी जाए	२३८
❁ येह अज़ान दाख़िले-मस्जिद देने की बिदअत किसने शुरू की ?	२४७

प्रकरण - ९ : “नमाज़ तोड़ने वाली बातें”

❁ किन बातों से नमाज़ टूट जाती है ?	
❁ मुफसिदाते-नमाज़ के मसाइल	२५०

प्रकरण - १० : “नमाज़ के मकरूहाते-तहरीमी”

❁ मकरूहे-तहरीमी होने वाली नमाज़ वाजेबुल-एआदा होती है	२६५
❁ कराहते-तहरीमी सजद-ए-सहव से भी दूर नहीं होती	२६५
❁ उन कामों की तफसील जिनकी वजह से नमाज़ मकरूहे तहरीमी होती है	२६६

प्रकरण - ११ : “नमाज़ के मकरूहाते-तन्जीही”

- ❁ मकरूहे-तन्जीही की शर्ई वज़ाहत २७९
- ❁ उन कामों की तफसील जिनकी वजह से नमाज़ मकरूहे तन्जीही होती है २७९
- ❁ पाजामा और पतलून के पाइचे मोड़ने से नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होती है २८२
- ❁ एक अहम नुक्ता २९६

प्रकरण-१२ “नमाज़े-बा-जमाअत”

- ❁ जमाअत से नमाज़ पढ़ने की अहमियत और फज़ीलत ३०५
- ❁ नमाज़े-बा-जमाअत हदीसों की रोशनी में ३०६
- ❁ जमाअत के मुतअल्लिक ज़रूरी मसाइल ३०७
- ❁ सफ के मुतअल्लिक शर्ई अहकाम और मसाइल ३१५

प्रकरण - १३ “इमामत के मसाइल”

- ❁ इमामत के प्रकार और इमामत की शर्ई वज़ाहत और अहेकाम ३२५
- ❁ इमामत के मुतअल्लिक अहादीसे नबवी ३२६
- ❁ एक इबरतनाक और अजीब वाकेअ ३२९
- ❁ इमामत के अहम और ज़रूरी मसाइल ३३०
- ❁ अफआले-क़बीहा (धृणास्पद कार्य) करने वाले की इमामत का शर्ई हुक्म ३३५
- ❁ मा'ज़ूर (अपंग) और मुबतला-ए-मरज़ (रोगी) की इमामत का हुक्म ३३८
- ❁ जिसकी बीवी बेपर्दा निकलती हो उस इमाम की इमामत का हुक्म ३४१
- ❁ इमामत के तअल्लुक से चंद मुतफर्रिक (विविध) मसाइल ३४३

प्रकरण - १४ “मुक्तदी के प्रकार व अहेकाम”

- ❁ मुक्तदी के प्रकार और हर प्रकार के मुक्तदी की शर्ई हैसियत और अहेकाम ३४५
- ❁ “लाहिक” मुक्तदी के अहेकाम और मसाइल ३४५
- ❁ “मसबूक” मुक्तदी के अहेकाम और मसाइल ३४६
- ❁ “लाहिक-मसबूक” मुक्तदी के अहेकाम और मसाइल ३४७
- ❁ एक बहुत ही ज़रूरी मसअले की वज़ाहत ३५४
- ❁ तमाम प्रकार के मुक्तदीयों के मुतअल्लिक चंद ज़रूरी मसाइल ३५७

प्रकरण - १५ “सजदा-ए-सह्व का बयान”

- ❁ सजदा-ए-सह्व वाजिब होने के मुतअल्लिक शर्ई अहेकाम .. ३६२
- ❁ सजदा-ए-सह्व करने का तारीक़ा ३६३
- ❁ सजदा-ए-सह्व के मुतअल्लिक अहम और ज़रूरी मसाइल .. ३६४
- ❁ क़िरअत की वो ग़लतियां जिनके कारण सजदा-ए-सह्व वाजिब होता है ३६८
- ❁ ख़िलाफे-तरतीब काम अदा करने से सजदा-ए-सह्व वाजिब होता है ३७३
- ❁ रूकूअ और सुजूद की ग़लतियां और सजदा-ए-सह्व वाजिब होना ३७५
- ❁ का'दा की वो ग़लतियां जिन के कारण सजदा-ए-सह्व वाजिब होता है ३७६

प्रकरण - १६ “मुसाफिर की नमाज़ का बयान”

- ❁ शर्ई सफ़र का अंतर और हालते - सफ़र में नमाज़ क़स् करने का हुक्म ३८२

❁ मुसाफिर की नमाज़ के मुतअल्लिक अहादीसे-करीमा	३८३
❁ सफर की नमाज़ के चंद ज़रूरी मसाइल.....	३८४
❁ वतन के प्रकार और अहेकाम.....	३९१
❁ दरियाई, हवाई, ट्रेन, बस तथा अन्य सवारियों में नमाज़ पढ़ने के अहेकाम	३९५
❁ चलती और उड़ती हुई सवारी पर नमाज़ पढ़ने के ज़रूरी मसाइल.....	३९६
❁ मुक़ीम इमाम और मुसाफिर मुक़तदी तथा मुसाफिर इमाम और मुक़ीम मुक़तदी	४०३

प्रकरण - १७ “मस्जिद के अहेकाम”

❁ कुरआन और हदीस में मस्जिद ता'मीर करने की फज़ीलत	४०६
❁ मस्जिद के मुतअल्लिक चंद अहादीसे - करीमा.....	४०७
❁ मस्जिद के अदबो एहतेराम के ज़रूरी मसाइल	४१०
❁ तबलीगी जमाअत वालों ने मस्जिद को चौपाल बना दिया है..	४१३
❁ मस्जिद के एहतेराम के मसाइल से तबलीगी जमाअत की असलियत को पहाचानो	४१६
❁ मस्जिद का सेहन भी मस्जिद के हुक्म में है	४१९
❁ मस्जिद के सेहन के मुतअल्लिक फ़िक्ही मसाइल	४२८
❁ मस्जिद के अदब और एहतेराम के कुछ विशेष शरई अहेकाम	४२९
❁ मस्जिद की दिवारे-किब्ला में तुग़रे वग़ैरह लगाना.....	४३४
❁ किसको मस्जिद में आने से रोका और निकाला जाएगा ?.....	४३६
❁ मस्जिद की जायदाद, माल सामान और आमदनी के शरई अहेकाम	४३७
❁ अज़ान हो जाने के बाद मस्जिद से बाहर निकलने के ज़रूरी मसाइल	४३९

❁ मस्जिद में सोया था और एहतेलाम (स्वप्न दोष) हो गया, तो क्या करे ?	४४१
❁ सुन्नत और नफ़्ल नमाज़ घर में पढ़ना अफज़ल है या मस्जिद में ?	४४२

प्रकरण - १८ “मर्द और औरत की नमाज़ का फर्क”

❁ मर्द और औरत की नमाज़ के फर्क का तकाबुली जाएज़ा.....	४४५
❁ ज़रूरी तम्बीह (चेतावनी) और ज़रूरी मसाइल औरतों की नमाज़ के संदर्भ में.....	४४९

प्रकरण - १९ “विविध चंद ज़रूरी मसाइल”

❁ नामे - अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम सुनकर अंगूठे चूमना, तिलावते - कुरआन, इमामत, नमाज़े - तहज़ुद, आशूरा के दिन की प्रचलित नमाज़ वग़ैरह	४५१
❁ नमाज़ी के आगे से गुज़रने की मनाई के मसाइल और हदीसें.....	४५५
❁ अज़ान में नामे - अक़दस सुनकर अंगूठे चुमने के सुबूत और दलीलें	४६१
❁ एक ज़रूरी बात.....	४७२
❁ लमहा - ए - फ़िक्रिया (ज़रा सोचो)	४७५

‘‘शरफ़े इतिहास’’

(अर्पण)

उस मर्दे हक और आशिके रसूल इमाम अहमद रज़ा मुहक्किरे बरेल्वी (रदीयल्लाहो अन्हो) के नाम जिसने अपनी जिंदगी का हर हर लम्हा इज्जते नामूसे रिसालत के लिये वक्फ कर दिया था. जिस ने तने तन्हा मस्लके हक और नसीहते मुस्लेमीन का अलम बुलन्द किया. और इश्को-इरफान, तअज़ीमे-रसूल, मोहब्बते सहाब-ए-केराम, अज़मते एहले बैते अत्हार और अक़ीदते औलिया-ए-केराम (रिदवानुल्लाहे तआला अन्हुम अजमईन) का दर्स दिया. जिस पर अल्लाह तबारका व तअला का फज़ले अज़ीम था. जो कसीर उलूमो फुनून का माहिर था. उन में से एक फन इल्मे फिक्ह भी है. इमाम अहमद रज़ा के इल्मे फिक्ह के बारे में सिर्फ इतना कहना ही काफी है, जैसा कि अल्लामा डाक्टर इक्बाल ने फरमाया ‘वोह अपने वक्त के इमामे आजम अबू हनीफा थे.’ इमामे आजम के उस सच्चे नाइब की बारगाह में खिराजे अक़ीदत पैश करते हुए अपनी इस काविश को उन के नाम से मन्सूब करने की सआदत हासिल करता हूँ.

खानकाहे आलिया बरकातिया मारेहरा मुकद्दसा और
खानकाहे रज़विया नूरीया बरैलीका अदना सवाली
अब्दुस्सत्तार हम्दानी ‘मस्रूफ’ (बरकाती नूरी)

‘‘शुक्रिया’’ (आभार)

मो'मिन की नमाज़ किताब उर्दू मे लिखने के बाद इस को हिन्दी में लिखने की फरमाइश कुछ मित्रो ने अति आग्रह के साथ की और मो'मिन की नमाज़ हिन्दी स्वरुप में अस्तित्व में आई. हिन्दी कम्पोजिंग का प्रुफ रिडींग मैं ने स्वयं अपने ज़िम्मे रखा था. और कुछ पृष्ठो का प्रुफ रिडींग भी कर लिया था कि एक दिन मेरे मुरशिदे इजाज़त, आका-ए-नेअमत, अमीने मिल्लत, हुजूर किब्ला डॉ. सैयद अमीनमियाँ साहब सज्जादानशीं खानकाहे आलिया कादरीया बरकातिया मारेहरा मुकद्दसा का टेलीफोन आया और आपने बात चीत के दौरान पूछा कि इस वक्त आप क्या कर रहे हो ? मैं ने अर्ज़ किया कि मो'मिन की नमाज़ किताब (हिन्दी) का प्रुफ रिडींग कर रहा हूँ. मेरा प्रत्युत्तर सुनकर आपने नाराजगी व्यक्त करते हुए फरमाया कि अगर आप प्रुफ रिडींग करेंगे तो किताबें कौन लिखेगा ? आपका काम किताब लिखना है, प्रुफ रिडींग करना नहीं है. मैं ने अर्ज़ किया कि अगर मैं नहीं करुंगा तो कौन करेगा ? आपने फरमाया आप येह किताब फौरन कानपुर मोहतरम जनाब अतीकभाई बरकाती को भेज दें. वो हिन्दी भाषा के प्रखर विद्वान और प्रकाशन क्षेत्र के अनुभवी महानुभाव हैं.

सरकार अमीने मिल्लत का उपरोक्त आदेश मिलते ही मैं ने मो'मिन की नमाज़ हिन्दी का समग्र साहित्य शीघ्र ही जनाब अतीकभाई बरकाती साहब को कानपुर भेज दिया. जनाब अतीकभाई ने प्रुफ रिडींग करने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कार्य येह किया कि किताब में जहाँ जहाँ भी भाषादोष तथा व्याकरण क्षति थी, उस को संपूर्ण नष्ट करके किताब को शुद्ध व्याकरण के आभूषणों से शृंगारित करके उसके सौंदर्य में अभिवृद्धी कर दी. और किताब

को अज़-सरे-नौ (फिर से) कम्पोज़िंग करा के नये तरीके से किताब को इस तरह सेटिंग कर दिया कि जिसकी प्रशंसा के लिये मेरे पास कोई शब्द नहीं।

विशेष में जनाब अतीक भाई ने एक उपकार येह भी किया कि जब उन्होंने ने किताब मुझे वापस भेजी और मैं ने दूरवाणी माध्यम द्वारा उनका संपर्क कर के कम्पोज़िंग का कितना खर्च हुआ ? येह पूछा तो उन्होंने ने विनम्रता के साथ येह उत्तर दिया कि हम को सवाब से क्यूँ वंचित करना चाहते हो, और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि आप कृप्या कोई रक़म भेजनेका कष्ट न करें।

जनाब अतीक भाई बरकाती का और सरकार अमीने मिल्लत तथा सरकार नजीब हैदर साहब का हम तहे दिल से शुक्निया अदा करते हैं कि इन की कृपा द्रष्टी तथा सहकार की निःस्वार्थ उच्च भावना के परिणाम स्वरूप येह किताब इस वक्त वांचक मित्रों के हाथों में है। हम अपने इन तमाम उपकारकों का विशेष हार्दिक आभार व्यक्त करे हैं।

अल्लाह तआला अपने हबीब सल्लल्लाहो अलयहे वसल्लम के सदके में इनको जज़ा-ए-खैर अता फ़रमाए और इनकी छत्रछाया हमारे सरो पर बहुत लम्बे काल तक स्थापित रखे और हमें इन की कृपाद्रष्टी से लाभदायी बनाए। आमीन।

शुभचिंतक

= लेखक =

“ महेशर का पहला सवाल ”

(अज़ : अल्लामा अब्दुस्सत्तार हम्दानी 'मस्रूफ़')

देना हिसाब हम को हर एक फ़ेलो साज़ का,
पहला सवाल हश्र में होगा नमाज़ का,
लोगो ! नबी की आँखों की ठंडक नमाज़ है,
फिर क्यूँ न हम भी लूटें येह मौका नियाज़ का,
मे'राज में बुलाया, दिया अपना कुर्बे खास,
रब ने नबी को तोहफ़ा दिया है नमाज़ का,
नेअमत हज़ारों मिलती हैं हर एक नमाज़ी को,
मुल्के अजम का हो, या हो मुल्के हिजाज़ का,
सज्दे के नूर से हुई पैशानी ताबनाक,
महेशर के रोज़ राज़ खुलेगा नमाज़ का,
रोका नहीं हुसैन को तैज़े यज़ीद ने,
सज्दा वो कर्बला में हुआ इम्तेयाज़ का,
आफ़त हज़ारों टलती हैं सदके नमाज़ के,
एहसान हम पे कितना है, येह कारसाज़ का,
हुब्बे नबी जो दिल में तेरे है, तो पढ़ नमाज़,
सच्चा अमल यही है मुहब्बत नियाज़ का,
आका गुलाम एक ही सफ़ में खड़े रहे,
महमूद के मसावी है रुत्बा अयाज़ का,
'मस्रूफ़' रहो हमेशा इबादत में रब की तुम,
मो'मिन वोह सच्चा है जो हे आदी नमाज़ का,

हवालों में प्रस्तुत किताबें

(मआख़ज़ - व मराजेअ)

१. कन्ज़ुल ईमान फी तरजुमतिल कुरआन
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी
२. तफ्सीर ख़ज़ाइनुल इरफान
अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी
३. बुख़ारी शरीफ
इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी
४. मुस्लिम शरीफ
इमाम मुस्लिम बिन हिजाज़ क़र्शी
५. तिरमिज़ी शरीफ
इमाम मुहम्मद बिन इसा तिरमिज़ी
६. अबू दाउद शरीफ
इमाम अबू दाउद सुलेमान बिन अशअस
७. इब्ने माजा शरीफ
इमाम मुहम्मद बिन यज़ीद बिन माजा
८. नसाई शरीफ
इमाम अहमद बिन शोएब नसाई
९. मिरक़ात शरहे मिशक़ात
अल्लामा अली इब्ने सुलतान हरवी क़ारी मक्की (मुल्ला अली क़ारी)
१०. शोअबुल ईमान
इमाम अबूबकर इब्ने हुसेन बयहक़ी
११. दुर्रे मुख़्तार
इमाम मुहम्मद बिन अली दमिश्की हस्कफ़ी
१२. हाशिया दुर्रे मुख़्तार
इमाम अहमद मिसरी तहतवी हनफी
१३. मवाहेबुल लदुनियां
इमाम अहमद बिन मुहम्मद कुस्तलानी

१४. फ़तावा रज़वीया जिल्द नं. १
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी
१५. तन्वीरूल अबसार
अल्लामा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह तमरताशी
१६. फ़तहूल क़दीर शरहे हिदाया
मुहद्दिक़ क़मालुद्दीन मुहम्मद बिन हुमाम
१७. अवफ़िल लुम्आ फी अज़ाने यवमिल जुम्आ
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी
१८. रहुल मोहतार (फ़तावा - शामी)
मुहद्दिक़ मुहम्मद इब्ने अ़बेदीन शामी
१९. तीयजानुस सवाब फ़ी क़यामिल इमामे फ़िल मेहराब
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी
२०. तबय्यनुल हक़ाइक़ शरहे कन्ज़ुद दक़ाइक़
इमाम फ़ख़रुद्दीन उस्मान बिन अली ज़यली
२१. फ़तावा रज़विया जिल्द नं. २
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी
२२. सहीह इब्ने हब्बान
इमाम मुहम्मद बिन हब्बान
२३. बदाएअुस सनाएअ
इमाम अबूबकर काशाफ़ी मलेकुल ओलोमा
२४. अन नहील अक़ीद
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी
२५. गुन्यतुल मुस्तली शरहे मुन्यतुल मुसल्ली
इमाम अल्लामा बुरहानुद्दीन हलबी
२६. फ़तावा रज़वीया जिल्द - ३
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी
२७. फ़तावा ख़ेरीया
इमाम ख़यरुद्दीन रमली
२८. अल कुतूफ़ुद्दानीया लेमन....
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी

२९. **वस्साफुर रजीह फ़ी बिस्मिलतित तरावीह**
इमाम अहमदरज़ा मुहद्दिस बरेलवी
३०. **अत्तबसीरूल मुन्जिद....**
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी
३१. **इनाया शरहे हिदाया**
इमाम अकमलुद्दीन मुहम्मद बाबरती
३२. **अस्सुन्नियतुल अनीका फ़ी फ़तावा अफ़्रीका**
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी
३३. **मिन्हाजुल आबेदीन**
अबू हामिद इमाम गज़ाली
३४. **फ़तावा काज़ी खान**
इमाम काज़ी फख़रुद्दीन हसन बिन मन्सूर
३५. **फ़तावा रज़वीया जिल्द नं. ४**
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी
३६. **बहरूर राइक़**
इमाम जैनुद्दीन बिन नजीम मिसरी
३७. **खुलासतुल फ़तावा**
इमाम ताहिर इब्ने अब्दुरशीद बुख़ारी
३८. **हिदायतुल मुतआल फ़ी हददिल इस्तेक़बाल**
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी
३९. **तहतावी अलल मुराक़ीयुल फ़लाह**
इमाम सैयद अहमद मिसरी तहतावी
४०. **नुरूल ईज़ा**
इमाम हसन बिन अली शरनबलानी
४१. **अज़ानुम मिनल्लाहे ले क़ियामे....**
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी
४२. **ख़ज़ानतुल मुफ़तीन**
अल्लामा हुसैन बिन मुहम्मद समआनी
४३. **हाशिया मुराक़ीयुल फ़लाह**
इमाम सैयद अहमद मिसरी तहतावी

४४. **हुल्या शरहे मुन्या**
अल्लामा मुहक्किफ़ मुहम्मद बिन अमीरूल हाज हलबी
४५. **सलामतुल ले अहलिस्सुन्नत....**
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी
४६. **मजमअल अन्हूर शरहे मुलतक़ील अबहर**
इमाम अब्दुरहमान बिन मुहम्मद रूमी
४७. **हिदाया**
इमाम अली बिन अबी बकर मरगीनानी
४८. **फ़तावा ज़हीरिया**
इमाम ज़हीरुद्दीन मरगीनानी
४९. **मुराक़ीयुल फ़लाह शरहे नूरुल ईज़ा**
अल्लामा अबुल इख़लास इब्ने अम्मार मिसरी
५०. **फ़तावा रज़वीया जिल्द नं. ६**
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी
५१. **अहकामे शरीअत हिस्सा नं. १, २, ३**
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी
५२. **शरहे सगीर मुन्या**
इमाम इब्राहीम बिन मुहम्मद हलबी
५३. **काफ़ी शरहे वाफ़ी**
इमाम हाफ़िजुद्दीन नसफ़ी
५४. **फ़तावा रज़वीया जिल्द नं. ९**
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी
५५. **जख़ीरतुल उक़बा फ़ी शरहे सदरूशरीआ**
मरजेउल ओलोमा इमामे जलील अल्लामा युसूफ़ चलपी
५६. **फ़तावा रज़वीया जिल्द नं. १२**
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी
५७. **मदख़ल**
इमाम मुहक्किफ़ इबनुल हाज मक्की
५८. **अज़ुब-दतुज़-ज़क़िय्या....**
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी

५९. मुनीरूलअयने फ़ी तक़बीलुल इब्हामैन
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी
६०. नहजुस्सलामा फ़ी तहलीले....
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी
६१. हाजेजुल बहरयनिल वाकिअ...
इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी
६२. बहारे-शरीअत
सदरूशशरीआ अल्लामा अमजद अली आजमी
६३. फ़ीरोजुल लुगात
अल्हाज मोलवी फ़ीरोजुद्दीन
64. The New Royal Persian English Dictionary
Mr. S. C. Paul, (Ph.D.)
६५. फ़तावा हिन्दीया (फ़तावा आलमगीरी)
तरतीब अज़: ५०० हनफी ओलोमा ब हुक्मे सुलतान औरंगजेब
६६. मआनिल आसार
इमाम अबू जाफ़र अहमद बिन सलामा तहावी
६७. बरजन्दी
अल्लामा अब्दुल अली हरवी बरजन्दी
६८. फ़तावा ख़ानिया
इमाम फ़ख़रुद्दीन अवज़जन्दी
६९. सिराजुल वहहाज
इमामे अजल अल्लामा बरकली
७०. मुन्यतुल मुसल्ली
इमाम सदीदुद्दीन मोहंमद इब्ने मोहंमद काशगरी
७१. सगीरी शरहे मुन्यतुल मुसल्ली
अल्लामा अब्दुल अली बरजन्दी हरवी
७२. मुहीत
इमाम मुहक्किर रदीयुद्दीन सरख़सी
७३. शरहे वक़ाया
इमाम उबैदुल्लाह बिन मसउद महबूबी

७४. शरहे नक़ाया
इमाम अब्दुल अली बरजन्दी
७५. शरहे दुरर व गुरर
इमाम इस्माईल बिन अब्दुल ग़नी नाबल्सी
७६. हुदैका नदीय्या शरहे तरीका-ए-मुहम्मदिया
अल्लामा अब्दुल ग़नी बिन इस्माईल नाबल्सी
७७. मिन्हतुल ख़ालिक़ हाशिया बहररराइक़
अल्लामा सैयद मुहम्मद आफ़न्दी शामी
७८. अल अशबाह वन्नज़ाइर
अल्लामा शैख़ ज़ैनुद्दीन नजीम मिसरी
७९. उम्दतुल क़ारी शरहे सहीह बुख़ारी
इमाम बदर महमूद अयनी हन्फी
८०. मौज़िबातुर रहमते व अज़ायमुल मग़फ़िरते
इमाम अहमद बिन अबी बकर रवाद यमनी
८१. जामेउल मुज़मेरात शरहे कुदूरी
इमाम अल्लामा युसूफ़ बिन उमर
८२. ग़मज़ुल उयून वल बसाइर शरहे इशबाह वन्नज़ाइर
अल्लामा इमाम मुहम्मद बिन अहमद हमवी
८३. निहाया शरहे हिदाया
इमाम हुस्सामुद्दीन सग़नाफी
८४. किताबुत्तजनीस वल मजीद
इमाम बुरहानुद्दीन मरग़ीनानी साहिबे हिदाया
८५. मक़ासिदे हसना
इमाम शम्सुद्दीन सख़ावी
८६. फ़तावा सुफ़िया
इमाम फ़ज़लुल्लाह मुहम्मद सुहरवर्दी
८७. मुख़्तसरूल वक़ाया
इमाम सदरूशशरिय्या उबैदुल्लाह इब्ने मसउद
८८. कन्जुल इबाद
इमाम अबूल बरकात अब्दुल्लाह सअदी

८९. मुन्सिफ मुतवस्सित

अल्लामा रहमतुल्लाह सिन्धी

९०. नुजहतुल कारी शरहे सहीहुल बुखारी

फकीहुल हिन्द मुफती शरीकुल हक अमजदी

९१. अलमलफुज

मुफती-ए-आजमे हिन्द मौलाना मुस्तफा रज़ा बरेल्वी

९२. फतावा मुस्तफवीया

मुफती-ए-आजमे हिन्द मौलाना मुस्तफा रज़ा बरेल्वी

“व-अम्मा-बे-नेअमते-रब्बेका-फ-हदिस”

अनुवाद : और अपने रब की नेअमत का खूब चर्चा करो.

“कन्जुल ईमान”

अल्हम्दो लिल्लाह !

मो'मिन की नमाज़ किताब में फिकह की आधारभूत, विश्वस्नीय तथा प्रमाणित पुस्तकों के हवालों और संदर्भों से नमाज़ के मसाइल ग्रहण किये गए हैं. संदर्भ पुस्तकों की अनुक्रमिका में प्रस्तुत नामावली इस वास्तविकता का निर्देश करती है कि किसी भी अविश्वस्नीय पुस्तक से कोई भी मस्अला ग्रहण नहीं किया गया.

अल्लाह तआला की असीम कृपा से संदर्भ पुस्तकों की संख्या बानवे (९२) तक पहुंची है. सरकार दो आलम सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम के पवित्र नाम “मुहम्मद” (सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम) के अंक (अदद) भी बानवे (९२) होते हैं.

अल्लाह तआला अपने प्रिय महबूब के पवित्र नाम के अंक बानवे (९२) के सदके में ९२ किताबों के संदर्भ से लिखी गई इस किताब को स्वीकृत करे और समग्र मुस्लिम संप्रदाय को लाभदायी बनायेह और मुझे इसका पुण्य अर्पण करे.

आमीन.

आशीर्वाद इच्छुक

= लेखक =

हज़रत मुफती-ए-आजमे हिन्द के खलीफ़ा

अल्लामा मुजीब अशरफ साहब का

अभिप्राय

‘बिरिमल्लाहिरहमानिरहीम’

‘नहमदोहु-व-नुसल्ली-अला-रसूलेहिल-करीम’

मेरे बिरादरे-तरीक़त, अल्लामा अल्हाज अब्दुस्सत्तार हमदानी (बरकाती, रज़वी, नूरी) जो गुजरात के मशहूर शहर पोरबंदर के रहनेवाले और मुशिदि-बरहक हुज़ूर सैयेदी सरकार मुफती-ए-आजमे-आलम, अशशैख़, मुस्तफा रज़ा क़िबला अलैहे रहमतुं-वर-रिदवान के खास मुरीदों में से हैं. जनाब हम्दानी साहब अहले-ज़माना की सितम ज़रीफियों का शिकार होकर आजकल ‘क़ैदो-बन्द’ की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं. या यूं कहिए कि अमीनुल उम्मत, सैयदुना इमामे-आज़म अबू हनीफ़ा, मुजदिदे-मिल्लत सैयदुना इमाम अहमद इब्ने हम्बल, इमामे-रब्बानी सैयदुना शैख़ अहमद फारुकी मुजदिद अल्फे-सानी और इमामुल ओलोमा सैयदुना यूसुफ नबहानी वगैरहुम अस्लाफे-किराम रिदवानुल्लाहे तआला अलैहिम अजमईन की सुन्नत का इनको सदका अता हुआ है. इसी सुन्नत की ये बरकत है कि हम्दानी साहब क़ैदो-बन्द की कर्बनाक हालत में भी दीन, सुन्नीयत और मस्लको-मज़हब की ख़िदमत में शबो-रोज़ मसरूफ हैं और अल्लाह तआला इनसे वो ख़िदमत ले रहा है, जो आज़ादी में लोग नहीं कर पाते. ‘ज़ालेका फ़दलुल्लाहे-युअतिहे-मंय-यशाओ’. आ’ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहिदिसे बरेलवी का ये शे’र हम्दानी साहब के हस्बे-हाल है :-

‘मन्म-व-कन्ज-ख़मूली-के-त-गन्दज-दर-वे

जुज़-मन्-व-चंद-किताबे-व-दवातो-क़लमें’

हमदानी साहब का जेल में रहेना अपने अजीजो-अकरबा और अहलो-अयाल से दूरी का सबब ज़रूर है, मगर मेरा वजदान ये कहता है कि यही दूरी और यही मजबूरी अल्लाहो-रसूल की बारगाह से कुर्बतो-नज़दीकी का एक मुकद्दस ज़रीआ है। कुरआने मजीद का इरशाद है कि. 'और करीब है कि कोई बात तुम्हें बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में बहेतर हो, और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए और वो तुम्हारे हक में बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते' (कन्जुल-ईमान, पारा-२, सुर-ए-बकर, आयत नं. २१६) मौसूफ ने अपनी आज़ादी के ज़माने में दीनो-मसलक की जो जुबानी और क़लमी ख़िदमात अंजाम दी हैं, वो आपकी जिंदगी का अज़ीम कारनामा है। पूरी क़ौम पर आपका मिल्ली एहसान है। मगर कैदो-बन्द की कर्बनाक जिंदगी और ना-मानूस माहौलो-फ़िज़ा में जहां क़लबी हैजान और ज़हनी इन्तेशार नागुज़ीर है, ऐसे आलम में तस्नीफ़ो-तालीफ का एक इल्मी ज़ख़ीरा तैयार कर लेना महज़ फज़ले-रब्बानी और बुर्जुगों की ग़ैबी नवाज़िशात का नतीजा है और ये इल्मी ज़ख़ीरा इन्शाअल्लाह तआला मौसूफ के लिये ज़ख़ीरा-ए-आख़ेरत साबित होगा।

हमदानी साब ने जेल में रहेकर सिर्फ दो (२) साल के क़लील अर्से में कइ उलूमो-फुनून पर, कई ज़ख़ीम मुजल्लिदात की शकल में इल्मी सरमाया क़ौम के हवाले फरमाया है। जिसमें 'इरफाने-रज़ा दर मदहे मुस्तफा', दो ज़ख़ीम जिल्दों में और 'सर कटाते हैं तेरे नाम पे मरदाने अरब' तारीख़े इस्लाम दो (२) ज़ख़ीम जिल्दों में आपकी तहरीरी काविशों का कीमती सरमाया अहेले-इल्म के हाथों में मौजूद है। इसी में से एक कल्मी काविश का नतीजा बनाम 'मो'मिन की नमाज़' इस वक़्त आपके हाथों में मौजूद है। इसको पढिये और खुद फैसला कीजिये कि हमदानी साहब ने नमाज़ जैसे उन्वान (विषय) को तहरीरो-तफहीम के ए'तबार से कितना दिलकश और मुफीद बना दिया है। जिद्दत तराज़ी

(अनोखापन) हमदानी साब का ख़ास वस्फ है, जो उनकी हर तहेरीर में नुमायां होता है।

ज़ैरे-मुतालेआ किताब 'मो'मिन की नमाज़' में भी हमदानी साहब का ये रंग पूरी तरह पाया जाता है। नमाज़ के मसाइल की तफहीम में जो तरीका आपने इख़्तियार किया है, वो आम लोगों के लिये इन्तेहाई मुफीद और सहलुल हुसूल है। ख़ास तौर पर हफ़राइज़ हफ़वाजेबात हफ़सुनन हफ़मुस्तहब्बात हफ़मोहरिमात हफ़मकरुहात हफ़मुबाहात वगैरह की फेहरिस्त मौका व महल की मुनासिबत से जो पेश फरमाई है, य़ही हफ़ नमाज़ के अवकात हफ़तुलूअ हफ़गुरुब हफ़ज़वाल हफ़निस्फुन्नहार शरई हफ़निस्फुन्नहार हफ़कीकी हफ़मिस्ले-अव्वल हफ़मिस्ले-दोम और हफ़साया-ए-असली वगैरह की शनाख़्त के लिये जो नक्शे (Maps) पेश फरमाए हैं, वो आम लोगों के लिये बड़े ही कार आमद हैं।

नमाज़ फरीज़-ए-इलाहिया है। नमाज़ सैयदे आलम सल्लल्लाहो तआला अलैहे व आलेहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। नमाज़ अदा-ए-महबूबे-रब्बुल आलमीन का नाम है। नमाज़ मो'मिन की अहम जिम्मदारियों में से है। नमाज़ बरकतों का ख़ज़ाना है। नमाज़ परेशानियों को दूर करने का रुहानी ज़रीआ है। नमाज़ तमानियते-क़ल्ब का नुस्ख-ए-कीमिया है। नमाज़ बुराइयों से बचा कर नेकियों से हम किनार करने का मजबूत वसीला है। नमाज़ इमान की जिला और रुह की गिज़ा है। नमाज़ कब्र में रफ़ीक है। नमाज़ हशर में मो'मिन का नूर है। ग़र्ज़ कि नमाज़ मजमूअ-ए-हसनातो-बरकात है। नमाज़ दीनी, दुनयवी और उख़रवी भलाइयों का वसीला है। जो लोग नमाज़ के हुकूक की रिआयत करते हुए नमाज़ को अदा करते हैं, वो दुनिया व आख़ेरत में कामयाबो-कामराँ हैं। यही वो लोग हैं, जो अपने रब से करीब हैं। यही कुर्बत (नज़दीकी) मो'मिन को मे'राज का शरफ अता करती है। 'अस्सलातो मे'राजुल-मो-मेनीन' ये नमाज़ मोमिन के लिये बारगाहे-ख़दावन्दी का एक कीमती तोहफा है। जो सैयदे-आलम सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम की मे'राजे-

मुकद्दस के तुफैल मुसलमानों को अता किया गया है. काश ! अगर मो'मिन इस अज़ीम तोहफ-ए-रब्बानी की दिलो-जान से कद्र करते और नमाज़ की अदायगी में पूरी-पूरी कोशिश करते, तो आज बदहाली, ज़िल्लत और रुसवाई का मुँह न देखते.

रब्बुल आलमीन अपने हबीब-पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहो तआला अलैहे व आलेहि वसल्लम के सदके व तुफैल में कौमे-मुस्लिम को हिदायते-कामिला की रविश पर चलने की तौफीके-रफीक अता फरमाए. आमीन.

इस किताब 'मो'मिन की नमाज़' को पढ़ने के बाद हम्दानी साहब की फिक़ही बसीरत का भी अंदाज़ा होता है. मसाइल के जमअ और तरतीब में जनाब हम्दानी साहब ने जो कोशिश की है, उस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक ही बाब (प्रकरण) के मसाइल आपको एक ही जगह मिल जाएंगे. फिक़ह की किताबों में सारे मसाइल एक ही बाब में आपको दस्तयाब (उपलब्ध) न होंगे, बल्कि एक बाब के मसाइल अपने उन्वान (विषय) के तहत (नीचे) बयान करने के बजाए दूसरे बाब की मुनासेबत से वहां बयान कर दिये जाते हैं. जैसे 'सजदा-ए-सहव' के बाब में बहुत से जुज़यात वाजेबात के बाब में मज़कूर (वर्णन) हुए हैं. बहुत से मुस्तहब्बात सुन्नते-मोअक्द्दा या सुन्नते-गैर मोअक्द्दा के जिम्न में (अनुसंधान में) आ गए हैं.

हम्दानी साहब ने ये कोशिश की है कि एक बाब के तमाम जुज़इयात को दूसरे अबवाब से छांट कर उसी बाब में दर्ज कर दिया जाए, जिस बाब का वो जुज़इया है. इस तरकीब (पद्धति) से मसाइल की तलाश में बड़ी आसानी हो गई है. गरज़ कि ये किताब मौजूदा दौर (वर्तमान युग) में इफ़ादियत (लाभ ग्रहण) के एतबार से एक मुन्फरिद (अद्वितीय) तालीफ (संपादन) है.

रब्बे-क़रीम हम्दानी साहब की इस मुक़द्दस काविश (प्रयत्न) को शरफे-कुबूलियत से नवाजे और मुसलमानों को इस से फायदा पहुँचाने के अस्बाब

पैदा फरमा कर इस किताब को मक़बूले-आम बनाए और जनाब हम्दानी साहब को दुश्मनों की दुश्मनी, हासिदों के हसद (ईर्ष्या) और शरीरों के शर से महेफूज़ और मामून फरमाए.

आमीन. सुम्मा आमीन. ब जाहि-नबीय्यील-करीम-अलैहेत्तहय्यतो-वत-तसलीम.

फक्त

गदा-ए-बारगाहे-रज़ा-व-नूरी

मुहम्मद मुजीब अशरफ रज़वी

(गोफेरा-लहू)

स्थापक तथा संचालक

अल-जामेअतुल रज़वीया

दारूल उलूम अमजदीया - नागपूर

दिनांक १० रबीउल आख़िर शरीफ सन् १४२० हिजरी

२४ जुलाई सन् १९९९ ई. रोज़े शम्बा (सनीचर)

नज़ील (आगमनित) पोरबंदर (गुजरात)

प्रस्तावना (मुकद्दमा)

बिरिमल्लाहिरहमानिरहीम

'नहमदोहू-व-नुसल्ली-अला-रसूलेहिल-करीम'

अल्लाहो-रब्बो मुहम्मदिन सल्ला अलैहे वसल्लमा

नहन्नो-इबादो मुहम्मदिन सल्ला अलैहे वसल्लमा

नमाज़ इस्लाम का महत्वपूर्ण रुकन है। नमाज़ सब इबादतों से अफज़ल है। नमाज़ मे'राज का तोहफा है। नमाज़ हर बुराई से रोकती है। नमाज़ मो'मिन की मे'राज है। बल्कि ईमान के बाद पहली शरीअत नमाज़ है। 'हुजूरे अक़दस, सय्यदे अलम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम पर पहली मरतबा जिस वक़्त 'वही' उतरी और नबूव्वते करीमा ज़ाहिर हुई, उसी वक़्त हुज़ूर ने बः ता'लीमे जिब्रिले अमीन अलैहिस्सलातो वस्सलाम नमाज़ पढ़ी और उसी दिन बः ता'लीमे अक़दस हज़रत उम्मुल मोअ्मेनीन ख़दीजतुल कुबरा रदीअल्लाहो अन्हा ने पढ़ी। दूसरे दिन अमीरुल मो'मिनीन अली मुरतज़ा करमल्लाहो वजहु ने हुज़ूर के साथ पढ़ी, कि अभी सूरा 'मुज़ज़म्मिल' भी नाज़िल न हुई थी, तो ईमान के बाद पहली शरीअत नमाज़ है। (फतावा रज़वीया, जिल्द-२, सफ़हा २८०)

नमाज़ पढ़ने से बेशुमार फज़ीलत हासिल होती है, जिसका शुमार हम से ना-मुम्किन है। हदीस की किताबों में नमाज़ पढ़ने की फज़ीलत इत्नी तफ़सील से बयान फरमाई गई है कि अगर सिर्फ़ उन फज़ाइल ही का वर्णन किया जाए तो एक अलग किताब तैयार हो जाए। अब सवाल ये है कि नमाज़ की फज़ीलत कब हासिल होगी ? जवाब साफ़ है कि नमाज़ को सहीह तरीक़े से अदा करने से। अगर नमाज़ के लवाज़िमात (नियमों) का लिहाज़ नहीं किया गया और अधूरी नमाज़ पढ़ी गई, तो नमाज़ पढ़ने की फज़ीलत हासिल नहीं होगी। लेकिन

अफ़सोस कि बहुत से मो'मिन भाई नमाज़ के मसाइल से नावाक़िफ़ (अजाण) होने के कारण नमाज़ के अरकान (काम) सहीह तौर से अदा नहीं करते, नतीजा ये होता है कि उनकी नमाज़ नाक़िस (अधूरी) रहेती है, बल्कि कुछ सूरातों में तो उनकी नमाज़ फ़ासिद (टूट जाना) हो जाती है। ऐसी नमाज़ पढ़ने वाला नमाज़ की फज़ीलत से महरुम (वंचित) रहेता है।

मो'मिन भी नमाज़ पढ़ता है और मुनाफ़िक़ भी नमाज़ पढ़ता है, लेकिन मो'मिन की नमाज़ और मुनाफ़िक़ की नमाज़ में ज़मीन आसमान से भी ज़ियादा फ़र्क़ होता है। कुरआने मजीद में मो'मिन और मुनाफ़िक़ दोनों की नमाज़ का ज़िक़र फरमाया गया है।

* मो'मिन की नमाज़ का कुरआने मजीद में इस तरह वर्णन है कि,

“قَدَأَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۗ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ”

'क़द-अफलह-मोअमेनुबल-लज़ीना-हुम-फी
सलातेहिम-ख़ाशिउन'

(पारा-१८, रूकूअ-१, सुरए मो'मेनुन, आयत नं. १,२)

:: अनुवाद ::

'बेशक ! मुराद को पुंहचे ईमानवाले जो अपनी नमाज़ में गिडगिडाते हैं।' (कन्ज़ुल ईमान)

:: तफ़सीर ::

'या'नी इनके दिलों में खुदा का ख़ौफ़ होता है और इनके अज़ा (अंग) साकिन होते हैं। बाज़ मुफ़रिस्सीन ने फरमाया कि नमाज़ में खुशूअ ये है कि उस में दिल लगा हो और दुनिया से तवज्जोह हटी हुई हो और नज़र जा-ए-नमाज़ से बाहर न जाए और गोश-ए-चश्म से किसी तरफ़ न देखे और कोई अबस

काम न करे और कोई कपडा शानों पर न लटकाए. इस तरह कि उसके दोनों किनारे लटके हों और आपस में मिले न हों. और ऊंगलियां न चटखाए और इस किस्म की हरकत से बाज़ रहे. बा'ज़ ने फरमाया कि खुशूअ ये है कि आसमान की तरफ नज़र न उठाए.'

(तफसीर खज़ाइनुल इरफ़ान, सफ़हा नं. ६१५)

उपरोक्त आयत की तफसीर में नमाज़ को सहीह तरीके से अदा करने और नमाज़ में व्यर्थ हरकतों से दूर रहने की ताकीद फरमाई गई है. और मो'मिन की शान ये बयान फरमाई गई है कि मो'मिन जब नमाज़ पढ़ता है तब खुशूअ और खुजूअ (एकाग्रता) से नमाज़ पढ़ता है और नमाज़ में किसी प्रकारकी अयोग्य हरकत नहीं करता बल्कि अपने अंगों को साकिन (स्थिर) रखकर कामिल तौर पर नमाज़ पढ़ता है.

इ मुनाफिक की नमाज़ का कुरआने-मजीद में इस तरह वर्णन है कि,

“فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ”

-: लिपियांतर :-

‘फ-वयलुल-लिल-मुसल्लीनल-लज़ीना-हुम-अन-सलातिहिम-साहूनल-लज़ीना-हुम-युराउना’

(हवाला, संदर्भ)

पारा-३०, रुकुअ-३२, सूरा-ए-अल माउन, आयत नं. ४,५,६

:: अनुवाद ::

‘तो उन नमाज़ियों की ख़राबी है जो अपनी नमाज़ से भूले बैठे हैं, वो जो दिखावा करते हैं’ (कन्ज़ुल ईमान)

:: तफसीर ::

‘मुदाद इससे मुनाफ़ेकीन हैं, जो तन्हाई में नमाज़ नहीं पढ़ते, क्योंकि वो इस के मो'तकिद नहीं, और लोगों के सामने नमाज़ी बनते हैं और अपने को नमाज़ी

ज़ाहिर करते हैं और दिखाने के लिये उठ बैठ लेते हैं और हकीकत में नमाज़ से गाफ़िल हैं.’ (तफसीर खज़ाइनुल इरफ़ान’ सफ़हा नं. १०८४)

नमाज़ को सहीह तरीके से अदा करने की हदीसों में बहुत ताकीद की गई है. उन में से कुछ हदीसों वाचक वर्ग (कारेईन) की सेवा (ख़िदमत) में प्रस्तुत हैं.

हदीस

‘इमाम अहमद ब:अस्नाद हसन व अबू या'ला रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रदीअल्लाहो तआला अन्हो कहते हैं कि मेरे ख़लील सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमने नमाज़ में तीन (३) बातों से मना फ़रमाया, (१) मुर्ग की तरह टोंग मारने से (२) कुत्ते की तरह बैठने से और (३) लोमड़ी की तरह इधर उधर देखने से’

हदीस

‘बुखारी ने तारीख़ में और इब्ने हुज़यमा वगैरह ने हज़रत ख़ालिद बिन वलीद और हज़रत अम्र बिन आस और हज़रत यज़ीद बिन अबी सुफ़ियान और हज़रत शुरहबील बिन हसना रदीयल्लाहो तआला अन्हुम अजमईन से रिवायत फ़रमाई है कि;

हुजूरे अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम ने एक शख़्स को नमाज़ पढ़ते मुलाहिज़ा फ़रमाया कि रुकुअ और सुजूद पुरा नहीं करता और सजदा में टोंग मारता है. हुक़म फ़रमाया कि पूरा रुकूअ करे और इरशाद फ़रामया कि अगर ये इसी हालत में मरा, तो मिल्लते मुहम्मद सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम के ग़ैर पर मरेगा. फिर इरशाद फ़रमाया कि ‘जो रुकूअ पूरा नहीं करता और सजदा में टोंग मारता है उसकी मिसाल उसी भूखे की है कि एक-दो खज़ूर खा लेता है, जो कुछ काम नहीं देती.’

हदीस

‘इमाम अहमद हज़रत अबू क़तादा रदीयल्लाहो तआला अन्हो से रावी हैं कि हुज़ुरे अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लमने फ़रमाया; ‘सबसे बड़ा चोर वो है जो अपनी नमाज़ से चुराता है.’ सहाबा-ए-किराम रदीयल्लाहो तआला अन्हुम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ! नमाज़ से कैसे चुराता है ? ‘फ़रमाया कि रुकूअ और सुजूद पूरा नहीं करता.’

हदीस

‘इमाम मालिक और इमाम अहमद ने हज़रत नो’मान बिन मुरा रदीयल्लाहो अन्हो से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लमने हुदूद नाज़िल होने से पहले (या’नी सज़ाओं मुक़र्र होने से पहले) सहाबा-ए-किराम से फ़रमाया कि शराबी और ज़ानी (व्याभिचारी) और चोर के बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है ? सब ने अर्ज़ की अल्लाह व रसूल ख़ूब जानते हैं ? फ़रमाया ये बहुत बुरी बातें हैं और इनमें सज़ा है. और सबसे बुरी चोरी वो है कि आदमी अपनी नमाज़ से चुराए. अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह ! नमाज़ से कैसे चुराएगा ? फ़रमाया, “यूँ कि रुकूअ और सुजूद पुरा न करे.”

हदीस

‘सहीह बुख़ारी में हज़रत शफ़ीक़ से मरवी है कि हज़रत हुज़यफ़ा रदीयल्लाहो तआला अन्हो ने एक शख़्स को देखा कि रुकूअ और सुजूद पूरा नहीं करता. जब उसने नमाज़ पढ़ ली तो बुलाया और कहा तेरी नमाज़ न हुई. रावी कहते हैं कि मेरा ये गुमान है कि ये भी कहा कि अगर तू मरा तो फ़ितरते मुहम्मद सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम के ग़ैर पर मरेगा.’

हदीस

‘इमाम अहमद ने हज़रत मुत्तक बिन अली रदीयल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत की कि हुज़ुरे अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लमने फ़रमाया, ‘अल्लाह तआला बन्दे की उस नमाज़ की तरफ़ तवज्जोह नहीं फ़रमाता जिसमें रुकूअ और सुजूद के दरमियान पीठ सीधी न करे.

हदीस

‘इमाम तिरमिज़ी बः अस्नाद हसन रिवायत करते हैं कि हुज़ुरे अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लमने हज़रत अनस बिन मालिक रदीयल्लाहो तआला अन्हो से फ़रमाया, ‘ए लडके ! नमाज़ में इल्लेफ़ात (इधर-उधर देखने) से बच, कि नमाज़ में इल्लेफ़ात हलाकत(विनाश)है.’

हदीस

‘बुख़ारी, अबू दाउद, नसाई और इब्ने माजा हज़रत अनस बिन मालिक रदीयल्लाहो तआला अन्हो से रावी कि हुज़ुरे अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम फ़रमाते हैं कि ‘क्या हाल है उन लोगों का जो आसमान की तरफ़ आंखें उठाते हैं. इससे बाज़ आएं या उनकी आंखें उचक ली जाएंगी.’

हदीस

‘दारमी हज़रत का’ब बिन अज़रह रदीयल्लाहो तआला अन्होसे रावी कि हुज़ुरे अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम अपने रब्बे जल्ला व अला से रिवायत फ़रमाते हैं, वो इरशाद फ़रमाता है कि;

‘जो नमाज़ को उसके वक़्त में ठीक-ठीक अदा करे, उसके लिए मुझ पर अहद (वचन) है कि उसे जन्नत में दाख़िल फ़रमाऊं और जो वक़्त में न पढ़े और ठीक अदा न करे उसके लिये मेरे पास कोई अहद नहीं. चाहूं तो उसे जन्नत में ले जाऊं और चाहूं तो दोज़ख में ले जाऊं.

(ब-हवाला : फ़तावा रज़वीया, जिल्द - २, सफ़ा - ३१४)

हमारे बहुत से मो'मिन भाई पाबन्दी से नमाज़ तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज़ के मसाइल से बिल्कुल वाक़फ़ीयत नहीं रखते. नमाज़ के शराइत, फ़राइज़, वाजेबात, सुनन और मुस्तहब्बात क्या हैं ? किन बातों से नमाज़ फ़ासिद होती है ? सजद-ए-सहव करना कब लाज़मी है ? नमाज़ किन बातों से मकरुहे - तहरीमी वाजेबुल - एआदा होती है ? विविध ज़रूरी मसाइल और आवश्यक अहेकाम से बिल्कुल गाफ़िल और बे-ख़बर होते हैं और अपने तौर-तरीके से नाक़िस (अधूरी) नमाज़ पढ़ते हैं. कुछ लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं, तब जल्दी-जल्दी में रुकूअ और सुजूद इस तरह करते हैं कि नमाज़ के अरकान ही अदा नहीं होते, लेकिन वो अपनी इस कमी की तरफ़, मुल्लक़ तवज्जोह नहीं देते और इस वहम और गुमान में होते हैं कि हम नमाज़ सहीह पढ़ते हैं और हम को नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत हासिल होगी, लेकिन हक़ीक़त ये है कि इस तरह पढ़ी जानेवाली नमाज़ नाक़िस, अधूरी और ना-क़ाबिले तवज्जोह है. इस तरह पढ़ी जानेवाली नमाज़ से कोई फ़ज़ीलत हासिल नहीं होती. लिहाज़ा, हम पर लाज़िम है कि हम सहीह तरीक़े से नमाज़ अदा करें और नमाज़ सहीह तरीक़े से तब ही अदा की जा सकेगी, जब कि नमाज़ के मसाइल की जानकारी होगी.

बहुत से ऐसे नमाज़ी भाईयों को भी देखा गया है कि वो सिर्फ़ नमाज़ की फ़ज़ीलत की तरफ़ ही ध्यान देते हैं और नमाज़ के मसाइल की तरफ़ ज़रा भी तवज्जोह नहीं देते, बल्कि बिल्कुल ग़लत तरीक़े से नमाज़ पढ़ते हैं और फ़ज़ीलत हासिल होने के आशावादी होते हैं. जब इन लोगों से नम्रतापूर्वक़ कहा जाता है

कि जनाबे-अली ! इस तरह नमाज़ पढ़ने से नमाज़ अदा होती ही नहीं, तब वो लापरवाही से उड़ाउ जवाब देते हैं कि; ‘हम फ़ज़ाइल वाले हैं, मसाइल वाले नहीं हैं. हमको नमाज़ की फ़ज़ीलत से मतलब है, मसाइल से कोई काम और मक़सद नहीं.’ इस तरह के ग़ैर-ज़िम्मेदाराना जवाब देकर नमाज़ के मसाइल की जानकारी हासिल करने से जान-बूझकर मुँह मोड़ते हैं.

बेशक ! हम इस बात को दिलो-जान से स्वीकार करते हैं कि नमाज़ पढ़ने से बेशुमार फ़ज़ीलतें हासिल होती हैं, लेकिन वो फ़ज़ाइल तब ही हासिल हो सकते हैं, जबकि नमाज़ के मसाइल की रिआयत और लिहाज़ करके नमाज़ के तमाम अरकान सहीह तौर पर अदा किये जायें. मसाइल से मुँह मोड़ कर सिर्फ़, ‘फ़ज़ाइल-फ़ज़ाइल’ की रट लगाना बेसूद और व्यर्थ है. फ़ज़ाइल की प्राप्ति का समग्र आधार मसाइल की अदायगी पर है. ज़रूरी और लाज़मी बातों को छोड़ कर सिर्फ़ मुस्तहब्बात पर अमल करके फ़ज़ीलत और सवाब हासिल होने की उम्मीद नहीं की जा सकती. मिसाल के तौर पर नमाज़ में ‘अमामा’ बाँधने से बेशुमार सवाब मिलता है और बहुत ही फ़ज़ीलत हासिल होती है. हदीस शरीफ़ में है कि ‘अमामा के साथ पढ़ी गई नमाज़ की दो (२) रक़अतों बग़ैर अमामा के पढ़ी गई सत्तर (७०) रक़अतों से अफ़ज़ल हैं.’ अब अगर कोई शख़्स नमाज़ की फ़ज़ीलत हासिल करने के लिये ‘अमामा शरीफ़’ तो सर पर बाँधे, लेकिन पाजामा या लुंगी के बजाए ऐसी हाफ़ पेन्ट या ‘नी चड्डी पहने कि उसके दोनों घुटने नज़र आते हों, तो उस शख़्स को नमाज़ में अमामा शरीफ़ बाँधने की कुछ भी फ़ज़ीलत हासिल नहीं होगी, क्योंकि पाँव के दोनों घुटने शरअन ‘औरत’ हैं या ‘नी शरीर का वो अंग हैं जीनको छुपाना नमाज़की शर्तों से है. जिसके दोनों घुटने खुले हुए हों उसकी नमाज़ ही नहीं होगी. तो सिर से ही जो नमाज़ होगी ही नहीं, नमाज़ की फ़ज़ीलत हासिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता. शरीर के नीचे के अंग को खुला रखने की ग़लती करने के साथ आप सर पर ‘अमामा शरीफ़’ बाँधना कुछ भी फ़ायदेमंद नहीं है.

ये बात अच्छी तरह दिमाग में सुरक्षित रखें कि मसाइल की अदायगी के बगैर फ़ज़ाइल का हासिल होना ना-मुम्किन है। सिर्फ़ फ़ज़ाइल के पीछे दौड़ना और मसाइल की परवाह न करना ये किसी अक्लमंद का काम नहीं है, लेकिन बड़े दुःख की बात है कि वर्तमान युग में एक ऐसी हवा चली है कि लोग सिर्फ़ फ़ज़ाइल पर ही नज़र रखते हैं और फ़ज़ाइल का जिन पर दारो-मदार है, उनको बिल्कुल अहमियत नहीं देते बल्कि तवज्जोह देने तक की भी ज़रूरत नहीं समझते।

लिहाज़ा हमने इस किताब में नमाज़ के सिर्फ़ मसाइल ही बयान करना मुख्य ध्यैय बनाकर ज़यादा से ज़यादा मसाइल ही बयान करने का प्रयत्न किया है। नमाज़ के फ़ज़ाइल पर आधारित किताबें तो मार्केट में काफ़ी ता'दाद में मिलती हैं, लिहाज़ा उन फ़ज़ाइल का इस किताब में एअदा (पुनरावर्तन) न करते हुए, नमाज़ के अरकान और उससे सम्बन्धित मसाइल विस्तार पूर्वक बयान कर दिये हैं, ताकि हमारे मो'मिन भाई नमाज़ के ज़रूरी और लाज़मी मसाइल का इल्म हासिल करें और उन मसाइल पर अमल करें और नमाज़ के तमाम अरकान सहीह तरीक़े से अदा करके अपनी नमाज़ को वास्तव में 'मो'मिन की नमाज़' बनाकर नमाज़ जैसी महत्वपूर्ण इबादत अदा करने के साथ-साथ नमाज़ की बेशुमार फ़ज़ीलतें और बरकतें हासिल करें।

एक ज़रूरी बात हमेशा याद रखें कि हर शख्स अपने गुमान में अपनी नमाज़ को सहीह तौर पर और ठीक अदा करता है लेकिन क्या वाकई (सचमुच) उसकी नमाज़ सहीह तौर पर और ठीक अदा होती है ? इसका फैसला इस किताब के मुतालेआ (वाचन) के बाद हर शख्स अपने तौर पर या'नी शरीअत के क़ानून के तराजु (कांटे) में अपनी नमाज़ को तौल कर कर ले।

इमामे अजल, हादी-ए-मिल्लत, शैखुल इस्लाम और हुज्जतुल इस्लाम, अबू हामिद, हज़रत मुहम्मद बिन मुहम्मद तूसी इमाम ग़ज़ाली रदीय्यल्लाहो

तअ़ाला अन्हो ने एक अजीब मिसाल पैश फ़रमा कर हमें ग़फलत की नींद से जगाने की कोशिश फ़रमाई है।

'हज़रत अ़ता सल्मी रदीय्यल्लाहो तअ़ाला अन्हो ने एक कपड़ा निहायत ही अच्छा बुनकर तैयार किया। बड़ा ही सुन्दर और आकर्षक कपड़ा तैयार हुआ। आप उस कपड़े को लेकर फ़रोख़्त करने के लिये बाज़ार में आए और एक बज़ाज़ या'नी कपड़े के व्यापारी के पास गए और अपना तैयार किया हुआ कपड़ा उसे दिखाया। बज़ाज़ ने कपड़ा देखने के बाद कपड़े की कीमत बहुत ही कम बताई और कहा कि इस कपड़े में फ़लाँ फ़लाँ नुक़्स (क्षति) हैं। लिहाज़ा इस कपड़े के दाम पूरे नहीं मिल सकते। हज़रत अ़ता सल्मी रदीय्यल्लाहो तअ़ाला अन्होने बज़ाज़ से अपना कपड़ा वापस ले लिया और रोने लगे और बहुत ज़्यादा रोए। बज़ाज़ को आपके इस क़दर ज़यादा रोने पर निदामत (शर्म) हुई और वो मा'ज़िरत(दिलगीरी) ज़ाहिर करने लगा और कपड़े की मुँह मांगी कीमत देने पर रज़ामन्द हो गया।

इस पर हज़रत अ़ता सल्मी ने बज़ाज़ से फ़रमाया कि मैं कपड़े की कीमत कम तय (Fixed) होने पर नहीं रोता बल्कि मेरे रोने की वजह ये है कि मैं कपड़ा बुनने का हुनर जानता हूँ और इस कपड़े की मज़बूती, दुरूस्ती और ख़ूबसूरती में बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि मेरी दानिस्त में इस कपड़े में कोई ऐब न था, लेकिन ये कपड़ा जब माहिर के सामने पैश किया गया तो उसने कपड़े के कई उन ऐबों और ख़ामियों को ज़ाहिर कर दिया जिन से मैं बे-ख़बर था। फिर हमारे उन आ'माल का क्या हाल होगा जब वो कल क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक-व-तआला के हुज़ूर पेश किये जाअंगे ? मालूम नहीं हमारे उन आ'माल में कितने उयूब और नूक़सान ज़ाहिर होंगे जिन से आज हम बे-ख़बर हैं।'

(संदर्भ : 'मिन्हाजुल-आबिदीन', उर्दू अनुवाद, सफ़ा नं. २८७)

प्यारे भाईयो ! मजकूरा (वर्णनीय) वाकेआ पर गहेरी सोच और फिक्र करें और तन्हाई में सुकून से बैठकर सोचिये कि हमारे गुमान में हमारे जिन अमलों को हम सहीह और दुरुस्त समज रहे हैं, उन में ऐब और नुक़्श का ईम्कान मुम्किन है. लिहाज़ा हम पूरी कोशिश करें कि नमाज़ के ज़रूरी मसाइल की जानकारी हासिल करें और उस जानकारी के ज़रीए हम अपनी नमाज़ें सहीह और ठीक अदा करें. नमाज़ हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को ठीक-ठीक अदा करना निहायत ज़रूरी है, ताकि हमें बरकतों के ख़ज़ाने और फ़ज़ीलतों के तोहफ़े हासिल हों और हमें दुनिया व आख़िरत में काम्याबी और कामरानी हासिल हो.

अल्लाह तआला अपने महबूबे-अकरम, साहिबे-मे'राज सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम के सदके और तुफ़ैल में हर सुन्नी मो'मिन को हमेशा 'ईमान' की सलामती और दुरुस्ती के साथ पाबन्दी से सहीह नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीके-रफ़ीक अता फ़रमाए. आमीन.

:: तालिबे दुआ ::

ख़ानकाहे-बरकातिया, मारेहरा मुक़द्दसा और ख़ानकाहे-रज़वीया,

बरैली शरीफ़का अदना भिखारी

अब्दुस्सत्तार हम्दानी 'मसरुफ़'

पोरबंदरी, बरकाती, रज़वी, नूरी

बंदीवान : ख़ास जेल, पोरबंदर (गुजरात)

मुश्किल अलफ़ाज़ और ईस्तेलाहात के मा'बा (Meaning)

१.	इरतिकाब	अमल करना, जुर्म करना, काम करना Perpetration
२.	एआदा	लौटाना, दोहराना, बार-बार करना, फेर कर लौटाना, Repetation
३.	इन्हेराफ	फिर जाना, मुकर जाना, घूम जाना Deflection
४.	ए'राज़	मुंह फेरना, रू-गरदानी, Aversion
५.	अहवत	एहतियात के तौर पर, ख़बरदारी से, Scrupulous
६.	असहह	दुरुस्त तरीन, ज़ियादा सहीह, विशेष सत्य Quite Correct
७.	अशग़ाल	काम, मशग़ले, कार्य, प्रवृत्ति Occupation
८.	इज़्देहाम	भीड़, मजमअ, अम्बोह Concours, Crowd
९.	इक्तेदा	पैरवी करना, अनुकरण करना, इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना, Imitator
१०.	इत्तेसाल	मिला हुआ होना, लगातार होना, संलग्न, नज़दीकी, Contiguity
११.	इल्तेफ़ात	तवज्जोह करना, लक्ष देना, ध्यान करना, रग़बत Attention
१२.	इस्तेलाहात	मुरादी अर्थ, किसी शब्द के प्रचलित अर्थ के इलावा कोई ख़ास मफ़हूम मुक़रर करना
१३.	इख़्तिसार	कमी, कोताही, छोटापन, खुलासा, Abridgment

१४.	उचक लेजाना	उडा ले जाना, छीन लेना
१५.	अकद	ज़ियादा ताकीद किया हुआ, ज़ियादा इसरार या तकाज़ा किया हुआ
१६.	अल्ज़म	ज़ियादा ज़रूरी, ज़ियादा मिला हुआ, बहुत ही लाज़िम, ज़ियादा वाबस्ता
१७.	अरजह	ज़ियादा बेहतर, अति उत्तम, ज़ियादा ग़ालिब, ज़ियादा पसन्दीदा, विशेष प्रिय
१८.	अक़वा	ज़ियादा मज़बूत, ज़ियादा ज़ोरआवर, विशेष शक्तिशाळी
१९.	अकमल	बड़ा कामिल, निहायत माहिरे-फन, निपूर्ण Entire, Very Complete
२०.	बक़ा	बाकी रहेना, ज़िन्दा रहेना, हमेशगी, अस्तित्व Everlasting
२१.	बिना	जड़, बुनियाद, अस्ल, बाइस, सबब, Foundation, Base
२२.	बरअक्स	उलटा, ख़िलाफ, मुख़लिफ, विरोधी Contrary, Nevertheless
२३.	बरीयुज्जिम्मा	ज़िम्मेदारी से छुटा हुआ, जवाब देने से मुक्त Acquitted
२४.	बअदीया	बाद वाला, पिछला, बाद में होने वाला Posterior
२५.	पै दर पै	एक के बाद एक, लगातार, सिलसिलावार Successively
२६.	तस्हीह	सहीह करना, दुरूस्त करना, सुधारना Correction, Rectification
२७.	तस्बीहात	तस्बीह का बहुवचन (तस्बीह की जमा) सुब्हानल्लाह कहना, तस्बीह करना
२८.	तरतीब	दर्जा-ब-दर्जा रखना, ठिकाने से रखना, तरीका, ढंग

२९.	तकरार करना	बार-बार कहना, दोहराना Repeation
३०.	तकबीराते-इन्तेक़ाल	नमाज़ में एक हालत से दूसरी हालत में जाने के लिये अल्लाहो अकबर कहना
३१.	तअम्मुल	दर करना, विलम्ब करना, सोच विचार करना, वक़फ़ा, Delay in Decision
३२.	ताबेअ	मातेहत, आधारित, फरमाबरदार, आज्ञाकारी Obedient, Dependent
३३.	तआरुज़	एक दूसरे के मुक़ाबिल, आपसे में विरोध Oppose
३४.	तस्मीयह	“बिस्मिल्लाह-हिरहमा-निरहीम” कहना
३५.	तअव्वुज़	“अउज़ो-बिल्लाहे-मिनशयतानिरजीम” कहना
३६.	तशहहुद	“अत्तहिय्यात” पढ़ना
३७.	बईद	दूर, फ़ासला पर, अलग, अंतर पर Remote, Distance
३८.	तलफ़फ़ुज़	शब्द का मुंह से निकालना, लेहजा, पठन Pronunciation
३९.	तअय्युन	मुक़रर करना, मख़सूस करना, नियुक्त करना Appointment, Fixing
४०.	ता'दीले-अरकान	नमाज़ के अरकान को आहिस्ता आहिस्ता ठीक तौर से अदा करना
४१.	ठोंग मारना	चोंच मारना, पक्षी की तरह चोंच मारना
४२.	तरजीह	फौकियत, बरतरी, अग्रता, फज़ीलत, Preference
४३.	सक़्लेसमाअत	बहेरापन, उंचा सुनने की बीमारी, Deafness
४४.	जबन	ज़बरदस्ती, मजबूर करके, सूहफ़्हुद
४५.	जहरी	वो नमाज़ जिसमें उंची/बुलन्द आवाज़ से क़िरअत की जाए

४६.	जलसा	दोनों सजदों के दरमियान बैठना
४७.	जहत	सम्त, दिशा, तरफ, प्रति, जानिब, सबब Side, Direction
४८.	हुर्मत	इज़्ज़त, आबरू, अज़मत, बड़ाई, मज़हब में हराम होना, Dignity
४९.	हाइल	बीच में आने वाला, पर्दा, आड़, रोक, अवरोध Intervening, Hindering
५०.	हदसे-असगर	वुजू टूटना, वुजू की ज़रूरत होना
५१.	हदसे-अकबर	गुस्ल (स्नान) की हाजत होना, गुस्ल टूटना, जनाबत की हालत में होना
५२.	हश्फ़ा	आल-ए-तनासुल या'नी लिंग की सुपारी Glance Penis
५३.	ख़वास	ख़ास की जमा (बहुवचन), ख़ास लोग, बड़े लोग Grandee
५४.	खुशूअ	आजिज़ी, गिड़गिड़ाना, विनम्रता, Fear, Humility
५५.	खुदूअ	गिड़गिड़ाना, आजिज़ी, डर, ख़ौफ Imploration, Begging
५६.	दलीले-कतई	यकीनी हुज्जत, कामिल सुबूत, सम्पूर्ण, पुरावा. Solid Evidence
५७.	दलीले-ज़न्नी	क़यासी सुबूत, गुमान युक्त पुरावा Suspicious evidence
५८.	दय्यूस	बेशर्म मर्द, भड़वा, व्यभिचार का दलाल, बेहया, बेगैरत, Pimp
५९.	रुक्न	ज़रूरी हिस्सा, अनिवार्य भाग, सुतून Grandee, Aid
६०.	रफ़अ करना	छोड़ना, उठाना, बाज़ रहेना, Repelling
६१.	साक	पिंडली, घुटने के नीचे का पग का भाग, ष्टुघ्घळ

६२.	ज़वाल	सूरज का निस्फुन्नहार (मध्याह्न) से नीचे ढलना Decline
६३.	ज़ा़द	ज़ियादा, फुज़ूल, फ़ालतू, बचा हुआ, अधिक Redundant
६४.	ज़ा़ल करना	दूर करना, कम करना, नष्ट करना Perishing, Vanishing
६५.	सहव	भूल, भूल चूक, ग़लती, ग़फ़लत, क्षति Mistake, Error
६६.	सहवन	भूल से, ग़फ़लत में, ग़लती से, बिना इरादा Erroneously
६७.	सिरी	वो नमाज़ जिस में आहिस्ता आवाज़ से क़िरअत की जाए
६८.	सुरीन	चूतर, बैठक का भाग, कुल्ला, पूठ Buttocks, Rump
६९.	सक़फ	छत, शामियाना, छप्पर Roof, Ceilling, Canopy
७०.	सहूलत	आसानी, नरमी, आहिस्तगी, सग़वड Facility, Smoothness
७१.	शनाख़्त	पहचान, तमीज़, वाक़फ़ीयत, जानकारी Introduce
७२.	उजलत	जल्दी, शताबी, शीघ्रता, उतावळ, Haste
७३.	ईदैन	दोनों ईदें या'नी ईदुल-फ़ितर और ईदुल-अज़हा
७४.	असा	लकड़ी, लाठी, डंडा, बल्लम, सोंटा Stick, Club
७५.	इताब	गुस्सा, मलामत, क्रोध, नाराज़गी, क़हर Displeasure
७६.	उर्फ़	पहचान, आम-नाम, अवामी पहचान परिचितता, Recongition

१०७.	मस्बूक	वो शख्स जो एक या ज़ियादा रकअतें छूटने के बाद जमाअत में शरीक हो.
१०८.	मशरूइयत	शरीअत के मुताबिक होना, जाइज़ किया गया, Prescribed by law
१०९.	मुल्लकन	बिल्कुल, यकीनी, क़तई. Absolutely, Certainly
११०.	मल्लूब	तलब किया गया, पसन्द किया गया, चाहा गया Demanded
१११.	मा'यूब	ऐबदार, क्षति युक्त, बुरा, क़ाबिले-शर्म, Defective
११२.	मा'हुद	अहद किया गया, मशहूर, नामवर, नामांकित, चयनीय, Promised
११३.	मफ़कूद	खोया हुआ, गुम, ग़ाइब, नापैद, नदारद. Missing, Lost
११४.	मुफ़सिद	फ़साद करने वाला, तोड़ने वाला, तबाह करने वाला Seditious
११५.	मुक़तदी	पैरवी करने वाला, इमाम के पीछे खड़ा होने वाला नमाज़ी, अनुयायी.
११६.	मिक्दार	अंदाज़ा, शुमार, मात्रा, प्रमाण, माप, ज़थो. Quantity
११७.	मुकरर	दोबारा, फिर से, दूसरी दफ़ा, बार-बार, पुनरावर्तन Repeated
११८.	मुन्अकिद	नियुक्त होने वाला, ठहरने वाला, मुकरर होने वाला Appointed
११९.	मुन्फरिद	तन्हा, अकैला, यगाना, यकता, अलिप्त. Siple, Solitary
१२०.	मन्कूल	नक़ल किया गया, बयान किया गया, लिखा गया, Narrated Copied

१२१.	मूज़ी	तकलीफ पहुंचाने वाला, शरारत वाला, ज़ालिम, हानिकारक, दुष्ट, pernicious
१२२.	मुअलिन	अलल ऐलान करने वाला, ज़ाहिर में करने वाला, खुल्लम-खुल्ला करने वाला.
१२३.	निस्फुन्नहार	दिन का आधा, दिन का निस्फ़, दोपहर का समय, मध्याह्न, Noon
१२४.	वुसूक	भरोसा, ए'तबार, विश्वास, मज़बूती Firmness, Confidence
१२५.	वाजेबुत्तमबीह	ताकीद करना ज़रूरी, अनिवार्य चेतवणी. Necessary Instruction
१२६.	वईद	सज़ा देने की धमकी, सज़ा करने का वचन Threatening
१२७.	वुकूफ करना	ठहरना, रूकना, अटकना, Refraining
१२८.	याबिस	खुश्क, सुखा हुआ, खुश्की करने वाला, सुकुं Dry, Driest

आपकी आसानी के लिये

ज़रूरी !!!

इस वक्त आप जिस किताब मो'मिन की नमाज़ का वांचन कर रहे हैं वो किताब आप इन्टरनेट पर भी देख सकते हैं. हमारे आदरणीय वांचक मित्रों की सुविधा के लिये मरकज़े अहले सुन्नत बरकाते रज़ा ने अपनी (Web site) का प्रारम्भ कर दिया है.

अपने कम्प्यूटर पे बिराजमान हो कर निम्न लिखित अंक डाइल करने का कष्ट करें. धन्यवाद :-

www.muftiazam.com

नमाज़े पंज वक़्त

या'नी
पांच वक़्तकी नमाज़

”فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ
وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيَاءَ وَحِينَ تُظْهِرُونَ“

फ़सुब्हानल्लाहे-हीना-तुमसूना-व-हीना-तुसबेहूना
-व-लहुल-हम्दो-फ़िरसमावाते-वल-अर्दे-
-व-अशियंव-व-हीना-तुजहेरुना'
(पारा-२१, रुक़ुअ-५, सूरा-ए-रुम, आयत नं. १७,१८)

'तो अल्लाह की पाकी बोलो जब शाम करो और जब सुबह हो
और उसी की ता'रीफ़ है आसमानो और ज़मीन में और कुछ
दिन रहे और जब दोपहर हो'

(कन्ज़ुल ईमान)

:: अल हदीस ::

'अस्सलातो-मे'राजुल-मो'मेनीन'

अनुवाद : 'नमाज़ मो'मिन की मे'राज है' (बुखारी)

हदीस

तिब्रानी मोअज़मे-अवसत में हज़रत अनस बिन मालिक रदीयल्लाहो तआला
अन्हो से रावी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद
फ़रमाते हैं कि 'जो पांचों नमाज़ें अपने-अपने वक़्तों पर पढ़े और उनका वुजू
व क़ियाम व खुशुअ व सुजूद पूरा करे, वोह नमाज़ सफ़ेद रोशन होकर येह
कहती निकले कि अल्लाह तेरी निगेहबानी फ़रमाए जिस तरह तूने मेरी हिफ़ाज़त
की और जो ग़ैर वक़्त पर पढ़े और वुजू व क़ियाम व खुशुअ व रुकूअ व सुजूद
पूरा न करे, वोह नमाज़ तारीक होकर येह कहती निकले कि अल्लाह तुजे
जाएअ करे, जिस तरह तूने मुजे जाएअ किया. यहां तक कि जब उस मक़ाम
पर पहुँचे जहाँ अल्लाह चाहे, पुराने चिथड़े की तरह लपेट कर उसके मुँह पर
मारी जाए.

(ब-हवाला : फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफ़ा नं. ३१५)

:: अल-हदीस ::

'हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम फ़रमाते हैं कि जान बूज़कर
नमाज़ मत छोड़ो कि जो जान बूज़कर नमाज़ छोड़ता है अल्लाह व रसूल उससे
बरीयुज़्ज़िम्मा हैं.'

(मिशकात शरीफ़ सफ़ा नं. ५८)

प्रकरण
(१)

शरई व फिक्ही इस्तेलाहात

शरीअत में हर किस्म के अच्छे और बुरे कामों के लिये कानून मुकर्रर किए गये हैं और उन कामों की इस्तेलाहात तय की गई हैं। हर काम के दरजात (कक्षा) तय करने की वजह यह है कि हर तरह के कामों की अहमियत जाहिर हो। जिस तरह कोई अच्छा काम बहुत अच्छा होता है उसी तरह कोई बुरा काम ज़यादा बुरा भी होता है। लिहाज़ा हर अच्छे काम के मुक़ाबले में बुरा काम रखा गया है। उन अच्छे और बुरे कामों को और उनके दरजात को समज़ने में आसानी हो, इस लिये हम ने यहां इस का कौसैन (कोष्ठक) पैश किया है।

अच्छे और बुरे कामों की तशरीह (व्याख्या) अच्छी तरह याद रखें कि;

❁ **अच्छे काम :** जिनका करना ज़रूरी है या जिन कामों को करने को शरीअत में पसन्द किया गया हो और उन कामों के करने पर अज़ और सवाब मिलता है।

❁ **बुरे काम :** जिनसे बचना ज़रूरी है या जिन कामों को करने को शरीअत में पसन्द नहीं किया गया और जिन कामों के करने पर अज़ाब (शिक्षा) और इताब (गुस्सा/ग़ज़ब) होगा।

अच्छे काम		V/S	बुरे काम	
१	फ़र्ज	↔	७	हराम
२	वाजिब	↔	८	मकरूहे तहरीमी
३	सुन्नते मोअक्केदा	↔	९	इसाअत
४	सुन्नते गैर मोअक्केदा	↔	१०	मकरूहे-तन्ज़ीही
५	मुस्तहब	↔	११	खिलाफ़े-अवला
		↔	६	मुबाह

वर्णनीय ग्यारह (११) इस्तेलाही कामों की विस्तृत जानकारी (माहिती), इन कामों की अहमियत, इन कामों के लिये शरीअत में क्या हुक्म है ? इन कामों के करने और न करने पर सवाब (पुण्य) और अज़ाब (पाप की शिक्षा), इन कामों के करने और न करनेवालों का वर्गीकरण और उनके मुतअल्लिक इस्लामी शरीअत के आदेश वगैरा की विस्तृत (जानकारी) माहिती निम्न (ज़ैल) में प्रस्तुत है।

क़ारेईन (वांचक मित्रों) से नम्र विनंती है कि इन ग्यारह (११) इस्तेलाहात को अच्छी तरह याद कर लें, ताकि इस किताब में बयान किये जानेवाले मसाइल को समज़ने में आसानी हो तथा कौन सा काम करना ज़रूरी है और किस काम से बचना और दूर रहेना लाज़मी है, इसकी जानकारी प्राप्त हो और अच्छे काम करने की रग़बत (प्रेरणा) हो और बुरे कामों से बचने की तौफ़ीक़ (सद बुद्धि) हासिल हो।

निम्न में क्रमवार तमाम इस्तेलाहात की विस्तृत जानकारी (माहिती) पैश (प्रदान) है;

नं.	इस्तेलाही नाम	इस फ़ैल(काम) की विगत और हुक्म
१.	फ़र्ज	<ul style="list-style-type: none"> ◆ इस का करना निहायत निहायत (अत्यन्त) ज़रूरी है। ◆ जो शरई क़तई दलीलों से साबित हो। ◆ इसके फ़र्ज होने का इनकार करनेवाला काफ़िर है। ◆ बिना उज़्रे-शरई इसको तर्क करनेवाला फ़ासिक, गुनाहे - कबीरा का मुतकिब (अपराधी) और जहन्म के अज़ाब का हक़दार है।

नं.	इस्तेलाही नाम	इस फ़ै'ल(काम) की विगत और हुक्म
		<ul style="list-style-type: none"> ◆ जो एक वक़्त की भी फ़र्ज़ नमाज़ दीदा व दानिस्ता (जान बूज़कर) और क़स्दन क़ज़ा करे वोह फ़ासिक, व मुरतकिबे-कबीरा या मुस्तहिक्के-जहन्नम है। (फ़तावा रज़विया, जिल्द-२, सफ़हा नं. १८४)
२.	वाजिब	<ul style="list-style-type: none"> ◆ इसका करना निहायत ज़रूरी है. ◆ जो दलाइले-जन्नी शरइया से साबित हो ◆ इसका इन्कार करनेवाला गुमराह और बद-मज़हब है. ◆ बग़ैर किसी उज़्रे-शरई इसको छोड़नेवाला फ़ासिक और अज़ाबे जहन्नम का मुस्तहिक है. ◆ किसी वाजिब को क़स्दन(जान बुझकर) एक मरतबा छोड़ना गुनाहे सगीरा है और चन्द बार तर्क करना गुनाहे-कबीरा है.
३.	सुन्नते मोअक्केदा ईस सुन्नत को सुन्नते-हुदा भी कहते हैं	<ul style="list-style-type: none"> ◆ जिसका करना भी जरूरी है ◆ जिसको हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमने हमेंशा किया हो, अलबत्ता कभी तर्क भी किया हो. ◆ इत्तेफ़ाक़िया (आकस्मिक) तौर पर कभी छोड़ देने पर भी अल्लाह व रसूल का इताब होगा और इसको हमेंशा छोड़ने

नं.	इस्तेलाही नाम	इस फ़ै'ल(काम) की विगत और हुक्म
		<p>की आदत डालनेवाला जहन्नम के अज़ाब का हक़दार होगा.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 'सुन्नते-मोअक्केदा हुक्म में वाजिब के करीब है. (फ़तावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा नं. २७९)
४.	सुन्नते-ग़ैर मोअक्केदा ईस सुन्नत को सुन्नते-ज़वाईद भी कहते हैं	<ul style="list-style-type: none"> ◆ जिसका करना अच्छा है और करनेवाला सवाब पाएगा. ◆ जिसको हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमने किया हो और बग़ैर किसी उज़्रके कभी कभी तर्क भी किया हो. ◆ येह सुन्नत शरीअत की नज़र (द्रष्टि) में एसी मत्लूब (प्रिय) है कि इसको छोड़ना ना-पसन्द किया गया है, लैकिन इसके न करने (छोड़ने) पर किसी भी प्रकार का अज़ाब या इताब नहीं.
५.	मुस्तहब	<ul style="list-style-type: none"> ◆ हर वो काम जो शरीअत की नज़र में पसंदीदा हो और उसके छोड़ने पर किसी तरह की नापसन्दीदगी भी न हो. ◆ इस काम को ख़्वाह (either) हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमने किया हो या उसकी तरगीब (प्रोत्साहन) दी हो, या अकाबिर ओलोमा-ए-मिल्लते-इस्लामिया ने इसे पसन्द

नं.	इस्तेलाही नाम	इस फ़ै'ल(काम) की विगत और हुक्म
		<p>फ़रमाया हो, अगरचे हदीसों में इसका ज़िक्र (वर्णन) न आया हो.</p> <ul style="list-style-type: none"> इसका करना सवाब है और न करने और छोड़ने पर अज़ाब व इताब मुत्लकन कुछ भी नहीं.
६.	मुबाह	<ul style="list-style-type: none"> वोह काम जिसका करना और छोड़ना दोनों एकसाँ (समान) हो, या'नी जिसके करने में न कोई सवाब हो और जिसके छोड़ देने में कोई अज़ाब व इताब भी नहीं.
७.	हराम	<ul style="list-style-type: none"> जिसको छोड़ना और जिससे बचना निहायत निहायत ज़रूरी है. जिसके हराम होने का सुबूत क़तई शरई दलीलों से साबित हो. जिसके हराम होने का इन्कार करनेवाला काफ़िर है. जिसका एक मरतबा भी क़स्दन (जान बुझकर) करनेवाला फ़ासिक, गुनाहे-कबीरा का मुरतकिब (अपराधी) और जहन्नम के अज़ाब का हक़दार है. जिस को छोड़ना और जिससे बचना बाइसे सवाब है. हराम काम मुक़ाबिल (V/s) होता है फ़र्ज काम का.

नं.	इस्तेलाही नाम	इस फ़ै'ल(काम) की विगत और हुक्म
८.	मकरूहे तहरीमी	<ul style="list-style-type: none"> जिसको छोड़ना और जिससे बचना निहायत ज़रूरी है. जिसका गुनाह और शरीअत के ख़िलाफ़ होना शरई ज़न्नी दलीलों से साबित हो. जिसका करना अगरचे गुनाहे-कबीरा और हराम के दर्जे (कक्षा) से कम है. लेकिन चंद मरतबा करने और इस पर हमेशगी करने से येह काम भी गुनाहे-कबीरा में शुमार होगा. इस काम का करनेवाला फ़ासिक और अज़ाब का हक़दार है और इस काम से बचना सवाब है. मकरूहे-तहरीमी काम मुक़ाबिल (V/s) होता है वाजिब काम का.
९.	इसाअत	<ul style="list-style-type: none"> जिसको छोड़ना और जिससे बचना ज़रूरी है. जिसका करना बुरा और जिससे बचना सवाब है. कभी कभार करनेवाला भी इताब (धमका देने) के लाइक़ है और हमेशां येह काम करनेवाला और इस काम के करनेकी आदत डालनेवाला अज़ाब का हक़दार है. फ़ै'ले इसाअत मुक़ाबिल (V/s) होता है सुन्नते-मोअक्केदा काम का.

नं.	इस्तेलाही नाम	इस फ़ै'ल(काम) की विगत और हुक्म
१०.	मकरुहे तन्ज़ीही	<ul style="list-style-type: none"> ◆ जिस का का करना शरीअत में पसन्दीदा नहीं. ◆ जिसके करने पर किसी भी प्रकार का गुनाह या अज़ाब नहीं, लेकिन इस काम की आदत डालना बुरा है. ◆ इस काम से बचने में भी अज़ो-सवाब है. ◆ मकरुहे तन्ज़ीही काम मुक़ाबिल (V/s) होता है सुन्नते ग़ैर मोअक्केदा काम का.
११.	ख़िलाफ़े अवला	<ul style="list-style-type: none"> ◆ उस काम को कहते हैं जिसको छोड़ना और उससे बचना बेहतर था लेकिन अगर कर लिया तो मुज़ाइका (हर्ज, अपराध) भी नहीं. ◆ ख़िलाफ़े अवला काम मुक़ाबिल (V/s) होता है मुस्तहब काम का.

मज़कूरा (वर्णनीय) ग्यारह (११) इस्तेलाहात की तहक़ीक (अनुसंधान) में कुछ हवाले (संदर्भ) पेश (प्रस्तुत) हैं.

◆ 'सुन्नते-हुदा : येह सुन्नते-मोअक्केदा का नाम है और सुन्नते-ज़ाइदा येह सुन्नते-ग़ैर मोअक्केदा का नाम है.'

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. १, सफ़हा नं. १७४)

◆ 'इरतेकाबे-मकरुहे-तन्ज़ीही मा'सियत (गुनाह) नहीं.'

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ५, सफ़हा नं. १३६)

प्रकरण
(२)

नमाज़ की शर्तों का ब्यान

- ◆ इन शराइत में से किसी एक शर्त की अदम-मौजूदगी (ग़ैर हाज़री) में नमाज़ काइम ही न हो सकेगी.
- ◆ येह वोह फ़राइज़ (फ़र्ज़ काम) हैं जो ख़ारिजे-नमाज़ होने की वजह से ख़ारजी फ़राइज़ हैं और इनको शराइते-नमाज़ की हैसियत दी गई है.
- ◆ इन तमाम शराइत का नमाज़ शुरु करने से पहले होना ज़रूरी और लाज़मी है.
- ◆ इन शराइत में से अगर एक शर्त भी न पाई गई या दौराने नमाज़ इन शर्तों में से कोई एक शर्त जाइल (नष्ट) हो गई तो नमाज़ न होगी.
- ◆ नमाज़ की छे (६) शर्तें हैं और वोह मुन्दरजा ज़ैल (निम्न लिखित) हैं.

१.	तहारत
२.	सतरे-औरत
३.	इस्तिक़बाले-किब्ला
४.	वक़्त
५.	निय्यत
६.	तहरीमा (तकबीर)

शराइते नमाज़

नमाज़ की शर्तों की तफ़सील और अहेकाम

अब नमाज़ की छ(६)शर्तें और तमाम शर्तों की तफ़सील (विगत) और शर्तों के तअल्लुकसे शरई अहेकाम और मसाइल ख़िदमत में पेश हैं.

नमाज़ की पहली शर्त 'तहारत'

नमाज़ी का बदन (शरीर) 'हदसे-अकबर' से पाक हो. या'नी जनाबत, हैज़ वग़ैरह से पाक होने के लिये 'गुस्ल' वाजिब न हो.

- ◆ नमाज़ी का बदन 'हदसे-असगर' से पाक हो या'नी बे-वुजू न हो.
- ◆ नमाज़ी का बदन नजासते-ग़लीज़ा और नजासते-ख़फीफ़ा से ब-कद्रे-मानेअ (प्रतिबन्धित मात्रा) से पाक हो, या'नी नजासते ग़लीज़ा (Thick Fith) दिरहम की मिक्दार (मात्रा) से अधिक लगी हुई न हो और नजासते-ख़फीफ़ा (Thin Fith) कपड़े या बदन के जिस हिस्से पर लगी हो, उस हिस्सा या उज़्व (अंग) की चौथाई (१/४) से ज़यादा लगी हुई न हो.
- ◆ नमाज़ी के कपड़े (वस्त्र) नजासते-ग़लीज़ा और ख़फीफ़ासे ब-कद्रे-मानेअ से पाक हों.
- ◆ जिस जगह पर नमाज़ पढ़ता हो, वोह जगह पाक हो. अगर ज़मीन पर नमाज़ पढ़ता हो, तो ज़मीन और ज़मीन पर कपड़ा या मुसल्ला बिछा कर उस पर नमाज़ पढ़ता हो, तो वोह पाक हो.

:: तहारत के तअल्लुक से ज़रूरी मसाइल ::

मस्अला

'जिस जगह (स्थान) नमाज़ पढ़ता हो उसके पाक होने से मुराद येह है कि क़दम (पाव) की जगह और मवद-ए-सजदा या'नी सजदा करते वक़्त बदन के जो अंग ज़मीन से लगते हों, उन अंगों के ज़मीन से लगने की जगह पाक होना है' (दुर्रे-मुख़्तार, बहारे-शरीअत)

मस्अला

'नमाज़ पढ़नेवाले के एक क़दम (पाव) के नीचे दिरहम के मात्रा से ज़यादा नजासत (नापाकी) है, तो नमाज़ न होगी. यूँही दोनों क़दम के नीचे थोड़ी-थोड़ी नजासत है और उनको मिलाने (जोड़ने) से एक दिरहम की मिक्दार (मात्रा) हो जाएगी, तो भी नमाज़ न होगी.' (दुर्रे-मुख़्तार)

मस्अला

'पैशानी (ललाट) पाक जगह पर है और नाक नजिस जगह पर है, तो नमाज़ हो जाएगी क्योंकि नाक दिरहम की मिक्दार से कम जगह पर लगती है और बिना ज़रूरत और बिना मजबूरी येह भी मकरुह है.' (रदुल-मोहतार)

मस्अला

'अगर सजदा करने में कुर्ता या क़मीज़ (शर्ट) का दामन वगैरह नजिस जगह पर पड़ते हों तो हर्ज नहीं. (रदुल मोहतार)

मस्अला

अगर नजिस जगह पर ऐसा बारीक कपड़ा बिछा कर नमाज़ पढ़ी कि वोह कपड़ा सतर (अंग) ढांपने के काम में नहीं आ सकता या'नी उसके नीचे की चीज़ ज़लकती हो तो नमाज़ न होगी. और शीशा (कांच/Glass) पर नमाज़ पढ़ी और उसके नीचे नजासत है, अगरचे नुमाया (स्पष्ट) हो, तो भी नमाज़ हो जाएगी. (रदुल मोहतार, बहारे शरीअत)

मस्अला

'अगर मौटा (Thick) कपड़ा नजिस जगह पर बिछाकर नमाज़ पढ़ी और नजासत खुशक (सुखी हुई) है कि कपड़े में जजूब (शोषण) नहीं होती और नजासत की रंगत और बदबू (दुर्गन्ध) महेसुस नहीं होती तो नमाज़ हो जाएगी कि येह कपड़ा नजासत और नमाज़ी के दरमियान फ़ासिल हो जाएगा.' (बहारे शरीअत)

नोट :-

अगर पाक और साफ़ जगह मयस्सर (उपलब्ध) है तो नजिस जगह पर कपड़ा बिछाकर नमाज़ न पढ़े. मज़कूरा (वर्णनीय) मस्अला मजबूरी की सूरत का है.

नमाज़ की दूसरी शर्त : 'सतरे औरत'

प्रथम हम 'सतरे औरत' का अर्थ समझें. 'सतर' या'नी छुपाना या'नी मर्द और औरत (स्त्री) के बदन का वोह हिस्सा जिस को खोलना या खुला रखना मा'यूब (ऐबदार/Vacious) है और उस हिस्से को छुपाना लाज़मी और जरूरी है. लिहाज़ा अब 'सतरे-औरत' का अर्थ येह हुआ कि पुरुष और स्त्री के शरीर का वोह भाग कि जिस पर पर्दा वाजिब है. और जिसको खोलना या खुला रखना ऐब और शर्म का बाइस (कारण) है. औरत (स्त्री/Ladies) को औरत (छुपाने की चीज़) इस लिये कहते हैं कि वोह वाकई (वास्तव में) छुपाने की चीज़ है. या'नी औरत औरत है.

हदीस

'इमाम तिरमिज़ी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदीयल्लाहो तअ़ला अन्हो से रिवायत की कि, हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो अ़लैहे वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं कि; 'औरत औरत है, या'नी छुपाने की चीज़ है. जब वोह निकलती है तब शैतान उसकी तरफ़ जांकता (देखता) है.'

◆ बदन का वोह हिस्सा, जिसका छुपाना फ़र्ज़ है, उस हिस्से का नमाज़ की हालत में छुपा होना शर्त है.

सतरे औरत के तअ़ल्लुक से जरूरी मसाइल :

परअ़ता

'सतरे-औरत हर हाल में वाजिब है. चाहे नमाज़ में हो या न हो, या तन्हा हो. किसी के सामने बिला शरई उज़्र (कारण) के बल्कि तन्हाई (एकान्त) में भी अपना हिस्सा-ए-सतर खोलना जाइज़ नहीं. लोगों के सामने या नमाज़ में सतरे-औरत बिल इज़माअ़ (तमाम उम्मत के एक मत से) फ़र्ज़ है.'
(दुर्रे-मुख़्तार, रहुल-मोहतार)

परअ़ता

'इतना बारीक कपड़ा कि जिस से बदन चमकता हो (या'नी बदन नज़र आता हो) सतर के लिये काफ़ी नहीं. इससे अगर नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ न होगी.'
(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. १)

परअ़ता

मर्द के लिये 'नाफ़' (डुंटी/Nevel) के नीचे से घुटनों के नीचे तक का बदन औरत है या'नी उसका छुपाना लाज़मी है बल्कि फ़र्ज़ है. नाफ़ उसमें दाख़िल (गिनती में) नहीं, और घुटने उसमें दाख़िल हैं. (दुर्रे मुख़्तार)

परअ़ता

'औरत (स्त्री) के लिये पूरा बदन औरत है या'नी उसका छुपाना फ़र्ज़ है, लेकिन मुँह की टकली या'नी चेहरा, दोनों हाथकी हथेलियाँ और दोनों पांव के तल्वे औरत नहीं या'नी हालते-नमाज़ में औरत का चेहरा, दोनों हथेलियाँ और दोनों तल्वे खुले होंगे तो नमाज़ हो जाएगी.'

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअत)

परअ़ता

'मर्द के जिस्म का जो हिस्सा शरअ़न औरत है, उस हिस्सा-ए-बदन को आठ (८) हिस्सों में तक़सीम (विभाजित) किया गया है और हर हिस्सा अलग-अलग उजूव (अंग) में शुमार किया जाएगा और उनमें से किसी एक उजूव की चौथाई (१/४) जितना हिस्सा खुल गया तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी.'

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. २)

परअता

मर्द के बदन के हिस्सा-ए-सतरे औरत के जो आठ (८) आ'जा (अंग) हैं वोह हस्बे-ज़ेल हैं।

(१) ज़कर या'नी आला-ए-तनासुल (लिंग-**Penis**) अपने तमाम आ'जा (अंग-क़हुदहहह) या'ने हश्फ़ा और कुल्फ़ा के साथ मिल कर एक उजूव है। (२) उनसयैन या'नी दोनों खुस्ये (कपूरे, वृषण / **Testicle**) मिलकर एक उजूव है। (३) दुबुर या'नी पाख़ाना की जगह (**Anus**) (४) व (५) हर एक सुरीन (कुल्ला-**Buttocks**) (६) व (७) दोनों रानें अपने जड़ से घुटने के नीचे तक अलग-अलग उजूव हैं और घुटना अपनी रान का ताबेअ है। (८) कमर बांधने की जगह या'नी नाफ़ के नीचे के किनारे से उजूवे-तनासुल की जड़ तक और उसकी सीध (क़तार-**Line**) में आगे पीछे और दानों करवटों की जानिब सब मिलकर एक उजूव है।'

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़ा नं. २)

परअता

'औरत (स्त्री) के बदन से चेहरा, दोनों हथेलियाँ और दोनों तल्लों के इलावा पूरा का पूरा बदन औरत है। या'नी उसका छुपाना फ़र्ज़ है। औरत (स्त्री) के बदन के 'हिस्सा-ए-सतरे-औरत' को छब्बीस (२६) हिस्सों में हस्बे-ज़ेल तक़सीम किया गया है;

(१) सर जहाँ आदतन बाल उगते हैं। (२) बाल जो लटके हुए हों। (३) व (४) दोनों कान (५) गरदन जिसमें गला भी शामिल है। (६) व (७) दोनों शाने या'नी दोनों कन्धे (**Shoulders**) (८) व (९) दोनों बाजू (**Arms**) (१०) व (११) दोनों कलाइयाँ (१२) सीना या'नी गले के जोड़ से दोनों पिस्तान, (स्तन-**Breast**) के नीचे तक (१३) व (१४) दोनों पिस्तान (१५) पट्टे या'नी पिस्तान के नीचे की हद से नाफ़ के नीचेवाले किनारे तक। (१६)

पीठ या'नी पेट के मुकाबिल पुशत की जानिब सीध में सीने के नीचे से शुरु कमर तक जिल्ली जगह है। (१७) दोनों शानों के दरमियान की जगह। (१८) व (१९) दोनों सुरीन (२०) फ़र्ज़ या'नी आगे की शर्मगाह (योनि-**Vagina**) (२१) दुबुर या'नी पाख़ाना की जगह (२२) व (२३) दोनों रानें, घुटने भी उसमें शामिल हैं। (२४) नाफ़ के नीचे पेडू की जगह और उसकी सीध में पुशत की जगह (२५) व (२६) दोनों पिंडलियाँ।'

(फ़तावा रज़वीया जिल्द नं. २, सफ़ा नं. ६ से ८ तक)

परअता

मर्द और औरत के वर्णनीय अंग जो सतरे-औरत हैं, इनमें से किसी एक अंग की चौथाई (१/४) जितना हिस्सा हालते-नमाज़ में एक रुकन तक या'नी तीन (३) मरतबा 'सुब्हानल्लाह' कहने के वक़्त की मिक्दार (मात्रा) तक खुला रहा, तो उसकी नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी।'

(आलमगीर, रहुल मोहतार)

परअता

'अगर नमाज़ीने मज़कूरा अंगों में से किसी एक अंग की चौथाई जान बूज़कर खोली, अगरचे फ़ौरन छुपा लिया और तीन मरतबा 'सुब्हानल्लाह' कहने के वक़्त की मिक्दार तक खुला न रहेने दिया, तब भी उसकी नमाज़ अंग के चौथाई (१/४) हिस्से के खुलने के वक़्त ही फ़ौरन फ़ासिद हो गई।'

(फ़तावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. १)

परअता

'अगर नमाज़ शुरु करते वक़्त वर्णनीय अंगों में से किसी अंग की चौथाई खुली है या'नी इसी हालत में 'तकबीरे-तहरीमा' (अल्लाहो अकबर) कही तो उसकी नमाज़ मुनअक़िद (कायम) ही न हुई।'

(दुरै-मुख़्तार)

परअला

‘औरत का वोह दुपट्टा के जिससे बालों की सियाही चमके (दिखाई दे) मुफ़सिदे-नमाज़ है. (फ़तावा रज़वीया जिल्द नं. २, सफ़ा नं. १)

परअला

‘औरत (स्त्री) का चेहरा अगरचे औरत नहीं है लेकिन ग़ैर महरम के सामने चेहरा खोलना मना है और उसके चेहरे की तरफ़ नज़र करना और देखना ग़ैर महरम मर्द के लिये जाइज़ नहीं.’ (दुर्रें-मुख़्तार)

परअला

‘सतरे-औरत का अर्थ यह है कि नमाज़ी अपने सतर को दूसरे लोगों से इस तरह छुपाए कि उसके जिस्म की तरफ़ आमतौर (सामान्यता) से नज़र करने से उसका ‘सतर’ ज़ाहिर न हो. तो मअज़ल्लाह अगर किसी लुच्चे (नालायक) ने किसी नमाज़ी का सतर झुक कर देख लिया तो नमाज़ी की नमाज़ हो जाएगी, नमाज़ में कुछ फ़र्क़ नहीं आएगा, अलबत्ता झुक कर देखने वाला शरारती शख़्स सख़्त गुनाहगार होगा.’ (आलमगीरी, बहारे-शरीअत)

नोट :

आजकल लोगों में एक ग़लत मस्अला यह राइज़ (प्रचलित) है कि अगर ‘तहबन्द’ (लुंगी) के नीचे चड्डी या जांधिया (अंडर वियर) नहीं पहना तो नमाज़ नहीं होती. यह बात बिल्कुल ग़लत है, नमाज़ हो जाती है.

नमाज़ की तिसरी शर्त : ‘इस्तिक्बाले क़िब्ला’


- ◆ इस्तिक्बाले-क़िब्ला या’नी नमाज़ में क़िब्ला (ख़ाना-ए-का’बा) की तरफ़ मुंह करना.
- ◆ का’बा की तरफ़ मुंह होने का अर्थ यह है कि चेहरे की सतह (सपाटी) का कोई जुज़ (अंश) का’बा की दिशा में वाकेअ हो.

- ◆ अगर नमाज़ी का चेहरा का’बे की سمت (दिशा) से थोड़ा हटा हुआ है लेकिन उसके चेहरे का कोई जुज़ का’बा की तरफ़ है तो उसकी नमाज़ हो जाएगी और उसकी मिक़दार ४५, दर्जा (डीग्री-Degree) नियुक्त की गई है या’नी ४५, दर्जा से कम इन्हैराफ़ (फ़िरना, घूमना) है तो नमाज़ हो जाएगी और ४५ दर्जा से ज़यादा इन्हैराफ़ है, तो नमाज़ नहीं होगी.

(दुर्रें मुख़्तार, फ़तावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. १२)

- ◆ ख़ाना-ए-का’बा से ४५ दर्जा से कम इन्हैराफ़ की सूरत (परिस्थिति) में नमाज़ हो जाएगी, इस को आसानी से समझने के लिये नीचे दिये गये नक्शे (Diagram) को मुलाहिज़ा फ़रमाए.

नक्शे की समझ :



है, वोह जहते-का’बा में है, उसकी नमाज़ होगी और अगर वोह ज़ियादा घूमा, यहाँ तक कि उसका चेहरा तीर नं. २ और तीर नं. ३ से बढ़ गया, या’नी ४५ दर्जा (45 Degree) से बढ़ गया, तो अब वोह का’बे की जहत (दिशा) से बाहर निकल गया और उसकी नमाज़ न होगी.

(दुर्रें मुख़्तार और बहारे शरीअत)

परअला

‘हमारा क़िब्ला ख़ान-ए-का’बा है. ख़ान-ए-का’बा के क़िब्ला होने से मुराद सिर्फ़ बिना-ए-का’बा या’नी का’बा शरीफ़ की सिर्फ़ इमारत का ही नाम

नहीं बल्कि वोह फिज़ा है जो उस बिना (इमारत) की महाज़ात में सातवीं ज़मीन से अर्श तक का जो विस्तार (Area) है, वोह क़िब्ला ही हैं।’

(रहुल मोहतार, बहारे-शरीअत)

परअला

‘अगर किसी ने बुलन्द पहाड़ पर या गहरे कुवें में नमाज़ पढ़ी और का’बे की दिशा में मुंह किया, तो उसकी नमाज़ हो जायेगी, हालांकि का’बे की इमारत की तरफ़ तवज्जोह न हुई लेकिन फ़िज़ा की तरफ़ पाई गई।’ (रहुल मोहतार)

परअला

‘अगर कोई शख्स ऐसी जगह पर है कि वहां क़िब्ला की शनाख़्त (पहचान) न हो, न वहां कोई ऐसा मुसलमान है जो उसे क़िब्ला की दिशा बता दे, न वहां मस्जिदें मेहराबें हैं, न चांद-सूरज-सितारे निकले हुए हों या निकले हुए तो हों मगर उसको इतना इल्म नहीं कि उनसे सहीह दिशा मा’लूम कर सके, तो ऐसे शख्स के लिये हुक्म है कि वोह ‘तहरी’ करे या’नी अच्छी तरह सोचे और जिधर क़िब्ला होने पर दिल जमे, उधर ही मुंह करके नमाज़ पढ़ ले. उसके हक़ में वही क़िब्ला है।’ (बहारे-शरीअत)

परअला

‘तहरी करके (सोचकर) क़िब्ला तय करके नमाज़ पढ़ी. नमाज़ पढ़ने के बाद मा’लूम हुआ कि क़िब्ला की तरफ़ नमाज़ नहीं पढ़ी थी, तो अब दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, नमाज़ हो गई।’

(तन्वीरुल अब्सार, फ़तावा रज़वीया जिल्द नं. १, सफ़ा-६६१)

परअला

‘अगर वहाँ कोई शख्स क़िब्ला की दिशा जाननेवाला था लेकिन इसने उससे दरयाफ्त नहीं किया और खुद ग़ौर करके किसी एक तरफ़ मुंह करके नमाज़

पढ़ ली, तो अगर क़िब्ला की तरफ़ मुंह था तो नमाज़ हो गई वर्ना नहीं।’

(रहुल मुहतार, बहारे-शरीअत)

परअला

‘अगर नमाज़ी ने बिला उज़्र क़िब्ला से क़स्दन (इरादे) से सीना फ़ैर दिया अगरचे फ़ौरन ही फ़ीर क़िब्ला की तरफ़ हो गया, उसकी नमाज़ फ़ासिद हो गई और अगर बिना इरादे के फिर गया, और तीन तस्बीह पढ़ने के वक़्त की मिक़दार तक उस का सीना क़िब्ला से फ़िरा हुआ रहा, तो भी उसकी नमाज़ फ़ासिद हो गई।’ (मुन्यतुल मुसल्ली, बहरुर राइक)

परअला

‘अगर नमाज़ी से क़िब्ला ने सीना नहीं फ़ैरा बल्कि सिर्फ़ चेहरा फ़ैरा, तो उस पर वाजिब है कि अपना चेहरा फ़ौरन क़िब्ला की तरफ़ कर ले. इस सूत्र में उसकी नमाज़ फ़ासिद न होगी बल्कि हो जाएगी लेकिन बिला उज़्र ऐसा करना मकरुह है।’ (मुन्यतुल मुसल्ली, बहारे-शरीअत)

नमाज़ की चौथी शर्त : ‘वक़्त’

- ◆ जिस वक़्त की नमाज़ पढ़ी जाए उस नमाज़ का वक़्त होना.
- ◆ फ़ज़्र की नमाज़ का वक़्त तुलूए-फ़ज़्र या’नी सुबहे-सादिक (Dawn of Day) से तुलूअ आफ़ताब (सूर्योदय) तक है.
- ◆ जोह्र की नमाज़ का वक़्त आफ़ताब का निस्फुन्नहार (मध्यान्ह) से ढलने से शुरु होता है और उस वक़्त तक रहेता है कि हर चीज़ का साया (परछाई-Shadow) उसके साय-ए-असली से दोचंद (दोगुना-Double) हो जाए.
- ◆ नमाज़े-अस्र का वक़्त, जोह्र की नमाज़ का वक़्त ख़त्म होते ही शुरुहोता है और आफ़ताब गुरुब (सूर्यास्त-Sunset) होने तक रहेता है.
- ◆ मग़रिब की नमाज़ का वक़्त गुरुब आफ़ताब से लेकर गुरुबे शफ़क़ (Twilight) तक रहेता है.

◆ इशा की नमाज़ का वक़्त गुरुबे-शफ़क़ से तुलू-ए-फ़ज़ तक रहता है।

नोट : हर वक़्त की नमाज़ के बयान में वक़्त के तअल्लुक से मुफ़स्सल (विस्तृत) मसाइल बयान किए जाएंगे। अगले पृष्ठों में देखें।

नमाज़ की पांचवी शर्त : 'निय्यत'

◆ या'नी नमाज़ पढ़ने की निय्यत होनी चाहिए।

हदीस

'बुख़ारी और मुस्लिम ने अमीरुल मो'मेनीन सय्येदुना फ़ारूके-आज़म रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत की कि हुजुरे-अक़दस, रहमते-आलम सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं कि;

'इब्नमल-आ'मालो-बिन्-निय्यात-व-ले-कुल्ले-अमरइम-मा-नवा'

तर्जुमा (अनुवाद) : 'अमलों का मदार (आधार) निय्यत पर है, और हर शख़्स के लिये वोह है जो उसने निय्यत की.'

निय्यत के तअल्लुक से ज़रूरे मसाइल :

मरआता

'निय्यत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं, महज़ (सिर्फ़) जानना निय्यत नहीं, जब तक कि इरादा न हो.' (तनवीरुल अबसार)

मरआता

'ज़बान से निय्यत करना मुस्तहब है. नमाज़ की निय्यत के लिये अरबी भाषा में निय्यत की तख़सीस (विशिष्टता) नहीं, किसी भी भाषा में निय्यत कर सकता है, अलबत्ता अरबी ज़बान (भाषा) में निय्यत करना अफ़ज़ल है.'

(दुर्रें मुख़्तार)

मरआता

'अहवत् येह है कि तकबीरे-तहरीमा (अल्लाहो अकबर) कहते वक़्त निय्यत हाज़िर हो. (मुन्यतुल-मुसल्ली)

मरआता

'निय्यत में ज़बान का ए'तबार नहीं बल्कि दिल के इरादे का ही ए'तबार (महत्व) है. मस्लन जोहर की नमाज़ का क़स्द (इरादा) किया और ज़बान से अस्र का लफ़ज़ निकला, तो भी जोहर की ही नमाज़ अदा होगी.'

(दुर्रें मुख़्तार, रहल मोहतार)

मरआता

'निय्यत का अदना दर्जा येह है कि अगर उस वक़्त कोई पूछे कि कौन सी नमाज़ पढ़ता है ? तो फ़ौरन बिला तअम्मुल (विलम्ब) बता सके कि फ़लाँ वक़्त की फ़लाँ नमाज़ पढ़ता हूँ और अगर ऐसा जवाब दे कि सोच कर बताऊंगा तो नमाज़ न हुई.'

(दुर्रें मुख़्तार)

मरआता

'नफूल नमाज़ के लिये मुत्लक नमाज़ की निय्यत काफी है, अगरचे नफूल निय्यत में न कह.' (दुर्रें मुख़्तार)

मरआता

'फ़र्ज़ नमाज़ में निय्यते-फ़र्ज़ ज़रूरी है, मुत्लक नमाज़ की निय्यत काफी नहीं.' (दुर्रें मुख़्तार)

मरआता

'फ़र्ज़ नमाज़ में येह भी ज़रूरी है कि उस ख़ास नमाज़ की निय्यत करे मस्लन आज की जोहर की या फ़लाँ वक़्त की फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ता हूँ.

(तन्वीरुल अबसार)

परअता

‘फर्ज नमाज़ में सिर्फ इत्नी निय्यत करना कि आज की फर्ज नमाज़ पढ़ता हूँ काफी नहीं बल्कि नमाज़ को मुतअय्यन (निश्चित-सद्बग़्दस्त्र) करना होगा कि आज की जोहर या आज की इशा की फर्ज नमाज़ पढ़ता हूँ वगैरह.’
(रहुल मोहतार)

परअता

‘वाजिब नमाज़ में ‘वाजिब’ की निय्यत करे और उसे मुतअय्यन भी करे, मस्लन नमाज़े-ईदुल फित्र, ईदुद-दुहा, वित्र, नज़र, नमाज़े-बादे-तवाफ वगैरह.’
(दुर्रें मुख़्तार, रहुल मोहतार)

परअता

‘सुन्नत, नफ़्ल और तरावीह में असह यह है कि मुत्लक नमाज़ की निय्यत करे, लेकिन एहतियात यह है कि तरावीह में तरावीह की या सुन्नते-वक़्त की या क़यामुल लैल की निय्यत करे. तरावीह के इलावा बाकी सुन्नतों में भी सुन्नत की या नबी-ए-करीम सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम की मुताबेअत की निय्यत करे.
(मुन्यतुल मुसल्ली)

परअता

‘निय्यत में रकअत की तादाद (संख्या) की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता अफज़ल है. अगर ता’दादे-रकअत में ग़लती वाक़ेअ हुई मस्लन तीन रकअत फर्ज जोहर की या चार (४) रकअत फर्ज मग़रिब की निय्यत की और जोहर की चार रकअतें पढ़ीं और मग़रिब की तीन रकअतें पढ़ीं तो नमाज़ हो गई.’
(रहुल मोहतार, दुर्रें-मुख़्तार)

परअता

‘येह निय्यत करना कि ‘मुंह मेरा क़िब्ला की तरफ है’ शर्त नहीं, अलबत्ता

येह ज़रूरी है कि क़िब्ला से इन्हेराफ़ और ए’राज़ की निय्यत न हो.’

(दुर्रें-मुख़्तार, रहुल मोहतार)

परअता

‘मुक़्तदी को इमाम की इक्तेदा की निय्यत भी ज़रूरी है.’ (आलमगीरी)

परअता

‘मुक़्तदी ने इक्तेदा करने की निय्यत से येह निय्यत की कि जो इमाम की नमाज़ है वही मेरी नमाज़, तो जाइज़ है.’
(आलमगीरी)

परअता

‘मुक़्तदी ने अगर सिर्फ नमाज़े-इमाम या फर्जे इमाम की निय्यत की लेकिन इमाम की इक्तेदा का क़स्द (इरादा) न किया तो उसकी नमाज़ न हुई.
(आलमगीरी)

परअता

‘इमाम की इक्तेदा की निय्यत में येह इल्म (मा’लूम) होना ज़रूरी नहीं कि इमाम कौन है ? ज़ैद है या अम्र है ? सिर्फ येह निय्यत काफी है कि इस इमाम के पीछे.’
(मुन्यतुल मुस्तली शरहे-मुन्यतुल मुसल्ली)

परअता

‘अगर मुक़्तदी ने येह निय्यत की कि ज़ैद की इक्तेदा करता हूँ और बा’द में मा’लूम हुआ कि इमाम ज़ैद नहीं बल्कि अम्र है, तो इक्तेदा सहीह नहीं.’
(आलमगीरी, गुन्या)

परअता

‘इमाम को मुक़्तदी की इमामत करने की निय्यत करना ज़रूरी नहीं, यहाँ तक कि अगर इमाम ने येह क़स्द किया कि मैं फ़लाँ शख़्स का इमाम नहीं हूँ

और उस शख्सने इस इमाम की इक्तेदा की तो नमाज़ हो जाएगी।’

(दुर्रे-मुख्तार)

फ़राइज़

‘अगर किसी की फ़र्ज़ नमाज़ कज़ा हो गई हो और वोह नमाज़ की कज़ा पढ़ता हो, तो कज़ा नमाज़ पढ़ते वक़्त दिन और नमाज़ का तअय्युन करना ज़रूरी है, मस्लन ‘फ़लां दिन की फ़लां नमाज़ की कज़ा’ इस तरह निय्यत होना ज़रूरी है. अगर मुल्लकन किसी वक़्त की कज़ा नमाज़ की निय्यत की और दिन का तअय्युन न किया या सिर्फ़ मुतलकन कज़ा नमाज़ की निय्यत की, तो काफ़ी नहीं.’

(दुर्रे-मुख्तार)

फ़राइज़

अगर किसी के ज़िम्मे बहुत सी नमाज़ें बाकी हैं और दिन तथा दिनांक (छडुहद) भी याद न हो और उन नमाज़ों की कज़ा पढ़नी है, तो उसके लिये निय्यत का आसान तरीक़ा येह है कि ‘सब में पहली या सब में पिछली फ़लां नमाज़ जो मेरे ज़िम्मे है, उसकी कज़ा पढ़ता हूँ.’

(दुर्रे मुख्तार, फ़तावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-६२४)

नमाज़ की छठी शर्त : ‘तकबीरे-तहरीमा’

- ◆ या’नी ‘अल्लाहो-अकबर’ कहकर नमाज़ शुरु करना.
- ◆ नमाज़े-जनाज़ा में तकबीरे-तहरीमा रुकन है, बाकी नमाज़ों में शर्त है.

(दुर्रे मुख्तार)

नोट : तकबीरे तहरीमा के तअल्लुक से तफ़सीली मसाइल इस किताब के प्रकरण नं. ३ ‘नमाज़ के फ़राइज़’ में देखें.

प्रकरण

(३)

नमाज़ के फ़र्ज़ों का ब्यान

- ◆ येह वोह फ़राइज़ है जो नमाज़ के अन्दर किये जाने की वजह से दाख़ली फ़राइज़ हैं.
- ◆ इन फ़राइज़ को अदा किये बग़ैर नमाज़ होगी ही नहीं.
- ◆ अगर इन में से एक काम भी क़स्दन (जानबूज़ कर) या सहवन (भूलकर) छूट जाए, तो सजद-ए-सहव करने से भी नमाज़ न होगी बल्कि अज़ सरे नौ (फ़िर से) नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है. (बहारे शरीअत)
- ◆ नमाज़ के कुल मिलाकर सात (७) फ़राइज़ हस्बे-ज़ेल हैं;

फ़राइज़े
नमाज़

१.	तकबीरे तहरीमा
२.	क़याम (खडा होना)
३.	क़िरअत
४.	रुकूअ
५.	सजदा
६.	क़ा’द-ए-आख़िरा
७.	खुरुज-बे-सुन्ह

अब नमाज़ के सात (७) फ़राइज़ की क्रमवार तफ़सील और इन फ़राइज़ के तअल्लुक से शरई मसाइल और अहेकाम पैशे-ख़िदमत हैं.

नमाज़ का पहला फ़र्ज़ : ‘तकबीरे तहरीमा’

- ◆ हकीकतन येह फ़र्ज़ नमाज़ के शराइत से है, मगर चूँकि नमाज़ के अफ़अल (कामों) से इसको बहुत ज़यादा इत्तेसाल (जोडाण) है, इस वजह से इसका शुमार नमाज़ के फ़राइज़ में भी हुआ है.

◆ तकबीरे-तहरीमा या'नी 'अल्लाहो अकबर' कहकर नमाज़ शुरु करना. हालांकि नमाज़ के दीगर (अन्य) अरकान की अदायगी और इन्तेकाल या'नी एक रुकन से दूसरे रुकन में जाते वक्त भी 'अल्लाहो अकबर' कहा जाता है, लेकिन सिर्फ नमाज़ शुरु करने के वक्त जो 'अल्लाहो अकबर' कहा जाता है, वही तकबीरे-तहरीमा है और वोह फर्ज़ है. इसको छोड़ने से नमाज़ नहीं होगी.

◆ नमाज़ के दीगर अरकान की अदायगी के वक्त जो 'अल्लाहो अकबर' कहा जाता है, उसे 'तकबीरे-इन्तिकाल' कहा जाता है.

◆ नमाज़ के तमाम शराइत या'नी तहारत, सतरे-औरत, इस्तिक़बाले-किब्ला, वक्त और निय्यत का तकबीरे-तहरीमा कहने के पहले पाया जाना ज़रूरी है. अगर 'अल्लाहो अकबर' कह चुका और कोई शर्त मफ़कूद (गाइब) है, तो नमाज़ काइम ही न हुई.

(दुरें-मुख़्तार, रदुल मोहतार)

तकबीरे तहरीमा के तअल्लुक से ज़रूरी मसाइल

परअला

'जिन नमाज़ों में क़याम (खड़ा होना) फर्ज़ है, उनमें तकबीरे-तहरीमा के लिये भी क़याम फर्ज़ है. अगर किसी ने बैठकर 'अल्लाहो अकबर' कहा, फिर खड़ा हो गया, तो उसकी नमाज़ शुरु ही न हुई.' (दुरें मुख़्तार, आलमगीरी)

परअला

'इमाम को रुकूअ में पाया और मुक़तदी तकबीरे तहरीमा कहता हुआ रुकूअ में गया और तकबीरे-तहरीमा उस वक्त ख़त्म की कि अगर हाथ बढ़ाए (लम्बा करे) तो घुटने तक पहुँच जाए, तो उसकी नमाज़ न हुई. (रदुल मोहतार)

परअला

'बा'ज़ (कुछ) लोग इमाम को रुकूअ में पा लेने की ग़रज़ से जल्दी जल्दी रुकूअ में जाते हुए तकबीरे-तहरीमा कहते हैं और ज़कने की हालत में तकबीरे-तहरीमा कहते हैं. उनकी नमाज़ नहीं होती. उनको अपनी नमाज़ फिर से दोबारा पढ़नी चाहिये. (फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ३९३)

परअला

'नफ़ल नमाज़ के लिये तकबीरे-तहरीमा रुकूअ में कही तो नमाज़ न हुई और अगर बैठ कर कही तो हो गई.' (रदुल मोहतार)

परअला

'जो शख़्स तकबीर के तलफ़फ़ुज़ पर कादिर न हो, मस्लन गूंगा (मूंगा-Dumb) हो या किसी वजह से जुबान बंध हो गई हो, उस पर तलफ़फ़ुज़ या'नी मुंह से बोलना वाजिब नहीं. दिल में इरादा काफी है, या'नी दिल में कह ले. (दुरें मुख़्तार)

परअला

पहली रकअत का रुकूअ मिल गया तो तकबीरे-उला या'नी तकबीरे-तहरीमा की फज़ीलत मिल गई. (आलमगीरी, बहारे शरीअत)

परअला

'तकबीरे-तहरीमा में अल्लाहो अकबर का जुमला (वाक्य) कहना वाजिब है. (बहारे शरीअत)

परअला

'तकबीरे तहरीमा के लिये दोनों हाथों को कानों तक उठाना सुन्नत है.' (बहारे शरीअत)

परअला

‘तकबीरे-तहरीमा में हाथ उठाते वक़्त ऊंगलियों को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिये या’नी ऊंगलियों को बिल्कुल मिलाना भी न चाहिये और बःतकल्लुफ़ (तकलीफ़ उठाकर-Inconvenient) कुशादा (खुली-Opened) भी न रखना चाहिये और येह सुन्नत तरीका है.’ (बहारे शरीअत)

परअला

‘तकबीरे-तहरीमा कहते वक़्त हथेलियों और ऊंगलियों के पेट किब्ला रु होना सुन्नत है.’ (बहारे शरीअत)

परअला

‘दोनों हाथों को तकबीर कहने से पहले उठाना सुन्नत है.’ (बहारे शरीअत)

परअला

‘तकबीरे तहरीमा के वक़्त सर न झुकाना बल्कि सीधा रखना सुन्नत है.’ (बहारे शरीअत)

परअला

‘औरत के लिये सुन्नत येह है कि तकबीरे-तहरीमा में हाथ सिर्फ़ मूठों (कंधों) तक उठाए.’ (रदुल मोहतार)

परअला

‘तकबरे तहरीमा के बाद फौरन हाथ बांध लेना सुन्नत है. हाथ को लटकाना नहीं चाहिये बल्कि तकबीरे तहरीमा कहने के फौरन बाद दोनों हाथों को कान से हटा कर नाफ़ (डुंटी) के नीचे बांध लेना चाहिये.’ (बहारे शरीअत)

नोट :

बा’ज़ लोग तकबीरे तहरीमा कहने के बाद हाथों को सीधा कर के लटकाते हैं फिर हाथ बांधते हैं एसा नहीं करना चाहिये.

परअला

‘इमाम का तकबीरे-तहरीमा और तकबीरे-इन्तिकाल बुलन्द आवाज़ से कहना सुन्नत है.’ (रदुल मोहतार)

परअला

‘अगर कोई शख्स किसी उज़्र की वजह से सिर्फ़ एक हाथ ही कान तक उठा सकता है, तो एक ही हाथ कान तक उठाए.’ (अलमगीरी)

परअला

‘मुक़तदी और अकैले नमाज़ पढ़ने वाले को तकबीरे-तहरीमा जहर (बुलन्द आवाज़) से कहने की ज़रूरत नहीं. सिर्फ़ इतनी आवाज़ ज़रूरी है कि खुद सुने.’ (बहरूर राइक, दुर्रे मुख़्तार)

परअला

‘तकबीरे-तहरीमा के वक़्त हाथ उठाना सुन्नते-मोअक्फ़ेहा है. हाथ उठाना तर्क करने (छोड़ देने) की आदत से गुनाहगार होगा. तकबीरे-तहरीमा में हाथ न उठाने से नमाज़ मकरूह होगी.’

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. १, सफ़हा नं. १७६)

परअला

‘अगर इमाम तकबीरे-इन्तेक़ाल या’ने ‘अल्लाहो अकबर’ बुलन्द आवाज़ से कहना भूल गया और आहिस्ता कहा तो सुन्नत तर्क हुई, क्योंकि ‘अल्लाहो अकबर’ पूरी बुलन्द आवाज़ से कहना सुन्नत है. नमाज़ में कराहते तन्ज़ीही आई, मगर नमाज़ हो गई.’

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. १४७)

नमाज़ का दूसरा फर्ज़ : 'क़याम'

या'नी नमाज़ में खड़ा होना और क़याम की कमी की जानीब (लघुत्तम/Minimum) हद यह है कि अगर हाथ फेलाए (लम्बा करे) तो घुटनों तक हाथ न पहुंचे और पूरा क़याम यह है कि सीधा खड़ा हो.'

(दुर्रें मुख़्तार, रदुल मोहतार)

क़याम की मिक्दार (मात्रा) इत्नी दैर तक है जितनी दैर तक क़िरअत है. या'नी जितनी दैर क़िरअत फर्ज़ है, इत्नी दैर के लिये क़याम भी फर्ज़ है. इसी तरह जितनी दैर क़िरअत वाजिब है, इत्नी दैर के लिये क़याम वाजिब है और जितनी दैर क़िरअत सुन्नत है इत्नी दैर की लिये क़याम सुन्नत है.'

(दुर्रें मुख़्तार)

मज़क़ूरा (वर्णनीय) हुक्म पहली रकअत के सिवा अन्य रकअतों का है. पहली रकअत में फर्ज़ क़याम में तकबीरे-तहरीमा की मिक्दार भी शामिल हो गई और सुन्नत क़याम में सना, तअव्वुज और तसमिया की मिक्दार शामिल हो गई.'

(बहारे शरीअत)

क़याम के तअल्लुक से ज़रूरी मसाइल :

परअला

'फर्ज़, वित्र, इदैन और फज़्र की सुन्नत, इन तमाम नमाज़ों में क़याम फर्ज़ है. अगर बिला उज़े-सहीह यह नमाज़ें बैठकर पढ़ेगा तो नमाज़ न होगी.'

(दुर्रें मुख़्तार, रदुल मोहतार)

परअला

'एक पांव पर खड़ा होना या'नी दूसरे पांव (Leg) को ज़मीन से उठा हुआ रखकर क़याम करना मकरुहे-तहरीमी है और अगर किसी उज़्र (मजबूरी) की वजह से ऐसा किया तो हर्ज़ नहीं.'

(आलमगीरी)

परअला

'अगर कुछ दैर के लिये भी खड़ा हो सकता है, अगरचे इतना ही कि खड़ा होकर 'अल्लाहो अकबर' कह ले तो फर्ज़ है कि खड़ा होकर इतना ही कह ले, फिर बैठ जाए.' (गुन्या, फतावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफहा नं. ५२)

परअला

'आजकल उमूमन (सामान्यता) यह बात देखी जाती है कि ज़रा सी कमज़ोरी या मामूली बीमारी या बुढ़ापा (वृद्धावस्था) की वजह से सिरे से बैठकर फर्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं. हालांकि उन बैठकर नमाज़ पढ़नेवालों में से बहुत से ऐसे भी होते हैं कि हिम्मत करें तो पूरी फर्ज़ नमाज़ खड़े होकर अदा कर सकते हैं और इस अदा से न इनका मरज़ (बीमारी) बढ़े, न कोई नया मरज़ लाहिक (लागू) हो और न ही गिर पड़ने की हालत हो. बारहा का मुशाहेदा (अनुभव) है कि कमज़ोरी और बीमारी के बहाने बैठकर फर्ज़ नमाज़ पढ़नेवाले खड़े रहेकर काफी दैर तक इधर-उधर की बातें करते होते हैं. ऐसे लागों को बैठकर फर्ज़ नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं बल्कि इन पर फर्ज़ है कि खड़े होकर नमाज़ अदा करें.' (फतावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफहा नं. ५३ और ४२४)

परअला

'अगर कोई शख्स कमज़ोर या बीमार है लेकिन असा (लकड़ी) या खादिम या दिवार पर टेक लगाकर खड़ा हो सकता है तो उस पर फर्ज़ है कि उन पर टेक लगा कर खड़ा होकर नमाज़ पढ़े.'

(गुन्या, फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-४३)

परअला

'कशती पर सवार है और वोह चल रही है तो बैठकर चलती हुई कशती में नमाज़ पढ़ सकता है.'

(गुन्या)

‘या’नी जबकि चक्र आने का गुमाने-ग़ालिब हो. इसी तरह चलती ट्रेन, बस और अन्य सवारियों में अगर खड़ा रहेना मुम्किन नहीं तो बैठकर नमाज़ पढ़ सकता है लेकिन बाद में एआदा करे. (यानी फिर से नमाज़ पढ़े)’

(फतावा रज़वीया, जिल्द-१, सफ़हा-६२७)

परअला

‘क़याम की हालत में दोनों पांव के दरमियान चार (४) ऊंगल का फ़ासला (अंतर) रखना सुन्नत है और यही हमारे इमामे-आ’ज़म से मन्कूल है.’

(फतावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. ५१)

परअला

‘क़याम में ‘तरावोह-बयनल-क़दमैने’ या’नी थोड़ी दैर एक पांव पर ज़ोर (वज़न) रखना फिर थोड़ी दैर दूसरे पांव पर ज़ोर रखना सुन्नत है.

(फतावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. ४४९)

परअला

‘नमाज़ी के लिये मुस्तहब है कि हालते-क़याम में अपनी नज़र सजदा करने की जगह पर रखे.’

(बहारे शरीअत)

परअला

‘क़याम में मर्द हाथ यूं बांधे कि नाफ के नीचे, दायें (Right) हाथ की हथेली बायें (Left) हाथ की कलाई के जोड़ पर रखे और छिनालियां (सबसे छोटी ऊंगली/टचली आंगळी) तथा अंगूठा कलाई के इर्द-गिर्द हल्का (Round) की शकल में रखे और बीच की तीनों उंगलियों को बायें हाथ की कलाई की पुशत पर बिछा दे.

औरत बायीं हथेली सीना पर पिस्तान (स्तन-Breast) के नीचे रखकर उस की पुशत (पीठ-Back) पर दायीं हथेली रखे.’

(गुन्या, फतावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. ४६)

परअला

‘खड़े होकर पढ़ने की कुदरत हो तो भी नमाज़े-नफ़ल बैठकर पढ़ सकते हैं मगर खड़े होकर पढ़ना अफज़ल है. हदीस शरीफ में है कि बैठकर पढ़ने वाले की नमाज़ खड़े होकर पढ़ने वाले की निस्फ (आधी) है और अगर किसी उज़्र की वजह से बैठकर पढ़ी तो सवाब में कमी न होगी. आजकल अ़वाम में रिवाज पड़ गया है कि नफ़ल नमाज़ बैठ कर पढ़नी चाहिये. और शायद नफ़ल नमाज़ बैठकर पढ़ना अफज़ल गुमान करते हैं लेकिन ये ख़याल ग़लत है. नफ़ल नमाज़ भी खड़े होकर पढ़ना अफज़ल है और खड़े होकर पढ़ने में दूगना (Double) सवाब है. अलबत्ता अगर बग़ैर किसी उज़्र भी नफ़ल नमाज़ बैठकर पढ़ी तो भी नमाज़ बिला कीसी किस्म (प्रकार) की कराहत के हो जाएगी मगर सवाब आधा हासिल होगा.’

(दुर्रै-मुख्तार, रहुल मोहतार, बहारे-शरीअत हिस्सा-४, सफ़हा १७)

परअला

‘हुज़ूर पुर नूर, रहमते-आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमने नफ़ल नमाज़ बैठकर अदा फ़रमाई लेकिन साथ में ये भी फ़रमाया कि मैं तुम्हारी मिस्ल (समान) या’नी तुम जैसा नहीं हूं. मेरा सवाब खड़े होकर और बैठकर पढ़ने में दानों में एकसां (बराबर) है. तो उम्मत के लिये खड़े होकर पढ़ना अफज़ल और दूना सवाब है और बैठकर पढ़ने में भी कोई ए’तराज़ (दोष-Critism) नहीं.’

(फतावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. ४६१)

परअला

‘बैठकर नफ़ल नमाज़ अदा करने में रुकूअ इस तरह करना चाहिये कि पैशानी झुक कर घुटनों के मकाबिल (सामने) आ जाए और रुकूअ करने में सुरीन (कुल्ला-Buttock) उठाने की हाजत नहीं. बैठकर नमाज़ पढ़ने में रुकूअ करते वक़्त सुरीन उठाना मकरुहे-तन्ज़ीही है.’

(फतावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. ५१ और ६९)

परअता

‘हालते-क़याम में दायें-बायें जूमना मकरुहे-तन्जीही है.’

(बहारे-शरीअत, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. १७३)

परअता

‘अगर क़याम पर क़ादिर है मगर सजदा नहीं कर सकता या सजदा तो कर सकता है मगर सजदा करने से ज़ख़्म बहेता है, तो उसके लिये बेहतर है कि बैठकर इशारे से पढ़े और खड़े होकर भी इशारे से पढ़ सकता है.’

(बहारे शरीअत, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. ६८)

परअता

‘अगर कोई शख़्स इतना कमजोर है कि मस्जिद में जमाअत के लिये जाने के बाद खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकेगा और अगर घर में पढ़ता है तो खड़े होकर पढ़ सता है, तो उसे चाहिये कि घर पर नमाज़ पढ़े. अगर घर में जमाअत मयस्सर (प्राप्त) हो तो बेहतर है, वना तन्हा खड़े होकर घर में ही पढ़ लें.’

(दुरें मुख्तार, रदुल मोहतार, बहारे-शरीअत हिस्सा ३, सफहा नं. ६९)

परअता

‘जिस शख़्स को खड़ा होकर नमाज़ पढ़ने से पैशाब का क़तरा (बूंद) टपकता हो लेकिन बैठकर नमाज़ पढ़ने से कतरा नहीं आता, तो उस पर फर्ज़ है कि बैठकर पढ़े, लेकिन शर्त यह है कि पैशाब का क़तरा टपकने का आरज़ा (बीमारी) और किसे तरीके से रोक न सके.’

(दुरें मुख्तार, रदुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा नं. ६९)

नमाज़ का तीसरा फर्ज़ : ‘क़िरअत’

◆ ‘या’नी कुरआने-मजीद का इस तरह पढ़ना कि तमाम हुरुफ (अक्षर) अपने मख़रज से सहीह तौर पर अदा किये जायें कि हर हर्फ अपने गैर से सहीह तौर से मुम्ताज़ (अलग) हो जाए. मस्लन हर्फ, ‘जीम’ (ج), ‘ज़ाल’ (ز), ‘जे’ (ج), ‘दुवाद’ (ض) और ‘ज़ोय’ (ظ) अपने-अपने मख़रज (व्युत्पत्ति) से इस तरह सहीह अदा हों कि सुनने वाला इम्तियाज़ (तफावुत) कर सके कि कौन सा हर्फ पढ़ा गया.’

(बहारे शरीअत, फतावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. १०४ और १११)

◆ ‘आहिस्ता पढ़ने में ज़रूरी है कि इत्नी आवाज़ से पढ़े कि खूद को सुनने में आए. अगर कोई मानेअ (अवरोध) या’नी क़रीब में किसी तरह (प्रकार) का कोई शोरो-गुल नहीं या उसे सक़ले-समाअत (बहेरा होना) नहीं और इत्नी धीमी आवाज़ से क़िरअत की कि खूद को भी सुनने में न आया, तो उसकी नमाज़ न हूई.’

(आलमगीरी)

◆ ‘क़िरअत फर्ज़ होने से मुराद मुत्लक़न एक आयत पढ़ना फर्ज़ नमाज़ की दो (२) रकअतों में तथा वित्र, सुन्नत और नफल नमाज़ की हर (प्रत्येक) रकअत में इमाम और मुन्फरिद पर फर्ज़ है.’

(फतावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. १२२/१२३)

◆ ‘एक छोटी आयत जिसमें दो (२) या दो (२) से ज़यादा कलेमात हों, पढ़ लेने से फर्ज़ अदा हो जाएगा और अगर एक ही हर्फ की आयत हो जैसे ‘सुवाद’ (س) या ‘नून’ (ن) या ‘क़ाफ’ (ق) तो उसके पढ़ने से फर्ज़ अदा न होगा, अगरचे उसको बार-बार पढ़े.’

(आलमगीरी, रदुल मोहतार, फतावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. १३१)

◆ कुरआन शरीफ पढ़ने में तजवीद ज़रूरी है और इत्नी तजवीद कम से कम कि हुरुफ सहीह अदा हों और ग़लत पढ़ने से बचे, फर्ज़-ऐन है.

(बज़ाज़िया, फतावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. १३०)

नोट :

तजवीद = कुरआन शरीफ पढ़ने का फन (विद्या)

(फीरोजुल्लुगात, सफहा नं. ३४६)

◆ 'नमाज़ के सहीह होने के लिये फन्ने तजवीद जानना ज़रूरी नहीं, अलबत्ता हुरूफ सहीह अदा होना ज़रूरी है, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो सुन-सुन कर सहीह पढ़ते हैं, अगर उनसे हुरूफ के मख़रज के मुतअल्लिक पूछा जाए तो मख़रज नहीं बता सकते, हालांकि वोह सहीह तौर पर कुरआन शरीफ पढ़ते हैं.'

(फतावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. १२८)

◆ 'फर्ज़ नमाज़ की पहली दो (२) रकअतों में और वित्र, सुन्नत व नफ़्ल नमाज़ की हर रकअत में मुल्लक़न एक आयत का पढ़ना इमाम और मुन्फरिद पर फर्ज़ है.'

(बहारे शरीअत, हिस्सा नं. ३, सफ़हा नं. ७१)

◆ 'फर्ज़ की किसी रकअत में क़िरअत न की, या सिर्फ एक ही रकअत में क़िरअत की तो नमाज़ फ़ासिद हो गई.'

(आलमगीरी, बहारे शरीअत हिस्सा नं. ३, सफ़हा नं. ७०)

क़िरअत के तअल्लुक से ज़रूरी मसाइल

परअता

'सूरते फ़ातेहा (अल-हम्दो शरीफ) पूरी पढ़ना या'नी सातों (७) आयतों मुस्तक़िल (द्रढ़ और संपूर्ण) पढ़ना वाजिब है. सूरअ-ए-फ़ातेहा में से एक आयत बल्कि एक लफ़्ज़ (शब्द) को छोड़ना तर्के-वाजिब है.'

(बहारे शरीअत)

परअता

'सूरते-फ़ातेहा पढ़ने में अगर एक लफ़्ज़ भी भूले से रहे जाए तो सज्द-ए-सह्व करे.'

(दुरें मुख़ार)

परअता

'सूर-ए-फ़ातेहा' के साथ सूरत मिलाना वाजिब है. या'नी एक छोटी सी सूरत या तीन छोटी आयतें या एक बड़ी आयत जो तीन छोटी आयतों के बराबर हो.

(बहारे शरीअत, फतावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. १२३/१३४)

परअता

'अल-हम्दो शरीफ तमाम व कमाल पढ़ना वाजिब है और उसके साथ किसी दूसरी सूरत से एक बड़ी आयत या तीन छोटी आयतें पढ़ना भी वाजिब है.'

(फतावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. १२३)

परअता

फर्ज़ नमाज़ की पहली दो (२) रकअतों में 'अल-हम्दो शरीफ' के साथ सूरत मिलाना वाजिब है.'

(बहारे शरीअत)

परअता

'वित्र, सुन्नत और नफ़्ल नमाज़ की हर रकअत में 'अल-हम्दो शरीफ' के साथ सूरत मिलाना वाजिब है.'

(बहारे शरीअत)

परअता

'अगर कोई शख्स सूर-ए-फ़ातेहा के बाद सूरत मिलाना भूल गया या सूर-ए-फ़ातेहा पढ़ना भूल गया और सूर-ए-फ़ातेहा पढ़े बग़ैर सूरत पढ़ी तो सज्द-ए-सह्व करने से नमाज़ हो जाएगी.'

(फतावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. १२५)

परअता

'सूर-ए-फ़ातेहा को सूरत से पहले पढ़ना वाजिब है.' (बहारे शरीअत)

परअता

‘सूर-ए-फ़तेहा (अल-हम्दो शरीफ) सिर्फ एक मरतबा ही पढ़ना वाजिब है. ज़यादा मरतबा पढ़ना तर्के-वाजिब है.’ (बहारे शरीअत)

परअता

‘अल-हम्दो शरीफ और सूरात के दरमियान फ़स्ल (वक्फ़ा) न हो या’नी अल-हम्दो शरीफ के बाद फ़ौरन सूरात का पढ़ना और दोनों के दरमियान किसी भी अजनबी का फ़ासिल न होना वाजिब है. ‘आमीन’ सूरा-ए-फ़तेहा के ताबेअ और ‘बिस्मिल्लाह’ सूरात के ताबेअ होने की वजह से फ़ासिल नहीं.’ (बहारे शरीअत)

परअता

‘सूरात पहले पढ़ी और अल-हम्दो शरीफ बाद में पढ़ी या अल-हम्दो शरीफ के बाद सूरात पढ़ने में देर की या’नी तीन (३) मरतबा ‘सुब्हानल्लाह’ कहने में जितना वक़्त लगता है, इत्नी देर चुप रहा, तो सजद-ए-सहव वाजिब है.’ (दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअत)

परअता

‘सूरातों के शुरु में ‘बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम’ एक पूरी आयत है, मगर सिर्फ इसको पढ़ने से किरअत का फ़र्ज़ अदा न होगा. (दुर्रे मुख़्तार)

परअता

‘जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने वाले नमाज़ी या’नी मुक़तदी को नमाज़ में किरअत करना जाइज़ नहीं. न सूरा-ए-फ़तेहा पढ़े, न ही कोई दूसरी सूरात या आयत पढ़े,, यहां तक कि ज़ोहर और अस्र की नमाज़ की सब रकअतों में और मग़रिब व इशा की नमाज़ की तीसरी और चौथी रकअत में जब इमाम आहिस्ता से किरअत पढ़ता है, उन तमाम रकअतों में और जहर से या’नी बुलन्द आवाज़

से पढ़ी जानेवाली रकअतों में भी मुक़तदी को किरअत पढ़ना जाइज़ नहीं. इमाम की किरअत मुक़तदी के लिये काफी है.’

(फ़तावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. ६२, ८८)

परअता

‘नमाज़ में तअव्वुज़ और तस्मिया किरअत के ताबेअ हैं और मुक़तदी पर किरअत नहीं, लेहाज़ा तअव्वुज़ और तस्मिया भी मुक़तदी के लिये मसनून नहीं लेकिन जिस मुक़तदी की कोई रकअत छूट गई हो, तो इमाम के सलाम फेरने के बाद जब वोह अपनी बाक़ी रकअत पढ़े, उस वक़्त इन दोनों को पढ़े.’ (दुर्रे मुख़्तार)

परअता

‘इमाम ने जहरी नमाज़ में किरअत शुरु कर दी हो तो मुक़तदी ‘सना’ न पढ़ें बल्कि ख़ामोश रहेकर किरअत सुने, क्योंकि किरअत का सुनना फ़र्ज़ है.’ (फ़तावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. ६१)

◆ इमाम के पीछे मुक़तदी को किरअत पढ़ना सख़्त मना है. अहादीसे-करीमा में इस के तअल्लुक से सख़्त मुमानेअत और वईद हैं. चंद अहादीसे-करीमा पैसे खिदमत हैं.

हदीस

तिरमिज़ी, हाकिम और मुस्लिमने हज़रत जाबिर रदीय्यल्लाहो तअ़ाला अन्हो से रिवायत की कि हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम इरशाद फ़रमाते है कि; ‘जो शख़्स इमाम के पीछे हो तो इमाम की किरअत उसकी किरअत है.’

हदीस

‘हज़रत सा’द बिन अबी वक़ास रदीय्यल्लाहो तअ़ाला अन्हो ने फ़रमाया कि मैं दोस्त रखता हूं (पसन्द करता हूं) कि जो इमाम के पीछे किरअत करे

उसके मुंह में अंगारा हो,'

हदीस

'अमीरुल मो'मिनीन, हज़रत उमर फारूके-आज़म रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो फरमाते है कि जो इमाम के पीछे क़िरअत करता है, काश ! उसके मुंह में पत्थर हो.'

हदीस

'हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने जैद इब्ने साबित और हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रदीय्यल्लाहो तआला अन्हुमा से सवाल हुआ. उन्होंने ने फरमाया कि इमाम के पीछे किसी नमाज़ में क़िरअत न करे.'

हदीस

'अमीरुल मो'मिनीन, हज़रत सय्येदुना मौला अली मुर्तज़ा रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से मन्कूल है कि फरमाया; ' जिसने इमाम के पीछे किरअत की उसने फितरत से ख़ता की.'

परअला

'क़िरअत ख़्राह सिरी हो ख़्राह जहरी हो, बिस्मिल्लाह हर हाल में आहिस्ता पढ़ी जाएगी.' (दुर्रे मुख़्तार, फतावा रज़वीया जिल्द नं. ३, सफ़ा नं. ५६१/५६५)

परअला

'अगर सू-ए-फ़तेहा के बाद किसी सूत को अव्वल से शुरु करे तो सू-ए-फ़तेहा के बाद भी सूत पढ़ते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहसन है.' (दुर्रे मुख़्तार)

परअला

'तअव्वुज़ पहली रकअत में है और तसमीया हर रकअत के शुरु में मसनून है.' (रहुल मोहतार)

परअला

'मग़रिब और इशा की पहली दो (२) रकअतों में और फज़्र, जुम्आ, ईदैन, तरावीह और रमज़ान के वित्र की सब रकअतों में इमाम पर जहर या'नी बुलन्द आवाज़ से क़िरअत पढ़ना वाजिब है.' (दुर्रे मुख़्तार)

परअला

'मग़रिब की तीसरी रकअत, इशा की आख़री दो रकअत और ज़ोहर व अ़स् की तमाम रकअतों में इमाम को आहिस्ता क़िरअत पढ़ना वाजिब है.' (दुर्रे मुख़्तार, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ९३)

परअला

'जहर येह है कि दूसरे लोग या'नी कम-अज़-कम वोह लोग जो पहली सफ में हैं, वोह सुन सकें, येह अदना दर्जा जहर से क़िरअत करने का है और आला दर्जा के लिये कोई हद मुक़रर नहीं और आहिस्ता क़िरअत करने के मा'नी येह हैं कि खूद सुन सके.' (आम्म-ए-कुतुबे-फिक़ह)

परअला

'इस तरह पढ़ना कि फक़त एक दो आदमी जो इमाम के क़रीब हैं, वही सुन सकें तो इस तरह पढ़ना जहर नहीं बल्कि आहिस्ता है.' (दुर्रे मुख़्तार)

परअला

'ज़रूरत से ज़यादा इस क़दर बुलन्द आवाज़ से पढ़ना कि अपने या दूसरों के लिये तकलिफ का बाइस (कारण) हो, मकरुह है.' (रहुल मोहतार)

परअला

'नमाज़ में 'आमीन' बुलन्द आवाज़ से कहना मकरुह और ख़िलाफे सुन्नत है.' (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ६३)

परअता

‘रात में जमाअत से नफल नमाज़ पढ़ने में इमाम पर जहरसे किरअत पढ़ना वाजिब है.’
(दुर्रे मुख्तार)

परअता

‘दिन में जमाअत से नफल नमाज़ पढ़ने में इमाम पर आहिस्ता किरअत पढ़ना वाजिब है. अगर दिन में अकैला नफल पढ़ता हो, तब भी आहिस्ता पढ़े. रात में अगर अकैला नवाफिल पढ़ता है, तो इख्तियार है कि चाहे आहिस्ता पढ़े या जहर से (बुलन्द आवाज़ से) पढ़े.’
(दुर्रे मुख्तार, बहारे शरीअत)

परअता

‘मुन्फरिद या’नी अकैला नमाजे-फर्ज पढ़ने वाले को जहर नमाज़ या’नी फजर, मगरिब और इशा की नमाज़ में इख्तियार है, चाहे तो आहिस्ता किरअत पढ़े और चाहे तो बुलन्द आवाज़ से पढ़े और अफज़ल यह है कि बुलन्द आवाज़ (जहर) से पढ़े, जब कि अदा पढ़ता हो और अगर कज़ा पढ़ता हो तो आहिस्ता किरअत पढ़ना ही वाजिब है.’
(दुर्रे मुख्तार, बहारे शरीअत)

परअता

‘बेहतर यह है कि पहली रकअत की किरअत दूसरी रकअत की किरअत से कदरे (थोड़ी) ज़यादा हो. यही हुक्म जुम्आ और दोनों ईदों की नमाज़ में भी है.’
(आलमगीरी, बहारे शरीअत)

परअता

दूसरी रकअत की किरअत पहली रकअत की किरअत से तवील (लंबी) करना मकरहे-तन्ज़ीही है, जब कि फर्क (तफावत) साफ तौर पर ज़ाहिर और मा’लूम हो.’

(दुर्रे मुख्तार, रहुल मोहतार, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १००)

परअता

‘इमाम के लिये जरूरी है कि बीमार, जईफ, बुढ़े और काम पर जाने वाले जरूरतमंद मुक़तदीयों का लिहाज़ (ख़्याल) करते हुए तवील किरअत न करे कि उनको तकलीफ पहुंचे, बल्कि इख्तियार करे.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १२०)

परअता

बेहतर यह है कि सुनन और नवाफ़ील की दानों रकअतों में बराबर की सूरत पढ़े.’
(मुन्युतल मुसल्ली)

परअता

‘फर्ज नमाज़ में ठहेर-ठहेर कर किरअत करना चाहिये और तरावीह में मुतवस्सित (दरमियानी) अन्दाज़ में और नवाफिल में जल्द पढ़ने की इजाज़त है, मगर जल्दी में भी इस तरह पढ़ना चाहिये कि समज़ में आ सके या’नी कम अज़ कम ‘मद’ का जो दर्जा कारियों (किरअत के जानकारों) ने रखा है उसको अदा करे, वर्ना हराम है क्योंकि कुरआने मजीद को तरतील (Recital-साफ आवाज़ से, आहिस्ता और ठहेर ठहेर कर) पढ़ने का हुक्म है.’

(रदे मुख्तार, रहुल मोहतार)

परअता

‘आजकल रमज़ान में अकसर हाफिज़ लोग तरावीह में कुरआने-मजीद इस तरह जल्दी जल्दी पढ़ते हैं कि ‘मद’ का अदा होना तो बड़ी बात है, एसा तैज़ रफ्तारी (गति) से पढ़ते हैं कि ‘या’लमून-ता’लमून’ के सिवा किसी लफ़्ज़ की शनाख़्त नहीं होती. किसी भी हर्फ की तसहीह नहीं होती बल्कि जल्दी जल्दी में लफ़्ज़ का लफ़्ज़ खा जाते हैं (गायब कर देते हैं) और इस तरह ग़लत पढ़ने पर फख़ किया जाता है कि फलां हाफिज़ इस कदर जल्द पढ़ता है. हालांकि इस तरह कुरआन मजीद पढ़ना हराम और सख़्त हराम है.

(बहारे शरीअत)

परअता

‘कुरआने-मजीद उल्टा पढ़ना या’नी पहली रकअत में बाद वाली सूत पढ़ना और दूसरी रकअत में उसके उपरवाली सूत पढ़ना सख्त गुनाह है। मस्लन पहली रकअत में ‘सूर-ए-काफेरुन’ (कुल-या-अय्युहल-काफेरुन) और दूसरी रकअत में ‘सूर-ए-फील’ (अलम-तरा-क्यफा) पढ़ना।

(दुर्रे मुख्तार)

परअता

उल्टा कुरआन शरीफ पढ़ने के लिये सख्त वर्ईद आई है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्उद रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो फरमाते हैं ‘जो कुरआन को उलट कर पढ़ता है वोह क्या खौफ नहीं करता कि अल्लाह उसका दिल उलट दे।’

(बहारे शरीअत)

परअता

‘अगर भूलकर ख़िलाफे-तरतीब (उल्टा) कुरआन पढ़ा तो न गुनाह है और न सज्द-ए-सहव है।’

(बहारे शरीअत)

परअता

‘अगर इमाम ने भूल कर पहली रकअत में ‘सूर-ए-नास’ (कुल-अउजो बे रब्बिननासे) और दूसरी रकअत में ‘सूर-ए-फलक’ (कुल-अउजो-बे-रब्बिल-फलके) पढ़ी, तो भूल कर ऐसा करने से नमाज़ में हर्ज़ नहीं और सज्द-ए-सहव की भी ज़रूरत नहीं और अगर क़सदन (जानबूज़ कर) ऐसा किया तो गुनाहगार होगा लेकिन नमाज़ हो जाएगी। सज्द-ए-सहव अब भी ज़रूरी नहीं। तौबा करे और आइन्दा ऐसा करने से इजतिनाब (परहेज़) करे।’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १३२)

परअता

‘पहली रकअत में बड़ी सूत पढ़ना और दूसरी रकअत में पहली रकअत वाली सूत के बाद वाली छोटी सूत को छोड़ कर उस छोटी सूत के बाद वाली बड़ी सूत पढ़ना मकरुह है। मस्लन पहली रकअत में ‘कुल-या-अय्युहल काफेरुना’ पढ़ना और दूसरी रकअत में ‘तब्बत-यदा-अबीलहब’ पढ़ना और ‘इज़ा-जाआ-नस्रुल्लाह’ छोड़ देना।’

(दुर्रे मुख्तार, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १३६)

परअता

‘दोनों रकअतों में एक ही सूत की तकरार (पूनरावर्तन) करना मकरुहे-तन्ज़ीही है, जबकि कोई मजबूरी न हो, और अगर मजबूरी है तो बिल्कुल कराहत नहीं। मस्लन पहली रकअत में पूरी ‘सूर-ए-नास’ (कुल अउजो-बे-रब्बिनास) पढ़ी तो अब दूसरी सूत में भी यही पढ़े या दूसरी रकअत में भी बिला क़स्द (इरादा) पहली रकअतवाली सूत पढ़ना शुरू कर दी, या उसको सिर्फ एक ही सूत याद है, तो इन तमाम हालतों में एक ही सूत की दोनों रकअतों में तकरार जाइज़ है।’

(रदुल मोहतार, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ९९)

परअता

‘नवाफिल की दोनों रकअतों में एक ही सूत को मुकरर पढ़ना या एक ही रकअत में उसी सूत को बार-बार पढ़ना बिला कराहत जाइज़ है।’

(गुन्या, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ९८-९९)

परअता

‘क़िरअत में आयते-सज्दा पढ़ी तो चाहे तरावीह की नमाज़ हो, चाहे फर्ज़ या और कोई नमाज़ हो, अकेला पढ़ता हो या जमाअत से पढ़ता हो, अगर नमाज़ में आयते-सज्दा पढ़ी तो फ़ौरन सज्दा करे। तीन आयते पढ़ने के वक़्त

की मिक़दार से ज़यादा दैर लगाना गुनाह है।’

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ६५५)

मरआला

‘सूर-ए-फ़ातेहा के बाद सूरत सोचने में इत्नी दैर लगाई कि तीन (३) मरतबा ‘सुब्हानल्लाह’ कह लिया जाए, तो क़िरअत में ताख़ीर (दैर) होने की वजह से तर्कै-वाजिब हुआ, लिहाज़ा सजद-ए-सह्व करना वाजिब है।’

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. २७९, ६३०)

मरआला

‘नमाज़ में कुरआन शरीफ़ से देखकर क़िरअत पढ़ने से नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी. यूँही अगर मेहराब वग़ैरह में लिखा हुआ है, तो उसे देखकर पढ़ने से नमाज़ फ़ासिद या’ने टूट जाएगी।’

(दुरै मुख़्तार, रदुल मोहतार)

मरआला

‘अगर सना, तअव्वुज़ और तसमीया पढ़ना भूल गया और क़िरअत शुरू कर दी, तो ए’आदा न करे कि उनका महल (स्थान) फ़ौत हो गया. यूँही अगर सना पढ़ना भूल गया और तअव्वुज़ शुरू कर दिया, तो अब सना का ए’आदा न करे।’

(रदुल मोहतार, बहारे शरीअत)

मरआला

‘इमाम ने जहर (बुलन्द आवाज़) से क़िरअत शुरू कर दी तो मुक़्तदी सना न पढ़े, अगरचे दूर वाले सफ़ में होने या बहेरा (बधिर) होने की वजह से इमाम की आवाज़ न सुनता हो, जैसे जुम्आ और ईदैन में पिछली सफ़ के मुक़्तदी दूर होने की वजह से (के कारण) क़िरअत नहीं सुन पाते और अगर इमाम क़िरअत ‘बिस-सिर्र’ या’नी आहिस्ता पढ़ता हो, मस्लन जोहर या अस्स की नमाज़ में, तो मुक़्तदी सना पढ़ सकता है।’

(आलमगीरी, रदुल मोहतार)

मरआला

‘क़िरअत ख़त्म होते ही मुत्तसेलन (संलग्न-Adjoining) रूकूअ करना वाजिब है।’

(बहारे शरीअत)

मरआला

रूकूअ में जाने के लिये तकबीर कही मगर अभी रूकूअ में न गया था या’नी घुटनों तक हाथ पहुंचने के क़ाबिल न झुका था कि और ज़यादा पढ़ने का इरादा हुआ तो पढ़ सकता है, कुछ हर्ज़ नहीं।’

(आलमगीरी)

मरआला

‘नमाज़ में ‘अल-हम्दो’ शरीफ़ के बाद सह्वन (भूलकर) सूरत मिलाना भूल गया, तो अगर रूकूअ में याद आ जाए तो फ़ौरन खड़ा होकर सूरत पढ़े, फिर दोबारा रूकूअ करे और नमाज़ तमाम करके आख़िर में सजद-ए-सह्व कर ले, नमाज़ हो जाएगी. नमाज़ दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं।’

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ६३९)

मरआला

‘नमाज़ में आयते-सजदा पढ़ी और सजदा करने में सह्वन तीन आयत पढ़ने के वक़््त जितनी या ज़यादा की दैर हो गई तो सजद-ए-सह्व करे।’

(गुन्या)

मरआला

‘अगर सिर्री नमाज़ में इमाम ने भूलकर एक आयत भी बुलन्द आवाज़ से पढ़ दी, तो सजद-ए-सह्व वाजिब होगा. अगर सजद-ए-सह्व न किया या क़सदन बुलन्द आवाज़ से पढ़ा, तो नमाज़ का ए’आदा (फ़ेरना) वाजिब है।’

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ९३)

मरआला

‘कुरआन की हर आयत पर वक़्फ़ (ठहरना) मुत्लकन बिला कराहत जाइज़

बल्कि सुन्नत से मर्वी (वर्णन) है। बल्कि जिस आयत पर 'ला' की अलामत (चिन्ह) हो, उस पर वक्फ करके रुकूअ कर दिया, तो भी नमाज़ हो जाएगी।

[(१) फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १३२, (२) अहकामे शरीअत, हिस्सा-२, सफहा ३२, (३) फतावा रज़वीया, जिल्द नं. १२, सफहा नं. ११३]

परअला

'सूर-ए-फातेहा की इब्तिदा में तस्मीया पढ़ना सुन्नत है और सूर-ए-फातेहा के बाद अगर कोई सूरत या किसी सूरत की इब्तिदाई (प्रारम्भिक) आयतें पढ़े तो उनसे पहले तस्मीया पढ़ना मुस्तहब है। पढ़े तो अच्छा और अगर न पढ़े तो हर्ज नहीं.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६७)

परअला

'नमाज़ की हर रकअत में इमाम और मुन्फरिद (अकैला नमाज़ पढ़नेवाला) को सूर-ए-फातेहा में 'व-लद-दाल्लीन' के बाद 'आमीन' कहना सुन्नत है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७२)

परअला

'इमाम की आवाज़ किसी मुक़तदी तक न पहुंची मगर उस मुक़तदी के बराबर (नज़दीक) वाले मुक़तदी ने 'आमीन' कही और उस ने 'आमीन' की आवाज़ सुन ली, अगरचे उस मुक़तदी ने 'आमीन' आहीस्ता कही है, तो यह सुनने वाला भी 'आमीन' कह. गर्ज यह कि इमाम का 'व-लद-दाल्लीन'. कहना मा'लूम हुआ तो 'आमीन' कहना सुन्नत हो जाएगा. फिर चाहे इमाम की आवाज़ सुनने से मा'लूम हो या किसी मुक़तदी के 'आमीन' कहने से मा'लूम हो.'

(दुर्रे-मुख़्तार)

परअला

'सिरी नमाज़ में इमाम ने 'आमीन' कही और मुक़तदी उसके करीब था और मुक़तदी ने इमाम की 'आमीन' कहने की आवाज़ सुन ली, तो मुक़तदी भी 'आमीन' कह.'

(दुर्रे मुख़्तार)

परअला

'अगर किसी ने फर्ज नमाज़ की पिछली दो रकअत में सहवन (भूलकर) या कसदन (जान बूझकर) 'अल-हम्दो' शरीफ के बाद कोई एक सूरत मिललाई या कुछ आयतें पढ़ी, तो मुज़ाएका नहीं. उसकी नमाज़ में कुछ ख़लल न आया और उसको सजद-ए-सहव करने की भी ज़रूरत नहीं.'

(अहकामे शरीअत, हिस्सा नं. १, सफ़ा नं. १० और फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६३७)

परअला

'तअव्वुज़ सिर्फ पहली रकअत में है, हर रकअत के शुरू में 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' पढ़ना मसनून है.'

(रहुल मोहतार)

परअला

क़याम के सिवा रुकूअ, सुजूद और क़उद में किसी जगह 'बिस्मिल्लाह-हिर्रहमा-निर्रहीम' पढ़ना जाइज़ नहीं कि वोह कुरआन की आयत है और नमाज़ में क़याम के सिवा और जगह कुरआन की आयत पढ़नी ममनूअ है. अगर पढ़ी तो सजद-ए-सहव वाजिब है. (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १३४ और अल मल्फूज़ हिस्सा - ३, सफहा नं. ४३)

परअला

'ज़बान से जिस सूरत का एक लफ़्ज़ निकल जाए उसी का पढ़ना लाज़िम है. ख़्वाह वोह सूरत क़ब्ल की हो या बाद की, ख़्वाह मुकर्रर पढ़ता हो, हर हाल में उसी सूरत को पढ़ना लाज़िम है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १३५/१३६)

फरज़

‘नमाज़ में बिस्मिल्लाह शरीफ बुलन्द अवाज़ से पढ़ना मना है। सिर्फ तरावीह में जब कलाम-मजीद ख़त्म किया जाए तो ‘सूर-ए-बकरा’ से ‘सूर-ए-नास’ तक में किसी एक सूरात पर बिस्मिल्लाह शरीफ आवाज़े-बुलन्द से पढ़ ली जाए कि ख़त्म पूरा हो। और हर सूरात पर बुलन्द आवाज़ से पढ़ना ममनूअ और मज़हबे-हनफी के खिलाफ है।’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४८४)

फरज़

‘मुस्तहब तरीक़ा येह है कि अगर सूरात के आख़िर में नामे-इलाही है, मस्लन ‘सूर-ए-नस्र’ (इज़ा-जाआ-नस्रुल्लाहो) के आख़िर में ‘इन्नूह-काना-तव्वाबन’ पर न ठहरे बल्कि रूकूअ की तकबीर ‘अल्लाहो-अकबर’ से वस्ल करे या’नी मिलाकर ‘तव्वाबनिल्लाहो-अकबर’ पढ़े। इसी तरह सूर-ए-वत्तीन में ‘अहकमिल-हाकेमीना’ के ‘नून’ को ज़ैर देकर (या’नी ज़ैर की संज्ञा-Vowel) ‘अल्लाहो अकबर’ के लाम में मिला दे (या’नी ‘हाकेमीनिल्लाहो-अकबर’ पढ़े)।

और जिस सूरात के आख़िर में नामे इलाही न हो और कोई लफज़ नामे इलाही के तौर पर न हो, वहां इख़्तियार है कि वस्ल करे या’नी मिलाए या न मिलाए, मस्लन ‘सूर-ए-अलम-नशरह’ में ‘फर-ग़ब’ पर ठहरे भी सकता है और ‘फर-ग़ब’ को ‘अल्लाहो अकबर’ के साथ मिला भी सकता है।

और जिस सूरात के आख़िर में कोई लफज़ नामे-इलाही के लिये नामुनासिब (अयोग्य) हो, वहां हरगिज़ वस्ल न करे या’नी न मिलाए बल्कि फस्ल करे या’ने ठहरे। मस्लन ‘सूर-ए-कौसर’ के आख़िर में ‘हुवल-अबतर’ में फस्ल करे या’ने ठहरे और वस्ल न करे या’नी न मिलाए।’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १२६)

नमाज़ का चौथा फर्ज़ : ‘रूकूअ’

- ◆ या’नी इतना झुकना कि हाथ बढाए तो हाथ घुटने को पहुंच जायें। येह रूकूअ का अदना दर्जा है। (दुरे-मुख़्तार)
- ◆ रूकूअ का कामिल दर्जा येह है कि पीठ सीधी बिछा दे। (बहारे शरीअत)
- ◆ रूकूअ हमारे नबी सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम और आपकी उम्मत-मरहूमा के ख़साइस (विशिष्टता) से है। रूकूअ ‘इस्सा’ (मे’राज) के बाद अता हुआ बल्कि मे’राज की सुब्ह को जो नमाजे-जोहर पढ़ी गई, तब तक रूकूअ न था। इस के बाद अस्र की नमाज़ में इसका हुक्म आया और हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम और सहाबा-ए-किराम (रिदवानुल्लाहे तआला अलैहिम) ने अदा फरमाया। अगली शरीअतों में से किसी भी शरीअत में रूकूअ न था।

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफहा नं. १८२)

रूकूअ के तअल्लुक से ज़रूरी मसाइल

फरज़

‘हर रकअत में सिर्फ एक ही रूकूअ करे। अगर भूलकर दो रूकूअ किए तो सजद-ए-सहव वाजिब है। (दुरे मुख़्तार)

फरज़

‘रूकूअ में कम से एक मरतबा ‘सुब्हानल्लाह’ कहने के वक़्त की मिक्दार तक ठहरेना वाजिब है। (बहारे शरीअत)

फरज़

‘रूकूअ में तीन (३) मरतबा ‘सुब्हाना-रब्बीयल-अज़ीम’ कहना सुन्नत है। तीन मरतबा से कम कहने में सुन्नत अदा न होगी और पांच मरतबा कहना

मुस्तहब है।'

(फत्हुल क़दीर)

परअता

'रुकूअ में 'सुब्हाना-रब्बीयल-अज़ीम' कहते वक़्त 'अज़ीम' की 'ज़ोय' को ख़ूब एहतियात (सावधानी) से अदा करें. कुछ लोग 'ज़ोय' के बदले 'जीम' अदा करते हैं. या'ने 'अज़ीम' के बदले 'अजीम' पढ़ते हैं और ये सख़्त गुनाह है, क्योंकि, 'अज़ीम' और 'अजीम' के मा'नों (अर्थ) में बहुत बड़ा फ़र्क़ है. इस फ़र्क़ को समजें :

- ◆ 'सुब्हाना-रब्बीयल-अज़ीम'=पाक है मेरा रब जो बुजुर्ग(महान) है.
- ◆ अज़ीम = बड़ा, बुजुर्ग, अज़मत वाला, कलां वग़ैरह होते हैं.
- ◆ अजीम के मा'ना 'गूंगा' (जो बोल न सके) होते हैं.

लिहाज़ा अल्लाह तआला के लिये 'अजीम' लफ़्ज़ (शब्द) की निस्वत करना सख़्त मना है.

परअता

'अगर कोई शख़्स हर्फ़े 'ज़ोय' अदा न कर सके,वोह 'सुब्हाना-रब्बीयल-अज़ीम' की जगह 'सुब्हाना-रब्बीयल-करीम' कह. (रहुल मोहतार)

परअता

'रुकूअ में जाने के लिये 'अल्लाहो अकबर' कहना सुन्नत है.'

(बहारे शरीअत)

परअता

'मर्दों के लिये सुन्नत है कि रुकूअ में घुटनों को हाथों से पकड़े और हाथ की ऊंगलियां ख़ूब खुली (चौड़ी) रखें. (बहारे -शरीअत)

परअता

'औरतों के लिये सुन्नत यह है कि रुकूअ में घुटनों को हाथ से न पकड़े बल्कि घुटनों पर हाथ रखें और हाथ की ऊंगलियां कुशादा (चौड़ी) न करें.

(बहारे शरीअत)

परअता

'मर्दों के लिये सुन्नत है कि हालते-रुकूअ में टांगे सीधी रखें. अकसर लोग रुकूअ में टांगें कमान की तरह टेढ़ी कर देते हैं. येह मक़रूह है.'

(बहारे शरीअत)

परअता

'मर्दों के लिये सुन्नत है कि रुकूअ में पीठ ख़ूब बिछी हुई रखें. यहां तक कि अगर पानी का प्याला पीठ पर रख दिया जाए, तो ठहर जाए. (फत्हुल क़दीर)

हदीस

'अबू दाउद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने-माजा और दारमी ने हज़रत अबू मसउद रदीव्यल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत की कि हुज़ुरे अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम फरमाते हैं कि; 'उस शख़्स की नमाज़ ना-काफ़ी है (या'ने कामिल नहीं) जो रुकूअ व सुजूद में पीठ सीधी न करे.'

परअता

'मर्दों के लिये सुन्नत है कि रुकूअ में सर न झुकाएँ और न उंचा रखें बल्कि पीठ के बराबर हो.'

(हिदाया, बहारे-शरीअत)

परअता

'औरतों के लिये सुन्नत है कि रुकूअ में थोड़ा जुके या'नी सिर्फ़ इतना कि हाथ घुटने तक पहुंच जायें और पीठ भी सीधी न करें और घुटनों पर ज़ोर (वज़न) न दें

बल्कि महज़ हाथ रख दें और हाथों की ऊंगलियां मिली हुई रखें. और पांऊं भी जुके हुए रखे, मर्दों की तरह टांगें खूब सीधी न करें.' (आलमगीरी)

परअला

'रुकूअ से उठते वक़्त हाथ न बांधना बल्कि लटके हुए छोड़ देना सुन्नत है.' (आलमगीरी, बहारे शरीअत)

परअला

रुकूअ से उठते वक़्त इमाम का 'समिअल्लाहो-ले-मन-हमेदह' कहना और मुक़तदी का 'अल्ला-हुम्मा-रब्बना-व-लकल-हम्द' कहना और मुन्फरिद (अकेला पढ़नेवाला) के लिये दोनों कहना सुन्नत है.' (दुर्रे मुख़्तार)

परअला

'मुन्फरिद 'समिअल्लाहो-ले-मन-हमेदह' कहता हुआ रुकूअ से उठे और सीधा खड़ा होकर 'अल्ला-हुम्मा-रब्बना-व-लकल-हम्द' कह.' (दुर्रे मुख़्तार)

परअला

'समिअल्लाहो-ले-मन-हमेदह' की 'हे' को साकिन पढ़े या'नी 'हमेदहू' न पढ़े बल्कि 'हमेदह' पढ़े और 'दाल' को भी खींच कर न बढ़ाए. इस तरह पढ़ना सुन्नत है.' (आलमगीरी)

परअला

'सिर्फ 'रब्बना-लकल-हम्द' कहने से भी सुन्नत अदा हो जाएगी मगर 'वाव' या'नी 'व' मिलाना बेहतर है या'नी 'रब्बना-व-लकल-हम्द' कहना और शुरू में 'अल्लाहुम्मा' कहना ज़्यादा बेहतर है.' (दुर्रे मुख़्तार)

हदीस

'बुखारी और मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरा रदीय्यल्लाहो तअला अन्हो से

रिवायत की कि हुजूरे अकरम सल्लल्लाहो तअला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 'जब इमाम 'समिअल्लाहो-ले-मन-हमेदह' कह तो 'अल्ला-हुम्मा-रब्बना-व-लकल-हम्द' कहो कि जिस का कौल फरिशतों के कौल के मुवाफिक हुआ उसके अगले गुनाहों की मग़फिरत हो जाएगी.

परअला

'हालते रुकूअ में पुश्ते-क़दम की तरफ नज़र करना मुस्तहब है.' (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ७२)

परअला

'इमाम ने रुकूअ से खड़े होते वक़्त भूल कर 'समिअल्लाहो-ले-मन-हमेदह' की जगह (बदले) 'अल्लाहो-अकबर' कहा, तो नमाज़ हो जाएगी. सजद-ए-सहव की अस्लान हाज़त नहीं.' (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ६४७)

परअला

'सुन्नत येह है कि 'समिअल्लाहो-ले-मन-हमेदह' की 'सीन' को रुकूअ से सर उठाने के साथ कह और 'हमेदह' की 'ह' को सीधा खड़ा होने के साथ ख़त्म करे.' (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ६५)

परअला

'रुकूअ से जब उठे, तो हाथ लटके हुए छोड़ देना सुन्नत है. हाथ बांधना न चाहिये. (आलमगीरी, बहारे-शरीअत)

परअला

'रुकूअ से फारिग़ होकर सजदा में जाने से पहले कम से कम एक मरतबा 'सुब्हानल्लाह' कहने के वक़्त की मिक्दार खड़ा रहेना या'नी 'कौमा' में खड़ा रहेना वाजिब है.' (बहारे-शरीअत)

फरज़

‘अगर किसीने सहवन रूक़अ में “सुब्हाना-रब्बीयल-आ’ला” या सजदा में ‘सुब्हाना-रब्बीयल-अज़ीम’ पढ़ा तो सजद-ए-सहव की ज़रूरत नहीं. नमाज़ हो जाएगी.’ (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ६४७)

नमाज़ का पांचवा फर्ज़ : सजदा

- ◆ या’नी (१) पेशानी (२) नाक (३/४) दोनों हाथों की हथेलियां (५/६) दोनों घुटने और (७/८) दोनों पांव की ऊंगलियां, कुल आठ आज़ा-ए-जिस्म (अवयव) ज़मीन से लगना.
- ◆ पेशानी का ज़मीन पर जमना (लगना) सजदा की हकीकत है.

हदीस

इमाम मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरा रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत की कि हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ‘बन्दे को खुदा से सब से ज़्यादा कुर्ब (नज़दीकी) हालते-सजदा में हासिल होती है.’

‘खुदा-ए-तआला के सिवा किसी को भी सजदा करना जाइज़ नहीं. ग़ैरे खुदा को इबादत का सजदा करना ‘शिक’ है और ता’ज़ीम का सजदा करना हराम है.’

(हवाला : अज़ूबुदतुज़्-ज़कीया-ले-तहरीमे-सुजूदित-तहीया,

लेखक : इमाम अहमद रज़ा मुहदिस बरेलवी)

सजदा के तअल्लुक से ज़रूरी मसाइल :

फरज़

‘पांव की एक उंगली का पेट ज़मीन से लगना शर्त (फर्ज़) है. अगर किसी ने इस तरह सजदा किया कि दोनों पांव ज़मीन से उठे रहे, तो नमाज़ न होगी. बल्कि अगर सिर्फ उंगलियों की नोक (अनी) ज़मीन से लगी, तो भी नमाज़ न हुई.’ (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. १, सफ़हा नं. ५५६)

फरज़

‘सजदा में दोनों पांव की दसों ऊंगलियों के पेट ज़मीन से लगना सुन्नत है और हर पांव की तीन-तीन ऊंगलियां ज़मीन पर लगना वाजिब है.’ (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. १, सफ़हा नं. ५५६)

फरज़

‘सजदा में दसों ऊंगलियों का क़िब्ला-रू होना भी सुन्नत है.’ (बहारे-शरीअत)

फरज़

हर रकअत में दो (२) मरतबा सजदा करना फर्ज़ है.’ (बहारे शरीअत, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ५७)

फरज़

‘एक सजदा के बाद फौरन दूसरा सजदा करना वाजिब है या’नी दोनों सजदों के दरमियान कोई रूक्न फासिल न हो.’

(बहारे शरीअत, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ५९)

फरज़

एक रकअत में दो (२) ही सजदे करना और दो (२) से ज़्यादा सजदे न करना वाजिब है.’ (बहारे-शरीअत)

परअता

‘सजदा में कम से कम एक मरतबा ‘सुब्हानल्लाह’ कहने के वक़्त की मिक्दर तक ठहेरना वाजिब है.’
(बहारे-शरीअत)

परअता

‘सजदा में तीन (३) मरतबा ‘सुब्हाना-रब्बीयल-आ’ला’ कहना सुन्नत है. तीन मरतबा से कम कहने में सुन्नत अदा न होगी और पांच (५) मरतबा कहना मुस्तहब है.’
(फत्हुल कदीर)

परअता

‘दोनों सजदों के दरमियान ‘जलसा’ करना या’नी बैठना वाजिब है.’
(बहारे-शरीअत)

परअता

‘जलसा में कम से कम एक मरतबा ‘सुब्हानल्लाह’ कहने के वक़्त की मिक्दर तक ठहेरना वाजिब है.’
(बहारे-शरीअत)

परअता

‘दोनों सजदों के दरमियान या’ने जलसा में ‘अल्लाहुम्मग़िफरली’ कहना इमाम और मुक़तदी दानों के लिये मुस्तहब है.’
(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६२)

परअता

‘सजदा में जाने के लिये और सजदा से उठने के लिये ‘अल्लाहो-अकबर’ कहना सुन्नत है.’
(बहारे शरीअत)

परअता

‘मर्द के लिये जलसा का सुन्नत तरीका येह है कि बायां (Left) कदम बिछाकर उस पर बैठे और दायां (Right) पांव खड़ा रखे और पांव की ऊंगलियां किब्ला-रु हों और दोनों हथेलियों को रानों पर रखे और ऊंगलियों

को अपनी हालत (Normal Position) पर छोड़ दे या’नी हाथ की ऊंगलियां न खुली रखे और न मिली हुई रखे और घुटनों को हाथ की ऊंगलियों से न पकडे.
(बहारे-शरीअत)

परअता

‘सजदा में दोनों हाथों की ऊंगलियां मिली हुई और किब्ला-रु रखना सुन्नत है.’
(बहारे शरीअत)

परअता

‘औरत के लिये जलसा का सुन्नत तरीका येह है कि दोनों पांव दायीं तरफ निकाल दे और बायें सुरीन (Buttock) के बल ज़मीन पर बैठे.’
(बहारे शरीअत)

परअता

‘सजदा में जाते वक़्त ज़मीन पर पहले घुटने रखना, फिर हाथ, फिर नाक और फिर पेशानी रखना और सजदा से उठते वक़्त इसके बरअक्स (उलटा) करना या’नी पहले पैशानी उठाना, फिर नाक, फिर हाथ और आख़िर में घुटने उठाना सुन्नत तरीका है.’
(आलमगीरी, बहारे-शरीअत)

परअता

‘मर्द के लिये सुन्नत है कि सजदा में बाजू को करवटों से जुदा रखे और पेट रानों से जुदा रखे. इलावा अर्ज़ी सजदा में कलाइयां ज़मीन पर न बिछाए बल्कि हथेलियोंको ज़मीन पर रखकर कोहनियां उपर उठाए रखे.’

(दुरें मुख़्तार, आलमगीरी, बहारे-शरीअत)

परअता

‘औरत के लिये सुन्नत येह है कि वोह सिमट कर सजदा करे या’नी बाजू को करवट से, पेट को रान से, रान को पिंडलियों से और पिंडलियां ज़मीन से मिला दे. कोहनियां और कलाइयां ज़मीन पर बिछा दे.’
(आलमगीरी)

परअला

‘दूसरी रकअत के लिये सजदा से उठते वक़्त पंजों के बल घुटनों पर हाथ रखकर खड़ा होना सुन्नत है लेकिन अगर कोई कमज़ोरी वगैरह कोई उज़्र की वजह से ज़मीन पर हाथ रखकर उठे तो हर्ज़ नहीं.’

(दुर्रै-मुख़्तार, रदुल मोहतार)

परअला

‘सजदा में नज़र (द्रष्टि) नाक की तरफ करना मुस्तहब है.’

(बहारे शरीअत)

परअला

‘अगर सजदा में पैशानी खूब न दबी तो नमाज़ न हुई और नाक हड्डी तक न दबी बल्कि नाक ज़मीन पर सिर्फ़ मस (स्पर्श-Touch) हुई, तो नमाज़ मकरुहे-तहरीमी वाजेबुल ए’अदा (फिर से पढ़ना वाजिब) हुई.’

(बहारे शरीअत)

परअला

‘अगर किसी नर्म चीज़ मस्लन घास, रूई(Cotton), कालीन वगैरह पर सजदा किया, तो अगर पैशानी जम (Set) गई या’नी इतनी दबी कि अब दबाने से विशेष न दबे, तो जाइज़ है, वर्ना नहीं.’

(आलमगीरी)

परअला

‘कमानीदार (स्प्रिंगवाले) गद्दे (Cushion) पर पैशानी खूब नहीं दबती लिहाज़ा उस पर नमाज़ न होगी.’

(बहारे-शरीअत)

परअला

‘जुवार, बाजरा, गेहूं, चावल वगैरह दानों पर जिन पर पैशानी न जमे सजदा न होगा. अलबत्ता बोरी में अगर खूब कस कर भर दिये गए कि उस पर पैशानी अच्छी तरह जम जाए, तो नमाज़ हो जाएगी.’

(आलमगीरी)

परअला

‘गुलूबंद, पगड़ी, टोपी या रुमाल से पैशानी छुपी हुई है, तो सजदा दुरस्त है लेकिन नमाज़ मकरुह होगी.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ४१९)

परअला

‘अगर एसी जगह सजदा किया कि सजदा की जगह क़दम की जगह से बारह (१२) ऊंगल से ज़यादा ऊंची है, तो सजदा न हुआ.’ (दुर्रै मुख़्तार)

परअला

‘सजदा ज़मीन पर बिला हाइल करना मुस्तहब है. या’नी मुसल्ला या कपड़े पर नमाज़ पढ़ने से ज़मीन पर नमाज़ पढ़ना मुस्तहब और अफज़ल है.’

(बहारे शरीअत, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. १, सफ़हा नं. २०३)

परअला

‘अगर किसी उज़्र के सबब से पैशानी ज़मीन से नहीं लगा सकता तो सिर्फ़ नाक पर सजदा करे लेकिन इस हालत (परिस्थिति) में सिर्फ़ नाक की नोक (अनी-अणी) ज़मीन से मस करना काफी नहीं बल्कि नाक की हड्डी का ज़मीन पर लगना ज़रूरी है.’

(रदुल मोहतार, आलमगीरी)

परअला

‘इज़देहाम की वजह से (भीड़ के कारण) दूसरे की पीठ पर सजदा किया और जिस की पीठ पर सजदा किया गया है वोह शख़्स इस सजदा करने वाले की नमाज़ में शरीक है या’नी दोनों एक ही नमाज़ पढ़ते हैं, तो सजदा करना जाइज़ है और जिसकी पीठ पर सजदा किया गया है वोह शख़्स अगर नमाज़ में नहीं, या नमाज़ में तो है लेकिन अलग नमाज़ पढ़ रहा है और सजदा करनेवाले की नमाज़ में शरीक नहीं या’नी दोनों अलग-अलग और अपनी-अपनी नमाज़ पढ़ते हों तो सजदा न हुआ.’

(आलमगीरी, बहारे शरीअत)

परअला

‘किसी ने दो (२) के बदले तीन (३) सजदे किए, अगर सलाम फैरने से पहले याद आ जाए, तो सजद-ए-सह्व करे क्योंकि वाजिब तर्क हुआ, फर्ज अदा हो गया, सजद-ए-सह्व लाज़िम है.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६४६)

परअला

‘अगर सलाम फैरने के बाद याद आया कि तीन (३) सजदे किए हैं, तो नमाज़ का ए’आदा करे.’ (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६४६)

परअला

‘सजदा में जाते वक़्त दाहनी तरफ ज़ोर देना और सजदा से उठते वक़्त बायीं बाजू पर ज़ोर देना मुस्तहब है.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १७३)

नमाज़ का छठा फर्ज : “का’द-ए-आख़िरा”

- ◆ या’नी आख़री का’दा कि जिसके बाद सलाम फैर कर नमाज़ पूरी की जाती है.
- ◆ या’नी नमाज़ की रकअतें पूरी करके का’दाए आख़िरा में इत्नी दैर बैठना फर्ज है कि जितनी दैर में पूरी ‘अत्तहिय्यात’ पढ़ ली जाए. या’नी लफ्जे ‘अत्तहियात’ से लेकर लफ्जे ‘रसूलोहु’ पढ़ लिया जाये.’
(बहाए शरीअत)
- ◆ का’द-ए-आख़िरा में पूरा ‘तशहहुद’(अत्तहिय्यात)पढ़ना वाजिब है.
- ◆ तशहहुद पढ़ते वक़्त उसके मा’ना (अर्थ) का क़स्द (इरादा) ज़रूरी है. या’नी तशहहुद (अत्तहिय्यात) पढ़ते वक़्त यह क़स्द करे कि मैं अल्लाह तआला की हम्द (ता’रीफ) करता हूँ और अल्लाह के महबूबे-आज़म सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज़ करता हूँ और साथ में अपने उपर और अल्लाह के नेक बन्दों (औलिया अल्लाह)

पर सलाम भेजता हूँ और तशहहुद पढ़ते वक़्त मे’राज का वाकेआ (घटना) की हिकायत मद्दे-नज़र न हो.

(दुर्रें मुख़्तार, आलमगीरी)

- ◆ अत्तहिय्यात पढ़ते वक़्त हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम की सूरेते-मुबारका को अपने दिल में हाज़िर जाने और हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम का तसव्वुर (ख़्याल) अपने दिल में जमा कर ‘अस्सलामो-अलैका-अय्योहन-नबीय्यो’ अर्ज़ करे और यकीन करे कि मेरा यह सलाम हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम को पहुंचता है और हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम मेरे सलाम का जवाब अपनी शाने-करम के लायक अता फरमाते है.’
(हवाला : ‘अहयाउल-उलूम’ (अरबी) लेखक : हुज्जतुल इस्लामे-मुहियुस्सुन्नते, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जिल्द नं. १, सफहा नं. १०७)

का’द-ए-आख़िरा के तअल्लुक से ज़रूरी

मसाइल

परअला

‘का’द-ए-आख़िरा में तशहहुद के बाद दरूद शरीफ और दुआ-ए-मासूरा पढ़ना सुन्नत है.’(बहारे शरीअत)

परअला

‘अफज़ल यह है कि दरूद शरीफ में ‘दरूदे इब्राहीम’ पढ़े.’

(दुर्रें मुख़्तार, रहुल मोहतार, बहारे-शरीअत)

परअला

‘दरूद शरीफ के बाद दुआ-ए-मासूरा अरबी में पढ़े. अरबी के इलावा दूसरी किसी ज़बान (भाषा) में पढ़ना मक़रूह है.’ (दुर्रें मुख़्तार)

फ़रआत

‘का’दा में हाथ की ऊंगलियों को अपनी हालत पे छोड़ना या’नी ऊंगलियां न खुली हुई हों और न मिली हुई हों. का’दा में ऊंगलियों से घुटने पकड़ना नहीं चाहिये बल्कि ऊंगलियां रान पर घुटनों के करीब रखना चाहिये.’

(बहारे-शरीअत)

फ़रआत

‘अतहिय्यात पढ़ते वक़्त जब ‘अशहदो-अल-ला-इलाहा-इल्लल्लाहो’ पढ़े तब दाहने (Right) हाथ की छिन्नलिया (छोटी उंगली) और उसके पासवाली उंगली को लफज़े ‘ला’ पर बंध करे और बीच की उंगली का अंगूठे के साथ हलका (Round) बांधकर शहादत की उंगली (पहली उंगल) को उठाए और जब लफज़े ‘इल्ला’ पढ़े तब शहादत की उंगली नीचे कर ले और हाथ की हथेली मिसले-साबिक (पहले की तरह) फ़ौरन सीधी कर ले.’

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ६७)

ज़रूरी नोट :

कुछ लोग लफज़े ‘इल्ला’ पढ़ने के बाद शहादत की उंगली को नीचे कर लेते हैं, मगर मुठ्ठी बंध रखते हैं और हथेली सीधी नहीं करते, येह तरीका गलत है. मुठ्ठी खोलकर ऊंगलियां किब्ला-रु कर देना चाहिये.

◆ अतहिय्यात में मज़कूरा तरीके पर शहादत की उंगली उठाने की अहादीसे करीमा में बहुत फज़ीलत आई है.

हदीस

‘हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; ‘ऊंगली से इशारा करना शैतान पर धारादार हथियार से ज़यादा सख़्त है.’

हदीस

‘हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि हुजूरे अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; ‘वोह शेतान के दिल में ख़ौफ़ डालनेवाला है.’

(ब हवाला : फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ४८)

फ़रआत

‘दरूद शरीफ़ (दरूदे इब्राहीम) में हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम और हज़रत सय्येदुना इब्राहीम अलैहिस्सलातो-वस्सलाम के अस्मा-ए-तैय्येबा (मुबारक नामों) के साथ लफज़ ‘सय्येदेना’ कहना अफज़ल है.’

(दुरें मुख़्तार, रहुल मोहतार)

फ़रआत

फ़र्ज़ नमाज़ में का़द’-ए-आख़िरा के सिवा दरूद शरीफ़ नहीं पढ़ा जाएगा.’

(दुरें मुख़्तार, बहारे शरीअत)

फ़रआत

‘मस्बूक या’नी वोह मुक़तदी जिस की कुछ रकअतें छूट गई हों, वोह का़द’-ए-आख़िरा में सिर्फ़ तशहहुद ही पढ़े और तशहहुद (अतहिय्यात) को ठहेर-ठहेर कर पढ़े ताकि इमाम के सलाम फेरने के वक़्त तशहहुद से फारिग़ हो और अगर सलाम से पहले तशहहुद पढ़ने से फारिग़ हो गया, तो कल्म-ए-शहादत की तकरार करे. या’नी ‘अशहदो’ से ‘रसूलोहू’ का जुमला बार-बार (Repeat) पढ़ता रहे.’

(दुरें मुख़्तार, फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ६९)

फ़रआत

‘किसी भी का’दा में तशहहुद का कोई हिस्सा पढ़ना भूल जाए तो सज्द-ए-सहव वाजिब है.’

(दुरें मुख़्तार, बहारे शरीअत)

परअला

‘मुक्तदी अभी ‘अत्तहिय्यात’ पूरी करने न पाया था कि इमाम तीसरी रकअत के लिये खड़ा हो गया या सलाम फ़ैर दिया, तो मुक्तदी हर हाल में अत्तहिय्यात पूरा करे, अगरचे उसमें किल्ली ही दैर (विलम्ब) हो जाए.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ३१९)

परअला

‘एक शख्स नमाज़ के का’दा’ में ‘अत्तहिय्यात’ पढ़ रहा था, जब वोह कल्म-ए-तशहहुद (शहादत का कलमा) के करीब पहुंचा तब मुअज़िज़न ने अज़ान में ‘शहादतैन’ कहीं, उस नमाज़ीने अत्तहिय्यात पढ़ने के बदले अज़ान का जवाब देने की निय्यत से ‘अशहदो-अल-ला-इलाहा-इल्लल्लाहो-व-अशहदो-अन्ना-मुहम्मदन-अब्दुहू-व-रसूलुहू’ कहा तो उसकी नमाज़ जाती रही.

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४०६)

परअला

‘का’दा में नज़र गोद की तरफ करना मुस्तहब है.’ (बहारे शरीअत)

परअला

‘अगर सजद-ए-सह्व वाजिब हुआ तो का’द-ए-आख़िरा में ‘अत्तहिय्यात’ के बाद एक सलाम फ़ैरने के बाद सजद-ए-सह्व करना चाहिये, दूसरा सलाम फ़ैरना मना है. अगर कसदन दानों सलाम फ़ैर दिये तो अब सजद-ए-सह्व न हो सकेगा और नमाज़ को दोबारा पढ़ना वाजिब है.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६३८)

का’द-ए-उला के ज़रूरी मसाइल :

परअला

‘का’द-ए-उला वाजिब है, अगरचे नफ़ल नमाज़ हो.’ (बहारे शरीअत)

परअला

‘फर्ज़, वित्र और सुन्नते-मुअक्केहा के का’द-ए-उला में अत्तहिय्यात के बाद कुछ भी न पढ़ना वाजिब है. हुक्म येह है कि अत्तहिय्यात पूरी करने के बाद फ़ौरन तीसरी रकअत के लिये खड़ा हो जाए.’ (दुर्रे मुख़्तार)

परअला

‘दूसरी रकअत के पहले का’दा न करना वाजिब है.’ (बहारे शरीअत)

परअला

‘चार रकअत वाली नमाज़ में तीसरी रकअत पर का’दा न करना वाजिब है.’ (बहारे शरीअत)

परअला

‘मुक्तदी का’द-ए-उला में इमाम से पहले अत्तहिय्यात पढ़ चुका तो सुकूत करे (ख़ामोश रहे) दरूद और दुआ कुछ न पढे.’ (दुर्रे मुख़्तार)

परअला

‘नवाफ़िल और सुन्नते-ग़ैर मोअक्केहा में का’द-ए-उला में भी अत्तहिय्यात के बाद दरूद शरीफ़ और दुआ-ए-मासूरा पढ़ना मस्नून है.’

(दुर्रे मुख़्तार, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४६९)

परअला

‘फर्ज़, वित्र और सुन्नते मोअक्केहा के का’द-ए-उला में अत्तहिय्यात के बाद इतना कह लिया कि ‘अल्लाहुम्मा-सल्ले-अला-मुहम्मदिन’ या ‘अल्लाहुम्मा-सल्ले-अला-सय्येदेना’ तो अगर सह्वन (भूलकर) है तो सजद-ए-सह्व करे और अगर अमदन (जान बूझकर) है, तो नमाज़ का ए’आदा करे, या’नी फिर से पढे.’

(दुर्रे मुख़्तार, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६२६)

परअला

‘उपर वाले मस्अले में जो हुक्म बयान किया गया है, वोह इस वजह से नहीं की दरूद शरीफ पढ़ा, बल्कि इस वजह से है कि तीसरी रकअत का कयाम जो फर्ज है, उसमें ताखीर (विलम्ब) हुई और फर्ज में ताखीर होने की वजह से सजद-ए-सह्व लाज़िम होता है, लिहाज़ा अगर किसी ने ‘अत्तहिय्यात’ के बाद कुछ भी नहीं पढ़ा, बल्कि ‘अल्लाहुम्मा-सल्ले-अला-मुहम्मदिन’ पढ़ने के वक्त की मिक्दर तक चुप बैठा रहा, तो भी सजद-ए-सह्व वाजिब है।’

(रदुल मोहतार, दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफहा नं. ५३, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६३६)

परअला

‘का’द-ए-उला में भी पूरा तशहहुद (अत्तहिय्यात) पढ़ना वाजिब है. अगर एक लफज़ (शब्द) भी छूटेगा तो तर्के वाजिब होगा और सजद-ए-सह्व करना होगा.’

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअत)

परअला

‘फर्ज नमाज़ में इमाम काद-ए-उला भूल गया और अल्लाहो-अकबर कहकर खड़ा हो गया. इस सूरत (परिस्थिति) में अगर इमाम पूरा खड़ा हो गया था, इसके बाद मुक्तदी ने बताया (लुक़मा दिया) तो बतानेवाले (लुक़मा देनेवाले) मुक्तदी की नमाज़ तो लुक़मा देने के वक्त ही जाती रही और मुक्तदी के इस तरह का लुक़मा देने से इमाम पूरा खड़ा होने के बाद वापस लौटा तो इमाम की भी नमाज़ गई और तमाम मुक्तदीयों की भी नमाज़ गई. लिहाज़ा नमाज़ को अज़ सरे नौ (फिर से) पढ़ें.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६४५)

परअला

‘का’द-ए-उला के बाद तीसरी रकअत के लिये उठे तो ज़मीन पर हाथ रखकर न उठे, बल्कि घुटनों पर ज़ोर (वजन) देकर उठे और अगर किसी तरह का मरज़ (बिमारी) या उज़ूर (तकलीफ) है तो हर्ज़ नहीं.’

(गुन्या, शरहे-मुन्या, बहारे शरीअत)

परअला

‘इमाम पहला का’दा भूल कर खड़ा होने के लिये उठ रहा है और अभी सीधा खड़ा न हुआ था, तो मुक्तदी के बताने (लुक़मा देने) में कोई हर्ज़ नहीं बल्कि बताना ही चाहिये. हां, अगर पहला का’दा छोड़ कर इमाम पूरा खड़ा हो जाए तो इमाम के पूरा या’नी बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाने के बाद उसे बताना (लुक़मा देना) जाइज़ नहीं, अगर तब मुक्तदी बताएगा तो उस मुक्तदी की नमाज़ जाती रहेगी और इमाम का उस मुक्तदी के बताने पर अमल करके सीधा हो जाने के बाद का’द-ए-उला के लिये लौटना हराम है. तो अब मुक्तदी का बताना महज़ बेजा (व्यर्थ) बल्कि हराम की तरफ बुलाना और बिला ज़रूरत कलाम हुआ और मुफसिदे-नमाज़ है.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १२३)

परअला

‘बः क़द्रे-तशहहुद या’नी अत्तहिय्यात पढ़ने के वक्त की मिक्दर बैठने के बाद याद आया कि नमाज़ का या तिलावत का कोई सजदा करना बाकी रहे गया है और उसने अत्तहिय्यात पढ़ने के बाद सजदा किया, तो फर्ज है कि सजदा के बाद फिर का’दा में बःक़द्रे-तशहहुद पढ़ने को बैठे, क्योंकि पहला का’दा सजदा करने की वजह से जाता रहा. अज़-सरे-नौ (फिरसे) का’दा करना पड़ेगा, अगर का’दा न किया तो नमाज़ न होगी.’

(मुन्यतुल मुसल्ली, बहारे शरीअत, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. ७३)

नमाज़ का सातवां फर्ज

“खुश्ज-बे-सुन्हाहि”

- ◆ ‘या’नी अपने इरादे से नमाज़ से बाहर आना (नमाज़ पूरी करना).’
- ◆ ‘या’नी का ‘द-ए-आखिरा के बाद सलाम व कलाम वगैरह कोई ऐसा काम करना जो नमाज़ में मना हो, लेकिन सलाम के इलावा कोई दूसरा मनाफ़ी-ए-फ़े’ले नमाज़ (वोह काम जो नमाज़ में करना मना है) क़सदन करने से नमाज़ वाजेबुल ए’आदा होगी या’नी नमाज़ को दोबारा पढ़ना वाजिब होगा.’
- ◆ ‘पहली मरतबा लफ़्ज़ ‘अस्सलामो’ कहते ही इमाम नमाज़ से बाहर हो गया अगरचे ‘अलैकुम’ न कहा हो. उस वक़्त अगर कोई जमाअत में शामिल हुआ तो इक़तेदा सहीह न हुई.’ (रहुल मोहतार)
- ◆ ‘फ़क़त ‘अस्सलामो’ कहना तहरीम-ए-नमाज़ से बाहर कर देता है.’
(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफ़हा नं. ३४४)
- ◆ दोनों सलाम में लफ़्ज़ ‘अस्सलामो’ कहना वाजिब है, ‘अलैकुम’ कहना वाजिब नहीं.’ (बहारे शरीअत)

खुश्ज-बे-सुन्हाहि के मुतअल्लिक ज़रूरी

मसाइल :

परअला

‘नमाज़ पूरी करने के लिये ‘अस्सलामो-अलैकुम-व-रहमतुल्लाहे’ कहना सुन्नत है.’ (बहारे शरीअत)

परअला

‘अलैकुमुस्सलाम’ कहना मकरूह है और आख़िर में ‘व-बरकातूहु’ भी न मिलाना चाहिये.’ (बहारे शरीअत)

परअला

‘नमाज़ पूरी करने के लिये दो (२) मरतबा ‘अस्सलामो-अलैकुम-व-रहमतुल्लाह’ कहना सुन्नत है. पहले दायीं (Right) तरफ़ फिर बायीं (Left) तरफ़ सलाम फ़ैरना येह भी सुन्नत है.’ (बहारे शरीअत)

परअला

‘सुन्नत येह है कि इमाम दोनों सलाम बुलन्द आवाज़ से कह, लेकिन दूसरा सलाम पहले सलाम की निस्बत कम आवाज़ से हो.’ (दुर्रे-मुख़्तार)

परअला

‘दाहनी (Right) तरफ़ सलाम फ़ैरने में चेहरा इतना फिराना (घूमाना) चाहिये कि पीछे वालों को दायां रूख़्तार (ग़ाल-Chick) नज़र आए और बायें (Left) तरफ़ के सलाम में बायां रूख़्तार नज़र आए.’

(आलमगीरी)

परअला

‘इमाम के सलाम फ़ैर देने से मुक़तदी नमाज़ से बाहर (Exit) न हुआ जब तक कि मुक़तदी ख़ूद सलाम न फ़ैरे.’ (दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअत)

परअला

‘मुक़तदी को इमाम से पहले सलाम फ़ैरना जाइज़ नहीं.’ (रहुल मोहतार)

परअला

‘जब इमाम सलाम फ़ैर दे तो मुक़तदी भी सलाम फ़ैर दे लेकिन अगर मुक़तदी ने ‘तशहहुद’ (अत्तहिय्यात) पूरा न किया था कि इमाम ने सलाम फ़ैर दिया, तो मुक़तदी इमाम का साथ न दे, बल्कि वाजिब है कि वोह तशहहुद पूरा करके ही सलाम फ़ैरे.’

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअत)

परअला

‘इमाम सलाम फैरने में दायीं तरफ सलाम फैरते वक़्त उन मुक़तदीयों से ख़िताब (संबोधन) की निय्यत करे जो दायीं तरफ हैं और बायीं तरफ सलाम फैरते वक़्त बायीं तरफवाले मुक़तदीयों की निय्यत करे. ख़ास तौर से (विशेष में) दोनों सलामों में ‘किरामन-कातेबीन’ (इन्सान के अमलों को लिखनेवाले फरिश्ते) और उन फरिश्तों की निय्यत करे जिनको अल्लाह तआला ने हिफ़ाज़त के लिये मुक़रर किया है और निय्यत में कोई ता’दाद (संख्या) मुतअय्यन (निश्चित) न करे.’

(दुर्रे मुख़्तार)

परअला

‘मुक़तदी भी हर तरफ के सलाम में उस तरफवाले मुक़तदीयों और फरिश्तों की निय्यत करे, नीज़ जिस तरफ इमाम हो उस तरफ के सलाम में इमाम की भी निय्यत करे और अगर इमाम इसके महाज़ी (सामने) हो तो दोनों सलामों में इमाम की निय्यत करे.’

(दुर्रे मुख़्तार)

परअला

मुन्फ़रिद या’नी अकेला नमाज़ पढ़नेवाला दोनों सलामों में सिर्फ़ फरिश्तों की निय्यत करे.’

(दुर्रे मुख़्तार)

परअला

‘सलाम के बाद सुन्नत येह है कि इमाम दायीं या बायीं तरफ को इन्हेराफ़ करे, लैकिन दायीं तरफ इन्हेराफ़ करना (घूमना) अफ़ज़ल है. और इमाम धूम कर मुक़तदीयों की तरफ मुंह करके बैठ सकता है, जबकि कोई मुक़तदी उसके सामने नमाज़ में न हो, अगरचे पिछली सफ़ में वोह नमाज़ पढ़ता हो.’

(हुल्या, फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ६६)

परअला

‘सलाम फैरने के बाद इमाम का क़िब्ला की तरफ मुंह करके बैठा रहना हर नमाज़ में मकरूह है. शिमाल या जुनूब (उत्तर या दक्षिण) दिशा की तरफ या मुक़तदीयों की तरफ मुंह करे और अगर कोई मस्बूक़ मुक़तदी उसके सामने नमाज़ पढ़ रहा हो, अगरचे आख़िरी सफ़ में हो, तो सलाम के बाद इमाम मशिरक (पूर्व) दिशा या’नी मुक़तदीयों की तरफ मुंह न करे. बहर हाल सलाम के बाद इमाम का फिरना मत्लूब (अपेक्षित) है. अगर न फिरा ऐर क़िब्ला-रु बैठा रहा तो सुन्नत का तर्क किया और कराहत में मुब्तोला (Involved) हुआ.

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ७४)

परअला

‘पहले सलाम में दायें शाना (कंधा-Shoulder) और दूसरे सलाम में बायें शाने की तरफ नज़र करना मुस्तहब है.’

(बहारे शरीअत)

परअला

‘मुन्फ़रिद बग़ैर इन्हेराफ़ उसी जगह बैठ कर दुआ मांगे तो जाइज़ है.’

(आलमगीरी)

परअला

‘जोहर, मग़रिब और इशा के फ़र्ज़ के बाद मुख़्तसर (अल्प) दुआओं पर इक़तिफ़ा करके (संतुष्टि हो कर) सुन्नत नमाज़ पढ़े और ज़यादा तवील (लम्बी) दुआओं में मशगुल न हो.’

(आलमगीरी, फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ८६)

परअला

‘जिन फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सुन्नतें हैं, उनमें फ़र्ज़ नमाज़ के बाद कलाम (बातचीत) न करना चाहिये, अगरचे सुन्नतें हो जाअेंगीं मगर सवाब कम हो जाएगा और सुन्नतें पढ़ने में ताख़ीर (दौर) करना मकरूह है. फ़र्ज़ और सुन्नतों

के दरमियान बड़े-बड़े (लम्बे) विर्द और वज़ाइफ की भी इजाज़त नहीं।’

(गुन्या, रहुल मोहतार)

परअला

‘अफज़ल यह है कि जहां फर्ज़ नमाज़ पढ़ी हो वहीं सुन्नते न पढ़े, बल्कि दायें बायें या आगे पीछे हट कर या घर जाकर पढ़े।’

(अलमगीरी, दुर्रे-मुख़्तार)

परअला

‘अफज़ल यह है कि फज़्र की नमाज़ के बाद वहीं बैठा रहे और तुलूअ आफ़ताब (सूर्योदय) तक ज़िक्नो-अज़कार और तिलावते-कुरआन शरीफ में मशगूल रहे।’

(अलमगीरी)

परअला

‘नमाज़ के बाद दुआ मांगना सुन्नत है. हाथ उठाकर दुआ मांगना और दुआ के बाद मुंह पर हाथ फ़ैरना यह भी सुन्नत से साबित है।’

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ७२/८३)

परअला

‘हाथ उठाकर दुआ मांगते वक़्त दोनो हाथों में कुछ फ़ासला (अंतर) हो, बिल्कुल मिला नहीं देना चाहिये।’

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. १२१)

प्रकरण

(४)

‘नमाज़ के वाजिबात’

- ◆ या’नी जिन का करना नमाज़ की सेहत (सहीह होने) के लिये ज़रूरी है.
- ◆ अगर इन वाजिबों में से कोई एक वाजिब सहवन (भूलकर) छूट जाए तो सजद-ए-सहव करना वाजिब होगा और सजद-ए-सहव करने से नमाज़ दुरूस्त हो जाएगी.
- ◆ अगर किसी एक वाजिब को कस्दन (जान बूझकर) छोड़ दिया, तो सजद-ए-सहव करने से भी नमाज़ सहीह न होगी. नमाज़ का ए’आदा या’नी नमाज़ को दोबारा पढ़ना वाजिब है.
- ◆ नमाज़ में हस्बे-ज़ेल (निम्तलिखित) वाजिब हैं :-

नं.	वाजिब की तफ़सील	हवाला
१.	तकबीरे-तहरीमा में लफ़्ज़ ‘अल्लाहो-अकबर’ कहना	दुर्रे मुख़्तार
२.	सुर-ए-फ़ातेहा पूरी पढ़ना, या’नी पूरी सूरात से एक लफ़्ज़ भी न छूटे	फ़तावा रज़वीया
३.	सूर-ए-फ़ातेहा के साथ सूरात मिलाना, या एक बड़ी आयत या तीन छोटी आयतें मिलाना.	बहारे शरीअत
४.	फर्ज़ नमाज़ की पहली दो रकअतों में अल-हम्दो के साथ सूरात मिलाना.	बहारे शरीअत
५.	नफ़्ल, सुन्नत और वित्र नमाज़ की हर (प्रत्येक) रकअत में अल-हम्दो के साथ सूरात मिलाना	बहारे शरीअत

नं.	वाजिब की तफसील	हवाला
६.	सूर-ए-फातेहा (अल-हम्दो) का सूरत से पहले होना.	बहारे शरीअत
७.	सूरत से पहले सिर्फ एक ही मरतबा अल-हम्दो शरीफ पढ़ना.	बहारे शरीअत
८.	अल-हम्दो शरीफ और सूरत के दरमियान, फस्ल (वक़फ़-Gap) न करे या'नी आमीन और बिस्मिल्लाह के सिवा कुछ भी न पढ़े.	बहारे शरीअत
९.	किरअत के बाद फ़ौरन रूकूअ करना	रहुल मोहतार
१०.	क़ौमा या'नी रूकूअ के बाद सीधा खड़ा होना	बहारे शरीअत
११.	हर एक रकअत में सिर्फ एक ही रूकूअ करना.	दुर्रे मुख़्तार
१२.	एक सजदा के बाद फ़ौरन दूसरा सजदा करना कि दोनों सजदों के दरमियान कोई रूकन फ़ासिल न हो.	बहारे शरीअत
१३.	सजदा में दोनों पांव की तीन तीन ऊंगलियों के पेट ज़मीन से लगाना.	फतावा रज़वीया
१४.	जल्सा या'नी दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना.	बहारे शरीअत

नं.	वाजिब की तफसील	हवाला
१५.	हर रकअत में दो (२) मरतबा सजदा करना. दो से ज़यादा सजदे न करना	फतावा रज़वीया
१६.	ता'दीले-अरकान या'नी रूकूअ, सुजूद, क़ौमा और जल्सा में कम से कम एक मरतबा 'सुब्हानल्लाह' कहने के वक़्त की मिक़दार (मात्रा) ठहेरना.	आम-कुतुब
१७.	दूसरी रकअत से पहले क़ा'दा न करना. या'नी एक रकअत के बाद क़ा'दा न करना और खड़ा होना.	बहारे शरीअत
१८.	क़ा'द-ए-उला अगरचे नफल नमाज़ में हो. या'नी दो रकअत के बाद क़ा'दा करना.	मुन्यतुल मुसल्ली
१९.	क़ा'द-ए-उला और क़ा'द-ए-आख़िरा में पूरा तशहहुद (अत्तहिय्यात) पढ़ना. इस तरह कि एक लफज़ भी न छूटे.	दुर्रे-मुख़्तार
२०.	फ़र्ज़, वित्र और सुन्नते-मुअक्केदा के क़ा'द-ए-उला में तशहहुद के बाद कुछ भी न पढ़ना.	फतावा रज़वीया
२१.	चार (४) रकअत वाली नमाज़ में तीसरी रकअत पर क़ा'दा न करना और चौथी रकअत के लिये खड़ा हो जाना	रहुल मोहतार

नं.	वाजिब की तफसील	हवाला
२२.	हर जहरी नमाज़ में इमाम का जहर (बुलन्द) आवाज़ से क़िरअत करना.	दुर्रे मुख़्तार
२३.	हर सिर्री नमाज़ में इमाम का आहिस्ता क़िरअत करना.	फतावा रज़वीया
२४.	वित्र नमाज़ में दुआ-ए-कुनूत की तकबीर या'नी 'अल्लाहो-अकबर' कहना	आलमगीरी
२५.	वित्र में दुआ-ए-कुनूत पढ़ना.	फतावा रज़वीया
२६.	ईद की नमाज़ में छे (६) ज़ाइद (विशेष-Extra) तकबीरें कहना.	बहारे शरीअत
२७.	ईद की नमाज़ में दूसरी रकअत के रूकूअ में जाने के लिये 'अल्लाहो अकबर' (तकबीर) कहना.	बहारे शरीअत
२८.	आयते-सजदा पढ़ी हो तो सजद-ए-तिलावत करना.	फतावा रज़वीया
२९.	सहव (ग़लती) हुआ तो सजद-ए-सहव करना.	दुर्रे मुख़्तार
३०.	हर फ़र्ज़ और हर वाजिब का उसकी जगह (स्थान) पर होना.	रहुल मोहतार

नं.	वाजिब की तफसील	हवाला
३१.	दो (२) फ़र्ज़ या दो (२) वाजिब अथवा किसी फ़र्ज़ या वाजिब के दरमियान तीन (३) तस्बीह 'सुब्हानल्लाह' कहने के वक़्त की मिक्दार (मात्रा) जितना वक़फ़ा न होना.	आलमगीरी
३२.	जब इमाम क़िरअत पढ़े, चाहे जहर (बुलन्द आवाज़) से पढ़े, चाहे आहिस्ता आवाज़ से पढ़े, तब मुक्तदी का चुप रहेना और कुछ भी न पढ़ना.	फतावा रज़वीया
३३.	क़िरअत के इलावा तमाम वाजिबात या'नी वाजिब कामों में मुक्तदी का इमाम की मुताबेअत (अनुकरण) करना.	
३४.	दोनों सलाम में लफज़ 'अस्सलाम' कहना और 'अलैकुम' कहना वाजिब नहीं.	फतावा रज़वीया

**प्रकरण
(९)**

नमाज़ की सुन्नतें

- ◆ जिस का करना ज़रूरी और आवश्यक है और करनेवाला अज़ो सवाब पाएगा.
- ◆ सुन्नतें अदा किए बगैर नमाज़ कामिल (संपूर्ण) नहीं होगी बल्कि नाक़िस (अधूरी) रहेगी ऐर नमाज़ का सवाब कम हो जाएगा.
- ◆ सुन्नत को क़सदन (जान बूझकर) तर्क करना (छोड़ना) शरीअत की नज़र में बुरा है.
- ◆ सुन्नत को हमेशा तर्क (छोड़ना) करने की आदत डालनेवाला इताब और अज़ाब का हक़दार है.
- ◆ नमाज़ में हस्बे-ज़ेल सुन्नतें है :-

नं.	सुन्नत की तफसील	किस रूकन से त-अल्लुक है.
१.	तकबीरे-तहरीमा के लिये दोनों हाथ उठाना.	तकबीरे तहरीमा
२.	तकबीर से पहले कान तक हाथ उठाना.	तकबीरे तहरीमा
३.	तकबीर के वक़्त सर न झुकाना बल्कि सीधा रखना.	तकबीरे तहरीमा
४.	हथेलियों और ऊंगलियों के पेट क़िब्ला-रू होना.	तकबीरे तहरीमा
५.	हाथों की ऊंगलियां अपने हाल पर छोड़ना या'नी ऊंगलिया न कुशादा (चौड़ी)करना और न मिलाई हुई रखना.	तकबीरे तहरीमा

नं.	सुन्नत की तफसील	किस रूकन से त-अल्लुक है.
६.	औरत के लिए सुन्नत है कि मूंडों (कंधों) तक दोनों हाथ उठाए.	तकबीरे तहरीमा
७.	वित्र नमाज़ में तकबीरे-कुनूत से पहले कान तक दोनों हाथ उठाना.	तकबीरे तहरीमा
८.	ईद की नमाज़ में ज़ा़इद (विशेष-Extra) तकबीरों से पहले कान तक दोनों हाथों को उठाना.	तकबीरे तहरीमा
९.	हर तकबीर में लफ़्ज़े 'अल्लाहो-अकबर' की 'रे' का जज़म पढ़ना. या'नी 'अल्लाहो-अकबरो' न कहना और 'अल्लाहो-अकबर' कहना.	तकबीरे-मुत्लक
१०.	हर तकबीरे-इन्तिक़ाल के वक़्त एक फै'ल (काम) से दूसरे फै'ल को जाने की इब्तिदा (शुरूआत) के साथ ही लफ़्ज़े 'अल्लाह' की 'अलिफ' शुरू करना और फै'ल के ख़त्म होने के साथ ही लफ़्ज़े 'अकबर' की 'रे' को ख़त्म करना.	तकबीरे-इन्तिक़ाल
११.	इमाम का बुलन्द आवाज़ से 'अल्लाहो-अकबर' कहना.	तकबीरात
१२.	इमाम की तकबीरात की आवाज़ मुक़तदीयों तक पहुंचाने के लिये 'मुकब्बिर' (आवाज़ पहुंचाने वाला मुक़तदी) मुक़रर (नियुक्त) करना.	तकबीरात

नं.	सुन्नत की तफसील	किस रूकन से त-अल्लुक है.
१३.	तकबीरे-तहरीमा के बाद हाथ न लटकाना और फौरन बांध लेना. मर्द नाफ पर, और औरत सीना पर बांधे.	क़याम
१४.	क़याम में दोनों पांव के पंजों के दरमियान चार(४)ऊंगुल का फासला(अंतर) रखना.	क़याम
१५.	क़याम में थोड़ी देर तक एक पांव पर जोर (वजन) देना, फिर थोड़ी देर दूसरे पांव पर जोर देना.	क़याम
१६.	सना, तअव्वुज़ और तस्मीया पढ़ना, और सबको आहिस्ता आवाज़ से पढ़ना.	क़िरअत
१७.	पहले सना पढ़ना, बाद में तअव्वुज़ और उसके बाद तस्मीया पढ़ना और हर एक का एक के बाद दूसरे को फौरन पढ़ना और वक़फ़ा न करना.	क़िरअत
१८.	ईदैन (दोनों ईदों) की नमाज़ में तकबीरे-तहरीमा के बाद सना पढ़ना और तकबीराते-वाजेबात या'नी चौथी तकबीर के बाद तअव्वुज़ और तस्मीया पढ़ना.	क़िरअत
१९.	सूर-ए-फातेहा के ख़त्म होने पर आमीन कहना और 'आमीन' को आहिस्ता आवाज़ से कहना.	क़िरअत
२०.	पहली रकअत के बाद हर रकअत के शुरू में तस्मीया पढ़ना.	क़िरअत

नं.	सुन्नत की तफसील	किस रूकन से त-अल्लुक है.
२१.	रूकूअ में जाने के लिये 'अल्लाहो-अकबर' कहना.	रूकूअ
२२.	रूकूअ में कम से कम तीन मरतबा 'सुब्हाना-रब्बीयल-अज़ीम' कहना.	रूकूअ
२३.	मर्द के लिये रूकूअ में घुटनों को हाथ से पकड़ना और हाथ की ऊंगलियां खूब खुली हुई रखना.	रूकूअ
२४.	औरत के लिये रूकूअ में घुटनों पर सिर्फ हाथ रखना और घुटनों को नहीं पकड़ना और हाथ की ऊंगलियां कुशादा न करना बल्कि मिली हुई रखना.	रूकूअ
२५.	मर्द रूकूअ में खूब जुके कि उसकी पीठ सीधी हो जाए.	रूकूअ
२६.	औरत रूकूअ में सिर्फ इतना जुके कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाए.	रूकूअ
२७.	मर्द रूकूअ में सर को न जुकाए और न ही ऊंचा रखे बल्कि पीठ के बराबर (महाज़-समांतर-Paraller) में रखे.	रूकूअ
२८.	औरत रूकूअ में सर को पीठ की महाज़ से ऊंचा रखे.	रूकूअ
२९.	मर्द रूकूअ में अपनी टांगें (पग-Legs) बिल्कुल न झुकाए बल्कि बिल्कुल सीधी रखे.	रूकूअ
३०.	औरत रूकूअ में टांगें झुकी हुई रखे, मर्दों कीतरह सीधी न रखे.	रूकूअ
३१.	इमाम का रूकूअ से खड़ा होने के लिये बुलन्द आवाज़ से	रूकूअ

नं.	सुन्नत की तफसील	किस रूकन से त-अल्लुक है.
	'समिअल्लाहो-ले-मन-हमेदह' कहना.	
३२.	मुक़तदी का रूकूअ़ से खड़ा होने के लिये 'अल्लाहुम्मा-रब्बना-व-लकल-हम्द' कहना. मुक़तदी आहिस्ता आवाज़ से कहे.	रूकूअ़
३३.	मुन्फरिद का रूकूअ़ से खड़ा होने के लिये दोनों कहना.	रूकूअ़
३४.	'समिअल्लाहो-ले-मन-हमेदह' की 'हे' को साकिन पढ़ना और 'दाल' को खींच कर न पढ़ना.	रूकूअ़
३५.	'समिअल्लाहो' की 'सीन' को रूकूअ़ से सर उठाने के साथ शुरू करना ओर 'हमेदह' की 'हे' को सीधा खड़ा होने के साथ ख़त्म करना.	रूकूअ़
३६.	रूकूअ़ से खड़ा होते वक़्त और खड़ा होने के बाद क़ौमा में हाथ न बांधना और हाथ को लटके हुए छोड़ना.	क़ौमा
३७.	सजदा में जाने के लिये और सजदा से उठने के लिये 'अल्लाहो-अकबर' कहना.	सजदा
३८.	रूकूअ़ के बाद क़ौमा से सजदा में जाते वक़्त ज़मीन पर पहले दोनों घुटनों को रखना, फिर दानों हाथ, फिर नाक और फिर पैशानी रखना.	सजदा

नं.	सुन्नत की तफसील	किस रूकन से त-अल्लुक है.
३९.	दोनों सजदों के बाद क़याम में खड़ा होने के लिये उठते वक़्त पहले पैशानी को उठाना फिर नाक उठाना, फिर दोनों हाथ और फिर दोनों घुटने उठाना.	सजदा
४०.	सजदा में कम से कम तीन (३) मरतबा 'सुब्हाना-रब्बीयल-आ'ला' कहना.	सजदा
४१.	सजदा मे दोनों पांव की दसों (१०) ऊंगलियों के पेट ज़मीन से लगना और ऊंगलियों के सर (नोक) क़िब्ला-रू होना.	सजदा
४२.	सजदा में दोनों हाथ की ऊंगलियां मिली हुई और क़िबला-रू होना.	सजदा
४३.	मर्द सजदा में बाजू को करवट से और पेट को रान से जुदा रखे.	सजदा
४४.	औरत सिमट कर सजदा करे या'नी बाजू को करवट से, पेट को रान से, रान को पिन्डलियों से, और पिन्डलियों को ज़मीन से मिला दे.	सजदा
४५.	मर्द सजदा में कलाइयां और कोहनियां ज़मीन पर न बिछाए बल्कि हथेलियां ज़मीन पर रखकर कोहनियों को उपर उठाए रखे.	सजदा
४६.	औरत सजदा में कलाइयां और कोहनियां बिछाए या'नी ज़मीन से लगाए.	सजदा

नं.	सुन्नत की तफसील	किस रूकन से त-अल्लुक है.
४७.	दोनों सजदों के दरमियान जल्सा में मर्द इस तरह बैठे कि बायां (Left) क़दम बिछाकर उस पर बैठे और दायां कदम इस तरह खड़ा रखे कि पांव की ऊंगलियां किबला-रू हों.	जल्सा
४८.	औरत जल्सा में दोनों पांव दायीं तरफ निकाल दे और बायीं सुरीन (नितम्ब -Buttock) के सहारे ज़मीन पर बैठे.	जल्सा
४९.	दोनों सजदों के बाद क़याम के लिये खड़ा होते वक्त पंजो के बल घुंटनो पर दोनों हाथ रखकर खड़ा होना.	ता'दीले-अरकान
५०.	का'दा में मर्द उसी तरह बैठे जैसे दोनों सजदों के दरमियान जल्सा में बैठता है. या'नी बायां पांव बिछा कर उस पर बैठे और दायां पांव खड़ा रखे.	मुल्लक का'दा
५१.	औरत का'दा में जल्सा की हालत में जिस तरह बैठती है उसी तरह बैठे.	मुल्लक का'दा
५२.	का'द-ए-उला के बाद तीसरी रकअत के लिये उठते वक्त ज़मीन पर हाथ रख कर न उठना, बल्कि दोनों हथेलियां घुटनों पर रख कर, घुटनों पर जोर (वज़न) देकर खड़ा होना.	ता'दीले-अरकान
५३.	का'दा में दायां हाथ दायीं रान पर और बायां हाथ बायीं रान पर	मुल्लक का'दा

नं.	सुन्नत की तफसील	किस रूकन से त-अल्लुक है.
	रखना. इस तरह कि ऊंगलियों के सिरे (अंत भाग) घुटनों के करीब हों और तमाम ऊंगलियां किब्ला-रू हो.	
५४.	का'दा में हाथ की ऊंगलियों को अपनी हालत पर छोड़ना. या'नी हाथ की ऊंगलियों को न कुशादा रखना और न मिली हुई रखना बल्कि ऊंगलियों को अपने हाल (सामान्य स्थिति)में रखना.	मुतलक का'दा
५५.	नवाफिल और सुन्नेत-गैर मुअक्केदा के का'दा-ए-उला में 'अत्तहिय्यात' के बाद 'दरूद शरीफ' और 'दुआ- ए-मासूरा' पढ़ना. 'दरूदे इब्राहीम' पढ़ना अफज़ल है.	का'द'ए-उला
५६.	हर नमाज़ के का'द'ए-आखिरा में 'अत्तहिय्यात' के बाद दरूद शरीफ और दुआ-ए-मासूरा पढ़ना	का'द-ए-आखिरा
५७.	दुआ-ए-मासूरा को अरबी ज़बान (भाषा) में पढ़ना.	मु. का'दा
५८.	अत्तहिय्यात में 'अश्हदो-अल-ला इलाहा-इल्लल्लाहो' पढ़ते वक्त लफज़े 'ला' पर दायें (Right) हाथ की छिंगलिया या'नी आखिरी छोटी ऊंगली और उस के पास वाली ऊंगली को बन्द करना और बीच (Centre) की ऊंगली का अंगूठे के साथ हलका (वर्तुल-Round) बांधकर शहादत की पहली ऊंगली उठाना	मु. का'दा

नं.	सुन्नत की तफसील	किस रूकन से त-अल्लुक है.
	और जब लफजे 'इल्ला' पढ़े, तब शहादत की ऊंगली जो उठी हुई थी उसको नीचे कर लेना और हाथ की हथेली मिस्ले-साबिक (पहले की तरह) सीधी कर लेना.	
५९.	नमाज़ पूरी करने के लिये 'अस्सलामो-अलैकुम-व-रहमतुल्लाह' कहना.	खुरूजे-बे-सुन्ही
६०.	सलाम दो (२) मरतबा कहना. पहले दायीं तरफ और फिर बायीं तरफ मुंह करके कहना.	खुरूजे-बे-सुन्ही
६१.	इमाम दोनों सलाम बुलन्द आवाज़ से कहे लैकिन दूसरा सलाम पहले सलाम की बःनिस्बत कम आवाज़ से हो.	खुरूजे-बे-सुन्ही
६२.	सलाम फेरने में चेहरा इतना फिराना (घुमाना) कि दायीं तरफ सलाम फेरने में पीछे वालों को दायां रूख़सार (गाल-Cheek) नज़र आए, और बायीं तरफ सलाम फेरने में पीछे वालों को बायां रूख़सार नज़र आए.	खुरूजे-बे-सुन्ही
६३.	सलाम के बाद इमाम का दायें, बायें या मुक़तदियों की तरफ इन्हेराफ कर के (घूमकर) दुआ मांगना और दायीं तरफ इन्हेराफ करना अफज़ल है.	ख़ारिजे-नमाज़
६४.	सलाम के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगना और दुआ पूरी कर के मुंह पर हाथ फेरना.	ख़ारिजे-नमाज़

**प्रकरण
(६)**

नमाज़ के मुस्तहब्बात

- ◆ जिस का करना बहुत ही अच्छा है और करनेवाला सवाब पाएगा.
- ◆ मुस्तहब्बात (मुस्तहब कामों) को अदा करने से नमाज़ अकमल और मक़बूल होगी.
- ◆ मुस्तहब को तर्क करने (छोड़ने) से किसी तरह (प्रकार) का गुनाह तथा किसी किस्म का कोई अज़ाब और इताब मुत्लक (ज़रा भी) नहीं लैकिन फिर भी हतुल इम्कान (यथा शक्ति) उसको अदा करने की कोशिश करनी चाहिये, ताकि नमाज़ के सवाब में इज़ाफ़ा (वृद्धि) हो.
- ◆ नमाज़ में हस्बे-ज़ैल मुस्तहब्बात हैं :-

नं.	मुस्तहब्बात की तफसील	किस रूकन से त-अल्लुक है.
१.	अरबी ज़बान (भाषा) में निय्यत करना.	निय्यत
२.	मर्द तकबीरे-तहरीमा के वक़्त हाथ कपड़े से बाहर निकाले. औरत हाथ बाहर न निकाले.	तकबीरे-तहरीमा
३.	बिला हाइल ज़मीन पर सजदा करना. या'नी मुसल्ला या किसी कपड़े या चटाई पर नमाज़ पढ़ने के बजाए ज़मीन पर नमाज़ पढ़ना.	आम फज़ीलत
४.	हालते-क़याम में सजदा की जगह की तरफ नज़र रखना.	क़याम
५.	सूर-ए-फ़ातेहा के बाद किसी सूत को शुरू से पढ़ते वक़्त तस्मीया या'नी 'बिस्मिल्लाह' पढ़ना.	किरअत

नं.	मुस्तहब्बात की तफसील	किस रूकन से त-अल्लुक है.
६.	पहली रकअत की किरअत दूसरी रकअत की किरअत से क़द्रे (थोड़ी) ज़्यादा होना.	किरअत
७.	जब मुकब्बिर (तकबीर कहने वाला) 'हय्या-अलल-फलाह' कहे, तब इमाम और मुक़तदियों का खड़ा होना.	क़याम
८.	'क़द-क़ामतिस्सलात' पर इमाम नमाज़ शुरू कर सकता है लेकिन इक़ामत पूरी होने के बाद शुरू करे.	क़याम
९.	मुक़तदी का इमाम के साथ नमाज़ शुरू करना.	क़याम
१०.	जहां तक हो सके (यथा शक्ति) खांसी को दफ़अ करे. (रोके)	आम
११.	जमाही (बगासु) आए तो उसे दफ़अ करना. नोट : जमाही रोकने का मुजर्रब(अनुभव सिद्ध)तकरीक़ा कोष्ठक के नीचे बयान (वर्णन किया गया है. देखने की ज़हमत (कष्ट) करें.	आम
१२.	रूकूअ में तीन मरतबा से ज़्यादा और कम से कम पांच (५) मरतबा 'सुब्हाना-रब्बीयल-अज़ीम' पढ़ना	रूकूअ
१३.	रूकूअ में क़दम की पुशत पर नज़र रखना.	रूकूअ

नं.	मुस्तहब्बात की तफसील	किस रूकन से त-अल्लुक है.
१४.	सजदा में तीन मरतबा से ज़्यादा और कम से कम पांच मरतबा 'सुब्हाना-रब्बीयल-आ'ला' पढ़ना.	सजदा
१५.	सजदा में नाक की तरफ नज़र रखना	सजदा
१६.	दोनों सजदों के दरमियान 'अल्लाहुम्मग़फ़िर ली' कहना. (इमाम और मुक़तदी दोनों कहें.)	जलसा
१७.	जिस क़ा'दा में दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है, उसमें 'दरूदे-इब्राहीम' पढ़ना.	क़ा'दा
१८.	दरूद शरीफ में हुजूरे अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैह वसल्लम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो -वस्सलाम के मुबारक नामों के आगे (पहले) लफ़ज़ 'सय्येदेना' कहना	क़ा'दा
१९.	क़ा'दा की हालत में गोद की तरफ नज़र रखना.	क़ा'दा
२०.	पहले सलाम में दायें शाना (कंधा) की तरफ और दूसरे सलाम में बायें शाना की तरफ नज़र करना.	खुरूज-बे-सुन्पहि
२१.	जिस जगह (स्थान) पर फ़र्ज़ पढ़ी हो उस जगह से दायें बायें या आगे पीछे हट कर सुन्नत पढ़ना.	ख़ारिजे-नमाज़

जमाही रोकने का अकसीर इलाज

अगर हालते-नमाज़ में जमाही (बगासुं-Yawn) आए, तो जमाही को रोकना चाहिये. जमाही रोकने के लिये मुंह को जोर से बन्द कर लेना चाहिये. अगर मुंह बन्द करने से भी जमाही न रुके, तो होंठ (लब-Lip) को दांत के नीचे दबाना चाहिये और अगर इस तरह से भी जमाही न रुके तो अगर हालते-क़याम में है तो दायें हाथ की हथेली की पुशत (Back Side) से मुंह ढांक लेना चाहिये और क़याम के इलावा की हालत में बायें हाथ की हथेली की पुशत से मुंह ढांक लेना चाहिये.

जमाही रोकने का मुजर्रब तरीका यह है कि दिल में यह ख़याल करे कि अम्बिया-ए-किराम और खुसूसन (विशेषत) हुजूरे-अक़दस सलवातुल्लाहे-व-सलामोहु-अलैहे-व-अलैहिम-अजमईन को जमाही नहीं आती थी. यह ख़याल (विचार) करते ही इन्शा-अल्लाह तआला जमाही रूक जाएगी.

(ब: हवाला, बहारी शरीअत, हिस्सा नं. ३)

प्रकरण

(७)

नमाज़े पंज वक़्त

:: इरशादे रब्बे-तआला ::

“حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى”

‘हाफेजू-अलरस्सलवाते-वरस्सलातिल-वुस्ता’

(पारा-२, सू-ए-बकर, आयत नं. २३८)

:: तर्जुमा ::

‘निगेहबानी करो सब नमाज़ों की और बीच की नमाज़ की.’

(कन्जुल ईमान)

:: इरशादे रब्बे-तआला ::

“إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا”

‘इब्नरस्सलाता-कानत-अलल-मो’मिनीना-किताबम-मवकूता’
(पारा-५, सू-ए-अन्निसा, आयत नं. १०३)

:: तर्जुमा ::

‘बेशक नमाज़ मुसलमानों पर वक़्त बांधा हुआ फर्ज़ है.’

(कन्जुल ईमान)

‘अल हदीस’

‘जिसने जान बूज़कर नमाज़ छोड़ी, जहन्नम के दरवाज़े पर उसका नाम लिख दिया जाता है.’ (अबू नईम)

‘अल हदीस’

‘हर चीज़ की एक अलामत (पहचान) होती है और ईमान की अलामत नमाज़ है.’ (मुन्या)

‘अल हदीस’

हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि;

“إِنَّ أَوَّلَ مَا يَحَاسِبُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ صَلَاتِهِ”

(नसाई शरीफ सफ़हा नं. ५५)

‘इब्ना अव्वला-मा योहासिबो-बेहि-योमल-क़ियामते-सलातोहु’

:: तर्जुमा ::

‘क़ियामत के दिन सब से पहले बन्दे का हिसाब नमाज़ से शुरू होगा.’

‘हर हाल में नमाज़ पढ़ो’

‘पाबन्दी से नमाज़ पढ़ो’

:: अल कुरआन ::

“وَقَوْمًا لِلَّهِ قَانِتِينَ”

‘व-कूमू-लिल्लाहे-क़ानेतीना’

:: तर्जुमा ::

‘और अल्लाह के हुज़ूर अदब से खड़े रहो’

:: अल कुरआन ::

“وَاقِيْمُوا الصَّلَاةَ”

‘व अक़ीमुस्सलाता’

:: तर्जुमा ::

‘और नमाज़ क़ाइम करो’

‘अल हदीस’

अल्लाह तआला को बन्दे की येह हालत सबसे ज़्यादा पसन्द है कि उसे सजदा करता है और अपना मुंह ख़ाक पर रगड़ता है.’

(तिबरानी)

‘अल हदीस’


जिसने नमाज़ छोड़ दी, उसका कोई दीन नहीं. नमाज़ दीन (धर्म) का सुतून (स्तम्भ) है.’

(बैहकी)

नमाज़ मोमिन की में राज है.

नमाज़ रूह की गिज़ा है.

नमाज़ तमाम परेशानियों को दूर करने का ज़रीआ (कारण) है.



“नमाज़े फ़ज़्र”

नमाज़-फ़ज़्र की रकअतों की संख्या

- ◆ सुन्नते मोअक्केहा २
- ◆ फ़र्ज २

- ◆ कुल संख्या ४

नमाज़े फ़ज़्र की फ़ज़ीलत

१. हज़रत आएशा सिद्दीका रदीय्यल्लाहो तआला अन्हा से रिवायत है कि हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि :
फ़ज़्र की दो (२) रकअतें दुनिया-व-माफीहा (जो कुछ दुनिया में हैं) उससे बहेतर हैं. (मुस्लिम, तिरमिज़ी)
 २. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि;
'फ़ज़्र की दोनों रकअतों को लाज़िम कर लो कि उसमें बड़ी फ़ज़ीलत है.'
(तिब्रानी)
 ३. हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि;
'फ़ज़्र की सुन्नतें न छोड़ो, अगरचे तुम पर दुश्मन के घोड़े आ पड़ें.'
(अबू दाउद)
-
- ◆ फ़ज़्र की नमाज़ का वक़्त सुब्ह सादिक से तुलूअ आफ़ताब (सूर्योदय) तक है.
 - ◆ सुब्ह सादिक एक रौशनी (प्रकाश) है, जो जहां से आज आफ़ताब तुलूअ होने वाला है उसके उपर आसमान के किनारे में पूरब की जानिब (पूर्व दिशा) में नज़र आती है और आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती जाती है, यहां तक कि तमाम आसमान में फैल जाती है और उजाला हो जाता है.
 - ◆ फ़ज़्र की नमाज़ का वक़्त कम से कम (Minimum) १ घंटा १८ मिनट होता है. ज़यादा से ज़यादा (Maximum) १ घंटा ३५ मिनट होता है.

◆ फज्र की नमाज़ का वक्त साल भर में नीचे निर्देश किए गए नक्शे (Chart) के मुताबिक घटता बढ़ता रहता है :-

नं.	कब	कितना वक्त होता है		फिर क्या होता है?
		घंटा	मिनट	
१.	२१ मार्च	१	१८	फिर वक्त बढ़ता है
२.	२२ जून	१	३५	फिर वक्त घटता है
३.	२२ सितम्बर	१	१८	फिर वक्त बढ़ता है
४.	२२ दिसम्बर	१	२४	फिर वक्त घटता है
५.	२१ मार्च	१	१८	रहे जाता है

ब: हवाला बहारे-शरीअत हिस्सा नं. ३, सफहा नं. १८.

जरूरी नोट : परोक्त नक्शा बरैली और बरैली के आसपास के विस्तारों के लिये बनाया गया है. बहारे शरीअत में फज्र की नमाज़ में उपरोक्त समय उन विस्तारों के लिये हैं, जो बरैली के अर्जे बलद (अक्षांस-Latitude) और तूले बलद(रेखांश-Longitude) पर आए हुए हैं. जो विस्तार इन अक्षांस-रेखांस के इलावा पर आए हुए हैं. उन में थोड़ा सा फर्क आएगा.

नमाज़े-फज्र के तअल्लुक से जरूरी मसाइल

परअला

‘मर्दों के लिये अव्वल वक्त में फज्र की नमाज़ पढ़ने के बजाए (बदले) ताखीर करना मुस्तहब है या’नी इतनी दैर करना कि ‘अस्फ़र’ हो जाए या’नी इतना उजाला फैल जाए कि ज़मीन रौशन (स्पष्ट) हो जाए और आदमी आसानी से एक दूसरे को पहचान सके.’ (रहुल मोहतार)

परअला

‘फज्र की नमाज़ अस्फ़र में पढ़ने की बहुत फज़ीलत है. अहादीसे-करीमा में इस की बहुत फज़ीलतें बयान की गई हैं. चंद हदीसें पैसे ख़िदमत है.

हदीस

‘इमाम तिरमिज़ी ने हज़रत राफ़अ बिन ख़दीज रदीयल्लाहो तआला अन्होसे रिवायत की कि हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैसे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; ‘फज्र की नमाज़ उजाले में पढ़ो कि उस में बहुत अज़ीम सवाब है.’

हदीस

‘दैलमी की रिवायत हज़रत अनस रदीयल्लाहो तआला अन्हो से है कि, ‘इससे तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी.’ और दैलमी की दूसरी रिवायत में हज़रत अनस रदीयल्लाहो अन्हो से है कि; ‘जो फज्र को रोशन करके पढ़ेगा, अल्लाह तआला उसकी क़ब्र और दिल को मुनव्वर करेगा और उसकी नमाज़ कुबूल करेगा.’

हदीस

‘तिबरानी ने मो’ज़मे-औसत में हज़रत अबू हुरैरा रदीयल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत की है कि हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; ‘मेरी उम्मत हमेशा फ़ि़रत या’नी दीने-हक़ पर रहेगी जब तक फज्र को उजाले में पढ़ेगी.’

परअला

मर्दों के लिये नमाज़े फज्र ‘अस्फ़र’ में ऐसे वक्त पढ़ना मुस्तहब है कि चालीस (४०) से साठ (६०) आयतें तरतील(ठहेर-ठहेर कर-Reciting Slowly) से पढ़ सके और सलाम फ़ैरने के बाद इतना वक्त बाकी रहे कि अगर नमाज़ में फ़साद (भंग होना) वाक़ेअ हो, तो तहारत कर के तरतील के साथ चालीस से साठ आयतों तक दोबारा पढ़ सके.’

(दुरै मुख़्तार, फतावा रज़वीया, जिल्द न. २, सफहा नं. ३६५)

फ़रज़ता

‘औरत के लिये हमेशा फ़ज़ की नमाज़ ‘ग़लस’ या’नी अब्वल वक़्त में पढ़ना मुस्तहब है. बाकी सब नमाज़ों में बेहतर है कि मर्दों की जमाअत का इन्तिज़ार करें. जब जमाअत पूरी हो जाए तब पढ़ें.’

(दुर्रे मुख़्तार, फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफ़हा नं. ३६६)

फ़रज़ता

‘नमाज़े-फ़ज़ में इतनी ताख़ीर करना मकरूह है कि आफ़ताब तुलूअ (सूर्योदय) हो जाने का शक हो जाए.’ (आलमगीरी, बहारे-शरीअत)

फ़रज़ता

‘सब सुन्नतों में क़वी तर (महत्वपूर्ण) सुन्नते-फ़ज़ है. यहां तक कि बा’ज़ (चंद) अइम्म-ए-दीन ने इसको वाजिब कहा है. फ़ज़ की सुन्नतों की मशरूइयत का दानिस्ता इन्कार करनेवाले की तकफ़ीर की जाएगी. (काफ़िर कहा जाएगा). लिहाज़ा येह सुन्नतें बिला उज़्र बैठकर नहीं हो सकतीं. इलावा अर्ज़ी येह सुन्नतें सवारी पर या चलती गाड़ी पर नहीं हो सकतीं. इन बातों में सुन्नते-फ़ज़ का हुक़म मिस्ल वाजिब के है. या’नी वाजिब की तरह है.’

(रदुल मोहतार, फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा न. ४४)

फ़रज़ता

‘सुन्नते-फ़ज़ की पहली रकअत में सूर-ए-फ़तेहा के बाद ‘सूर-ए-काफ़ेरून’ (कुल-या-अय्युहल-काफ़ेरून) और दूसरी रकअत में सूर-ए-फ़तेहा के बाद ‘सूर-ए-इख़लास’ (कुल-हो-वल्लाहो-अहद) पढ़ना सुन्नत है.’

(गुन्या, शरहे-मुन्या)

फ़रज़ता

‘फ़र्ज़ नमाज़ की जमाअत कायम (शुरू) हो जाने के बाद किसी भी नफ़्ल और सुन्नत का शुरू करना जाइज़ नहीं, सिवाए फ़ज़ की सुन्नत के. फ़ज़ की सुन्नत में यहां तक हुक़म है कि अगर येह मा’लूम है या’नी यकीन (विश्वास)

है कि सुन्नतें पढ़ने के बाद जमाअत मिल जाएगी, अगरचे क़ा’दा में ही शामिल होगा, तो जमाअत से हटकर मस्जिद के किसी हिस्से में अकैला सुन्नत पढ़ ले. और फिर जमाअत में शामिल हो जाए.’

(बहारे शरीअत, फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ६१४)

फ़रज़ता

‘अगर फ़ज़ की जमाअत कायम हो चुकी है और येह जानता है कि अगर सुन्नत पढ़ता हूं तो जमाअत जाती रहेगी, तो सुन्नत न पढ़े और जमाअत में शरीक हो जाए. क्योंकि सुन्नत के लिये जमाअत तर्क करना नाजाइज़ और गुनाह है.’

(आलमगीरी, फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ३७०/६१३)

फ़रज़ता

‘सुन्नते-फ़ज़ पढ़ने में अगर जमाअत फ़ौत हो जाने का ख़ौफ़ (भय) हो तो नमाज़ के सिर्फ़ वही अरकान अदा करे जो फ़र्ज़ और वाजिब हैं. सुन्नत और मुस्तहब्बात को तर्क कर दे. या’नी सना, तअव्वुज़, तस्मीया को तर्क करदे और रूकूअ और सुजूद में सिर्फ़ एक मतरबा तस्बीह पढ़ने पर इक़तिफ़ा (सन्तुष्ट-Contentment) करे.

(रदुल मोहतार, बहारे-शरीअत)

फ़रज़ता

‘अगर फ़र्ज़ से पहले सुन्नते-फ़ज़ नहीं पढ़ी है और फ़र्ज़ की जमाअत के बाद तुलूअ आफ़ताब तक अगरचे वसीअ (विस्तृत) वक़्त बाकी है और अब पढ़ना चाहता है, तो जाइज़ नहीं.’

(आलमगीरी, फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं.६२०)

फ़रज़ता

‘नमाज़े-फ़ज़ के फ़र्ज़ से पहले सुन्नते-फ़ज़ शुरू करके फ़ासिद कर दी थी, और अब फ़र्ज़ के बाद उसको पढ़ना चाहता है, येह भी जाइज़ नहीं.’

(आलमगीरी)

परअता

‘सुन्नतों को आफताब तुलूअ होने के बाद, आफताब, बुलन्द होने के बाद कज़ा करे. फर्ज़ के बाद, तुलूअ आफताब से पहले पढ़ना जाइज़ नहीं.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४६२/६१६)

नोट :

सुन्नतों की कज़ा तुलूअ आफताब के बीस (२०) मिनट के बाद पढ़े.

परअता

‘अगर फज़ की नमाज़ कज़ा हो गई और अगर उसी दिन निस्फुन्नेहार (मध्याह्न) से पहले कज़ा पढ़ता है, तो फर्ज़ के साथ-साथ सुन्नत भी कज़ा करे. सुन्नते-फज़ के इलावा अन्य किसी सुन्नत की कज़ा नहीं हो सकती.’

(रदुल मोहतार)

परअता

‘अगर फज़ की नमाज़ की कज़ा निस्फुन्नेहार के बाद (दोपहर सूरज ढलने) या उस दिन के बाद करता है, तो अब सुन्नत की कज़ा नहीं हो सकती. सिर्फ फर्ज़ की कज़ा करे.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६२०)

परअता

‘सुन्नते-फज़ पढ़ ली और फर्ज़ पढ़ रहा था कि सूरज तुलूअ होने की वजह से फर्ज़ कज़ा हो गए, तो कज़ा पढ़ने में सुन्नत का एआदा न करे बल्कि सिर्फ फर्ज़ की कज़ा करे.’

(गुन्या शरहे मुन्या, बहारे शरीअत)

परअता

‘तुलूअ फज़ (सुब्हा सादिक) से ले कर तुलूअ आफताब (सूर्योदय) के बाद आफताब (सूरज) बुलन्द होने तक कोई भी नफ़ल नमाज़ जाइज़ नहीं.

(बहारे शरीअत)

परअता

‘तुलूअ फज़ (सुब्हा-सादिक) से तुलूअ आफताब तक कज़ा नमाज़ पढ़ सकता है लेकिन उस वक़्त मस्जिद में कज़ा न पढ़े क्योंकि लोग नफ़ल पढ़नेका गुमान करेंगे और अगर किसी ने टोक दिया तो बताना पड़ेगा कि नफ़ल नहीं बल्कि कज़ा पढ़ रहा हूँ और कज़ा का ज़ाहिर करना मना है लिहाज़ा उस वक़्त घर में कज़ा पढ़े.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६२४)

परअता

फज़ की नमाज़ का पूरा (समग्र) वक़्त अब्वल से आख़िर तक बिला किराहत है. या’नी फज़ की नमाज़ अपने वक़्त के जिस हिस्से में पढ़ी जाएगी हरगिज़ मकरूह नहीं.’

(बहरूर राइक, बहारे-शरीअत, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफहा नं. ३५१)

परअता

‘एक शख़्स को गुस्ल की हाज़त है, अगर वोह गुस्ल (स्नान) करता है तो फज़ की नमाज़ कज़ा हो जाती है, तो वोह शख़्स ‘तयम्मूम’ करके नमाज़ पढ़ ले और गुस्ल करने के बाद नमाज़ का एआदा करे.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ३७१)

परअता

‘तुलूअ आफताब के वक़्त कोई भी नमाज़ जाइज़ नहीं. न फर्ज़, न वाजिब, न सुन्नत, न नफ़ल, न कज़ा बल्कि तुलूअ आफताब के वक़्त सजद-ए-तिलावत और सजद-ए-सहव भी नाजाइज़ है. लेकिन अवामुन्नास (आम जनता के लोग) से कोई शख़्स तुलूअ आफताब के वक़्त फज़ की नमाज़ कज़ा करता हो तो उसे नमाज़ पढ़ने से नहीं रोकना चाहिये बल्कि नमाज़ के बाद उसको मस्अला समझा देना चाहिये कि तुम्हारी नमाज़ न हुई, लिहाज़ा आफताब बुलन्द होने के बाद या’नी तुलूअ आफताब के बीस (२०) मिनट के बाद फिर से नमाज़ पढ़ लें.’

(बहारे शरीअत, दुर्रे-मुख़्तार, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७१४)

परअता

लैकिन अगर तुलूअ आफताब के वक्त ही आयते सज्दा पढ़ी और उसी वक्त सज्द-ए-तिलावत किया तो जाइज़ है.

(आलमगीरी, जिल्द १, सफहा, ४८, बहारे शरीअत)

परअता

तुलूए-फज्र (सुबहे सादिक) से तुलूअ आफताब तक के वक्त में जिक्रे-इलाही के सिवा हर दुन्यवी काम मकरूह है.

(दुर्रे मुख्तार, रहूल मोहतार, फतावा रजवीया, जिल्द नं. १, सफहा नं. १९७)

परअता

‘आफताब तुलूअ होने के वक्त कुरआन शरीफ की तिलावत बेहतर नहीं, लिहाज़ा बेहतर येह है कि तुलूअ आफताब के वक्त (२० मिनट तक) तिलावते-कुरआन के बदले जिक्र और दरूद शरीफ में मशगूल रहे.’ (दुर्रे-मुख्तार)

परअता

‘तुलूअ आफताब के वक्त तिलावते-कुरआन मकरूह है.’

(फतावा रजवीया, जिल्द २, सफहा नं. ३५९)

परअता

‘फज्र की नमाज़ में सलाम फैरने से पहले आफताब (सूर्य) का एक ज़रा सा किनारा तुलूअ हुवा, तो नमाज़ न होगी.’

(फतावा रजवीया, जिल्द २, सफहा नं. ३६०)

परअता

‘सुन्नते फज्र, वाजिब और फर्ज़ नमाज़ चलती ट्रेन में नहीं हो सकतीं अगर ट्रेन न ठहरे और नमाज़ का वक्त निकल जाता हो तो चलती ट्रेन पर पढ़ ले और जब ट्रेन ठहरे (रूके) तो नमाज़ का एअदा कर ले.’

(फतावा रजवीया, जिल्द ३, सफहा नं. ४४)

“ नमाज़े-ज़ोहर ”

नमाज़ ज़ोहर की रकअतों की संख्या

◆ सुन्नते मोअक्केदा	४
◆ फर्ज़	४
◆ सुन्नते मोअक्केदा	२
◆ नफल	२
◆ कुल संख्या	१२

नमाज़े ज़ोहर की फज़ीलत

१. अमीरूल मोमिनीन हज़रत उमर फरूक रदीयल्लाहो तअ़ाला अन्हो से रिवायत है कि हुज़ुरेअक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि, ‘जिस ने ज़ोहर के पहले चार (४) रकअत पढ़ी, गोया उसने तहज्जुद की चार (४) रकअतें पढ़ी.’
(तिबरानी)
२. असह (ज़यादा सच) येह है कि सुन्नते-फज्र के बाद ज़ोहर की पहली चार (४) सुन्नतों का मरतबा है. हदीस में ख़ास इनके बारे में इरशाद है कि हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लमने फरमाया कि, ‘जो इन्हें तर्क करेगा, उसे मेरी शफ़अत नसीब नहीं होगी.’
(दुर्रे मुख्तार)
- ◆ ‘ज़ोहर की नमाज़ का वक्त आफताब (सूर्य) का निस्फुन्नहार या‘नी मध्याह्न (उफ़ी-हक्कीकी) से ढलते ही शुरू होता है.’

(फतावा रजवीया, जिल्द २, सफहा नं. ३५२)

- ◆ जोहर की नमाज़ का वक़्त इमामे-आज़म अबू हनीफ़ रदीयल्लाहो तआला अन्हो के नज़कीद हर चीज़ का साया (पडछाया-Shadow) उसके साय-ए-असली के इलावा दो मिस्ल (दो-गुना, Double) न हो वहां तक रहेता है।

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द २, सफ़हा नं. २१०)

एक ज़रूरी वज़ाहत (स्पष्टता)

‘ज़वाल का वक़्त हरगिज़ मकरूह नहीं बल्कि ज़वाल शुरू होते ही जोहर की नमाज़ का वक़्त शुरू होता है।’

बहुत से लोग ना-वाकेफ़ी की वजह से ‘ज़वाल’ को वक़ते-मकरूहे-तहरीमी समज़ते हैं। अकसर लोगों को ये कहते सुना गया है कि दोपहर को ज़वाल का वक़्त ही वक़ते ममनूअ और मकरूह है, लेकिन हकीकत ये है कि दोपहर को जो मुमानेअत का मकरूह वक़्त है, वोह ज़वाल का नहीं बल्कि ‘निस्फुन्नहार’ का वक़्त है। निस्फुन्नहार के वक़्त कोई नमाज़ जाइज़ नहीं, न फ़र्ज़, न वाजिब, न सुन्नत, न नफल, न अदा, न कज़ा बल्कि उस वक़्त तिलावत का सजदा और सहव का सजदा भी ना-जाइज़ और मना है।

नोट : सज्द-ए-तिलावत के मुतल्लिक हर मकरूह वक़्त में वही हुक़म है जो सफ़हा नं. १५९ पर वर्णन किया गया है।

- ◆ ज़वाल का वक़्त हरगिज़ ममनूअ और मकरूह वक़्त नहीं बल्कि ज़वाल के वक़्त तो मुमानेअत का वक़्त खत्म होता है और जवाज़ का वक़्त शुरू होता है। बल्कि ज़वाल के वक़्त से ही जोहर की नमाज़ का वक़्त शुरू होता है।

एक बुनियादी (आधारभूत) हवाला पेश है :-

‘ज़वाल तो सूरज ढलने को कहते हैं। ये वोह वक़्त है कि मुमानेअत का वक़्त निकल गया और जवाज़ का वक़्त आ गया। तो वक़ते मुमानेअत को ज़वाल कहना सरीह मुसामहत है।’

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द २, सफ़हा नं. २०६)

- ◆ हल्ले लुग़त : ‘मुसामहत’ = काहेली, सुस्ती, चश्म पोशी (हवाला : फ़ीरोजुल लुगात, सफ़हा नं. १२४१)

अब हम ये जानने की कोशिश करें कि निस्फुन्नहार क्या है ? निस्फुन्नहार कब होता है ? ज़वाल क्या है ? ज़वाल कब होता है ?

- ◆ निस्फ = आधा, नीम, अर्ध Half (The Royal Persian English Dictionary, Page No. 469)

- ◆ नहार = दिन, रोज़, दिवस, यौम, सुबह से शाम तक, (Day)

(फ़ीरोजुल्लुगात, सफ़हा नं. १३८८)

- ◆ निस्फुन्नहार = दिन का आधा, Half of Day

(फ़ीरोजुल्लुगात, सफ़हा नं. १३६१)

यहां तक की बहस (चर्चा) से क़ारी (वाचक) मित्रों की समज़ में अच्छी

तरह आ गया होगा कि 'निस्फुन्नहार' या'नी दिन का आधा हिस्सा या'नी दिन का मध्य भाग. लेकिन दिन की भी दो किस्में (प्रकार) हैं. पहले इस को समझें.

◆ 'नहार' या'नी दिन (Day) दो (२) तरह का होता है.

(१) नहारे-शरई और (२) नहारे-उफ़ी हकीकी

◆ (१) नहारे शरई :-

तुलूअ फ़ज्र या'नी सुबहे-सादिक़ से शुरू होता है और गुरुबे-आफ़ताब (सूर्यास्त) के वक़्त ख़त्म होता है.

◆ (२) नहारे-उफ़ी हकीकी :-

तुलूअ आफ़ताब (सूर्योदय) से शुरू होता है और गुरुबे आफ़ताब (सूर्यास्त) के वक़्त ख़त्म होता है.

◆ नहारे-शरई लम्बा (Long) होता है नहारे उफ़ी हकीकी से. क्योंकि नहारे-शरई की शुरूआत जल्दी होती है, जब कि नहारे शरई की इब्तिदा (आरम्भ) सुबहे-सादिक़ से होती है और नहारे-उफ़ी हकीकी की इब्तिदा तुलू-ए-आफ़ताब (सूर्योदय) से होती है, लेकिन दोनों की इन्तिहा (अंत) एक ही वक़्त या'नी गुरुबे-आफ़ताब (सूर्यास्त) के वक़्त होती है. लिहाज़ा तुलू-ए-फ़ज्र या'नी सुबहे-सादिक़ से तुलू-ए-आफ़ताब के दरमियान जितना वक़्त होता है, उस वक़्त की मिक्दार (मात्रा) जितनानहारे-शरई लम्बा (बड़ा) होता है. या यूं कहो कि नहारे-उफ़ी हकीकी से नहारे-शरई फ़ज्र की नमाज़ के वक़्त की मिक्दार जितना बड़ा होता है और नहारे-उफ़ी हकीकी फ़ज्र की नमाज़ के वक़्त की मिक्दार जितना छोटा (Small) होता है.

◆ दोनों नहार (दिन) का जब निस्फ (मध्य) निकाला जाएगा तो नहारे-शरई का निस्फ जल्दी आएगा या'नी निस्फुन्नहार शरई जल्दी (पहले) आएगा और नहारे-उफ़ीका निस्फ या'नी निस्फुन्नहारे-उफ़ी हकीकी बाद में (देर से-Late) आएगा.

नहारे-शरई और नहारे-उफ़ी हकीकी में फ़ज्र की नमाज़ के वक़्त की मिक्दार (मात्रा) जितना फ़र्क होता है, लिहाज़ा निस्फुन्नहार शरई और निस्फुन्नहार उफ़ी हकीकी के दरमियान फ़ज्र की नमाज़ के वक़्त की आधी मिक्दार जितना फ़र्क होता है.

◆ पूरे साल भर (समग्र वर्ष) में फ़ज्र की नमाज़ का वक़्त :-

कम से कम (Minimum) १ घंटा और १८ मिनट होता है

ज़यादा से ज़यादा (Maximum) १ घंटा और ३५ मिनट होता है.

लिहाज़ा पूरे साल में निस्फुन्नहार शरई निस्फुन्नहार उफ़ी के दरमियान कम से कम : ३९ मिनट (Minute) का फ़र्क और फ़ासला होता है और

ज़यादा से ज़यादा ४७ मिनट (Minute) का फ़र्क और फ़ासला (अंतर) होता है.

एक हवाला पेशे-ख़िदमत है.

ज़ह्व-ए-कुब्रा से लेकर निस्फुन्नहार तक नमाज़ मकरूह है. येह वक़्त हमारे बिलाद (शहरों-Cities) में कम से कम ३९ मिनट और ज़यादा से ज़यादा ४७ मिनट होता है.'

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द २, सफ़हा नं. ३४५)

नोट : सफ़हा नं. १५३ में लिखी हुई ज़रूरी नोट देखें.

◆ निस्फुन्नहार शरई को 'ज़ह्व-ए-कुब्रा' भी कहते हैं.

◆ निस्फुन्नहार उफ़ी हकीकी को 'इस्तवा-ए-हकीकी' भी कहते हैं.

◆ निस्फुन्नहार उफ़ी हकीकी या'नी 'इस्तवा-ए-हकीकी' के फ़ौरन बाद 'ज़वाल' शुरू होता है और मकरूह वक़्त ख़त्म (पूर्ण) होता है.

- ◆ निस्फुन्नहार शरई (जह्व-ए-कुब्रा) और निस्फुन्नहार उर्फी हकीकी (इस्तवा-ए-हकीकी) के दरमियान का जो वक्त है वही मकरूह वक्त है और उसकी मिक्दार ३९ से ४७ मिनट है.

'निस्फुन्नहार' मा'लूम करने का तरीका

नहार या'नी दिन का आधा (Centre) या'नी निस्फुन्नहार मा'लूम करने का तरीका यह है कि नहार (दिन) के शुरू (Start) और आखिरी (End) वक्त को शुमार (Count) करके जान लें कि नहार (दिन) कितने घंटे और मिनट का है. फिर उन घंटों और मिनटों के दो हिस्से करें और एक हिस्सा नहार (दिन) के इब्तिदाई (प्रारंभिक) वक्त के घंटों और मिनटों में शामिल (Add) कर दें और जो मीज़ान (Total) आए, वोह निस्फुन्नहार का वक्त हुवा.

◆ मिसाल : (उदाहरण)

फर्ज करो आपके शहर में आज :-

- तुलूअ फज्र (सुबहे सादिक) का वक्त सुबह ५-०० बजे है.
- तुलूअ आफताब (सूर्योदय) का समय : सुबह ६-२० बजे है.
- गुरुब आफताब (सूर्यास्त) का समय : शाम ७-०० बजे है.

मुन्दरजा बाला (उपरोक्त) हिसाब के नतीजा से;

- ◆ आजका नहारे शरई : १४ घंटे पूरे का है, जिसका आधा ७ घंटे होता है.
- ◆ आजका नहारे उर्फी : १२ घंटे और ४० मिनट का है, जिसका आधा (Half) ६ घंटे २० मिनट होता है.
- नतीजा (परिणाम)

आज का निस्फुन्नहार शरई निकालने के लिये आजके नहारे-शरई के इब्तिदाई वक्त के घंटों और मिनटों में आज के नहारे-शरई के कुल वक्त का आधा जोड़ दें.

- ५.०० नहारे शरई शुरू होने का वक्त या'नी तुलूअ-फज्र (सुबहे सादिक) का वक्त
- + ७.०० आज के नहारे-शरई के कुल वक्त १४ घंटे का आधा (निस्फ)
- १२.०० बजे दोपहर को निस्फुन्नहार शरई का वक्त हुआ

आजका निस्फुन्नहार उर्फी हकीकी निकालने के लिये आजके नहारे-उर्फी के शुरू वक्त के घंटों और मिनटों में आज के नहारे उर्फी के कुल वक्त का आधा जोड़ दें.

- ६.२० नहारे-उर्फी शुरू होने का वक्त या'नी तुलूअ आफताब (सूर्योदय) का वक्त
- + ६.२० आजके नहारे-उर्फी के कुल वक्त १२ घंटे और ४० मिनट का निस्फ (आधा)
- १२.४० बजे दोपहर को निस्फुन्नहार शरई का वक्त हुआ.

अल हासिल :-

- ◆ दोपहर को १२.०० बजे निस्फुन्नहार शरई (जह्व-ए-कुब्रा) का वक्त हुवा.
दोपहर को १२-४० बजे निस्फुन्नहार उर्फी (इस्तवा-ए-हकीकी) का वक्त हुवा.
- ◆ या'नी दोनों वक्तों में ४० मिनट का फर्क आया या'नी निस्फुन्नहार शरई (जह्व-ए-कुब्रा) चालीस (४०) मिनट पहले हुवा और निस्फुन्नहार उर्फी (इस्तवा-ए-हकीकी) का वक्त चालीस (४०) मिनट के बाद हुवा.
इन दोनों निस्फुन्नहार शरई और निस्फुन्नहार उर्फी के दरमियान जो 'चालीस' (४०) मिनट का वक्त है वही 'वक्ते-मकरूह' है. चालीस (४०) मिनट पूरे

होते ही 'जवाल' शुरू होगा और जवाल के शुरू होते ही मकरूह वक्त खत्म होकर जोहर की नमाज़ का वक्त शुरू हो जाएगा.

◆ अब हम आज के निस्फुन्नहार शरई और निस्फुन्नहार उर्फी के दरमियान जो चालीस (४०) मिनट का फासला है, उसको फज्र की नमाज़ के वक्त से मुस्तनद (प्रमाणित) करें. आज तुलूअ फज्र (सुब्हे-सादिक) ५-०० बजे था और तुलूअ आफताब (सूर्योदय) का वक्त ६-२० पर था. इस हिसाब से आज की फज्र की नमाज़ का वक्त १ घंटा और २० मिनट था. या'नी कुल ८० मिनट का वक्त था, जिसका निस्फ चालीस (४०) मिनट हुआ और आजके निस्फुन्नहार शरई (जह्व-ए-कुब्रा) और निस्फुन्नहार उर्फी (इस्तवा-ए-हकीकी) के दरमियान भी चाली मिनट का फासला (अंतर) है.

◆ पूरे साल भर में फज्र की नमाज़ का कम से कम वक्त १ घंटा और १८ मिनट और ज़यादा से ज़यादा वक्त १ घंटा और ३५ मिनट होता है, लिहाज़ा निस्फुन्नहार शरई (जह्व-ए-कुब्रा) और निस्फुन्नहार उर्फी (इस्तवा-ए-हकीकी) के दरमियान का मकरूह वक्त साल भर में कम से कम ३९ मिनट और ज़यादा से ज़यादा ४७ मिनट होता है.

◆ निस्फुन्नहार शरई और निस्फुन्नहार उर्फी के वक्त के फर्क को अच्छी तरह समझने के लिये जैल में (नीचे) जो नक्शा (Map) पैश (प्रस्तुत) है, उसका बगौर मुतालेआ और मुआएना (वाचन तथा निरीक्षण) करने से इस मस्अले को समझना आसान होगा.


नोट :

नक्शा अगले सफहे पर मुलाहेज़ा फरमाइये.

नहारे उर्फी

मशरिक् (पूर्व)

नहारे शरई



मुन्दरजा बाला (उपरोक्त) नकशा हमने फतावा रज़वीया शरीफ की मुन्दरजा ज़ैल (निम्नलिखित) इबारतों को मद्दे-नजर (दृष्टि समक्ष) रखकर मुरत्तब (तैयार-Prepare) किया है. अगर किसी कारी (वाचक मित्र) को ख़ास (विशेष) और तफ़्सीली (विस्तृत) जानकारी की ज़रूरत (आवश्यकता) हो, तो फतावा रज़वीया की तरफ रूजूअ (Refer) करें.

१. 'नहारे-शरई' तुलूअ फज्जे-सादिक से गुरुबे-कुल-आफताब तक है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द २, सफ़हा नं. २०७/३५७)

२. 'नहारे-उर्फी तुलूअ किनार-ए-शम्स से गुरुबे कुल-कुर्से-शम्स (सम्पूर्ण सूर्यास्त) तक है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द २, सफ़हा नं. २०७/३५७)

३. 'हमेशा निस्फुन्नहार शरई निस्फुन्नहार उर्फी हकीकी से बःक़द्रे निस्फ़ मिक्दारे (वक्त)-फज़्र के पेशतर (पहले) होता है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द २, सफ़हा नं. २०७)

४. 'असह व अहसन यही है कि ज़ह्व-ए-कुब्रा से निस्फुन्नहार हकीकी तक सारा वक्त वोह है, जिसमें नमाज़ नहीं.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द २, सफ़हा नं. ३५८)

५. 'निस्फुन्नहार शरई वक्ते-इस्तावा-ए-हकीकी से ४० मिनट पेशतर होता है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द २, सफ़हा नं. २०७)

६. 'उर्फी का गोया निस्फ़ हकीकी है. उसी को इस्तावा-ए-हकीकी कहिये. उस वक्त आफताब बीच आसमान में होता है. अहेकामे शरइय्या में उसी का ए'तेबार है. निस्फुन्नहार शरई से उसी वक्त

तक नमाज़ मकरूह है. उसके बाद फिर वक्ते-मुमानेअत नहीं रहेता.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द २, सफ़हा नं. २०८)

७. 'ज़ोहर का वक्त आफताब निस्फुन्नहार (उर्फी हकीकी) से ढलते ही शुरू होता है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द २, सफ़हा नं. ३५२)

यहां तककी वज़ाहत से येह बात साबित हुई कि आमतौर से अ़वाम (जनता) में येह बात राइज़ (प्रचलित) है कि दोपहर के वक्त जब सूरज आसमान के बीच में आता है वही 'ज़वाल' का वक्त और मकरूह वक्त है. येह बिल्कुल गलत है बल्कि हकीकत येह है कि दोपहर के वक्त जब सूरज बीच आसमान में होता है, उस वक्तको 'निस्फुन्नहार शरई' कहते हैं, और येह वक्त मकरूह है. ज़वाल का वक्त हरगिज़ मकरूह वक्त नहीं, बल्कि ज़वाल के वक्त मकरूह वक्त खत्म होता है और ज़ोहर की नमाज़ का वक्त शुरू होता है. लिहाज़ा ज़वाल के वक्त को मकरूह वक्त कहना गलत है.

ज़वाल के लुग़वी मा'ना (शब्दकोष अर्थ - Lexicon) ही उसके मकरूह वक्त न होने पर दलालत (साक्षी) करता है.

◆ **ज़वाल** : तनज़ुल, उरूज जाता रहेना, सूरज का निस्फुन्नहार से नीचे उतरना.

(हवाला, फीरोजुल्लुगात, सफ़हा नं. ७५३)

और ज़ाहिर है कि जब सूरज निस्फुन्नहार के स्थान से नीचे ढलना शुरू होता है, तब मकरूह वक्त ख़त्म (समाप्त) होता है और जवाज़ का वक्त शुरू होता है.

“जोहर की नमाज़ का वक़्त कब तक रहता है ?”

यहां तक के बयान (वर्णन) से यह बात साबित हुई कि निस्फुन्नहार से जब सूरज ढलता है या'नी नीचे उतरना शुरू होता है या'नी जब ज़वाल की इब्तिदा (प्रारंभ) होती है, तब जोहर की नमाज़ का वक़्त शुरू होता है. अब यह मालूम करें कि जोहर की नमाज़ का वक़्त कब तक रहता है ?

◆ एक हवाला पेशे-ख़िदमत है :

‘वक़ते जोहर उस वक़्त तक रहता है कि साया, सिवा साय-ए-अस्ली के, जो उस रोज़ ठीक दोपहर को पड़ा था, दो मिस्ल हो जाए.’
(फ़तावा रज़वीया जिल्द, नं. २, सफ़हा नं. २२६)

अब यह देखें कि : ◆ साय-ए-अस्ली क्या है ?

◆ साया दो मिस्लम होने से क्या मुराद है ?

◆ दोपहर के वक़्त जो मकरूह वक़्त होता है उसको निस्फुन्नहार शरई या ज़ह्व-ए-कुब्रा कहते हैं, जिसकी तफ़सीली बहस (विस्तृत चर्चा) औराके-साबक़ा (अगले पृष्ठों) में की गई है. उस बहस को दिमाग़ में हाज़िर रखकर नीचे दर्ज वज़ाहत को समज़ने की कोशिश (प्रयत्न) करें.

सूरज हमेशा मशरिक् (पूर्व दिशा-East) की سمت से तुलूअ (उदय) होता है और दिन भर की मसाफ़त (सफ़र-अंतर) तय करके मगरिब (पश्चिम-West) दिशा में गुरूब (अस्त) होता है. सूरज की दिन भर की मसाफ़त की तीन मंज़िले हैं.

◆ पहली मंज़ील : मशरिक् (पूर्व दिशा) से तुलूअ होकर आसमान के वस्त (मध्य-Centre) में आने तक की मंज़िल.

- ◆ दुसरी मंज़ील : आसमान के वस्त (मध्य) में इस्तवा (समतल-Equal) होकर ढलना शुरू होने तक या'नी निस्फुन्नहार उफ़ी तक की मंज़िल.
- ◆ तीसरी मंज़ील : आसमान के वस्त में समतल होने की मंज़िल पुरी होने के बाद मगरिब को ढलने की मंज़िल.

मिसाल (दृष्टांत) :

फर्ज़ करो (धार लो) कि आपके शहर में आज

- ◆ तुलूअ फ़ज्र (सुबहे सादिक) का वक़्त सुबह ५-०० बजे है.
- ◆ तुलूअ आफ़ताब (सूर्योदय) का वक़्त सुबह ६-२० को है.
- ◆ गुरूब आफ़ताब (सूर्यास्त) का वक़्त शाम ७-०० बजे है.

इस हिसाब से दोपहर को : १२.०० बजे निस्फुन्नहार शरई होगा.

१२.४० को निस्फुन्नहार उफ़ी होगा

लिहाजा :

- ◆ सुबह ६-२० (सूर्योदय) से दोपहर १२-०० बजे तक पहली मंज़िल है.
- ◆ दोपहर १२-०० (निस्फुन्नहार शरई) से दोपहर १२-४० तक दूसरी मंज़िल है.
- ◆ दोपहर १२.४० (निस्फुन्नहार उफ़ी) से शाम ७-०० (सूर्यास्त) तक तीसरी मंज़िल है.
- ◆ तजरबा (अनुभव सिद्ध-Experience)
- सूरज जब पहली मंज़िल (पूर्व दिशा से मध्य आकाश) में होता है, तब किसी चीज़ पर सूरज की शुआअें (किरनें-Rays) पड़ती हैं, उस चीज़ का साया (परछाई-Shadow) मगरिब (पश्चिम-West) की तरफ पड़ेगा.
- सूरज जब तीसरी (३) मंज़िल (मध्य आकाश से उफुके-मगरिब या'नी पश्चिम दिशा में आसमान का किनारा-Horizon) में होता है, तब जिस

चीज़ पर उसकी किरनें पड़ती हैं, उस चीज़ का साया मशरिक् (पूर्व-East) दिशा की तरफ पड़ेगा।

- लेकिन, सूरज जब वस्ते - आसमान या'नी निस्फुन्नहार (मध्याह्न) की मंज़ील या'नी दूसरी मंज़िल में होता है उस वक़्त उसकी किरनें जिस चीज़ पर पड़ती हैं, और उस वक़्त उस चीज़ का जो साया होता है, उसी को 'साय-ए-असली' कहते हैं. वोह साया या'नी 'साय-ए-असली' कहां पड़ता है ? उसकी सहीह पहचान क्या है ? और 'साय-ए-असली' मा'लूम करने का तरीका (Manner) क्या है ? वोह देखें :-


“साय-ए-असली मा'लूम करने का तरीका”

जब सूरज मशरिक् (पूर्व) से वस्ते - आसमान (मध्य आकाश) की पहली मंज़िल में हो उस वक़्त हमवार (सपाट-Plain) ज़मीन में एक बिल्कुल सीधी लकड़ी (Stick) को सुतून (स्तम्भ, Pillar) की शक़ल (Type) में गाड दें और लकड़ी का साया बग़ौर (ध्यान पूर्वक) देखते रहें. उस वक़्त लकड़ी का साया मग़रिब की سمت (पश्चिम दिशा) में पड़ता होगा. आहिस्ता-आहिस्ता वोह साया घटता (कम होता) जाएगा. जब तक साया घट रहा है, दोपहर या'नी निस्फुन्नहार नहीं हुआ. थोड़ी दैर के बाद वोह साया घटना बन्द हो जाएगा. जब साया घटना बन्द हो जाए, तब निस्फुन्नहार शरई (ज़ह्व-ए-कुब्रा) का वक़्त शुरू होता है. तब उस वक़्त लकड़ी का साया मग़रिब (पश्चिम) दिशा में बिल्कुल न होगा बल्कि लकड़ी की शिमाल (दक्षिण, South) दिशा में और मशरिक् (पूर्व दिशा) की तरफ थोड़ा ढलता (झुका) हुआ होगा और यही साय-ए-असली (Original Shadow) है. ज़ेल में

(निम्न में) निर्देश किया हुआ नकशा ध्यान से देखें.

उपरसे देखने में इस (प्रकार) होगा.

एक जानिब (Side) देखने में इस प्रकार होगा.




अब साय-ए-असली निस्फुन्नहार उफ़ी के पूरा होते ही या'नी ज़वाल के शुरू होते ही मशरिक् (पूर्व दिशा) की तरफ बढ़ना शुरू होगा और बढ़ते बढ़ते येह साया लकड़ी के साय-ए-असली के इलावा दो चन्द (दोगुना-Double) हो जाए, उस वक़्त तक ज़ोहर की नमाज़ का वक़्त रहेता है.

मिसाल (दृष्टांत) :

समज़ लो कि लकड़ी (Stick) की लम्बाइ दो (२) फिट है. निस्फुन्नहार के वक़्त साय-ए-असली का नाप (माप-Measurement) आधा फिट था. उसमें लकड़ी के नाप का डबल या'नी चार फिट (Foot) जोड़ दें. या'नी लकड़ी का साया साढ़े चार (4½) होने तक ज़ोहर की नमाज़ का वक़्त रहेगा और जैसे ही लकड़ी का साया साढ़े चार फिट पर पहुंच जाएगा, ज़ोहर की नमाज़ का वक़्त निकल जाएगा और अस्र की नमाज़ का वक़्त हो जाएगा.

नीचे दिया हुआ नकशा देखने की ज़रूरत (कष्ट) करें.

शिमाल (उत्तर-North)



जुनूब (दक्षिण-South)

मुन्दरजा बाला (उपरोक्त) नक़शा हमने फतावा रज़वीया शरीफ की नीचे दर्ज की हुई इबारतों को मद्दे नज़र रखकर मुरत्तब किया है. अगर किसी को कोई ख़ास और तफ़सीली (विस्तृत) मा'लूमात (जानकारी) की ज़रूरत हो तो वोह फतावा रज़वीया की तरफ रूजूअ करने की ज़रूरत करें.

१. 'जुम्आ और जोहर का एक ही वक़्त है. साया जब तक साय-ए-अस्ली के सिवा दो मिस्ल को पहुंचे, जुम्आ और जोहर दोनों का वक़्त बाक़ी रहता है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफ़हा नं. ३६१)

२. 'हमवार ज़मीन में सीधी लकड़ी उमूदी हालत पर कायम की जाए और वक़तन-फ-वक़तन साया को देखते रहें. जब तक साया घटने में है,

दोपहर नहीं हुई, और जब ठहेर गया निस्फुन्नहार हो गया. उस वक़्त का साया ठीक नुक्त-ए-शिमाल की जानिब होगा. उसे नाप रखा जाए कि यही 'फयउज़-ज़वाल' (साय-ए-अस्ली) है. इससे पहले साया मग़रिब की तरफ़ था. जब साया बढ़ने लगा, दोपहर ढल गया. अब साया मशरिक की तरफ हो जाएगा. जब लकड़ी का साया मशरिक व शिमाल के गोशें में उस 'फयउज़-ज़वाल' की मिक़दार और लकड़ी के दो मिस्ल को पहुंच गया. मस्लन आज ठीक दोपहर को लकड़ी का साया उसके निस्फ मिस्ल था और उस वक़्त ख़ास नुक्त-ए-शिमाल को था. अब वक़तन-फ-वक़तन बढ़ेगा और मशरिक की तरफ जुकेगा. जब लकड़ी का ढाड़ मिस्ल हो जाए अस्र हो गया.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफ़हा नं. ३५३)

जोहर की नमाज़ के मुत-अल्लिक ज़रूरी

मसाइल

मसाला

'जोहर की नमाज़ का पूरा वक़्त अब्बल से आख़िर तक बिला किराहत है. या'नी जोहर की नमाज़ अपने वक़्त के जिस हिस्से में पढ़ी जाएगी अस्लन मकरूह नहीं है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफ़हा नं. ३५१)

मसाला

'हदीस शरीफ और फिक़ह के हुक्म के मुताबिक़ (अनुसार) गरमी के दिनों (Summer Days) में जोहर की नमाज़ ताख़ीर से (दौर से, Late) पढ़ना मुस्तहब और मसनून है. और ताख़ीर से पढ़ने से मुराद येह है कि वक़्त के दो हिस्से किये जायें. निस्फ अब्बल (पहला आधा हिस्सा)

छोड़ कर निस्फे-सानी (दूसरे आधे हिस्से) में पढ़ें।

हदीस

‘बुखारी और नसाइ हज़रत अनस रदीयल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत करते हैं कि; ‘हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम जब गर्मी होती तो नमाज़ (ज़ोहर) ठंडी करते और जब सर्दी होती तो जल्दी फरमाते.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफहा नं. ३६७)

हदीस

‘बुखारी और मुस्लिम हज़रत अबू हुरैरा रदीयल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत करते हैं कि हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; ‘ज़ोहर को ठंडा करके पढ़ो कि सख़्त गर्मी जहन्नम के जोश से है.’

हदीस

‘सहीह बुखारी शरीफ बाबुल-अज़ान में है. हज़रत अबू ज़र गिफारी रदीयल्लाहो तआला अन्हो रिवायत करते हैं कि; ‘हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम के साथ एक सफर में थे. मोअज़िज़न ने इरादा किया, तो फरमाया ‘ठंडा कर’.’ यहां तक कि साया (परछाई) टीलों के बराबर हो गया. उस वक़्त अज़ान की इजाज़त फरमाइ और इरशाद फरमाया कि; ‘गर्मी की शिद्दत (सख़ती) जहन्नम की सांस (श्वास) से है, तो जब गर्मी सख़्त हो, ज़ोहर को ठंडे वक़्त पढ़ो.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफहा नं. २११/३६७ के हवाले से)

मरआता

‘गर्मी के दिनों में (ग्रीष्म ऋतु में) ज़ोहर की नमाज़ ताखीर (दौर) से पढ़ना मुस्तहब है, लेकिन अगर गर्मियों के दिनों में ज़ोहर की नमाज़ की जमाअत अव्वल वक़्त में होती हो, तो मुस्तहब वक़्त के लिये जमाअत तर्क करना जाइज़ नहीं, लिहाज़ा अव्वल वक़्त में जमाअत के साथ पढ़ ले.’

(दुरें मुख़्तार, आलमगीरी)

मरआता

‘अगर किसीने ज़ोहर की जमाअत के पहले की चार (४) रकअत सुन्नते न पढ़ी हों, और जमाअत कायम हो जाए, तो जमाअत में शरीक हो जाए. जमाअत के बाद दो (२) रकअत सुन्नते-बा’दिया पढ़ने के बाद चार सुन्नत पढ़ ले.’ (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६१७)

मरआता

‘अगर चार रकअत सुन्नते-मोअक्बेहा पढ़ रहा है, और जमाअत काइम हो जाए, तो दो (२) रकअत पढ़ कर सलाम फ़ैर दे और जमाअत में शरीक हो जाए और जमाअत के बाद दो रकअत सुन्नते-बा’दिया के बाद चार (४) रकअत अज़ सरे नौ (नये सिरे से) फिर से पढ़ें.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६११)

मरआता

‘ज़ोहर की नमाज़ के फर्ज़ से पहले जो चार (४) रकअत सुन्नते मोअक्बेहा हैं वोह एक सलाम से पढ़ें और काद-ए-उला (पहला का’दा) में सिर्फ ‘अत्तहिय्यात’ पढ़कर तीसरी रकअत के लिये खड़ा हो जाना चाहिये और अगर भूल कर दरूद शरीफ ‘अल्लाहुम्मा-सल्ले-अला-मुहम्मदिन’ या ‘अल्लाहुम्मा-सल्ले-अला-सय्येदेना’ पढ़ लिया, तो सजद-ए-सहव वाजिब हो जाएगा. इलावा अर्जी (विशेष) तीसरी रकअत के लिये खड़ा हो तो ‘सना’ और

‘तअव्वुज़’ भी न पढ़े. ज़ोहर की नमाज़ के फर्ज़ के पहले की इन सुन्नतों की चारों रकअत में ‘सूर-ए-फातेहा’ के बाद कोई सूरत भी ज़रूर पढ़े.’

(दुर्रै मुख्तार, बहारे शरीअत, हिस्सा नं. ४, सफहा नं. १५ और फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६३६)

फर्ज़ात

किसी को ज़ोहर की नमाज़ की जमाअत की सिर्फ एक ही रकअत मिली या’नी वोह शख्स चौथी रकअत में जमाअत में शामिल हुआ. तो इमाम के सलाम फैरने के बाद वोह तीन रकअतें हस्बे-ज़ेल तरतीब (पद्धति-Method) से पढ़ेगा.

‘इमाम के सलाम फैरने के बाद खड़ा हो जाए. अगर पहले ‘सना’ न पढ़ी थी, तो अब पढ़ ले और अगर पहले ‘सना’ पढ़ चुका है, तो अब सिर्फ ‘अउज़ो’ से शुरू करे और पहली रकअत में सूर-ए-फातेहा और सूरत दोनों पढ़ कर रूकूअ और सुजूद करके का’दा में बैठे और का’दा में सिर्फ ‘अत्तहिय्यात’ पढ़ कर खड़ा हो जाए. फिर दूसरी रकअत में भी सूर-ए-फातेहा और सूरत दोनों पढ़ कर रूकूअ और सुजूद करके बगैर का’दा किए हुए तीसरी रकअत के लिये खड़ा हो जाए और तीसरी रकअत में सिर्फ ‘अल-हम्दो’ शरीफ पढ़ कर रूकूअ और सुजूद करके ‘का’द-ए-आखिरा’ करके नमाज़ तमाम (पूर्ण) करे.’

(दुर्रै-मुख्तार, बहारे शरीअत, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. १३६, और फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ३९३/३९६)

नोट : ‘नमाज़े अस्स और इशा में भी इसी तरतीब से पढ़े.’

फर्ज़ात

‘फर्ज़ के पहले जो सुन्नते हैं, उनको पढ़ लेने के बाद फर्ज़ नमाज़ पढ़ने तक किसी किस्म (प्रकार) की गुफतगू (बातचीत) नहीं करनी चाहिये क्योंकि सुन्नते-कबलिया या’नी फर्ज़ के पहले की सुन्नतें पढ़ने के बाद कोई ऐसा काम करना कि जिस से नमाज़ फासिद हो जाती है या’नी कलाम करना, खाना, पीना वगैरह करने से सुन्नतों का सवाब कम हो जाता है और बा’ज़ के नज़दीक सुन्नतें ही जाती रहेती हैं. लिहाज़ा कामिल सवाब पाने के लिये और जिनके नज़दीक सुन्नतें नहीं होती हैं, के इख़्तलाफ (विवाद) से बचने के लिये बेहतर है कि अगर सुन्नत और फर्ज़ के दरमियान किसी किस्म की बातचीत कर ली है, और अभी जमाअत काइम होने में दौर है, कि जमाअत में शामिल होने में ख़लल (अवरोध) न आएगा, तो सुन्नतों का एअ़ादा कर ले, लैकिन फर्ज़ की सुन्नतों का एअ़ादा करना जाइज़ नहीं.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४७२)

‘नमाज़े अस्र’

नमाज़े अस्र की रकअतें संख्या

- ◆ सुन्नते-गैर मोअक्फ़ा ४
- ◆ फर्ज ४

◆ कुल संख्या ८

नमाज़े अस्र की फज़ीलत

१. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदीयल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम फरमाते हैं; ‘अल्लाह तआला उस शख़्स पर रहम फरमाए जिसने अस्र से पहले चार (४) रकअतें पढ़ीं.’ (अबू दाउद, तिरमिज़ी)
२. तिबरानी ने उम्मुल-मो’मिनीन हज़रत उम्मे-सल्मा रदीयल्लाहो तआला अन्हासे रिवायत की कि हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम फरमाते हैं कि, ‘जो अस्र से पहले चार (४) रकअतें पढ़े, अल्लाह तआला उसके बदन को आग पर हराम फरमा देगा.’
- ◆ ‘अस्र की नमाज़ का वक़्त, ज़ोहर का वक़्त ख़त्म होने पर शुरू होता है और आफ़ताब के गुरुब (अस्त) होने तक रहेता है.’ (बहारे शरीअत)

हदीस

‘इमाम इब्ने अबान हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदीयल्लाहो तआला अन्हुमा से रावी कि हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; ‘ज़ोहर का वक़्त अस्र तक है और अस्र का वक़्त मग़रिब तक और मग़रिब का वक़्त इशा तक और इशा का वक़्त फज़ तक है.’

(ब: हवाला, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. २ सफ़हा नं. ३२०)

- ◆ हज़रत सय्येदेना इमाम-आज़म अबू हनीफ़ा रदीयल्लाहो तआला अन्हो के नज़दीक जब तक साया ज़िल्ले-असली (Original Shadow) के इलावा दो मिस्ल (Double) न हो जाए अस्र का वक़्त नहीं होता.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफ़हा नं. २१०)

- ◆ ‘अस्र की नमाज़ का वक़्त’ कम से कम (Minimum) १ घंटा ३५ मिनट रहता है. ज़यादा से ज़यादा (Maximum) २घंटा ६ मिनट रहेता है.
- ◆ ‘अस्र की नमाज़ का वक़्त साल भर में नीचे के नक़शा के मुताबिक़ घटता-बढ़ता है :-

नं.	कब	कितना वक़्त होता है		फिर क्या होता है?
		घंटा	मिनट	
१.	२१ जनवरी	१	३५	फिर वक़्त बढ़ता है.
२.	२० अप्रैल	१	५०	” ”
३.	२२ मई	२	०१	” ”

४.	२३ जून	२	०६	''
५.	२३ जूलाई	२	०१	फिर वक्त घटता है.
६.	२३ अगस्त	१	५०	'' ''
७.	२३ सितम्बर	१	४१	'' ''
८.	२४ अक्टूबर	१	३६	'' ''
९.	१ नवम्बर	१	३५	रह जाता है.

(ब: हवाला : बहारे शरीअत और फ़तावा रज़वीया , जिल्द नं. २, सफ़हा नं. २१६)

नोट : सफ़हा नं. १५३ पर दर्ज "जरूरी नोट" देखें.

परअला

'गुरूब आफ़ताब (सूर्यास्त) होने के बीस (२०) मिनट पहले मकरूह वक्त शुरू हो जाता है. उस वक्त कोई नमाज़ जाइज़ नहीं. न फ़र्ज़, न वाजिब, न सुन्नत, न कज़ा, न नफ़ल बल्कि गुरूब आफ़ताब के वक्त सजद-ए-तिलावत और सजद-ए-सहव भी जाइज़ नहीं.' (बहारे शरीअत, दुर्रे मुख़्तार)

नोट :

'अगर उस दिन की अम्र नमाज़ नहीं पढ़ीं, तो फ़क्त अ़स्र के फ़र्ज़ पढ़ सकता है. इस मस्अले की वज़ाहत (स्पष्टता) आगे आएगी.

अ़स्र की नमाज़ के मुतअल्लिक जरूरी

मसाइल

परअला

'अ़स्र की नमाज़ में ताख़ीर (विलम्ब) मुस्तहब है. मगर इतनी ताख़ीर न करनी चाहिये कि आफ़ताब में ज़र्दी (पीलापन-Yellowness) आ जाए और

आफ़ताब पर बे तकल्लुफ़ निगाहे जम सके.' (अ़लमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

परअला

'आफ़ताब में ज़र्दी उस वक्त आती है जब गुरूब (अस्त होने) में २० मिनट बाकी रहते हैं.' (फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफ़हा नं. २२२)

परअला

'नमाज़े-अ़स्र में अब्र या'नी बादल (Cloud) के दिन जल्दी करनी चाहिये लेकिन इतनी जल्दी न करनी चाहिये कि वक्त से पहले पढ़ ले. अब्र के दिन के इलावा बाकी दिनों में हमेशा ताख़ीर करना मुस्तहब है.'

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफ़हा नं. २१३)

परअला

'अ़स्र की नमाज़ का मुस्तहब वक्त हमेशा उस के वक्त का निस्फ़े-आख़िर है मगर रोज़े-अब्र ता'जील चाहिये या'नी बादल के दिन जल्दी पढ़ना चाहिये.'

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफ़हा नं. ३५२)

परअला

'अ़स्र का मुस्तहब वक्त निस्फ़ आख़िर से मुराद येह है कि अ़स्र की नमाज़ के कुल वक्त में से मकरूह वक्त के बीस (२०) मिनट निकाल कर बाकी वक्त के दो हिस्से करें और हिस्स-ए-अव्वल (प्रथम भाग) को छोड़कर हिस्स-ए-दौम से मुस्तहब वक्त है. हालांकि हिस्स-ए-अव्वल में भी कोई कराहत (नापसन्दीदगी-Aversion) नहीं.'

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफ़हा नं. २१६)

मिसाल (दृष्टांत - Example)

फ़र्ज़ (धार लो - Estimation) करो कि

- ◆ अ़स्र का वक्त : ५ बजकर २० मिनट पर शुरू होता है.
- ◆ गुरूब आफ़ताब (सूर्यास्त): ७ बजकर १० मिनट पर होता है.

◆ गुरुब आफताब ७ - १० बजे है उसमें से मकरूह वक्त

० - २० मिनट निकाल दो

६ - ५० का वक्त वोह है जिसमें अस्लन कोई

कराहत नहीं या'नी ५-२० से ६-५० तक का १ घंटा और ३० मिनट या'नी कुल ९० मिनट वक्त वोह है जिसमें अस्लन कोई कराहत नहीं. अब इस के दो हिस्से करो, तो एक हिस्सा ४५ मिनट का हुआ. नतीजा येह निकला कि;

१. निस्फ अव्वल : ५ - २० को अस्र का वक्त शुरू
+ ० - ४५ मिनट का एक हिस्सा
= ६ - ०५ का वक्त हुआ

या'नी ५-२० से ६-०५ तक निस्फ अव्वल है.

२. निस्फ आखिर :

६-०५ से ६-५० तक निस्फ आखिर है और इस वक्त के दरमियान अस्र की नमाज़ पढ़ना मुस्तहब है.

मरुआता

'गुरुब आफताब के बीस (२०) मिनट पहले का वक्त ऐसा मकरूह वक्त है कि उसमें कोई भी नमाज़ पढ़नी जाइज़ नहीं, लेकिन अगर उस दिन की अस्र की नमाज़ नहीं पढ़ी, तो उस वक्त भी पढ़ ले, अगरचे आफताब गुरुब हो रहा हो, तब भी पढ़ ले लेकिन बिला उज्जे-शरई इतनी ताखीर (विलम्ब) हराम है. हदीस में इसको मुनाफिक़ की नमाज़ फरमाया गया है.'

(आलमगीरी, बहारे शरीअत हिस्सा ३, सफहा

२१)

मरुआता

'जब गुरुब (सूर्यास्त) को बीस (२०) मिनट बाकी रहें, तब कराहत का वक्त आ जाएगा, उस वक्त आज की अस्र के सिवा हर नमाज़ मना हो

जाएगी.'

(फतावा रजवीया, जिल्द नं. २, सफहा नं. २१५)

या'नी सिर्फ अस्र के फर्ज पढ़ सकता है, अस्र की सुन्नत नहीं पढ़ सकता.

मरुआता

'जब आफताब गुरुब के करीब पहुंचे और कराहत का वक्त आए, उस वक्त 'कुरआने-मजीद' की तिलावत मुत्तवी कर दी जाए और अज़क़रे-इलाहिया (अल्लाह का ज़िक़र) किए जायें, उस वक्त तिलावत मकरूह है.'

(फतावा रजवीया, जिल्द नं. २, सफहा नं.

३५९ और अहक़ामे शरीअत, हिस्सा-२, मस्अला-५२, सफहा - ३१)

मरुआता

'अस्र की नमाज़ के बाद नफ़्ल नमाज़ पढ़ना मना है. अगर उस वक्त में नफ़्ल नमाज़ शुरू कर के तोड़ दी थी, उसकी क़ज़ा भी उस वक्त में पढ़ना मना है और अगर उस वक्त उसकी क़ज़ा पढ़ ली तो ना-क़ाफ़ी है. क़ज़ा उस के ज़िम्मे से साक़ित न हुई, या'नी बाकी रही.'

(दुर्रे मुक़्बार, आलमगीरी)

मरुआता

'अस्र की नमाज़ के बाद आफताब गुरुब होने के बीस (२०) मिनट पहले तक क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकता है.'

(बहारे-शरीअत, फतावा रजवीया, जिल्द-२, सफहा -३५९)

मरुआता

'अस्र की सुन्नतें शुरू की थीं और जमाअत काइम हो गई, तो दो (२) रकअत पढ़कर सलाम फ़ैर दे और जमाअत में शरीफ हो जाए. सुन्नतों के एआदा की ज़रूरत नहीं.'

(फतावा रजवीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६११)

मरुआता

'एक शख़्स अस्र की जमाअत की चौथी (४) रकअत में शामिल हुआ. इमाम के

सलाम फ़ैरने के बाद वोह छूटी हुई तीन (३) रकअतें इस तरह पढ़े कि ;

‘इमाम के सलाम फ़ैरने के बाद खड़ा हो जाए और ‘सना’ अगर पहले न पढ़ी थी, तो अब पढ़ ले, वरना ‘अउज़ो’ से शुरू करे और ‘अल-हम्दो’ शरीफ और सूरात पढ़कर रूकूअ और सजदे करके ‘का’दा में बैठे और का’दा में सिर्फ ‘अत्तहिय्यात’ पढ़कर खड़ा हो जाए. फिर दूसरी रकअत में अल-हम्दो शरीफ और सूरात पढ़े और रूकूअ व सुजूद के बाद बगैर का’दा किये खड़ा हो जाए और तीसरी रकअत में सिर्फ ‘अल-हम्दो’ शरीफ पढ़कर रूकूअ और सुजूद कर के का’द-ए-आख़िरा कर के नमाज़ तमाम (पूरी) करे.’

(फत्तावा रजवीया, जिल्द नं. ३, सफ़्हा नं. ३९३)

या’नी :

- ◆ पहली रकअत में ‘अल-हम्दो’ शरीफ और सूरात पढ़े और रकअत पूरी कर के का’दा करे, और का’दा में सिर्फ ‘अत्तहिय्यात’ पढ़कर खड़ा हो जाए.
- ◆ दूसरी रकअत में भी अल-हम्दो शरीफ और सूरात पढ़े और रकअत पूरी कर के का’दा न करे और खड़ा हो जाए.
- ◆ तीसरी रकअत में सिर्फ अल-हम्दो शरीफ पढ़े और का’द-ए-आख़िरा करके नमाज़ पूरी करे.

फ़र्ज़

‘अस्स की नमाज़ के फ़र्ज़ के पहले जो चार (४) रकअत हैं, वोह सुन्नते-गैर-मोअक्केदा हैं. इन चारों (४) रकअतों को एक सलाम से पढ़ना चाहिये और दो (२) रकअत के बाद ‘का’द-ए-उला’ (पहला-का’दा) करना चाहिये और का’द-ए-उला में अत्तहिय्यात के बाद दरूद शरीफ भी पढ़ना चाहिये और तीसरी रकअत के लिये खड़ा हो, तो तीसरी रकअत के शुरू में ‘सना’ (सुब्हानकल्लाहुम्मा) पूरी पढ़े और ‘तअव्वुज़’ (अउज़ोबिल्लाह) भी पूरा पढ़े. क्योंकि सुन्नते-गैरमोअक्केदा मिस्ले-नफल या’नी नफल की तरह है और नफल नमाज़

का हर का’दा मिस्ले-काद-ए-आख़िरा है, लिहाज़ा हर का’दा में अत्तहिय्यात और दरूद शरीफ पढ़ना चाहिये और पहले का’दा के बाद वाली रकअत या’नी तीसरी रकअत के शुरू में ‘सना’ और ‘तअव्वुज़’ भी पढ़ना चाहिये और हर रकअत में सूरा-ए-फातेहा के बाद सूरात भी मिलाना चाहिये.’

(दुर्गे मुख़ार, बहारे शरीअत, हिस्सा नं. ४, सफ़्हा नं. १५ और फत्तावा रजवीया, जिल्द नं. ३, सफ़्हा नं. ४६९)

एक छोटी सी गुज़ारीश !!!

‘मो’मिन की नमाज़’ किताब का चांचन आप ज़रूर पूरा करेंगे. अपेक्षा है कि आपने किताब को ज़रूर पसंद आएगी. आप से नम्र चिन्तनी है कि आप अपने मूल्यवान अभिप्राय और सुन्दरी सुझावों से हमें अवश्य माहितगार और प्रोत्साहित करेंगे.

हमारा संपर्क निम्न लिखित पते पर करने का कष्ट कर के हमें आभारी करेंगे.

hamdani786@hotmail.com

आपकी मुहब्बत का दिली शुक्रिया
अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें.

आपका...

व्यवस्थापक : मरकज़े एहले सुन्नत बरकाते रज़ा

पोरबंदर (गुजरात)

“नमाज़े मग़रिब”

नमाज़े मग़रिब की रकअतें	संख्या
◆ फर्ज	३
◆ सुन्नते-मोअक्केदा	२
◆ नफ़्ल	२
<hr/>	
◆ कुल संख्या	७

नमाज़े-मग़रिब की फज़ीलत

- रज़ीन ने मकहूल से रिवायत की कि हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम फरमाते हैं, “जो शख्स बाद मग़रिब कलाम करने से पहले दो (२) रकअत पढ़े, उस की नमाज़ इल्लीय्यीन में उठाई जाती है।”
- हज़रत हुज़ैफ़ रदीयल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम फरमाते हैं कि; ‘मग़रिब के बाद की दोनों रकअतें जल्दी पढ़ो कि वोह फर्ज़ के साथ पेश होती है।’

(तिब्रानी)

- ◆ ‘मग़रिब की नमाज़ का वक़्त गुरूबे आफ़ताब से गुरूबे-शफ़क़ तक है।’
(बहारे-शरीअत)
- ◆ ‘शफ़क़’ (Twilight-संध्या की लाली के बाद का प्रकाश) हमारे मज़हब में उस सफेदी का नाम है, जो मग़रिब (पश्चिम दिशा) की तरफ़ सुर्खी (लाली) डूबने के बाद जुनूबन-शिमालन (उत्तर-दक्षिण) दिशा

में सुबहे-सादिक (प्रभात के उजाले) की तरह फैली हुई रहती है।’
(हिदाया, शरहे-वकाया, आलमगीरी)

- ◆ ‘मग़रिब का वक़्त सफेदी डूबने तक है या’नी चौड़ी सफेदी कि जुनूबन-शिमालन फैली हुई और सुर्खी ग़ायब होने के बाद दैर तक बाकी रहती है। जब वोह सफेदी न रहे, तब मग़रिब का वक़्त ख़त्म हुआ और इशा का शुरू हुआ।’
(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफ़हा नं. २२६)
- ◆ मग़रिब का वक़्त :
कम से कम १ घंटा १८ मिनट रहता है।
ज़यादा से ज़यादा १ घंटा ३५ मिनट रहता है।
(बहारे शरीअत, फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफ़हा नं. २२६)
- ◆ ‘हर रोज़ नमाज़ फज़्र और नमाज़ मग़रिब के वक़्त की मिक्दार बराबर होती है।’
(बहारे-शरीअत)
या’नी रोज़ जितना फज़्र का वक़्त होता है, उल्ना ही मग़रिब का वक़्त होता है। न ज़यादा और न कम होता है।
- ◆ मग़रिब की नमाज़ का वक़्त साल भर में नीचे दिए नक़शे के मुताबिक घटता और बढ़ता है :-

नं.	कब	कितना वक़्त होता है		फिर क्या होता है?
		घंटा	मिनट	
१.	३१ मार्च	१	१८	फिर वक़्त बढ़ता है
२.	३० जून	१	३५	फिर वक़्त घटता है।
३.	३० सितम्बर	१	१८	फिर वक़्त बढ़ता है।
४.	३१ दिसम्बर	१	२४	रहे जाता है।

(बःहवाला, फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफ़हा नं. २२६)

नोट : सफ़हा नं. १५३ पर लिखी हुई ‘ज़रूरी नोट’ देखें।

मग़रिब की नमाज़ के मुतअल्लिक

ज़रूरी मसाइल

फ़रआत

‘मग़रिब की अज़ान के बाद तीन (३) छोटी आयतें या एक (१) बड़ी आयत पढ़ने के वक़्त की मिक्दार (मात्रा) जितना वक़फ़ा (अंतर-Interval) करके नमाज़ की जमाअत के लिये इक़ामत (तकबीर) दे देनी चाहिये.’

(आलमगीरी)

फ़रआत

‘अज़ाने-मग़रिब में बिला-वजहे-शरई (योग्य कारण) के ताख़ीर (विलम्ब) करना सुन्नत के खिलाफ़ है.’

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफ़हा नं. ३५५)

फ़रआत

‘अगर एक नुक्ता (बिन्दु) भर सूरज का किनारा गुरुब होने (डूबने) को बाकी है और नमाज़े-मग़रिब की तकबीरे-तहरीमा कही, तो नमाज़ न हुई.’

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफ़हा नं. ३६०)

फ़रआत

‘गुरुब आफ़ताब और मग़रिब के फ़र्ज़ के दरमियान नफ़्ल नमाज़ पढ़ना मना है.’

(दुर्रें-मुख़्तार, आलमगीरी)

फ़रआत

‘मग़रिब की नमाज़ में इतनी दैर करना कि छोटे-छोटे सितारे भी चमक आओं, मकरूह है.’

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफ़हा नं. २२६)

फ़रआत

‘बादल के दिन के सिवा मग़रिब की नमाज़ में हमेशा ता’जील (जल्दी करना) मुस्तहब है.’

(दुर्रें मुख़्तार, बहारे-शरीअत)

हदीस

‘अबू दाउद ने हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ीअ रदीयल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत की कि हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं; ‘दिन की नमाज़ (अ़स् की नमाज़) बादल के दिन में जल्दी पढ़ो और मग़रिब में ताख़ीर करो.’

हदीस

‘इमाम अहमद और अबू दाउद ने हज़रत अबू अय्यूब और हज़रत उक़बा बिन आमिर रदीयल्लाहो तआला अन्हुमा से रिवायत की कि हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम फ़रमाते हैं कि; ‘मेरी उम्मत हमेशा फ़ित्तत (दीन-Sagacity) पर रहेगी, जब तक मग़रिब में इतनी ताख़ीर न करें कि सितारे गुथ जाओं.’ (या’नी सितारे आपसे में एक दूसरे से लिपट जाओं).

फ़रआत

‘गुरुब आफ़ताब के बाद मग़रिब की नमाज़ पढ़ने में दो (२) रकअत पढ़ने के वक़्त की मिक्दार (मात्रा) से ज़यादा दैर करना मकरूहे-तहरीमी है और इतनी देर करना कि सितारे गुथ गए, तो मकरूहे-तहरीमी है, लेकिन शरई उज़्र (योग्य कारण), सफ़र (प्रवास) या मरज़ (बीमारी) की वजह से इतनी ताख़ीर (दैर) हो गई, तो हर्ज (नुक़शान) नहीं.’

(दुर्रें मुख़्तार, बहारे शरीअत)

हदीस

‘हज़रत नाफ़ेअ रदीयल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है, वोह रिवायत करते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदीयल्लाहो तआला अन्हो के साथ

सफर में था और वोह बःसुरअत (जल्दी जल्दी) चलते थे. असना-ए-राह (मार्ग में) सूरज डूब गया और उन्होंने ने मगरिब की नमाज़ न पढ़ी, हालांकि मैंने उन की हमेशा की आदत यही पाई थी कि नमाज़ की मुहाफिज़त (रक्षा) फरमाते थे. जब नमाज़ में दैर लगाई, तो मैंने कहा, 'खुदा आप पर रहम फरमाए-नमाज़.' आपने मेरी तरफ देखा और आगे रवाना हुए. जब शफक का आखीर (अंतिम) हिस्सा रहा, (सवारी से) उतर कर नमाज़ पढ़ी. फीर इशा की तकबीर इस हाल में कही कि शफक डूब चुकी थी. उस वक्त इशा पढ़ी, फिर हमारी तरफ मुंह करके फरमाया कि 'रसुलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम को जब सफर में जल्दी होती तो ऐसा ही करते.'

(नसाई शरीफ)

(बः हवाला फतावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफहा नं. २४०)

परअला

'मगरिब के फर्ज़ के बाद दोनों सुन्नतें जल्दी पढ़ लेनी चाहियें और फर्ज़ व सुन्नत के दरमियान कलाम (बातचीत) न करना चाहिये.' (बहारे-शरीअत)

हदीस

'हज़रत हुज़ैफ़ा रदीयल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम फरमाते हैं कि; 'जो शख्स बाद मगरिब कलाम करने से पहले दो (२) रकअतें पढ़े, उसकी नमाज़ इल्लीय्यीन में उठाई जाएगी.'

(तिब्रानी)

परअला

'जिस मुक़तदी को मगरिब की तसरी रकअत मिली हो, वोह जब अपनी फौत शुदा (छुटी हुई) दो (२) रकअतें पढ़े. तब पहली रकअत के बाद का'दा ज़रूर करे, या'नी एक रकअत के बाद का'दा करे और उसमें

सिर्फ अतहिय्यात पढ़ कर खड़ा हो जाए, फिर दूसरी रकअत पढ़े और का'द-ए-आखिरा करे.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ३९२)

फज़ीलत :

'मगरिब की नमाज़ के बाद 'सलातुल-अव्वाबीन' पढ़ने की बहुत फज़ीलत है. हदीस शरीफ में है कि; 'जो मगरिब के बाद छै (६) रकअतें पढ़े उसके गुनाह बख़्श (मुआफ कर) दिये जाते हैं अगरचे समन्दर के ज़ाग (फीण) के बराबर हों.'

(तिबरानी)

:: नोट ::

फराइज़ की अदायगी बहुत ही लाज़मी है. नवाफिल की मकबूलियत का दारोमदार फराइज़ की अदायगी पर है. वर्णनीय हदीस में मगरिब के बाद छे (६) रकअत सलातुल अव्वाबीन पढ़ने की जो फज़ीलत बयान फरमाई गई है, उस का सवाब उन लागों के लिये है जिन पर किसी फर्ज़ या वाजिब नमाज़ की कज़ा पढ़ना बाकी न हो.

“नमाज़े इशा”

नमाज़े इशा की रकअतें संख्या

- ◆ सुन्नते-गैर-मोअक्केदा ४
- ◆ फर्ज ४
- ◆ सुन्नते मोअक्केदा २
- ◆ नफ़्ल २
- ◆ वित्र (वाजिब) ३
- ◆ नफ़्ल २

◆ कुल संख्या १७

नमाज़े इशा की फज़ीलत :

१. इब्ने माजा हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदीयल्लाहो तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम फरमाते हैं कि; ‘जो मस्जिद में बा-जमाअत चालीस (४०) रातें नमाज़े इशा पढ़े कि पहली रकअत फौत होने (छूटने) न पाए, तो अल्लाह तआला उस के लिये दोज़ख (नर्क) से आज़ादी लिख देता है.’

(अल हदीष - इब्ने माजा)

२. ‘सब नमाज़ों में मुनाफिकों पर गिरां (कष्टदायक) नमाज़े फज़्र और इशा है.’

(अलहदीस-तिब्रानी)

३. ‘जो नमाज़े इशा के लिये हाज़िर हुआ, गोया उसने निस्फ शब (आधी रात) क़याम किया.’

(अल-हदीस, बयहकी)

४. वित्र हक़ (सत्य) है, जो वित्र न पढ़े, वोह हम में से नहीं.’

(अलहदीस अबू दाउद)

५. ‘जिसने क़स्दन (जान बूझकर) नमाज़ छोड़ी, जहन्नम के दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाता है.’

(अल हदीस - अबूनईम)

◆ ‘नमाज़े इशा का वक़्त मग़रिब का वक़्त ख़त्म होते ही शुरू हो जाता है और तुलू-ए-फ़ज़्रे-सादिक तक रहेता है.’

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफ़हा नं. २२६)

◆ इशा की नमाज़ में तिहाई (१/३) रात तक ताख़ीर करना मुस्तहब है और आधी रात तक ताख़ीर मुबाह है.’

(दुर्रे मुख़्तार)

◆ ‘नमाज़े-इशा की निस्फ (१/२) शब से ज़यादा ताख़ीर मकरूह है.’

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफ़हा नं. ३५५)

◆ ‘अब्र (बादल) के दिन अस्र और इशा मे ता’ज़ील (जल्दी) करना मुस्तहब है और बाकी नमाज़ों में ताख़ीर (दैर करना) मुस्तहब है.’

(बहारे शरीअत)

◆ ‘अगरचे इशा की फर्ज नमाज़ और वित्र नमाज़ का एक ही वक़्त है, लेकिन दोनों में बाहम (आपस में) तरतीब (दर्जा ब दर्जा होना) फर्ज है. अगर किसी ने इशा के फर्ज से पहले वित्र की नमाज़ पढ़ ली, तो वित्र की नमाज़ होगी ही नहीं. वित्र को फर्ज के बाद ही पढ़ना लाज़मी है.’

(दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

इशा की नमाज़ के मुतअल्लिक

जरूरी मसाइल

परअला

‘अगर किसीने इशा के फर्ज के पहले की चार (४) रकअतें सुन्नते-गैर-मोअक्फ़ा न पढ़ी हों और जमाअत के बाद पढ़ना चाहता है, तो जमाअत के बाद की दो (२) सुन्नते-बा’दिया (सुन्नते-मोअक्फ़ा) के बाद पढ़ सकता है. इसमें कोई मुमानेअत (मनाई) नहीं है.

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ६१७)

परअला

‘फर्ज के पहले की चार (४) सुन्नतें शुरू की थीं और जमाअत काइम हो गई तो दो (२) रकअत पढ़कर सलाम फ़ैर दे और जमाअत में शरीक हो जाए. सुन्नतों के ए’अदा की जरूरत नहीं.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ६११)

परअला

‘नमाज़े-इशा से पहले सोना (नींद करना) और इशा की नमाज़ के बाद दुनिया की बातें करना, दुन्यवी किस्से कहानियां कहना-सुनना मकरूह है. अलबत्ता जरूरी बातें, तिलावते-कुरआन, जि़क्र, दीनी मसाल, सालेहीन के किस्से, वाअज़ और नसीहत और मेहमान से बातचीत करने में हर्ज़ (बाधा) नहीं.’

(दुरें मुख़्तार)

परअला

‘इशा की नमाज़ में आख़िरी दो (२) रकअत नफ़्ल नमाज़ खड़े होकर पढ़ना अफ़ज़ल और दूना सवाब है, और बैठकर पढ़ने में भी

कोई ए’तराज़ नहीं. (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ४६१)

वित्र की नमाज़ के मुतअल्लिक जरूरी मसाइल

हदीस

‘अबू दाउद, तिरमीज़ी, नसाई और इब्ने माजा अमीरूल मो’मेनीन हज़रत अली रदीयल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत करते हैं कि हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम फ़रमाते हैं कि; ‘अल्लाह वित्र (बेजोड़-Singular) है और वित्र को महबूब रखता है, लिहाज़ा ए ईमान वालो ! वित्र पढ़ो.’

परअला

‘नमाज़े-वित्र की तीन (३) रकअतें हैं और उस में काद-ए-उला वाजिब है. का’द-ए-उला में सिर्फ अत्तहिय्यात पढ़कर खड़ा हो जाना चाहिये. अगर का’द-ए-उला में नहीं बैठा और भूल कर खड़ा हो गया, तो लौटने की इजाज़त नहीं, बल्कि सजद-ए-सहव करे’

(दुरें मुख़्तार, रहुल मोहतार, बहारे शरीअत)

परअला

‘वित्र नमाज़ की तीनों रकअतों में किरअत फर्ज है और हर रकअत में सूर-ए-फातेहा के बाद सूरत मिलाना वाजिब है.’

(बहारे-शरीअत, हिस्सा नं. ४, सफ़हा नं. ४)

परअला

‘वित्र की तीसरी रकअत में किरअत के बाद और रूकूअ से पहले कानों तक हाथ उठाकर ‘अल्लाहो-अकबर’ कहकर हाथ बांध लेना चाहिये और दुआ-ए-कुनूत पढ़ कर रूकूअ करना चाहिये.’

(बहारे शरीअत, हिस्सा नं. ४, सफ़हा नं. ४)

परअता

‘वित्र में दुआ-ए-कुनूत पढ़ना वाजिब है. अगर दुआ-ए-कुनूत पढ़ना भूल गया और रूकूअ में चला गया, तो अब रूकूअ से वापस न लौटे बल्कि नमाज़ पूरी करे और सजद-ए-सहव करे.’

(आलमगीरी, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६४५)

परअता

‘दुआ-ए-कुनूत आहिस्ता पढ़नी चाहिये. इमाम हो या मुक़तदी या मुन्फरिद हो, अदा पढ़ता हो या कज़ा पढ़ता हो, रमज़ान शरीफ में पढ़ता हो या और दिनों में पढ़ता हो, हर सूरात (संजोग) में दुआ-ए-कुनूत आहिस्ता पढ़े.’

(रहुल मोहतार)

परअता

‘जिसको दुआ-ए-कुनूत याद न हो वोह एक (१) मरतबा ‘रब्बना-आतेना-फिद्-दुनिया-हसनतंव-व-फिल-आखिरते-हसनतंव-व-किना-अज़ाबन्नारे’ पढ़ ले, या तीन (३) मरतबा ‘अल्ला-हुम्मग-फिर-लना’ कहे.’

(आलमगीरी, बहारे-शरीअत)

परअता

‘वित्र की कुनूत में मुक़तदी इमाम की मुताबेअत (अनुकरण) करे, अगर मुक़तदी दुआ-ए-कुनूत से फारिग न हुआ था कि इमाम रूकूअ में चला गया, तो मुक़तदी इमाम के साथ देते हुए रूकूअ करे.’

(आलमगीरी, रहुल मोहतार)

परअता

‘जिस मस्बूक (जमाअत में बाद में शामिल होने वाला मुक़तदी) को वित्र की जमाअत की तीसरी रकअत का रूकूअ मिला हो, वोह इमाम के सलाम फैरने के बाद जब दो (२) रकअत पढ़ेगा उसमें

कुनूत नहीं पढ़ेगा.’

(आलमगीरी, बहारे-शरीअत)

परअता

‘जिस मस्बूक मुक़तदी की वित्र की जमाअत की तीनों (३) रकअतें छूट गई हो, और वोह का ‘द-ए-आखिरा में जमाअत में शामिल हुआ हो, वोह इमाम के सलाम फैरने के बाद जब तीन (३) रकअतें पढ़ेगा, उसमें कुनूत पढ़ेगा.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४८८)

परअता

‘इशा की नमाज़ कज़ा हो गई तो वित्र की कज़ा पढ़नी वाजिब है, अगरचे कितना ही ज़माना गुज़र गया हो. क़स्दन कज़ा की हो या भूले से कज़ा हो गई हो, जब इशा की कज़ा पढ़े तब वित्र की भी कज़ा पढ़े और वित्रमें दुआ-ए-कुनूत भी पढ़े. अलबत्ता कज़ा पढ़ने में तकबीरे-कुनूत के लिये हाथ न उठाए, जब कि लोगों के सामने पढ़ता हो, ताकि लोगों को पता न चले कि येह कज़ा पढ़ता है क्योंकि नमाज़ कज़ा करना गुनाह है और गुनाह का इज़हार करना (ज़ाहिर करना) भी गुनाह है, लिहाज़ा कज़ा पढ़ते वक़्त किसी पर ज़ाहिर न होने दे कि कज़ा पढ़ता है और अगर घर में या तन्हाई में वित्र की कज़ा पढ़ता हो तो तकबीरे-कुनूत के लिये हाथ उठाए.’

(रहुल मोहतार, आलमगीरी, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६२४)

परअता

‘रमज़ान में इशा की फर्ज़ की जमाअत में जो शामिल नहीं हुआ वोह वित्रकी जमाअत में शामिल नहीं हो सकता. जिस ने फर्ज़ तन्हा पढ़े हों वोह वित्र भी तन्हा (अकैला) पढ़े.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४८१)

परअता

‘फज़ में अगर हनफीयुल-मज़हब मुक़तदी ने शाफ़ई इमाम की इक़तदा की और शाफ़ई इमाम ने अपने मज़हब के मुवाफ़िक (अनुकूल) दुआ-ए-कुनूत पढ़ी, तो हनफी मुक़तदी दुआ-ए-कुनूत न पढ़े, बल्कि हाथ लटकाए हुए, उल्नी दैर चुप खड़ा रहे.’
(दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअत)

परअता

‘जो शख़्स जागने पर ए’तमाद (विश्वास-यक़ीन) रखता हो, उस के लिये आख़िरे-शब (अंतिम रात्रि) में वित्र पढ़ना मुस्तहब है, वर्ना सोने से पहले पढ़ ले. फिर अगर पिछले पहर आंख खुली तो ‘तहज्जुद’ पढ़े लेकिन वित्र का ए’आदा (दोबारा पढ़ना) जाइज़ नहीं.’
(दुर्रे मुख़्तार, रदुल मोहतार)

परअता

‘वित्र के बाद दो (२) रकअत नफल पढ़ना अफज़ल है उसकी पहली रकअत में ‘इज़ा-जुलजिलतिल-अदों’ (सूर-ए-ज़िलज़ाल) और दूसरी रकअत में ‘कुल-या-अय्युहलकाफेरूना’ (सूर-ए-काफेरून) पढ़ना अफज़ल है. हदीस में है कि; ‘अगर रात में बेदार (जागृत) न हुआ तो येह दो रकअतें ‘तहज्जुद’ के काइम मुकाम (अवेजी-Substitute) हो जाअेंगी.’

(बहारे-शरीअत)

परअता

‘इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद बे-हाजत (व्यर्थ) दुन्यवी बातों में मशगूल होना मकरूह है.’
(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. १, सफ़हा नं. १९७)

परअता

‘अवाम (जनता) में से बहुत से लोग वित्र नमाज़ के बाद सजदा में जाकर ‘सुब्बुहुन-कुदूसुन-रब्बुना-व-रब्बुल-मलाइकते-वर-रुहे’ पढ़ते हैं, और इस

अमल के मुतअल्लिक येह गुमान करते हैं कि इस अमल की हदीस शरीफ में बहुत ही फज़ीलत आई है और बुजुगनि-दीन येह अमल हमेंशा करते आए हैं लेकिन हक़ीकत येह है कि येह फै’ल (काम) फुकहा के नज़दीक मकरूह है और इस अमल की फज़ीलत में जो हदीस ज़िक्र (वर्णन) की जाती है, वोह हदीस मौजूअ (मनघड़त), बातिल (असत्य) और बे-अस्ल है. इस पर अमल जाइज़ नहीं. फिक़ह (इस्लामी क़ानून) की मशहुर किताब गुन्या, तातारख़ानिया, दुर्रे मुख़्तार और तहतावी अलददुर्र में इस को मकरूह लिखा है क्योंकि एक ख़ारजी अंदेशा (अज्ञात भय) के सबब कि जाहिल लोग इसे सुन्नत या वाजिब न समज़ने लगें.’

(फ़तावा अफ़्रीका, अज़ : आ’ला हज़रत, मस्अला नं. ३७, सफ़हा नं. ३४)

ज़रूरी नोट :

इशा की नमाज़ के फर्ज़ से पहले जो चार (४) रकअत सुन्नते-ग़ैर-मोअक्केहा हैं उनको एक (१) सलाम से पढ़ना चाहिये. दो (२) रकअत के बाद का’द-ए-उला में ‘अत्तहिय्यात’ के बाद दरूद शरीफ भी पढ़ना चाहिये और तीसरी (३) रकअत के लिये जब खड़ा हो तो ‘सना’ और ‘तअव्वुज़’ भी पढ़े क्योंकि सुन्नते-ग़ैर-मोअक्केहा मिस्ले-नफ़्ल है और नफ़्ल नमाज़ का हर का’दा मिस्ले-काद-ए-आख़िरा है, लिहाज़ा हर कादा में ‘अत्तहिय्यात’ और दरूद शरीफ पढ़ना चाहिये और हर रकअत में सूर-ए-फ़तेहा के साथ सूरत भी पढ़ना चाहिये.’

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ४६९ और बहारे-शरीअत, हिस्सा नं. ४, सफ़हा नं. १५)

प्रकरण

(८)

नमाज़े जुम्आ

تَتَجَمَّعُونَ لِلَّهِ وَاللَّيْلِ الْمُنَوِّدَاتِ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴿٩﴾

قرآن شریف. پارہ نمبر ۲۸، سورہ الجمعہ، آیت نمبر ۹

:: लिपियांतर ::

‘या-अय्युहल-लजीना-आमनू-इजा-नूदिया-
लिस्सलाते-मिंययवमिल-जुमुअते-फरअव-
इलाजिकरिल्लाहे-व-जरूल-बयआ.’

:: अनुवाद ::

‘ए ईमान वालो ! जब जुम्आ की अज़ान हो जुम्आ के दिन, तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीद फरोख्त (व्यापार) छोड़ो.’ (कन्जुल ईमान)

नमाज़े जुम्आ की रकअतों की संख्या

- ◆ सुन्नते मोअक्केदा ४
- ◆ फर्ज २
- ◆ सुन्नते-मोअक्केदा ४
- ◆ सुन्नते-गैर-मोअक्केदा (अहवत मोअक्केदा) २
- ◆ नफ़्ल २
- ◆ कुल संख्या १४

◆ ‘जुम्आ की नमाज़ के लिये वही मुस्तहब वक़्त है, जो ज़ोहर की नमाज़ के लिये है.’ (बहरूर राइक)

◆ ‘जुम्आ की अज़ान होते ही खरीदो-फरोख्त (Purchase) हराम हो जाती है और दुनिया के तमाम मशाग़िल (प्रवृत्ति) जो ज़िक्रे-इलाही से ग़फ़लत का सबब (कारण) हों, वोह इस में (हराम होने में) दाख़िल हैं. अज़ान होने के बाद सब को तर्क (छोडना) करना लाज़िम है.’

(तफसीर ख़ज़ाइनुल-इरफ़ान, सफ़हा नं. ९९७)

हदीस

‘मुस्लिम, अबू दाउद, तिरमिज़ी और इब्ने-माजा ने हज़रत अबू हुरैरा रदीयल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत की कि हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; ‘जिसने अच्छी तरह वुजू किया, फिर जुम्आ को आया, और खुत्बा सुना, और चुप रहा, उसके लिये मग़फ़िरत हो जाएगी उन गुनाहों की जो उस जुम्आ और दूसरे जुम्आ के दरमियान हैं.’

हदीस

‘सहीह मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसउद रदीयल्लाहो तआला अन्हो से मरवी है कि हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम फरमाते हैं कि; ‘मैंने क़स्द (इरादा) किया कि एक शख़्स को नमाज़ (जुम्आ) पढ़ाने का हुक्म दूं, और जो लोग जुम्आ से पीछे रहे जाएं, उनके घरों को जला दूं.’ (या’नी आग लगा दूं.)

हदीस

‘अबू दाउद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने-माजा वगैरह ने हज़रत अबूल जा’द जुमरी से, और इमाम मालिक ने हज़रत सफ़वान बिन सलीम से, और इमाम

अहमद ने हज़रत अबू क़तादा से, और दीगर (अन्य) मुहद्देसीन ने इस तरह रिवायत की कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि;

- ◆ 'जो तीन (३) जुम्ह सुस्ती की वजह से छोड़े, अल्लाह तआला उसके दिल पर मोहर कर देगा.'
- ◆ 'जो तीन (३) जुम्हो बिला उज़्र छोड़े वोह मुनाफिकों में लिख दिया गया.'
- ◆ 'जो तीन(३) जुम्हो 'पै-दर-पे' (लगातार-सतत-Constant) छोड़े उसने इस्लाम को पीठ पीछे फेंक दिया.'

जुम्हा की नमाज़ के मुतअल्लिक

ज़रूरी मसाइल

फर्ज़

'जुम्हा फर्ज़-ऐन है और जुम्हा के फर्ज़ की ताकीद (आदेश-Instruction) ज़ोहर से ज़यादा है. जुम्हा के फर्ज़ होने का इन्कार करनेवाला काफिर है.' (दुरै-मुख़्तार)

फर्ज़

'जिस मुल्क (देश) में इस्लामी सल्तनत (हुकूमत-Government) है, या पहले थी, और जब से गैर मुस्लिम का कब्ज़ा हुआ, बा'ज़ (चंद-Some) शआइरे-इस्लाम** बिला मुज़ाहिमत (अवरोध) अब तक जारी (प्रचलित) हैं, जैसे तमाम बेलादे (शहरे) हिन्दुस्तान और बंगाल ऐसे ही हैं, वोह सब इस्लामी शहर हैं, उन में जुम्हा फर्ज़ हैं.'

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ७१६)

★ ★ शआइरे-इस्लाम या'नी इस्लाम की स्पष्ट निशानी जैसे मस्जिदें, ज़ाहिर में नमाज़ पढ़ना, इस्लामी वेशभूषा तथा अन्य इस्लामी रीति रिवाज के कार्य.

"जुम्हा काइम करने के शराइत"

(शर्तें)

जुम्हा काइम करने की कुल सात (७) शर्तें हैं. उन में से अगर एक शर्त भी न पाई गई तो जुम्हा होगा ही नहीं. जुम्हा की जो सात (७) शर्तें हैं, वोह हस्बे-जेल हैं :-

१.	शहर (City) होना
२.	बादशाहे इस्लाम
३.	वक्ते ज़ोहर
४.	खुत्बा
५.	खुत्बे का नमाज़ से पहले होना
६.	जमाअत
७.	इज़ने-आम

शराइते
जुम्हा

हवाला (संदर्भ)

'सेहते जुम्हा की सात (७) शर्तें हैं. (१) शहर या फिना-ए-शहर (उप-नगर-Suburbs) (२) सुल्ताने-इस्लाम या उसका नायब (प्रतिनिधि-Deputy) या मा'ज़ून (अधिकृत -Permitted) या ब-ज़रूरत जिसे आम मुस्लेमीन ने इमामे जुम्हा बनाया हो. (३) वक्ते ज़ोहर (४) खुत्बा वक्ते ज़ोहर में (५) कब्ले नमाज़ कम अज़ कम तीन मुसलमान मर्दों आक़िलों (समज़दार-Sensible) के सामने खुत्बा होना. ६. जमाअत से होना, जिसमें कम अज़

कम तीन मर्द अकिल हों. (७) इज़ने-आम (आम इजाज़त-Common Permission) होना. बिला वजहे-शरई किसी की रोक न होना.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७४६)

जुम्आ काइम करने की पहली शर्त

शहर होना :

परअला

'जुम्आ काइम करने के लिये शहर (City) का होना ज़रूरी है. इमामे-आज़म अबू हनीफ़ा रदीयल्लाहो तआला अन्हो के नज़दीक शहर उस इमारतों वाली आबादी (बस्ती) को कहते हैं जिसमें मुतअद्दिद (अनेक) कूचे (मुहल्ले-Streets) हों. दवामी (स्थायी-Perpetual) बाज़ार हों. वोह ज़िला (District) या परगना (Taluka) हो कि उसके मुतअल्लिक (सम्बन्धित) दैहात (Villages) हों. उसमें कोई हाकिम (शासनकर्ता-Ruler) मुकद्देमाते-रिआया (पब्लिक के विवाद) फैसला करने पर मुकर्रर हो. जिसके यहां मुकद्देमात पैश होते हों और उसकी शौकत व हश्मत (अधिकार/सत्ता) मज़लूम (Oppressed) का इन्साफ ज़ालिम (Tyrant) से लेने के काबिल हो या'नी इन्साफ पर कुदतर काफ़ी हो, अगरचे ना-इन्साफ़ी करता हो, और बदला न लेता हो.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७०३)

परअला

'सहीह ता'रीफ (व्याख्या) शहर की येह है कि वोह आबादी जिसमें मुतअद्दिद कूचे हों, दवामी बाज़ार हों, न वोह जिसे 'पीठ' कहते हैं या'नी (हंगामी - Temporarily) बाज़ार न हों और वोह 'परगना' हो कि उसके मुतअल्लिक दैहात गिने जाते हों और उसमें कोई हाकिम रिआया के मुकद्देमात का फैसला करने पर मुकर्रर हो, जिस की हश्मत और शौकत इस काबिल हो कि मज़लूम

का इन्साफ ज़ालिम से ले सके. जहां येह ता'रीफ सादिक (लागु-यथार्थ-Applicable) हो वही शहर है और वहीं जुम्आ जाइज़ है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६७२)

परअला

'शहर के अतराफ (आसपास) की जगह जो शहर की मस्लेहतों (सुविधा) के लिये हों और शहर के आसपास (समीप) हों, मस्लन क़ब्रस्तान, घुड़दौड़ का मैदान, फौज के रहने की जगह या'नी केम्प (छावनी-Camp) स्टेशन वगैरह, अगरचे शहर से बाहर (Outside) हों, फिर भी उनका शुमार शहर में होगा और वहां जुम्आ जाइज़ है.'

(गुन्या शरहे मुन्या, बहारे शरीअत)

परअला

'अगर शहर से दूर कोई जगह हो कि वोह शहर की मस्लेहत के लिये न हो बल्कि एक अलग मुस्तकिल (स्वतंत्र-Independent) आबादी की तरह आबाद हो और वहां शहर की अज़ान की आवाज़ पहुंचती हो, और वहां रहनेवाला बिला तकल्लुफ (कष्ट) आ सकता हो और जा सकता हो, तो उन लोगों पर जुम्आ फर्ज़ है.' (दुर्रै-मुख़्तार, बहारे-शरीअत)

परअला

'जो लोग शहर के करीब गांव में रहते हों, उन्हें चाहिये कि शहर आकर जुम्आ पढ़ जायें.'

(बहारे शरीअत हिस्सा नं. ४, सफहा नं. ९४)

परअला

'दैहात में जुम्आ ना-जाइज़ है अगर पढ़ेंगे गुनाहगार होंगे और ज़ोहर ज़िम्मा से साक़ित न होगा. दैहात (गांव) में न जुम्आ फर्ज़, न वहां उसकी अदा जाइज़.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६७१/७१०)

फ़रआत

‘जिन देहातों में जुम्आ नहीं होता, वहां जुम्आ काइम (शुरू) न करना चाहिये और जहां पहले से जुम्आ होता हो उन देहातों में जुम्आ बंध (stop) भी न करना चाहिये. देहात में अ़वाम (जनता) जुम्आ पढ़ते हों, तो उनको मना करने की ज़रूरत नहीं कि अ़वाम जिस तरह भी अल्लाह-रसूल का नाम ले लें, ग़नीमत है. क्योंकि अगर उनको मना किया जाएगा, तो वोह वक्ती नमाज़ भी छोड़ बैठते हैं.

अमीरूल मो’मिनीन मौला अली रदीयल्लाहो तअ़ला अन्हो ने एक शख्स को ईद की नमाज़ के बाद नफल पढ़ते देखा, हालांकि ईद की नमाज़ के बाद नफल पढ़ना मकरूह है. किसीने अर्ज किया, या अमीरूल मो’मिनीन ! आप मना नहीं करते ? हज़रत मौला अली रदीयल्लाहो तअ़ला अन्हो ने फरमाया कि मैं उस वईद में दाख़िल होने से डरता हूँ कि अल्लाह तअ़ला फरमाता है;

‘अ-रअयतल-लज़ी-यन्हा-अब्दन-इज़ा-सल्ला.’

(कुरआन शरीफ, पारा-३०, सूरा-ए-अलक़, आयत नं. ९ और १०)

अनुवाद : ‘भला देखो तो, जो मना करता है बन्दे को जब नमाज़ पढ़े.’

(कन्जुल ईमान)

येह इरशादे-मुरतज़वी दुर्रे मुख़ार में मज़कुर (वर्णन) है.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७१० से ७१४ और ७१९)

फ़रआत

‘जिस मक़ाम (स्थान-Place) के शहर या देहात होने में इख़्तिलाफ (विवाद, असंगति-Discord) या शक (अनिश्चितता-Doubt) हो, ऐसी जगह ओलोमा-ए-किराम ने हुक्म दिया है कि चार (४) रकअत जोहर की एहतियाती (सावचेतीरूप, अगमचेती-Circumspection) भी पढ़ें. या’नी नमाज़े जुम्आ के बाद चार (४) रकअत जोहर की एहतियाती पढ़ें, लेकिन येह हुक्म ख़वास

(ख़ास लोगों) के लिये है. अ़वाम के लिये नहीं, जो तस्हीहे-निय्यत पर कादिर न हों.

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६८८)

फ़रआत

‘उन शहरों में कि जिन के शहर होने में इख़्तिलाफ हो, वहां जुम्आ ज़रूर लाज़िम है. और उसका (जुम्आ का) तर्क करना मअ़ाज़ल्लाह ! एक शअ़ाइरे-इस्लाम से मुंह फेरना है और वहां चार (४) रकअत एहतियाती (जोहर की नमाज़) का ख़वास के लिये हुक्म है और अ़वाम जो ना-फहम हैं, उन के हक़ में एहतियाती जोहर के लिये दरगुज़र का हुक्म है.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६७५)

जुम्आ काइम करने की दूसरी शर्त

‘सुल्ताने इस्लाम’

‘सेहते-जुम्आ के शराइत से एक येह भी है कि बादशाहे इस्लाम जिस को हुक्म दे वोह जुम्आ काइम करे या’नी सुल्तान खूद या उसका मा’जून खुत्बा पढ़े और इमामत करे. और जहां येह सूरत महाल (ना मुम्किन) हो, मस्लन इन बिलादे-हिन्दूस्तान में कि हिन्दूस्तान में बादशाहे-इस्लाम नहीं, लेकिन हुनूज़ (अभी तक) हिन्दूस्तान दारूल इस्लाम है. वहां आम मुस्लेमीन जिसे इमाम मुकरर करें वोह जुम्आ पढाए.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६९०/६९१)

नोट : मस्जिदों में पांच वक़्त की नमाज़ पढ़ाने के लिये जो इमाम मुकर्रर होते हैं, वोह नमाज़े-जुम्आ पढ़ाने के लिये भी मुकर्रर होते हैं और आममतुल मुसलेमीन उन्हें मुकर्रर करते हैं या उनके मुकर्रर किए जाने पर रज़ामन्द (सहमत-Agree) होते हैं, लिहाज़ा उन इमामों को जुम्आ के खुत्बे और इमामत का हक़ हासिल है।'

परअला

'अदा-ए-जुम्आ के लिये सुल्तान (बादशाह-King) या उसके नाइब या मा'जून की जो शर्तें हैं, वोह उन शर्तों में से है कि महल्ले-ज़रूरत (आवश्यक परिस्थिति) में उसके 'बदल' (विकल्प-Option) से साक़ित (निर्माल्य-Worthless) हो जाती है। जैसे सेहते नमाज़ के लिये वुजू शर्त है, मगर पानी पर कुदरत न हो तो 'तयम्मुम' उसका ख़लीफ़ा और बदल है। इसी तरह सुल्ताने इस्लाम की अदम मौजूदगी (अनुपस्थिति) में जुम्आ के लिये मुसलमानों का किसी को ईमाम और ख़तीब मुकर्र करना, सुलतान के तअय्युन करने का काइम मक़ाम है और ऐसे इमाम व ख़तीब का काइम किया हुआ जुम्आ मुत्लक़न जाइज़ है।'

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ६८२/७१८)

जुम्आ काइम करने की तीसरी शर्त

'वक्ते-ज़ोहर'

परअला

'जुम्आ के खुत्बा और नमाज़ के लिये वक्ते-ज़ोहर होना शर्त है। अगर ज़ोहर का वक़्त शुरू होने से पहले खुत्बा पढ़ लिया, तो खुत्बा न हुआ और जब खुत्बा न हुआ तो जुम्आ न हुआ।'

(आम कुतुबे फ़िक़ह, बहारे शरीअत)

परअला

'अगर जुम्आ की नमाज़ में इतनी दैर की कि वक्ते-ज़ोहर निकल गया। अगरचे 'अत्तहिय्यात' पढ़ लेने के बाद और सलाम फैरन से पहले 'अस्' का वक़्त दाख़िल हो गया, तो जुम्आ बातिल हो गया और ज़ोहर की नमाज़ कज़ा पढ़नी होगी।

(बहारे शरीअत)

जुम्आ काइम करने की चौथी शर्त

खुत्बा

परअला

'खुत्बा ज़िक़े-इलाही का नाम है, अगरचे एक मरतबा खुत्बे की निय्यत से 'अल-हम्दो-लिल्लाहे' या 'सुब्हानल्लाहे' या 'ला-इलाहा-इलल्लाहो' कहा तो इसी क़दर (मात्रा) कहने से खुत्बे का फ़र्ज़ अदा हो जाएगा मगर इतने ही पर इक़तिफ़ा (बस) करना मकरूह है।'

(दुरे मुख़्तार, रहुल मोहतार, बहारे-शरीअत)

परअला

'सेहते खुत्बा के लिये निय्यते खुत्बा शर्त है। यहां तक कि ख़तीब को मिम्बर पर जा कर छींक आई और उसने छींक आने पर 'अल-हम्दो-लिल्लाह' कहा तो इस तरह सिर्फ़ 'अल-हम्दो-लिलह' कहने पर खुत्बे का फ़र्ज़ अदा न होगा, और खुत्बा अदा न हुआ।'

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ६७६)

परअला

'ख़तीब को मिम्बर पर छींक आई, और उसने 'अल-हम्दो-लिल्लाह' कहा, या तअज्जुब (आश्चर्य) के तौर पर 'सुब्हानल्लाह' या 'ला-इलाहा-

इल्लल्लाह' कहा, तो इस तरह सिर्फ इतना कहने से खुल्बा का फर्ज अदा न होगा.'

(आलमगीरी, बहारे-शरीअत)

परअता

'नमाज़े-जुम्आ के लिये खुल्बा शर्त है. खुल्बा के बगैर नमाज़े-जुम्आ बातिल है. जो शख्स खुल्बा न पढ़ सके, वोह जुम्आ की नमाज़ का इमाम नहीं हो सकता.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७४७)

परअता

'ख़तीब या'नी खुल्बा पढ़नेवाले पर लाज़िम है कि वोह इतना जानता हो कि खुल्बा एक ज़िक्रे-इलाही का नाम है, ताकि उसकी निय्यत कर सके, वर्ना अगर सिर्फ नामे-खुल्बा जाना और खुल्बा किसे कहते हैं, येह न जाना, बल्कि लोगों की देखा-देखी बे-समज़े एक फैल (काम) कर दिया, तो बेशक नमाज़े जुम्आ अदा न होगी. क्योंकि सेहते-खुल्बा के लिये निय्यते-खुल्बा शर्त है. और जब निय्यते-खुल्बा न हुई तो खुल्बा न हुआ, और जब खुल्बा न हुआ तो जुम्आ न हुआ, क्योंकि सेहते-नमाज़े-जुम्आ के लिये खुल्बा शर्त है.'

(रहुल मोहतार, फतहुल क़दीर, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं.

६७७)

परअता

'मस्जिद में जो ख़तीबो-इमाम मुतअय्यन (नियुक्त-Appoint) है उसकी इजाज़त के बगैर दूसरा शख्स खुल्बा नहीं पढ़ सकता. अगर पढ़ेगा खुल्बा जाइज़ न होगा. और खुल्बा शर्ते-नमाज़े-जुम्आ है. जब खुल्बा न हुआ, तो नमाज़ भी न हुई.'

(दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं.

७२८)

परअता

'खुल्बा ऐसी जमाअत के सामने हो जो नमाज़े जुम्आ के लिये शर्त है, या'नी ख़तीब के सिवा कम अज़ कम तीन (३) मर्द सुनने वाले हों. अगर ख़तीब ने तन्हा (अकेले-Alone) खुल्बा पढ़ा, तो इन तमाम सूरतों में खुल्बा अदा न हुआ.'

(दुर्रे मुख़्तार, रहुल मोहतार, बहारे-शरीअत)

परअता

'जुम्आ का खुल्बा ज़बानी या देखकर जिस तरह चाहे पढ़ सकता है. देखकर और ज़बानी दानों अदा-ए-हुक्म में एकसां (समान) हैं, लेकिन ज़बानी पढ़ना सुन्नत की ज़यादा मुवाफेकत (सुमेळ-Reconciliation) है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७४१)

परअता

'ख़तीब का खुल्बा के वक़्त हाथ में अ़सा (लकड़ी-Stick) लेना बा'ज ओलोमा ने सुन्नत लिखा है और बा'जने मकरूह लिखा है. और ज़ाहिर है कि अगर सुन्नत भी हो तो कोई सुन्नते-मोअक्केदा नहीं, लिहाज़ा बःनज़रे इख़्तिलाफ (ओलोमा के विरोधाभासी अभिप्राय होने के कारण) हाथ में अ़सा लेनेसे बचना बेहतर है, जब कि कोई उज़्र न हो.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६८४)

परअता

'खुल्बा में दरूद शरीफ पढ़ते वक़्त ख़तीब का दायें-बायें मुंह करना बिदअत है.'

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअत)

परअता

'खुल्बा में अरबी के इलावा दूसरी कोई ज़बान (भाषा-Language) का ख़ल्लत करना(मिलाना-To add) मकरूहे-तन्ज़ीही और ख़िलाफे-सुन्नते-मुतवारेसा है और पूरा (समग्र) खुल्बा ग़ैर अरबी ज़बान में होना और ज़यादा (विशेष)मकरूह है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७२०)

परअता

‘जुम्आ के खुत्बा में उर्दू अश्आर पढ़ना ख़िलाफे-सुन्नते-मुतवारिसे-मुसलेमीन है और सुन्नते-मुतवारेसा के ख़िलाफ करना मकरूह है. बा’ज़ लोग येह उज़्र (कारण) बताते हैं कि अ़वाम अ़रबी नहीं समज़ते, लिहाज़ा उनकी तफ़हीम (समज़ देने) के लिये उर्दू में पढ़ते हैं, येह उज़्र सहीह नहीं. सहाबा-ए-किराम रदीयल्लाहो तअ़ाला अन्हुम के ज़माने में हज़ारो ग़ैर अ़रबी शहर फतह हूए और हज़ारों अज़मी (ग़ैर अरबी लोग) हाज़िर हुए, मगर कभी भी मन्कूल (उल्लेख) नहीं कि उन्होनें उन अज़मी अ़वामुन्नास (लोगों) की ग़रज़ से खुत्बा ग़ैर अ़रबी ज़बान में पढ़ाया.’

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ६८४ और दुर्रे मुख़्तार)

परअता

‘सुन्नत येह है कि दो (२) खुत्बे पढ़े जाअें.’ (दुर्रे मुख़्तार, गुन्या)

परअता

‘ख़तीब का दोनों खुत्बों के दरमियान तीन आयतों के पढ़ने के वक़्त की मिक्दार बैठना सुन्नत है.’ (फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ७६८)

परअता

‘ख़तीब का खुत्बे में कुरआने-मजीद की आयत न पढ़ना या दोनों खुत्बों के दरमियान जलसा न करना या’नी न बैठना मकरूह है.’ (आलमगीरी)

परअता

‘दोनों खुत्बों के दरमियान इमाम (ख़तीब) को दुआ मांगना बिल-इत्तेफ़ाक़ (निःसंदेह) जाइज़ है. और मुक्तदी दिल में दुआ मांगे कि ज़बान को हरकत न हो तो बिला शुब्ह जाइज़ है.’

(इनाया, शरहे-वकाया, फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ७२३/

७६४)

परअता

‘खुत्बा के शुरु में ख़तीब ‘तअव्वुज़’ (या’नी अउज़ो-बिल्लाहे पूरा) और तस्मीयह (बिस्मिल्लाह) आहिस्ता आवाज़ से पढ़ कर खुत्बा शुरु करे.’

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ७४०)

परअता

‘ख़तीब मिम्बर पर खड़ा होकर खुत्बा पढ़े यही सुन्नत है. मिम्बरे-रसूले-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम के तीन ज़ीने (Step) थे, इलावा अज़ीं उपर का तख़्ता (Sheet) था, जिस पर आप सल्लल्लाहो तअ़ाला अलयहे वसल्लम जुलूस फरमाते थे या’नी बैठते थे. हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम दरज़-ए-बाला (उपर-Top) पर खुत्बा फरमाया करते थे. हज़रत सिद्दीके अक़बर रदीयल्लाहो तअ़ाला अन्होने दूसरे ज़ीने पर पढ़ा और हज़रत फारूके अज़म रदीयल्लाहो तअ़ाला अन्होने तीसरे ज़ीने पर पढ़ा. जब उस्मान गनी जूनूरैन रदीयल्लाहो तअ़ाला अन्हो का ज़माना आया, तो उन्होने पहले ज़ीने पर खड़े होकर खुत्बा पढ़ा. सबब पूछा गया तो फरमाया कि अगर दूसरे ज़ीने पर खड़ा होकर पढ़ता तो लोग गुमान करते कि मैं हज़रत सिद्दीके-अक़बर रदीयल्लाहो अन्हो का हमसर (समकक्ष) हूँ और अगर तीसरे ज़ीने पर पढ़ता, तो लोगों को वहम होता कि मैं हज़रत फारूके-अज़म रदीयल्लाहो अन्हो के बराबर हूँ, लिहाज़ा वहीं खड़ा होकर पढ़ा जहां येह एहतिमाल मुतसव्विर नहीं या’नी अब किसी को येह गुमान करने का एहतिमाल (संभावना-Probabilty) ही नहीं कि मैं हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम का हमसर हूँ’

(बुख़ारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, रहुल मोहतार, फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ७००)

नोट :

ख़तीब का मिम्बर के दरज़-ए-बाला (Upper) पर खड़ा होना अस्ल सुन्नत है. फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ७०० पर बयान किया गया है कि;

‘अस्ल सुन्नत अब्वल दर्जा पर क़याम है.’

परअला

‘खुत्बा और नमाज़ के दरमियान अगर ज़यादा दैर का फास्ला (अंतर-Gap) हो जाए तो खुत्बा काफी नहीं, अज़-सरे-नौ (फिर से) खुत्बा पढ़ना होगा.’
(दुर्रे मुख़ार, बहारे शरीअत)

परअला

‘खुत्बा के वक़्त ख़तीब (इमाम) के सामने जो अज़ान कही जाती है, उस अज़ान का जवाब खतीब ज़बान से दे सकता है, और दुआ भी कर सकता है.’

(तबय्यनुल हकाइक, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ७४०)

‘खुत्बा सुनने वालों (सामेईन-श्रोता)

के लिये एहकाम

परअला

‘जो काम नमाज़ की हालत में करना हराम और मना हैं, खुत्बा होने की हालत में भी हराम और मना हैं.’ (या’नी खाना-पीना, बातचीत करना वगैरह)

(हुल्या, जामउर-रुमूज़, आलमगीरी, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ६९५)

परअला

‘खुत्बा सुनना फर्ज़ है और खुत्बा इस तरह सुनना फर्ज़ है कि ‘हमा-तन’ (समग्र एकाग्रता-Whole Attending) उसी तरफ़ मुतवज्जेह हो (तवज्जेह दे) और किसी काम में मशगूल न हो. सरापा तमाम आ’ज़ा-ए-बदन (संपूर्ण शरीर-Whole Body) उसी की तरफ़ मुतवज्जेह होना वाज़िब है. अगर किसी खुत्बा सुनने वाले तक ख़तीब की आवाज़ न पहुंचती हो, जब भी उसे चुप रहेना और खुत्बा की तरफ़ मुतवज्जेह रहेना वाज़िब है. उसे भी किसी काम में मशगूल (व्यस्त) होना हराम है.’

(फह्लुल क़दीर, रहुल मोहतार, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ६९८)

परअला

‘खुत्बा के वक़्त खुत्बा सुननेवाला ‘दो-ज़ानू’ बैठे या’नी नमाज़ के का’दा में जिस तरह बैठते हैं, उस तरह बैठे.’

(आलमगीरी, रहुल मोहतार, गुन्या, बहारे-शरीअत)

परअला

‘खुत्बा हो रहा हो तब सुनने वाले को एक घूंट पानी पीना हराम है और किसी की तरफ़ गर्दन फ़ैर कर देखना भी हराम है.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ६९६)

परअला

‘खुत्बा के वक़्त सलाम का जवाब देना भी हराम है.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ६९७)

परअला

‘जुम्आ के दिन खुत्बा के वक़्त खतीब के सामने जो अज़ान होती है, उस

अज्ञान का जवाब या दुआ सिर्फ दिल से करें. ज़बान से अस्लन तलफ़ुज़ (उच्चार) न हो.'

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ६८३ और जिल्द नं. २ सफ़हा नं. ३८४)

परअला

'जुम्आ की अज्ञाने-सानी के वक़्त अज्ञान में हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम का नामे पाक सुनकर अंगूठा न चूमें और सिर्फ दिल में दरूद शरीफ़ पढ़ें और कुछ न करें. ज़बान को जुम्बिश (हरकत-Agitatoin) भी न दें.' (फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ७५९)

परअला

'खुत्बा में हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम का नामे-पाक सुनकर दिल में दरूद पढ़ें, ज़बान से सुकूत या 'नी ख़ामोश रहेना फ़र्ज़ है.' (दुर्रे-मुख़्तार, फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ७०९)

परअला

'जब इमाम (ख़तीब) खुत्बा पढ़ रहा हो, उस वक़्त वज़ीफ़ा पढ़ना मुत्लकन ना-जाइज़ है और नफ़ल नमाज़ पढ़ना भी गुनाह है.'

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ७०४)

परअला

'ख़तीब ने खुत्बा के दौरान (दरमियान) मुसलमानों के लिये दुआ की, तो सामेईन (सुनने वालों) को हाथ उठाना या आमीन कहना मना है. करेंगे तो गुनाहगार होंगे.'

(दुर्रे-मुख़्तार, बहारे-शरीअत)

परअला

'खुत्बा के वक़्त "अम्र-बिल-मा'रूफ़" या'नी भलाई का हुक्म करना भी हराम है, बल्कि खुत्बा हो रहा हो तब दो (२) हर्फ़ (अक्षर) बोलना भी मना है. किसी को सिर्फ़ 'चुप' कहना तक मना और लगव (व्यर्थ) है.'

सहाह सित्ता (या'नी हदीस की छै सहीह किताबों) में हज़रत अबू हु़रैरा रदीयल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम फरमाते हैं कि 'जब रोज़े-जुम्आ खुत्बा-ए-इमाम के वक़्त तू दूसरे से कहे 'चुप' तो तूने लगव किया.' (या'नी व्यर्थ काम किया)

इसी तरह मुस्नदे-अहमद, सुनने-अबू दाउद में अमीरूल मो'मिनीन हज़रत मौला अली रदीयल्लाहो तआला अन्हो से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम फरमाते हैं कि; 'जो जुम्आ के दिन (खुत्बा के वक़्त) अपने साथी से 'चुप' कहे उसने लगव किया और जिसने लगव किया उसके लिये जुम्आ में कुछ 'अज़्र' (सवाब) नहीं.'

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ६९७)

परअला

'खुत्बा सुनने की हालत में हरकत (हिलना-डुलना-Movement) मना है. और बिना ज़रूरत खड़े होकर खुत्बा सुनना खिलाफे सुन्नत है. अ़वाम में येह मा'मूल (प्रथा) है कि जब ख़तीब खुत्बा के आख़िर में इन लफज़ों पर पहुंचता है 'व-ल-ज़िक्रुल्लाहे-तआला-आ'ला' तो उसको सुनते ही लोग नमाज़ के लिये खड़े हो जाते हैं. येह हराम है, कि हुनूज़ (अभी) खुत्बा ख़त्म नहीं हुआ, चंद अल्फाज़ बाकी हैं और खुत्बा की हालत में कोई भी अ़मल (काम) करना हराम है.'

खुत्बा की सुन्नते

१. ख़तीब का पाक होना.
२. ख़तीब का खड़ा होकर खुत्बा पढ़ना.
३. खुत्बा शुरू करने से पहले ख़तीब का मिम्बर पर बैठना.
४. ख़तीब का मिम्बर पर खड़ा होना या'नी ख़तीब का मिम्बर पर होना.
५. ख़तीब का मुंह (मुख) सामेईन (मुक़्तदीयों) की तरफ होना.
६. ख़तीब की पीठ क़िब्ला की तरफ होना.
७. हाज़ेरीन का ख़तीब की तरफ मुतवज्जेह होना.
८. खुत्बा से पहले ख़तीब 'अउज़ो-बिल्लाह'आहिस्ता आवाज़ से पढ़े.
९. ख़तीब इतनी बुलन्द आवाज़ से खुत्बा पढ़े कि लोग सुन सकें.
१०. खुत्बा 'अल-हम्दो' लफ्ज़ (शब्द) से शुरू करना.
११. खुत्बा में अल्लाह तआला की वहदानियत (एक होने) की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम की रिसालत की शहादत (गवाही) देना.
१३. हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजना.
१४. कम से कम कुरआन शरीफ की एक आयत खुत्बे में तिलावत करना.
१५. पहले खुत्बे में वअज़ और नसीहत (उपदेश) होना.
१६. खुत्बे दो (२) होना.
१७. दूसरे खुत्बे में हम्द, सना, शहादत और दरूद शरीफ का एआदा (पुनरावर्तन) करना.

१८. दूसरे खुत्बे में मुसलमानों के लिये दुआ करना.
 १९. दोनों खुत्बे हलके होना या'नी बहुत तवील (लम्बे) न हों कि सामेईन (सुननेवालों) को तकलीफ हो.
 २०. ख़तीब का दोनों खुत्बों के दरमियान तीन (३) आयतें पढ़ने के वक़्त की मिक्दार बैठना या'नी पहला खुत्बा पूरा कर के इतनी दैर मिम्बर पर बैठना.
- (आलमगीरी, दुर्रे-मुख़्तार, गुन्या बहारे शरीअत, हिस्सा नं. ४, सफहा नं. ९७)

खुत्बा के मुस्तहब्बात

१. पहले खुत्बा की निस्वत दूसरे खुत्बे की आवाज़ पस्त (धीमी) हो.
२. दूसरे खुत्बा में ख़ोलोफ़-ए-राशेदीन या'नी हज़रत अबूबकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूके-आ'ज़म, हज़रत उस्मान ग़नी और हज़रत मौला अली मुरतज़ा रदीयल्लाहो तआला अन्हुम का ज़िक्र (वर्णन-स्मरण) हो.
३. दूसरे खुत्बे में ख़ोलोफ़-ए-राशेदीन के साथ हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम के 'अम्मयने-मुकर्रमैन' (दो (२) आदरणीय चचा-Uncle) या'नी सय्यदुश्शशोहदा हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्बास रदीयल्लाहो तआला अन्हुमा का ज़िक्र हो.
४. दूसरा खुत्बा इन अल्फाज़ (शब्दों) से शुरू हो कि; 'अल-हम्दो-लिल्लाहे-नहमदोहू-व-नस्तईनोहू-व-नस्तग़फ़ेरोहू-व-नो'मेनो बेहि-व - नतवक्क़नो-अलैहे-व- नउज़ो -बिल्लाहे - मिन-शुरूरे- अन्फोसेना -व -मिन सय्येआते -आ'मालेना-मंय-यहदीयल्लाहो -फ़ला -मुदिल्ला -लहू-व-मंय-युदलिलहू-

फला-हादिया-लहू,'

खुत्बा के मुत्अल्लिक दूसरे (अन्य)

ज़रूरी मसाइल

परअला

'अगर ख़तीब (इमाम) हनफीयुल मज़हब है और मुक़तदी शाफीउल-मज़हब है, और हनफी इमामने जुम्आ के पहले (प्रथम) खुत्बे में 'उसीकुम-बे-तक्वल्लाह' और 'दरूद-शरीफ' न पढ़ा, तो शाफई मुक़तदी की नमाज़ न होगी क्योंकि उनके नज़दीक वसीय्यत (उसीकुम पूरा पढ़ना) और दरूद अरकाने खुत्बा से है और खुत्बा बिल-इत्तेफाक (एक मत से) शर्ते-सेहते-जुम्आ से है. तो जब खुत्बा के रूकन (मुख्य आधार-Pillar) फ़ौत हो गये (छूट गए) तो खुत्बा न हुआ और जब खुत्बा न हुआ, तो नमाज़ न हुई. लिहाज़ा इमाम पर लाज़िम है कि अगर दूसरे मज़हब के अहले सुन्नत भी उसके मुक़तदी हों तो उन के मज़हब की रिआयत (आदर-Respect) करे.

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७२२)

परअला

'खुत्बा के पहले की चार (४) रकअत सुन्नते मुअक्केदा किसीने शुरू कि थीं कि ख़तीब ने खुत्बा शुरू कर दिया तो दो (२) रकअत पर सलाम फैर दे और खुत्बा सुने और फर्ज़ पढ़ने के बाद सुन्नते-बादिया (फर्ज़ के बादवाली सुन्नते) पढ़ने के बाद (४) रकअत अज़-सरे-नौ (फिर से) पढ़े.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६११)

जुम्आ काइम करने की पांचवी शर्त

'नमाज़ से पहले खुत्बा होना'

परअला

'खुत्बा वक़्त में होना और नमाज़ से पहले होना शर्त है. अगर नमाज़ जुम्आ से पहले खुत्बा ही न हुआ या नमाज़ के बाद खुत्बा पढ़ा, तो नमाज़ न हुई.' (दुरें मुख़्तार, बहारे-शरीअत)

जुम्आ काइम करने की छठी शर्त

'जमाअत'

परअला

'जुम्आ की नमाज़ की जमाअत के लिये कम से कम तीन (३) मुक़तदी का होना ज़रूरी है. दीगर (अन्य) नमाज़ों की तरह एक (१) या दो (२) मुक़तदी से जुम्आ की नमाज़ की जमाअत काइम नहीं हो सकती. जुम्आ की जमाअत के लिये इमाम के इलावा कम से कम तीन (३) मर्द मुक़तदी होना ज़रूरी है. अगर तीन (३) मर्द से कम मुक़तदी होंगे, तो जुम्आ की जमाअत सहीह नहीं. (आलमगीरी, तन्वीरूल अबसार, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६८३)

परअला

'मस्जिद में नमाज़-जुम्आ ख़त्म होने के बाद पन्दरह (१५) बीस (२०) आदमी आए और वोह जुम्आ या जोहर की नमाज़ जमाअते सानी के तौर पर नहीं पढ़ सकते, बल्कि उस मस्जिद में तो दर-किनार, किसी ऐसी मस्जिद में कि जहां जुम्आ न होता हो, या किसी मकान में, या किसी मैदान में, या किसी और (अन्य) जगह भी येह लोग जुम्आ नहीं पढ़ सकते, बल्कि जोहर की नमाज़ भी जमाअत से नहीं पढ़ सकते, बल्कि सब अपनी जोहर तन्हा-तन्हा पढ़ें.'

(तन्वीरूल अबसार, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६९०)

परबत

‘एक मस्जिद में दो (२) जुम्अे नहीं हो सकते. अगर एक मस्जिद में दो (२) जुम्अे पढ़े गए, तो जो इमाम उस मस्जिद में नमाज़े-जुम्अा के लिये मुतअय्यन (मुकर्रर) था, उसकी और उसकी इक्तेदा करनेवालों की नमाज़े-जुम्अा हो गई और जो इमाम मस्जिद में मुतअय्यन न था, उसकी और उसकी इक्तेदा करनेवालों की नमाज़ न हुई. और अगर दोनों इमाम मुतअय्यन न थे, तो किसी की भी न हुई.’

(फतावा रजवीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६९१/७०८)

परबत

‘नमाज़े-जुम्अा और दोनों ईदों की नमाज़ें आम नमाज़ों की तरह नहीं कि जिसको चाहा इमाम बना दिया, या जो चाहे इमाम बन जाए और नमाज़ पढ़ा दी. जुम्अा की नमाज़ के मुतअल्लिक यहां तक हुक्म है, कि वोह मस्जिद जो सरे-राह होती है कि जिस में कोई इमाम मुतअय्यन (Fixed) नहीं होता बल्कि राहगीर (मुसाफ़ीर/वटेमार्ग) आते जाते रहते हैं और जिसने चाहा नमाज़ पढ़ा दी, उस मस्जिद में दस (१०) बारह (१२) राहगीर (प्रवासी) आए और एक शख्स ने नमाज़े-जुम्अा पढ़ा दी, फिर दूसरा गिरोह (समुदाय-Group) आया, उनको भी किसीने नमाज़े-जुम्अा पढ़ा दी, इसी तरह दस (१०) बारह (१२) जमाअतें हुई, जुम्अा किसी एक का भी न हुआ और जोहर की नमाज़ का फर्ज सबके ज़िम्मे बाकी रहा.’ (दुर्रे-मुख्तार, फतावा रजवीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७२३)

परबत

‘जुम्अा की नमाज़ में अगर सजद-ए-सहव वाजिब हुआ और अगर इमाम सजद-ए-सहव करता है, तो मुक्तदियों की कसरत (जयादा संख्या / भीड़-Crowd) की वजह से ख़ब्त (Insanity) और इफतेनान का अंदेशा (संदेह)

है, या’नी मुक्तदियों में गड़बड़ी फैलने और फिल्ला होने का अंदेशा हो, तो ओलोमा-ए-किराम ने सजद-ए-सहव के तर्क करने (छोड़ने) की इजाज़त दी है, बल्कि जुम्अा की नमाज़ में सजद-ए-सहव तर्क करना अवला या’नी बेहतर (उत्तम) है.’

(दुर्रे मुख्तार, रहुल मोहतार, फतावा रजवीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६८९)

परबत

‘खुल्बा से पहले जो चार (४) रकअत सुन्नते-मोअक्केदा पढ़ी जाती हैं वोह सुन्नतें अगर फ़ौत (छूट-Miss) हो जाएं, तो जुम्अा की जमाअत के बाद सुन्नत की ही नियत से पढ़े. वोह अदा होगी. न कि कज़ा. और अगर जुम्अा (यानी जोहर) का वक़्त निकल गया, तो अब उसकी कज़ा नहीं.’

(दुर्रे मुख्तार, बहरूर राइक, फतावा रजवीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४६१/६१९)

परबत

जुम्अा के दिन औरत जोहर की नमाज़ पढ़े और अगर किसी का मकान मस्जिद से मुत्तसिल (मिला हुआ-Adjoining) है और मकान मशरिक (पूर्व-East) दिशा की जानिब है, और वोह अपने घर में रहेकर इमामे-मस्जिद की इक्तेदा करे, तो उसके लिये भी जुम्अा अफज़ल है.’

(दुर्रे-मुख्तार, बहारे-शरीअत, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. ९९)

परबत

‘जिन मस्जिदों में जुम्अा नहीं होता, उन्हें जुम्अा के दिन जोहर के वक़्त बन्द (Closed) रखें.’

(आलमगीरी, बहारे-शरीअत)

परबत

‘दैहात (गांव/Village) में जुम्अा के दिन मस्जिद में जोहर की नमाज़

अज्ञान और इकामत के साथ बा-जमाअत पढ़ सकते हैं।’

(आलमगीरी, बहारे शरीअत जिल्द ४, सफहा १०२)

परअता

‘दैहात (गाँव) में जुम्आ मजहबे हन्फी मे हरगिज़ जाइज़ नहीं, मगर अवाम पढ़ते हैं तो मना करने से बाज़ न आअेंगे और फित्ना बरपा करेंगे, तो उनको इतना ही कहना होगा कि जोहर कि चार (४) रकअत भी पढ़ो कि तुम पर जोहर फर्ज़ है. जुम्आ पढ़ने से तुम्हारे ज़िम्मे जोहर साकित न हुई. जोहर के वोह चार (४) फर्ज़ भी जमाअत ही से पढ़ने को कहा जाए कि बे उज़्र जमाअत तर्क करना (छोडना) गुनाह है।’

(फतावा मुस्तफविया सफहा २१३)

परअता

‘जुम्आ की नमाज़ के दो (२) फर्ज़ के बाद की सुन्नतों की ता’दाद (संख्या/ Number) में इख़िलाफ है. अस्ल मजहब में चार (४) रकअतें सुन्नते मोअक्केदा हैं, और अहवत छै: रकअतें हैं।’

(दुर्रै-मुख़्तार, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६९३)

नोट :

मजकूरा (वर्णनीय) मस्अले का खुलासा येह है कि जुम्ए की सुन्नते मोअक्केदा और ग़ैर मोअक्केदा होने में अइम्म-ए-दीन में इख़िलाफ है. बाज़ (कुछ) ने चार (४) रकअत को सुन्नते मोअक्केदा कहा और कुछ छै:(६) को सुन्नते मोअक्केदा कहते हैं. हासिल येह कि पहली चार (४) रकअत के सुन्नते मोअक्केदा होने में किसी को इख़िलाफ नहीं है. रही दो रकअत, तो बेहतर यही है कि उसे भी सुन्नते मेअक्केदा ही के तौर पर पढ़ी जाए. ताकि दोनो के क़ौल पर अमल हो जाए. ख़्याल रहे ! कि सुन्नते ग़ैर मोअक्केदा के पढ़ने पर सवाब है और न

पढ़ने पर न कोई अज़ाब और न कोई इताब. मगर ! सुन्नते मोअक्केदा को बग़ैर उज़्रे शरई के छोड़ने पर सख़्त अज़ाब और मोआखेज़ा है.

जुम्आ काइम करने की सातवी शर्त

इज़ने-आम

परअता

‘इज़ने-आम या’नी अ़ाम इजाज़त (Common Permission) या’नी जो भी मुसलमान चाहे वोह जुम्आ पढ़ने आ सके और किसी की रोक टोक न हो. अगर मस्जिद में जुम्आ पढ़ने के लिये लोग जमा (एकत्रित) हो गए और मस्जिद का दरवाज़ा बन्द कर दिया और दरवाज़ा बन्द कर के नमाज़ पढ़ी, तो जुम्आ की नमाज़ न हुई।’

(आलमगीरी)

परअता

‘बादशाह ने अपने मकान में जुम्आ काइम किया, और मकान का दरवाज़ा खोल दिया कि लोगों को आने की इजाज़त है, तो जुम्आ हो गया, फिर चाहे लोग आअें या न आअें. और अगर दरवाज़ा बन्द कर के जुम्आ पढ़ाया या दरवाज़ा तो खुला रखा लेकिन दरवाज़े पर दरबानों (चोकीदारों-Guards) को बिठा दिया कि लोगों को आने न दें, तो जुम्आ न हुआ।’

(आलमगीरी, बहारे शरीअत, हिस्सा नं. ४, सफहा नं. ९९)

परअता

‘जिस जेल (कारवास/Jail) में मुसलमान कैदी और मुलाज़ेमीन (कर्मचारी) हों और उस जेल में मुसलमान कैदियों को रोज़ा रखने की और जमाअत से

नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त हो, फिर भी वहां जुम्आ की नमाज़ काइम नहीं हो सकती, क्योंकि जुम्आ काइम करने की शर्तों में से एक शर्त (इज़ने-आम) है और जेल में बाहर का आदमी नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकता, लिहाज़ा जेल में जुम्आ काइम नहीं हो सकता. बल्कि जुम्आ के दिन कैदियों को जले में जोहर की नमाज़ भी जमाअत से पढ़ना जाइज़ नहीं, हर शख्स तन्हा जोहर की नमाज़ पढ़े और अगर जेल शहर की हद से बाहर है, तो कैदी जोहर की नमाज़ जमाअत से पढ़ सकते हैं.'

(तन्वीरूल अब्सार, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ७२४)

मर्ज़ाबा

'औरतों को मस्जिद में आने से रोकने में इज़ने-आम की शर्त के खिलाफ (भंग) न होगा, बल्कि औरतों को मस्जिद में आने से रोकना जाए क्योंकि औरतों के मस्जिद में आने से फिले का ख़ौफ (भय) है.'

(रहुल मोहतार, बहारे-शरीअत हिस्सा नं. ४, सफ़हा नं. ९९)

मर्ज़ाबा

'मुर्तद, मुनाफ़िक्, गुमराह और बद-अकीदा फ़िकै (सम्प्रदाय-Sect) के लौग, जो बारगाहे-रिसालत सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम में गुस्ताख़ियां और बे-अदबियां करते हैं और भोले-भाले मुसलामानों को अपने दामे फरेब (प्रपंची जाल) में फंसा कर उनका इमान तबाह करते हैं, ऐसे मुनाफ़िकों को भी मस्जिद में आने से रोकने में 'इज़ने-आम' की शर्त के खिलाफ (विरुद्ध) न होगा. बल्कि उनको 'दफ-ए-ज़रर' (To avoide Detriment) के लिये रोकना ज़रूरी है.'

हदीस

'सहीह मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रदीयल्लाहो तआला अन्हो से

रिवायत है कि हुज़ुरे अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 'ईय्याकुम-व-ईय्याहुम-ला-युदिल्लूनुकुम-वलायुफतेनुनुकुम' अनुवाद : 'तुम उनसे अलग रहो, उन्हें अपने से दूर रखो, कहीं वोह तुम्हें बहेका न दें, कहीं वोह तुम्हें फिले में न डाल दें.'

हज़रत इब्ने-हब्बान ने हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत में इज़ाफ़ा (विशेष-Addition) किया कि 'ला-तुसल्लू-अलैहिम-वला-तूसल्लू-मा'हुम' या'नी 'उनके जनाज़ा की नमाज़ न पढ़ो, उनके साथ नमाज़ न पढ़ो.'

(ब: हवाला अन्नहील-अकीद-अनिस्सलाते-वराअ-अदीत-तक़लीद, अज़, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी)

मर्ज़ाबा

'दुरें मुख़्तार में है कि 'यूमनओ-मिन्हो-कुल्लो-मूज़िन-व-लव-बे-लिसानेहि' अनुवाद : मस्जिद से हर मूज़ी (कष्ट देने वाले, दुःख पहुंचाने वाले) को रोकना जाए, अगरचे वोह अपनी ज़बान (वाणी) से ही ईज़ा (कष्ट) पहुंचाता हों.'

मर्ज़ाबा

'हर 'मूज़ी' को मस्जिद से निकालना बःशर्ते इस्तेताअत (यथा शक्ति) वाजिब है, अगरचे वोह 'मूज़ी' सिर्फ़ ज़बान ही से ईज़ा देता हो. खुसूसन (विशेषत) वोह जिस की ईज़ा मुसलमानों में बद मज़हबी फैलाना, गुमराह करना और लोगों को सच्चे दीन से बहेकाना है.'

मर्ज़ाबा

'मुर्तद का सफ़ मे खड़ा होना भी जाइज़ नहीं कि उसकी नमाज़ भी नमाज़ नहीं. वोह बःज़ाहिर (बाह्य रूप से) नमाज़ की हालत में होने के बावजूद भी

नमाज़ से खारिज (बाहर-Out) है, तो ऐसे शख्स के सफ में खड़े होने से सफ 'कतअ' (कटेगी, टूटेगी-Cut Off) होगी कि ऐक गैर नमाज़ी बीच में आ गया. और सफ कतअ करना हराम है, लिहाज़ा जो मुसलमानों में सर-बर-आवरदा (आगेवान) हों, जो इन मुनाफिकों को मना करने पर बिला फित्ना और फसाद कुदरत (वर्चस्व-Dominate) रखते हों, उन पर फर्ज़ है कि वोह इन मुनाफिकों और मुर्तदों को मस्जिद में आने से रोकें और मुसलामानों की नमाज़ें खराब (Damage) होने से बचायें.'

परअला

'जो शख्स मस्जिद में आकर अपनी ज़बान से लोगों को 'ईज़ा' (कष्ट) देता हो, उसको मस्जिद से निकालने का हुक्म है, क्योंकि जिस शख्स की वजह से नाहक फित्ना (ज़गड़ा) उठता हो, उसे मस्जिद में आने से रोकना ज़रूरी है.'

परअला

'दौरे-हाज़िर (वर्तमान युग) के मुनाफेकीन और मुर्तद्दीन में वहाबी, देवबन्दी, नजदी और गैर मुकल्लिद, कादयानी वगैरह बातिल फिकों (असत्य संप्रदाय) का शुमार होता है. जिस की मुफस्सल तफसील (विस्तृत जानकारी-Detail) ऐतिहासिक किताब 'हुस्सामुल-हरमैन-अला-मन्हरिल-कुफ़रे-वल-मयन'. (सन १३२३ हिजरी, प्रकाशन वर्ष) में मज़कूर है.'

नोट :

इस बाब (प्रकरण) में हदीस शरीफ के बाद जो पांच (५) मसाइल पेश किए गए हैं, उन पांचों मसाइल का हवाला (संदर्भ) हस्बे-ज़ेल (निम्नलिखित) है :-

'अल-अतायन-नबविyya-फिल-फतावा-रज़वीया', जिल्द नं. ६, सफहा नं. १०३, १०६, १०९,, ४३३, ४४७)

“जुम्आ पढ़ना किन पर फर्ज़ है ?”

- ◆ 'जुम्आ पढ़ना वाजिब होने की सात (७) शर्तें हैं. (१) हुरियत (२) जुकूरत (३) अक्ल (४) बुलूग (५) शहर में इकामत (६) सेहत इतनी कि हाज़िरे जमाअत होकर पढ़ सके (७) अदमे-मानेअ मिस्ल हबस व खौफे-दुश्मन व बाराने-शदीद वगैरह न हो. (दुर्रे मुख़्तार, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७४६)
- ◆ बयान कर्दा (वर्णनीय) सात (७) शर्तों की तफसीली वज़ाहत (खुलासा) हस्बे-ज़ैल है.

जुम्आ फर्ज़ होने की पहली शर्त :

'हुरियत'

या'नी आज़ाद (Freedom-स्वतंत्र) होना, या'नी गुलाम न होना. या'नी किसी का गुलाम (Slave = Person, Who is another property = किसीकी मालिकी का व्यक्ति) न होना.'

परअला

'गुलाम पर जुम्आ फर्ज़ नहीं और उसका आका (मालिक-Owner) मना कर सकता है.'

(आलमगीरी, बहारे शरीअत हिस्सा नं. ४, सफहा नं. ९९)

ज़रूरी नोट :

'इस ज़माने में येह मस्अला करीब मफकूद (Expel-अद्रश्य) है क्योंकि अब गुलाम का रिवाज (प्रथा) लगभग बन्द है. पहले के ज़माने (भूतकाल) में दो प्रकार के आदमी होते थे. १. आज़ाद और २. गुलाम. गुलामों (Slave) का बाज़ार लगता था और गुलामों की ख़रीदो फ़रोख़्त (Sale-Purchase)

होती थी, उन गुलामों के लिये येह हुक्म है कि उन पर जुम्आ फर्ज नहीं। इस ज़माने (युग) में इस प्रकार के गुलाम नहीं पाए जाते। लिहाज़ा गुलाम से ग़लत मुराद (अर्थ-Interpet) लेकर कोई शख्स येह ग़लत मस्अला न घड़ ले कि में फ़लां का नोकर (Servant) या ख़ादिम (सेवक) हूं, लिहाज़ा मुज़ पर जुम्आ फर्ज नहीं, बल्कि गुलाम से मुराद वोह शख्स है, जो किसी का ख़रीदा हुआ और मिल्क (सम्पत्ति-Property) हो। इस मस्अले में जो गुलाम का ज़िक्र (वर्णन) है उस से नौकर, मुलाज़िम (कर्मचारी) या ख़ादिम (Retainer) मुराद नहीं।’

जुम्आ फर्ज होने की दूसरी शर्त : ज़ुकूरत

- ◆ या'नी मर्द (पुरुष-To be male) होना। औरत पर जुम्आ फर्ज नहीं। जुम्आ के दिन औरत जोहर की नमाज़ पढ़े।

जुम्आ फर्ज होने की तीसरी शर्त : ‘बुलूग’

- ◆ या'नी बालिग (पुख़्ता उम्र का-Adult) होना। नाबालिग पर जुम्आ की नमाज़ फर्ज नहीं।

जुम्आ फर्ज होने की चौथी शर्त : ‘अक्ल’

- ◆ या'नी अक्लि (समज़दार-Sensible) होना। या'नी जिस की अक्ल सलामत हो या'नी मानसिक समतुला बराबर हो और वोह पागल (दीवाना-Mad) न हो।
- ◆ शर्त नं. ३ ‘बालिग होना’ और शर्त नं. ४ ‘अक्ल’ होना, येह दोनों शर्तें सिर्फ जुम्आ की नमाज़ के लिये ही ख़ास नहीं बल्कि हर इबादत के वाजिब होने में शर्त हैं।
- ◆ ना-बालिग (सगीर-Tender Age) और पागल पर जुम्आ फर्ज नहीं।
- ◆ ना-बालिग जुम्आ पढ़ने आ सकता है और जुम्आ की नमाज़ की जमाअत में शामिल भी हो सकता है।

मस्अला

‘ना-बालिग जुम्आ की नमाज़ की इमामत नहीं कर सकता और खुल्बा भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ख़तीब का सालेहे-इमामत (इमामत की लियाक़तवाला) होना शर्त है और ना-बालिग सालेहे-इमामत नहीं, तो उसका खुल्बा पढ़ना जाइज़ न होगा और उससे फर्ज साक़ित (परिपूर्ण) न होगा।’ (आलमगीरी, फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ६८६)

जुम्आ फर्ज होने की पांचवी शर्त

‘शहर में इक़ामत’

- ◆ या'नी शहर में मुक़ीम (स्थायी-Permanent Dweller) होना या'नी मुसाफ़िर (प्रवासी) न होना।
- ◆ मुसाफ़िर पर जुम्आ फर्ज नहीं। शरई-इस्तेलाह (शरीअत की परिभाषा) में मुसाफ़िर किसको कहते हैं, इसकी तफ़सील इस किताब के बाब (प्रकरण) नं. १६, ‘मुसाफ़िर की नमाज़’ में मुलाहिज़ा फरमाओं. (देखें)

जुम्आ फर्ज होने की छठी शर्त : ‘सेहत’

या'नी इतनी सेहत (तन्दुरस्त, निरोगी) हो कि जुम्आ की नमाज़ पढ़ने के लिये मस्जिद तक आ सके।’

मस्अला

‘मरीज़ (बीमार-Sick) पर जुम्आ फर्ज नहीं। मरीज़ से वोह बीमार मुराद है जो जुम्आ के लिये मस्जिद तक न जा सके या अगर मस्जिद गया तो मर्ज़ (बीमारी) बढ़ जाएगा या दौर में (विलम्ब से) अच्छा होगा।’

(गुन्या, बहारे-शरीअत)

मस्अला

‘शैख़े-फ़ानी या'नी बहुत बुढ़ (अति वृद्ध) जो ज़ो'फो अलालत (कमज़ोरी

व बीमारी) की वजह से नहीफ व नातवां (निर्बल-अशक्त/Lean & Infirm) हो, वोह मरीज़ के हुक्म में है. उस पर जुम्आ फर्ज़ नहीं.' (दुर्रें मुख्तार, बहारे शरीअत, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६३६)

परअला

'जो शख्स किसी मरीज़ की तीमारदारी (सेवा चाकरी) करनेवाला है और वोह जानता है कि अगर मैं जुम्आ पढ़ने गया तो मरीज़ दिक्कों (मुश्कलों) में पड़ जाएगा और उसका कोई पुरसाने-हाल (हाल पूछनेवाला) न होगा, तो उस पर जुम्आ फर्ज़ नहीं.' (दुर्रें मुख्तार, बहारे-शरीअत)

नोट :

अस्पताल (Hospital) में किसी गंभीर (Serious) मरीज़ की तीमारदारी के लिये रहने वाले पर जुम्आ फर्ज़ नहीं, अगर मरीज़ को अकैला छोड़ने में मरीज़ का दिक्कत में पड़ जाने का अंदाशा (संदेह) है.'

परअला

'यक चश्म (एक आंख वाला) और जिस की निगाह (दृष्टि) कमज़ोर हो, उस पर जुम्आ फर्ज़ है.' (दुर्रें मुख्तार, रहुल मोहतार)

परअला

'वोह नाबीना (अंधा-Blind) जो खुद (स्वयं) मस्जिदे-जुम्आ तक बिला तकल्लुफ न जा सके, उस पर जुम्आ फर्ज़ नहीं. बा'ज (अमुक) नाबीना बिला तकल्लुफ बगैर किसी की मदद के बाजारों और रास्तों (सड़कों) पर चलते फिरते हैं, और जिस मस्जिद में जाना चाहें, बिला पूछे जा सकते हैं, उन पर जुम्आ की नमाज़ फर्ज़ है.'

(दुर्रें मुख्तार, रहुल मोहतार)

परअला

'अपाहिज (अपंग) पर जुम्आ फर्ज़ नहीं, अगरचे कोई ऐसा हो कि उसे उठाकर मस्जिद तक ले जाए, फिर भी उस अपाहिज पर जुम्आ फर्ज़ नहीं.

(रहुल मोहतार, बहारे शरीअत, हिस्सा नं. ४, सफहा नं. १०१)

परअला

'जिस का एक पांव (पग-Leg) कट गया हो या फालिज (पक्षाघात-Paralysis) से बेकार हो गया हो, अगर वोह मस्जिद तक जा सकता है, तो उस पर जुम्आ फर्ज़ हैं, वर्ना नहीं.' (दुर्रें मुख्तार, बहारे-शरीअत)

जुम्आ फर्ज़ होने की सातवी शर्त

अदमे-मानेअ

या'नी कोई ऐसा अम्र (कारण) मानेअ (अवरोधक-Obstruction) न हो, जो जुम्आ की नमाज़ के लिये जाने से रोके. मस्लन किसी ने रोक रखा हो या'नी क़ैद की शक्ल में पकड़ रखा हो, या किसी ने अपनी मरज़ी के ख़िलाफ (इच्छा के विरुद्ध) किसी मकान में बन्द कर दिया हो या जुम्आ के लिये जाने से किसी दुश्मन का ख़ौफ हो कि वोह हमला (प्रहार-Attack) करके तकलीफ पहुंचाएगा या ज़ालिम हाकिम (शासक) बादशा या किसी ज़ालिम शख्स का ख़ौफ है, तो उस पर जुम्आ फर्ज़ नहीं.'

(रहुल मोहतार, बहारे-शरीअत)

परअला

'सख़्त और मूसलाधार बारिश (अति वर्षा-Heavy Rain) हो रही है, या

सख़्त आंधी (Storm) चल रही है और मस्जिद तक जाना मुम्किन नहीं तो जुम्आ फर्ज़ नहीं।’

(बहारे शरीअत, हिस्सा नं. ४, सफ़हा नं. १०० और फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. १, सफ़हा नं. ६३४)

परअला

‘अगर जुम्आ के लिये जाता है, तो पीछे से माल-सामान चोरी हो जाने का कामिल अंदेशा (संपूर्ण संदेह) है, और ऐसा कोई शख्स मौजूद नहीं, जिस को माल-सामान की निगरानी (देखभाल) पर मा’मूर (नियुक्त) कर सके, तो ऐसी सूरत में उस पर जुम्आ फर्ज़ नहीं।’ (रहुल मोहतार, बहारे-शरीअत)

जुम्आ के मुतअल्लिक ज़रूरी मसाइल

परअला

‘जिस मरीज़ या मुसाफ़िर या वोह शख्स कि जिस पर जुम्आ फर्ज़ नहीं, उन लोगों को भी जुम्आ के दिन शहर में जमाअत के साथ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना मकरूहे तहरीमी और नाजाइज़ है. ख़्वाह (चाहे) जुम्आ की नमाज़ जिस मस्जिद में होगी, उसमें नमाज़े-जुम्आ से पहले पढ़ें. या बाद में पढ़ें, किसी भी सूरत (स्थिति) में ज़ोहर की नमाज़ जमाअत से पढ़ने की इजाज़त (परवानगी) नहीं।’ (दुर्रें मुख़्तार)

परअला

‘जिन लोगों को किसी वजह से जुम्आ की नमाज़ में शरीक होना मयस्सर (प्राप्य-Attaiable) नहीं हुआ, वोह लोग भी बग़ैर अज़ान और इक़ामत ज़ोहर की नमाज़ तन्हा-तन्हा (अकैले-Alone) पढ़ें, उन को भी ज़ोहर की नमाज़ जमाअत से पढ़ना ममनूअ (मना-Forbidden) है।’

(दुर्रें मुख़्तार, बहारे-शरीअत, हिस्सा नं. ४, सफ़हा नं. १०२)

परअला

‘वोह मा’जूर (असमर्थ) कि जिस पर जुम्आ फर्ज़ नहीं, वोह भी अगर जुम्आ के दिन ज़ोहर की नमाज़ पढ़े, तो मुस्तहब येह है कि जुम्आ की नमाज़ हो जाने के बाद पढ़े. नमाज़े-जुम्आ से पहले पढ़ना मकरूह है।’ (दुर्रें मुख़्तार)

परअला

‘जुम्आ की नमाज़ के लिये पहले से (जल्दी से) जाना और मिस्वाक करना, और अच्छे व सफेद (White) कपड़े पहनना, तेल और खुशबु लगाना मुस्तहब है. जुम्आ के दिन गुस्ल (स्नान) करना सुन्नत है।’ (आलमगीरी, गुन्या शरहे मुन्या)

परअला

‘हजामत बनवाना और नाखून (नख) काटना जुम्आ की नमाज़ के बाद अफज़ल (उत्तम) है।’ (दुर्रें मुख़्तार, बहारे-शरीअत)

परअला

‘जुम्आ के दिन अगर सफ़र किया और ज़वाल से पहले शहर की आबादी से बाहर निकल गया, तो हर्ज़ नहीं और ज़वाल शुरू हो जाने के बाद सफ़र करना ममनूअ है. अब उस पर लाज़िम है कि जुम्आ पढ़ने के बाद ही सफ़र करे।’ (दुर्रें मुख़्तार, बहारे-शरीअत)

जुम्आ की अज़ाने-सान्नी

(अज़ाने खुत्बा)

- ♦ जुम्आ की नमाज़ की दो (२) अज़ानें होती हैं. एक अज़ान शुरू वक़्त में होती है और दूसरी अज़ान ऐ’न (ठीक/Exact) खुत्बा के वक़्त होती है, अकसर मस्जिदों में खुत्बा की अज़ान मस्जिद के अंदर के

हिस्से में और मिम्बर के करीब, इमाम के सामने और नज़दीक (समीप) खड़े होकर दी जाती है, लेकिन शरीअते-मुतहहरा के कानून (नियम) के मुताबिक (अनुसार) मस्जिद के अंदर (Inside) अज़ान देना बिदअत है. जुम्आ के खुत्बा के वक़्त दी जानेवाली अज़ान भी ख़ारिजे-मस्जिद (Out side) देनी चाहिये. बहुत से ना-वाकिफ (अज्ञानी) लोग खुत्बा के वक़्त दी जानेवाली अज़ाने-सानी (द्वितीय अज़ान) को मस्जिद के अंदर और मिम्बर के करीब देने को सुन्नत समजते हैं, लेकिन हकीकत बरअक्स (उल्टी-Contrary) है. एक हवाला (संदर्भ) पैसे-खिदमत है.

फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७३० पर है कि....

‘इस अज़ान का मस्जिद में ख़तीब के सामने कहना बिदअत है, जिसे इब्तिदाअन (शुरू में) बा’ज़ लोगों ने इख़्तियार किया (अपनाया). फिर इसका ऐसा रिवाज पड़ गया कि गोया वोह सुन्नत है. हालांकि शरीअते-मुतहहरा (पवित्र शरीअत) में उसकी कुछ अस्ल नहीं.’

दूसरा हवाला :

‘हुजूरे-अक़दस सय्येदे-आलम, सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम के ज़मान-ए-अक़दस में येह अज़ान दरवाजा-ए-मस्जिद पर हुआ करती थी. ख़ोलोफा-ए-राशेदीन रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम के ज़माने में भी यही दस्तूर (कानून) था. हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम और ख़ोलोफा-ए-राशेदीन रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के ज़माने में कभी भी येह अज़ान मस्जिद के अंदर नहीं दी गई.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७२६)

हदीस

‘सुनने-अबी दाउद शरीफ जिल्द नं. २, सफहा नं. १५६ बः सनदे हसन मर्वी है कि; ‘हददसना-नुफैली-हददसना-मुहम्मदु-बनो-सलमता-अन-मुहम्मदिब्ने-ईस्हाका-अनिजूज़हरी-अनिस्साईबे-बने-यज़ीद रदीय्यल्लाहो-तआला-अन्हो-काला-काना-यू’ज़नो-बयना-यदा-रसूलिल्लाहे-सल्लल्लाहो-तआला-अलैहे-वसल्लमा-इज़ा-जलसा-अलल-मिम्बरे-यवमल-जुम्अते-अला-बाबिल-मस्जिदे-व-अबी-बकरिंव-व-उमर.’

तर्जुमा :

‘रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम रोज़े जुम्आ जब मिम्बर पर तशरीफ फरमा होते तो हुज़ूर के रूबरू अज़ान मस्जिद के दरवाजे पर दी जाती और यूंही अबूबकर व उमर फारूक रदीयल्लाहो तआला अन्हुमा के ज़माने में.’

(बःहवाला ‘अवाफिल-लुम्आ-फी-अज़ाने-यवमिल-जुम्आ’

(अज़ : आ’ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेल्वी)

इस हदीस शरीफ से साबित हुआ कि खुत्बा के वक़्त मस्जिद के दरवाजे पर अज़ान होने का मा’मूल (प्रणालिका-Customary) ज़मान-ए-अक़दस सरकारे-दो आलम सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम और हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फारूके आज़म के ज़माने में था.

◆ ‘हुजूरे अक़दस सय्येदे-आलम सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम और हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फारूके-आज़म रदीयल्लाहो तआला अन्हुमा के ज़माने में जुम्आ के दिन, सिर्फ़ एक ही अज़ान होती थी और वोह अज़ान खुत्बा के वक़्त मसिजद के दरवाजे पर होती थी. जब अमीरूल मो’मेनीन हज़रत उस्मान जुन्नूरैन

रदीयल्लाहो तआला अन्हो 'ख़लीफतुल मुस्लेमीन' हुए, तब उनकी ख़िलाफ़त के इब्तिदाई (प्रारंभिक) दौर तक वही एक अज़ान थी जो खुत्बा के वक़्त मस्जिद के दरवाज़े पर दी जाती थी। फिर आपने अज़ाने अब्वल जाइद (अधिक- Redundant) फ़रमाई, लेकिन अज़ाने खुत्बा में कोई तबदीली (परिवर्तन-Alteration) न हुई या'नी खुत्बे के वक़्त की अज़ान मस्जिद के दरवाज़े पर ही दी जाती थी।

अल हासिल :

- ◆ 'हुजूरे अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम और हज़रत अबू बक्र सिद्दीक तथा हज़रत उमर फारूके आज़म रदीयल्लाहो तआला अन्हुमा के ज़माने में जुम्आ की सिर्फ़ एक ही अज़ान होती थी और वोह अज़ान खुत्बे के वक़्त मस्जिद के दरवाज़े पर दी जाती थी।
- ◆ हज़रत उस्मान ग़नी और हज़रत मौला अली रदीयल्लाहो तआला अन्हुमा के ज़माने (युग) में जुम्आ की दो (२) अज़ाने होती थीं। पहली अज़ान खुत्बा के कुछ वक़्त पहले होती थी और दूसरी अज़ान ऐ'न खुत्बा के वक़्त मस्जिद के दरवाज़े पर होती थी। मस्जिद के अंदर अज़ान नहीं होती थी।

हवाला :

'जुम्आ की अज़ाने-खुत्बा मस्जिद के अंदर देने की बिदअत अमीरूल मो'मिनीन हज़रत उस्मान ग़नी रदीयल्लाहो तआला अन्हो के अस्सी साल (८० वर्ष) के बाद शुरू हुई। इमाम इब्नुलहाज मक्की ने 'मदख़ल' में लिखा है कि हिशाम बिन अब्दुल मलिक नाम के मरवानी बादशाहने इस सुन्नत को बदला और हिशाम बिन अब्दुल मलिक का ज़माना अमीरूल मो'मिनीन हज़रत उस्मान ग़नी रदीयल्लाहो तआला अन्हो से अस्सी (८०) बरस बाद हुआ.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७२६)

अन्य हवाले :

'फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७७१ के हवाले से मिल्लते-इस्लामिया के महान इमामों की आधारभूत और विश्वसनीय सर्वमान्य किताबों के कुछ हवाले (संदर्भ) पैसे ख़िदमत हैं। जिसके मुतालेआ (वांचन) से येह हकीक़त दोपहर के सूरज की तरह रोशन हो जाएगी कि मस्जिद के अंदर अज़ान देना मना है।

१. 'फतहुल क़दीर' मतबूआ (मुद्रित) मिस्र, जिल्द नं. १, सफहा नं. १७१ पर है कि ;

'अल-इक्कामतो, -फिल-मस्जिदे-ला-बुददा-व-अम्मल-अज़ानो-फ-अलल-मुअज़्जेनते-फ-ईल-लम-यकून-फ-फी-फिनाईल-मस्जिदे -व- कालू-ला-यु'ज़नो-फिल-मस्जिदे.'

तर्जुमा (अनुवाद) :

'इक्कामत तो ज़रूर मस्जिद में होगी। रही अज़ान, वोह मिनारे पर हो। अगर मिनारा न हो तो बैरूने-मस्जिद (मस्जिद के बाहर) ज़मीने-मुतअल्लीके-मस्जिद (मस्जिद से संलग्न-Attached to Mosque) में हो। औलोमा फरमाते हैं कि मस्जिद में अज़ान न हो.'

२. 'मस्जिद में अज़ान देनी मकरूह है। (१) फतावा काज़ीखान (२) फतहुल क़दीर (३) ख़ज़ाइनुल मुफतीन (४) आलमगीरी (५) बहरूर राइक (६) तहतावी अलल मुराकी (७) रहुल मोहतार या'नी फतावा शामी (८) बरजन्दी (९) फतावा ख़ानिया (१०) सराजुल वहाज (११) शरहे-मुख़्तसरूल वक़ाया वग़ैरह किताबों में साफ हुक्म मन्कूल (वर्णन) है कि 'ला'यु'ज़नो-फिल-मस्जिदे' तर्जुमा (अनुवाद) मस्जिद में अज़ान न दी जाए.'

३. 'हाशिया तहतावी' मतबूआ मिस्र (Egypt) जिल्द नं. १ सफहा नं. १२८ में है कि, 'यकरहो-अंय-यू'ज़ना-फील-मस्जिदे-कमा-फील-कहस्तानी-अनिन-नज़्मे. फ-इन-लम-यकून-समहू-मकानुन-मुरतफेउन-लिल-अज़ाने-यु'ज़नो-फील-फिनाइल मस्जिदे-कमा-फील-फत्हे.'

तर्जुमा (अनुवाद) : 'मस्जिद में अज़ान देनी मकरूह है, जैसा कि किताबे-कहस्तानी में किताब 'नज़्म' से मन्कूल है. तो अगर वहां अज़ान के लिये बुलन्द मकान न बना हो, तो मस्जिद के आसपास और मस्जिद से मुतअल्लिक ज़मीन में अज़ान दे, जैसा कि किताब 'फत्हुल-कदीर' में बयान (वर्णन) है.'

४. 'फतावा खानिया' में है कि, 'यम्बगी-अंय-यू'ज़ना-अलल-मुअज़्ज़नते-अव-खारिजिल-मस्जिदे-व-ला-यु'ज़नो-फील-मस्जिदे.'

तर्जुमा (अनुवाद) : 'अज़ान मिनारा (Minaret) पर या मस्जिद के बाहर चाहिये. मस्जिद में अज़ान न कही जाए.'

५. 'फतावा खुलासा' और 'फतावा आलमगीरी' में नं. ४ के हवाला 'फतावा खानिया' की इबारत (Phase) जैसी ही बःऐनेही (हू ब हू/शब्दसः) इबारत पाई जाती है.'

मक़सद (लक्ष के पात्र) :

येह बात सर्वमान्य और आम समज़ की है कि अज़ान का मक़सद (आशय-Intent) लोगों को इत्तेलाअ (ख़बर-Informing) देना है या'नी उन लोगों को इत्तेला देना है, जो मस्जिद में नहीं आए, पांचो वक़्त अज़ान कहने का मक़सद यही है कि लोगों को इत्तेला (मा'लूम) हो जाए कि नमाज़ का वक़्त हो गया है, ताकि वोह अज़ान सुनकर मस्जिद की तरफ आएं और नमाज़ की

जमाअत में शरीक हो जायें. जुम्आ के खुत्बे के वक़्त दी जाने वाली अज़ान का भी यही मक़सद है कि जो लोग पहली अज़ान हो जाने के बाद अभी तक मस्जिद में नहीं आए, वोह लोग खुत्बा की अज़ान को आखिरी इत्तेला (Final Call) समज़कर बिला किसी ताख़ीर (विलम्ब) जल्द से जल्द नमाज़े जुम्आ के लिये हाज़िर हो जायें और येह मक़सदे इत्तेला मस्जिद के अंदरूनी (आंतरिक) हिस्से में अज़ान देने से हासिल (प्राप्त) नहीं होगा, बल्कि ख़ारिजे-मस्जिद अज़ान देने से ही हासिल होगा.

इलावा अर्जी (विशेषत) हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम और ख़ोलोफा-ए-राशेदीन के ज़मान-ए-ख़यरूल कुरून (सर्वोत्तम काल) में कभी भी जुम्आ की अज़ान मस्जिद के अंदर नहीं दी गई. मज़ीद-बर-आँ (उपरान्त) मिल्लते इस्लामिया के महान आलिमों की विश्वसनीय किताबों में स्पष्ट निर्देशन है कि 'मस्जिद के अंदर अज़ान देना मना है' इन तमाम सुबूतों (Evidances) को देखें और हक़ीक़त (वास्तविकता) से असर लेकर अगर आप के शहर की मस्जिद में जुम्आ के खुत्बे की अज़ान मस्जिद के अंदर मिम्बर के पास दी जाती हो, तो इस बिदअत को ख़त्म करके, सुन्नते-रसूल और सुन्नते सहाबा के मुताबिक़ तरीका अपनाकर जुम्आ के खुत्बे की अज़ान ख़ारिजे-मस्जिद देने की शुरूआत करें.

◆ आ'ला हज़रत, इमामे-अहले-सुन्नत, मुजद्दिदे-दीनो-मिल्लत, इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेल्वी (कुदेसा सिरुहु) जुम्आ के खुत्बे की अज़ान मस्जिद के अंदर देने की मुमानेअत करते हुए फरमाते हैं कि;

१. 'वजहे-मुफ़सेदत (प्रतिवाद का कारण-Quarrel) ज़ाहिर है कि दरबारे-मलिकुल मुल्क (बादशाहों के बादशाह) जल्ला जलालहु की बेःअदबी है. शाहिद इसका शाहिद (गवाह) है कि दरबारे-शाही में अगर चोबदार (छड़ीदार-Macebearer) आए और मकाने इजलास

में खड़ा होकर चिल्लाए कि दरबारियों चलो, सलाम को हाज़िर हो, तो वोह ज़रूर गुस्ताख़ व बे:अदब ठहरेगा. जिसने शाही दरबार न देखे हों वोह इन्हीं कचहरियों को देख लें कि मुद्दई (दावा करनेवाला-Plaintiff) मुद्दआ अलैहे (प्रतिवादी-Defendant) और गवाहों की हाज़री कमरों के बाहर पुकारी जाती हैं. चपरासी खुद कमर-ए-कचहरी (कोर्ट रूम) में खड़ा होकर चिल्लाए और हाज़रियाँ पुकारे तो ज़रूर मुस्तहिके सज़ा हो और ऐसे उमूरे-अदब (शिष्टता के कार्य-Urbanity) में शरअन 'उर्फ-मा'हूद-फिश-शाहिद' का लिहाज़ होता है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७२९)

नोट :

'उर्फ-मा'हूद-फिश-शाहिद का लिहाज़ होता है' का मतलब यह है कि रस्म (प्रचलित तरीका) जो देखी भाली हो, उसका ख्याल किया जाता है या'नी अपनाया जाता है.'

२. 'तो वजह वही है कि अज़ान हाज़री-ए-दरबार पुकारने को है और खूद दरबार हाज़री पुकारने को नहीं बनता. हमारे भाई अगर अज़मते-इलाही के हुज़ूर गरदनं झुका कर, आँखें बन्द कर के, बराहे-इन्साफ नज़र फरमाओं, तो जो बात एक मुन्सिफ (न्यायाधीश-Judge) या जेन्ट (सज़्जन-Gent) की कचहरी (कार्यालय) में नहीं कर सकते,अहकमुल-हाकिमीन अजूज़ा-व-जल्ला के दरबार को उससे महेफूज़ (सुरक्षित) रखना लाज़िम जानें.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ७३०)

अज़ाने-खुत्बा इमाम के सामने दी जाए.

इस मरअले का ज़रूरी खुलासा

जुम्आ की अज़ाने-सानी (अज़ाने-खुत्बा) ख़ारिजे-मस्जिद और इमाम के सामने दी जाए. या'नी अज़ान देनेवाला ख़तीब को और ख़तीब अज़ान देने वाले को देख सके. लेकिन अगर किसी मस्जिद की ता'मीर (Construction) इस तरह है कि ख़ारिजे-मस्जिद खड़े हुए मोअज़िज़न और मिम्बर पर बैठे हुए ख़तीब के दरमियान सुतून (Pillar) या दीवार हाइल हो, तो भी अज़ान ख़ारिजे मस्जिद ही दी जाए.

बा'ज मस्जिद में यह सूरत होने की वजह से अज़ान ख़ारिजे-मस्जिद नहीं देते बल्कि मस्जिद के अंदर के हिस्से में मिम्बर के क़रीब देते हैं आर यह उज़्र (बहाना) पेश करते हैं कि ख़तीब और मोअज़िज़न में महाजात (आमना-सामना) नहीं होती, इस लिये मस्जिद के अन्दर अज़ान देते हैं. यह उज़्र शरअतन काबिले-कबूल नहीं क्योंकि अगर ख़तीब और मोअज़िज़न में आमना-सामना होने में सुतून या दीवार हाइल (अवरोध) है तब भी अज़ान ख़ारिजे-मस्जिद ही दी जाए. क्योंकि शरीअत में महाजात (आमना-सामना) से भी ज़ियादा ता'कीद (सूचना) इस बात पर है कि अज़ान मस्जिद के बाहर दी जाए. ज़ेल में दो (२) हवाले पेशे-ख़िदमत हैं :-

हवाला नं. १ :

'यहाँ दो (२) सुन्नते हैं. एक महाजाते-ख़तीब, दूसरी अज़ान का मस्जिद से बाहर होना. जब इन दोनों में 'तआरूज़' (विरोधाभास-Confronting) हो, और जमा (मिलाना) ना-मुमकिन हो, तो 'अरजह' (ज़ियादा बेहतर) और अक़्वा (ज़ियादा मज़बूत) सुन्नत मस्जिद में अज़ान देने से मुमानेअत (प्रतिबन्ध)

है. फतावा काज़ी ख़ान, खुलासा, ख़ज़ाइनुल मुफतीन, फत्हुल क़दीर, बहरूर राइक, बरजन्दी और आलमगीरी में है कि; 'ला-युज़नो-फ़िल-मस्जिदे' (या'नी 'मस्जिद में अज़ान न दी जाए') नीज़ (विशेष में) फत्हुल क़दीर, नज़म, तहतावी-अलल-मुराक़ी वग़ैरह किताबों में मस्जिद के अन्दर अज़ान मकरूह होने की तस्वीह (वर्णन) है.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ७२९)

हवाला नं. २ :

'तो साबित हुआ कि मस्जिद के बाहर अज़ान देना ही महाजाते-ख़तीब से अहम, अक़द और अलज़म (ज़ियादा महत्वपूर्ण) है. तो जहां दोनों न बन पड़ें, महाजाते-ख़तीब से दरगुज़र (त्याग) करें और मिनारा या फ़सील वग़ैरह पर येह अज़ान भी मस्जिद से बाहर दें.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ७३१)

'खुत्बे की अज़ान मस्जिद के अंदर देने की बिदअत शुरू करनेवाला ज़ालिम मर्वानी बादशाह था, जिसने हज़रत इमाम हुसैन के पौते(पौत्र) हज़रत ज़ैद को शहीद किया था.'

'जुम्आ की अज़ाने-खुत्बा मस्जिद के अन्दरूनी हिस्से (Inside)में देने का इसरार (आग्रह-Perservere) करनेवाले अपने दा'वे में हिशाम इब्ने-अब्दुल मलिक मर्वानी बादशाह की इजाद (शोध-invent) की हुई बिदअत का इत्तेबाअ (अनुकरण) कर रहे हैं.'

'हिशाम इब्ने-अब्दुल मलिक एक मर्वानी ज़ालिम बादशाह था. जिसने सय्येदुश्शोहदा हज़रत सय्यदुना इमाम हुसैन बिन अली मुर्तज़ा रदीयल्लाहो

तअ़ाला अन्हुमा के पोते (पौत्र-Grandson) या'नी हज़रत सय्येदुना इमाम ज़ैनुल आबेदीन रदीयल्लाहो तअ़ाला अन्हो के साहबज़ादे (पुत्र-Son) हज़रत ज़ैद बिन अली बिन हुसैन बिन अली रदीयल्लाहो तअ़ाला अन्हो को शहीद किया था. हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने हज़रत ज़ैद रदीयल्लाहो तअ़ाला अन्हो को सूली (फांसी-Hanging) दिलवाई थी और उस पर येह शदीद जुल्म कि ना'शे-मुबारक (लाश) को दफ़न न होने दिया और बरसों तक हज़रत ज़ैद इब्ने-इमाम ज़यनुल आबेदीन की ना'शे-मुबारक सूली पर लटकती रही, लैकिन जिस्मे अक़दस सहीह और सालिम (सलामत) रहा. जिस्म में कोई ख़राबी या तग़य्युर (फेरफार) न हुआ.

अलबत्ता आप के जिस्म पर जो कपड़े थे, वोह गल (सड़) गए और क़रीब था कि आपका 'सतर' खुल जाए, मगर अल्लाह तअ़ालाने मकड़ी (करोलिया-Spider) को हुक्म दिया तो मकड़ी ने हज़रत ज़ैद के जिस्मे मुबारक पर ऐसा जाला (Web) तान दिया कि वोह मिस्ल 'तहेबन्द' (लुंगी) के हो गया. हिशाम बिन अब्दुल मलिक के मरने के बाद हज़रत ज़ैद इब्ने इमाम ज़यनुल आबेदीन रदीयल्लाहो तअ़ाला अन्हो के जिस्मे अक़दस को सूली से नीचे उतार कर दफ़न किया गया.' (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफ़हा नं. ४१४/४१०)

अलहासिल ! जुम्आ की अज़ाने-खुत्बा ख़ारिजे मस्जिद देना हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम और हज़राते ख़ोलोफ़ा-ए-राशेदीन की सुन्नत है और जुम्आ की अज़ाने-खुत्बा मस्जिद के अंदर देना हिशाम बिन अब्दुल मलिक नाम के ज़ालिम मर्वानी बादशाह की इजाद की हुई बिदअत है.

लिहाज़ा, जुम्आ की अज़ाने-खुत्बा ख़ारिजे-मस्जिद ही देनी चाहिये और मस्जिद के अंदर मिम्बर के क़रीब हरगिज़-हरगिज़ न दी जाए. इस मस्अले की जिन हज़रात को मज़ीद तफ़सल और वज़ाहत दरकार हो, वोह आ'ला हज़रत, इमामे-अहले सुन्नत, इमाम अहमद रज़ा

खान मुहद्दिस बरेल्वी अलैहे रहमतुं व रिदवान के मंदरजा ज़ेल
(निम्नलिखित) रसाइल की तरफ रूजूअ फरमाएँ :

१. 'अवफ़ील-लुम्आ-फी-अज़ाने-यवमिल-जुम्आ'
(स. हि. १३२०)
२. शमाइमुल-अम्बर-फी-अदबिन्निदाए-अमामल-मिम्बर'
(स. हि. १३२१)
३. 'अज़ानुम-मिनल्लाहे-ले-क़यामे-सुन्नते-नबीयील्लाहे'
(स. हि. १३२२)
४. 'शमामतुल-अम्बर-फी-महलिन-निदाए-बे-अज़ाईल-मिम्बर'
(स. हि. १३२७)
५. 'सलामतो-ले-अहलिस्सुन्नते-मिन-सयलिल-एनादे-वल-फित्ते'
(स. हि. १३३२)

प्रकरण
(९)

मुफ़सिदाते नमाज़

- ◆ या'नी वोह काम और बातें जिनकी वजह से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है या'नी नमाज़ टूट जाती है और अज़-सरे-नौ या'नी फिर से दोबारा नमाज़ पढ़ना लाज़मी होता है.
- ◆ जिनकी वजह से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है और सज्द-ए-सह्व करने से भी नमाज़ दुरूस्त नहीं होती.
- ◆ हमारे बहुत से मो'मिन भाई ना-वाक़फ़ीयत (अनजान होने) की वजह से इन कामों का इरतिकाब (आचरण) कर लेते हैं और उनको इस बात का इल्म तक नहीं होता कि मैंने नमाज़ की हालत में ऐसा काम कर लिया है कि जिस के कारण मेरी नमाज़ फ़ासिद हो गई है.
- ◆ ज़ैल में (नीचे) मुफ़सिदाते-नमाज़ या'नी वोह बातें कि जिनकी वजह से नमाज़ टूट जाती है, वोह लिख दिये हैं, ताकि हमारे मो'मिन भाई इन बातों को अच्छी तरह याद कर लें और नमाज़ में इन बातों से बचें.

मुफ़सिदाते-नमाज़ के मसाइल

मस्अला

'नमाज़ की हालत में कलाम (बात) करने से नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी फिर चाहे वोह कलाम करना अमदन हो, या ख़ताअन हो या सहवन हो.

अमदन (जान बूज़कर-Purposely) कलाम करने से येह मुराद है कि उसको मालूम था कि नमाज़ में कलाम करने से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है, फिर भी उसने जान बूज़कर कलाम किया.

ख़ताअन (दोष, क्षति-Mistake. Fault) कलाम करने से येह मुराद है कि उसे येह मस्अला मा'लूम ही न था कि नमाज़ में कलाम

करने से नमाज़ फासिद हो जाती है और उसने कलाम कर लिया या किरअत वगैरह अज़कारे-नमाज़ कहना चाहता था और ग़लती से ज़बान से कोई जुमला (वाक्य) निकल गया.

सहवन (बिना इरादा, भूल से-Erroneously) कलाम करने से येह मुराद है कि उसको अपना नमाज़ में होना याद न रहा हो आर मुंह से कोई बात निकाल दी.

अल-ग़र्ज़ (तात्पर्य) ! अमदन, ख़ताअन और सहवन किसी तरह भी नमाज़ में कलाम करने से नमाज़ फासिद हो जाएगी.'

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअत, हिस्सा नं. ३, सफहान नं. १४८)

परअला

'कलाम करने में ज़ूयादा या कम बोलने का फर्क नहीं और येह भी फर्क नहीं कि वोह कलाम नमाज़ के बाहर के काम के मुतअल्लिक (सम्बन्धित) हो, या नमाज़ के मुतअल्लिक या'नी नमाज़ की इस्लाह (सुधार) के लिये हो, मस्लन इमाम का'द-ए-उला में बैठना भूल गया और तीसरी रकअत के लिये खड़ा हो गया और मुक़्तदी ने इमाम को गलती बताने के लिये 'बैठ जाओ' कहा, या सिर्फ 'हूँ' ही कहा, तो मुक़्तदी की नमाज़ फासिद हो गई.'

(दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

परअला

'नमाज़ में किसी को सलाम किया या किसी के सलाम का जवाब दिया या'नी 'अस्सलामो-अलैकुम' या 'व-अलैकुमुस-सलाम' कहा, या सिर्फ 'सलाम' ही कहा, या सलाम की निव्यत से मुसाफहा (हस्तधून-Shake hand) किया, तो नमाज़ फासिद हो गई.'

(आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

परअला

'चार (४) रकअत वाली नमाज़ पढ़ रहा था और दो (२) रकअत वाली नमाज़ पढ़ रहा हूँ, येह समज़कर दो (२) रकअत पर सलाम फ़ैर दिया, तो नमाज़ फासिद हो गई. उस पर 'बिना' भी जाइज़ नहीं. अज़-सरे-नौ (फिरसे) पढ़े.'

(आलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा नं. ३ सफहा नं. १४९)

परअला

'किसी को छींक आई और नमाज़ीने उसको जवाब देते हुए 'यरहमोकल्लाह' कहा, तो नमाज़ फासिद हो गई.'

(आलमगीरी, बहारे शरीअत, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. १४९)

परअला

'नमाज़ी को हालते नमाज़ में छींक (Sneeze) आए, तो सुकूत करे, (या'नी कुछ भी न कहे) अगर 'अल-हम्दो लिल्लाह' कहे लिया, तो नमाज़ में हर्ज़ नहीं, लैकिन हालते नमाज़में 'अल-हम्दो-लिल्लाहे' न कहे, बल्कि नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बा हम्द करे.' (आलमगीरी, बहारे शरीअत)

परअला

'खुशी की ख़बर सुनकर 'अल-हम्दोलिल्लाहे' कहा, या बुरी ख़बर सुनकर 'इन्ना-लिल्लाहे-व-इन्ना-इलैहे-राजेउन' कहा, तो नमाज़ फासिद हो जाएगी.'

(आलमगीरी, बहारे शरीअत, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. १५०, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. १, सफहा नं. २३०)

परअला

'अल्लाह-तबारक-व-तआला का नामे-ज़ात 'अल्लाह' या दूसरा कोई सिफाती नाम सुनकर 'जल्ला-जलालहू' कहा, या हुजूरे-अक़दस सरकारे-

दोआलम सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम का मुबारक नाम सुनकर 'सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम' कहा तो नमाज़ फासिद हो जाएगी.'

(दुर्रे-मुख्तार, रहुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. १५०, फतावा रजवीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४४९)

'नमाज़ की हालत में ज़बान पर 'नअम' (Yes), या 'अरे' या 'हाँ' जारी हो गया, तो नमाज़ फासिद हो गई.'

(दुर्रे मुख्तार)

परअला

'नमाज़ी ने अपने इमाम के सिवा किसी दूसरे को लुक़मा दिया, तो नमाज़ फासिद हो गई, और जिसको लुक़मा दिया, वोह नमाज़ में हो या न हो या'नी वोह नमाज़ में कुरआन पढ़ता हो, या बैरूने नमाज़ या'नी नमाज़ के बाहर कुरआन पढ़ता हो, मस्लन क़रीब में बैठकर कोई शख्स कुरआने-मजीद की तिलावत कर रहा था और तिलावत में ग़लती की और उस की ग़लती पर नमाज़ी ने उस को लुक़मा दिया, तो लुक़मा देने वाले की नमाज़ फासिद हो गई. इलावा अर्जी वोह ग़लत पढ़नेवाला नमाज़ में चाहे मुनफरिद हो, या मुक़तदी हो, या किसी दूसरे का इमाम हो.'

(दुर्रे मुख्तार, बहारे शरीअत, फतावा रजवीया, जिल्द नं. १, सफहा नं. २२६)

परअला

'इस तरह मुक़तदी के सिवा किसी दूसरे का लुक़मा लेने से भी नमाज़ फासिद हो जाती है. मस्लन इमामने क़िरअत में ग़लती की, या मुनफरिद ने क़िरअत में ग़लती की, या इमाम ने अरकाने-नमाज़ में कोई ग़लती की, मिसाल के तौर पर एक रकअत के बाद क़ा'दा कर लिया और इमाम की ग़लती पर ऐसे शख्स ने लुक़मा दिया जो जमाअत में शरीक (शामिल) नहीं, और इमाम ने उसका लुक़मा

कुबूल कर लिया, तो नमाज़ फासिद हो जाएगी.'

(दुर्रे मुख्तार, रदुदुल मोहतार, फतावा रजवीया, जिल्द नं. १, सफहा नं. २२६)

परअला

'नमाज़ की हालत में दर्द, तकलीफ या मुसीबत की वजह से मुंह से 'आह' या 'ओह' या 'उफ' या 'तुफ' या 'हाए' अल्फाज़ (शब्द) निकले, या आवाज़ से रोया (रूदन-Cry) और रोने में किसी तरह के हर्फ पैदा हुए (या'नी मुंह से निकले), तो इन तमाम सूरतों में नमाज़ फासिद हो जाएगी और अगर रोने में सिर्फ आंसू निकले और आवाज़ तथा हर्फ न निकले तो हर्ज़ नहीं और अगर अल्लाह तआला के खौफ (डर) से रोया और आवाज़ निकली, तो नमाज़ फासिद नहीं होगी.'

(दुर्रे मुख्तार, बहारे शरीअत)

परअला

'छींक, जमाही (बगासु-Yawn), खांसी और डकारने (ओडकार-Bleching) में जितने हुरूफ (अक्षर) निकलते हैं वोह मजबूरन निकलते हैं और मजबूरन निकलने की वजह से मुआफ हैं. नमाज़ फासिद नहीं होती.'

(दुर्रे मुख्तार, बहारे शरीअत, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. १५०)

परअला

'फूंकने में अगर आवाज़ पैदा न हो तो वोह मिस्ल सांस के है और उससे नमाज़ फासिद नहीं होगी, मगर क़स्दन (जान बूझकर) फूंकना मकरूह है. और अगर फूंकने में दो (२) हर्फ पैदा हुए मस्लन 'उफ' या 'हूफ' या 'तुफ' या 'हुश' तो नमाज़ फासिद हो जाएगी.'

(गुन्या शरहे मुन्या)

परअता

‘खखारने (खोंखारो-Hem) में अगर दो (२) हर्फ ज़ाहिर हो, जैसे ‘आह’ या ‘अख’ या ‘हख’ तो अगर कोई उज़्र (कारण) नहीं, तो अ़बस (व्यर्थ, बिला वजह) खंखारने से नमाज़ फासिद हो जाएगी. और अगर सहीह ग़रज़ (योग्य हेतू-Right Intention) और सहीह उज़्र की वजह से खंखारा मस्लन गले में कुछ फंस गया है या बलगम (कफ-Cough) आ गया है, या आवाज़ साफ करने के लिये या इमाम की ग़लती पर उसे मुतनब्बेह (सावधान-Circumspect) करने के लिये खंखारा, तो नमाज़ फासिद नहीं होगी.’

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअत, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. १५२, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १०२)

परअता

‘नमाज़ में देखकर कुरआन शरीफ पढ़ने से नमाज़ फासिद हो जाएगी.’
(दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअत, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. १५३)

परअता

‘मुक्त्तदी इमाम से आगे खड़ा हो गया या मुक्त्तदी ने इमाम से पहले नमाज़ का कोई रूकन (सजदा, रूकूअ वगैरह) अदा कर लिया और पूरा रूकन इमाम से पहले अदा कर लिया, तो मुक्त्तदी की नमाज़ फासिद हो जाएगी.’

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार)

परअता

‘नमाज़ की हालत में दो (२) सफ जितना चलने से नमाज़ फासिद हो जाएगी.’ (दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअत, हिस्सा-३, सफहा नं. १५४)

परअता

‘नमाज़ में क़हक़हा (अट्टहास्य-Gigling) लगाना या’नी इतनी आवाज़से हंसना कि क़रीब वाला सुन सके, तो नमाज़ फासिद हो जाएगी और नमाज़ फासिद होने के साथ वुजू भी टूट जाएगा.’

(दुर्रे मुख़्तार, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. १, सफहा नं. ९२)

परअता

‘अगर नमाज़ में इतनी पस्त (धीमी-Slow) आवाज़ से हंसा कि खुद ने सुना और क़रीब वाला नहीं सुन सका, तो भी नमाज़ फासिद हो गई. अलबत्ता इस सूरात में वुजू नहीं टूटेगा.’

(बहारे शरीअत, हिस्सा नं. २, सफहा नं. २५)

परअता

‘नमाज़ की हालत में खाना-पीना मुत्लकन (साहजिक) नमाज़ फासिद कर देता है. क़स्दन हो या भूल कर हो. थोड़ा हो या ज़ूयादा हो. यहां तक कि अगर एक तिल भी बग़ैर चबाए भी निगल गया या कोई क़तरा (बूंद-Drop) चाहे वोह पानी का ही क़तरा हो, उस के हल्क़ (गले-Throat) या मुंह में गया, और उसने निगल लिया (हल्क़ के नीचे उतार लिया) तो नमाज़ फासिद हो जाएगी.’

(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मोहतार)

परअता

‘दांतों के अंदर खाने (अन्न) की कोई चीज़ रहे गई थी और हालते-नमाज़ में उसको निगल गया, तो अगर वोह चीज़ चने (चणा)की मिक्दर (मात्रा) से कम है, तो नमाज़ फासिद नहीं होगी, अलबत्ता नमाज़ मकरूह होगी. और अगर चने के बराबर या ज़ूयादा है, तो नमाज़ फासिद हो जाएगी.’

(दुर्रे मुख़्तार, अ़लमगीरी)

परबिता

‘दांतों से खून निकला और हालते-नमाज़ में उसे निगल लिया, तो अगर थूक (Spit) ग़ालिब (जूयादा, विशेष मात्र में-Exceeding) है, तो निगलने से नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी और अगर खून (रक्त-Blood) ग़ालिब है तो निगलने से नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी. ग़ुलबा की अलामत (पहचान) यह है कि खून का मज़ा (स्वाद) महसूस हो. नमाज़ और रोज़ा तोड़ने में मज़ा का एतबार (विश्वास-Reliance) है और वुजू तोड़ने में रंग (Colour) का एतबार है.’

(दुर्रै मुख़्तार, आलमगीरी, फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. १, सफ़हा नं. ३२/५२२)

परबिता

‘एक रूकन अदा करने की मिक्दर तक या तीन तस्बीह (या’नी तीन मरतबा ‘सुब्हानल्लाह’ कहने) के वक़्त की मिक्दर तक सतरे-औरत (गुप्त अंग / जिस्म के छुपे हिस्से) खोले हुए या बक़दरे-मानेअ (इतनी मात्रा के साथ जो मना है) नजासत या’नी नापाक पदार्थ के साथ नमाज़ पढ़ी, तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी. यह उस सूरत में है कि बिला क़स्द हो और अगर क़स्दन (अपने इरादे से) सतर खोला तो फ़ौरन नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी. अगरचे फ़ौरन ढांक ले. इसमें वक़फ़ा की भी हाज़त नहीं, बल्कि सतर खोलते ही फ़ौरन नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी.’ (रददुल मोहतार, बहारे शरीअत, हिस्सा ३, सफ़हा नं. १५३, फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. १)

परबिता

‘ऐसा बारीक कपड़ा तहेबन्द (लुंगी) बांधकर नमाज़ पढ़ना कि बदन की सुर्खी (त्वचा Skin की रंगत) ज़लके और या उस बारीक कपड़े से सतर का

कोई अजूव (अंग) उस हैसियत (तरीके)से नज़र आ जाएगा तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी. इसी तरह औरतों (स्त्रियों) का वोह दुपट्टा (Scarf) कि जिस से सर के बालों की सियाही चमके, मुफ़सिदे-नमाज़ है.’

(रददुल मोहतार, फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. १)

परबिता

‘नमाज़ की हालत में तीन कल्मे (अलफ़ाज़/शब्द-Words) इस तरह लिखे कि हुरूफ़ (अक्षर) ज़ाहिर हों, तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी. मस्लन रैत (बालू-Sand) या मिट्टी पर लिखे. और अगर हुरूफ़ ज़ाहिर न हों, तो नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी, मस्लन पानी पर या हवा में लिखा, तो अबस है और नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होगी.’

(गुन्या शरहे मुन्या, बहारे-शरीअत, हिस्सा नं. ३, सफ़हा नं. १५५)

परबिता

‘सीना को क़िब्ला से फ़ैरना मुफ़सिदे-नमाज़ है या’नी सीना क़िब्ला की ख़ास जहत (दिशा) से पैतालीस (४५) दर्जा (डिग्री) हट जाए.’

(दुर्रै मुख़्तार, बहारे शरीअत हिस्सा नं. ३, सफ़हा नं. १५४, फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. १६)

परबिता

‘नापाक जगह पर बग़ैर हाइल (आड-intervene) सजदा किया, तो नमाज़ फ़ासिद हो गई. इसी तरह हाथ या घुटने सजदा में नापाक जगह पर रखे, तो भी नमाज़ फ़ासिद हो गई.’ (दुर्रै मुख़्तार, रददुल मोहतार)

परबिता

‘तकबीराते-इन्तेक़ाल में ‘अल्लाहो-अकबर’ के ‘अलिफ’ को दराज़ किया, या’नी ‘आल्लाहो अकबर’ या ‘अल्लाहो आकबर’ कहा या ‘बे’ के बाद ‘अलिफ’ बढ़ाया, या’नी ‘अल्लाहो अकबार’ कहा,

या 'अल्लाहो-अकबर' की 'रे' को 'दाल' पढ़ा, या 'नी' 'अल्लाहो-अकबर' कहा, तो नमाज़ फासिद हो गई, और अगर 'तकबीरे तहरीमा' के वक्त ऐसी ग़लती हुई, तो नमाज़ शुरू ही न हुई.'

(दुर्रें मुख्तार, बहारे शरीअत, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १२१/१३६)

परअला

'कुरआने मजीद को नमाज़ में पढ़ने में ऐसी गलती करना कि जिसकी वजह से फसादे-मा'ना (अर्थ का अनर्थ-Depravity of Meaning) हो तो नमाज़ फासिद हो जाएगी.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १३५)

परअला

'नमाज़ में अमले-कसीर करना मुफसिदे नमाज़ है. अमले-कसीर से मुराद यह है कि ऐसा कोई काम करना जो आमाले-नमाज़ (नमाज़ के कामों) से न हो और न ही वोह अमल नमाज़ की इस्लाह के लिये हो. अमले-कसीर की मुख़तसर और जामेअ ता'रीफ (संक्षिप्त तथा सुस्पष्ट, Comprehensive व्याख्या) यह है कि ऐसा अमल करना कि उस काम को करने वाले नमाज़ी को दूर से देखकर देखने वाले को ग़ालिब गुमान हो कि येह शख़्स नमाज़ में नहीं, तो वोह काम 'अमले कसीर' है.'

(दुर्रें मुख्तार, बहारे शरीअत हिस्सा नं. ३, सफहा नं. १५३)

परअला

'हालते-नमाज़ में कुर्ता या पाजामा पहना या उतारा, या तहेबन्द बांधा, तो नमाज़ फासिद हो जाएगी.'

(गुन्या शरहे मुन्या)

परअला

'अमले-क़लील करने से नमाज़ फासिद न होगी. अमले-क़लील से मुराद येह है कि ऐसा कोई काम करना जो आमाले-नमाज़ से या नमाज़ की इस्लाह के लिये न हो और उस काम के करनेवाले नमाज़ी को देखकर देखनेवाले को गुमान ग़ालिब न हो कि येह आदमी नमाज़ में नहीं, बल्कि शक व शुब्ह (आशंका) हो कि नमाज़ में है या नहीं ? तो एसा काम अमले-क़लील है.'

(दुर्रें मुख्तार)

नोट :

'बा'ज़ लोग हालते-नमाज़ में कौमा से सजदा में जाते वक्त दोनों हाथों से पाजामा उपर की तरफ खींचते हैं या का'दा में बैठते वक्त कुर्ता या कमीज़ (शर्ट) का दामन सीधा करके गोद में बिछाते हैं. इस हरकत (आचरण) से नमाज़ फासिद हो जाने का अंदेशा है, क्योंकि येह काम दोनों हाथों से किया जाता है और इसका अमले-कसीर में शुमार होने का इम्कान (Possibility) है. लिहाज़ा इस चेष्टा से बचना लाज़मी और ज़रूरी है क्योंकि इससे नमाज़ मकरूहे तहरीमी तो ज़रूर होती है और जो नमाज़ मकरूहे-तहरीमी हो उस नमाज़ का ए'आदा लाज़मी है. (माखूज़-Borrowed) अज़ : फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४१६

परअला

'एक रूकन में तीन (३) मरतबा खुजाने (खुजलाना-Itching) से नमाज़ फासिद हो जाएगी या'नी इस तरह खुजाया कि एक मरतबा खुजा कर हाथ हटा लिया, फिर दूसरी मरतबा खुजा कर हाथ हटा लिया, फिर तीसरी मरतबा खुजाया तो नमाज़ फासिद हो जाएगी और अगर सिर्फ एक बार हाथ रखकर चन्द मरतबा हरकत दी, तो एक ही मरतबा खुजाना कहा जाएगा.'

(आलमगीरी, बहारे शरीअत, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. १५६)

परतीला

‘अगर हालते नमाज़ में बदन के किसी मक़ाम पर खुजली आए, तो बेहतर यह है कि ज़ब्त (संयम-Control) करे और अगर ज़ब्त न हो सके और उसके सबब (कारण) से नमाज़ में दिल परेशान हो, तो खुजा ले मगर एक रूकन मस्लन क़याम, या कुउद या रूकूअ या सुज़ुद में तीन (३) मरतबा न खुजाए, सिर्फ़ दो (२) मरतबा तक खुजाने की इजाज़त है।’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ४४६)

परतीला

‘हालते-नमाज़ में सांप (सर्प-Snake) या बिच्छू (Scorpion) को मारने से नमाज़ फ़ासिद नहीं होती, जबकि मारने के लिये तीन (३) क़दम (Step) चलना न पड़े या तीन ज़र्ब (प्रहार-Beating) की हाज़त न हो। इस तरह हालते नमाज़ में सांप या बिच्छू मारने की इजाज़त है और नमाज़ भी फ़ासिद न होगी और अगर मारने में तीन (३) क़दम चलना पड़े या तीन (३) ज़र्ब की हाज़त हो, तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी, मगर मारने की फिर भी इजाज़त है, अगरचे नमाज़ फ़ासिद हो जाए।’

(आलमगीरी, गुन्या, बहारे शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा नं. १५६)

परतीला

‘पै-दर-पै (लगातार-Successively) तीन (३) बाल (Hair) उखड़े या तीन जुअें (जू-Lice) मारी या एक ही ‘जू’ को तीन मरतबा मारा (प्रहार किया) तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी। और अगर ‘पै-दर-पै’ न हों, तो नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी, अलबत्ता मकरूह ज़रूर होगी।’

(आलमगीरी, गुन्या, बहारे-शरीअत)

परतीला

‘अगर सजदा की जगह पांव की जगह से चार गिरह से ज़्यादा उंची हो तो सिरे से (प्रारम्भ-Origin) नमाज़ ही नहीं होगी और अगर चार (४) गिरह या कम (Less) बुलन्दी मुम्ताज़ (विशिष्ट-Eminent) हुई, तो नमाज़ कराहत से ख़ाली नहीं। या’नी पांव रखने की जगह से सजदा करने की जगह एक (१) बालिशत (बैत/Span) भर उंची हो, तो नमाज़ ही नहीं होगी।’

(दुरें मुख़ार, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ४२/४३८)

नोट :

- ◆ एक गिरह = तीन (३) ऊंगल चौड़ाई (Wide)
(फीरोजुललुगात, सफ़हा नं. १०९३)
- ◆ तीन ऊंगल चौड़ाई = दो ईंच (Inch)
- ◆ चार गिरह = बारह (१२) ऊंगल=आठ (८) ईंच
= एक बालिशत (बैत)

परतीला

‘नमाज़ में ऐसी दुआ करना कि जिसका सवाल बंदे से भी किया जा सकता है, मुफ़सिदे-नमाज़ है। मस्लन यह दुआ की कि; ‘अल्लाहुम्मा-अल्डमनी’ या’नी ए अल्लाह ! मुजे खाना खिला’, या ‘अल्लाहुम्मा-ज़व्विजनी’ या’नी ए अल्लाह ! मेरा निकाह करा दे।’ तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी।’

(आलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा ३, सफ़हा नं. १५१)

परतीला

‘बेहोश (बेभान-Unconciuous) हो जाने से या वुजू या गुस्ल टूट जाने से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है।’

(बहारे शरीअत)

परतीला

‘हालते नमाज़ में आयतों, सूरतों और तस्बीहात को ज़बान से गिनना

(गिनती करना-Countins) मुफसिदे नमाज़ है।

(बहारे शरीअत, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. १७१)

परअता

‘मस्बूक या’नी वोह मुक्तदी जो जमाअत में शामिल हुआ मगर उस की एक या जूयादा रकअतें छूट गई हैं। वोह मुक्तदी इमाम के सलाम फैरने के बाद अपनी फौत शुदा (छुटी हुई) रकअतें पढ़ेगा, उस मस्बूक मुक्तदी ने येह खयाल कर के कि इमाम के साथ सलाम फैरना चाहिये, और उसने इमाम के साथ सलाम फैर दिया, तो उसकी नमाज़ फासिद हो गई।’

(आलमगीरी, बहारे शरीअत, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. १४९)

परअता

‘मुक्तदीने इमाम की किरअत सुनकर “सदकल्लाहो-व-सदका रसूलोहु” कहा, तो नमाज़ फासिद हो गई।’

(दुरें मुख्तार, रद्दुल मोहतार)

परअता

‘कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा था और का’दा की हालत में अत्तहिय्यात पढ़ रहा था। जब ‘कल्म-ए-तशहहुद’ के क़रीब पहुंचा, तब मोअज्जून ने अज़ान में ‘शहादतैन’ (दो शहादतें) कहीं, उस नमाज़ी ने ‘अत्तहिय्यात’ की क़िरअत के बजाए (बदले) अज़ान का जवाब देने की निय्यत से ‘अशहदो-अल-ला-इलाहा-इल्लल्लाहो-व-अशहदो-अन्ना-मुहम्मदन-अब्दोहु-व-रसूलोहु’ कहा, तो उसकी नमाज़ फासिद हो गई।’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४०६)

परअता

‘बे सबब (बिना कारण) निय्यत तोड़ देना या’नी नमाज़ शुरू करने के बाद बिला शरई वजह से नमाज़ तोड़ देना हराम है।’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४१४)

तोला-माशा के पुराने वज़न का नयेह तोल माप के वज़न में रूपांतर साढ़े चार माशा का वज़न हस्बे जैल होगा

एक (१) सेर	=	अस्सी (८०) तोला
एक (१) तोला	=	बारह (१२) माशा
एक (१) तोला	=	११६६६ मिलीग्राम
एक (१) माशा	=	आठ (८) रती
= एक (१) तोला	=	छेयान्नवे (९६) रती
एक (१) माशा	=	९७२.१६६६६ मिलीग्राम (Miligram)
एक (१) रती	=	१२१.५२०८३ मिलीग्राम(Miligram)
साढ़े चार (४.५) माशा	=	छत्तीस (३६) रती = ४३७४.७४९९ मिलीग्राम
साढ़े चार (४.५) माशा	=	४.३७५ ग्राम Gram

Say 4.3 Gram

प्रकरण
(१०)

नमाज़ के मकरूहाते तहरीमी

- ◆ या'नी वोह काम जो हालते-नमाज़ में करना मना हैं और जिनके करने से नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होती है।
- ◆ जो नमाज़ मरूकहे-तहरीमी होती है, उसका ए'आदा वाजिब है, या'नी उस नमाज़ को दोबारा (फिर से-Again) पढ़ना वाजिब है।
- ◆ जिन कामों के क़स्दन (जान बूज़कर) करने से नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होती है, सजद-ए-सह्व करने से भी वोह नमाज़ दुरूस्त नहीं होगी बल्कि नमाज़ का ए'आदा वाजिब है।
- ◆ किराहते-तहरीमा सजद-ए-सह्व से ज़ाइल (लुप्त-Vanishing) नहीं होगी। हर मकरूहे-तहरीमा गुनाह और मा'सियते-सगीरा (लघू पाप-Small Sin) है।
- ◆ मकरूहे-तहरीमी मरतब-ए-वाजिब में है। उसको हलका जानना गुमराही और ज़लालत (विचलन-Deviation) है।
(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ६ सफ़हा नं. ११९)
- ◆ हमारे बहुत से मो'मिन भाई ना-वाकफ़ीयत (मा'लूम न होने) की वजह से हालते-नमाज़ में ऐसे काम कर लेते हैं, जिनकी वजह से नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होती है, लेकिन उन भाईयों को गुमान (वहम-Doubt) तक नहीं होता कि मैंने हालते-नमाज़ में एसा काम कर लिया है, जिसकी वजह से मेरी नमाज़ एसी मकरूह हुई है कि इस नमाज़ को अज़ सरे नो या'नी दोबारा पढ़ना वाजिब है। लिहाज़ा हर मो'मिन भाई को इन मसाइल की तरफ तवज्जोह देनी चाहिये और अपनी नमाज़ों को ख़राब होने से बचाना चाहिये।

नमाज़ में हस्बे-ज़ेल कामों को करने से नमाज़ मकरूहे-तहरीमी वाजेबुल ए'आदा होती है।

मरूआता

'कपड़े या दाढ़ी या बदन के साथ खेलना या'नी लगव और बे-मा'नी हरकत (व्यर्थ और अर्थहीन चेष्टा) करना.'

(बहारे शरीअत, हिस्सा - ३, सफ़हा नं. १६५)

मरूआता

'कपड़ा समेटना, मस्लन सजदा मे जाते वक़्त आगे या पीछे से दामन या दूसरा कोई कपड़ा उठाना या पाजामा (Trousers) को दोनों हाथ से खींचना.'

(बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा नं. १६५)

मरूआता

'रूमाल, शाल, चादर या रज़ाई वगैरह के दोनों किनारे लटके हुए हों, येह ममनूअ और मकरूहे-तहरीमी है। और अगर एक किनारा शाने (खंधे) पर डाल दिया और दूसरा किनारा लटक रहा है, तो हर्ज़ नहीं। लेकिन अगर चादर या रूमाल सिर्फ एक ही कंधे (Shoulder) पर इस तरह डाला कि एक किनारा आगे या'नी सीने की तरफ लटक रहा है और दूसरा किनारा पीठ की जानिब लटक रहा है, तो भी नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होगी।' (दुरें मुख़्तार, रददुल मोहतार, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ४४७ और बहारे शरीअत, हिस्सा नं. ३, सफ़हा नं. १६६)

मरूआता

'आधी (१/२) कलाई से ज़ूयादा आस्तीन (बांय-Sleeve) चढ़ाना भी मकरूहे-तहरीमी है। ख़्वाह पहले से चढ़ी हुई हो, या हालते-नमाज़ में चढ़ाई हो.' (दुरें मुख़्तार, बहारे शरीअत, हिस्सा नं. ३, सफ़हा नं. १६६)

परिच्छेद

‘नमाज़ में आस्तीन उपर को इस तरह चढ़ाना कि हाथों की कोहनी (कोणी) खुल जाए, नमाज़ मकरूहे-तहरीमी वाजेबुल ए’आदा होगी. अगर फिर से दोबारा नहीं पढ़ी, तो गुनाहगार होगा.’

(फत्हुल क़दीर, बहरूर राइक़, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ४१६/४२३)

परिच्छेद

‘शिद्दत (आवेश युक्त-Vehement) का पाख़ाना (मल-Excreta) या पेशाब की हाजत हो तब और रियाह (वायू, पाद) के ग़ल्बे (Force) के वक़्त नमाज़ मकरूहे-तहरीमी है. अगर नमाज़ शुरू करने से पहले इन हाजतों का ग़ल्बा (अति दबाव) हो, और नमाज़ के वक़्त में वुस्अत (अवकाश-Vacuity) हो कि इन हाजतों को पूरी करने की वजह से नमाज़ का वक़्त ख़त्म नहीं हो जाएगा, तो पहले इन हाजतों को पूरी करे, अगरचे जमाअत छूट जाने का अंदेशा हो. और अगर क़ज़ा-ए-हाजत और वुजू करने में नमाज़ का वक़्त निकल जाएगा, तो पहले नमाज़ पढ़ ले, क्योंकि वक़्त की रिआयत (सदभाव-Favour) मुक़द्दम (पहले-Prior) है.

और अगर नमाज़ के दरमियान येह हालत पैदा हो जाए और वक़्त में गुंजाइश (अवकाश) हो तो नमाज़ तोड़ देना वाजिब है, क्योंकि शिद्दते-पाख़ाना या पेशाब या रियाह के ग़ल्बे की हालत में नमाज़ पढ़ना मना है. अगर पढ़ ली तो गुनाहगार होगा और नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होगी.’

(रददुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा नं. ३, सफ़हा नं. १६६)

परिच्छेद

‘मर्द के लिये बालों का जूड़ा (Lock) बांधकर नमाज़ पढ़ना मकरूहे-तहरीमी है. और अगर नमाज़ की हालत में जूड़ा बांधा, तो नमाज़ फ़ासिद हो

जाएगी. औरत को सर के बालों का जूड़ा बांधकर नमाज़ पढ़ने में किसी किस्म की कोई मुमानेअत और कराहत नहीं. बल्कि बेहतर येह है कि औरत सर के बालों को खुला रखने के बजाए (बदले) जूड़ा बांधकर नमाज़ पढ़े, क्योंकि औरत (स्त्री) के बाल भी औरत (छुपाने की चीज़) हैं. अगर जूड़ा न बांधेगी तो बाल परेशान (बिखरे) होंगे और इन्केशाफ़ (ज़ाहिर होना-Disclosure) का ख़ौफ़ (संदेह) है.’

(मिरकात, बहारे शरीअत, हिस्सा नं. ३, सफ़हा नं. १६६, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ४१७)

परिच्छेद

‘कुर्ता या चादर मौजूद होते हुए सिर्फ़ पाजामा (इजार-Trouser) पहन कर उपर का बदन नंगा (Naked) रखकर, सिर्फ़ पाजामा या तहेबन्द (लुंगी) पहन कर नमाज़ पढ़ना मकरूहे-तहरीमी है.’

(आलमगीरी, गुन्या, बहारे-शरीअत, हिस्सा नं. ३, सफ़हा नं. १७०)

परिच्छेद

‘सिर्फ़ पाजामा पहनकर नमाज़ पढ़ने से नमाज़ मकरूहे तहरीमी होगी. ♦ अबू दाउद और हाकिम ने हज़रत अबू बुरीदा रदीयल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत की कि; ‘रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम ने मना फरमाया कि आदमी चादर ओढ़े बग़ैर सिर्फ़ पाजामा में नमाज़ पढ़े.’ ♦ मुस्नदे अहमद और सहीहैन (बुख़ारी/मुस्लिम) में हज़रत अबू हुरैरह रदीयल्लल्लाहो तआला अन्हो से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम ने फरमाया है कि ‘हरगिज़ कोई शख़्स एक कपड़े में नमाज़ न पढ़े कि दोनों शाने (कंधे) खुले हों.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. १, सफ़हा नं. १५८)

परतीला

‘हालते-नमाज़ में सजदा की जगह से कंकरियां हटाना मकरूहे-तहरीमी है, लेकिन अगर कंकरियां नहीं हटाता तो सुन्नत तरीके से सजदा नहीं कर सकता, तो सिर्फ एक (१) मरतबा हटाने की इजाज़त है और ‘हत्तुल-इमकान’ (कोशिश भर) न हटाना बेहतर है. और अगर कंकरियां (Rock Pieces) हटाए बगैर सजदे का वाजिब तरीका अदा न होता हो, तो कंकरियां हटाना वाजिब है, अगरचे एक मरतबा से ज़्यादा मरतबा हटाना पड़े.’ (दुर्रे मुख़्तार, रददुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा -३, सफहा नं. १६६)

परतीला

‘ऊंगलियां चटकाना या ऊंगलियों की कैची बांधना या’नी एक हाथ की ऊंगलियां दूसरे हाथ की ऊंगलियों में डालना मकरूहे-तहरीमी है.’ (दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअत, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. १, सफहा नं. २०५)

परतीला

‘कमर पर हाथ रखना मकरूहे-तहरीमी है, बल्कि नमाज़ के इलावा भी कमर पर हाथ नहीं रखना चाहिये.’ (दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअत)

परतीला

‘इधर उधर मुंह फेरकर देखना मकरूहे-तहरीमी है, चाहे कुल (पूरा) चेहरा घुमा कर देखे या थोड़ा चेहरा घुमाए. और अगर चेहरा न फेरे और सिर्फ कनखियों (आंखों के किनारों) से बिला हाज़त इधर उधर देखे तो

मकरूहे-तनज़ीही है और असह (जूयादा सहीह) येह है कि ख़िलाफे-अवला है.’

(बहारे शरीअत, हिस्सा ३, सफहा नं. १६७, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. १, सफहा नं. १७१)

परतीला

‘आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखना भी मकरूहे-तहरीमी है.’

(बहारे शरीअत, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. १६७)

परतीला

‘किसी शख्स के मुंह (चेहरा-Face) की तरफ नमाज़ पढ़ना मकरूहे-तहरीमी, सख़्त नाजाइज़ और गुनाह है. अगर किसी शख्स के मुंह की तरफ सामना कर के नमाज़ शुरू की तो नमाज़ पढ़नेवाले पर गुनाह है. और अगर नमाज़ी ने किसी के मुंह के सामने नमाज़ शुरू नहीं की थी बल्कि वोह पहले से अपनी नमाज़ पढ़ रहा था और कई शख्स आकर नमाज़ी के सामने मुंह करके बैठ गया, तो उस बैठने वाले पर गुनाह है.’

(बहारे शरीअत, हिस्सा नं. ३ सफहा नं. १६७)

परतीला

‘अगर नमाज़ी और नमाज़ी के सामने मुंह करके बैठने वाले शख्स के दरमियान फासला (अंतर-Distance) हो, जब भी मकरूह होगी, लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान (बीच में-In between) कोई चीज़ हाइल (आड़-Intervene) हो जाएगी तो किराहत नहीं रहेगी, मगर उस में भी येह ज़रूरी है कि हालते-क़याम (खड़े होने की हालत) में भी सामना न होना चाहिये. मस्लन दोनों के दरमियान एक शख्स नमाज़ी की तरफ पीठ करके बैठ गया, तो इस सूरत (परिस्थिति)

में कुउद या 'नी बैठने की हालत में तो सामना न होगा, लेकिन क्याम में तो सामना होगा, लिहाज़ा अब भी किराहत है।' (रहुल मोहतार, बहारे शरीअत, हिस्सा-३, सफहा नं. १६७, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ६६/७४)

मरुआता

'किसी कब्र (मज़ार-Tomb) के सामने मुंह करके नमाज़ पढ़ना, जबकि नमाज़ी और कब्र के दरमियान कोई चीज़ हाइल (आड़) न हो, तो नमाज़ मकरूहे तहरीमी होगी।

(दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. १७० और फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ३७४)

मरुआता

'कुफ़्फ़ार और मुशरिकीन के इबादत ख़ानों और बुतख़ानों (मंदिरो) में नमाज़ पढ़ना मकरूहे-तहरीमी है कि वोह शैतानों की जगह है, बल्कि उस में जाना भी मना है।'

(बहरूक राइक, रदुदुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा नं. १७०)

मरुआता

'बदन पर इस तरह कपड़ा लपेट कर नमाज़ पढ़ना कि हाथ भी बाहर न हो, मकरूहे तहरीमी है।' (बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा नं. १४०)

मरुआता

'अंगरखा (अंगा) का बन्द न बांधना या अचकन (शेरवानी) या कुर्ता के बूताम (बटन-Button) न लगाना. अगर उस के नीचे कोई दूसरा लिबास नहीं और सीना या शाना (कंधा) खुला रहा, तो नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होगी अगर

नीचे दूसरा कोई लिबास पहना हुआ है, तो नमाज़ मकरूहे-तन्ज़ीही होगी.' (बहारे शरीअत, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४४७)

मरुआता

'उलटा (विपरीत-Reverse) कपड़ा पहन कर या ओढ़कर नमाज़ पढ़ना मकरूहे-तहरीमी है. उलटा कपड़ा पहनना या ओढ़ना 'ख़िलाफे-मो'ताद' (असभ्यता-Discourteous) में दाख़िल है. 'ख़िलाफे-मो'ताद' या 'नी इस तरह कपड़ा पहनना या ओढ़ना कि उस तरह कपड़ा पहन कर या ओढ़कर कोई शख्स बाज़ार मे या अकाबिर (सन्मानीय व्यक्ति) के पास न जा सके. तो अल्लाह तआला के दरबार का अदब और ता'ज़ीम ज़ूयादा लाज़िम और ज़रूरी है. लिहाज़ा उलटा कपड़ा पहन कर या ओढ़कर नमाज़ पढ़ने से नमाज़ मरूकहे-तहरीमी होगी.'

(बहारे शरीअत, हिस्सा-३, सफहा नं. १७०, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४३८)

मरुआता

'चोरी (Thievery) का कपड़ा पहन कर नमाज़ पढ़ने से नमाज़ मकरूहे-तहरीमी वाजेबुल ए'आदा (फिर से पढ़ना वाजिब) होगी.' (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४५१)

नोट :

या 'नी वोह चोरी का कपड़ा उतारकर अपनी कमाई का कपड़ा पहन कर फिर से नमाज़ पढ़नी होगी.

मरुआता

'धोबी को कपड़े धोने को दिये और धोबी कपड़े बदल कर लाया या 'नी किसी और (अन्य/दूसरे) के कपड़े ले आया, तो उन कपड़ों का पहनना मर्द औरत सब को हराम है. और अगर उन कपड़ों को पहन कर नमाज़ पढ़ी, तो

नमाज़ मकरूहे-तहरीमी वाजेबुल ए'आदा होगी.

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४१७)

परतीला

‘जिस कपड़े पर जानदार (जीवंत) की तस्वीर बनी हो, उसे पहनकर नमाज़ पढ़ना मकरूहे-तहरीमी है. नमाज़ के इलावा भी ऐसे कपड़े पहनना जाइज़ नहीं. इसी तरह नमाज़ी के सर पर या'नी छत (Roof) में या नमाज़ी के आगे पीछे या दायें बायें किसी जानदार की तस्वीर नस्ब (जड़ी-Fixture) या मुअल्लक (लटकती-Hanging) या मुनक्कहे (Painted/Embroided) है, तो भी नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होगी.’ (बहारे शरीअत, हिस्सा-३, सफहा नं. १६८, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४४८)

परतीला

‘तस्वीर वाला कपड़ा पहने हुए है और उस पर दूसरा कपड़ा पहन लिया कि तस्वीर छुप (अद्रश्य-Disappear) गई, तो अब नमाज़ मकरूह न होगी.’

(रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा नं. १६९)

परतीला

‘जिस जगह सजदा किया जाए, उस जगह फर्श (जमीन-Floor) पर अगर तस्वीर बनी हुई है या मुसल्ला या क़ालीन या कपड़े पर तस्वीर छपी हुई है और तस्वीर की जगह पर सजदा वाक़ेअ (होना-Befalling) हो, तो भी नमाज़ मकरूहे तहरीमी होगी.’

(बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा नं. १६८, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४४८)

परतीला

‘अगर जानदार की तस्वीर फर्श पर बनी हुई है और वोह तस्वीर ज़िल्लत (तुच्छ-Adject) की जगह हो मस्लन जूतियां उतारने की जगह फर्श पर बनी हुई है, या क़ालीन वगैरह में है, और लोग उस पर चलते हों और पांव से रौंदते हों, तो नमाज़ मकरूह नहीं जब कि उस तस्वीर पर सजदा न किया जाता हो.

(बहारे-शरीअत)

परतीला

‘अगर ऐनक (चश्मा-Spectacle) का हल्का (Ring) और कीमें (डंडीया) सोने या चांदी की हैं, तो ऐसी ऐनक ना-जाइज़ है. ऐसी ऐनक को पहनकर नमाज़ पढ़ना सख्त मकरूह है. और अगर ऐनक का हल्का या कीमें तांबे या अन्य धात (Metal) की हों, तो बेहतर येह है कि नमाज़ पढ़ते वक़्त उस ऐनक को उतार दें, वर्ना नमाज़ ख़िलाफे-अवला और किराहत से ख़ाली नहीं.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४२७)

परतीला

‘इमाम का मुक़तदीयों से तीन (३) गिरह (Appx. Six Inch = ½ फिट) जितना बुलन्द मक़ाम पर तन्हा (अकेला-Alone) खड़ा होने से भी नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होती है.’ (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४१५)

परतीला

‘मुक़तदी जमाअत में शामिल होने की जल्दी में सफ के पीछे ही ‘अल्लाहो अकबर’ (तकबीरे-तहरीमा) कहे कर सफ में दाख़िल हुआ, तो उसकी नमाज़ मकरूहे-तहरीमी हुई.’

(आलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा नं. १७०)

परतीला

‘नमाज़ में बिल क़स्द (जान बूज़कर-Purposely) जमाही (Yawn-

बगासुं) लेना मकरूहे-तहरीमी है. अगर खुद ब खुब जमाही आए तो हर्ज नहीं मगर 'हतुल इमकान (कोशिश कर के) जमाही रोके. जमाही रोकना मुस्तहब है.'

(मुराकीयुल फ्लाह, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा नं. १६७)

नोट :

'नमाज़ में जमाही आए, तो उसको रोकने का तरीका प्रकरण (बाब) नं. ६, 'मुस्तहब्बात' में बयान (वर्णन) कर दिया गया है.'

परअला

'नमाज़ की हालत में नाक और मुंह को छुपाना या'नी नाक और चेहरे को किसी कपड़े या चीज़ से छुपाना कि चेहरा और नाक नज़र न आए, तो नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होगी.'

(दुरें मुख्तार, आलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा नं. ३, सफहा नं. १६७)

परअला

'किसी वाजिब को तर्क करना (छोड़ना) मस्लन रूकूअ व सुजूद में पीठ को सीधी न करना या कौमा और जलसा में सीधा होने से पहले सजदे में चले जाना वगैरह से नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होगी.'

(आलमगीरी, गुन्या शरहे मुन्या, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा नं. १७०)

परअला

'क़याम के इलावा और किसी मौके (रूकन) पर कुरआन शरीफ पढ़ना या रूकूअ में(जाकर) क़िरअत ख़त्म करने से नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होगी.'

(हवाली : सदर Ditto तथा फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं.

१३४, तथा अल-मल्फूज़, हिस्सा-३, सफहा-४३)

परअला

'मुक्तदी का इमाम से पहले रूकूअ या सजदे में जाना या इमाम से पहले रूकूअ या सजदे से सर उठाना मकरूहे-तहरीमी है.'

(हवाली : सदर-Ditto)

परअला

'मर्द का सजदे में हाथकी कलाइयां ज़मीन पर बिछाना मकरूहे-तहरीमी है.'

(सदर-Ditto)

परअला

'जिन चीज़ों को पहनना शरीअत में ना-जाइज़ और मना है, उनको पहनकर नमाज़ पढ़ना मकरूहे-तहरीमी है. मस्लन मर्द को चांदी (Silver) की सिर्फ एक अंगुशतरी (अंगूठी-Ring) जो साढ़े चार (4½) माशा (4.375 Gram) से कम वज़न और सिर्फ एक नंग (४.३७५ ग्राम) की जाइज़ है. अगर किसी ने एक से ज़्यादा अंगूठी या एक अंगूठी मगर साढ़े चार माशा से ज़्यादा वजन की, या एक से ज़्यादा नंग की पहनकर अथवा सोने (Gold) की अंगूठी या सोने अथवा चांदी की जंजीर (Chain) पहनकर नमाज़ पढ़ी, तो उसकी नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होगी.'

इसी तरह मर्द ने ज़नानी वज़अ (स्त्री ढब के-Ladies Style) या औरत ने मर्दाना वज़अ (पुरुष ढब-Gents Style) के कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ी, तो नमाज़ मकरूहे-तहरीमी वाजेबुल ए'आदा होगी. फतावा रज़वीया शरीफ में है कि; 'मज़हबे-सहीह पर ना-जाइज़ कपड़ा पहन कर नमाज़ मकरूहे तहरीमी कि उसे उतार कर फिर ए'आदा की जाए.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ९, जुज़ अव्वल, सफहा नं. ५६)

परअला

‘सोने चांदी के इलावा लोहे (Iron), पीतल, तांबा, रांग (सीसा-Lead) वगैरह का ज़ैवर (आभूषण-Ornament) पहनना औरत (स्त्री) को भी मुबाह (इच्छित-Pleasure) नहीं, तो मर्द के लिये उसके जाइज़ होने की कोई सबील (Possibility) ही नहीं. अगर लोहे, पीतल, ताम्बा (Copper) रांग वगैरह के ज़ैवर पहनकर मर्द या औरत किसीने भी नमाज़ पढ़ी, तो नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होगी.’ (फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ९, जुज़ अव्वल, सफ़हा नं. १४, और जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ४२२)

परअला

‘बा’ज़ लोग चैन (जंजीर) वाली घड़ी (Wrist Watch) पहनकर नमाज़ पढ़ते हैं और उसके जाइज़ होने की येह दलील पेश करते हैं कि चैन (Metal Belt) घड़ी के ताबेअ (आधीन) है, लेकिन हकीकत येह है कि मेटल का पट्टा (चेन) घड़ी का ताबेअ नहीं, बल्कि मुस्तक़िल (स्वाधीन-Independent) चीज़ है.

एक हवाला (संदर्भ) सेवा में प्रस्तुत (पेश) है :-

“ओलोमा तसरीह (स्पष्टीकरण-Explanation) फरमाते हैं कि मज़हबे-सहीह में मर्द को रेशमी कमरबन्द ना-रवा (अयोग्य-Improper) है कि वोह पाजामा का ताबेअ नहीं, बल्कि मुस्तक़िल जुदागाना (अलग-Separate) चीज़ है. दुर्गे मुख़्तार में है कि; ‘तकरहुत-तकमतो-मिनद-दीबाजे-व-हुवस्सहीहो’ हाशिया अल्लामा तहतावी में है कि; ‘हुवस्सहीहो-ले-अन्नहा-मुस्तकेलतुन’. जब कमरबन्द (String) बा-आं-कि (जबकि) पाजामा की गरज़ उससे मुतअल्लिक है, बल्कि जिस तरह उसका ‘लुव्स’ (पहनना-Wear) मा’रूफ व माहूद (प्रचलित) है वोह गरज़ बे-उसके तमाम (पूर्ण) नहीं होती, मुस्तक़िल

करार पाया, तो येह जंजीरें कि जिनसे कपड़े को कुछ इलाका (सम्बन्ध) नहीं, न उस की कोई गरज़ उनसे मुतअल्लिक, क्यों कर ताबेअ ठहर सकती है.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ९, जुज़ अव्वल, सफ़हा नं. ३४)

नोट :

‘चेन दार पट्टे वाली घड़ी के मस्अले पर विस्तृत चर्चा (तफसीली बहस) न करते हुए सिर्फ़ इतनी अर्ज़ करना है कि घड़ी में चैनदार पट्टा (Metal Belt) हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिये.

परअला

‘जमाअत से नमाज़ पढ़ते वक़्त इमाम के बराबर (पास में) तीन (३) मुक्तदीयों के खड़े होने से इमाम और मुक्तदीयों की सब की नमाज़ मकरूहे-तहरीमी वाजेबुल एअ़दा होगी.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ३२३)

परअला

‘फुकहा-ए-किराम (इस्लामी क़ानून के विद्वानों) ने काफिर की ज़मीन में नमाज़ पढ़ने से इतना रोका है कि मुसलमान की ज़मीन में उसकी इजाज़त के बगैर पढ़ ले, मगर काफिर की ज़मीन से बचे. और अगर मुसलमान की ज़मीन में खेती (फ़सल) है, कि उस में नहीं पढ़ सकता, तो रास्ते (मार्ग) में पढ़ ले और काफिर की ज़मीन में न पढ़े. अगरचे रास्ते में नमाज़ पढ़ना मकरूह है, मगर येह किराहत काफिर की ज़मीन में नमाज़ पढ़ने की किराहत से हल्की है.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ६, सफ़हा नं. १८)

प्रकरण
(११)

‘नमाज़ के मकरुहाते तन्ज़ीही’

- ◆ या’नी नमाज़ की हालत में वोह काम करना जो शरीअत में ना-पसन्दीदा (अप्रिय) हैं, लिहाज़ा उन से बचना चाहिये.
- ◆ इन ना-पसन्दीदा कामों के करने के बा-वजूद नमाज़ हो जाएगी और सजद-ए-सहव या नमाज़ दोहराने (फिर से पढ़ने) की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन कामों के करने की वजह से किसी फर्ज़ या वाजिब का तर्क नहीं होता.
- ◆ इन कामों का करना गुनाह भी नहीं, अलबत्ता नमाज़ के सवाब में कमी होती है.
- ◆ ‘इरतेकाबे-मकरुहे-तन्ज़ीही मा’सियात (गुनाह) नहीं.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ५, सफहा नं. १३६)

नमाज़ में हस्बे-ज़ेल काम मकरुहे तन्ज़ीही हैं

मस्बिता

‘बिला ज़रूरत (बिना कारण) सजदा या रूकूअ में तीन (३) मरतबा से कम तस्बीह कहेना. इस तरह जल्दी जल्दी रूकूअ और सजदा करने को हदीस में मुर्ग (Hen) की ठोंग मारना (चुगना-Peck) फरमाया है. अलबत्ता वक्त की तंगी या ट्रेन (रेलगाड़ी) के चले जाने के खौफ से अगर तीन (३) मरतबा से कम तस्बीह कही, तो हर्ज नहीं और इसी तरह मुक़तदी तीन (३) तस्बीहें न कहने पाया था कि इमाम ने सर उठा लिया तो अब मुक़तदी इमाम का साथ दे.’

(बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा नं. १७१)

मस्बिता

‘पैशानी (Forehead) से खाक या घास छुड़ाना मकरुह है, जबकि उनकी वजह से नमाज़ में तशवीश (व्यग्रता-बेचैनी-Anxiety) न हो, और अगर तकब्बुर (अभिमान-Arrogant) के इरादे से पैशानी से खाक या घास को हटा कर साफ किया, तो किराहते-तहरीमी है. और अगर पैशानी पर खाक या घास चिपक जाने की वजह से तकलीफ होती हो और नमाज़ में ख़याल (ध्यान) बटता हो तो छुड़ाने में हर्ज नहीं. और नमाज़ के बाद छुड़ाने में मुतलकन कोई मुज़ाइका (नुक़सान) नहीं, बल्कि छुड़ा लेना चाहिये, ताकि ‘रिया’ (दंभ-Hypocrisy) न आए.’

(अलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा -३, सफहा नं. १७१)

मस्बिता

‘फर्ज़ नमाज़ की एक रकअत में किसी आयत को बार बार पढ़ना या किसी सूरात को बार बार पढ़ना मकरुहे-तन्ज़ीही है, जबकि कोई उज़्र न हो. मस्लन उसे एक ही सूरात याद हो वगैरह.’

(अलमगीरी, गुन्या शरहे मुन्या, बहारे-शरीअत, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ९९)

मस्बिता

‘सजदे में जाते वक्त घुटने (Knee) से पहले हाथ ज़मीन पर रखना और सजदे से उठते वक्त हाथ से पहले घुटनों का ज़मीन से उठाना.’

(मुन्यतुल मुसल्ली, बहारे-शरीअत)

मस्बिता

‘सजदा वगैरह हालते-नमाज़ में ऊंगलियों को क़िब्ला से फ़ैर देना और ऊंगलियां दायें बायें फैलाना.’

(दुरें मुख़्तार, रददुल मोहतार)

परअता

‘रुकूअ में सर को पुशत (पीठ) से उंचा या नीचा रखना.’

(गुन्या शरहे मुन्या, बहारे-शरीअत)

परअता

‘बगैर किसी उज्रके दीवार या असा (लकड़ी) पर टेक लगाकर क़याम में खड़ा रहेना.’

(गुन्या शरहे मुन्या, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-१७३)

परअता

‘हालते-क़याम में दायें बायें जूमना.’

(गुन्या शरहे मुन्या, और बहारे शरीअत, सदर/Ditto)

परअता

‘हालते-नमाज़ में ऊंगलियों पर आयतों, सूरतों और तस्बीहात को गिनना (शुमार करना) मकरूह है. चाहे फर्ज नमाज़ हो या नफ़्ल नमाज़ हो. अगर कोई शख्स नफ़्ल नमाज़ में ज़ियादा ता’दाद (संख्या) में कोई सूरत या आयत पढ़ना चाहता हो या ‘सलातुत-तस्बीह’ पढ़ता हो और तस्बीहात शुमार करनी हों तो दिल में शुमार (गिनती-Count) करे या ऊंगलियों के पोरों को दबाकर ता’दाद महफूज़ रखे, लेकिन ऊंगलियां अपनी जगह से न हटें. तो इस तरह शुमार करने में कोई हर्ज़ नहीं, फिर भी खिलाफे अवला है कि दिल दूसरी तरफ मुतवज्जेह (केन्द्रित-Concentration) होगा. (बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-१७१)

परअता

‘नमाज़ में आंखें (Eyes) बन्द करना मकरूह है. लेकिन अगर आंखें खुला रखने में खुशूअ (एकाग्रता) न होता हो और तवज्जोह (ध्यान) इधर उधर

बटती हो तो आंखे बन्द करने में हर्ज़ नहीं बल्कि बेहतर है.’ (दुरै मुख़ार, रददुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-१४५)

एक ज़रूरी मरअले की वज़ाहत (स्पष्टता)

मर्दों के लिये ‘अस्बाल’ या’नी अपने लिबास का कपड़ा हद्दे-मोअताद (नियम की हद) से ज़यादा दराज़ (लम्बा-Long) रखना मना है. अस्बाल की आम फहम (सामान्य) ता’रीफ येह है कि;

- ◆ पाजामा के पाइचों को टख़नों (पांव की घूटी-Ankle)के नीचे तक रखना.
- ◆ इतना लम्बा जुब्बा (कुर्ता-Gown) पहनना कि जुब्बा पांव के टख़नों के नीचे तक हो और टख़ने नज़र न आएं.
- ◆ कुर्ता या कमीज़ (Shirt) की आस्तीन (Sleeve) हाथ की ऊंगलियों से भी आगे तक लम्बी हो.
- ◆ अस्बाल के मुतअल्लिक ज़रूरी बहस हस्बे-ज़ैल है :-

हवाला :

‘पाइचों का का’बैन या’नी टख़नों (Ankle) के नीचे होना जिसे अरबी में अस्बाल कहते हैं, अगर बः राहे उजब व तकब्बुर (गुरूर और घमंड) है, तो क़त्अन (निःसन्देह/बिला शुब्ह) ममनूअ व हराम है और उस पर वईदें शदीद वारिद हैं.’ (फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ९, जुज़ अब्वल, सफहा नं. ९९)

हदीस

‘बुख़ारी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरह रदीय्यल्लाहो तअ़ाला अन्हो से रिवायत है कि हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते है कि ‘ला-यन्ज़ोरोल्लाहो-यवमल-क़ियामते-इला-मन- ज़र्-ईज़ारहु-बतरन’ (तर्जुमा / अनुवाद) ‘जो अपनी ईज़ार को तकब्बुरन लटकाता है, क़ियामत के दिन अल्लाह तअ़ाल

उसकी तरफ नजरे-इल्तेफात नहीं फरमाएगा.

हदीस

‘अबू दाउद, इब्ने माजा, मुस्लिम शरीफ, नसाई, तिरमिज़ी वगैरह में हज़रत सईद बिन खूदरी और हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि; ‘मन-जर्रा-सवबहु-मुखीलतुन-लम-यन्ज़ोरोल्लाहो-इलैहे-यवमल-क़ियामते’ (तर्जुमा/अनुवाद) ‘जो अज़ राहे-तकब्बुर अपना कपड़ा लटकाए, क़ियामत के दिन अल्लाह तआला उसकी तरफ नजरे-इल्तेफात नहीं फरमाएगा.’

खास तौर पर (विशेषत) तिब्रानी ने ‘मोअज़मे-कबीर’ में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से अस्बाल की वईद में मुस्तफा जाने-रहेमत सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम का मुक़द्दस फरमान रिवायत किया है. इन तमाम हदीसों का मा-हसल(निचोड़) यह है कि अगर अहंकार और अभिमान (गुरूर और घमंड) से अस्बाल किया है या’नी कपड़ा टख़नों के नीचे तक लटकाया है, तो यह ज़रूर और बिला शक मज़मूम (धिक्कर पात्र-Despised), मना और उस पर अज़ाब की वईद (चेतावनी) है. लेकिन अगर ‘अस्बाल’ तकब्बुर या उजब की वजह से नहीं है, तो ख़िलाफे-अवला है जैसा कि हदीस शरीफ में है कि;

हदीस

‘सहीह बुखारी शरीफ में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि हुजूरे अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ‘मन-जर्रा-सवबहु-ख़ीलाअन-लम-यन्ज़ोरो-ल्लाहो-इलैहे-यवमल क़ियामते’ (तर्जुमा/अनुवाद) ‘जो अपने कपड़े को अज़ राहे तकब्बुर लटकाए, क़ियामत के दिन अल्लाह तआला उसकी तरफ तवज्जोह नहीं

फरमाएगा.’ इस इरशादे गिरामी पर अमीरूल मो’मेनीन, ख़लीफतुल मुस्लेमीन, अस्दकुस्सादेक़ीन, इमामुल मुत्तकीन, सय्येदुना अबूबकर सिद्दीक रदीय्यल्लाहो तआला अन्होने बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम में अर्ज़ कीया कि; ‘क़ाला-अबूबकरो-या-रसूलुल्लाहे ! अहदशका-इज़ारी-यस्तरख़ी-इल्ला-अन-अतआहेदो-ज़ालेका-मिन्हो’ या’नी ‘हज़रत अबूबकर ने अर्ज़ कीया कि या रसूलुल्लाह ! मेरी इज़ार (तेहबन्द) लटक जाती है, जब तक में उसका ख़ास लिहाज़ (ध्यान) न रखूँ.’ ‘फ-क़ालन-नबीय्यो-सल्लल्लाहो-तआला-अलैहे-वसल्लम-लस्ता-मिम-मंय-यस्नअहु-ख़यलाअन’ (तर्जुमा) हुजूरे अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम उन में से नहीं, जो बःराहे-तकब्बुर ऐसा करता हो.’

(बःहवाला : फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ४४९)

◆ इस हदीस से साबित हुआ कि ‘अस्बाल’ वही ममनूअ (प्रतिबन्धित) और मज़मूम (धृणास्पद) है, जो अज़-राहे-तकब्बुर है, और अगर अस्बाल तकब्बुर की वजह से नहीं, तो सिर्फ़ ख़िलाफे-अवला है. हराम या मुस्तहिक्के-अज़ाब (शिक्षा पात्र) या मुस्तहिक्के-वईद नहीं. एक हवाला प्रस्तुत है :-

हवाला :

‘फतावा आलमगीरी में है कि ‘अस्बालुर-रज़ुले-इज़ारहु-अस्फला-मिनल-का’बैने-इल-लम-यकुन-लिल-ख़िलाए-फ-फीहे-किराहतुन-तन्ज़ीयतुन’ (तर्जुमा/अनुवाद) ‘मर्द का टख़नों (Ankle) के नीचे पाजामा लटकाना, अगर अज़ राहे तकब्बुर नहीं, तो उसमें किराहते-तन्ज़ीही है.’

(बःहवाली फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ४४८)

इस मस्अले में अ़वाम में बहुत ज़ियादा ग़लतफहमी (नासमज़ी) फैली हुई है. बहुत से लोगों को देखा गया है कि वोह नमाज़ पढ़ते

वक्त पाजामा या पतलून को उपर चढ़ाने के लिये उस के पाइचों को मोड़ते हैं. नमाज़ में इस तरह पाइचों को मोड़कर उपर चढ़ाना 'ख़िलाफ़े-मोअताद' है और नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होती है.

अगर पाजामा (ईज़ार) या पतलून इतनी लम्बी है कि पांच के टख़ने ढक जाते हैं, तो टख़नों को खोलने के लिये पाजामा या पतलून के पाइचों को हरगिज़ नहीं मोड़ना चाहिये, बल्कि कमरबन्द के हिस्से से उपर की तरफ़ खींच लेना चाहिये और इस तरह खींचने के बावजूद भी अगर टख़ने नज़र नहीं आते, तो टख़ने ढकी हुई हालत में नमाज़ पढ़ लेनी चाहिये. हालांकि इस तरह नमाज़ पढ़ने से नमाज़ मकरूह ज़रूर होगी, मगर मकरूहे-तन्ज़ीही होगी. लेकिन अगर टख़नों को खोलने के लिये पाजामा या पतलून के पाइचों को मोड़ा तो नमाज़ मकरूहे तहरीमी होगी और जो नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होती है उसका एअ़ादा या'नी दोबारा (फिर से) पढ़ना वाजिब है. हैरत और तअज़्जुब की बात तो येह है कि मकरूहे-तन्ज़ीही से बचने के लिये लोग मकरूहे-तहरीमी का इरतेकाब (आचरण) करते हैं और अपने गुमान में सुन्नत पर अमल करने का इत्मेनान (संतोष) लेते हैं.

अलबत्ता, बिलाशक ! पाजामा टख़नों से उपर हो और टख़ने खुले रहें, येह सुन्नत है. येह मस्अला अच्छी तरह याद रखें कि;

'पाजामा तूल (लम्बाई-**Length**) में टख़नों से जाइद (ज़ियादा-**Excess**) न हो कि लटके हुए पाइचे अगर बःराहे-तकब्बुर हों, तो हराम व गुनाहे-कबीरा है, वरना मर्दों के लिये मकरूह और ख़िलाफ़े-अवला है.'

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ९, जुज़ अब्वल, सफ़हा नं. ८४)

दौरे-हाज़िर (वर्तमान युग) के वहाबी-तबलीगी जमाअत के मुत्तबेईन (अनुयायी-Follower) और जाहिल बल्कि 'अजहल' (विशेष अज्ञान) मुबल्लिगीन (प्रचारक) इस मस्अले में हद दर्जा गुलू (अतिशयोक्ति-Transgression) और तशहुद (सख़्ती-Strictness) करते हैं. और ज़रूरत से ज़ियादा ऊंचा पाजामा पहनते हैं और सुन्नत पर अमल करने का मुज़ाहिरा (दिखावा) बल्कि रियाकारी (दंभ-Hypocrisy) करते हैं और ज़रूरत से ज़ियादा ऊंचा पाजामा पहनकर अपने को मुत्तब-ए-सुन्नत (सुन्नत पर अमल करनेवाला-imitiate) में शुमार कराने की कोशिश और दिखावा करते हैं.

पाजामा पहनना अम्बिया-ए-किराम की सुन्नत है.

पाजामा पहनना बेशक हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम की सुन्नत (तरीक़ा) है. जलीलुलक़दर (महान) अम्बिया-ए-किराम अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम और जलीलुशशान सहाबा-ए-किराम रिदवानुल्लाहे तअ़ाला अलैहिम ने पाजामा ज़ैबे-तन (धारण) फरमाया है.

हदीस

'हाकिम और तिरमिज़ी ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसउद रदीय्यल्लाहो तअ़ाला अन्हो से रिवायत की कि 'हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैह वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 'काना-अ़ला-मूसा-यवमा-कल्लमहु-रब्बोहु-सरावीलो-सवफिन' (अनुवाद/तर्जुमा) 'जिस दिन अल्लाह तअ़ाला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से (कोहे-तूर पर) कलाम फरमाया उस दिन हज़रत

मूसा अलैहिस्सलाम ने सौफ (उन-Wool) का पाजामा पहना था.'

हदीस

'अबू नईम ने हज़रत अबू हुरैरह रदीय्यल्लाहो तअ़ाला अन्हो से रिवायत की कि हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि; 'अव्वलो-मन-लबसस-सरावीला-इब्राहीमुल-ख़लील' (तर्जुमा/अनुवाद) 'सबसे पहले जिसने पाजामा पहना, वोह हज़रत सय्येदुना इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलामो-वस्सलाम है.'

'अल-मवाहबुल्लदुन्या' और 'शरहे-सफरूस्सआदत' में है कि अमीरूल मो'मेनीन सय्येदुना उस्मान गनी रदीय्यल्लाहो तअ़ाला अन्हो रोजे-शहादत पाजामा पहने हुए थे. ज़मान-ए-अक़दस में हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम के इज़न (सम्मति-Permission) से सहाबा-ए-किराम पाजामा पहना करते थे.'

तहेबन्द (लुंगी) के मुक़ाबले में पाजामा में 'सतर' (जिस्म/शरीर का ढंकना) ज़ियादा है. हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम ने तहेबन्द के मुक़ाबले में पाजामा को ज़ियादा पसन्द फरमाया है. जैसा कि हदीसों में बयान है कि :-

हदीस

'इमाम तिरमिज़ी, इमाम अकीली, इब्ने-अदी और दयलमी ने अमीरूल मो'मेनीन सय्येदुना मौला अली रदीय्यल्लाहो तअ़ाला अन्हो से रिवायत की कि; 'हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम ने अपनी उम्मत की पाजामा पहनने वाली औरतों के लिये मग़फ़ेरत की दुआ फरमाई और मर्दों को ताकीद (आदेश-Injunction) फरमाई कि खुद भी पहनें और अपनी औरतों को पहनाए कि इस में 'सतर' (अंग का ढंकना) ज़ियादा है.'

इस हदीस में पाजामा को 'सतर' या'नी बदन को अच्छी तरह छुपाने के फायदे (गुण) की वजह से पसन्द फरमाने का ज़िक्र (बयान/वर्णन) है. मर्द के जिस्म (शरीर) का वोह हिस्सा जो नाफ (Nevel) और घुटनों (Knee) के दरमियान है, उसका छुपाना फर्ज़ है. औरत का पूरा बदन छुपाना फर्ज़ है. लिहाज़ा शरीअते-मुताहहरा की आदते-करीमा (विशिष्टता) है कि जब एक मिक्दार (माप/मात्रा) को फर्ज़ किया जाता है, तो उस फर्ज़ की कामिल तौर पर अदायगी (सम्पूर्ण पालन) के लिये एक हद्दे-मो'तदिल या'नी मुनासिब हद तक उस मिक्दार पर ज़्यादती (वृद्धि-Augmentation) करना सुन्नत करार दिया जाता है. मस्लन औरत (स्त्री) का पूरा बदन औरत या'नी उसको छुपाना फर्ज़ है. औरत के लिये उसका पूरा पांव भी छुपाना फर्ज़ है. लिहाज़ा औरत के लिये हुक्म है कि वोह एक बालिशत (बेंत/वेंत-Span) (लगभग नौ ईंच) तक ईज़ार या पाईचे लटकाए या'नी पांव की लम्बाई से पाजामा की लम्बाई एक बालिशत (Approx 9") ज़ियादा रखे बल्कि औरतों को दो (२) बालिशत तक ईज़ार या पाईचा लटकाने (लम्बा रखने) की इजाज़त है.

क्योंकि अगर औरत (स्त्री) ने 'सतरे-औरत' की वोह हद (सीमा) जो फर्ज़ है या'नी क़दमों तक पाजामा पहन रखा है, तो इसमें इन्किशाफे-औरत (जो अंग छुपाना फर्ज़ है उसके ज़ाहिर होने) का इम्कान है कि चलने-फिरने या उठने-बैठने में अगर पाजामा थोड़ा भी उंचा हुआ तो उसका टख़ना (घुट्टी-Ankle) या पिन्डली (जंधा-Calf of Leg) नज़र आएगी और औरत (स्त्री) का टख़ना या पिन्डली का नज़र आना शरअन ना-जाइज़ है. लिहाज़ा औरतों के लिये एक (१) या दो (२) बालिशत इज़ार लटकी हुई हो, इतनी लम्बी पहनने की इजाज़त दी गई है, ताकि 'सतरे-औरत' या'नी

जिस अंगे को छुपाना फर्ज़ है, उसे अच्छी तरह ढांक (छुपा) सकने का लिहाज़ (ख़याल) और इल्तेज़ाम (चीवट-Assiduous) बरक़रार (स्थापित) रहे और 'सतर' के खुलने का मौक़ा न रहे.

हदीस

'नसाई, अबू दाउद, तिरमिज़ी और इब्ने-माजा ने उम्मुल मो'मेनीन हज़रत उम्मे-सल्मा रदीय्यल्लाहो तआला अन्हा से रिवायत की कि उन्होंने फरमाया कि; 'हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैसे वसल्लम से सवाल पूछा गया कि 'कम-तबहरूल-मरअतो-मिन-ज़यलेहा' या'नी औरत (स्त्री) अपना कपड़ा (पाजामा) कितना लटकाए? इरशाद फरमाया, 'एक हाथ तक'.

हदीस की शरह :

'मजकूरा (वर्णनीय) हदीस की तशरीह (विवरण-Explanation) करते हुए इमामे-अजल, अल्लामा अहमद बिन मुहम्मद मिसरी कुस्तलानी अपनी किताब 'मवाहेबुल-लदुन्या-अलश-शमाइलिलि-मुहम्मदीया' में फरमाते हैं; 'औरत के लिये मुस्तहब है कि अपनी इज़ार को एक ज़िराअ (वार-Yard-३ फीट) तक लटकाए या'नी क़दम की हद से लम्बी पहने.'

मा'लूम हुआ कि बदन का जो हिस्सा छुपाना फर्ज़ है, उस फर्ज़ की तकमील (क्षतिहीनता-Perfectoin) के लिये फर्ज़ की हद से कुछ तजावुज़ (आगे बढ़ना-Jumping over) करके ज़ियादा हिस्सा छुपाना मुस्तहब है, ताकि बदन का हिस्सा-ए-सतरे-औरत दिखने न पाए. मर्दों के लिये नाफ (डुंटी-Nevel) से लेकर घुटने (Knee) तक का हिस्सा छुपाना फर्ज़ है, तो अगर किसी ने ढीला पाजामा या'नी जिस पाजामा के पाईचे कुशादा (चौड़े-Wide) हों, उस पाजामा को निस्फ़ साक़ या'नी आधी पिन्डली (Half Calf) तक ही

पहना है तो बैठने उठने या सोने लेटने में घुटना नज़र आने का इम्कान-Possibility ज़ियादा है.

दौरै-हाज़िर (वर्तमान युग) में तबलीगी जमाअत वाले आधी साक़ (पिन्डली) तक ही पाजामा पहनने का जो इसरार (आग्रह) करते हैं बल्कि उसमें गुलू (अतिशयोक्ति) करते हैं, यह उनकी शरीअत पर सरासर ज़्यादाती (खुला अत्याचार) है.

हदीस

'अबू दाउद ने हज़रत अकरमा रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत की कि उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदीय्यल्लाहो तआला अन्हूमा को देखा कि उनका पाजामा क़दम की पुशत (पग का उपर का हिस्सा-Upper side of foot) पर लटका हुआ है. लैकिन वोह पाजामा टख़नों (घुट्टी-Ankle) की जानिब से उंचा है. हज़रत अकरमा रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो ने कहा, ए इब्ने अब्बास! आपने इस तरह पाजामा क्यों लटकाया है? 'क़ाला-रअय्तो-रसूलल्लाहे-सल्लल्लाहो-अलैहे-वसल्लमा-यातज़रोहा' (अनुवाद) 'हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो ने जवाब दिया कि; 'मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम को इसी तरह इज़ार को लटकाए हुए देखा है.'

(हदीस, ब: हवाला, फतावा रज़वीया, जिल्द -९, जुज अब्वल, सफ़हा नं. ९९)

इस हदीस शरीफ़ का खुलासा येह है कि पाजामा इस तरह का पहनना कि उसके पाईचे का एक 'सिरा' (छेड़ा-End) क़दम की पुशत पर लटका हुआ हो, लैकिन दूसरा 'सिरा' टख़ने से बुलन्द हो कि टख़ना छुपता नहीं, तो एसा पाजामा पहनना जाइज़ है. इस में कोई मुज़ाइका (निषेधता-Prohibit) नहीं, बल्कि इस तरह पाजामा

पहनना हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदीयल्लाहो तआला अन्हो बल्कि खुद हुजुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम से साबित है. जैसा कि:-

हवाला :

‘अस्बाल ब-राहे-उजब व तकब्बुर हराम वर्ना मकरूह और ख़िलाफे-अवला / न हराम व मुस्तहिक्के-वईद/ और येह भी उसी सूत में है कि पाईचे जानिबे पाश्ना (एडी-Hill) नीचे हों और अगर उस तरफ का’बैन (टख़नों) से बुलन्द है, गो पंजा की जानिब पुश्ते-‘पा’ (क़दम-Foot) पर हों, हरगिज़ मुज़ाइफ़ा नहीं. इस तरह लटकाना हज़रत इब्ने अब्बास बल्कि खुद हुजुर सरवरे-आलम सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम से साबित है.’

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ९, जुज अव्वल, सफ़हा नं. ९९)

अल हासिल ! पाजामा इतना लम्बा होना चाहिये कि टख़नों के उपर तक हो और टख़ने छुपने नहीं चाहियें बल्कि नज़र आने चाहियें. इस तरह का पाजामा भी सुन्नत में शुमार होगा.

ख़ूब याद रखें कि ;

अगर तकब्बुर, गुरूर, घमन्ड, खुदबीनी, उजब, अपनी बड़ाई वगैरह की निय्यत से पाजामा इतना लम्बा पहना कि पाजामा के पाईचे टख़नों के नीचे तक लटके हुए हैं, तो सख़्त गुनाह और हराम है. हदीसों में उस के लिये सख़्त वईदें वारिद हुई हैं और बहुत सख़्त मुमानेअत मज़कूर है. जैसा कि :-

हदीस

‘बुख़ारी शरीफ और नसाई में है कि हुजुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं कि ‘मा-अस्फ़ला-मिनल-ईज़ारे-फ-फीन-नारे’ (तर्जुमा/अनुवाद) ‘ईज़ार (पाजामा) से जो नीचे लटका हुआ है, वोह

जहन्नम (नर्क) में है.’

हदीस

‘मुस्लिम शरीफ और अबू दाउद शरीफ में है कि हुजुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं कि; ‘तीन शख़्स ऐसे हैं जिन से अल्लाह तआला क़यामत के दिन कलाम नहीं फ़रमाएगा और न उनकी तरफ़ निगाहे-इल्लेफ़ात फ़रमाएगा और उनके लिये दर्दनाक (कष्टदायक) अज़ाब है. वोह तीन (३) शख़्स (१) अल मुस्बिल या’नी इस्बाल करने वाला या’नी टख़नों के नीचे तक पाजामा पहनने वाला (२) अल मन्नान या’नी एहसान (उपकार) करके जताने वाला, (३) मुनाफ़िक जो झूठी कस्में (सौगन्ध) खाता है.’

इन हदीसों में ‘अस्बाल’ की जो मुज़म्मत (निंदा-Abuse) और वईद आई है, उसकी ख़ास वजह (मुख्य हेतू) तकब्बुर और घमन्ड का सहेबाब (रोकथाम-Impediment) किया गया है. बः जाहिर (बाह्य स्वरूप से) तो टख़नों के नीचे लटके हुए पाजामा की मुज़म्मत (खंडन-Refutation) है, लैकिन दर हकीक़त (वास्तव में-Infact) तकब्बुर या’नी अभिमान का इस्तेसाल (ख़त्म करना/नाश करना-Extirpating) है. अगर किसी ने टख़नों के उपर तक बल्कि निस्फ़ साक़ (आधी पिन्डली) तक ऊंचा पाजामा पहना और इस तरहका पाजामा पहनने पर घमंड किया कि मैं निहायत ही सुन्नत का पाबन्द हूँ और मेरे मुक़ाबले में दूसरे लोग सुन्नत के पाबन्द नहीं, तो उस का इस तरह ऊंचा पाजामा पहनना भी मुमानेअत और वईद (अज़ाब की चेतावनी) में दाख़िल हो जाएगा.

पाजामा का टख़नों के नीचे तक लटके हुए या टख़नों के उपर होने या आधी पिन्डली तक होने की अहेम्मीयत (महत्वता-Importance) नहीं है, बल्कि

तकब्बुर (घमंड) के होने या न होने की एहमियत है. अगर किसीने बगैर तकब्बुर पाजामा लटकाया, तो मुमानेअत और वर्ईद से महफूज़ (सुरक्षित-Safe) हो गया और अगर किसी ने तकब्बुर और घमंड से पाजामा आधी पिन्डली तक ऊंचा चढाया, तो मुमानेअत और वर्ईद में गिरफ्तार हो गया. अल हासिल ! मुमानेअत और इजाज़त का मदार (आधार) निर्यत पर है. अगर तकब्बुर है, तो मुमानेअत है, वर्ना इजाज़त है. तकब्बुर, उजब, घमंड, अहंकार, अभिमान ऐसी क़ाबिले-नफ़रत और बुरी कहने के लाइक़ (धृणास्पद और निंदनीय) ख़सलतें (आदतें-Talent) हैं कि आदमी का नैक अमल भी बरबाद कर देती हैं. नैक अमल का अज़्रो सवाब मिलना तो दरकिनार (एक तरफ़ रहा) बल्कि उलटा गुनाह और अज़ाब का बोज़ सर पर आ पड़ता है.

ज़रूरत से ज़ियादा ऊंचा पाजामा पहनने की बिदअत की शुरूआत (प्रारम्भ) भारत के वहाबियों ने की है बल्कि ज़रूरत से ज़ियादा ऊंचा पाजामा पहनना आजकल के जाहिल वहाबी-तबलीगी जमाअत के अनुयायियों का इख़तेराअ (शोध-Invention) है. बल्कि मौजूदा ज़माने (वर्तमान युग) के मुनाफ़िकों वहाबी, नजदी, देवबन्दी, तबलीगी वगैरह फ़िकों की हदीसों में जो अलामते (निशानियां-Emblems) बताई गई हैं उनमें से एक अलामत येह भी है कि वोह पाजामा बहुत ऊंचा पहनेंगे.

हदीस

‘बुख़ारी शरीफ़ और मुस्लिम शरीफ़ में हज़रत अबू सईद खुदरी रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि; ‘व-यक़रउनल-कुरआना-ला-यजावज़ो-हनाजोरहुम’ ♦ ‘यमरेकूना-मिनद-दीने-कमा-यमरकुस्सहमो-मिनर-रमिय्यते’ (तजुर्मा / अनुवाद) ‘कुरआन पढ़ेंगे लैकिन कुरआन उनके

हल्क़ (गले) से तजावुज़ (आगे बढना) न करेगा. दीन से ऐसे निकल जाअेंगे जैसे तीर शिकार से.’ ‘क़ीला-मा-सीमाहुम ? क़ाला-सीमाहुमुत-तहलीको’ (तर्जुमा/अनुवाद) ‘अर्ज़ की गइ या रसूलल्लाह ! उनकी अलामत (पहचान) क्या होगी ? फ़रमाया ‘सर मुंडाना’ या’नी उनके अकसर (आमतौर से / विशेषता-Majority) के सर मुंडे होंगे. बा’ज़ हदीसों में येह भी आया है कि हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम ने उनका पता बताते हुए, उनकी येह अलामत भी इरशाद फ़रमाई कि; ‘मुशम्मरिल-ईज़ारा’ या’नी घुटनी ईज़ार वाले या’नी छोटे नाप के पाजामे वाले.’

मौजूदा ज़माने (वर्तमान युग) के मुनाफ़ेकीन या’नी वहाबी-तबलीगी जमाअत के मुत्तबेईन (अनुयायी) ज़रूरत से ज़ियादा ऊंचा पाजामा पहनकर तकब्बुर और रियाकारी की बला में गिरफ़्तार हैं. खुद को सुन्नत का पाबन्द और दूसरों को सुन्नत का तारिक (छोड़नेवाला) और मुख़ालिफ़ समज़ते हैं. तकब्बुर और रियाकारी के इस्तेसाल (खंडन) में अनेक हदीसों और दीने-इस्लाम के अज़ीम (महान) इमामों के बेशुमार अक़वाल (असंख्य कथन) मौजूद हैं.

हदीस

‘हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है, वोह फ़रमाते हैं कि; ‘समेअतो-रसूलल्लाहे-सल्लल्लाहो-तआला-अलैहे-वसल्लमा-यकूलो-अन्ननारा-व-अहलहा-या’जूना-मिन-अहलिल-रियाए’ ♦ ‘क़ीला-या-रसूलल्लाहे-व-कयफा-यअज़ुन्नारो-क़ाला-मिन-हरिन्नारिल-लती-युअज़्जेबूना-बेहा’ (अनुवाद) ‘मैंने रसूलुललाह सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम को इरशाद फ़रमाते सुना कि दोज़ख़ (जहन्नम) और दोज़ख़

वाले रियाकारों से चींख उठेंगे. अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह ! दोज़ख क्यों चीखेगी ? आपने फरमाया कि उस आग की तपिश (गर्मी-Heat) से, जिससे रियाकारों को अज़ाब दिया जाएगा.'

कौले-इमाम :

खातेमुल मोहक्केकीन, रईसुल मुजतहेदीन, हादीयुस्सालेकीन, हुज्जतुल इस्लामे वद दीन, अबू हामिद, मुहम्मद इब्ने मुहम्मद इब्ने मुहम्मद तूसी अल मा'रूफ (विख्यात-Known) 'इमाम गज़ाली' रदीय्यल्लाहो तअ़ाला अन्हो फरमाते है कि;

'तुमने खुद भी देखा होगा कि खुशक आबिद और रस्मी सूफी तकब्बुर से पैश आते हैं. दूसरों को हकीर (तुच्छ-Vile) ख़याल करते हैं. तकब्बुर की वजह से अपना रूख़सार (गाल-Cheek) टेढ़ा रखते हैं और लोगों से मुंह बिसौरे (रोने जैसा चेहरा-Sad Face) रखते हैं. गोया दो (२) रकअत नमाज़ ज़ियादा पढ़कर लोगों पर एहसान करते हैं, या शायद उन्हें दोज़ख से नजात (माफी-Absolution) और जन्नत के दाख़ले (प्रवेश-Admission) का सर्टीफिकेट मिल चुका है, या उनको यकीन हो चुका है कि सिर्फ हम ही नेक बख़्त हैं, बाकी सब लोग बद बख़्त और शकी (हलकट-Villainous) हैं. फिर वोह इन तमाम बुराइयों के होते हुए आजिज़ और मुतावाज़ेअ (नम्र-Humble) लोगों जैसा लिबास पहनते हैं, जैसे सोफ़ वगैरह. और निहायत (अत्यंत) ख़ामोशी और कमज़ोरी का इज़हार (दिखावा) करते हैं, हालांकि ऐसे लिबास और ख़ामोशी वगैरह का तकब्बुर और गुरूर से क्या तअ़ल्लुक (सम्बन्ध) बल्कि येह चीज़ें तो तकब्बुर और गुरूर के मनाफी (विरोधी-Opponent) हैं, लैकिन इन अंधो

को समज़ नहीं.'

(हवाला : मिनहाजुल आबेदीन उर्दू तर्जुमा, सफ़हा नं. १६६)

अन्य कौल :

हुज्जतुल इस्लाम हज़रत इमाम गज़ाली एक और मक़ाम पर फरमाते हैं कि 'अल-उजबो-इस्तेअज़ामुल-अमलुस्सालेह' (तर्जुमा) 'अपने नेक अमलों को अज़ीम (महान-Great) ख़याल करने का नाम उजब (अहंकार-Haughtiness) है.'

(हवाला : 'मिनहाजुल-आबेदीन' उर्दू तर्जुमा, सफ़हा नं. २८३)

मौजूदा ज़माने (वर्तमान युग) के मुनाफिकों का अपने आप को सुन्नत पर अमल करने वाला समज़ने की ग़लत फहमी (भ्रम)

एक खास (महत्वपूर्ण) नुक्ते की तरफ कारेईन (वाचक मित्रों) का ध्यान ले जाना ज़रूरी है कि मौजूदा ज़माने के मुनाफेकीन (वहाबी-तबलीगी वगैरह) अपने अमल और इरतेकाब (अनुसरण-Adopt) पर इतना अकड़ते और इतराते हैं कि अपने मुक़ाबले में दूसरों को खातिर में नहीं लाते और हैरत की बात तो येह है कि अपने इरतेकाब को 'सुन्नते-रसूल' का हसीन नाम दे देते हैं. लैकिन दर हकीकत उनको खूद को भी नहीं मा'लूम होता कि जिस काम को हम 'सुन्नते-रसूल' केहकर मशहूर (प्रचलित) कर रहे हैं वोह काम हकीकत (वास्तव) में सुन्नत है या नहीं ? मिसाल के तौर पर सर के तमाम बाल मुंडाना या'नी मुंडन कराना. वहाबी-तबलीगी जमाअत के ज़ियादा तर लोग सर घुटाते (मुंडन कराते) हैं और येह कहते हैं कि 'हम सुन्नत पर अमल करते हैं.' आम (सामान्य) दिनों में भी वोह लोग सर के बाल सफाचट करा कर 'टकले' बनते हैं और टकला होने को

‘सुन्नते-रसूल’ से इल्हाक (मिलाने-Coupling) करने की कोशिश (चेष्टा) करते हैं। और लोगों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि पूरा सर मुंडाना हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स (विपरीत) है।

◆ हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लमने ज़रूर ‘हल्क’ फरमाया है या’नी सरे-अक़दस के तमाम बाल मुबारक मुंडाए हैं, लेकिन कब ?

एक हवाला पेशे-ख़िदमत है :-

‘हज्जो-हजामत या’नी पछनों की ज़रूरत के सिवा हुजूरे-वाला सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम से हल्के-शअ़र (सर के तमाम बाल मुंडाना) साबित नहीं। हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम ने दस (१०) साल मदीना में क़याम फरमाया। इस मुद्दत में सिर्फ़ तीन (३) बार या’नी साले-हुदैबिया, व उमरतुल क़ज़ा, व हज्जतुल विदाअ में हल्क़ फरमाया। ‘अला-मा-नक़लहु-अलीयुल-क़ारी-फी-जमईल-वसाईल-अन-बा’दे-शराहिल-मसाबीह’ (या’नी जैसा कि अल्लामा अली कारी मक्की ने मिश्क़ातुल-मसाबीह की शरहों के हवालों से इस का बयान किताब जमउल वसाइल में किया है।’)

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, जुज़ अव्वल, सफ़हा नं. ३९)

हुजूरे-अक़दस, रहमते-अ़लम सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में दस (१०) साल तक तवील (लम्बा) क़याम फरमाया और दस (१०) साल के ज़ाहेरी क़याम के दौरान आपने सिर्फ़ तीन (३) मरतबा ही ‘हल्के शअ़र’ या’नी सरे-अक़दस के तमाम बाल मुंडाए। और वोह तीन (३) मरतबा भी सामान्य दिनों में नहीं बल्कि ख़ास मौक़े (अवसर) पर ‘हल्क़’ (मुंडन) फरमाया है। और वोह तीन मौक़े (१) सुल्हे-हुदैबिया (२) उमर-ए-क़ज़ा और (३) हज्जे-विदाअ के मौक़ों पर हल्क़ फरमाया है, अ़ाम (सामान्य)

दिनों में ‘हल्क़’ (मुंडन) नहीं फरमाया है। लेकिन दौरे-हाज़िर (वर्तमान युग) के मुनाफ़ेकीन ने तो अ़ाम दिनों में भी सर घुटाना अपनाया है। जब देखो तब सर पर अस्त्रा (Razor) फिरा कर ‘टकलू’ बन जाते हैं और अपने टकलेपन की कोशिश (चेष्टा) को ‘सुन्नते-रसूल’ ‘सुन्नते-रसूल’ की रट लगाकर मुनासिब और मसनून काम में खपाने का प्रयत्न करते हैं।

हालांकि हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम की अ़ाम तौर से अ़ादते-करीमा यह थी कि सरे-अक़दस पर मुक़दस जुल्फें थीं और वस्ते-रास या’नी सर के मध्य (Centre of head) में मांग (सेंथो)होती थी। आपने मदीना मुनव्वरा के दस (१०) साल के ज़ाहिरी क़याम के दौरान जो तीन (३) मरतबा ‘हल्क़’ फरमाया है, वोह हज्ज और उमह के अरक़ान से था और ज़रूरी था। आदते-करीमा के तकाज़े (आग्रह) से नहीं था।

इतनी साफ़ (स्पष्ट) वज़ाहत के बावजूद भी वहाबी-तबलीगी जमाअत के लोग सर घुटाने (टकला होने) को सुन्नते-रसूल का नाम देकर अपनी अस्लीयत को छुपाने की कोशिश करते हैं क्योंकि इल्मे-ग़ैब जानने वाले, मुख़िबरे-सादिक़ प्यारे आक़ा व मौला सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम ने मुनाफ़िकों की ख़स्ततों (प्रकृति-Talent) की निशानदेही (लक्षण-चिन्ह-Badge) फरमाते हुए इरशाद फरमाया है कि ‘सीमाहुमुत-तहलीको’ या’नी उन की अ़लामत सर घुटाना (मुंडाना) है।’ यह सच्ची आगाही वर्तमान युग के मुनाफ़िकों के लिये बराबर मुनासेबत (तुलनात्मक-Proporatoin) रखती है।

हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम ने मुनाफ़िकों की जो अ़लामतें बताई हैं, उन में से चन्द अ़लामतें यह हैं कि :-

◆ तुम्हारे पास ऐसी ऐसी बातें लेकर आअेंगे, जो न तुमने सुनी होंगीं और न तुम्हारे बाप-दादा ने सुनी होंगीं।

◆ कुरअ़ान पढेंगे, लेकिन कुरअ़ान उनके हल्क़ (गले) से

तजावुज़ नहीं करेगा.

- ◆ उनकी नमाज़ों और रोज़ों के सामने तुम अपनी नमाज़ों और रोज़ों को हल्का (तुच्छ) समजोगे.
- ◆ अगले ज़माने के लागों को बुरा कहेंगे.
- ◆ सर घुटाओंगे या'नी सर मुंडाओंगे.
- ◆ पाजामा ऊंचा पहनेंगे.

वग़ैरह वग़ैरह बयान की गईं तमाम अलामतें वर्तमान (युग) के मुनाफ़िकों और मुर्तदों में बः दरज-ए-अतम (संपूर्ण रूप-Perfectly) पाई जाती हैं लेकिन अपनी मुनाफ़िकाना ख़स्लतों को वोह 'सुन्नत' का मोहतरम (आदरणीय) नाम देकर लोगों को धोका (Fraud) देने की कोशिश करते हैं. ज़रूरत से ज़ियादा ऊंचा पाजामा पहनने में और सर टकला कराने में उनकी मुनाफ़िकाना आदत (प्रकृति) ही मुतहर्रिक (कार्यरत-Moving) होती है, लैकिन हकीकत (वास्तविकता) को छुपाने के लिये सुन्नत पर अमल करने का ढोंग करते हैं.

पाजामा के पाइचों को मोड़ने के मस्अले का निचोड़ :

पाजामा या पतलून (Pantaloen) के पाइचों को मोड़ना फ़िक़ही इस्तेलाह (परिभाषा) में "ख़िलाफे-मो'ताद" में शुमार होता है. ख़िलाफे-मो'ताद या'नी बदन के कपड़ों को इस तरह पहनना या ओढ़ना कि इस तरह कपड़े पहनकर या मोड़कर बाज़ार में या किसी अकाबिर (उच्च दर्जे के व्यक्ति-Grandee) के पास न जा सकें और इस तरह का कपड़ा पहनकर या मोड़कर बाज़ार में या अकाबिर के पास जाने वाला शख़्स ग़ैर मुहजुज़ब (असंस्कारी-Boorish) कहलाए.

जो लोग नमाज़ में पाजामा या पतलून के पाईचे मोड़ते हैं, जब उनसे कहा गया कि जनाब आली ! आप इसी तरह पाईचे मोड़े हुए बाज़ार में या कोर्ट कचहरी में तशरीफ़ ले चलें, तो वोह इस हयअत (हालत-Posi-

tion) में बाज़ार या किसी कचेहरी या दफ़्तर में जाने के लिये हरगिज़ रज़ामन्द (सहमत-Agree) नहीं होंगे बल्कि इस तरह वहां जाने में शर्म और आर (बदनामी-Ignominy) मेहसूस करेंगे. और मान भी लो कि अगर कोई शख़्स अपने पाजामा या पतलून के पाईचे मोड़कर बाज़ार या किसी दफ़्तर (Office) में चला भी गया, तो लोग उसको देखकर उसकी बदतेहज़ीबी पर हसंगे और कहेंगे कि कैसा बेअदब शख़्स है कि ख़िलाफे-मो'ताद हालत में या'नी आदत, रिवाज और तेहज़ीब (संस्कृति-Culture) के आदाब (शिष्टाचार-Etiquette) को बाला-ए-ताक़ छोड़कर जोकर (मस्ख़रा-Joker) बनकर आ धमका है. तो ज़रा सोचो ! कि जिस हालत में दुनियादार के सामने या दुनिया वालों के दरबार में जाना "ख़िलाफे-मो'ताद" (शिष्टाचार के विरुद्ध) है, ऐसी हालत में अल्लाह के दरबार में हाज़री (नमाज़) के वक़्त तो "मो'ताद" का लिहाज़ करना बहुत ही ज़रूरी और लाज़मी है. इसीलिए फुकहा-ए-किराम ने ख़िलाफे-मो'ताद कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ने पर मकरूहे-तहरीमी का हुक्म सादिर फरमाया है, क्योंकि अल्लाह तआला के दरबार की हाज़री के वक़्त ऐसा कोई भी काम रवा (योग्य) नहीं जो काम ख़िलाफे-मो'ताद हो.

यहां तक कि गुफ़्तगू का मा-हसल (निचोड़) येह है कि अगर किसी का पाजामा लम्बा सिला हुआ है और उसके पाईचे टख़नों के नीचे तक लटके हुए हैं और उसका इस तरह पाईचे लटकाना तकब्बुर या उजब (अभिमान/घमन्ड) की वजह (कारण) से नहीं और उसने पाईचे टख़नों के नीचे लटकती हुई हालत में नमाज़ पढ़ी, तो उसकी नमाज़ मकरूहे तन्ज़ीही होगी.

लैकिन....

अगर उसने पाईचों को मोड़कर उपर चढ़ा कर नमाज़ पढ़ी, तो उसकी नमाज़ मकरूहे-तहरीमी वाजेबुल एआदा होगी. या'नी उस नमाज़ को फिर से

दोबारा पढ़ना वाजिब होगा।

हैरत और तअज्जुब है उन लोगों पर जो पाईचों को मोड़कर उपर चढ़ाकर नमाज़ पढ़ते हैं और मकरूहे-तन्जीही से बचने के लिये मकरूहे-तहरीमी में मुब्तिला (गरकाव) होते हैं। या'नी छोटे अनिष्ट से बचने के लिये बड़े अनिष्ट को अपनाते हैं।

लिहाज़ा...

नमाज़ में पाजामा या पतलून के पाईचों या कुर्ता या शर्ट की आस्तीनों को हरगिज़ नहीं मोड़ना चाहिये, क्योंकि उससे नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होती है।

नमाज़ मकरूहे-तन्जीही होने के

अन्य मसाइल :

मरुआला

'नमाज़ के दौरान सर से टोपी गिर जाए तो उठा लेना अफज़ल है, जब कि बार-बार न गिरे और उठाने में अमले-कसीर की हाज़त न पड़े, वर्ना नमाज़ फासिद हो जाएगी। और अगर खुशूअ व खुजूअ तथा आजज़ी व इन्केसारी की निय्यत से सर बरेहना (खुला) रखना चाहे, तो न उठाना अफज़ल (उत्तम) है।

(दुरें मुख़ार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-१७१, फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ४१६)

मरुआला

'नमाज़ में अंगड़ाई लेना, बिल क़स्द खांसना और खंखारना मकरूह है।'
(अ़ालमगीरी, मराकीयुल फ़लाह)

मरुआला

'इमाम का ज़रूरत के बग़ैर मेहराब (Arch) में खड़ा होना कि पांव भी मेहराब के अन्दर हों, यह मकरूह है। हां, अगर पांव मेहराब के बाहर हों और सजदा मेहराब के अन्दर हो, तो किराहत नहीं। इसी तरह इमाम का दर (दरवाज़ा-Door) में खड़ा होना भी मकरूह है। लैकिन अगर पांव बाहर हों और सजदा दर में हो, तो किराहत नहीं।' (फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ४२)

मरुआला

'काब-ए-मुअज़्ज़मा और मस्जिद की छत (Terrace) पर नमाज़ पढ़ना मकरूह है कि इस में तर्के-ता'ज़ीम (उच्च आदर भाव का त्याग-Desreting of Reverence) है।

(अ़ालमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-१७४)

मरुआला

'मस्जिद में कोई जगह अपने लिये ख़ास (निश्चित-Fixed) कर लेना कि उसी जगह पर नमाज़ पढ़े, यह मकरूह है।' (अ़ालमगीरी, बहारे-शरीअत)

मरुआला

'नमाज़ी के सामने जलती आग का होना बाइसे-किराहत है, अलबत्ता शम्आ या चिराग में किराहत नहीं।'

(हवाला : सदर-Ditto)

मरुआला

'सजदा में रान (जांध-Thigh) को पेट से चिपका देना मर्द के लिये

मकरूह है, मगर औरत सजदा में रान को पेट से मिला देगी।'

(आलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-१७४)

परअला

'आम रास्ता, कूड़ा-कचरा डालने की जगह(Swage), मज़बह या'नी जानवरों को हलाल और ज़बह करने की जगह (कसाई ख़ाना-Slaughter house) क़ब्रस्तान, गुस्लख़ाना, हमाम, नाला, मवेशी ख़ाना (Cattle camp) खासकर उंट (Camel) बांधने की जगह, अस्तबल या'नी घोड़ों को बांधने की जगह (तबेला-Stable) में और पाख़ाना (जाजरू-Latrine) की छत पर नमाज़ पढ़ना मकरूह है।'

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-१७५)

परअला

'गुलूबन्द (गले का रूमाल-Neck cloth) पगड़ी, टोपी या रूमाल से पैशानी (Forehead) छुपी हुई है, तो सजदा दुरूस्त और नमाज़ मकरूह है।'

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४१९)

परअला

'हुक्का, बीडी, सिगरेट या तम्बाकू खाने-पीने वाले के मुंह में बदबू (दुर्गंध-Foul smell) होने की हालत में नमाज़ मकरूह है। और ऐसी हालत में मस्जिद में जाना भी मना है, जब तक मुंह साफ न कर ले।'

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४४६)

परअला

'जमाअत से नमाज़ पढ़ते वक़्त इमाम के बराबर (क़रीब-Adjoin) दो (२) मुक़तदीयों का खड़ा होना मकरूहे-तन्ज़ीही है।' (बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-१३२, दुर्रे मुख़्तार, जिल्द-१, सफहा नं. ३८१)

परअला

'कामकाज के कपड़े (Worker Dress) पहन कर नमाज़ पढ़ना मकरूहे-तन्ज़ीही है, जबकि उसके पास दूसरे कपड़े माजूद हों, वर्ना उसी कपड़ों में नमाज़ पढ़ने में किराहत नहीं। (बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-१७१)

परअला

'तमाम मज़हब (हनफी, शाफई, हम्बली, मालिकी) की किताबों में साफ़ तशरीह है कि वोह कपड़े जिनको आदमी अपने घर में काम काज के वक़्त पहने रहेता है और जिन कपड़ों को मैल कुचैल से बचाया नहीं जा सकता, उन्हें पहन कर नमाज़ पढ़नी मकरूह है। ज़ख़ीरा में एक रिवायत इस तरह मन्कूल है कि :-

'अन्ना-उमरा-रदीय्यल्लाहो-तअ़ला-अन्हो-रआ-रजुलन-फ़अ़ला-ज़ालेका-फ-क़ाला-अ-रअयता-लव-अरसलतोका-इला-बअदि-न्नासे-अ-कुन्ता-तमुर्रो-फी-सियाबेका-हाज़ेहि ? फ-काला-ला-फ-क़ाला-उमरो-फ़ल्लाहो-अहक्को-अंय-यतज़य्यना-लहू'

(अनुवाद) 'अमीरूल मो'मेनीन हज़रत फ़रूके-आज़म रदीय्यल्लाहो तअ़ला अन्हो ने एक शख़्स को ऐसे ही (गंदे) कपड़ों में नमाज़ पढ़ते देखा, तो उस शख़्स से फ़रमाया कि भला बता तो सही, अगर में तुजे इन्हीं कपड़ों में किसी आदमी के पास भेजूं, तो क्या तू चला जाएगा ? उस शख़्स ने कहा कि; 'नहीं।' इस पर हज़रत उमर फ़रूके-आज़म रदीय्यल्लाहो तअ़ला अन्हो ने फ़रमाया कि " अल्लाह तबारक व तअ़ला ज़यादा मुस्तहिक् है कि उसके दरबार में जीनत (सुघड़ता-Elegance) और अदब के साथ हाज़िर हो।"

(हवाला :♦ तन्वीरूल अब्सार ♦ दुर्रे मुख़्तार ♦ दुरर ♦ गुरर शरहे वक़ाया ♦ मजमउल अन्हर ♦ बहरूर राइक ♦ रदुदुल मोहतार ♦ गुन्या, ♦ हुल्ल्या ♦ ज़ख़ीरतुल उक़बा ♦ फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ४४४)

प्रकरण
(१२)

जमाअत से नमाज़ पढ़ने का ब्यान

- ◆ हुजुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लमने हमेंशा जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ी है और अपने सहाबा (रदीयल्लाहो तअ़ाला अन्हुम) को भी हमेंशा नमाज़ बा-जमाअत पढ़ने की ताकीद (बार बार सूचना) फरमाई है।
- ◆ 'हदीस शरीफ में है कि जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ना, तन्हा (अकेले) नमाज़ पढ़ने से सत्ताइस (२७) दर्जा ज़ियादा फज़ीलत रखता है।'
(तफ़सीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, सफ़हा नं. १३)
- ◆ 'जमाअत से नमाज़ पढ़ना इस्लाम की बड़ी निशानियों में से है, जो किसी भी दीन (धर्म) में न थी।'
- ◆ 'जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने की फज़ीलत और जमाअत को छोड़ने की वर्इद में अनेक हदीसों रिवायत की गई हैं, जिन में से चन्द हदीसों पेशे-ख़िदमत हैं :-

हदीस

'इमाम तिरमिज़ी हज़रत अनस रदीय्यल्लाहो तअ़ाला अन्हो से रावी कि हुजुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि, 'जो अल्लाह के लिये चालीस (४०) दिन बा-जमाअत नमाज़ पढ़े और तकबीरे-उला पाए, उसके लिये दो (२) आज़ादियां हैं। एक 'नार' (जहन्नम की आग) से और दूसरी 'निफाक' (पाखंड-Hypocrisy) से।'

हदीस

'सहीह मुस्लिम शरीफ में हज़रत उस्मान रदीय्यल्लाहो तअ़ाला अन्हो से मर्वी है कि हुजुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 'जिसने बा-जमाअत इशा की नमाज़ पढ़ी, गोया उसने आधी रात क़याम किया (या'नी इबादत की / नमाज़ पढ़ी) और जिसने फज़ की नमाज़ जमाअत से पढ़ी, गोया उसने पूरी रात इबादत की।'

हदीस

इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरह रदीय्यल्लाहो तअ़ाला अन्हो से रिवायत की कि हुजुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि, 'मुनाफिकों पर सबसे ज़ियादा गिरां (भारी/कष्ट दायक-Burdensome) नमाज़े-इशा और फज़ है, अगर वोह जानते कि इस में क्या (सवाब) है? तो घसिटते हुए आते। और बेशक मैंने क़स्द (इरादा) किया कि नमाज़ क़ाइम करने का हुक्म दूं, फिर किसी को हुक्म दूं कि लोगों को नमाज़ पढ़ाए और मैं अपने हमराह (साथ में) चंद लोगों को जिन के पास लकड़ियों (Wool) के गट्टे हों, उन के पास ले जाऊं जो नमाज़ में हाज़िर नहीं होते और उनके घरों को जला दूं।'

हदीस

'इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम मालिक और इमाम नसाई हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदीय्यल्लाहो तअ़ाला अन्हो से रावी कि हुजुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि, 'जमाअत से नमाज़ पढ़ना तन्हा (अकेले-Alone) नमाज़ पढ़ने से

सत्ताइस (२७) दर्जा बढ़कर है।’

हदीस

‘अबू दावूद ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसउद रदीयल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत की कि हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ‘जो शख्स अच्छी तरह तहारत करे, फिर मस्जिद को जाए, तो जो क़दम चलता है, हर क़दम के बदले अल्लाह तआला नैकी लिखता है, और दर्जा बुलन्द करता है और गुनाह मिटा देता है।’

हदीस

‘नसाई और इब्ने खुज़यमा अपनी सहीह में हज़रत उस्मान गनी रदीयल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; ‘जिसने कामिल (सम्पूर्ण) वुजू किया फिर फर्ज़ नमाज़ के लिये मस्जिद की तरफ चला और इमाम के साथ फर्ज़ नमाज़ पढ़ी, उस के गुनाह बख़्श दिये जाते हैं।’

जमाअत के मुतअल्लिक ज़रूरी मसाइल

मस्अला

हर आकिल, बालिग, आज़ाद और क़ादिर मर्द पर जमाअत से नमाज़ पढ़ना वाजिब है। बिला उज़्र एक मरतबा भी छोड़नेवाला गुनाहगार और मुस्तहिक्के-सज़ा है। और कई (अनेक) मरतबा तर्क करे तो ‘फासिक’ और ‘मरदुदुश्शहादत’ है, या’नी उसकी गवाही कुबूल नहीं की जाएगी और उस को सख़्त सज़ा दी जाएगी। अगर उसके

पड़ोसियों (Neighbour) ने सुकूत किया या’नी उसकी जमाअत को छोड़ने की आदत पर चुप रहे, तो वोह भी गुनाहगार हुए।’

(दुरै मुख़्तार, रददुल मोहतार, गुन्या, बहारे-शरीअत, हिस्सा नं. ३, सफ़हा नं. १२९)

मस्अला

‘पांचो वक़्त की नमाज़ मस्जिद में जमाअत के साथ वाजिब है। एक वक़्त का भी बिला उज़्र तर्क गुनाह है।’

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ३७२)

मस्अला

‘जुम्आ और ईदैन (दोनों ईदें) की नमाज़ में जमाअत शर्त है। तरावीह में जमाअत करना सुन्नते-किफ़ायया है। नवाफिल और रमज़ान के इलावा वित्र में अगर ‘तदाई’ (अैलान-Announce) के तौर पर जमाअत की जाए, तो मकरूह है। तदाई के मा’ना येह हैं कि जमाअत करने का ऐलान हो और तीन (३) से ज़ियादा मुक़्तदी हों।’

(दुरै मुख़्तार, रददुल मोहतार, आलमगीरी)

मस्अला

‘सूरज गहेन (ग्रहण) की नमाज़ में जमाअत सुन्नत है और चांद गहन की नमाज़ ‘तदाई’ (एलान) के साथ जमाअत से मकरूह है।’

(बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-१३०)

मस्अला

‘एक इमाम और एक मुक़्तदी या’नी दो (२) आदमी से भी जमाअत क़ाइम हो सकती है। और एक से ज़ियादा मुक़्तदी होने से जमाअत की फज़ीलत ज़ियादा है। मुक़्तदीयों की ता’दाद (संख्या) जितनी

ज़ियादा होगी उल्नी फज़ीलत ज़ियादा होगी.'

हदीस

'इमाम अहमद, अबू दाउद, नसाई, इब्ने खुज़यमा और इब्ने हब्बान ने अपनी सहीह में हज़रत उबई इब्ने का'ब रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत की कि हज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 'मर्द की एक मर्द के साथ नमाज़ तन्हा (अकैले) नमाज़ पढ़नेकी निस्बत ज़ियादा पाकीज़ा है और दो (२) के साथ बःनिस्बत एक के ज़ियादा अच्छी है और जितने ज़ियादा हों अल्लाह तआला के नज़दीक ज़ियादा महबूब है.'

फ़तावा

'जुम्आ और ईदैन या'नी ईदुल-फ़ित्र और ईदुल अज़हा की नमाज़ की जमाअत के लिये कम से कम तीन (३) मुक़तदी का होना शर्त है. दीगर (अन्य) नमाज़ों की तरह एक (१) या दो (२) मुक़तदी से जुम्आ और ईद की नमाज़ काइम नहीं हो सकती. जुम्आ और ईदैन की नमाज़ की जमाअत के लिये इमाम के इलावा कम से कम तीन मर्द मुक़तदीयों का होना ज़रूरी है. अगर तीन (३) मर्द से कम (Less) मुक़तदी होंगे, तो जुम्आ और ईदैन की जमाअत सहीह नहीं.'

(आलमगीरी, तन्वीरूल अब्सार, फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं.

६८३)

फ़तावा

'अकैला मुक़तदी मर्द अगरचे लडका हो, वोह इमाम के बराबर दाहनी जानिब (Right Side) खड़ा हो. बाअें या पीछे खड़ा होना मकरूह है. और अगर दो (२) मुक़तदी हों, तो इमाम के पीछे खड़े हों. दो (२) मुक़तदीयों का

इमाम के बराबर खड़ा होना मकरूहे-तन्ज़ही है और दो (२) से ज़ियादा मुक़तदीयों का इमाम के करीब खड़ा होना मकरूहे-तहरीमी है.'

(दुरै मुख़्तार, जिल्द-१, सफ़हा नं. ३८१)

फ़तावा

'अगर इमाम और सिर्फ एक (१) मुक़तदी जमाअत से नमाज़ पढ़ते हों और दूसरा मुक़तदी आ गया, तो अगर पहला मुक़तदी मस्अला जानता है और उसे पीछे हटने की जगह है, तो वोह पीछे हट जाए और दूसरा मुक़तदी उस पीछे हटनेवाले मुक़तदी के बराबर खड़ा हो जाए.

अगर पहला मुक़तदी मस्अला नहीं जानता या मस्अला तो जानता है लेकिन पीछे हटने की जगह नहीं, तो इमाम आगे बढ़ जाए. और अगर इमाम को भी आगे बढ़ने की जगह नहीं, तो दूसरा मुक़तदी इमाम के बाअें हाथ की जानबि (Left Side) इमाम के करीब खड़ा हो जाए. मगर अब तीसरा मुक़तदी आकर इमाम के करीब दायें या बायें कहीं भी खड़ा होकर जमाअत में शामिल नहीं हो सकता, वना सब की नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होगी और इमाम तथा मुक़तदीयों सबको उस नमाज़ का एआदा या'नी दोबारा (फ़िर से) पढ़ना वाजिब होगा.'

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. २६०)

फ़तावा

'अगर मज़कूरा (वर्णनीय) सूत से दो (२) मुक़तदी इमाम के करीब खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हों और अब तीसरा मुक़तदी आया और वोह जमाअत में शामिल होना चाहे तो उस पर लाज़िम है कि पहले से शामिल होकर, इमाम के करीब दायें-बायें खड़े दोनों मुक़तदीयों में से किसी के भी करीब खड़ा न हो, बल्कि इन दोनों के पीछे खड़ा हो जाए क्योंकि इमाम के करीब तीन मुक़तदीयों का खड़ा होना मकरूहे-तहरीमी है.'

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ३२३)

परअता

‘अगर एक (१) मुक़तदी इमाम के बराबर (करीब) खड़ा होकर जमाअत से नमाज़ पढ़ रहा है और दूसरा मुक़तदी जमाअत में शामिल होने आए, तो मुक़तदी पीछे हट आए और अगर दो मुक़तदी इमाम के बराबर खड़े होकर जमाअत से नमाज़ पढ़ रहे हों और तीसरा मुक़तदी जमाअत में शामिल होने आए तो इमाम को आगे बढ़ना अफज़ल है.’

(दुरै मुख़्तार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-१३२)

परअता

‘इमाम के साथ सिर्फ एक (१) मुक़तदी इमाम के बराबर खड़ा होकर जमाअत से नमाज़ पढ़ रहा है और दूसरा मुक़तदी जमाअत में शामिल होने आया, लेकिन वोह पहला मुक़तदी पीछे नहीं हटता और न ही इमाम आगे बढ़ता है, तो दूसरा मुक़तदी पहले वाले मुक़तदी को पीछे खींच ले. और वोह बाद में आने वाला या’नी दूसरा मुक़तदी पहले मुक़तदी को चाहे निय्यत बांधने से पहले खींच ले, चाहे तो निय्यत बांधने के बाद खींचे, दोनों सूरेतें जाइज़ हैं, लेकिन निय्यत बांधने के बाद खींचना अवला (उत्तम) है.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-३२३)

परअता

मुक़तदी को पीछे खींचने की परिस्थिति में ‘वाजेबुत-तम्बीह’ (ज़रूरी चेतावनी-Expedient Instruct) बात यह है कि खींचना उसी को चाहिये जो ज़ी-इल्मी हो या’नी इस मस्अले से वाकिफ हो. अगर पहला मुक़तदी कि जिसको खींचा जा रहा है, वोह अगर मसाइल से ना-वाकिफ (अन्जान) है और उसको इस तरह खींचने का मस्अला ही नहीं मा’लूम तो अगर उसको पीछे खींचा, तो वोह पीछे खींचने पर बौखला जाएगा और ‘क्या है’ और ‘क्यों खींचते हो?’ वगैरह कोई जुम्ला (वाक्य) घबराहट की वजह से उसके मुंह से

निकल जाएगा और मुबादा (खुदा न करे) कि ना-वाकिफी की वजह से उसकी नमाज़ फ़ासिद हो जाए. लिहाज़ा खींचे नहीं. इलावा अर्ज़ी एक अहम (आवश्यक) और ज़रूरी नुक्ता भी याद रखना चाहिये कि नमाज़ में जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम के सिवा किसी दूसरे से कलाम करना मुफ़सिदे-नमाज़ है, इसी तरह अल्लाह और रसूल के सिवा किसी का हुक्म मानना भी नमाज़ को फ़ासिद कर देता है.

लिहाज़ा....

‘अगर एक शख्स ने किसी नमाज़ी को पीछे खींचा या इमाम को आगे बढ़ने को कहा और वोह नमाज़ी या इमाम कहने वाले का हुक्म मानकर अपनी जगह से आगे या पीछे हटा, तो उसकी नमाज़ जाती रही, अगरचे येह हुक्म देने वाला निय्यत बांध चुका हो. और अगर हटने वाले ने कहने वाले के हुक्म का लिहाज़ न रखा और न उसके हुक्म से कोई काम रखा बल्कि इस निय्यत से हटा कि शरीअत का हुक्म है और शरीअत के मस्अले के लिहाज़ से हरकत की, तो नमाज़ में कुछ भी खलल (भंगाण-Interruption) नहीं. इस लिये बेहतर येह है कि हटने का हुक्म देने वाले के कहते ही फ़ौरन हरकत न करे या’नी न हटे बल्कि थोड़ा सा तअम्मूल (विलंब-विचार-Reflexion) करे और येह निय्यत कर के हरकत करे या’नी हटे कि इस कहने वाले के हुक्म से नहीं बल्कि शरीअत का हुक्म है, इस लिये हट रहा हूं, ताकि बःज़ाहिर ग़ैर के हुक्म को मानने की सूरेत (परिस्थिति) न रहे.

जब सिर्फ निय्यत का फ़र्क (तफ़ावुत) होने से नमाज़ के फ़ासिद या दुरूस्त होने का मदार (आधार) है, तो इस ज़माने में जबकि ज़माने वालों पर जिहालत (अज्ञानता) ग़ालिब (छाई हुई) है और अजब (तअज़्जुब) नहीं कि अ़वाम (सामान्य जनता) निय्यत के इस फ़र्क से अन्जान होकर बिला वजह अपनी नमाज़ें ख़राब कर लें, लिहाज़ा दीन के इमामों ने फ़रमाया है कि ‘ग़ैर-ज़ी-इल्म’ (ज़ाहिल)

को हरगिज़ न खींचे और यहां 'ज़ी-इल्म' से मुराद वोह हैं जो इस मस्अले और निय्यत के फर्क से आगाह (जानकार) हो.'

(दुर्रे मुख्तार, रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-१३२, और फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-३२३ और ३९१)

परअला

'इमाम के बराबर खड़ा होने के येह मा'नी हैं कि मुक़तदी का क़दम (पांव) इमाम के क़दम से आगे न हो या'नी मुक़तदी के पांव का धट्टा (टख़ना-Ankle) इमाम के पांव (पग-Foot) के धट्टे से आगे न हो. सर या पांव की ऊंगलियों के आगे पीछे होने का ए'तबार नहीं, मस्लन मुक़तदी इमाम के बराबर खड़ा हुआ और मुक़तदी का क़द (शरीर की स्वाभाविक उंचाई-Stature) दराज़ है या'नी लम्बी है और इमाम छोटे क़द का है, लिहाज़ा सजदे में मुक़तदी का सर इमाम के सर से आगे हो जाए, मगर मुक़तदी के पांव का धट्टा इमाम के पांव के धट्टे से आगे न हो, तो कोई हर्ज़ नहीं. इसी तरह अगर मुक़तदी के पांव बड़े और लम्बे हों कि मुक़तदी के पांव की ऊंगलियां इमाम के पांव की ऊंगलियों से आगे हों, तब भी हर्ज़ नहीं, बशर्ते मुक़तदी के पांव का धट्टा (टख़ना) इमाम के पांव के घुट्टे से आगे न हो.' (रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-१३२)

परअला

औरतों (स्त्रियों) को किसी भी नमाज़ में जमाअत की हाज़री के लिये मस्जिद में आना जाइज़ नहीं. दिन (Day) की नमाज़ हो या रात की नमाज़, जुम्आ की नमाज़ हो या ईद की नमाज़, औरत को जमाअत में शामिल होने के लिये मस्जिद में आना जाइज़ नहीं. औरत चाहे जवान हो या बूढ़ी हो, किसी भी नमाज़ की जमाअत के लिये आना रवा (योग्य) नहीं. (दुर्रे मुख्तार, जिल्द नं. १, सफहा नं. ३८०, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-१३१)

परअला

'मस्जिद के अन्दरूनी हिस्सा (Internal Portion) या मस्जिद के सहन में जगह होते हुए बालाख़ाना (Upper Floor) पर इक़तदा करना मकरूह है.' (दुर्रे मुख्तार, बहारे-शरीअत)

परअला

'इमाम को सुतूनों के दरमियान खड़ा होना मकरूह है.' (रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-१३३)

परअला

'इमाम को चाहिये कि वस्त (दरमियान-Centre) में खड़ा हो. इमाम के वस्ते-मस्जिद खड़ा होना सुन्नते-मुतावारेसा (प्रचलित) है और इमाम सफ के बीच (मध्य-Centre) में हो, यही जगह मेहराबे-हक़ीकी (Arch) है. और क़िब्ला की तरफ (पश्चिम दिशा) की दीवार (Wall) में जो ताक़ नुमा ख़ला (आभासी खांचा-Apparent Recess) बनाया जाता है वोह मेहराबे-सूरी (ज़ाहिरी) है, जो मेहराबे-हक़ीकी की अलामत (निशानी) है.' (फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-३१३)

परअला

'जब दो (२) से ज़ियादा मुक़तदी हों, तब इमाम और मुक़तदीयों के दरमियान कम से कम एक सफ (अन्दाज़न ४ फिट-Approx 4 Feet) का फासला (अंतर-Distance) होना चाहिये. इमाम का सफ से कुछ ही आगे खड़ा होना कि सफ की मिक़दार (मात्रा) की जगह न छूटे, येह ना-जाइज़ और गुनाह है. नमाज़ मकरूहे-तहरीमी वाजेबुल एअ़ादा होगी.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ३७७)

फरसता

‘मुक्तदी के लिये फर्ज है कि इमाम की नमाज़ को अपने तसव्वुर या’नी ख़्याल (Contemplation) में सहीह समझे. अगर मुक्तदी अपने ख़्याल में इमाम की नमाज़ बातिल (अर्थहीन-Absurd) समज़ता है, तो उस मुक्तदी की नमाज़ नहीं होगी, अगरचे इमाम की नमाज़ सहीह हो.’ (दुर् मुख़्तार, बहारे शरीअत)

सफ के मुतअल्लिक ज़रूरी मसाइल

फरसता

‘मर्दों की पहली ‘सफ’ (लाइन, क़त्तार-Row) कि जो इमाम के क़रीब है, वोह दूसरी सफ से अफज़ल है और दूसरी सफ तीसरी सफ से अफज़ल है. ‘व-अला-हाज़ल-क़्यास’ (आलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़्हा-१३३)

फरसता

‘मुकद्दम (प्रथम-Prior) सफ का अफज़ल होना ग़ैर नमाज़े-जनाज़ा में है और नमाज़े-जनाज़ा में आख़िरी सफ अफज़ल है.’ (दुर् मुख़्तार)

हदीस

‘बुख़ारी और मुस्लिम ने हज़रत अबू हु़रैरह रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत की कि हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लमने इरशाद फरमाया कि ‘अगर लोग जानते के अज़ान (देने में) और अव्वल (पहली) सफ में क्या (सवाब) है, तो उसके लिये ‘कुरआ-अन्दाज़ी’ (चिट्ठी डाल कर नाम निकालना-Draw Lots) करते और बग़ैर कुरआ डाले न पाते.’

हदीस

‘इमाम अहमद और तिब्रानी हज़रत अबू अमामा रदीय्यल्लाहो तआला

अन्हो से रावी कि हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ‘अल्लाह और उसके फरिश्ते सफे-अव्वल पर दरूद भेजते हैं.’ लोगों ने अर्ज़ की; ‘और दूसरी सफ पर?’ इरशाद फरमाया, ‘अल्लाह और फरिश्ते पहली सफ पर दरूद भेजते हैं.’ लोगों ने फिर अर्ज़ की ‘और दूसरी सफ पर?’ फरमाया, ‘और दूसरी सफ पर’

हदीस

‘इमाम बुख़ारी और इमाम नसाई ने हज़रत अनस रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत की कि हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लमने इरशाद फरमाया ‘अक़ीमू-सुफु फकुम-व-तरासू-फ-इन्नी-अराकुम-मिंव-वराए-ज़हरी’ (तर्जुमा / अनुवाद) ‘अपनी सफें सीधी करो और एक दूसरे से ख़ूब मिलकर खड़े हो, कि बे:शक ! मैं ! तुम्हें पीठ के पीछे से देखता हूं.’

(बहवाला : फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़्हा नं. ३१५)

हदीस

‘इमाम अहमद, इमाम मुस्लिम, अबू दाउद, नसाई और इब्ने माजाने हज़रत जाबिर इब्ने सुम्रा रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत की कि हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम ने सहाब-ए-क़िराम (रदीयल्लहो तआला अन्हुम) से इरशाद फरमाया कि; ‘ऐसे सफ क्यूं नहीं बांधते जैसे मलाइका (फरिश्ते) अपने रब के सामने ‘सफ-बस्ता’ (क़त्तार बन्द-Line up) होते हैं. हमने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम ! फरिश्ते अपने रब के हुज़ूर कैसी सफ बांधते हैं? फरमाया; ‘अगली सफ को पूरा करते हैं और सफ में ख़ूब मिलकर खड़े होते हैं.’

हदीस

इमाम अहमद ने सहीह सनद के साथ हज़रत अबू अमामा बाहेली रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत की कि हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ; ' सफें खूब घनी (घट्ट, मिली हुई) रखो, जैसे रांग (सीसा-**Lead**) से दरज़ें (तिराड-**Rent**) भर देते हैं कि 'फर्ज़ा' (ख़ाली जगह-**Fissure**) रहेता है, तो उसमें शैतान खड़ा होता है.' या'नी शैतान जब सफ में ख़ाली जगह पाता है, तो दिल में वस्वसा डालने के लिये सफ में आ घुसता है.

हदीस

'इमाम अहमद, अबू दाउद, तिब्रानी और हाकिम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फारूक रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत की कि हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि, 'सफें दुरूस्त करो कि तुम्हें तो फरिश्तों जैसी सफ बांधनी चाहिये और अपने शाने (कंधे-**Shoulder**) सब एक सीध (लाइन) में रखो और सफ के 'रखने' (तिराड-**Fracture**) बन्द करो और मुसलमानों के हाथों में नर्म (नम्र-**Soft**) हो जाओ और सफ में शैतान के लिये खिड़कियां (**Windows**) न छोड़ो और जो सफ को वस्ल (मिलाए-**Conjunction**) करे, अल्लाह उसे वस्ल करे और जो सफ को क़तअ़ करे (काटे-**Cut off**) करे, अल्लाह उसे क़तअ़ करे.'

फर्ज़ा

'किसी भी सफ मे 'फर्ज़ा' (ख़ाली जगह) रखना मकरूहे-तहरीमी है. जब तक अगली सफ पूरी न कर लें, दूसरी सफ हरगिज़ न बांधें.'

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ३१८)

फर्ज़ा

'अगर पहली सफ में जगह ख़ाली है और लोगों ने पिछली सफ बांध कर नमाज़ शुरू कर दी है, तो पिछली सफ चीरकर भी अगली सफ में जाने की इजाज़त है. लिहाज़ा उस (पिछली) सफ को चीरता हुआ जाए और अगली सफ की ख़ाली जगह मे खड़ा हो जाए. ऐसा करने के लिये हदीस में आया है कि जो शख्स सफ में कुशादगी देखकर उसे बन्द कर दे उसकी मग़फ़ेरत हो जाएगी.' (आलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-१३३)

फर्ज़ा

'दूसरी सफ में कोई शख्स निय्यत बांध चुका है और नमाज़ की निय्यत बांधने के बाद उसे पहली सफ में ख़ाली जगह नज़र आई, तो इजाज़त है कि ऐन नमाज़ की हालत में चले और जाकर ख़ाली जगह भर दे. येह थोड़ा चलना शरीअत का हुक्म मानने और शरीअत के हुक्म की बजा-आवरी (अमल करने) के लिये वाक़ेअ (Occuring) हुआ है. एक सफ़की मिक्दार (मात्रा) तक चल कर सफ की ख़ाली जगह पुर करने (भरने) की शरीअत मे इजाज़त है. अलबत्ता अगर दो (२) सफ के फ़ासले (अंतर-Distance) पर किसी सफ में जगह ख़ाली है तो नमाज़ की हालत में चलकर उसे बन्द करने (भरने) न जाए, क्योंकि येह चलना 'मशी-ए-कसीर' (ज़ियादा चलना-More walking) हो जाएगा और हालते-नमाज़ में दो (२) सफ के फ़ासले जितना चलना मना हैं.'

(हुल्य़ा शरहे मुन्या, रद्दुल मोहतार, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ३१६)

फ़रआत

‘अगर किसी सफ में आठ (८) नौ (९) बरस का या कोई नाबालिग (कम उम्र का-Tender Age) लड़का तन्हा खड़ा हो गया है या’नी मर्दों (पुख़्ता उम्र के-Adult) की सफ के बीच में एक ना-बालिग लड़का खड़ा हो गया है, तो उसे हालते-नमाज़ में हटा कर दूर नहीं कर सकते. आज कल अकसर मस्जिदों में देखा गया है कि अगर मर्दों की सफ में कोई एक नाबालिग लड़का खड़ा हो गया है, तो उसे ऐन नमाज़ की हालत में पीछे की सफ में धकेल देते हैं और उसकी जगह खुद खड़े हो जाते हैं. यह सख़्त मना है. फ़तावा रज़वीया में है कि;

‘समज़दार लड़का आठ-नौ बरस का जो नमाज़ खूब जानता है, अगर तन्हा हो तो उसे सफ से दूर या’नी बीच में फासला छोड़कर खड़ा करना मना है. ‘फ-इन्नस्सलातस-सबिय्यील-मुमय्येज़िल-लज़ी-यअक़लूस-सलाता-सहीहतन-क़तअन-व-क़द-अमरन-नबिय्यो सल्लल्लाहो-तअला-अलैहे-वसल्लमा-बे-सद्विल-फर्जे-वल-तरासे-फील-सुफूफे-व-नहा-अन-ख़िलाफेही-बे-नहयिश-शदीदे.’ और यह भी कोई ज़रूरी अम्र नहीं कि वोह सफ में बायें ही हाथ खड़ा हो. ओलोमा उसे सफ में आने और मर्दों के दरमियान खड़ा होने की साफ इजाज़त देते हैं. दुर्रे मुख़्तार में है कि ‘लव-वाहिदन-दख़लस-सफ़का’ मराकीयुल फलाह में है कि “इल-लम-यकु न-जमअ-मिनस-सिबयाने-यकू मुस्सबीय्यो-बयनररिजाले.” बा’ज बे-इलम जो यह जुल्म करते हैं कि लड़का पहले से दाख़िले-नमाज़ है, अब यह आए तो उसे निय्यत बांधा हुआ हटा कर किनारे (एक साइड) कर देते हैं और खूद बीच में खड़े हो जाते हैं. यह महज़ (संपूर्ण स्वरूप-Entirely) जिहालत (अज्ञानता) है. इसी तरह यह ख़याल (मान्यता) भी ग़लत और ख़ता है कि लड़का बराबरा (पास में)

खड़ा हो तो मर्द की नमाज़ नहीं होती, इस मान्यता की भी कोई अस्ल (हकीक़त) नहीं.’

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ३१८ और ३८१)

नोट :

‘येह मस्अला उस सूरत (परिस्थिति-Circumstances) में है कि मर्दों की सफ में नाबालिग लड़का आ गया हो, लेकिन पहले से सफों को तरतीब देते वक़्त मर्दों की सफें मुक़दम (आगे) रखें और बच्चों की सफें मर्दों की सफों के पीछे रखें. सफों की तरतीब (व्यवस्था-Arrangement) देते वक़्त मर्दों और बच्चों को एक सफ में खड़ा नहीं होना चाहिये.

फ़रआत

‘सफ़ क़तअ’ करना (तोडना/काटना) हराम है. हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ‘मन-क़तअ-सफ़फन-क़तअहु-ल्लाहो’ (तर्जुमा/अनुवाद) ‘जो सफ को क़तअ करे उसे अल्लाह क़तअ करे.’ वहाबी, नजदी, ग़ैर मुक़ल्लिद, राफज़ी वग़ैरह अगर सफ के दरमियान खड़ा हो गया, तो उसके खड़े होने से ‘फस्ल’ (जुदाई-Septation) लाज़िम आएगा और सफ क़तअ होगी.’

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ३७४ और २६४)

फ़रआत

‘महोल्ले की मस्जिद में महोल्ले वालों ने अज़ान और इक़ामत के साथ सुन्नी, सहीहुल अक़ीदा, मुत्तकी, मसाइल दां (जानने वाला) और सहीह ख़्वां (सहीह क़िरअत करने वाला) इमाम के साथ जमाअत से नमाज़ पढ़ ली, फिर कुछ लोग आए और वोह जमाअत के साथ

नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, तो बे-एआद-ए-अज़ान (या'नी दूसरी अज़ान दिये बग़ैर) जमाअते-सानिया (दूसरी जमाअत) बिल इत्तेफाक़ (सर्व संमति से-Equally) मुबाह है. और जमाअते-सानिया सिर्फ़ इक़ामत से काइम करें और इमाम मेहराब से हट कर दायें या बायें खड़ा हो. इन शराइत (शर्तों-Conditions) के साथ महोल्ले की मस्जिद में जमाअते-सानिया बिला किराहत जाइज़ है.'

(बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-१३० और फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ३४४, ३५७, ३७२, ३८०)

परअला

'जदीद (नई-Fresh) अज़ान के साथ महोल्ले की मस्जिद में जमाअते-सानिया काइम करना मकरूहे-तहरीमी है और जमाअते-सानिया के इमाम को जमाअते-उला (पहली जमाअत) के मेहराब में खड़ा होना मकरूहे-तन्ज़ीही है.' (फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ३७९)

परअला

'जो मस्जिद शारेअ (शाह राह -Highway-मुख्य मार्ग) या बाज़ार या मुसाफ़िर ख़ाना या स्टेशन की हो, कि जिस में कोई इमाम 'मुतअय्यन' (नियुक्त-Fixed) नहीं होता, बल्कि जो भी गिरोह आया उसको किसी न किसी इमाम ने नमाज़ पढ़ा दी, ऐसी मस्जिद में जो लोग नौबत-ब-नौबत (बारी-बारी, यके बाद दीगरे-Inturn) आअेंगे, वोह नई अज़ान और इक़ामत के साथ और मेहराब में इमाम खड़ा होकर, जमाअत से जितनी मरतबा भी नमाज़ पढ़ेंगे, वोह तमाम (समग्र-All) की तमाम जमाअतें जमाअते-उला हैं, अगरचे दस (१०) बीस (२०) जमाअतें हो जाए, बल्कि ऐसी मस्जिद में हर जमाअत के लिये

जदीद (नई) अज़ान और जदीद इक़ामत शरअन (मल्लूब) (इच्छनीय-Require) है.'

(बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा नं. १३० और फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ३४०/३८०)

परअला

'मग़रिब की नमाज़ के इलावा बाकी नमाज़ों में अज़ान और जमाअत के दरमियान 'बःहालते-वुस्अत' या'नी वक़्त में गुंजाइश (या'नी समय में अवकाश) है, तो अज़ान और जमाअत के दरमियान इतना वक़फ़ा होना सुन्नत है कि खाना खाने वाला खाने (भोजन-Eating) से फ़रिग हो जाए और जिसे 'कज़ा-ए-हाजत' (कुदरती हाजत-Natural Call) की ज़रूरत हो, वोह क़ज़ा-ए-हाजत से फ़राग़त पाकर तहारत और वुजू करके जमाअत में शामिल हो सके.'

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ३७२)

परअला

'किसी ने फ़र्ज़ पढ़ लिये हैं और मस्जिद में जमाअत हुई, तो जोहर और इशा की नमाज़ की जमाअत में ज़रूर शरीक हो जाए. अगर वोह तकबीर या'नी इक़ामत सुन कर बाहर चला गया या वहीं बैठा रहा और जमाअत में शरीक न हुआ तो मुब्तिला-ए-किराहत और जमाअत तर्क करने की तोहमत में मुब्तिला (फ़सना-Involve) हुआ, लैकिन फज़्र, अस्र और मग़रिब में शरीक न हो, क्यूंकि फज़्र और अस्र के बाद नफ़ल मकरूह और मना है. मग़रिब में तीन (३) रकअतें होने की वजह से शरीक न हो, अगर मग़रिब की जमाअत में नफ़ल की निय्यत से शरीक हुआ और चौथी रकअत मिलाई तो इमाम की मुख़ालेफ़त की किराहत लाज़िम आएगी और अगर वैसे ही बैठा रहा, तो मज़ीद (विशेष) किराहत होगी, लिहाज़ा फज़्र, अस्र

और मग़रिब के वक़्त बाहर चला जाए.’

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ३८३/६१३)

फ़रज़ीया

‘जिस शख़्स ने ज़ोहर और इशा की नमाज़ जमाअत के साथ पढ़ ली हो, फिर दूसरी जमाअत काइम हो, तो नफ़्ल की निय्यत से जमाअत में शामिल हो जाए, और अगर दोबारा भी फ़र्ज़ की निय्यत से शामिल हुआ, जब भी नफ़्ल अदा होंगे, क्योंकि फ़र्ज़ की तकरार (पुनरावर्तन-Repetition) नहीं हो सकती. और हदीस शरीफ़ में है कि “ला-युसल्ली-बा’दा-सलातिन-मिस्लहा” (अनुवाद) “नमाज़ (फ़र्ज़) के बाद उसके मिस्ल न पढ़ा जाए.”

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ४५२)

फ़रज़ीया

‘अगर किसी ने तन्हा (अकैले) फ़र्ज़ शुरू कर दिये और उसके फ़र्ज़ शुरू करने के बाद जमाअत काइम हुई, तो अगर तन्हा पढ़ने वाले ने पहली रकअत का सजदा न किया हो, तो उसे शरीअते-मुताहहरा हुक्म फ़रमाती है कि निय्यत तोड़ दे और जमाअत में शामिल हो जाए, बल्कि यहां तक हुक्म है कि मग़रिब और फ़ज़्र में तो जब तक दूसरी रकअत का सजदा न किया हो, तो निय्यत तोड़ कर जमाअत में मिल जाए और बाकी तीन (३) नमाज़ों या’नी ज़ोहर, अस्त्र और इशा में अगर दो (२) रकअत भी पढ़ चुका हो, तो उन्हें नफ़्ल ठहेरा कर जब तक तीसरी (३) रकअत का सजदा न किया हो, निय्यत तोड़कर जमाअत में शरीक हो जाए.’

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ३८३)

फ़रज़ीया

“नमाजे-पंजगाना (पांच वक़्त) और जुम्आ की नमाज़ के लिये अज़ान सुन्नते-मोअक्केद्दा और क़रीबुल-वुजूब (वाजिब के समीप) है और यूंही इक़ामत या’नी तकबीर देना भी.”

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफ़हा ४२०)

फ़रज़ीया

“मस्जिद में पांचों (५) वक़्त जमाअत से पहले अज़ान देना सुन्नते-मोअक्केद्दा और क़रीबुल वुजूब है और उसको छोड़ना बहुत बुरा है. यहां तक कि हज़रत इमाम मुहम्मद रदीय्यल्लाहो तअ़ाला अन्हो ने फ़रमाया कि; “अगर किसी शहर के लोग अज़ान देना छोड़ दें, तो मैं उन पर जेहाद करूंगा.”

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसउद रदीय्यल्लाहो तअ़ाला अन्हों ने फ़रमाया कि महोल्ले की अज़ान हमें ‘किफ़ायत’ (Sufficiency) करती है.

मुसाफ़िर को तर्के अज़ान की इजाज़त है, लैकिन अगर इक़ामत भी तर्क करेगा, तो मकरूह है.’

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफ़हा नं. ४२४)

फ़रज़ीया

“इक़ामत (तकबीर) खड़े होकर सुनना मकरूह है. यहां तक कि ओलोमा-ए-दीन ने फ़रमाय है कि अगर इक़ामत (तकबीर) हो रही हो और उस वक़्त कोई शख़्स मस्जिद में आया, तो वोह जहां हो वहीं बैठ जाए और जब मुकब्बिर या’नी तकबीर कहनेवाला ‘हय्या-अलल-फ़लाह’ पर पहुंचे, उस वक़्त सब मुक़्तदीयों के साथ खड़ा हो जाए.’

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. २, सफ़हा नं. ४१९)

प्रकरण
(१३)

‘इमामत के मसाइल’

◆ ‘इमामत की दो (२) किस्में (प्रकार) हैं।

१. इमामते कुब्रा (बड़ी इमामत)

२. इमामते सुग़रा (छोटी इमामत)

◆ ‘इमामते-कुब्रा या’नी हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम की ‘नियाबते-मुत्लक़ा’ (विशाल प्रतिनिधित्व-Vicegerency) कि हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम की नियाबत की वजह से वोह इमाम मुसलमानों के तमाम दीनी और दुन्यवी उमूर (कामों-Matters) में शरीअत के मुताबिक़ (अनुसरण-Confirmity) ‘‘तसरूफ़े - अ़ाम’ (अमर्यादित सत्ता-Unlimited Power) का इख़ितयार (अधिकार) रखे और ग़ैर म़सियत (निष्पाप-Sinless) बाबतों में उसकी इताअत (आज्ञा पालन-Obediance) तमाम जहां (विश्व-World) के मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। जैसे कि ख़ोलोफ़ा-ए-राशेदीन, हज़रत सय्येदुना इमाम हसन, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वग़ैरह और हज़रत इमाम मेहदी रदीय्यल्लाहो तअ़ाला अन्हुम.’

◆ ‘‘इस वक़्त हम इमामते कुब्रा के मुतअल्लिक़ कुछ भी बयान (वर्णन) नहीं करते बल्कि इमामते-सुग़रा के मुतअल्लिक़ गुफ़तगु(चर्चा)करते हैं.’

◆ ‘‘इमामते-सुग़रा या’नी नमाज़ की इमामत. और नमाज़ की इमामत का मतलब यह है कि दूसरों (अन्य लोगों) की नमाज़ों का उसकी नमाज़ से वाबस्ता (संलग्नित-Fastened) होना या’नी इमाम अपनी नमाज़ पढ़ने के साथ साथ दूसरे लोगों को भी नमाज़ पढ़ाए.’

◆ ‘मर्दों की इमामत करने के लिये इमाम होने के लिये छे: (६) शर्तें हैं।

१. इस्लाम या’नी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा होना, मुर्तद, मुनाफ़िक़ और बदमज़हब शख़्स इमाम नहीं हो सकता.
२. बुलूग़ या’नी बालिग़ (पुख़्ता उमर-Adult) होना. ना-बालिग़ (सगीर उम्र -Tender Age)इमामत नहीं कर सकता.
३. आक़िल होना या’नी उसकी अक़ल सलामत हो, मजनून या पागल शख़्स इमाम बनने की सलाहियत (योग्यता-Qualification) नहीं रखता.
४. मर्द होना, औरत मर्दों की इमामत नहीं कर सकती.
५. क़िरअत करने पर कुदरत (शक्तिमान) होना.
६. मा’जूर न होना (या’नी शारीरिक खोड़ वाला, अपंग-Physically Handicapped) न हो.

(बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-१०९)

◆ ‘‘औरतों (स्त्रियों) की इमामत करने के लिये मर्द होना शर्त नहीं. औरत भी औरतों की इमामत कर सकती है, अगरचे उसकी इमामत मकरूह है.’

(हवाला : सदर/Ditto)

◆ ‘‘ना-बालिग़ों के इमाम के लिये बालिग़ होना शर्त नहीं. अगर कोई समज़दार ना-बालिग़ तहारत, नमाज़ और इमामत के मसाइल से वाक़फीयत (जानकारी) रखता है, तो वोह ना-बालिग़ों की इमामत कर सकता है.’’

(बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-११०, रददुल मोहतार)

इमामत के मुतअल्लिक़ अहादीसे-करीमा

हदीस

‘‘तिब्रानी ने मोअज़मे-कबीर में हज़रत मरषद बिन अबी मरषद अल ग़नवी रदीय्यल्लाहो तअ़ाला अन्हो से रिवायत की कि हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो

तअला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; 'अगर तुम्हें अपनी नमाज़ों का क़बूल होना पसन्द हो, तो चाहिये कि तुम्हारे औलोमा तुम्हारी इमामत करें कि वोह तुम्हारे वास्ता (मध्यस्थी-**Mediator**) और सफीर (एलची-**Envoy**) हैं, तुम्हारे और तुम्हारे रब तबारक व तअला के दरमियान.'"

(ब: हवाला : फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. १९५)

हदीस

'हाकिम ने 'मुस्तदरक' में रिवायत की कि हुजुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 'अगर तुम्हें खुश आए कि खुदा तुम्हारी नमाज़ कुबूल फरमाए, तो चाहिये कि तुम्हारे बेहतर (उत्तम) तुम्हारी इमामत करें कि वोह तुम्हारे सफीर हैं, तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान.'"

(ब: हवाला : फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. १७२)

हदीस

'इमाम अहमद और इब्ने माजा हज़रत सल्मा बिनते अल-हिर रदीय्यल्लाहो तअला अन्हा से रावी कि हुजुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; 'क़यामत की अ़लामत (निशानी) से है कि एहले-मस्जिद आपस में इमामत को एक दूसरे पर डालेंगे, मगर किसी को इमाम नहीं पायेंगे कि उनको नमाज़ पढ़ा दे.' (या'नी किसी में भी इमामत की सलाहियत न होगी कि वोह इमामत कर सके.)

हदीस

'इमाम तिरमीज़ी हज़रत अबू उमामा रदीय्यल्लाहो तअला अन्हो से रावी कि हुजुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअला अलैहे वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि; 'तीन शख़्सों की नमाज़ कानों (कान-**Ear**) से आगे नहीं बढ़ती. (१) भागा हुआ गुलाम यहां तक कि वापस आए. (२) वोह औरत जो इस हालत में रात गुज़ारे कि उसका शौहर (पति-**Husband**) उस पर नाराज़ हो. (३) किसी गिरोह (समुदाय) का वोह इमाम कि लोग उसकी इमामत से किराहत (धृणा-**Abhor**) करते हों.' (या'नी किसी शरई क़बाहत की वजह से)

हदीस

'इमाम बुख़ारी और इमाम मुस्लिम वग़ैरह ने हज़रत अबू हुरैरह रदीय्यल्लाहो तअला अन्हो से रिवायत की कि हुजुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; 'जब कोई औरों (दूसरों) को नमाज़ पढ़ाए, तो तख़फ़ीफ़ करे (या'नी नमाज़ बहुत लम्बी न पढ़ाए) कि उन में बीमार, कमज़ोर और बूढ़ा होता है और जब अपनी पढ़े, तो जिस क़दर चाहे 'तूल' दे.' (या'नी जब अकैला नमाज़ पढ़े तब जितनी चाहे उतनी लम्बी पढ़े.)

हदीस

'इमाम मालिक हज़रत अनस रदीय्यल्लाहो तअला अन्हो से रावी कि हुजुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; 'जो मुक़्तदी इमाम से पहले अपना सर उठाता और झुकाता है, उसकी पैशानी के बाल शैतान के हाथ में हैं.'

हदीस

‘इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम हज़रत अबू हुरैरह रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से रावी कि हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; ‘ जो शख़्स इमाम से पहले सर उठाता है, क्या वोह इस से नहीं डरता कि अल्लाह तआला उसका सर गध्धे (गधेडुं-**Don-key**) का सर कर दे.

इबरतनाक और अज़ीब वाकेआ

मुन्दरजा बाला (उपरोक्त) हदीस के ज़िम्न (अनुसंधान) में मुहद्दीसीन-किराम से मन्कूल है कि हदीस की आधारभूत किताब ‘मुस्लिम-शरीफ’ के शारेह (विवरण कर्ता-**Explainator**) इमामे-अजल हज़रत अबू ज़करीया नूववी रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो हदीस की समाअत (श्रोत शिक्षण-**Hearing**) के लिये एक बहुत बड़े मोहद्दीस के पास ‘दमिश्क’ (**Damascus-Syria**) गए, और उनके पास रहेकर उन से बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन वोह मुहद्दीस साहब अपने चेहरे पर पर्दा डाल कर पढ़ाते थे. इमाम नूववी ने एक अरसा (ज़माना-**Era**) तक उनसे ता’लीम (शिक्षण) हासिल की, लेकिन कभी भी उनका चेहरा देखने का इत्तेफाक न हुआ. जब एक अरसा गुज़रा और उस मुहद्दीस ने देखा कि इमाम नूववी में वाकई (सचमुच-**Properly**) इल्मे-हदीस की सच्ची तलब है, तो एक दिन उसने अपने चेहरे से पर्दा हटा दिया, जब पर्दा हटा तो ? इमाम नूववी ने देखा कि;

‘उस मुहद्दीस का चेहरा गध्धे जैसा है !!! मुहद्दीस साहब ने इमाम

नूववी से कहा कि ए साहबज़ादे, नमाज़ में इमाम से सबक़त (आगे बढ़ना-

Surpass) करने से डरो, क्योंकि जब येह हदीस मुज़ को पहुंची, तो मैंने इसे मुस्ता’बद (दूरस्थ-कमज़ोर-**Remotest**) जाना या’नी मैंने येह गुमान किया कि इमाम पर सबक़त करने से गध्धे जैसा मुंह हो जाना किस तरह मुम्किन है ? लिहाज़ा मैंने इमाम पर क़स्दन (जान बूज़कर) सबक़त की, तो मेरा चेहरा एसा हो गया, जो तुम देख रहे हो.’

इस वाकेआ से हमें इब्रत (बोध पाठ) लेना चाहिये और नमाज़ में इमाम से पहले रूकूअ और सजदा में सर उठाने-झुकाने से बचना चाहिये.’

इमामत के मुतअल्लिक ज़ररी मसाइल

परआला

‘इमामत का सबसे ज़ियादा हक़दार वोह शख़्स है जो तहारत और नमाज़ के एहकाम (नियम-**Law**) सब से ज़ियादा जानता हो, अगरचे बाकी उलूम में पूरी महारत (कुशाग्रता-**Acuteness**) न रखता हो, बःशर्ते उसे इतना कुरआन याद हो कि सुन्नत तरीके से और सहीह पढ़ता हो या’नी हुरूफ (अक्षरों) को उनके मख़ारिज (उच्चारण स्थान-**Utterance Place**) से सहीह तौर पर अदा करता हो, और मज़हब व अक़ीदे की ख़राबी न रखता हो, और फ़वाहिश (धृणास्पद-**Abominable**) और शरीअत के ख़िलाफ़ कामों के इरतेकाब (आचरण-**Perpetrator**) से बचता हो. उसके बाद वोह शख़्स इमामत का ज़ियादा हक़दार है जो तजवीद या’नी किरअत के नियमों का ज़ियादा इल्म रखता हो.’

(दुर्रे मुख़्तार, रददुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा नं. ३, सफ़हा नं.

पर3ता

‘अगर चन्द अशख़ास (व्यक्तिओ) तहारत के मसाइल, नमाज़ की मा’लूमात और तजवीद की महारत मे यकसां (समान-Similar) हों, तो वोह शख़्स इमामत का ज़ियादा हकदार है;

- ◆ जो, ज़ियादा मुत्तकी (परहेज़गार) हो, या’नी हराम तो हराम बल्कि शुब्हात (शक के काबिल बातों) से भी बचता हो.

फिर;

- ◆ जो उम्र (आयु-Age) मे ज़ियादा हो, या’नी जिसको इस्लाम मे ज़ियादा ज़माना (समय) गुज़रा.

फिर;

- ◆ वोह, जिसके अख़लाक (वर्तुणक-Behaviour) ज़ियादा अच्छे हो.

फिर;

- ◆ जो, ज़ियादा वजाहत (तेजस्वी मुखावृति-Luminous Face) वाला या’नी तहज्जुद गुज़ार या’नी नियमित तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने वाला हो, क्योंकि तहज्जुद की कसरत (ज्यादती) से आदमी का चेहरा ज़ियादा खूबसूरत होता है.

फिर;

- ◆ ज़ियादा खूबसूरत (सौंदर्यवान-Handsome)

फिर;

- ◆ ज़ियादा हसब (उच्च कुटुम्ब-Nobility) वाला या’नी ख़ानदान के सिलसिले मे जिस को शरफ (आदर-Honour) हासिल हो.

फिर;

- ◆ ज़ियादा नसब (वंशावली-Pedigree) वाला या’नी ख़ानदानी सिलसिले की शराफत में जिस का घराना (परिवार-Family) ज़ियादा मुअज़्ज़ (गौरवशाली-Exalted) और शरीफ (उच्च

पद धारी-Noble) हो.

फिर;

- ◆ ज़ियादा साहिबे-माल (धनवान-Rich) क्योंकि उसे किसी की मोहताजी नहीं करनी पड़ती और अहेकामे-शरीअत की बजा आवरी में वोह किसी से मरउब और खाइफ (भयभीत-Tarrified) नहीं होगा, जबकि ‘फकीदुल-माल’ (ग़रीब, निर्धन-Poor) शख़्स दब और डर जाता है.

फिर;

- ◆ ज़ियादा इज़्ज़त वाला या’नी उसकी दयानतदारी (प्रमाणिकता-Honesty) और पुरखूलुस (निःस्वार्थ) ख़िदमात और दीगर अख़लाकी महासिन (संस्कार के सदगुण) की वजह से क़ौम उसको इज़्ज़त की नज़र से देखती हो और इज़्ज़त करती हो.

फिर;

- ◆ जिसके कपड़े (लिबास/पहरवेश) ज़ियादा सुथरे हों, या’नी जो ज़ियादा साफ और सुथरा (स्वच्छ, सुघड़-Neat and Clean)रहेता हो.

अल गर्ज ! अगर चन्द अशख़ास (व्यक्तिओ) मसावी सलाहियत (समान योग्यता) के हों तो उनमें से जो शरई तरजीह (अग्रता-Priority) रखता हो, वोह इमामत का ज़ियादा हकदार है. और अगर तरजीह न हो तो ‘कुरआ’ (चिठ्ठी-Draw) डाला जाए और जिसके नाम का कुरआ निकले, वोह इमामत करे या उनमें से जिस को जमाअत मुन्तख़ब (चुने-Select) करे वोह इमाम बने. और अगर जमाअत में इख़्तलाफ हो, तो जिस तरफ ज़ियादा लोग हों, वोह इमाम हो. और अगर जमाअत ने ‘गैर-अवला’ (जो उत्तम न हो) शख़्स को इमाम बनाया तो बुरा क्रिया, मगर गुनाहगार न हुए.

(दुरै मुख़्तार, रददुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-११५)

परअत

‘इमाम ऐसे शख्स को बनाया जाए, जो सुन्नी सहीहुल अकीदा, सहीहुल किरअत और मसाइले-तहारत व नमाज़ से अच्छी तरह वाकिफ हो और उसमें फिस्क (अश्लीलता-Obscenity) वगैरह कोई ऐसी क़बाहत (दुष्टता-Villany) न हो कि जिस से मुक़्तदीयों को नफ़तर हो.’

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. २६४)

परअत

“जमाअत में सबसे ज़ियादा मुस्तहिक्के-इमामत वही है जो उनमें सबसे ज़ियादा मसाइले-नमाज़ व तहारत जानता है, अगरचे दीगर (अन्य) मसाइल में बःनिस्बत दूसरों से कम इल्म हो, मगर शर्त यह है कि फ़ासिक और बदमज़हब न हो. और कुरआन मजीद पढ़ने में हुरूफ इतने सहीह अदा करे कि नमाज़ में फ़साद (बिगाड़/विनाश-Ruin) न आने पाए. और अगर हुरूफ ऐसे ग़लत अदा किए कि नमाज़ फ़ासिद होती है, तो उसकी इमामत जाइज़ नहीं अगरचे आलिम हो.’

(दुर्रे मुख़्तार, काफ़ी, बहरूर राइक़, रददुल मोहतार, फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. १४८)

परअत

‘जिस मस्जिद में सुन्नी सहीहुल अकीदा इमाम मुतअय्यन (नियुक्त-Fixed) हो, वही इमाम इमामत का हक़दार है, अगरचे हाज़ेरीन में से कोई उससे ज़ियादा इल्म वाला और ज़ियादा तजवीद जानने वाला हो.’

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-११५)

परअत

“अगर मस्जिद के मुअय्यन इमाम में फ़साद की हद तक ग़लत कुरआन पढ़ना या बदमज़हबी मिस्ल वहाबियत या ग़ैर मुक़ल्लिदीयत

का होना, या फिस्के-ज़ाहिरी जैसा कोई ख़लल (नुक़सान-Prejudice) ऐसा न हो कि जिसकी वजह से उसे इमाम बनाना शरअत ममनूअ हो, तो उस मस्जिद की इमामत का हक़दार वही है. उस मुअय्यन इमाम के होते हुए दूसरे को अगरचे वोह मुअय्यन इमाम से ज़ियादा इल्मो-फज़ल रखता हो, उसे मस्जिद के मुअय्यन इमाम की रज़ा के बग़ैर इमाम बनाना शरअन ना-पसन्दीदा और ख़िलाफे-हुक्मे-हदीस और ख़िलाफे-हुक्मे-किक्ह है.”

(रददुल मोहतार, फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. १५०/१९८)

परअत

“किसी शख्स की इमामत से लोग किसी शरई वजह से नाराज़ हों, तो उसको इमाम बनना मकरूहे-तहरीमी है और अगर नाराज़गी किसी शरई वजह से नहीं बल्कि ज़ाती मफ़ाद (फ़ायदे) या किसी ग़ैर शरई रंजिश (दुख) की वजह से है, तो किराहत नहीं, बल्कि अगर वही ‘अहक़’ (ज़ियादा हक़दार) हो, तो उसी को इमाम बनाना चाहिये.”

(बहारे शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-११६)

परअत

“इमाम को चाहिये कि जमाअत की रिआयत (लिहाज़-Attentiveness) करे और सुन्नत की मिक्दार (मात्रा) से ज़ियादा किरअत न करे.”

(आलमग़ीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-११६)

परअत

“नफ़ल नमाज़ पढ़ने वाला फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने वाले की इक्तीदा कर सकता है, अगरचे येह फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने वाला फ़र्ज़ की पिछली रकअतों की किरअत न करे या’नी सिर्फ़ सूर-ए-फ़ातेहा पढ़े.’ (हवाला : सदर-Ditto)

अफआले-कबीहा (धृणास्पद कार्य)

करने वाले की इमामत

परअला

‘सूद ख़्वार, (व्याज -Interest खाने वाला) फ़ासिक है और फ़ासिक के पीछे नमाज़ नाक़िस (अधूरी) और मकरूहे-तहरीमी है. अगर सूद-ख़्वार के पीछे नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ का एआ़दा वाजिब है. सूद ख़्वार शख़्स को हरगिज़ इमाम नहीं बनाना चाहिये.’

(मुराक़ीयुल फ़लाह, दुर्रे मुख़ार, तहतावी, फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. १५१)

परअला

‘बे-उज़्रे-शरई रोज़ा न रखने वाला फ़ासिक है और उसके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ सकते.’ (फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. १५८/२५७)

परअला

‘झूठ बोलकर लोगों को धोका (ठगाई-Fraud) देने वाला या झूठ बोलकर लोगों से माल वसूल (बटोरना-Collect) करने वाला फ़ासिक है. ऐसे शख़्स को इमाम नहीं बनाना चाहिये, बल्कि इमामत से ‘मा’जूल’ (पदभ्रष्ट-Dismiss) कर देना चाहिये.’

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा २०४)

परअला

‘फ़हश (अश्लील-Ribald) ग़ालियां बकने वाला, मस्ख़रा (विदूषक-Boffoon) ग़ाली के साथ मज़ाक़ (मशकरी) करने वाला, नाच देखने वाला और सूद (व्याज) का कारोबार करने वाला शख़्स हरगिज़ इमामत के लाइक़

(योग्य) नहीं. ऐसे शख़्स को इमाम बनाना गुनाह और उसकी इक़तिदा में पढ़ी हुई नमाज़ मकरूहे-तहरीमी वाजेबुल एआ़दा है.’ (फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. २०८, २१७, २५५, २६९)

परअला

‘नुजूमी (ज्योतिष शास्त्री-Astrologer) रम्माल (भविष्य वेता-Fore Teller) और झूठे फ़ाल (शकुन-Augury) देखने वाला शख़्स भी इमामत के काबिल नहीं.’ (फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. २६६)

परअला

‘बद-मज़हबों के वहां ऐलानिया (खुल्लम-खुल्ला) खाना खाने वाला और बद-मज़हबों से मैल-जोल रखने वाला फ़ासिके-मोअ़्लिन है और इमामत के काबिल (लाइक) नहीं.’

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. २६९)

परअला

‘शबाना-रोज़ (रात-दिन) में कुल बारह (१२) रकअ़तें सुन्नते-मोअ़ब्देहा हैं. दो (२) सुबह फज़्र से पहले, चार(४) जोहर से पहले और दो (२) बाद में, मग़रिब के बाद दो (२), और इशा के बाद दो (२). जो शख़्स इन में से किसी को एक आध बार तर्क करे, मलामत (डांट-Rebuke) और इताब (क्रोध-Anger) का हक़दार है और जो इन बारह रकअ़तों में से किसी को छोड़ देने (तर्क) का आदी (व्यसनी-Addicted) है, वोह गुनाहगार, फ़ासिक़ और मुस्तवजिबे-अज़ाब (शिक्षा के पात्र-Worthy for Punishment) है. और फ़ासिके-मोअ़्लिन के पीछे नमाज़ मकरूहे-तहरीमी और उसको इमाम बनाना गुनाह है.’ (गुन्या, फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. २०१)

परअला

‘फ़ासिक़ इमाम के पीछे नमाज़ मकरूह है अगर वोह फ़ासिके-मो’लिन न हो, या’नी वोह गुनाह छुपकर करता हो और उसका वोह गुनाह मशहूरो-

मा'रूफ (Famous) न हो, तो उसके पीछे नमाज़ मकरूहे-तन्ज़ीही है। और अगर फ़ासिके-मो'लिन है कि ऐलानिया तौर पर (ज़ाहिर में) गुनाहे कबीरा का इरतेकाब (आचरण) करता हो, या सग़ीरा गुनाह पर इस्सर (आग्रह-Perservere) करता हो, तो उसे इमाम बनाना गुनाह और अगर पढ़ ली हो तो फ़ैरना वाजिब है या'नी उस नमाज़ को अज़ सरे नौ दोबारा पढ़ना वाजिब है।”

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. २५३)

मरअला

“अगर इमाम ऐलानिया फ़िस्को-फ़ुज़ूर (गुनाह के काम) करता हो और दूसरा कोई शख्स इमामत के क़ाबिल न मिल सके, तो तन्हा नमाज़ पढ़े और इमाम अगर कोई गुनाह छुपाकर करता हो, तो उसके पीछे नमाज़ पढ़ लें और उसके (छुपे) फ़िस्क के सबब जमाअत न छोड़ें।”

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. २५३)

मरअला

“जो दाढ़ी (Beard) मुंडाता (सफ़ाचट-Clean Shave करता) हो या दाढ़ी हद्दे-शरअ (एक मुट्ठी) से कम रखता हो या'नी ख़सख़सी दाढ़ी रखता हो, वोह फ़ासिके-मो'लिन है। उसे इमाम बनाना गुनाह और उसके पीछे नमाज़ पढ़ना मकरूहे-तहरीमी है और फ़ैरना वाजिब है।”

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. २१५, २१९, २५५)

मरअला

“अगर कोई इमाम किसी गुनाहे-कबीरा में मुब्तिला रहेता हो और फिर गुनाह से बाज़ आकर सच्ची तौबा करे और तौबा पर काइम रहे, तो सच्ची तौबा के बाद गुनाह बिल्कुल नहीं रहते। तौबा के बाद उसकी इमामत में अस्लन (सदंतर) कोई हर्ज़ नहीं और तौबा के बाद उसपर गुनाह का ए'तराज़ (विरोध,

द्वेष-Animus) जाइज़ नहीं। हदीस शरीफ में है कि नबी-ए-करीम, रउफो-रहीम आका सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम फरमाते हैं कि “इरा-अखाहु-बे-ज़म्बिन-ताबा-मिन्हो-लम-यमुत-हत्ता-या'मलहु” (तर्जुमा/अनुवाद) “जो अपने किसी मो'मिन भाई को ऐसे गुनाह से ऐब (कलंक लगाना-Blemish) लगाए, जिस से तौबा कर चुका है, तो येह ऐब लगाने वाला उस वक़्त तक न मरेगा, जब तक ख़ूद उस गुनाह में मुब्तिला न हो जाए।”

इस हदीस को इमाम तिरमीज़ी ने रिवायत किया है और हज़रत मअज़ बिन जबल रदीय्यल्लाहो तअ़ाला अन्हो ने इस हदीस को ‘हसन’ फरमाया है।”

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. २२५)

मा'ज़ूर (अपंग) और मुब्तिला-ए-मरज़

(रोगी) की इमामत के अहकाम

मरअला

‘अंधा (Blind) शख्स अगर तमाम हाज़ेरीन (उपस्थित) में सबसे ज़ियादा मसाइले-नमाज़ का जानने वाला हो और उसके सिवा दूसरा कोई सहीहुल अक़ीदा, सहीहुल क़िरअत और ग़ैर फ़ासिके-मो'लिन शख्स हाज़िरे जमाअत न हो और वोह अन्धा ही सबसे ज़ियादा इल्मे-नमाज़ व इल्मे-तहारत रखता हो, तो उसी की इमामत अफज़ल (उत्तम) है।”

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. २०७)

मरअला

“ऐसा मब्रूस (कोढ़, रक्तपित-Leprosy का रोगी) जिस को सफेद कोढ़ हो और उसका तमाम जिस्म बर्स (कोढ़) की वजह से सफेद हो गया हो,

ऐसे बर्स वाले (कोढ़ी) इमाम की इक़तेदा में नमाज़ मकरूह है।”

(दुर्रै मुख़्तार, फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. १७८)

परअला

‘ऐसा शख़्स जिसको जुज़ाम (काला कोढ़-Black Leprosy) का मरज़ (रोग) हो और जुज़ाम टपकता हो, तो अगर वोह मा’जूर की हद तक पहुँच गया हो, तो उस के पीछे सिर्फ़ ऐसी ही बिमारी वाले की जो उसी जैसी हालत रखता हो नमाज़ हो जाएगी, बाकी लोगों की नमाज़ उस जुज़ामी (कोढ़ी) के पीछे नहीं हो सकती।’

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. २१५)

परअला

“तोतला (तोतड़ा-Atracia) या’नी वोह शख़्स कि जिसकी ज़बान मोटी (स्थूल-Thick) होने की वजह से अल्फ़ाज़ साफ़ न निकलते हों, उसके पीछे नमाज़ बातिल (अर्थहीन-Absurd) है।” (फ़तावा ख़ैरिया, अज़ : अल्लामा ख़ैरुद्दीन रमली और फ़तावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. १७५)

नोट :

“तोतला जब बात करता है या कुछ पढ़ता है तब कुछ का कुछ बोलता है और सहीह हर्फ़ उसकी ज़बान से नहीं निकलता, मस्लन “त” को “ट” बोलता है जब ‘तब्बत-यदा-अबी-लहबिं-व-तब’ पढ़ेगा तब ‘टब्बट-यडा-अबी-लहबिं-व-टब’ पढ़ेगा, या’नी हर्फ़े “द” को भी “ड” पढ़ेगा, इसी तरह बहोत से हुरूफ़ ग़लत पढ़ेगा।”

परअला

“हकला (बोबड़ा-Stutterer) या’नी जिसकी ज़बान में लुकनत (अटक जाना) होती है और वोह रूक रूक कर बोलता है. ऐसे शख़्स की इमामत के मुतअल्लिक शरीअत में हस्बे-ज़ैल तीन (३) हुक्म हैं.

(१) “ऐसा हकला कि बोलते वक़्त उसके मुंह से चन्द मुअय्यन अल्फ़ाज़ (निश्चित शब्द) बे-इख़ितयार (बिना अंकुश) निकल जाते हैं, मस्लन ♦ क....क....क.....क.... ♦ प.....प.....प..... ♦ ब.....ब.....ब.....वग़ैरह. और वोह बोलने में या कुछ पढ़ने में जहां रूकता है और रूकने के बाद फिर जब बोलता है, तब उन्हीं हुरूफ़ की तकरार (पुनरावर्तन-Repeatation) करता है, या घबरा कर ‘ओं....ओं.....’ करने लगता है. उसके पीछे नमाज़ फ़ासिद होने में कोई शक़ नहीं.”

(२) “ऐसा हकला कि वोह जिस कल्मा (वाक्य-Setence) पर रूकता है और फिर बोलता है, उस जुम्ले (वाक्य) के पहले हर्फ़ को दोहराता है. इस सूरत में अगरचे वोह “ओं.....ओं.....” या “च...च...च..” या “क....क....क....” जैसा कोई हर्फ़े ख़ारिज नहीं बोलता, बल्कि जो जुम्ला/कल्मा बोलना चाहता है उस जुम्ले के पहले हर्फ़ या जुज़ (टुकडे-Part) को मुकरर (फिर से-Repeated) अदा करता है, मस्लन ‘क़ासिम’ बोलते वक़्त ‘क....क....क...क़ासिम.’ इस तरह बोलता है और नमाज़ में इस तरह मुकरर (Repeated) हुरूफ़ की तकरार लगव (अर्थहीन-Absurd), मोहमल (महत्त्वहीन-Worthless) और ‘ख़ारिज-अनिल-कुरअन’ (कुरअन से बाह्य-External) होने की वजह से उस हकले शख़्स की क़िरअत मे बे-इख़ितयार ज़ाइद (अनावश्यक-Redundant) हुरूफ़ (अक्षर) आ जाते हैं, लिहाज़ा ऐसे हकले शख़्स के पीछे भी नमाज़ फ़ासिद है या’नी उसके पीछे नमाज़ नहीं हो सकती.”

(३) “ऐसा हकला शख़्स कि जो हकलाते वक़्त अपने मुंह से कोई हर्फ़े-ग़ैर या

जाइद नहीं निकालता, न ही किसी हर्फ की तकरार करता है, बल्कि बोलते-बोलते सिर्फ रूक (ठहेर) जाता है और फिर जब बोलता है, तो हुरूफ ठीक अदा करता है, ऐसे शख्स की इक्तेदा में नमाज़ दुरूस्त है.”

संदर्भ : ♦ दुर्गे मुख्तार ♦ रद्दुल मोहतार ♦ नूरूल इजाह ♦ गुन्या शरहे

मुन्या ♦ मुराक़ीयुल फलाह ♦ फतावा हिन्दीया ♦ तन्वीरूल अब्सार ♦ फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १७६

जिस की बीवी बे-पर्दा निकलती हो,

उसकी इमामत का शरई हुक्म

परअला

“जिस शख्स की बीवी (ज़वजा/पत्नि-Wife) बे-पर्दा निकलती हो और वोह शख्स कुदरत और ताक़त होने के बावजूद अपनी औरत को बे-पर्दा निकलने से नहीं रोकता, वोह शख्स फासिक है. उसको इमाम बनाना गुनाह है और उस के पीछे नमाज़ मकरूहे-तहरीमी होने की वजह से न पढ़ी जाए और अगर पढ़ ली है, तो एआदा ज़रूरी है.”

(गुन्या शरहे मुन्या, फतावा रज़वीया, जिल्द नं.

३, सफहा नं. १७७/१९०)

परअला

“आज़ाद औरत (जो बांदी, Slave न हो या’नी किसी की मिल्कियत या’नी गुलाम न हो, इस ज़माने की महिलाओं बांदी के हुक्म में नहीं, यहाँ आज़ाद औरत से मुराद सामान्य स्त्री है) को लोगों के सामने सर खोलना भी हराम है. वोह औरतें जो खुले सर और बे-पर्दा घूमती हैं फासिका हैं और शौहर (पति-Husband) पर फर्ज़ है कि वोह अपनी बीवी (Wife)

को फ़िस्क से रोके. अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि; “या-अय्युहल-लज़ीना-आमनू-कू-अन्फोसकुम-व-अहलीकुम-नारा” (अनुवाद) “ए ईमान वालो ! बचाओ, अपनी जानों को और अपने घर वालों को आग से” और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम फरमाते हैं कि ; “कुल्लोहुम-राउन-व-कुल्लोकुम-मस्उलुन-अन-रअय्यतेहि” (अनुवाद) “तुम सब अपने मुतअल्लिकीन (परिवार-Belongings) के सरदार और हाकिम हो ओर हर हाकिम (शासनकर्ता-Ruler) से क़यामत के दिन उसकी रअय्यत (प्रजा-Subjects) के बाब (बारे) में सवाल होगा.”

तो, जो मर्द अपनी औरत को बे-पर्दा निकलने से मना नहीं करता, खूद भी फासिक है और फासिक के पीछे नमाज़ मकरूह है और उसे इमाम बनाना गुनाह है.”

(रद्दुल मोहतार, गुन्या, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १८८)

परअला

“औरत अगर किसी ‘ना-महरम’ (जिससे पर्दा करना वाजिब है) के सामने इस तरह आए कि उसके बाल, या गला, या गरदन, या पीठ, या कलाई, या पिन्डली का कोई हिस्सा ज़ाहिर हो, या लिबास ऐसा बारीक पहना हो कि मज़कूरा (वर्णनीय) आ’ज़ा (अंगों) से कोई हिस्सा उसमें से चमके (दिखाई दे/नज़र आए) तो येह हराम है और ऐसी वज़अ (हावभाव-Gesture) और लिबास की अ़ादी औरतें फासिकात हैं और उनके शौहर इस पर राज़ी हों या हस्बे-मुक़दरत बंदोबस्त न करें या’नी हस्बे-कुदरत (यथा शक्ति) न रोकें, तो ‘दय्यूस’ (बे-हया-Pimp) हैं, और एसों को इमाम बनाना गुनाह है.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. २०१/२५८)

परअला

“ जिस की बीवी आम औरतों की तरह बे-पर्दा धूमती हो और शौहर को मा'लूम हो, और बा-वस्फे-कुदरत (शक्ति -Omnipotence के बावजूद) मना नहीं करता, तो वोह 'दय्यूस' (Pimp) है और उसके पीछे नमाज़ मकरूहे-तहरीमी है.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १९७/२१०)

परअला

“अगर वोह शख्स अपनी बीवी को (बे-पर्दा निकलने से) हद्दे-कुदरत तक (यथा शक्ति) रोकता है और मना करता है, लेकिन वोह नहीं मानती, तो इन सूरतों में शौहर पर कुछ इल्ज़ाम (आरोप) नहीं और इस वजह से उसके पीछे नमाज़ मे किराहत नहीं हो सकती.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १९३)

इमामत के तअल्लुक़ से मुतफरिक् मसाइल**परअला**

“इमाम के लिये खुश-इल्हानी (मधुर कंठ-Sweet Tune) से किरअत पढ़ना ज़रूरी नहीं बल्कि सहीह मख़ारिज के साथ किरअत पढ़ना ज़रूरी है और जो शख्स इमाम के लिये खुश-इल्हानी से पढ़ने को ज़रूरी और शर्त बताए, वोह शरीअते-मुतहहरा पर इफ़तरा (दोषारोपण-Imputation) करता है, बल्कि खुश-इल्हानी बा'ज अवकात (कभी-कभी) मुज़िर (हानिकारक) होती है कि उसके सबब आदमी इतराता (गर्व करता) है या कम से कम इतना तो होता है कि नमाज़ में खुशूअ और खुजूअ (एकाग्रता) के बदले अपने को खुश-इल्हान बनाने का ख्याल रहेता है.”

(आलमगीरी, फतावा काज़ीखान, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं.

१९५)

परअला

‘देवबन्दी (वहाबी) अक़ीदे वाले के पीछे नमाज़ बातिले-महज़ है, नमाज़ होगी ही नहीं. फर्ज़ सर पर (ज़िम्मे) बाक़ी रहेगा और देवबन्दी इमाम की इक्तेदा करने का शदीद गुनाहे-अज़ीम (महापाप-Great Sin) होगा.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. २३५)

परअला

‘वहाबी-नजदी अक़ीदे वाले क़तअन (सदंतर) बे:दीन (अधर्मी) हैं, और बे:दीन के पीछे नमाज़ महज़ ना-जाइज़’

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. २४०)

परअला

‘ग़ैर मुक़ल्लिद (जो अपने को एहले-हदीस कहते हैं) इमाम के पीछे नमाज़ महज़ बातिल है, नमाज़ हरगिज़ नहीं होगी और पढ़ने वालों के सर पर गुनाहे-अज़ीम होगा. इलावा अज़ीं कोई ग़ैर मुक़ल्लिद शख्स सुन्नियों की जमाअत में शरीक होगा, तो उसकी शिरकत मे सफ (क़तार) क़तअ होगी क्योंकि उसकी नमाज़ नमाज़ नहीं. वोह एक बे:नमाज़ी की हैसियत से सफ के दरमियान खड़ा होगा, और येह सफ का क़तअ है, और सफ का क़तअ नाजाइज़ है. विशेष में बद:मज़हबों के साथ नमाज़ पढ़ने से भी हदीस शरीफ में मना फरमाया गया है.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. २६४ वग़ैरह)

प्रकरण
(१४)

मुक़तदी के अक़साम व अहकाम

- ◆ “इमाम की इक़तिदा में जमाअत से नमाज़ पढ़ने वाले को मुक़तदी कहते हैं।”
- ◆ “मुक़तदी की कुल चार (४) किस्में (प्रकार) हैं।
(१) मुदरिक् (२) लाहिक (३) मस्बूक (४) लाहिक मस्बूक
- ◆ “अब हम हर किस्म के मुक़तदी की तफसील (विगत) और उसके मुतअल्लिक शरई अहेकाम पर गुफ्तगु करें।

मुक़तदी के अक़साम (प्रकार)

१. मुदरिक्
 - ◆ उस मुक़तदी को कहते हैं, जिसने पहली रकअत से लेकर का'द-ए-आखिरा तक या'नी इमाम के सलाम फैरने तक इमाम के साथ नमाज़ पढ़ी हो, अगरचे उसे तकबीरे-उला न मिली हो और वोह पहली रकअत के रूकूअ में या रूकूअ से पहले जमाअत में शामिल हुआ हो।
 - ◆ मुदरिक् इमाम के साथ सलाम फैरकर अपनी नमाज़ पूरी करेगा।
२. लाहिक
 - ◆ उस मुक़तदी को कहते हैं, जिसने पहली रकअत से ही इमाम की इक़तेदा में नमाज़ शुरू की थी, लेकिन इक़तेदा करने के बाद किसी वजह से उस की कुल (सब) या बा'ज

(चन्द) रकअतें फ़ौत हो गई हों या'नी छूट (Miss) गई हों। ख़्वाह वोह रकअतें किसी उज़्र की वजह से फ़ौत हुई हों। मस्लन :-

- ◆ गुफ़लत या भीड की वजह से रूकूअ या सजदा नहीं कर सका।
- ◆ हालते-नमाज़ में 'हद्स' हो गया, या'नी वुजू टूट गया।
- ◆ मुक़ीम (स्थायी) मुक़तदी ने मुसाफ़िर (प्रवासी) इमाम की चार (४) रकअत वाली नमाज़ या'नी जोहर, अस्त्र या इशा में इक़तेदा की और इमाम ने मुसाफ़िर होने की वजह से दो (२) रकअत पर सलाम फैर कर अपनी नमाज़ पूरी कर दी।
- ◆ लाहिक मुक़तदी इमाम के साथ सलाम नहीं फेरेगा, बल्कि इमाम के सलाम फैरने के बाद अपनी फ़ौत शुदा या बाकी रकअतें अकैले नमाज़ पढ़ कर पूरी करेगा।
- ◆ उस मुक़तदी को कहते हैं, जिस को शुरू की कुछ रकअतें न मिली हों और वोह कुछ रकअतें पूरी हो जाने के बाद जमाअत में शामिल हुआ हो।
- ◆ मस्बूक मुक़तदी इमाम के सलाम फैरने के बाद अपनी फ़ौत शुदा (छुटी हुई) रकअतें

३. मस्बूक

अकेले नमाज़ पढ़ कर पूरी करेगा।

- ◆ मस्बूक़ मुक़तदी इमाम के साथ सलाम नहीं फ़ैरेगा।

४. लाहिक मस्बूक़

- ◆ उस मुक़तदी को कहते हैं, जो मुक़ीम हो और उसने मुसाफ़िर इमाम की इक़तेदा की हो, लेकिन उसने इमाम के साथ पहली रकअत से इक़तेदा न की हो, बल्कि कुछ रकअतें पूरी हो जाने के बाद जमाअत में शामिल हुआ हो।

- ◆ लाहिक मस्बूक़ मुक़तदी इमाम के साथ सलाम नहीं फ़ैरेगा बल्कि इमाम के सलाम फ़ैरने के बाद अपनी बाकी नमाज़ लाहिक़ और मस्बूक़ दोनों ए'तबार से पूरी करेगा।

- ◆ मज़क़ुरा (वर्णनीय) चार (४) क़िस्म के मुक़तदीयों में से पहली क़िस्म के मुक़तदी या'नी "मुदरिक्-मुक़तदी" के मुतअल्लिक़ बहुत तफ़सीली मसाइल दरकार (आवश्यक) नहीं, क्योंकि उस का मामला बहुत आसान है कि शुरू से ही इमाम के साथ जमाअत में शामिल हुआ और आख़िर तक जमाअत में शामिल रहते हुए इमाम के साथ सलाम फ़ैर कर अपनी नमाज़ पूरी की। और दौराने-नमाज़ इमाम की मुताबेअत (ताबेदारी-Obsequiousness) करता रहा और उसे इन्फ़ेरादी तौर पर (अकेले-Alone) एक रकअत पढ़ने की भी ज़रूरत न हुई।"

- ◆ दूसरी, तीसरी और चौथी क़िस्म के मुक़तदी या'नी □ लाहिक़, □ मस्बूक़ और □ लाहिक़ मस्बूक़ को इमाम के सलाम फ़ैरने के बाद अपनी बाकी या फ़ौत शुदा रकअतें अकेले पढ़नी पड़ती हैं और वोह रकअतें किस तरह पढ़नी चाहियें, उसके मुतअल्लिक़ (अनुसंधान में) हर क़िस्म (प्रकार) के मुक़तदी के लिये अलग-अलग अहेकाम और मसाइल हैं। लिहाज़ा उन मसाइल (नियमों-Rules) को हर क़िस्म के मुक़तदी के उनवान (शीर्षक-Heading) से जुदा-जुदा बयान किए जाते हैं।

लाहिक़ मुक़तदी के मुतअल्लिक़

ज़रूरी मसाइल

मस्बूक़

“लाहिक़ मुक़तदी अपनी नमाज़ पढ़ते वक़्त मुदरिक् मुक़तदी के हुक्म में है, या'नी जब वोह अपनी फ़ौत शुदा रकअतें अकेला पढ़ेगा, तब उन रकअतों को इस तरह से पढ़ेगा, गोया वोह इमाम के पीछे ही पढ़ रहा हो, या'नी उन रकअतों में क़िरअत नहीं करेगा और सहव होने पर (भूल होने पर) सजद-ए-सहव भी नहीं करेगा।”

(दुरै मुख़्तार, रददुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-१३५)

मस्बूक़

“मुक़ीम मुक़तदी ने चार (४) रकअत वाली नमाज़ या'नी ज़ोहर, अस्र या इशा में मुसाफ़िर इमाम की इक़तेदा की। मुसाफ़िर इमामने दो (२) रकअत के बाद सलाम फ़ैर कर अपनी नमाज़ पूरी कर दी। अब येह मुक़ीम मुक़तदी दो (२) रकअत ब-हैसियते-लाहिक़ पढ़ेगा और उन दोनों रकअतों में मुत्लक़ (बिल्कुल) क़िरअत नहीं करेगा या'नी हालते-क़याम में कुछ भी नहीं पढ़ेगा, बल्कि उतनी दैर तक कि

जितनी दैर में सूर-ए-फातेहा पढ़ी जाए, महज़ (सम्पूर्ण रूप से- Entirely) खामौश खड़ा रहेगा.”

(दुर्रें मुख्तार, रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफ्हा-८२ और फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ्हा-३९५)

मस्बूक मुक़तदी के मुतअल्लिक ज़रूरी मसाइल

परअला

‘मस्बूक मुक़तदी इमाम के सलाम फैरने के बाद अपनी फौत शुदा रकअतें पढ़ेगा, तब क़याम में क़िरअत करेगा और अगर उन रकअतों को पढ़ने के दरमियान सहव (ग़लती) हो तो सजद-ए-सहव भी करेगा.’

(रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ्हा-१३६)

परअला

‘‘मस्बूक मुक़तदी अपनी फौत शुदा रकअतों की अदा में मुन्फरिद (अकैला नमाज़ पढ़ने वाला) है या’नी अगर पहले ‘सना’ नहीं पढ़ी थी क्योंकि इमाम बुलन्द आवाज़ से क़िरअत पढ़ रहा था, या इमाम रूकूअ में था और अगर येह सना पढ़ता तो रूकूअ न मिलता, या इमाम का’दा में था ग़रज़ किसी भी वजह से पहले ‘सना’ न पढ़ी थी, तो अब पढ़ ले और क़िरअत से पहले ‘तअव्वुज़’ (अउज़ो.. पूरा) भी पढ़ ले.’’

(आलमगीरी, बहारे शरीअत, हिस्सा-३, सफ्हा-१३६)

परअला

‘‘मस्बूक मुक़तदी ने इमाम को रूकूअ या सजदा या का’दा मे पाया तो तकबीरे-तहरीमा सीधा खड़े होने की हालत में कहे, फिर दूसरी तकबीर कहता हुआ जिस रूकन में इमाम हो उस रूकन में शामिल हो जाए, अगर पहली तकबीर कहता हुआ झुका और हद्दे-रूकूअ तक पहुंच गया, तो उसकी नमाज़ नहीं होगी.’

(आलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ्हा-१३६)

परअला

‘‘इमाम के सलाम फैरने के बाद मस्बूक मुक़तदी जब अपनी फौत शुदा रकअतें पढ़ेगा, तब उसकी पहली रकअत क़िरअत के हक़ (परिपूर्णता-Fulfilment) में रकअते-अव्वल (प्रथम) क़रार दी जाएगी और ‘‘हक्के-तशहहुद’’ (कादा के मामले) में पहली रकअत क़रार नहीं दी जाएगी. बल्कि दूसरी, तीसरी या चौथी जो भी शुमार (Counting) में आए.’’

इस मस्अले को अच्छी तरह ज़हन नशीन (संस्मरण-Memorize) करने के लिए ज़ैल में दी गई दो (२) मिसालें (दृष्टांत-Example) अच्छी तरह समजने और याद कर लेने की कोशिश करें :-

१. ‘‘किसी मस्बूक मुक़तदी को चार (४) रकअत वाली नमाज़ या’नी जोहर, अस्र या इशा की जमाअत की सिर्फ एक ही रकअत मिली या’नी वोह मस्बूक मुक़तदी चौथी रकअत में जमाअत में शामिल (Joint) हुआ, लिहाज़ा वोह इमाम के सलाम फैरने के बाद तीन (३) रकअतें हस्बे-ज़ेल तरतीब (तरीके-Method) से पढ़ेगा.

‘‘इमाम के सलाम फैरने के बाद खड़ा हो जाए और अगर किसी वजह से ‘सना’ नहीं पढ़ी थी, तो अब पढ़ ले, और अगर पहले सना पढ़ चुका है, तो सिर्फ ‘अउज़ो’ से शुरू करे और पहली रकअत में सूर-ए-फातेहा (अल-हम्दो

शरीफ) और सूरत पढ़ कर, रूकूअ और सजदे करके का'दा में बैठे और का'दा में सिर्फ 'अत्तहिय्यात' पढ़ कर खड़ा हो जाए. फिर दूसरी रकअत में अलहम्दो शरीफ और सूरत दोनों पढ़े और रूकूअ व सुजूद करके का'दा किए बगैर तीसरी रकअत के लिये खड़ा हो जाए और तीसरी रकअत के क़याम में सिर्फ सूर-ए-फातेहा पढ़ कर रूकूअ और सजदे करके का'द-ए-अख़िरा करके नमाज़ पूरी करे."

(दुर्रें मुख़्तार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-१३६ और फ़तावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-३९३/३९६)

२. "किसी शख्स को मग़रिब की नमाज़ की जमाअत की सिर्फ एक रकअत ही मिली या'नी वोह शख्स मग़रिब की तीसरी रकअत में जमाअत में शामिल हुआ, लिहाज़ा इमाम के सलाम फैरने के बाद वोह शख्स दो (२) रकअत हस्बे-ज़ेल तरतीब से पढ़ेगा."

इमाम के सलाम फैरने के बाद खड़ा हो जाए और पहली रकअत में सूर-ए-फातेहा और सूरत दोनों पढ़ कर रूकूअ व सुजूद करके का'दा में बैठे और का'दा में सिर्फ 'अत्तहिय्यात' पढ़ कर खड़ा हो जाए. फिर दूसरी रकअत में भी अल-हम्दो शरीफ और सूरत दोनों पढ़कर रूकूअ व सुजूद करके का'द-ए-अख़िरा करके नमाज़ पूरी करे."

(दुर्रें मुख़्तार, रददुल मोहतार, गुन्या शरहे मुन्या, खुलासा, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-१३६ और फ़तावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-३९२)

मस्बूक़ा

"मस्बूक़ मुक़तदी ने इमाम के साथ येह ख़्याल करके क़स्दन (जान बूज़कर-Intentionally) सलाम फैरा कि मुज़े भी इमाम के साथ सलाम फैरना चाहिये, तो उसकी नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी.

और अगर भूलकर (सह्वन-Erroneously) सलाम फैर दिया, तो उसकी दो (२) सूरतें (वर्गीकरण-Sort) हैं :-

१. अगर इमाम के ज़रा बाद में सलाम फैरा, तो सजद-ए-सह्व लाज़िम है.
२. अगर इमाम के बिल्कुल साथ-साथ सलाम फैरा तो सजद-ए-सह्व लाज़िम नहीं.

(दुर्रें मुख़्तार, रददुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-१३८)

मस्बूक़ा

"मस्बूक़ मुक़तदी सलाम फैरने में इमाम की मुताबेअत (ताबेदारी) न करे. अगर मस्बूक़ने अपने 'जहल' (अज्ञानता) से येह समज़कर कि मुज़े शरअन सलाम फैरने में भी इमाम की इत्तेबाअ (आज्ञापालन-Obey) करनी चाहिये और क़स्दन (जान बूज़कर) सलाम फैरा, तो उसकी नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी.

और अगर सह्वन (भूल कर) सलाम फैर दिया और येह सलाम इमाम के सलाम से पहले या मअन या'नी उसके साथ-साथ बगैर ताख़ीर (विलम्ब) के था, तो सजद-ए-सह्व भी अपनी नमाज़ के आख़िर में नहीं करना होगा."

(रददुल मोहतार, फ़तावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-३९४/६४३)

मस्बूक़ा

"इमाम के साथ जमाअत से पढ़ी हुई नमाज़ के का'द-ए-अख़िरा में मस्बूक़ मुक़तदी सिर्फ (अत्तहिय्यात) पढ़े. अत्तहिय्यात ख़त्म होने पर 'शहादतैन' (दोनों शहादतें या'नी दोनों अशहदो) की तकरार करे, (या'नी बार-बार पढ़े-Repitition) और अगर 'अस्सलामो-अलयका' से तकरार करे, जब भी कोई मुमानेअत (विधन-Hin-

drance) नहीं.

(फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. ३९४)

लाहिक-मस्बूक मुक्तदी के ज़रूरी मसाइल

“लाहिक-मस्बूक मुक्तदी का हुक्म यह है कि जिन रकअतों में वोह लाहिक है, उन रकअतों को इमाम की तरतीब से पढ़े और उन रकअतों में लाहिक के अहेकाम जारी होंगे.

और जिन रकअतों में मस्बूक है, उन रकअतों को मुन्फरिद (अकैले नमाज़ पढ़नेवाले) की तरतीब से पढ़े और उन रकअतों में मस्बूक के अहेकाम जारी (लागू-Applicable) होंगे.”

(दुर्रें मुख़्तार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-१३८)

मस्बूक

“जिन रकअतों में वोह लाहिक है, उन रकअतों में मुत्लकन (बिल्कुल) क़िरअत न करे क्योंकि लाहिक हुकमन “मुक्तदी” (इमाम की इक्तेदा करने वाला) है और मुक्तदी को क़िरअत ममनूअ (प्रतिबन्धित) है.”

(दुर्रें मुख़्तार, फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-३९६)

मस्बूक

“लाहिक-मस्बूक मुक्तदी इमाम के सलाम फ़ैरने के बाद जब अपनी नमाज़ पढ़े, तब इस बात का ख़ास तौर पर से इल्तिज़ाम (चीवट-Assiduity) करे कि जो रकअतें बतौर लाहिक पढ़नी हैं, उन रकअतों को पहले पढ़े और जिन रकअतों को बतौर मस्बूक पढ़नी हैं, उन रकअतों को बाद में पढ़े.

(बहरूर राइक, फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-३९८)

मुसाफिर इमाम की इक्तेदा में नमाज़ पढ़ने वाले मुक्मीम (स्थायी) मुक्तदी के मुतअल्लिक

एक बहुत ज़रूरी मसअला

मस्बूक

“चार (४) रकअत वाली नमाज़ या'नी जोहर, अस्र या इशा में मुक्मीम ने मुसाफिर इमाम की इक्तेदा में ऐक रकअत पाई या'नी वोह मुक्तदी दूसरी रकअत में शामिले-जमाअत हुआ. इमाम दो (२) रकअत क़स् पढ़ कर सलाम फ़ैर देगा, लिहाज़ा उस मुक्तदी ने इमाम के साथ ऐक ही रकअत पढ़ी. दो (२) रकअत के बाद इमाम के सलाम फ़ैरने के बाद वोह मुक्तदी खड़ा हो जाएगा और उस के ज़िम्मे तीन (३) रकअतें अदा करनी बाकी हैं.

इन तीन (३) रकअतों में से दो (२) रकअतें वोह बःहैसियते लाहिक और ऐक (१) रकअत बःहैसियते-मस्बूक अदा करेगा और इन तीनों रकअतों को हस्बे-ज़ेल तरतीब (निम्न लिखित पद्धति) से अदा करेगा :-

‘पहले एक रकअत बिना क़िरअत अदा करे, या'नी हालते-क़याम में सूर-ए-फातेहा और सूरत मुत्लक (सदंतर) न पढ़े, बल्कि इतनी दैर कि जितनी दैर में सूर-ए-फातेहा पढ़ी जाए, बिल्कुल ख़ामौश खड़ा रहे और रूकूअ व सुजूद करके का'दा करे और का'दा में सिर्फ 'अत्तहिय्यात' पढ़कर खड़ा हो जाए, क्योंकि येह रकअत मुक्तदी की दूसरी रकअत थी.

फिर, दूसरी रकअत भी बिना किरअत पढ़कर का'दा करे और सिर्फ 'अत्तहिय्यात' पढ़ कर खड़ा हो जाए. येह रकअत अगरचे इस मुक्तदी की तीसरी रकअत है, लेकिन इमाम के हिसाब से चौथी रकअत है और लाहिक मुक्तदी पर लाजिम है कि वोह फौत शुदा नमाज़ को इमाम की तरतीब से अदा करे.

फिर, तीसरी रकअत के कयाम में सूर-ए-फातेहा और सूरत पढ़ कर, रूकूअ व सुजूद करके का'द-ए-अखिरा करे और उस का'द-ए-अखिरा में 'तशहहुद' (अत्तहिय्यात) और दरूद शरीफ और दुआ-ए-मासूरा पढ़कर सलाम फ़ैर कर नमाज़ पूरी करे.

अल हासिल :-

- ◆ "इन तीनों रकअतों में हर रकअत पर का'दा करे या'नी तीन (३) रकअत में तीन (३) का'दे करे."
- ◆ "पहली और दूसरी रकअत बःहैसियते-लाहिक अदा करेगा, लिहाजा, पहली और दूसरी रकअत में मुत्लक किरअत न करे बल्कि सूर-ए-फातेहा पढ़ने के वक्त की मिक्दार महज़ खामौश खड़ा रहे."
- ◆ "तीसरी रकअत बःहैसियते-मस्बूक अदा करेगा, लिहाजा उस में अल-हम्दो शरीफ और कोई सूरत पढ़े."
- ◆ "पहली और दूसरी रकअत के बाद जो का'दा करे, उसमें अत्तहिय्यात के सिवा कुछ न पढ़े या'नी अत्तहिय्यात के बाद दरूद-इब्राहीम न पढ़े, बल्कि अत्तहिय्यात पढ़ लेने के बाद फ़ौरन खड़ा हो जाए."
- ◆ "तीसरी रकअत के बाद जो का'दा करेगा, वोह का'दा-ए-अखिरा के हुक्म में है, लिहाजा उस का'दे में अत्तहिय्यात, दरूद शरीफ और दुआ-

ए-मासूरा पढ़कर सलाम फ़ैर कर नमाज़ पूरी करे."

(◆ दुर्रे मुख्तार ◆ रददुल मोहतार ◆ खुलासतुल-वफ़ा ◆ फतावा हिन्दीया

◆ मजमउल-अन्हर ◆ गुन्या शरहे मुन्या ◆ बहरूर राइक ◆ फतावा

रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-३९५, ३९६, ३९८

नोट :

"येह मस्अला बहुत ही अहम (महत्वपूर्ण) और ज़रूरी है. इस मस्अले में अ़वाम तो अ़वाम बल्कि बहुत से पढ़े लिखे हज़रात भी ग़लती करते हैं. अकसर देखा गया है कि मज़कूरा (वर्णनीया) तीन (३) रकअतें पढ़ने में पहली और तीसरी रकअत पर का'दा करते हैं और दूसरी रकअत पर का'दा नहीं करते या'नी इन तीन रकअतों में दो (२) का'दे करते हैं, जबकि बःहुक्मे-फिक़ह इन तीनों रकअतों में हर रकअत पर का'दा करना लाज़मी और ज़रूरी है."

मस्अला

"अगर चार (४) रकअत वाली नमाज़ में मुक्मि मुक्तदी ने मुसाफ़िर इमाम की इक्तेदा इस तरह की कि उस को का'द-ए-अखिरा ही मिला, तो वोह मुक्तदी इमाम के सलाम फ़ैरने के बाद खड़ा हो कर चार (४) रकअत हस्बे-ज़ैल तरतीब से अदा करे :-

"पहले दो (२) रकअत बःहैसियते लाहिक इस तरह पढ़े कि पहली और दूसरी रकअत में कयाम की हालत में मुत्लक किरअत न करे बल्कि सूर-ए-फातेहा पढ़ने के वक्तकी मिक्दार (मात्रा) तक खामौश खड़ा रहे. दो (२) रकअत पढ़ने के बाद का'दा करे और उस का'दे में सिर्फ 'अत्तहिय्यात' (तशहहुद) पढ़ कर खड़ा हो जाए.

फिर दो (२) रकअत बःहैसियते मस्बूक अदा करे या'नी तीसरी और चौथी रकअत में हालते-कयाम में सूर-ए-फातेहा और कोई सूरत पढ़े और

चौथी रकअत पर का'द-ए-अख़िरा में अत्तहिय्यात, दरूद और दुआ-ए-मासूरा पढ़कर सलाम फ़ैर कर नमाज़ पूरी करे।”

(हवाला : दुर्गे मुख़्तार, मुन्यतुल मुसल्ली, मजमउल अन्हर, फ़तावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-३९५)

नोट :

‘इस मस्अले में भी बहुत से हज़रात ग़लती करते हैं। शुरू की दोनों रकअतें या'नी पहली और दूसरी रकअत में क़िरअत करते हैं और तीसरी तथा चौथी रकअत में ख़ामोश खड़े रहते हैं या'नी पहली और दूसरी रकअत बःहैसियते मस्बूक और तीसरी व चौथी रकअत बःहैसियते लाहिक़ अदा करते हैं, लेकिन सहीह मस्अला यह है कि शुरू की दो (२) रकअतें बःहैसियते लाहिक़ और बाद की दो (२) रकअतें बःहैसियते-मस्बूक अदा करनी चाहिये।’

तमाम क़िरम के मुक़्तदीयों के

लिये ज़रूरी मसाइल

परअला

‘इमाम रूकूअ में है और मुक़्तदी जमाअत में शामिल होना चाहता है तो सिर्फ़ तकबीरे-तहरीमा कहेकर रूकूअ में मिल सकता है, हाथ बांधने की अस्लन (बिल्कुल) हाजत नहीं सिर्फ़ तकबीरे-तहरीमा कहेकर रूकूअ में शामिल होने से सुन्नत या'नी तकबीरे-रूकूअ फ़ौत (व्यय-Loss) होगी, लिहाज़ा चाहिये कि सीधा खड़े होने की हालत में तकबीरे तहरीमा कहे, और अगर सना पढ़ने की फ़ुरसत (Leisure) न हो, या'नी येह एहतेमाल (संभावना-Probability) हो कि अगर सना पढ़ता हूं तो इमाम रूकूअ से सर उठा लेगा, तो ऐसी सूरत (परिस्थिति-Circumstance) में सना न पढ़े, बल्कि तकबीरे-तहरीमा के साथ फ़ौरन दूसरी तकबीर कहेकर रूकूअ में चला जाए, और अगर

मुक़्तदी को इमाम की आदत मा'लूम है कि रूकूअ में दैर लगाता है और मैं सना पढ़कर भी रूकूअ में शामिल हो जाऊंगा तो सना पढ़कर रूकूअ की तकबीर कहता हुआ शामिल हो, येह सुन्नत है।

तकबीरे-तहरीमा खड़े होने की हालत में कहनी फ़र्ज़ है, कुछ-ना-वाक़िफ़ (अनजान) जो येह करते हैं कि इमाम रूकूअ में है और येह जनाब जुके हुए तकबीरे-तहरीमा कहेते हुए शामिल हो गए अगर इतना झुका हुआ है कि तकबीरे-तहरीमा ख़त्म (पूरी) करने से पहले हाथ फैलाए (लम्बा करे) तो हाथ घुटने तक पहुंच जाए, तो नमाज़ न होगी। इस बात का ख़याल रखना (तवज्जोह देना) लाज़मी है।”

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-३९३)

परअला

‘का'द-ए-उला में इमाम तशहहुद (अत्तहिय्यात) जल्दी पढ़कर तीसरी रकअत के लिये खड़ा हो गया और बा'ज (कुछ) मुक़्तदी तशहहुद पढ़ना भूल गए और इमाम के साथ खड़े हो गए, तो जिसने तशहहुद नहीं पढ़ा था, वोह बैठ जाए, और तशहहुद पढ़कर इमाम की मुताबेअत करे, अगरचे वापस बैठकर तशहहुद पढ़ने की वजह से रकअत फ़ौत (छूट जाए) हो जाए।

(आलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-१३९)

परअला

‘मुक़्तदी ने इमाम से पहले रूकूअ या सजदा किया, मगर उसके सर उठाने से पहले ही इमाम रूकूअ या सजदा में पहुंच गया, तो मुक़्तदी का रूकूअ या सजदा हो गया, लेकिन मुक़्तदी को ऐसा करना हराम है।’

(आलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-१४०)

परबतल

“किसी मुक्तदीने इमाम से पहले कोई फ़ैल (चेष्टा-Motion) इस तरह किया कि इमाम भी उस फ़ैल में आ मिला, मस्लन मुक्तदी ने इमाम के रूकूअ करने से पहले रूकूअ कर दिया, लेकिन मुक्तदी अभी रूकूअ ही में था कि इमाम भी रूकूअ में आ गया और दोनों की रूकूअ में शिरकत (साथ) हो गई। येह सूरत अगरचे सख़्त ना-जाइज़ और ममनूअ है और हदीस शरीफ़ में इस पर शदीद वर्ईद वारिद (शिक्षा की धमकी का वर्णन) है, मगर इस सूरत में यूं भी नमाज़ हो जाएगी, जबकि मुक्तदी और इमाम की रूकूअ में मुशारेकत (साथ होना-Partaken) हो जाए।

और अगर इमाम अभी रूकूअ में न आने पाया था और मुक्तदी ने रूकूअ से सर उठा लिया और फिर मुक्तदी ने इमाम के साथ या बाद में इस फ़ैल का ए'आदा (पुनरावर्तन-Repetition) न किया, तो मुक्तदी की नमाज़ अस्लन न हुई कि अब फ़र्जे-मुताबेअत (ताबेदारी-Obsequiousness) की कोई सूरत न पाई गई, लिहाज़ा, फ़र्ज तर्क हुआ (छूटा) और नमाज़ बातिल (नष्ट) हो गई।” (रददुल मोहतार, फ़तावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-४०८)

परबतल

“रूकूअ या सजदे में मुक्तदी ने इमाम से पहले सर उठा लिया और इमाम अभी रूकूअ या सजदे में है, तो मुक्तदी पर वापस लोटना वाजिब है और वापस लोटने की वजह से येह दो (२) रूकूअ या दो (२) सजदे शुमार (गिनती-Count) नहीं होंगे।”

(अलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-१३९)

परबतल

“पांच (५) काम वोह हैं कि अगर इमाम उसे न करे और छोड़ दे तो मुक्तदी भी उसे न करे और इमाम का साथ दे. (१) तकबीराते-ईदैन या'नी

दोनों ईद की नमाज़ मे जाइद (विशेष-Extra) तकबीरें दी जाती हैं. (२) का'द-ए-उला या'नी दो (२) से ज़ियादा रकअत वाली नमाज़ का पहला का'दा (३) सजद-ए-तिलावत (४) सजद-ए-सहव (५) दुआ-ए-कुनूत, जबकि रूकूअ फौत होने का अदेशा हो, वर्ना कुनूत पढ़ कर रूकूअ करे.” (अलमगीरी, सगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-१३९)

परबतल

“चार (४) काम वोह हैं कि अगर इमाम उसे करे, तो भी मुक्तदी उसे न करे और इमाम का साथ न दे. (१) नमाज़ में कोई जाइद (ज़ियादा-Extra) सजदा किया (२) ईदैन की नमाज़ में छे: (६) से ज़ियादा तकबीरें (तकबीराते-ईदैन) कहीं. (३) नमाज़े-ज़नाज़ा मे पांच (५) तकबीरें कहीं. (४) का'द-ए-आख़िरा करने के बाद इमाम जाइद रकअत के लिये खड़ा हो गया, तो मुक्तदी इमाम के साथ खड़ा न हो, बल्कि इमाम के वापस लौटने का इन्तिज़ार करे. अगर इमाम पांचवी (५) रकअत के सजदे से पहले लौट आए, तो मुक्तदी इमाम का साथ दे और इमाम के साथ ही सलाम फेरे और इमाम के साथ ही सजद-ए-सहव भी करे.

और अगर इमाम ने पांचवी रकअत का सजदा कर लिया और का'दा में नहीं लौटा, तो मुक्तदी तन्हा (अकैले) सलाम फ़ैर कर अपनी नमाज़ पूरी कर ले. और अगर इमाम ने का'दा-ए-आख़िरा ही नहीं किया था, और पांचवी रकअत का सजदा कर लिया, तो सबकी नमाज़ फ़ासिद हो गई, अगरचे मुक्तदी ने अत्तहिय्यात पढ़ कर सलाम फ़ैर लिया हो.”

(अलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-१४०)

परबतल

“इमाम ने दो (२) रकअत के बाद का'द-ए-उला न किया और तीसरी रकअत के लिये खड़ा होने जा रहा है, तो जब तक इमाम सीधा (Straight)

खड़ा न हुआ हो, मुक्तदी का'द-ए-उला तर्क न करे और इमाम का साथ न दे, बल्कि उसे (लुक़मा देकर) बताए ताकि वोह का'दे में वापस आ जाए. अगर इमाम वापस आ गया तो ठीक है.

और अगर इमाम वापस न आया और सीधा खड़ा हो गया, तो अब मुक्तदी इमाम को न बताए (लुक़मा न दे), वर्ना मुक्तदी की नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी. इस सूरत (परिस्थिति) में मुक्तदी का'दा छोड़ दे और इमाम की मुताबेअत करते हुए खड़ा हो जाए."

(बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-१३९)

परअला

"जब इमाम का'द-ए-उला छोड़ कर पूरा (Straight-सीधा) खड़ा हो जाए, तो अब मुक्तदी इमाम को बैठने का इशारा (सकेत-Sign) न करे, या'नी लुक़मा न दे, वर्ना हमारे इमाम (इमामे-आज़म अबू हनीफ़ा) के मज़हब पर मुक्तदी की नमाज़ जाती रहेगी. क्योंकि पूरा खड़ा हो जाने के बाद इमाम को का'द-ए-उला की तरफ लौटाना ना-जाइज़ था. तो अब मुक्तदी का बताना (लुक़मा देना) महज़ बे-फ़ायदा रहा और अपने अस्ली हुक्म की रू से (मुख्य नियमानुसार-As per Principal Law) अब मुक्तदी का बताना या'नी लुक़मा देना नमाज़ में कलाम (बात-Talk) करना ठहेर कर मुफ़सिदे-नमाज़ हुआ."

(बहरूर राइक़, फ़तावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-४०४)

प्रकरण
(१९)

सजद-ए-सहव का ब्यान

- ◆ "हर नमाज़ी से नमाज़ पढ़ते वक़्त कभी-कभी ऐसी ग़लती हो जाती है कि नमाज़ ना-तमाम (अपूर्ण-In Complete) और ना-दुरस्त (Defective) हो जाती है. नमाज़ में पैदा शुदा (उत्पन्न) इस नुक़्स (क्षति-Fault) को सजद-ए-सहव से दूर किया जा सकता है."
 - ◆ "ग़लती की वजह से पैदा शुदा नुक़्स सजद-ए-सहव कर लेने से दूर हो जाता है, और नमाज़ दुरुस्त (क्षति रहित) हो जाती है."
 - ◆ "जिन ग़लतियों की वजह से 'सजद-ए-सहव' वाजिब होता है, वोह हस्बे-ज़ेल हैं."
१. नमाज़ में जो काम वाजिब हैं, उन में से कोई एक या एक से ज़ियादा वाजिब छूट जाए.
 २. किसी वाजिब को अदा करने में ताख़ीर (विलम्ब-Delay) हो.
 ३. किसी वाजिब को अदा करने में फ़र्क (विभिन्नता-Difference) वाकेअ़ हो या'नी नमाज़ के कामों को तय शुदा तरतीब (नियुक्त क्रम-Fixed Method) के ख़िलाफ़ (विरूद्ध) या'नी उन कामों को क्रमानुसार अदा करने के बदले क्रम विरूध (Out of Turn) अदा करना.
 ४. किसी फ़र्ज़/रूक्न (ज़रूरी हिस्सा) के अदा करने में ताख़ीर (विलम्ब) करने से.
 ५. किसी फ़र्ज़/रूक्न को वक़्त से पहले अदा कर लेने से.
 ६. किसी फ़र्ज़/रूक्न को मुकरर (दोबारा-Twice) अथवा ज़ाइद (ज़ियादा)

मरतबा अदा करने से मस्लन दो (२) मरतबा रूकूअ या तीन (३) सजदे कर लिये.”

(बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफहा-५०)

- ◆ “मुंदरजा बाला (उपरोक्त-Above) ग़लतियां अगर सहवन (भूल कर) हुई हैं, तो ही सजद-ए-सह्व से उसकी ‘तलाफी’ (क्षतिपूर्ति-Compensation) हो सकती है, अगर किसी ने अमदन (जान बूज़ कर-Purposely) ग़लती की है, तो अब सजद-ए-सह्व से उस की तलाफी (निराकरण) नहीं हो सकती, नमाज़ का ए’अदा या’नी नमाज़ को अज़ सरे नौ (दोबारा) पढ़ना होगा.” (दुर्रे मुख़्तार)
- ◆ “अगर नमाज़ का कोई फ़र्ज़ छूटा है, चाहे सहवन हो, चाहे अमदन हो, सजद-ए-सह्व से उसकी तलाफी हरगिज़ नहीं हो सकती. नमाज़ हर हाल में फ़ासिद हो गई. उसको अज़ सरे नौ पढ़नी होगी.”
- ◆ “जिन सूरतों (परिस्थिति) में सजद-ए-सह्व वाजिब होता है, अगर सह्व का सजदा न किया, तो नमाज़ वाजेबुल ए’अदा होगी.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-६४६)

सजद-ए-सह्व करने का तरीका

परअला

‘सजद-ए-सह्व करने का तरीका यह है कि का’दा-ए-आख़िरा में अत्तहिय्यात के बाद दाहेनी तरफ सलाम फ़ैर कर दो (२) सजदे करना, फिर का’दा करके उसमें अत्तहिय्यात, दरूदे-इब्राहीम वग़ैरह पढ़कर, दोनों तरफ सलाम फ़ैरना चाहिये.”

(फिक़ह की तमाम किताबें, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफहा-४९)

परअला

“सजद-ए-सह्व एक सलाम फ़ैरने क बाद कर लेना चाहिये, दूसरा सलाम फ़ैरना मना है. अगर दोनों तरफ क़स्दन सलाम फ़ैर दिए, तो सजद-ए-सह्व अदा न होगा और नमाज़ फिर से पढ़ना वाजिब है.”

(दुर्रे मुख़्तार, रददुल मोहतार, फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-६३८)

परअला

“सजद-ए-सह्व के बाद जो का’दा है, उसमें भी अत्तहिय्यात पढ़ना वाजिब है. उस का’दे में सिर्फ अत्तहिय्यात पढ़कर भी सलाम फ़ैर सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि अत्तहिय्यात के बाद दरूद शरीफ भी पढ़े.”

(आलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफहा-५०)

सजद-ए-सह्व के मुतअल्लिक

ज़रूरी मसाइल

परअला

“फ़र्ज़ और नफ़्ल दोनों नमाज़ों में सजद-ए-सह्व के वाजिब होने का एक ही हुक्म है या’नी नफ़्ल नमाज़ में भी कोई वाजिब तर्क होने से (छूटने से) सजद-ए-सह्व वाजिब है.”

(आलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-५०)

परअला

“सजद-ए-सह्व उस वक़्त वाजिब है कि वक़्त में गुंजाइश (अवकाश-Scope) हो, अगर वक़्त में गुंजाइश न हो, मस्लन नमाज़े-फ़ज़्र में ग़लती होने की वजह से सजद-ए-सह्व वाजिब हुवा, नमाज़ी ने पहला सलाम फ़ैरा और

सजद-ए-सह्व नहीं किया था कि आफ़ताब तुलूअ़ कर आया (सूर्योदय हो गया) तो सजद-ए-सह्व साक़ित (माफ़-Exempted) हो गया.”

(रददुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफ़हा-४९)

मरउता

जुम्आ और दोनों ईदों की नमाज़ में अगर सजद-ए-सह्व वाजिब हुआ, तो बेहतर यह है कि सजद-ए-सह्व न करे, क्योंकि अगर इमाम सजद-ए-सह्व करता है, और मजमअ़ कसीर (लोगों की ज़ियादा संख्या-Crowd) है, तो मुक़तदीयों की कसरत (जूयादती) की वजह से ख़ब्त (चितभ्रम-Insanity) और इफ़तेनान (Misleading) का अंदेशा है या'नी मुक़तदीयों में गड़बड़ी और फ़िल्ना (विवाद) होने का अंदेशा (संदेह) हो, तो ओलोमा-ए-किराम ने सजद-ए-सह्व के तर्क करने (छोड़ने) की इजाज़त दी है, बल्कि जुम्आ और ईदकी नमाज़ में सजद-ए-सह्व तर्क करना अवला या'नी बेहतर है.”

(दुर्रे मुख़्तार, रददुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफ़हा-५३ और फ़तावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-६८९)

मरउता

“ता'दीले अरकान मस्लन कौमा (रूकूअ़ के बाद सीधा खड़ा होना) या जल्सा (दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना) भूल जाने से भी सजद-ए-सह्व वाजिब होता है.”

(अ़ालमगीरी, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफ़हा-५०)

मरउता

“अगर एक नमाज़ में चंद (एक से ज़ियादा) वाजिब तर्क हुए, तो भी सिर्फ़ एक (१) मरतबा ही सजद-ए-सह्व करना काफी है.”

(रददुल महोतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफ़हा-५०)

मरउता

कोई ऐसा वाजिब तर्क हुआ जो वाजेबाते-नमाज़ से नहीं है बल्कि उसका वाजिब होना अग्ने-ख़ारिज (बाह्य प्रयोजन-External intention) से है, तो उस वाजिब के तर्क होने से सजद-ए-सह्व नहीं. मस्लन कुरआने-मजीद तरतीब के मुवाफ़िक़ (क्रमानुसार-In Succession) पढ़ना तिलावत के वाजिबों में से है, नमाज़ के वाजिबों से नहीं. अगर किसीने नमाज़ में ख़िलाफे-तरतीब कुरआने-मजीद पढ़ा तो तिलावत का वाजिब तर्क हुआ लिहाज़ा सजद-ए-सह्व वाजिब नहीं.”

(रददुल मोहतार, बहारे-शरीअ़त, हिस्सा-४, सफ़हा-४९)

मरउता

“अगर किसी ने नमाज़ में भूल कर ख़िलाफे-तरतीब कुरआने-मजीद पढ़ा तो हर्ज नहीं और सजद-ए-सह्व की ज़रूरत नहीं. और अगर क़स्दन (जान बूज़कर) ख़िलाफे-तरतीब पढ़ा, तो सख़्त गुनाहगार होगा लेकिन नमाज़ फिर भी हो गई और सजद-ए-सह्व की अब भी ज़रूरत नहीं, अलबत्ता तरतीब उल्टा कर नमाज़ में कुरआने-मजीद पढ़ना हराम है, लिहाज़ा उस पर लाज़िम है कि तौबा करे.”

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-८८/१३२/४३७)

मरउता

“अगर नमाज़ में इमाम से सह्व हुआ और सजद-ए-सह्व वाजिब हुआ तो मुक़तदी पर भी सजद-ए-सह्व वाजिब है अगरचे कोई मुक़तदी इमाम को सह्व वाकेअ़ होने के बाद जमाअ़त में शामिल हुआ हो, मिसाल के तौर पर इशा की नमाज़ के फ़र्ज़ के का'द-ए-उला में इमाम ने अत्तहिह्यात के बाद दरूद शरीफ़ पढ़ लिया, लिहाज़ा सजद-ए-सह्व वाजिब हो गया, अब अगर कोई मुक़तदी तीसरी रकअ़त में या'नी इमाम की ग़लती वाकेअ़ होने के बाद

जमाअत में शामिल हुआ, जब भी उस मुक्तदी पर सजद-ए-सह्व वाजिब है, वोह मुक्तदी भी इमाम के साथ सजद-ए-सह्व करे. बा'दहू या'नी सजद-ए-सह्व करने के बाद इमाम के सलाम फैरने के बाद अपनी नमाज़ पूरी करे."

(रददुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफहा-५४)

परअला

"अगर मुक्तदी से बःहालते-इक्तेदा या'नी इमाम के साथ (पीछे) नमाज़ पढ़ने की हालत में सह्व वाकेअ हुआ या'नी कोई भूल हुई, तो मुक्तदी को सजद-ए-सह्व करना वाजिब नहीं और नमाज़ का एआदा भी उसके ज़िम्मे नहीं."

(हवाला : ♦ दुर्रे मुख़्तार ♦ तबय्यनुल हकायक, जिल्द-१, सफहा-१९५

♦ बहरूर राइक, जिल्द-२, सफहा-१०८ ♦ फतावा हिन्दिया या'नी आलमगीरी जिल्द-१, सफहा-१२८ ♦ मआनिल आसार, जिल्द-१, सफहा-२३८ ♦ बदाएउस सनाए, जिल्द-१, सफहा-१७५ ♦ बहारे शरीअत, हिस्सा-४, सफहा-५४ और ♦ फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-६४२)

परअला

"इमाम पर सजद-ए-सह्व वाजिब न था और उसने भूल कर सजद-ए-सह्व किया, तो इमाम और उन मुक्तदीयों की नमाज़ हो जाएगी, जिनकी कोई रकअत नहीं छूटी लेकिन मस्बूक़ या'नी जिसकी कुछ रकअतें छूटी हों और वोह मुक्तदी जो सजद-ए-सह्व में जाने के बाद जमाअत में शामिल हुए, उन मुक्तदीयों की नमाज़ न हुई."

हवाला : ♦ दुर्रे मुख़्तार ♦ रददुल मोहतार ♦ ख़ज़ानतुल मुफ़तीन

♦ फतावा इमाम काज़ी ख़ान ♦ तहतावी अला मुराकीयुल फ़लाह ♦ मुहीत ♦ फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-६३४

परअला

"काद-ए-अख़िरा में येह गुमान हुआ कि का'द-ए-उला है, और इसी गुमान में सिर्फ अत्तहिय्यात पढ़ कर खड़ा हो गया और रकअत शुरू कर दी और अगर उस रकअत का सजदा करने से पहले याद आ गया, तो फ़ौरन का'दा की तरफ लौटे और का'दा में बैठ जाए और बैठने के साथ ही फ़ौरन सजद-ए-सह्व में चला जाए, अत्तहिय्यात न पढ़े. सजद-ए-सह्व करने के बाद फिर अत्तहिय्यात, दरूद, दुआ वगैरह पढ़ कर सलाम फैर कर नमाज़ पूरी करे."

(दुर्रे मुख़्तार, रददुल मोहतार, फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-६३३)

किरअत की वोह ग़लतियां जिनकी वजह से सजद-ए-सह्व वाजिब होता है

परअला

"फर्ज़ नमाज़ की पहली दो (२) रकअतों में और वित्र, सुन्नत या नफ़ल की किसी भी रकअत में सूर-ए-फ़ातेहा (अल-हम्दो-शरीफ) की एक (१) आयत भी पढ़ना भूल गया, या सूरत से पहले दो (२) मरतबा अल-हम्दो शरीफ पढ़ी, या अल-हम्दो शरीफ के साथ सूरत मिलाना भूल गया, या अल-हम्दो शरीफ से पहले सूरत पढ़ी और अल-हम्दो शरीफ को बाद में पढ़ा तो सजद-ए-सह्व वाजिब है."

(दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफहा-५० और फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-१२३/१३४)

परअला

"अल-हम्दो शरीफ पढ़ना भूल गया और सूरत शुरू कर दी, तो अगर एक

आयत की मिक़दार (मात्रा) जितना पढ़ चुका था, फिर याद आया, तो अल-हम्दो शरीफ पढ़ कर सूरात पढ़े और सजद-ए-सह्व करना वाजिब है.”

(अलमगीरी, बहारे-शरीअत)

परअला

“ अगर अल-हम्दो शरीफ पढ़ना भूल गया और सिर्फ सूरात पढ़कर रूकूअ में चला गया और उसे रूकूअ में या रूकूअ से खड़ा होने के बाद याद आया (और अभी तक सजदा में नहीं गया) तो अल-हम्दो शरीफ पढ़ कर, फिर सूरात पढ़े और रूकूअ का एआदा करे या'नी दूसरी मरतबा रूकूअ करे और नमाज़ के आखिर में सजद-ए-सह्व करे.”

(हवाला : सदर, Ditto)

परअला

“किसी ने बःक़दरे-फर्ज़ क़िरअत तो की मगर बःक़दरे-वाजिब क़िरअत न की और रूकूअ में चला गया या'नी जिस रकअत में सूर-ए-फातेहा के साथ किसी सूरात का मिलाना वाजिब था, उस रकअत में सिर्फ सूर-ए-फातेहा पढ़ी और सूरात मिलाए बगैर रूकूअ में चला गया, तो हुक्म यही है, कि रूकूअ से लौटे और फिर से सूर-ए-फातेहा पढ़कर सूरात मिलाकर फिर से (दोबारा) रूकूअ करे और नमाज़ के आखिर (अंत-End) में सजद-ए-सह्व करे. इस सूरात (परिस्थिति-Circumstance) में अगर दोबारा रूकूअ न किया, तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी क्योंकि पहला रूकूअ साक़ित (निर्मूल्य-Worthless) हो गया.”

(रददुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफ़हा-५१)

परअला

“ भूल कर फर्ज़ की पिछली रकअतों में या'नी जोहर, अस् और इशा की तीसरी व चौथी रकअत और मगरिब की तीसरी रकअत में अल-हम्दो शरीफ

के बाद सूरात मिलाई, तो सजद-ए-सह्व नहीं, बल्कि अगर क़स्दन (जान बूज़कर) भी सूरात मिलाई, तो भी हर्ज़ नहीं, मगर इमाम को ऐसा नहीं करना चाहिये. यूंही अगर पिछली रकअतों में अल-हम्दो शरीफ न पढ़ी, तो भी सजद-ए-सह्व नहीं.”

(अलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफ़हा-५१ और फ़तावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-६३७)

परअला

“ नमाज़ में क़याम (खड़े होने की हालत) के सिवा रूकूअ या सजदा या क़ा'दा में किसी जगह कुरआन की कोई आयत यहां तक कि 'बिस्मिल्लाह' पढ़ना भी जाइज़ नहीं. अगर रूकूअ या सजदा या क़ा'दा में कुरआन शरीफ की कोई आयत पढ़ी तो सजद-ए-सह्व वाजिब है.”

(अलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफ़हा-५१, फ़तावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-१३४ और अल-मल्फूज़, हिस्सा-३, सफ़हा नं. ३२१)

परअला

“ नमाज़ में आयते-सजदा पढ़ी, तो सजद-ए-तिलावत का नमाज़ में अदा करना और 'फ़िलफ़ौर' (विना विलंब, तुरन्त-Immediately) अदा करना वाजिब है. अगर सजद-ए-तिलावत करना भूल गया, या तीन (३) आयतों के पढ़ने के वक़्त की मिक़दार (मात्रा) जितनी या ज़ियादा दैर की तो सजद-ए-तिलावत भी करे और सजद-ए-सह्व भी करे.”

(अलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार, गुन्या शरहे मुन्या, रददुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-५१ और फ़तावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-६५३)

परअला

“अगर इमाम ने उन रकअतों में कि जिन में क़िरअत आहिस्ता आवाज़ से करना वाजिब है, मस्लन जोहर और अस्की सब रकअतें, मगरिब की

तीसरी रकअत और इशा की पिछली दोनों रकअतों में से किसी भी रकअत में भूल कर बुलन्द आवाज़ से कुरआने-अज़ीम पढ़ा और उस की कम से कम (लघुतम-Minimum) मिक्दार (मात्रा) कि जिससे क़िरअत करनेका फर्ज़ अदा हो जाए, और वोह हमारे इमामे-आज़म अबू हनीफ रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो के मज़हब में एक (१) आयत है, या'नी अगर सिर्फ एक (१) आयत जितना भूल कर बुलन्द आवाज़ से पढ़ दिया तो सजद-ए-सह्व वाजिब है, और अगर इतना या'नी एक (१) आयत जितना क़स्दन (जान बूज़ कर) ब-आवाज़े-बुलन्द पढ़ा, तो नमाज़ का फ़ैरना या'नी नमाज़ को फिर से पढ़ना वाजिब है."

(◆ गुन्या शरहे मुन्या ◆ तन्वीरूल अब्सार ◆ बहरूर राइक ◆ हिदाया ◆ तातार खानिया ◆ इनाया ◆ फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-९३)

मरतबा

"सूर-ए-फातेहा (अल-हम्दो शरीफ) पढ़ लेने के बाद सूरत सोचने में इतनी दैर लगाई कि तीन (३) मरतबा 'सुब्हानल्लाह' कहे लिया जाए, तो क़िरअत में ताखीर (विलम्ब-Delay) होने की वजह से तर्क-वाजिब हुआ, लिहाज़ा सजद-ए-सह्व करना वाजिब है, क्योंकि अल-हम्दो शरीफ के साथ फौरन (शीघ्र) सूरत मिलाना वाजिब है."

(◆ तन्वीरूल अब्सार ◆ गुन्या ◆ मुहीत ◆ आलमगीरी ◆ रद्दुल मोहतार ◆ फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-२७९/६३०)

मरतबा

"पहली दो (२) रकअतों में क़याम में सूर-ए-फातेहा के बाद तशहहुद (अत्तहिय्यात) पढ़ा, तो सजद-ए-सह्व वाजिब है और अगर सूर-ए-फातेहा से पहले पढ़ा तो सजद-ए-सह्व वाजिब नहीं।

और पिछली दो (२) रकअतों या'नी तीसरी और चौथी रकअत में सूर-ए-फातेहा के पहले या बाद में तशहहुद पढ़ा, तो सजद-ए-सह्व वाजिब नहीं."

(आलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफहा-५३)

मरतबा

"अगर क़याम में एक (१) से ज़ियादा मरतबा सूर-ए-फातेहा पढ़ी, तो सजद-ए-सह्व वाजिब है."

(बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-७५)

मरतबा

"इमाम ने जहरी नमाज़ या'नी जिनमें बुलन्द आवाज़ से क़िरअत करना वाजिब है या'नी फज़ की दोनों रकअतों और मग़रिब व इशा की पहली दोनों रकअतों में सिर्फ एक (१) आयत पढ़ने जितना आहिस्ता आवाज़ से क़िरअत की (पढ़ी) तो सजद-ए-सह्व वाजिब है."

(रद्दुल मोहतार, गुन्या शरहे मुन्या, आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार, और बहारे-शरीअत)

मरतबा

"मुन्फरिद या'नी अकैले नमाज़ पढ़ने वाले ने सिर्री नमाज़ या'नी जिसमें आहिस्ता आवाज़ से क़िरअत करना वाजिब है, उसमें बुलन्द आवाज़ से पढ़ा, तो सजदा-ए-सह्व वाजिब है।

और अगर जहरी नमाज़ या'नी जिस में बुलन्द अवाज़ से क़िरअत करना वाजिब है, उसमें आहिस्ता आवाज़ से पढ़ा, तो सजद-ए-सह्व वाजिब नहीं." (दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफहा-५४)

ख़िलाफ़े तरतीब अफ़आले-नमाज़

अदा करने से सजद-ए-सह्व वाजिब

होने के ज़रूरी मसाइल

परअता

“ नमाज़ में जो काम ‘बित्तरतीब-तय-शुदा’ (क्रमानुसार नियुक्त) हैं, उनमें तरतीब (पद्धति-Method) वाजिब है. अगर किसी से ख़िलाफ़े-तरतीब (क्रम विरुद्ध) फैल (काम) हुआ, तो उस पर सजद-ए-सह्व वाजिब है, मस्लन क़िरअत से पहले रूकूअ कर दिया तो अब ज़रूरी है कि उस रूकूअ के बाद क़िरअत कर ले और दूसरी मरतबा रूकूअ करे.

अगर रूकूअ के बाद क़िरअत न की और सजदे में चला गया, तो नमाज़ फ़ासिद हो गई, क्योंकि क़िरअत करने का फ़र्ज ही तर्क हो गया (छूट गया). और अगर रूकूअ के बाद क़िरअत तो की मगर दूसरी मरतबा रूकूअ न किया, तो भी नमाज़ फ़ासिद हो गई. क्योंकि पहले रूकूअ के बाद क़िरअत करने की वजह से पहला रूकूअ साक़ित (निर्मूल्य) हो गया, लिहाज़ा क़िरअत के बाद अज़ सरे नौ (फ़िर से) रूकूअ करना लाज़मी था. लिहाज़ा इस सूरत (परिस्थिति) में रूकूअ से वापस पलट कर क़िरअत करे और क़िरअत के बाद अज़ सरे नौ रूकूअ करे और नमाज़ के आख़िर में सजद-ए-सह्व करे.”

(रदुदुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफ़हा-५१)

परअता

“ वित्र की नमाज़ में दुआ-ए-कुनूत या तकबीरे कुनूत या'नी क़िरअत के बाद कुनूत के लिये जो तकबीर कही जाती है, वोह भूल गया, तो सजद-ए-सह्व करे.” (आलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४ सफ़हा-५३)

परअता

“ जो शख्स कुनूत भूल कर रूकूअ में चला गया उसे जाइज़ नहीं कि फिर से रूकूअ से कुनूत की तरफ पलटे, बल्कि हुक्म येह है कि नमाज़ ख़त्म करके आख़िर में सजद-ए-सह्व करे.

अगर वित्र नमाज़ की जमाअत में इमाम कुनूत का पढ़ना भूल गया और रूकूअ में चला गया, तो मुक़तदी भी इमाम के साथ रूकूअ में चला जाए. अगर मुक़तदी ने इमाम को याद दिलाने के लिये तकबीर कही या'नी लुक़मा दिया, ताकि इमाम रूकूअ से कुनूत की तरफ पलट आए, तो मुक़तदी का येह लुक़मा देना ना-जाइज़ औद (पलटने-Return) के लिये था, लिहाज़ा लुक़मा देने वाले मुक़तदी की नमाज़ फ़ासिद हो गई. कुनूत पढ़ने के लिये रूकूअ छोड़ने की हरगिज़ इजाज़त नहीं. रूकूअ से कुनूत की तरफ पलटना गुनाह है.”

(दुर्रे मुख़्तार, रदुदुल मोहतार, फ़तावा रज़वीया जिल्द-३, सफ़हा-६४५/६४८)

परअता

“ दोनों ईद की नमाज़ में इमाम सब या बा'ज़ (कुछ) तकबीरें (या'नी तकबीराते-ज़ाइद-Extra) भूल गया, या छै: (६) से ज़ियादा तकबीरें कहीं, या ग़ैर महल में कहीं या'नी तकबीरों को उनके मक़ाम (स्थान) से हटकर कही, तो इन तमाम सूरतों में सजद-ए-सह्व वाजिब है”

(आलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफ़हा-५३)

परअता

“ ईदैन में इमाम अगर पहली रकअत में तकबीरे-रूकूअ या'नी रूकूअ में जाने की तकबीर कहना भूल गया, तो सजद-ए-सह्व वाजिब नहीं और अगर

दूसरी रकअत में तकबीरे-रुकूअ कहना भूल गया तो सजद-ए-सह्व वाजिब है.”
(हवाला : सदर, Ditto)

रुकूअ और सजदे की गलतियाँ

और सजद-ए-सह्व

परअता

“किसीने रुकूअ की जगह (स्थान) सजदा या सजदा की जगह रुकूअ किया, तो सजद-ए-सह्व वाजिब है.”

(आलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफहा-५३)

परअता

“अगर किसी ने एक (१) रकअत में दो (२) मरतबा रुकूअ किया, तो सजद-ए-सह्व वाजिब है क्योंकि एक (१) रकअत में सिर्फ एक ही रुकूअ करना वाजिब है, एक के बदले दो (२) रुकूअ करने की वजह से वाजिब तर्क हुआ, लिहाजा सजद-ए-सह्व वाजिब हुआ.” (बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-७५)

परअता

“ इसी तरह किसीने एक रकअत में दो (२) के बजाए (बदले) तीन (३) सजदे किए, तो सजद-ए-सह्व वाजिब है.”

(फतावा रजवीया, जिल्द-३, सफहा-६४६)

परअता

“ अगर रुकूअ में ‘सुब्हाना-रब्बीयल-अजीम’ की जगह पर (बदले) ‘सुब्हाना-रब्बीयल-आला’ कहे दिया, या सजदे में ‘सुब्हाना-रब्बीयल-आला’ के बदले ‘सुब्हाना-रब्बीयल-अजीम’ कहे दिया, या रुकूअ से उठते वक्त ‘समिअल्लाहो-लेमन-हमेदह’ की जगह ‘अल्लाहो-अकबर’ कह

दिया, तो सजद-ए-सह्व की अस्लन (सदंतर) हाजत नहीं. नमाज़ हो गई.”
(फतावा रजवीया, जिल्द-३, सफहा-६४७)

का'दा की गलतियाँ और सजद-ए-सह्व

परअता

“ फर्ज, वित्र और सुन्नते-मोअक्केदा नमाज़ के का'द-ए-उला में तशहहुद (अत्तहिय्यात) के बाद अगर सिर्फ “अल्लाहुम्मा-सल्ले-अला-मुहम्मदिन” या ‘अल्लाहुम्मा-सल्ले-अला-सय्येदेना’ कहे लिया, तो अगर यह कहना सहवन (भूल कर) है, तो सजद-ए-सह्व वाजिब है, और अगर अमदन (जान बूज़ कर) है, तो नमाज़ का एआदा करे. और यह उस वजह से नहीं कि दरूद शरीफ पढ़ा बल्कि इस वजह से है कि तीसरी रकअत के कयाम में, जो फर्ज है, उसमें ताखीर (विलंब) हुई और फर्ज में ताखीर होने की वजह से सजद-ए-सह्व लाज़िम (वाजिब) होता है, लिहाजा अगर किसी ने का'द-ए-उला ‘अत्तहिय्यात’ के बाद कुछ भी नहीं पढ़ा बल्कि “अल्लाहुम्मा-सल्ले-अला-मुहम्मदिन’ पढ़ने के वक्त की मिकदार चुप बैठा रहा, तो भी सजद-ए-सह्व वाजिब है.”

(दुर्रे मुख्तार, रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफहा-५३, और फतावा रजवीया जिल्द-३, सफहा-६३६)

परअता

‘नवाफिल और सुन्नते-गैर-मोअक्केदा (असर और इशा के फर्ज के पहले की सुन्नते) में का'द-ए-उला में अत्तहिय्यात के बाद दरूद शरीफ और दुआ-ए-मासूरा पढ़ने से भी सजद-ए-सह्व वाजिब नहीं होगा, बल्कि अत्तहिय्यात के बाद दरूद शरीफ वगैरह पढ़ना मस्नून (सुन्नत) है.”

(दुर्रे मुख्तार, सिराज्या, आलमगीरी, काज़ी खान, फतावा रजवीया, जिल्द-३, सफहा-४६९)

परअता

“ अगर काद-ए-उला में एक से ज़ियादा (चंद) मरतबा तशहहुद (अत्तहिय्यात) पढ़ा, तो सजद-ए-सह्व वाजिब है.”

(आलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफहा-५३)

परअता

“ हर का'दे में पूरा तशहहुद (अत्तहिय्यात) पढ़ना वाजिब है, अगर एक (१) लफ्ज़ (शब्द-Word) भी छूटा तो तर्के-वाजिब होने की वजह से सजद-ए-सह्व वाजिब होगा, चाहे नफ़ल नमाज़ हो या फर्ज़ नमाज़ हो.”

(आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफहा-५३)

परअता

“ अगर का'दा में अत्तहिय्यात की जगह भूल कर सू-ए-फतेहा पढ़ी, तो सजद-ए-सह्व वाजिब है.”

(आलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफहा-५३, फतावा रज़वीया जिल्द-३, सफहा-१३४ और अलमल्फूज़ हिस्सा-३, सफहा-४३)

परअता

फर्ज़, वित्र या सुन्नते-मोअक्केदा का का'द-ए-उला भूल गया और तीसरी रकअत के लिये खड़ा हो गया. अगर सीधा खड़ा हो गया, तो अब का'दा के लिये न लौटे बल्कि नमाज़ पूरी करे और आखिर में सजद-ए-सह्व करे.”

(दुर्रे मुख़्तार, गुन्या शरहे मुन्या, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफहा-५१, फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-६३४)

परअता

“ नफ़ल नमाज़ का हर का'दा काद-ए-अख़िरा है या'नी फर्ज़ है. अगर चार (४) रकअत की निय्यत बांधकर नफ़ल नमाज़ पढ़ रहा है और दो (२) रकअत के बाद का'दा करना भूल गया और तीसरी रकअत के लिये खड़ा हो

गया, अगरचे बिल्कुल सीधा (Straight) खड़ा हो गया है, तो जब तक उस रकअत का सजदा न किया हो, लौट आए और सजद-ए-सह्व करे.”

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफहा-५२)

परअता

“ इमाम के साथ जमाअत से नमाज़ पढ़ने वाला मुक्तदी का'द-ए-उला में बैठना भूल गया और तीसरी रकअत के लिये सीधा खड़ा हो गया, तो ज़रूरी है कि वोह मुक्तदी का'दा में लौट आए और इमाम की मुताबेअत (ताबेदारी) करे, ताकि इमाम की मुख़ालेफत (विरूद्धता-Opposition) का इस्तेकाब (आचरण) न हो.”

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफहा-५१)

नोट :

“इस मुक्तदी को अकैले सजद-ए-सह्व करने की ज़रूरत नहीं. इमाम के साथ दोनों सलाम फ़ैरकर नमाज़ पूरी करे.”

परअता

“ फर्ज़ नमाज़ में अगर का'द-ए-अख़िरा भूल गया और खड़ा हो गया, तो जब तक उस रकअत का सजदा नहीं किया, का'दे में वापस लौट आए और सजद-ए-सह्व करे. और अगर उस रकअत का सजदा कर लिया, तो सजदे से सर उठाते ही, वोह फर्ज़ अब नफ़ल में मुन्तकिल (परिवर्तित-Trans-pose) हो गए, लिहाज़ा मगरिब के इलावा और (अन्य) नमाज़ों में एक रकअत मज़ीद (विशेष-Further) मिलाए, ताकि रकअतों की ता'दाद (संख्या-Number) ताक़ (ऐकी संख्या/विषम-Odd) न रहे, बल्कि शुफ़अ या'नी जुफ़्त (बेकी संख्या-Even) हो जाए. मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज़ के फर्ज़ के आख़री का'दा में बैठना भूल गया और पांचवी रकअत का सजदा कर लिया, तो अब एक रकअत मज़ीद (अधिक-Additional) मिलाए या'नी

छटी (६) रकअत भी पढ़े. अब यह तमाम की तमाम रकअतें नफ़्ल के हुकम में हैं, छै: (६) रकअत पूरी करके सजद-ए-सहव करे. लेकिन अगर मग़रिब की नमाज़ में आख़िरी का'दा भूल गया और चौथी रकअत के लिये खड़ा हो गया, तो चार (४) रकअत पर इक़तफ़ा (परितृप्ति-Contentment) करे और पांचवी न मिलाए.”

(दुर्रे-मुख़्तार, रददुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफ़हा-५२)

परअला

“ अगर इमाम काद-ए-अख़िरा तशह-हुद की मिक्दार करने के बाद भूल कर खड़ा हो गया, तो मुक़तदी उसका साथ न दें बल्कि बैठे हुए इन्तिज़ार करें कि इमाम का'दा में वापस लौट आए, अगर इमाम का'दा में वापस लौट आया तो मुक़तदी उसका साथ दें और अगर इमाम वापस न लौटा और मज़ीद रकअत का सजदा कर लिया, तो मुक़तदी सलाम फ़ैर कर नमाज़ पूरी कर दें.”

(हवाला : सदर, Ditto)

मस्बूक मुक़तदी के लिये सजद-ए-सहव के

तअल्लुक से निहायत ज़रूरी मसाइल

परअला

“ मस्बूक मुक़तदी या'नी वोह मुक़तदी जो जमाअत में बाद में शामिल हुआ और उसकी कुछ रकअत या रकअतें छूट गई हों, उस मस्बूक मुक़तदी ने इमाम के साथ सजद-ए-सहव किया और इमाम के सलाम फ़ैरने के बाद जब अपनी फ़ौत शुदा (छुटी हुई) रकअतें पढ़ने खड़ा हुआ, तो अगर

उस में भी सहव वाक़ेअ हुआ या'नी ग़लती हुई, तो अपनी नमाज़ के आख़िर में सजद-ए-सहव करे.”

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअत, हिस्सा, सफ़हा-५४)

परअला

“मस्बूक मुक़तदी जब तक अपनी फ़ौत शुदा (छुटी हुई) नमाज़ अदा न कर ले, उस वक़्त तक उसे सलाम फ़ैरना ममनूअ (प्रतिबन्धित-Forbidden) है. इमाम ने सजद-ए-सहव के लिये एक तरफ सलाम फ़ैरा, तो मस्बूक मुक़तदी उस सलाम में इमाम की मुताबेअत (पैरवी-Follow) नहीं कर सकता. इलावा अज़ीं सजद-ए-सहव करने के बाद नमाज़ ख़त्म (पूरी) करने के लिये इमाम जो सलाम फ़ैरेगा, उस में भी मस्बूक मुक़तदी इमाम के साथ सलाम नहीं फ़ैर सकता.

अल मुख़्तसर ! इमाम सजद-ए-सहव से पहले और सजद-ए-सहव कर लेने के बाद जो सलाम फ़ैरता है, इन दानों सलामों में मस्बूक मुक़तदी ने अगर क़स्दन (जान बूज़ कर) शिरकत (Adherence) की, तो उसकी नमाज़ जाती रहेगी, क्योंकि यह सलाम अमदी (इरादा पूर्वक-Purposely) है और इसके सबब (कारण) से नमाज़ में ख़लल (भंग-Interruption) वाक़ेअ हुआ.

और अगर मस्बूक मुक़तदी ने सहवन (भूल कर) इमाम के साथ सलाम फ़ैर दिया, तो उसकी नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी, बल्कि अगर मस्बूक मुक़तदी ने इमामके सजद-ए-सहव से पहले वाले या बाद वाले किसी भी सलाम में सहवन (भूल से) इमाम से पहले या इमाम के साथ मअन (बिला वक़फ़ा) या'नी इमाम के बिल्कुल साथ-साथ सलाम फ़ैरा तो मुक़तदी पर सजद-ए-सहव भी लाज़िम नहीं, क्योंकि वोह हुनूज़ (अभी तक-Still) मुक़तदी है और मुक़तदी पर

खुद अपने सहव (ग़लती) की वजह से सजद-ए-सहव लाज़ीम नहीं।

अलबत्ता ! अगर मस्बूक मुक्तदी ने इمام के सजद-ए-सहव के बाद वाले या'नी नमाज़ पूरी करने के लिये इمام ने जो आखिरी सलाम फ़ैरा, उस सलाम के बाद या'नी इمام के सलाम फ़ैरने के कुछ वक्फ़ा (क्षणिक रूकना-Slight Refraining) के बाद सहवन (भूलकर) सलाम फ़ैरा, तो उस पर दोबारा (Again) सजद-ए-सहव वाजिब है। अगरचे वोह इمام के साथ सजद-ए-सहव कर चुका है, लिहाज़ा वोह अपनी नमाज़ के आखिर में सजद-ए-सहव करे, क्योंकि इمام के सलाम फ़ैरने के कुछ वक्फ़ा बाद उसने सलाम फ़ैरने की जो भूल की, तब वोह मुन्फरिद हो चुका था, और मुन्फरिद या'नी अकैले नमाज़ पढ़ने वाले पर खुद अपने सहव (ग़लती) की वजह से सजद-ए-सहव लाज़ीम होता है।

एक अहम जुज़्या (नियम का सिद्धान्त-Rule of Principal) अच्छी तरह याद रखें कि मस्बूक मुक्तदी इمام के सजद-ए-सहव में इمام की पैरवी (अनुकरण) कर सकता है, लेकिन सजद-ए-सहव के सलाम में इمام की पैरवी नहीं कर सकता।”

(हवाला : ख़ज़ानतुल मुफतीन, हुलया शरहे मुन्या, हाशिया मुराक़ियुल फ़लाह, बहरूर राइक़, फ़तावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-६३४)

प्रकरण
(१६)

‘मुसाफ़िर की नमाज़ का ब्यान’

- ◆ “ हर शख्स को कहीं न कहीं सफर (प्रवास-Travelling) करने का इतेफ़ाक़ होता है। नमाज़ एक ऐसा फ़रीज़ा (कर्तव्य-Duty) है कि हज़र (उपस्थिति-Presence) हो या सफर, हर हालत में उसे अदा करना है। अलबत्ता सफर की नमाज़ में रिआयत (छूटछाट-Remission) दी गई है और सफर में ‘क़स्’ नमाज़ पढ़ने की आसानी दी गई है।”
 - ◆ “सफर की हालत में ज़ोहर, अस्र और इशा या'नी चार (४) रकअत वाली फ़र्ज़ नमाज़ में ‘क़स्’ (घटाना-Diminution) करने का हुक्म है या'नी चार (४) रकअत फ़र्ज़ के बदले दो (२) रकअत फ़र्ज़ पढ़ने का हुक्म है। हालते-सफर में सुन्नते पूरी पढ़ी जायेंगी और अगर उजलत (जल्दी-Haste) है, तो सुन्नते माफ़ (मुक्ति-Exemption) हैं।”
 - ◆ “ शरअन वोह शख्स (व्यक्ति) मुसाफ़िर है, जो तीन (३) दिन की राह तक जाने के इरादे से अपनी बस्ती से सफर करने के लिये बाहर निकला हो। तीन (३) दिन की राह से मुराद साढ़े सत्तावन (57½) मील (माइल-Mile) की मुसाफ़त (अंतर) है या'नी कोई शख्स अपनी बस्ती से साढ़े सत्तावन मील (57½ Miles) की मुसाफ़त के सफर को रवाना हुआ, वोह मुसाफ़िर है और वोह क़स् नमाज़ पढ़ेगा।”
- (बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफ़हा-७६, फ़तावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-६६७)
- ◆ “साढ़े सत्तावन मील (57½ Mile) के ९२.५४ किलोमीर होते हैं। मुन्दरजा ज़ैल (निम्नलिखित) हिसाब मुलाहिज़ा फरमाए :-

◆ 1 Mile = 1.60934 K.m.

◆ 57.5 Mile = 92.53705 K.M. = Say 92.54 K. M.

सफर में नमाज़ क़स्र करने के तअल्लुकसे चन्द अहादीसे-करीमा पेशे-
ख़िदमत हैं :-

हदीस

“बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में उम्मुल मो'मेनीन हज़रत सय्येदेतुना
आएशा सिद्दीका रदीय्यल्लाहो तअ़ाला अन्हा से मर्वी है, फरमाती हैं कि;
“नमाज़ दो (२) रक़त फर्ज़ की गई. फिर हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला
अलैहे वसल्लमने हिज़रत फरमाई. तो चार (४) कर दी गयीं और सफरकी
नमाज़ उस पहले (पूर्व-Previous) फर्ज़ पर रखी गई.”

हदीस

“सहीह मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदीय्यल्लाहो तअ़ाला
अन्हो से रिवायत है, वोह फरमाते हैं कि; “ अल्लाह तबारक व तअ़ाला ने
नबी-ए-करीम सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम की ज़बानी (द्वारा) हज़र
(घर पर हाज़िर होना) में चार (४) रक़त फर्ज़ फरमाई और सफर में दो (२)
रक़त फर्ज़ की.”

हदीस

“ इब्ने माजा ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदीय्यल्लाहो तअ़ाला अन्हो
से रिवायत की कि रसुलुल्लाह सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम ने सफर
की नमाज़ दो (२) रक़तों मुक़रर (Fix) फरमाई और येह पूरी (संपूर्ण-
Complete) हैं, कम नहीं, या'नी अगरचे ब-ज़ाहिर दो (२) रक़तों कम हो
गई मगर सवाब में येह दो (२) रक़तों चार (४) के बराबर (समान) हैं.”

सफर की नमाज़ के मुतअल्लिक

ज़रूरी मसाइल

मस्बूत

“ मुसाफिर पर वाजिब है कि वोह क़स्र नमाज़ पढ़े या'नी चार (४)
रक़त फर्ज़ वाली नमाज़ में सिर्फ दो (२) रक़त फर्ज़ पढ़े अगर दीद-ओ-
दानिस्ता (जान बूज़ कर) सवाब ज़ियादा मिलने की निय्यत से पूरी नमाज़
पढ़ेगा, तो गुनाहगार और अज़ाब का हक़दार होगा. हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो
तअ़ाला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; “ सदक़तुन-तसदकुल्लाहो-
बेहा-अलयकुम-फ-अक़बेलू-सदक़तहु” (अनुवाद) “ वोह सदक़ा है या'नी
आसानी है. अल्लाह तअ़ाला तुम पर सदक़ा (आसानी) फरमाता है, तो अल्लाह
का सदक़ा कुबूल (स्वीकार) करो.”

(हवाला : दुर्गे मुख़्तार, हिदाया, आलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४,
सफहा-७७, फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-६६७)

मस्बूत

“ जिस शख़्स पर शरअन क़स्र है, और उसने जिहालत (अज्ञानता-
Ignorance) की वजह से पूरी नमाज़ पढ़ी, तो उस पर मुवाख़ेज़ा
(कठोर शिक्षा-Chastising) है और उस नमाज़ को फिर से पढ़ना
वाजिब है.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-६६९)

मस्बूत

“ सिर्फ ज़ोहर, अस्स और इशा के फर्ज़ों में क़स्र है, फज़ और मग़रिब के
फर्ज़ों में क़स्र नहीं. इलावा अर्ज़ी सुन्नतों में भी क़स्र नहीं, अगर मुसाफिर
सुन्नतें पढ़े, तो पूरी पढ़े. अलबत्ता, ख़ौफ और रवा रवी या'नी सफर की जल्दी

(Hurriedness) की हालत में सुन्नतें माफ हैं. अमन और इत्मीनान (शान्ति, स्वस्थता-Tranquility) की हालत में सुन्नतें पढ़ी जायें और पूरी पढ़ी जायें.”

(आलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफहा-७८)

परबन्दा

“अपने मक़ाम (स्थान-Place) से 57½ मील (92.54 K.M.) के फासले (अंतर-Distance) पर अलल इत्तेसाल (संलग्न-Successively) जाने और वहां जाकर पन्द्रह (१५) दिन ठहेरने का इरादा न हो, तो क़स्र करे. अगर अपने मक़ाम से साढ़े सत्तावर (57½) मील के फासले पर अलल-इत्तेसाल या'नी मुतवातिर (अविशत-Continue) जाना मक़सूद (प्रयोजना-Intention) नहीं, बल्कि राह (मार्ग) में कहीं ठहेरते हुए जाना मक़सूद है, या जहां जा रहा है, वहां पन्द्रह (१५) दिन कामिल (पूरे-Complete) ठहेरने का इरादा है, तो अब वोह मुसाफिर के हुक्म में नहीं, लिहाज़ा वोह पूरी नमाज़ पढ़े.’

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-६६९)

परबन्दा


“अगर किसी जगह जाने के दो (२) रास्ते हों, एक से शरई सफर की मुसाफत (अंतर) है और दूसरे से नहीं, तो जिस रास्ते से जाएगा, उसका ए'तबार है, अगर नज़दीक वाले रास्ते से गया तो मुसाफिर नहीं, और अगर दूर वाले रास्ते से गया तो मुसाफिर है. अगर चे दूर वाला रास्ता इख़्तियार करने में उसकी कोई सहीह ग़रज़ भी न हो.”

(आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार, रददुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफहा-७६)

इस मस्अले को मुन्दरजा ज़ैल (निम्नलिखित) मिसाल से समजें.

मिसाल (दृष्टान्त-Example)

“फर्ज़ करो (धारो-Suppose) कि शब्बीर और तौसीफ नाम के दो (२) शख्स पोरबन्दर से धोराजी गए, लैकिन दोनों ने अलग-अलग रास्ते इख़्तियार (पसन्द-Choose) किए. इन दोनों रास्तोंमें से एक रास्ता छोटा या'नी कम मुसाफत (लघु अंतर-Short Distance) का है और दूसरा लम्बा है. मस्लन :-



इस सूरत में शब्बीर पर क़स्र नहीं और तौसीफ पर क़स्र है, हालांकि दोनों एक ही शहर पोरबंदर से चले और एक ही शहर धोराजी गए. लैकिन दोनों ने अलग-अलग मुसाफत (अंतर-Distance) वाले रास्ते इख़्तियार किए, लिहाज़ा दोनों के लिये अलग-अलग हुक्म है. शब्बीर मुसाफिर के हुक्म में नहीं जबकि तौसीफ मुसाफिर के हुक्म में है.”

परबन्दा

“साढ़े सत्तावर ५७१/२ मील (92.54 K.M.) की मुसाफत अलल इत्तेसाल तय (पार-Cross) करने से आदमी (व्यक्ति) शरअन मुसाफिर हो जाता है, येह हुक्म मुत्लक (व्यापक-Common) है. फिर चाहे उस का सफर जाइज़ काम के लिये हो या ना-जाइज़ काम के लिये हो. हर हाल में उस पर

मुसाफिर के अहेकाम (नियम) जारी होंगे (लागू होंगे).”

(बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफहा-७७)

परअला

“ साढ़े सत्तावन मील (92.54 K.M.) या उस से ज़ियादा की मुसाफत (अंतर) के सफर की गरज़ (इरादे) से रवाना होनेवाला अपने शहर की आबादी से बाहर (Out) होते ही उस पर मुसाफिर के अहेकाम नाफिज़ (लागू-Applied) हो जायेंगे. अपने शहर की आबादी से बाहर निकल कर वोह क़स् नमाज़ पढ़ेगा. और जहां जा रहा है वहां पन्द्रह (१५) दिन या ज़ियादा ठहरने की निय्यत और इरादा है फिर भी दौराने सफर (मार्ग में) वोह क़स् नमाज़ ही पढ़ेगा और जहां जा रहा है उस मक़ाम की आबादी आते ही मुक़ीम हो जाएगा और अब वोह पूरी नमाज़ पढ़ेगा.”

(आलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफहा-७८)

परअला

“ अगर सफर के टुकड़े (भाग-Part) करता हुआ चला और उन टुकड़ों में से कोई टुकड़ा ५७१/२ मील (92.54 K. M.) का या उससे ज़ियादा की मुसाफत का नहीं, तो इस तरह अगर सैकड़ों मील का सफर करेंगे, जब भी वोह मुसाफिर के हुक्म में नहीं. मिसाल के तौर पर एक शख्स बम्बई से रवाना हुआ, पछत्तर (७५) किलोमीटर पर एक शहर में एक दिन क़याम किया और अपना काम किया. फिर वहां से चला और वहां से अस्सी (८०) किलोमीटर के फ़ासले पर आए हुए दूसरे शहर में ठहरा और अपना काम किया. इस तरह वोह ठहरता हुआ सफर करता रहा. राह (मार्ग) में कई मक़ाम पर ठहरा और अपना काम अंजाम दिया और इस तरह सफर करते हुए वोह अपने सफर के आगाज़ के मक़ाम (Starting Point) से सैकड़ों मील (mile) दूरी तक पहुंच गया,

इसके बावजूद भी शरअत वोह मुसाफिर के हुक्म में नहीं, वोह अपनी नमाज़ पूरी पढ़ेगा, उसे क़स् करना जाइज़ नहीं. (जुज़या, संदर्भ : गुन्या शरहे मुन्या, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफहा-७७)

परअला

“ सफर करने वाले पर शरअन मुसाफिर के अहेकाम (नियम-Rule) सिर्फ उस सूरत (परिस्थिति) में नाफिज़ होंगे, जब कि उसकी निय्यत सच्चे अज़ूम (प्रयोजन-intention) और इरादे पर महमूल (आधारित) हो, अगर किसी मक़ाम पर पहुंच कर पन्द्रह (१५) दिन या ज़ियादा ठहरने की निय्यत भी की और उसे मा'लूम है कि मुज़े मन्द्रह (१५) दिन से पहले यहां से चला जाना है, तो येह निय्यत न हुई बल्कि महज़ तख़य्युल (फ़क्त अनुमान-Supposing) हुआ. मिसाल के तौर पर एक शख्स हज के इरादे से ज़िलहिज्जह महीने की पहली तारीख़ (दिनांक) को मक्का मोअज़्ज़मा पहुंचा और उसने मक्का मोअज़्ज़मा में पन्द्रह (१५) दिन ठहरने की निय्यत की, तो उस की निय्यत का ए'तबार (विश्वास-Belief) नहीं, क्योंकि उसे नौ (९) और दस (१०) ज़िल हिज्जा को अरफात, मिना और मुज़दल्फा नाम के मक़ाम में अरकाने-हज्ज अदा करने के लिये मक्का मोअज़्ज़मा से ज़रूर (अवश्य-Definite) निकलना पड़ेगा. मक्का मोअज़्ज़मा में पन्द्रह दिन मुत्तसिल (सतत-Continual) ठहरना मुम्किन (Possible) ही नहीं. इस सूरत में उसे क़स् नमाज़ पढ़नी होगी. अलबत्ता अरफात और मिना से वापसी के बाद निय्यत करे तो सहीह है.”

(ब: हवाला : आलमगीरी, मे'राजुल दराया, दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफहा-८०, फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-६६४)

परअला

“ इसी तरह साढ़े सत्तावन मील (92.54 K.M.) से कम अंतर तक जाने का अज़ूम (प्रयोजना) है, और घरसे निकले वक्त साढ़े सत्तावन मील की निय्यत की ताकि आबादी से निकलते ही असना-ए-राह (मार्ग में-During the Road) से ही क़स्स नमाज़ की सहूलियत (सगवड-Facility) की इजाज़त मिल जाए, तो येह निय्यत नहीं बल्कि ख़याल बन्दी है. इस सूरत में उसे क़स्स नमाज़ की इजाज़त नहीं.”

(हवाला : सदर-Ditto)

परअला

“ मुसाफ़िर अपने काम के लिये किसी ऐसे मक़ाम पर गया जो शरअन सफ़र की मुसाफ़त पर है या'नी साढ़े सत्तावन मील (92.54 K. M.) या उससे ज़ियादा के फासले (अंतर-Distance) पर है. और वहां उसने पन्द्रह (१५) दिन ठहेरने की निय्यत नहीं की, बल्कि पन्द्रह (१५) दिन से कम ठहेरने की निय्यत की, क्योंकि उसे गुमान और उम्मीद (अपेक्षा/आशा) थी कि मेरा काम दो (२) चार (४) दिन में हो जाएगा और उसका इरादा येह है कि काम हो जाते ही चला जाऊंगा और उसका काम आज हो जाएगा ... कल हो जाएगा... की सूरत (परिस्थितिज़ में है और आज/कल... आज/कल.....करते करते अगर साल (वर्ष) दो साल भी गुज़र जाअें, जब भी वोह मुसाफ़िर है, मुक़ीम (स्थायी) नहीं, लिहाज़ा क़स्स करे.”

(आलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफ़हा-८०)

परअला

“ अगर किसी ने अपने वतने-अस्ली से दूसरी जगह मस्कन (वसवाट-Residence) किया और अपने बीवी बच्चों को भी उस मस्कन में आरज़ी (हंगामी-Temporary) तौर पर अपने साथ रखा है, तो वोह जगह उसके

लिये 'वतने-अस्ली' के हुकम में नहीं, लिहाज़ा वोह जब भी वहां आएगा और पन्द्रह दिन (15 Days) से कम ठहेरने की निय्यत करेगा, तब उस पर क़स्स नमाज़ वाजिब है, वोह नमाज़ पूरी नहीं पढ़ेगा. और अगर पन्द्रह (१५) दिन या ज़ियादा ठहेरने की निय्यत है तो अब मुक़ीम है, लिहाज़ा अब वोह पूरी नमाज़ पढ़ेगा, उसके लिये क़स्स जाइज़ नहीं.”

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-६६९)

इस मसअले को मुन्दरजा ज़ैल (निम्नलिखित-

Below) मिसाल से समज़ें.

“ नईम बम्बई का बाशिन्दा (रहेवासी) है. उसे नागपूर शहर में एक ठेका (Contract) मिला है, जो दो (२) साल की मुद्दत के लिये है और नईम को अपने ठेके की मुद्दत (Period) तक नागपूर में रहेना ज़रूरी है. लिहाज़ा नईमने अपने बीवी और बच्चोंको भी आरज़ी तौर पर अपने साथ नागपूर मुन्तक़िल (Transfer) कर दिया और वोह अपने परिवार के साथ नागपूर में रहेने लगा. और अपने ठेके का काम करने लगा.

नईम को दिल्ली के एक व्यापारी (ताज़िर) से कुछ रक़म लेनी बाकी थी, लिहाज़ा वोह अपनी रक़म की वसूली के लिये अपने आरज़ी वतन नागपूर से दिल्ली गया. दिल्ली की पार्टीने नईम से मा'ज़ेरत (क्षमा याचना) करते हुए कहा कि इस वक्त तो आपके पेमेन्ट का प्रबन्ध नहीं हो सकता, बल्कि आठ (८) दिन के बाद आपको पेमेन्ट कर सकता हूं, लिहाज़ा आप एक हफ़ते (Week) के बाद आने की तकलीफ़ करें. नईम के उस ताज़िर (व्यापारी) के साथ पुराने और गाढ़ सम्बन्ध थे, इस लिये एक हफ़ते के बाद आने का वादा तय करके दिल्ली से नागपूर वापस आ गया.

अब नईम नागपूर में एक हफ़ता ही ठहेरेगा, क्योंकि हस्बे-वा'दा (As per promise) एक हफ़ते के बाद उसे दोबारा दिल्ली जाना है. उस एक

हफ्ते के नागपुर के क़याम के दौरान नईम क़स्र नमाज़ पढ़ेगा, हालांकि वोह नागपुर में अपने मकान पर अपने बीवी-बच्चों के साथ है लेकिन नागपुर उसका 'आरज़ी मस्कन' (हंगामी निवास स्थान) है और नईम अपने आरज़ी मस्कन में दिल्ली जाने के तय शुदा (निश्चित प्रोग्राम) की वजह से सिर्फ एक हफ्ता ही ठहरने वाला है, लिहाज़ा वोह मुक़ीम नहीं बल्कि मुसाफ़िर के हुक़म में है, इसलिये उसे क़स्र नमाज़ पढ़नी होगी, क्योंकि आरज़ी मस्कन वतने-अस्ली के हुक़म में नहीं है, बल्कि वतने-इक़ामत के हुक़म में है.

वतन के अक़साम (प्रकार) और अहेक़ाम

◆ वतन दो (२) किस्म (प्रकार) का होता है :-

१. वतने अस्ली २. वतने इक़ामत

□ वतने अस्ली :

- ◆ वोह जगह है जहां उसकी पैदाइश हुई हो, या'नी वोह जगह उस का जन्म स्थान -Birth Place हो.
- ◆ अथवा जिस जगह उसके घर (परिवार) के लोग या'नी बीवी बच्चे मुस्तक़िल (क़यामी-Permanent) तौर पर रहते हों और उस जगह पर उसने दायमी सुकूनत (क़यामी निवास स्थान-Permanent Dwelling) कर ली और येह इरादा है कि इसी जगह दायमी रहूंगा और यहां से नहीं जाऊंगा.

□ वतने-इक़ामत :

- ◆ वोह जगह है, जहां मुसाफ़िर ने पन्द्रह दिन या उससे ज़ियादा ठहरने का इरादा किया हो और वहां पर वोह हंगामी (Temporary) तौर पर ठहेरा हो.

मरुअत

“ अगर किसी शख्स की दो (२) बीवियां (पत्नियां, Wives) अलग-अलग शहरों में मुस्तक़िल तौर पर रहेती हों, तो वोह दोनों जगह (शहर) उसके लिये 'वतने-अस्ली' हैं. इन दोनों जगह पहुंचते ही वोह मुक़ीम हो जाएगा और वोह नमाज़ पूरी पढ़ेगा.”

(दुरे मुख़्तार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफ़हा-८३)

मरुअत

“अगर कोई शख्स अपने घर (परिवार-Family) के लोगों को वतने-अस्ली से लेकर चला गया और दूसरी जगह सुकूनत इख़्तियार कर ली और पहली जगह में उसका मकान और अस्बाब (माल सामान-Household) वगैरह बाकी है, तो वोह पहला मकान भी उसके लिये वतने-अस्ली है और दूसरा मकान भी वतने-अस्ली है या'नी दोनों मकान वतने-अस्ली के हुक़म में हैं.”

(आलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफ़हा-८४)

मरुअत

“ बालिग़ (पुख़्त वय-Adult) शख्स के वालेदैन (मां-बाप) किसी शहर में रहेते हों और वोह शहर उस बालिग़ की जाए-पैदाइश (जन्म भूमि-Birth Place) नहीं और उस शहर में उसके बीवी-बच्चे भी न हों, तो वोह जगह (शहर) उस के लिये वतन नहीं.”

मरुअत

“औरत बियाह कर (शादी करके) सुसराल में रहेने लगी, तो अब उसका मायका (मां-बाप का घर) उसके लिये वतने-अस्ली न रहा, या'नी अगर सुसराल ५७.५४ मील (92.54 K. M.) की मुसाफ़त पर है और वोह सुसराल से अपने मायके आई और पन्द्रह (१५) दिन या ज़ियादा ठहरने की

निय्यत न हो तो नमाज़ क़स्र पढ़े.”

(बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफ़हा-८४)

मरअला

“ वतने-इक़ामत दूसरे वतने-इक़ामत को बातिल (रद-Abolish) कर देता है. या'नी एक जगह पन्द्रह (१५) दिन के इरादे से ठहरा फिर दूसरी जगह उल्टे दिन ठहरने चला गया, तो पहली जगह अब वतने-इक़ामत न रही, बल्कि दूसरी जगह वतने-इक़ामत बन गई, फिर चाहे इन दोनों जगहों के दरमियान शरई मुसाफ़ते-सफ़र हो या न हो.”

(दुर्रें मुख़्तार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफ़हा-८४)

इस मरअले को मुन्दरजा ज़ैल मिसाल से समज़ें

“ युसुफ़ पोरबंदर का रहेने वाला है. वोह पोरबंदर से राजकोट (180 K.M.) पन्द्रह दिन ठहरने के इरादे से गया. राजकोट में पन्द्रह (१५) दिन ठहर कर, वोह राजकोट से ही चालीस (४०) किलोमीटर के फ़ासले पर आए हुए शहर गोंडल गया और गोंडल में पन्द्रह दिन ठहरने की निय्यत की, तो अब राजकोट उसका वतने-इक़ामत न रहा, बल्कि गोंडल वतने-इक़ामत बन गया.”

मरअला

“ वतने-इक़ामत, वतने-अस्ली से बातिल हो जाता है. मस्लन सुहैल अहमद बम्बई का रहेने वाला है. सुहैल अहमद बम्बई से अहमदाबाद आया और अहमदाबाद में पन्द्रह (१५) दिन ठहरने की निय्यत करके अहमदाबाद को वतने-इक़ामत बनाया, और पूरी नमाज़ पढ़ता था, पांच (५) दिन के बाद उसे किसी ज़रूरी काम से सिर्फ़ एक दिन के लिये बम्बई जाना पड़ा, सुहैल अहमद के बम्बई आते ही, अहमदाबाद उसके लिये वतने-इक़ामत की हैसियत से बातिल (रद-Abolish) हो गया, सुहैल

बम्बई में अपना काम निपटाकर छठे (६) दिन फिर अहमदाबाद वापस आ गया, तो पहले के जो पांच (५) दिन वोह अहमदाबाद में ठहरा था, वोह बातिल हो गए, अगर अब दूसरी मरतबा अहमदाबाद आकर पन्द्रह (१५) दिन से कम ठहरने का इरादा है, तो अब वोह मुक़ीम नहीं, अब अहमदाबाद उसके लिये वतने इक़ामत नहीं, लिहाज़ा क़स्र नमाज़ पढ़े और अगर दूसरी मरतबा अहमदाबाद आकर पन्द्रह (१५) दिन या ज़ियादा ठहरने का इरादा है, तो अब वोह मुक़ीम है, नमाज़ पूरी पढ़े.”

(जुजूया, माखूज़ (ग्रहण-Adopted) अज़ : दुर्रें मुख़्तार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफ़हा-८४)

मरअला

“वतने इक़ामत सफ़र से भी बातिल हो जाता है मस्लन शाहुल हमीद कालीकट (केराला) का बाशिन्दा है. वोह कारोबार(Business) के सिलसिले में बम्बई आया और बम्बई में एक महीना ठहरने की निय्यत की, लिहाज़ा, बम्बई उसके लिये वतने-इक़ामत बन गया और वोह पूरी नमाज़ पढ़ता था, इस तरह बीस (२०) दिन गुज़र गए, इक्कीसवें (२१) दिन शाहुल हमीद के किसी दोस्त की शादी की बारात बम्बई से सूरत (Surat) जा रही थी, दोस्त के इस्सार (आग्रह-Stubborness) की वजह से शाहुल हमीद भी बारात के साथ सूरत गया. सुबह बारात के साथ सूरत गया और रात में फिर बम्बई वापस आ गया, इस सफ़र की वजह से अब बम्बई शाहुल हमीद के लिये वतने-इक़ामत न रहा, सूरत से वापस बम्बई आकर अब शाहुल हमीद को दस (१०) दिन के बाद अपने वतने-अस्ली कालीकट वापस जाना है, लिहाज़ा सूरत से वापस आने के बाद शाहुल हमीद बम्बई में जो दस (१०) दिन ठहरेगा, उन दस (१०) दिनों में नमाज़ क़स्र करेगा.”(जुजूया माखूज़ अज़: दुर्रें मुख़्तार, गुन्या शरहे मुन्या, रददुल मोहतार, फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-६७०)

परअिता

“मुसाफिर अपने सफर से अपने वतने-अस्ली पहुंचते ही सफर खत्म हो गया और वोह मुकीम हो गया अगरचे इक़ामत की नियत न की हो, अगरचे वतने-अस्ली में सिर्फ एक दिन के लिये ठहरे, नमाज़ पूरी पढ़े.”

(रददुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफहा-८४)

दरियाई और हवाई सफर, बस और दीगर सवारियों के सफर में नमाज़ पढ़ने के अहेकाम

- ◆ “ चलती हुई (गतिमान-Moving) सवारी (वाहन-Vehicle) पर नमाज़ पढ़ने के मसाइल को अच्छी तरह समझने के लिये अहम (ज़रूरी) जुज़या (नियम का सिद्धांत-Rule of Principal) याद रखें कि नमाज़ की दुरुस्ती के लिये सवारी (वाहन) का ‘इस्तेकरार-अलल-अर्द’ शर्त है. या’नी सवारी का ज़मीन (धरती-Land) पर ठहरना (स्थिर होना-Stable) शर्त है, अगर सवारी ज़मीन पर तो है मगर ठहरी हुई नहीं है, जैसे चलती हुई ट्रेन (Train) या ठहरी हुई तो है मगर ज़मीन पर नहीं, बल्कि पानी पर है, जैसे किनारे पर लगी हुई कश्ती या नाव (Vessel or Boat) तो इन पर बिला उज़्र नमाज़ सहीह नहीं.”
- ◆ “ सिर्फ किनारे से दूर और बीच समन्दर में चलती हुई कश्ती या बहरी जहाज़ (Steamer) पर ही चलती हुई हालत में नमाज़ सहीह है. इन नमाज़ों का एअ़ादा नहीं.”
- ◆ “किनारे से लगी हुई कश्ती या बहरी जहाज़ में, जो ज़मीन पर टिके न हों या चलती हुई ट्रेन में फर्ज़, वित्र और सुन्नते-फज़्र पढ़ी, तो उसका एअ़ादा या’नी उसको लौटाना या’नी दोबारा पढ़ना लाज़मी है.”

चलती और ठहरी हुई सवार पर

नमाज़ पढ़ने के मसाइल

परअिता

“किनारे से मीलों दूर चलने वाले जहाज़ (Steamer) या कश्ती ख़्वाह (Whether) लंगर किए हुए हों, उन पर नमाज़ जाइज़ है. और जो जहाज़ या कश्ती किनारे पर ठहरे हुए होते हैं, अगर वोह पानी पर हों, ज़मीनसे टिके न हों तो उन ठहरे हुए जहाज़, कश्ती, नाव वगैरह में फर्ज़, वित्र और फज़्र की सुन्नतें न हो सकेंगी.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-२, सफहा-१९६)

परअिता

“ चलती हुई कश्ती पर बैठकर नमाज़ पढ़ सकता है, जबकि चक्कर आने (Giddiness) का गुमाने-ग़ालिब हो.”

(गुन्या शरहे मुन्या, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-६९)

परअिता

“चलती हुई कश्ती पर नमाज़ पढ़े, तो तकबीरे-तहरीमा के वक़्त किब्ला की तरफ मुंह करे, और जैसे जैसे कश्ती घुमती जाए, येह नमाज़ी भी अपना मुंह फ़ैरता चला जाए, अगरचे वोह नफ़्ल नमाज़ पढ़ रहा हो.”

(गुन्या शरहे मुन्या, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-५०)

परअिता

“ दो (२) कश्तियां बाहम (एक दूसरे के साथ) बंधी हुई हैं. एक पर इमाम है और दूसरी पर मुक़तदी है, तो इक़तिदा सहीह है और अगर जुदा (Separate) हों, तो इक़तिदा सहीह नहीं.”

(दुरे मुख़ार, रददुल मोहतार, बहारे-शरीअत हिस्सा-३, सफहा-११२)

परअदा

“किनारे पानी पर ठहेरी हुई कश्ती से उतर कर जो शख्स खुशकी (ज़मीन) पर नमाज़ पढ़ सकता है, उसकी ऐसी कश्ती पर नमाज़ होगी ही नहीं.”

(हवाला : सदर -Ditto)

“क्योंकि वोह कश्ती पानी पर ठहेरी हुई है. “इस्तिकरार-अलल-अर्द” या’नी ज़मीन पर ठहेरी हुई (स्थिर-Stable) नहीं और सेहते-नमाज़ के लिये इस्तिकरार अलल अर्द शर्त है.”

परअदा

“कभी-कभी ऐसा होता है कि कश्ती किसी बंदरगाह (Port) पर ठहेरी. कश्ती में काम करने वाले कश्ती से नीचे उतर कर खुशकी में नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उस बंदरगाह के हुक्म (Custom) और हुकूमत के मुन्तज़ेमीन कश्ती से उतरने नहीं देते. ऐसी सूरत में कश्ती वालों के लिये हुक्म है कि वोह कश्ती पर ही पंजगाना नमाज़ पढ़ लें और फिर जब मौका मिले, तब उन सब नमाज़ों का एआदा करें. फतावा रज़वीया शरीफ में है कि;

“किनारे पर ठहेरे हुए जहाजों पर नमाज़े-पंजगाना (पांचो वक़्त) के फ़र्ज़, वित्र व सुन्नते-फज़्र भी नहीं हो सकते कि उनका इस्तेकरार (ठहेरना) पानी पर है और इन नमाज़ों की शर्ते-सेहत इस्तेकरार अलल अर्द मगर बहालते-तअज़्जुर (या’नी उज़्र - Reason होने की हालत में)

“इस सूरत में अगर जबरन (निर्दयता-Oppressively) न उतरने देते हों, तो पंजगाना पढ़ें, और उतरने के बाद सब का एआदा करें. “ले-अन्नल-मानेआ-मिन-जेहतिल-इबादे”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-७५७)

परअदा

“फ़र्ज़, वाजिब और सुन्नते-फज़्र चलती हुई रेल (ट्रेन) में नहीं हो सकती. अगर रेल न ठहेरे और नमाज़ का वक़्त निकल जा रहा हो, तो चलती ट्रेन में पढ़ ले, और फिर ‘इस्तेकरार’ (या’नी ट्रेन के ठहेरने) पर नमाज़ का एआदा करे.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-४४)

परअदा

“इसी तरह चलती ट्रेन, बस (Bus) और दीगर सवारियों (वाहन-Vehicle) में अगर खड़ा होकर नमाज़ पढ़ना मुम्किन (शक्य-Possible) नहीं, तो बैठकर नमाज़ पढ़ ले, लेकिन फिर बाद में नमाज़ का एआदा करे.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-१, सफहा-६२७)

“जब चलती हुई कश्ती पर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है, तो चलती हुई ट्रेन और दीगर (अन्य) सवारियों पर नमाज़ पढ़ना क्यों मना है ? इस सवाल का तसल्ली बख़्श (संतोषकारक) जवाब और इस मस्अले की वज़ाहत (स्पष्टीकरण-Explanation)”

एक अहम तहकीक और जुज़या की वज़ाहत क़ारेईन-किराम (आदरणीय वांचक वर्ग) की ख़िदमत में मस्अले की इफहाम (समज़ाने) की निव्यते-सालेह से अर्जे-ख़िदमत है कि समन्दर (समुद्र) में चलती हुई कश्ती पर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है, जबकि चलती हुई ट्रेन में नमाज़ पढ़ना मना है. इसी तरह रेलवे स्टेशन या किसी मक़ाम

पर ठहेरी हुई ट्रेन पर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है, जबकि किनारे (सागर का किनारा-Coast) पर ठहेरी हुई कश्ती पर नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं.

हो सकता है कि किसी के दिल में येह शुब्ह (संदेह-Doubt) और दिमाग़ में येह सवाल पैदा होने का इम्कान (शक्यता-Possibility) है कि;

- ◆ “ जब चलती हुई कश्ती पर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है, तो चलती हुई ट्रेन पर भी नमाज़ पढ़ना जाइज़ होना चाहिये.”
- ◆ “ इसी तरह जब स्टेशन पर या किसी मक़ाम पर ठहेरी हुई ट्रेन पर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है, तो किनारे पर ठहेरी हुई कश्ती पर भी नमाज़ पढ़ना जाइज़ होना चाहिये.”

इस का जवाब येह है कि :-

- ◆ “ चलती हुई ट्रेन पर नमाज़ पढ़ना इस लिये जाइज़ नहीं कि ट्रेन ज़मीन पर तो ज़रूर है, लैकिन चलने (Moving Condition) की वजह से उसका ज़मीन पर “इस्तेकरार-बिल - कुल्लिया” (सम्पूर्ण स्थिरता-Complete Stabilization) नहीं है, लिहाज़ा ‘नफसे-इस्तेकरार’ (स्थिरता का लक्षण-Stable Essentially) नहीं और नमाज़ की सेहत के लिये सवारी (वाहन) का इस्तेकरार-अलल-अर्द या’नी ज़मीन पर ठहेरना (स्थिर-Stable) होना शर्त है.”

बः ख़िलाफ़ चलती हुई कश्ती कि उससे नीचे उतरना मुम्किन ही नहीं. अगर बिल-फ़र्ज़ (Supposedly / मान लो कि) चलती हुई कश्ती को रोक लिया जाए, फिर भी उस का ठहेरना पानी पर होगा, न कि ज़मीन पर. इलावा अज़ीं बीच समन्दर में कश्ती से उतर कर पानी पर नमाज़ पढ़ना मुम्किन ही नहीं. लिहाज़ा, कश्ती का चलना और ठहेरना दोनों बराबर (Same) हैं, या’नी कश्ती के चलने और

ठहेरने दोनों सूरतों (परिस्थिति-Condition) में कश्ती का इस्तेकरार (Stoppage/थमना) ज़मीन के बदले पानी पर है, लैकिन अगर ट्रेन रोक ली जाए, तो वोह ज़मीन पर ही ठहेरेगी और मिस्ले-तख़्त (मंच-Dais) हो जाएगी और इस्तेकरार कामिल (संपूर्ण स्थिरता-Fully Stability) के साथ ज़मीन पर ठहेरेगी.

“ किनारे पर ठहेरी हुई कश्ती पर नमाज़ पढ़ना इस लिये जाइज़ नहीं कि किनारे पर लगी या बंधी हुई कश्ती अगरचे ज़मीन से मुलहिक (मिली हुई-Joined) है, लैकिन इसके बावजूद भी वोह स्थिर नहीं होती क्योंकि वोह पानी पर ही होती है और पानी की हरकत (हिलना डुलना-motion) के साथ-साथ वोह भी हरकत करती है और इस्तेकरार (स्थिरता) नहीं होता. पानी ज़मीन से मुत्तसिल (संलग्न-Contiguous) होने की वजह से भी इस्तेकरार हासिल नहीं हो सकता और कश्ती से नीचे उतरना भी दुशवार (कठिन-Arduous) नहीं, लिहाज़ा, कश्ती से उतरकर ज़मीन पर नमाज़ पढ़ना लाज़मी है.”

इस मस्अले की तहक़ीक (निरीक्षण-Investigation) में इमामे इश्क़ो-मुहब्बत, मुजद्दिदे-दीनो-मिल्लत, अ़ाला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेल्वी रदीय्यल्लाहो तअ़ाला अन्हो ने फिक़ह की मशहूरो-मा’रूफ़ किताबें मस्लन (◆ *दुर्रें मुख़्तार* ◆ *गुन्या शरहे मुन्या* ◆ *रहुल मोहतार* ◆ *बहरूर राइक़* ◆ *फतावा ज़हीरिया* ◆ *फतावा हिन्दिया (अ़ालमगीरी)* ◆ *मुहीत इमाम सरख़सी* ◆ *फत्हु-क़दीर वग़ैरह के हवालों (संदर्भों-References)*) से इल्म के दरिया बहा दिए हैं. फतावा रज़वीया शरीफ़ की एक इबारत पैशे-ख़िदमत है :-

“ चलती कश्ती से अगर ज़मीन पर उतरना मयस्सर हो, तो कश्ती में पढ़ना जाइज़ नहीं, बल्कि ‘इन्दत-तहीकीक’ (परीक्षण सिद्ध-**Authenticated**) अगरचे कश्ती किनारे पर ठहेरी हो, मगर पानी पर हो और ज़मीन तक न पहुंची हो, और येह किनारे पर उतर सकता है, तो कश्ती में नमाज़ न होगी कि उसका इस्तेकरार (ठहेरना) पानी पर है और पानी ज़मीन से मुत्तसिल-ब-इत्तेसाल (क़रीब लगा हुआ होना) करार (ठहेरना) नहीं. जब इस्तेकरार की इन हालतों में नमाज़ें जाइज़ नहीं होतीं, जब तक ज़मीन पर इस्तेकरार (स्थिरता-**Stability**) और वोह भी ‘बिल-कुल्लिया’ (सम्पूर्ण पणे-**Fully**) न हो. तो चलने की हालत में कैसे जाइज़ हो सकती है कि नफसे-इस्तेकरार ही नहीं. बःखिलाफ कश्ती रवां (चलती हुई) जिस से नुजूल मयस्सर (उतरना मुम्किन) न हो कि अगर उसे रोकेंगे भी, तो इस्तेकरार पानी पर होगा, न कि ज़मीन पर. लिहाज़ा, सैरो-वुकूफ (चलना और ठहेरना) बराबर. लैकिन अगर रेल (ट्रेन) रोक ली जाए तो ज़मीन पर ही ठहेरेगी और मिस्ले-तख़्त हो जाएगी.”

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-४४)

परबता

“ हवाई जहाज़ अगर अड्डे (विमान मथक-Airport) पर ठहेरा हुआ है, तो उस पर ‘इस्तेकरार-अलल-अर्द’ के जुज़या की बिना पर नमाज़ सहीह है और अगर हवाई जहाज़ फिज़ा में परवाज़ कर रहा है, तो भी उसमें नमाज़ दुरूस्त है. फिज़ां में उड़ते हुए हवाई जहाज़ (Flying Air Craft) पर नमाज़ दुरूस्त होना समन्दर में चलती हुई कश्ती पर नमाज़ पढ़ने की तरह है. जिस तरह चलती हुई कश्ती को रोक कर पानी पर उतर कर नमाज़ पढ़ना मुम्किन नहीं, इसी तरह उड़ते हुए हवाई जहाज़ से बाहर आकर फिज़ा (हवा-Air) में मुअल्लक (लटकना-Hanged) होकर नमाज़ पढ़ना मुम्किन नहीं. लिहाज़ा जिस तरह समन्दर में चलती हुई कश्ती पर नमाज़ पढ़ना दुरूस्त है

उसी तरह फिज़ा में उड़ते हुए हवाई जहाज़ में भी नमाज़ दुरूस्त है.”

(नुज़हतुल क़ारी शरहे सहीहुल बुख़ारी, जिल्द-२, सफ़हा-३७५)

परबता

“अगर बस (Bus) या मोटर कार (Car) से सफ़र कर रहा है और उसको रोक कर नमाज़ पढ़ने का इख़्तियार (सत्ता-Authority) है, तो रोक कर नीचे उतर कर नमाज़ पढ़ ले. और अगर स्टेट ट्रान्सपोर्ट या किसी अन्य निज़ी (Private) ट्रान्सपोर्ट की बस से सफ़र कर रहा है, और उसको रोकना अपने इख़्तियार में नहीं, तो जहां बस ठहेरे वहां के बस अड्डे (Bus Depot) पर उतर कर नमाज़ पढ़ ले. और अगर बस किसी मक़ाम पर ठहेरने के इन्तिज़ार में नमाज़ का वक्त निकल जाने का इम्कान और ख़ौफ (सदेह) है, तो चलती हुई बस में ही नमाज़ पढ़ ले. अगर बस में भीड़ (Crowd) न होने की वजह से वुस्अत (अवकाश-Latitude) है, और खड़े होकर, और खड़े होकर मुम्किन नहीं, तो बैठकर रूकूअ व सुजुद करके नमाज़ पढ़ सकता है, तो इस तरह पढ़ ले. और अगर बस में भीड़ है और येह अपनी नशिस्त (बैठक-Seat) से खड़ा या हिल नहीं सकता है, तो अपनी सीट पर बैठे हुए इशारे से पढ़ ले और हर हालमें चलती हुई बस पर पढ़ी गई नमाज़ का बाद में एआदा ज़रूरी है.”

परबता

“ अगर मज़क़ूरा सूरत (वर्णनीय परिस्थिति) से बस (Bus) में नशिस्त पर बैठे हुए इशारे से नमाज़ पढ़ने का इत्तेफ़ाक (प्रसंग-**Incident**) हो और अगर वुजू है, तो बेहतर है, अगर वुजू नहीं तो “तयम्मूम’ कर ले और तयम्मूम करने के लिये कहीं जाने की ज़रूरत नहीं. बस की खिडकी (बारी) से हाथ बाहर निकाल कर बस की बोडी (Body) की बाहर की सतह की लोहे की चादर (Plate) पर

हाथ फिरा ले, या'नी ज़र्ब लगा ले. बस के चलने की वजह से रास्ते का गर्दों-गुबार (धुळ रज-Clouds of Dust) उस पर लगा हुआ होता है. उस गर्दों-गुबार से तयम्मूम हो सकता है.”

मुक़ीम इमाम और मुसाफिर मुक़तदी, मुसाफिर इमाम और मुक़ीम मुक़तदी के मसाइल

परअला

“ अगर मुसाफिर मुक़तदी ने मुक़ीम इमाम की इक़तेदा की, तो अब वोह इमाम की इक़तेदा में चार (४) रक़अत ही पढ़े या'नी पूरी नमाज़ पढ़े.”

(दुर्रें मुख़्तार, रददुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफहा-८२)

परअला

“मुसाफिर इमाम ने चार (४) रक़अत वाली नमाज़ या'नी ज़ोहर, अस्र और इशा में मुक़ीम (स्थानीय) मुक़तदीयों की इमामत की, तो मुसाफिर इमाम दो (२) रक़अत पर सलाम फ़ैर दे और इमाम के सलाम फ़ैरने के बाद मुक़तदी अपनी बाक़ी नमाज़ पूरी करे और इन दोनों रक़अतों में मुत्लक़ (सदंतर) क़िरअत न करें या'नी हालते-क़याम में कुछ न पढ़ें, बल्कि इतनी दैर कि सूर-ए-फातेहा पढ़ी जाए, महज़ (सम्पूर्ण पणे- Entirely) ख़ामौश खड़े रहें.”

(दुर्रें मुख़्तार, रददुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफहा-८२ और फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-३९५)

नोट :

“ मुक़ीम मुक़तदी मुसाफिर इमाम के सलाम फ़ैरने के बाद अपनी बाक़ी नमाज़ किस तरह पढ़े ?उसके तफसीली (विगतवार-De-tailed) मसाइल “प्रकरण-१४” “मुक़तदी के अक़साम व अहेकाम” में “ लाहिक़ मस्बूक़ मुक़तदी के ज़रूरी मसाइल के उन्वान (शीर्षक) के तहत (नीचे) लिख दिये गए हैं, लिहाज़ा उन मसाइल का एअ़दा (पुनरावर्तन-Repetition) न करते हुए, मोअज़िज़ क़ारेईने-क़िराम (आदरणीय वांचक वर्ग) से इल्तेमास (विनंती) है, कि इन मसाइल को प्रकरण-१४ में फिर से एक मरतबा मुलाहिज़ा फरमाएं.”

परअला

“ मुसाफिर इमाम ने इक़ामत की निय्यत किए बग़ैर या'नी कम से कम पन्द्रह (१५) दिन ठहेरने की निय्यत किए बग़ैर चार (४) रक़अत पूरी पढ़ीं, तो गुनाहगार होगा और उसकी इक़तेदा करने वाले मुक़ीम (स्थानिक) मुक़तदीयों की नमाज़ बातिल (रद्द-Abolish) हो जाएगी.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-६६९)

परअला

“ अगर मुसाफिर इमाम मुक़ीमीन (स्थानिक लोगों) की इमामत करे तो उसे चाहिये कि नमाज़ शुरू करते वक़्त अपना मुसाफिर होना ज़ाहिर कर दे और अगर मुसाफिर इमाम ने नमाज़ शुरू करते वक़्त अपना मुसाफिर होना ज़ाहिर न किया, तो अपनी क़स्र नमाज़ पूरी करने के बाद कहे दे कि “मैं मुसाफिर हूं, तुम अपनी नमाज़ पूरी कर लो” बल्कि शुरू में कहे

दिया है जब भी बाद में कहे दे, ताकि जो लोग नमाज़ शुरू होने के वक्त मौजूद न थे और बाद में जमाअत में शामिल हुए हैं, उन्हें भी मा'लूम हो जाए, क्योंकि सेहते-इक्तेदा के लिये शर्त है कि मुक्तदी को इमाम का मुक़ीम या मुसाफ़िर होना मा'लूम हो, चाहे नमाज़ शुरू करते वक्त मा'लूम हो, चाहे बाद में मा'लूम हो."

(दुर्रे मुख़्तार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-४, सफ़हा-८२)

प्रकरण
(१७)

“ मस्जिद के अहकाम ”

“ कुरआने-मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि :-

“इब्नमा-यअमोरो-मसाजिदल्लाहे-मन-आमना-बिल्लाहे-वल-यवमिल-आख़ेरे-व-अक़ामस-सलाता-व-आतज़-ज़काता-व-लम-यरुशा-इल्लल्लाहा-फ-असा-उलाइका-अंय-यकूनु-मिनल-मोहतदीना”

(पारा-१०, सू-ए-तौबा, आयत-१८)

अनुवाद :

“ अल्लाह की मस्जिदें वही आबाद करते हैं, जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान लाए और नमाज़ काइम करते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, तो करीब है कि यह लोग हिदायत वालों में हों।”

(कन्जुल ईमान शरीफ)

◆ “हर शहर (City) में एक मस्जिद-जामेअ बनाना वाजिब है और हर मुहल्ले में एक मस्जिद बनाने का हुक्म है.” हदीस में है कि; “अमरा-रसूलल्लाहे-सल्लल्लाहो-तआला-अलैहे-वसल्लमा-बे-बिनाइल-मस्जिदे-फीद-दारे-वल-तब्ज़ुफे” तर्जुमा : “रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लमाने फरमाया कि; ‘हर मुहल्ले में मस्जिद बनाई जाए और यह कि सुथरी (स्वच्छ-Neat & Clean) रखी जाए.’”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-५९१)

◆ “मस्जिद बनाने में जो माल खर्च होता है वोह गारे पत्थर (Building Material) में सर्फ (व्यय-Expenditure) नहीं होता, बल्कि

रब्बे-अकबर की रज़ा (खुशनुदी) में सर्फ होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; “मम-बना-मस्जिद-न-बनल्लाहो-लहु-बयतन-फील-जब्बते-मिन-दुर्रिव-व-याकूत” तर्जुमा : “ जो अल्लाह के लिये मस्जिद बनाए अल्लाह उसके लिये जन्नत में मोतियों (मोती-Pearl) और याकूत (माणिक-नीलम-Ruby/Sapphire) का घर बनावे.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द ३, सफहा-५९१, जिल्द-६, सफहा-४५९)

- ◆ “ सब मस्जिदों से अफज़ल मस्जिदे-हरम शरीफ (मक़्क़ मोअज़्ज़मा) है, फिर मस्जिदे-नब्वी (मदीना मुनव्वरा), फिर मस्जिदे-क़दस (मस्जिदे-अक़सा/बैतुल मुक़द़स), फिर मस्जिदे-कुबा (मदीना तय्यबा), फिर और (अन्य-Other) जामेअ मस्जिदें, फिर मस्जिदे-मुहल्ला, फिर मस्जिदे-शारेअ या'नी मुख्य मार्ग / Highway या मुसाफिर ख़ाना या स्टेशन की मस्जिद जिसमें कोई इमाम मुतअय्यन (नियुक्त-Fix) नहीं होता.”

(रददुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-१८६)

- ◆ “ मस्जिदे-नब्वी शरीफ (मदीना तय्यबा) की ज़मीन में मुशरिकों का क़ब्रस्तान था, हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लमने उन मुशरेकीन की क़ब्रें खुदवा कर उनकी हड्डियों (अवशेषों) वगैरह की नजासतों (नापाकी) से साफ़ फरमाकर उसे मस्जिद फरमाया.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-५९१)

मस्जिद के मुतअल्लिक चन्द अहादीसे-करीमा

हदीस

“बुख़ारी, मुस्लिम, अबू दाउद, तिरमीज़ी और इब्ने माजा हज़रत अबू हुरैरा रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से रावी कि हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला

अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; “मर्द की नमाज़ मस्जिद में जमाअत के साथ पढ़ना घर में और बाज़ार में पढ़ने से पच्चीस (२५) दर्जा ज़ियादा है.”

हदीस

“ अबू दाउद और इब्ने-हब्बान हज़रत अबू उमामा रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से रावी कि हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि “तीन (३) शख़्स अल्लाह तआला की ज़िमान (सुरक्षा-Security) में हैं, अगर ज़िन्दा रहें, तो रोज़ी दे और क़िफ़ायत करे और मर जाअं, तो जन्नत में दाख़िल करे, (१) जो शख़्स घर में दाख़िल हुआ और घर वालों को सलाम करे, वोह अल्लाह की ज़िमान में है. (२) जो मस्जिद को जाए, वोह अल्लाह की ज़िमान में है. (३) जो अल्लाह की राह में निकला, वोह अल्लाह की ज़िमान में है.”

हदीस

“सहीह मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से मर्वी कि; हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम फरमाते हैं कि; “इब्ना-अहब्बल-अर्दे-इल्लाहे-मसाजिदोहा-व-अबग़ज़ल-अर्दे-इल्लल्लाहे-अस्वाकोहा” (तर्जुमा) “अल्लाह तबारक व तआला को सब जगह से ज़ियादा महेबूब मस्जिदें हैं और सबसे ज़ियादा मबगूज़ (तिरस्कृत-Odious) बाज़ार हैं.”

हदीस

“ सहीह मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू उसैद रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से मर्वी कि हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते

हैं कि; जब कोई मस्जिद में जाए तो कहे कि “अल्लाहुम्मफ-तह-ली-अब्बाबा-रहमतका” और जब निकले तो कहे कि; “अल्लाहुम्मा-इन्नी-अस्अलोका-मिन-फदलेका.”

हदीस

“इब्ने-माजा हज़रत अबू सईद खुदरी रदीय्यल्लाहो तअ़ाला अन्हो से रावी कि हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; “जो मस्जिद से अज़ियत (त्रासदायक-Vexatious) की चीज़ निकाले, अल्लाह तअ़ाला उसके लिये जन्नत में एक घर बनाए.”

हदीस

“इमाम तिरमिज़ी और दारमी हज़रत अबू हु़रैरह रदीय्यल्लाहो तअ़ाला अन्हो से रावी कि हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; “जब किसी को मस्जिद में ख़रीदो-फरोख़्त (Purchase-Sale) करते देखो तो कहे “खुदा तेरी तिजारत (Business) में नफा (मुनाफ़ा-Profit) न दे.”

हदीस

“ इमाम बयहक़ी शोअबुल ईमान में हज़रत हसन बसरी रदीय्यल्लाहो तअ़ाला अन्हो से मुरसलन रावी कि हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; “ एक ज़माना ऐसा आएगा कि मस्जिदों में दुनिया की बातें होंगी. तुम उन के साथ मत बैठना कि खुदा-ए-तअ़ाला को उन से कुछ काम नहीं.”

मस्जिद के अदबो-एहतेराम के

ज़रूरी मसाइल

मस्जिदा

“मुहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ना अगरचे जमाअत क़लील (कम) हो, जामेअ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से अफज़ल है अगरचे जामेअ मस्जिद में बड़ी जमाअत हो. अगर मुहल्ले की मस्जिद वीरान हो गई है और उस मस्जिद में जमाअत न होती हो, फिर भी उस मुहल्ले में रहनेवाला उसी मस्जिद में जाए, अगरचे तन्हा (अकेला-Alone) हो, फिर भी उसी मस्जिद में तन्हा जाए और अज़ान व इक़ामत कहे और तन्हा नमाज़ पढ़े. उस मस्जिद में तन्हा नमाज़ पढ़ना जामेअ मस्जिद में जमाअत से नमाज़ पढ़ने से अफज़ल है. ओलोमा उस तन्हा नमाज़ पढ़ने को दूसरी मस्जिद में बा जमाअत नमाज़ पढ़ने से अफज़ल बताते हैं.”

(सगीरी शरहे मुन्यतुल मुसल्ली, फतावा काज़ी ख़ान, रददुल मोहतार, ख़ज़ानतुल मुफ़तीन, बहारे-शरीअत, जिल्द-३, सफ़हा-१८६, फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफ़हा नं. ५७७)

मस्जिदा

“ मस्जिद की छत (Terrace) पर बिला ज़रूरत चढ़ना मकरूह है.”

(दुरे मुख़्तार, रददुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-१८२)

मस्जिदा

“ गर्मी (Summer) की वजह से मस्जिद की छत पर नमाज़ पढ़ना मकरूह है कि मस्जिद की बे अदबी है.”

(आलमगीरी, ग़राइब, फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-५७५)

परअिता

“जो अदब मस्जिद का है, वही अदब मस्जिद की छत का है.”

(गुन्या शरहे मुन्या, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३,

सफहा-१८६)

परअिता

“ मस्जिद में नजासत (गंदगी-Fith) ले कर जाना मना है, अगरचे मस्जिद उस गंदगी से आलूदा (मलिन-Pollute) न हो, फिर भी मस्जिद में नजासत लेकर जाना ही मना है. इसी तरह जिस के बदन (शरीर) पर नजासत लगी हो उसको मस्जिद में जाना मना है.”

(रददुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-१८२)

परअिता

“जुनुबी या'नी जिसको नहाने की ज़रूरत हो या'नी जिस शख्स पर जनाबत का गुस्ल फर्ज है (नापाक-Defiled) को मस्जिद में जाना हराम है.”

(बहारे-शरीअत, हिस्सा-२, सफहा- ३९)

परअिता

“ मस्जिद को घीन या'नी कराहत (सुग,धृणा-Disgust) की चीज़ (आचरण-Activity) से बचाना ज़रूरी है. आजकल देखा जाता है कि वुजू करने के बाद आ'जा-ए-वुजू (वुजू किये हुए अंगों) पर जो पानी होता है, उसे कपड़े से पोंछ कर खुशक (सूखाना-Dry) करने के बजाए हाथ से पानी पोंछ कर पानी के क़तरे (बूंदे-Drops) मस्जिद के फर्श (ज़मीन-Floor) पर ज़ाड़ देते हैं. येह नाजाइज़ और हराम है.”

(बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-१८३, फ़तावा

रज़वीया, जिल्द-१, सफहा-७३३)

परअिता

“ मस्जिद में सवाल करना (भीख-भिक्षा-Beggary) मांगना हराम है और उस सवाल करने वाले (भिक्षुक-Beggar) को देना भी मना है.”

(बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-१८४)

परअिता

“ मस्जिद में अपने लिये मांगना (भिक्षा वृत्ति-Beggary) जाइज़ नहीं और उसे देने से भी ओलोमा ने मना फरमाया है. यहां तक कि इमाम इस्माईल ज़ाहिद रहेमतुल्लाहे तआला अलैह ने फरमाया कि जो मस्जिद के साइल या'नी मस्जिद में सवाल करने वाले (मांगने वाले) को एक (१) पैसा दे, उसे चाहिये कि वोह सत्तर (७०) पैसे अल्लाह तआला के नाम पर मज़ीद दे (ख़ैरात करे) ताकि उस पैसा देने के कुसूर (ग़लती) का कफ़फ़ारा (प्रायश्चित्त-Atone-ment) हो.”

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द-६, सफहा-४३६ अहकामे-शरीअत, हिस्सा-१, मस्अला-३४, सफहा-७७)

परअिता

“मस्जिद में गुमशुदा (खोई हुई) चीज़ तलाश करना मना है. इमाम मुस्लिम हज़रत अबू हुरैरह रदीव्यल्लाहो तआला अन्हो से रावी कि हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; “*मन-समिआ-रजुलन-यन्शदो-दालतन-फल-यकुल-ला-रददहल्लाहो-अलयका-फ-इन्नल-मसाजिदा-लम-तुब्बा-ले-हाज़ा.*” (तर्जुमा) ‘जो किसी शख्स को सुने कि मस्जिद में अपनी गुमशुदा चीज़ दरयाफ़्त करता है (ढूँढता है), तो उस सुनने वाले पर वाजिब है कि उस तलाश करने वाले से कहे कि अल्लाह तेरी गुमी (खोई हुई) चीज़ तुझे न मिलाए. मस्जिदें इसके लिये नहीं है.”

(बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-१८४, फ़तावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-५९३)

फ़रमाता

“मस्जिद में ख़रीदो-फ़रोख़्त करना जाइज़ नहीं. इमाम तिरमीज़ी और इमाम मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरह रदीयल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत की कि हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं कि; “इज़ा-रअयतुम-मयं-यतबाओ-फिल-मस्जिदे-फ-कूलू-ला-अरबहुल्लाहो-तिजारतका” तर्जुमा, “जब तुम किसी को मस्जिद में ख़रीदो-फ़रोख़्त (व्यापार-Business) करते देखो, तो कहो कि अल्लाह तेरे सौदे (धंधे-Dealings) में फ़ायदा न दे.”

(बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-१८५, फ़तावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-५९३/५९४)

फ़रमाता

“मस्जिद में खाना, पीना और सोना मो'तकिफ़ या'नी जिसने ए'तकाफ़ की नियत की हो, उसे और परदेशी या'नी मुसाफ़िर के सिवा किसी को जाइज़ नहीं. लिहाज़ा, अगर मस्जिद में खाने-पीने का इरादा हो तो ए'तेकाफ़ की नियत करके मस्जिद में जाए और कुछ देर ज़िक्रो-अज़कार और नमाज़ों-इबादत करे और फिर खाए पीए या सोए.”

(बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-१८४, फ़तावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-५९३,५९५)

“ हदीस में है कि मस्जिद को चौपाल न बनाओ लैकिन तबलीगी जमाअत ने मस्जिदों को चौपाल (मुसाफ़िर ख़ाने) बना दिया है और मस्जिद के अदबो-एहतेराम का कुछ भी लिहाज़ बाक़ी नहीं रखा.”

मस्जिद में खाना-पीना और सोना मो'तकिफ़ और मुसाफ़िर को जाइज़ है,

लैकिन फिर भी इन कामों से जहां तक मुम्किन हो वहां तक बचना चाहिये, बल्कि निहायत (अत्यन्त) मजबूरी और अशद (सख़्त) ज़रूरत की हालत में और वोह भी मस्जिद के अदबो-एहतेराम का लिहाज़ करते हुए ही मस्जिद में खाना, पीना या सोना चाहिये, क्योंकि मस्जिदें सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिये बनाई गई हैं. मुसाफ़िर ख़ानों की तरह ठहेरने के लिये नहीं बनाई गयीं.

लैकिन अफ़सोस कि दौरै-हाज़िर (वर्तमान युग) के मुनाफ़िकों की जमाअत या'नी वहाबी तबलीगी जमाअत की गांव-गांव और शहर-शहर घूमने वाली टोलियों ने मस्जिदों को मुसाफ़िर खाने, सराय और गेस्ट हाउस बनाकर रख दिया है. बल्कि विरासत (जागीर-Heritage) में मिली हुई जायदाद की तरह लाजिंग और बोर्डिंग (भोजनालय तथा विश्राम गृह) की तरह मस्जिदों का इस्तेमाल करते हैं. मस्जिद में ठहेरी हुई तबलीगी जमाअत का जिन हज़रात ने मुशाहेदा (निरीक्षण-Contemplate) किया है, उन्हे यक़ीन के दर्जे में इल्म होगा कि वाक़ई (वास्तव में-Really) उन्होंने मस्जिदों के अदबो-एहतेराम को पसे पुशत (पीठ के पीछे) फेंक दिया है और मस्जिदों को मुसाफ़िर खानों का स्वरूप दे रखा है.

मिसाल के तौर पर :-

- ◆ वहाबी तबलीगी जमाअत के चालीस-पचास (४०-५०) जाहिल मुबल्लिग़ (प्रचारक) बाहर से आकर मस्जिद में ठहेरते हैं और मस्जिद के एक हिस्से पर कब्ज़ा जमा कर अपना मालो-असबाब वहीं जमा देते हैं. हालांकि मुसाफ़िर और मो'तकिफ़ को मस्जिद में खाने-पीने ठहेरने की इजाज़त है, लैकिन इस इजाज़त का वोह भरपूर दुरूपयोग (Missuse) करते हैं.
- ◆ मस्जिद के वुजू खाने में अपने गंदे और नापाक कपड़े धोते हैं, फिर उन्हें सुखाने के लिये मस्जिद के सेह्न में धूप में फैला देते हैं, गोया धोबी घाट जैसा मन्ज़र (दृश्य) खड़ा कर देते हैं. रात के वक़्त अपने गीले (भीगे-Wet) कपड़े मस्जिद के अन्दर के

हिस्से में नमाज़ पढ़ने के लिये बिछी हुई चटाइयों पर फैला देते हैं और कपड़ों को सुखाने के लिये रात भर बिजली के पंखे (Fan) चलाते हैं. मस्जिद की बिजली (विद्युत प्रवाह-Electricity) अपने ज़ाती (Personal) इस्तेमाल में सर्फ करते हैं और मस्जिद का माली(Financial)नुकशान करते हैं.

- ◆ अपने खाने-पकाने की चीज़ें (भोजन सामग्री) अपने साथ लेकर आते हैं और मस्जिद में ही रसोई पकाते हैं, खाना पकाने के लिये अपने साथ लिये हुए बड़े-बड़े बरतनों (वासणों-Utensils) को वुजू करने के लिये लगाए गए नलों (Taps) पर धोते हैं, खाना पकाने (Cooking) के लिये पयाज़ (डुंगळी-Onion) और लहसन (लसण-Garlic) काटते हैं और उसकी बदबू (दुर्गन्ध-Bad smell) मस्जिद में फैलती है. मिट्टी के तेल (ग्यास तेल-Kerosene) के चूल्हे (Stove) जलाते हैं और मिट्टी के तेल की तेज़ बदबू से मस्जिद का वातावरण प्रदूषित होता है.
- ◆ खाना तैयार हो जाने के बाद तबलीगी जमाअत के मुबल्लिगीन मस्जिद में क़तार बांध (Queue) कर खाना खाने के लिये बैठते हैं और किसी शादी की तक़रीब की ज़ियाफत (भोजन समारंभ-Banquet) जैसा मन्ज़र (द्रश्य) खड़ा हो जाता है, खाने-पीने की चीज़ें शोरबा (Greavy) वगैरह गिराते हैं और मस्जिद का फर्श (Floor) खाने पीने की चीज़ों से मुलव्विस (मलिन/गंदा-Polluted) होता है. खाना खाने के बाद झूठे बर्तन वुजू खाने में धोते हैं.

अल ग़रज़ ! ऐसा हंगामा बरपा कर देते हैं कि उस वक़्त कोई अजनबी अगर मस्जिद में आ जाए तो उसे ऐसा महेसूस हो कि शायद किसी शहर से शादी की बारात आकर मस्जिद में ठहेरी हुई है और खाना, पीना, पकाना, नहाना, धोना, सोना, उठना, बड़े ज़ोरो-शोर से हो रहा है. मस्जिद का वुजू खाना गोया धोबी घाट और मस्जिद का

सेहन बावरची ख़ाना (Kitchen) महेसूस होता है.

- ◆ तबलीगी जमाअत के मुबल्लिगीन रात में क़तार बन्द बिस्तर जमा कर मस्जिद में ही सोते हैं और हालते-नींद और बेदारी में रियाह ख़ारिज (Farting) करते हैं और मस्जिद की फिज़ा (हवामान) भी दुर्गंधित करते हैं. बाज़ बे अदब तो रीह ख़ारिज़ करते वक़्त पटाखें छोड़ते (Explode) हैं. इलावा अर्ज़ी रात में अल्लाह के घर में ख़िलाफे-शरअ और बे शर्मा के ऐसे क़ाबिले-नफरत (धृणास्पद) काम करते हैं कि जिनका तज़केरा (वर्णन) यहां मुनासिब नहीं.

इन्साफ पसन्द क़ारेईन-किराम (वाचकों) की अदालत में इन्साफ की दरख़वास्त करते हुए सिर्फ़ इतनी गुज़ारिश है कि तबलीगी जमाअत के मज़कूरा बाला इरतेकाब (चेष्टाओं) को इन्साफ के तराजू (Scale) के एक पल्ले (Pan) में रखें और दूसरे पल्ले में मुन्दरजा जैल (निम्नलिखित) मस्जिद के अदब और एहतेराम के मुतअल्लिक शरीअत के अहेकाम को रखें और हक़ व बातिल का फैसला फरमाएं.

मस्जिद के अदबो-एहतेराम के ज़रूरी

मसाइल

मस्जिदा

“ मस्जिद में ऐसा अक्लो-शुर्ब (खाना-पीना) कि जिससे उस की तल्विस (गंदा होना) हो, मुत्लक़न ना-जाइज़ है, अगरचे मो'तकिफ़ हो (या'नी खाने वाला हालते-ए'तेकाफ में हो) रहुल मोहतार, बाबुल ए'तकाफ में है कि; “अजूज़ाहिरो-अन्ना-मस्लन-नोमे-वल-अकले-वश-शुरबे-इज़ा-लम-यशगोलुल-मस्जिदा-व-लम-

यलव्विसहू-ले-अन्ना-तनजीफता-वाजेबुन-कमा-मर्रा” इसी तरह इतनी कसीर (ज़ियादा) ता’दाद में खाना मस्जिद में लाना कि नमाज़ की जगह घेरे (रोके) ममनूअ है.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-५९३)

परअला

“मस्जिद में इस तरह खाना-पीना कि मस्जिद में गिरे और मस्जिद आलूदा (गंदी) हो, मुल्लक़न हाराम है. मो’तकिफ हो या गैर मो’तकिफ हो. इसी तरह ऐसा खाना कि जिस से नमाज़ की जगह घेरे (रूके) वोह भी हाराम और नाजाइज़ है.”

(अहकामे-शरीअत, हिस्सा-२, मसअला-१, सफहा-२)

परअला

“मस्जिद में कच्चा लहसन और प्याज़ (कांदा-Onion) खाना या खाकर जाना जाइज़ नहीं, जब तक मुंह में ‘बू’ (गंध, वास-Smell) बाकी हो. क्योंकि फरिशतों को उस से तकलीफ होती है. इमाम बुख़ारी और इमाम मुस्लिम ने हज़रत जाबिर रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत की कि हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; *‘मन-अकला-मिन-हाज१-शजरतिल-मुन्तनते-फला-यक़रब्ना-मरिजदना-फ-इब्बल-मलाइकता-तुताज़ी-मिम्मा-युताज़ी-मिन्हुल-इन्सो.’* (तर्जुमा) : “जो इस बदबू दार दरख़्त (वृक्ष, छोड़-Tree) से खाए, वोह हमारी मस्जिद के क़रीब न आए, कि फरिशतों को उस चीज़ से इज़ा (पीड़ा-Distress) होती है, जिससे आदमी को इज़ा होती है.”

(बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-१८४, फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-५९८)

परअला

“मिट्टी का तेल (केरोसीन-Kerosene) में बदबू (दुर्गन्ध) है और बदबू का मस्जिद में ले जाना किसी तरह भी जाइज़ नहीं. मस्जिद में मिट्टी का तेल जलाना हाराम है.”

(हवाला : फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-५९७, ५९८, फतावा रज़वीया, जिल्द-६, सफहा-४४४)

परअला

“अस्बाब (सामान-Baggage) भी बिना ज़रूरत मस्जिद में नहीं रखना चाहिये, मस्जिद को घर (Residence) से मुशाबह (समान-Similitude) भी न करना चाहिये. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं; *‘अब्बल-मसाजिदा-लम-तुब्बाले-हाज़ा’*

खुसूसन अगर अस्बाब (चीज़ें) रखने से नमाज़ पढ़ने की जगह रूके, तो सख़्त नाजाइज़ और गुनाह है. मस्जिद को घर बनाना किसी के लिये जाइज़ नहीं.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-५९४/५९५)

परअला

“और बिना शुब्ह (निःशंक) अगर इन अफआल (कामों) का दरवाज़ा (द्वार-Gate) खोल दिया जाए, तो ज़माना फ़ासिद (दूषित-Corrupted) है और कुलूब (लोगों के दिल) अदब और हैबत (डर-Timidity) से अ़री (वंचित-Void of) हैं और मस्जिदें चौपाल (मुसाफिर खाने) हो जाअेंगीं और उन की बे हुरमती (बे अदबी) होगी.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-५९३)

मस्जिद का सेहन भी मस्जिद के ही हुक्म में

है, ख़ारिजे-मस्जिद के हुक्म में नहीं

अवराक़े-साबेक़ा (अगले पृष्ठों-Former Pages) में तबलीगी जमाअत का मस्जिद में आकर ठहेरना और मस्जिद को मुसाफिर ख़ाना की तरह इस्तेमाल करने के मुतअल्लिक जो गुफ़्तगू (चर्चा) की गई है, उसके ज़िम्न (अनुसंधान) में एक ज़रूरी वज़ाहत (स्पष्टता) दरपैश (प्रस्तुत) है कि तबलीगी जमाअत वाले मस्जिद के सेहन और फिना-ए-मस्जिद (आस पास का विस्तार-Envi-rons) को खाने, पकाने, नहाने, धोने, सोने, लेटने, उठने, बैठने वगैरह कामों के लिये इस तरह इस्तेमाल (Utilize) करते हैं कि मस्जिद का सेहन उनके अस्बाब और तबाख़ी (Cooking) के सामान से भर जाता है और जब उनसे कहा जाता है कि जनाब मस्जिद का अदब और एहतेराम मल्हूज़ रखो और मस्जिद को मुसाफिर ख़ाना मत बनाओ, तब लोगों को धोका (Fraud) देते हुए ये जवाब देते हैं कि जनाबे-आली ! आप बगैर समज़े ए'तराज़ (Ob-jection) करते हैं, हम कहां मस्जिद के अन्दर तबाख़ी करते हैं ? आप ज़रा देखें, हम तो मस्जिद के सेहन का इस्तेमाल करते हैं और मस्जिद का सेहन मस्जिद के हुक्म में नहीं, बल्कि ख़ारिजे-मस्जिद है।

लैकिन हकीक़त यह है कि; “मस्जिद का सेहन भी मस्जिद के हुक्म में है” जो लोग मस्जिद के सेहन को ख़ारिज अज़ (अलग-Seperate) मस्जिद कहते हैं, वोह सरासर (सम्पूर्ण-Entirely) ग़लती पर हैं, उनका ये दा'वा बगैर दलील का और लगव (अर्थहीन) है।

◆ “ इमामे-अहले-सुन्नत, मुजद्दिदे-दीनो-मिल्लत, आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैहे ने इस मस्अले की तहकीक़ (सचोटता-Exactness) में एक

नफीस (मनोहर-Elegant) और तारीख़ी (ऐतिहासिक-Histori-cally) किताब “अत्ताबसीरूल-मुन्जिद-बे-अनना-सहनुल-मस्जिदे-मस्जिद” (हिजरी सन् १३०७) में लिख कर दलाइले काहेरा व सातेआ (अति मजबूत दलीलों) से साबित किया है कि मस्जिद का सेहन मस्जिद ही के हुक्म में है। इस किताब से इस्तेफ़ादा करते हुए फकीर राक़िमुल हुरूफ़ इस मस्अले की आम फहम वज़ाहत करने की कोशिश करता है।

◆ “पहले हम इस हकीक़त को समज़ें कि मस्जिद उस ‘बुक्क़अ’ (ज़मीन का टुकड़ा-Piece of Land) का नाम है, जो पांच (५) वक्त की नमाज़ के (आशय के) लिये वक्फ़े-ख़ालिस (निर्धारित, बक्षीस, दान-Determined Bequest) किया गया हो और जितनी जगह वाक़िफ़ (दान कर्ता-Donor) ने वक्फ़ (बक्षिस-Donate) की है, वोह तमाम (सम्पूर्ण-Whole) जगह मस्जिद के हुक्म में है। उस जगह पर इमारत, बिना, छत वगैरह या'नी ता'मीर (बांधकाम-Construction) का होना शर्त नहीं है, बल्कि अगर अस्लन (सदंतर) इमारत न हो और सर्फ़ एक चबूतरा (Mound to sit) या महदूद (मर्यादित-Limited) मैदान वक्फ़ करने वाले ने नमाज़ पढ़ने के लिये वक्फ़ कर दिया, तो वोह जगह मस्जिद हो जाएगी और उस जगह पर मस्जिद के तमाम अहेकाम (नियम-Rule) नाफिज़ (लागू-Applicable) होंगे।

फतावा काज़ी ख़ान, फतावा ज़ख़ीरा और फतावा आलमगीरी वगैरह में है कि; “रजुलुन-लहू-साहतुन-अमरा-क़वमन-अंय-युसल्लू-फीहा-बे-जमाअतिन-इन-क़ाला-सल्लू-फीहा-अबदन-अव-अमरहुम-बिस्सलाते-मुत्लक़न-व-नवल-अबदा-सारतिस-साहतो-मस्जिदन-

लव-माता-ला-यूरसो-अन्हो” तर्जुमा “किसी शख्स के पास ज़मीन का कोई टुकड़ा था. उसने कौम को हुक्म (इजाज़त) दिया कि इस ज़मीन में जमाअत से नमाज़ पढ़ो. अगर उसने कहा कि हमेशा इस में नमाज़ पढ़ो या उसने नमाज़ का मुत्लक (मुक्त-Librated) हुक्म दिया और हमेशा के लिये निय्यत की, तो वोह ज़मीन मस्जिद हो जाएगी. अगर उस ज़मीन का मालिक (वक्फ कर्ता) मर गया, तो अब वोह ज़मीन उसके वुरसा (वारसदारो-Heirs) पर तक़सीम (बटवारा-Dividing) नहीं होगी.”

◆ “ अब हम मस्जिद की ता’मीर के सिलसिले में गुफ्तगू करें. सबसे पहले ज़मीन का एक टुकड़ा तमाम का तमाम मस्जिद के लिये हासिल हुआ. फिर उस ज़मीन पर मस्जिद ता’मीर की (बनाई) जाएगी.

“ हर आक़िल (दाना, होशियार Sage) शख्स जब किसी भी इमारत की ता’मीर करेगा, तो वोह हर मुम्किन कोशिश करेगा कि येह इमारत हर मौसम (ऋतु-Season) में कार आमद (उपयोगी-Useful) हो. लिहाज़ा वोह उस इमारत को मौसम के इख़्तिलाफ (परिवर्तन-Change) को मद्दे-नज़र (दृष्टि समक्ष-In view) रख कर इमारत (Building) को दो (२) हिस्सों में तक़सीम करता है. एक हिस्सा ‘मुसक्कफ़’ या’नी छतवाला (Roofed) होता है और दूसरा हिस्सा ‘गैर मुसक्कफ़ या’नी बगैर छत का खुला हुआ (Open to sky) होता है.

छत वाला हिस्सा सर्दी (ठंडी), धूप, बारिश, आंधी, बर्फ, तूफ़ान वगैरह से हिफाज़त (रक्षण) करता है और दूसरा हिस्सा जो, ‘गैर मुसक्कफ़’ या’नी बगैर छत का खुला हुआ होता है, वोह हिस्सा सर्दी के मौसम में धूप में बैठने के लिये, कपड़े सुखाने के लिये, हवा लेने, गर्मी के दिनों में रात के वक़्त ठंडक लेने के लिये वगैरह कामों में आता है.

◆ “ हर मकान की ता’मीर मुन्दरजा बाला (उपरोक्त-Above) तक़सीम (विभाजन) को मद्दे-नज़र रख कर की जाती है. या’नी (१) मुसक्कफ़ हिस्सा और (२) गैर मुसक्कफ़ हिस्सा. इन दोनों हिस्सों के अलग-अलग नाम हैं.

- ◆ मुसक्कफ़ या’नी छत वाले हिस्से को अरबी में ‘शतवी’ कहते हैं.
- ◆ गैर मुसक्कफ़ या’नी खुले हिस्से को अरबी में ‘सयफी’ कहते हैं.

येह दोनों हिस्से उस इमारत या मंज़ील के यकसां (समान) टुकड़े होते हैं जिन के बाइस (कारण) वोह मकान हर मौसम (ऋतु) में कार आमद और नफ़ा बख़्श (आराम दायक-Comfortable) होता है. मौसमे सर्दी (Winter) में सर्दी, ठंडी हवा, बर्फ (Snow) से, मौसमे-गर्मा (Summer) में तेज़ धूप, लू और गर्म हवा के ज़ोंकों से और मौसमे-बारान (Rain Fall) में बारिश, आंधी, हवा के तूफ़ान वगैरह से हिफाज़त (Protection) करने में मकान का मुसक्कफ़ हिस्सा (छत वाला विभाग) काम आता है. इसी तरह ‘गैर-मुसक्कफ़’ हिस्सा या’नी खुला (Open) भाग भी हर मौसम में काम आता है. मस्लन, सर्दी के मौसम में सुबह के वक़्त धूप में बैठकर (Sunbath) बदन गरमाने के लिये, गर्मी के मौसम में शाम (Evening) के वक़्त ठंडी हवा की लहरों से लुत्फ अंदोज़ (प्रफुल्लित-Pleasantry) होने के लिये और रात के वक़्त खुले आसमान के नीचे चारपाई बिछाकर सोने लेटने के काम में आता है. पिछले ज़माने (भूतकाल-Past) में बिजली के पंखे, एयर कंडीशन (Aircondition), कूलर, वगैरह सहूलतें (सुविधाएं) नहीं थीं, तब मौसमे-गर्मा में लोग ‘गैर-मुसक्कफ़’ (खुले) हिस्से में चारपाईयां बिछाकर सोया करते थे. इलावा अर्ज़ी मकान का गैर मुसक्कफ़ या’नी सयफी या’नी खुला हिस्सा हर मौसम में कपड़े सुखाने (To dry) और दीगर ज़रूरीयात के काम आता है.”

- ◆ “ ता’मीर की मुन्दरजा बाला तरतीब (पद्धति-Method) और उसके फवाइद (लाभो-Advantages) को मद्दे नज़र रख कर मस्जिदें भी छत वाला हिस्सा और खुला हिस्सा के दो (२) विभागों में ता’मीर की गई हैं. या’नी “शतवी” और “सयफी” दो (२) हिस्सों में बनाई गई है. और :-
- ◆ मुसक्कफ़ या’नी छत वाले हिस्से को “मस्जिदे-शतवी” कहते हैं.
- ◆ “गैर-मुसक्कफ़” या’नी खुले हिस्से को “मस्जिदे-सयफी” कहते हैं.
- ◆ “ मस्जिदे-शतवी” या’नी मस्जिद का छत वाला (Covered) हिस्सा बरसात के मौसम में बारिश के पानी से, सर्दियों के मौसम में सर्दियों और ठंडी हवा से और गर्मी के मौसम में तेज़ धूप और लू से नमाज़ियों की हिफाज़त करता है. उस छत वाले हिस्से में नमाज़ पढ़ने वाला मौसम के असरात (Effects) की दिक्कत (परेशानी-Trouble) से महेफूज़ (सुरक्षित-Safe) रहता है. उसे नमाज़ अदा करने में मौसम का असर मुज़ाहिम और रखना अंदाज़ (अवरोधक-Obstacle) नहीं होता.”
- ◆ “मस्जिदे सयफी” या’नी मस्जिद का बगैर छत वाला खुला हिस्सा जिस को “सेहने मस्जिद” कहा जाता है, वोह हिस्सा गर्मी के मौसम (ग्रीष्म ऋतु - Summer) में महसूस होने वाली गर्मी से बचने के लिये नमाज़ियों की सहूलियत के लिये बनाया जाता है. अगले ज़माने में जब बिजली के पंखों वगैरह की सूलियत न थी और मस्जिद के छत वाले हिस्से में सख़्त गर्मी महसूस होती थी, तब फज़्र, मग़रिब आर इशा की नमाज़ की जमाअत गर्मी के दिनों में अ़ाम तौर पर मस्जिदे-सयफी या’नी मस्जिद के सेहने में क़ाइम हुआ करती थी, ताकि खुले आसमान के नीचे ठंडी हवा

- की लहरों से राहत पाकर नमाज़ी आराम से नमाज़ अदा करें.”
 - ◆ “मस्जिद की ता’मीर की मुन्दरजा बाला (उपरोक्त-Above) वज़ाहत (स्पष्टीकरण-Explanatoin) के बाद एक अहम (महत्वपूर्ण-Important) नुक्ता की तरफ़ क़ारेईने किराम (आदरणीय वांचक वर्ग) की तवज्जोह मरकूज़ (ध्यान केन्द्रित) करना भी ज़रूरी है कि मस्जिद का मुसक्कफ़ (छत वाला) हिस्सा कि जिसे “मस्जिदे-शतवी” कहते हैं और मस्जिद का गैर मुसक्कफ़ (खुला) हिस्सा जिसे “मस्जिदे-सयफी” कहते हैं, इन दोनों हिस्सों के अरबी नाम अवामुन्नास (सामान्य जनता) की ज़बानें पर आसानी से नहीं चढ़ सके और येह अरबी नाम उन को याद भी नहीं रहे सके, लिहाज़ा अवाम ने इन अरबी नामों के बदले दो आसान नाम १. दाख़िले-मस्जिद और २. ख़ारिजे मस्जिद बोलने शुरू किए. या’नी
 - ◆ मस्जिदे-शतवी (छत वाले हिस्से) को “दाख़िले-मस्जिद” और
 - ◆ मस्जिदे-सयफी (खुले हिस्से) को “ख़ारिजे-मस्जिद” कहने लगे
- और इन नामों से मुराद येह थी कि :-
- ◆ दाख़िले-मस्जिद या’नी छत वाला अन्दर का हिस्सा. (Internal Portion)
 - ◆ ख़ारिजे मस्जिद या’नी खुला हुआ बाहर का हिस्सा. (External Portion)
- येह दोनों नाम अ़वाम में मशहूर और राइज (प्रचलित) हो गए और इन नामों के मा’नी (अर्थ-Meaning) को हक़ीकत पर महमूल

(आधारित Dependant) कर के ऐसी ग़लत फहमी (ग़ैर समज़- Misunderstanding) फैली कि लफज़े “ख़ारिज” के लुग़वी (शब्दकोष-Lexicon) मा'नी हद बाहर (Beyond) और अलग Disjoined पर मस्जिद सयफी या'नी मस्जिद के सेहन को अ़वाम वाक़ई और शरअन ख़ारिजे-मस्जिद या'नी ख़ारिज अज़ मस्जिद या'नी मस्जिद से जुदा, अलग, विमुख (Separate) समज़ने लगे, लैकिन हकीकत यह है कि; “शरअन मस्जिद का सेहन ख़ारिजे-मस्जिद या'नी मस्जिद से जुदा या अलग नहीं बल्कि दाख़िले-मस्जिद और शामिले-मस्जिद ही है.”

◆ “अवामुन्नास के मस्जिद के सेहन को “ख़ारिजे-मस्जिद” कहने या समज़ने से मस्जिद का सेहन शरअन मस्जिद से ख़ारिज या'नी अलग, जुदा, विभक्त या विमुख नहीं हो जाएगा बल्कि उसकी मस्जिदियत या'नी मस्जिद होना मिस्ले-साबिक् (पहले की तरह-As former) बाक़ी और बरकरार (सुदद-Establisher) रहेगी. आम तौर से मस्जिद के सेहन को जो ख़ारिजे-मस्जिद कहा जाता है, उससे मुराद मस्जिद का बाहिरी हिस्सा ही है. अ़वाम की इस्तेलाह (लोक भाषा-Idiom) में ख़ारिजे-मस्जिद से मस्जिद से जुदा या अलग का मा'ना नहीं लिया जाएगा. मस्लन, ओलोमा-ए-किराम फिक़ही मसाइल बयान करते वक़्त ज़ाहेरी बदन या'नी शरीर के बाह्य (External) हिस्से को ख़ारिजे - बदन फरमाते हैं. जिस के मा'नी बदन का बैरूनी (बाह्य-External) हिस्सा. हरगिज़ यह मा'नी नहीं कि बदन से ख़ारिज या'नी बदन से जुदा या बदन से अलग (विमुख) हिस्सा.

इसी तरह ख़ारिजे-मस्जिद कहने के मा'नी मस्जिद का बाहर का हिस्सा है. मस्जिद से अलग और जुदा हिस्सा के मा'नी में हरगिज़ नहीं.

अल-हासिल !

मस्जिद का मुसक्क़ हिस्सा या'नी छत वाला हिस्सा या'नी मस्जिदे-शतवी को “दाख़िले-मस्जिद” कहना मस्जिद के अन्दरूनी या'नी अन्दर के हिस्से (Internal portion) के मा'नी में है.

इसी तरह ग़ैर मुसक्क़ या'नी बग़ैर छत का खुला हिस्सा या'नी मस्जिदे-सयफी या'नी मस्जिद के सेहन को “ख़ारिजे-मस्जिद” कहना बैरूनी या'नी बाहर के हिस्से (External Portion) के मा'नी में है. अलग या जुदा हिस्से (Disjoined Portion) के मा'नी में नहीं.”

“मस्जिद का अन्दरूनी हिस्सा और बैरूनी हिस्सा या'नी मस्जिद का सेहन, यह दोनों हिस्से बिना शुब्ह (निशंक) मस्जिद होने के मुतअल्लिक मिल्लते-इस्लामिया के अज़ीम (महान) आलिमों के अक़वाल (कथन).”

मिल्लते इस्लामिया के अज़ीमुल मरतबत (महान) ओलोमा-ए-किराम और अइम्म-ए-दीन ने साफ तशरीह फरमाई है कि;

1. मस्जिद का मुसक्क़ हिस्सा या'नी छत वाला हिस्सा या'नी मस्जिदे-शतवी और
2. मस्जिद का ग़ैर मुसक्क़ हिस्सा या'नी बग़ैर छत का खुला हिस्सा या'नी मस्जिदे-सयफी या'नी मस्जिद का सेहन. यह दोनों हिस्से यकीनन (निशंक) मस्जिद हैं.

◆ इमाम ताहिर इब्ने अहमद इब्ने अब्दुरशीद बुख़ारी ने “फ़तावा खुलासा” में, ◆ इमाम फख़रुद्दीन अबू मुहम्मद उस्मान इब्ने अली ज़यली ने “तबय्यनुल हकाइक शरहे कन्जुद दकाइक” में, ◆ इमाम हुसैन इब्ने मुहम्मद समआनी ने “ख़ज़ानतुल मुफतीन” में, ◆ मुहक्किफ़ अलल इल्लाक, इमाम कमालुद्दीन मुहम्मद इब्नुल हुमाम ने “फ़तुल क़दीर शरहे हिदाया” में ◆ अल्लामा अब्दुरहमान बिन मुहम्मद रूमीने “मजमउल अन्हर शरहे मुलतकीयुल अब्हर” में, ◆ अल्लामा सैयेदी अहमद मिसरी ने “हाशिया मुराककीयुल फलाह शरहे नूरिल इज़ा” में, ◆ ख़ातेमुल मुहक्कीन सैयेदी मुहम्मद इब्ने आबेदीन शामी ने “रददुल मोहतार” में, ◆ मुहक्किफ़ अल्लामा ज़ैन बिन नजीम मिसरीने “बहरूर राइक” में, ◆ अल्लामा सैयेदी इमाम अहमद तहतावी ने “हाशिया दुरे मुख़ार” में ◆ अल्लामा इब्राहीम हल्बी ने “शरहे सगीर मुन्या” में और ◆ इमाम मुहक्किफ़ अल्लामा मुहम्मद मुहम्मद मुहम्मद बिन अमीरूल हाज हल्बी ने “हुल्या शरहे मुन्या” में इस मस्अले के ज़िम्न (अनुसंधान) में हस्बे-ज़ैल (निम्न) तशरीह फ़रमाई है कि :-

◆ मस्जिद के शतवी और सयफी दोनों हिस्से मस्जिद के हुक्म मे हैं.

◆ मस्जिद के बैरूनी हिस्से (**External Portion**) का नाम “सेहने-मस्जिद” है, जो मस्जिद से जुदा और अलग नहीं.

लिहाज़ा साबित हुआ कि,

“मस्जिद का सेह्न क़त्अन (निशंक-Definite) मस्जिद है, जिसे अइम्म-ए-दीन और ओलोमा-ए-इज़ाम कभी “मस्जिद सयफी” और कभी “मस्जिदुल ख़ारिज” से ता’बीर (अर्थघटन-Intrepretatoin) करते हैं और मस्जिद के सेह्न को मस्जिद ही क़रार (ठहेराते-Resolve) देते है.”

मस्जिद के सेह्न के मुतअल्लिक

ज़रूरी मसाइल

मस्जिद

“अगर किसी ने क़सम (सौगन्ध) खाई कि मस्जिद से बाहर नहीं जाऊंगा और वोह क़सम खाने वाला मस्जिद के सेह्न में आया, तो हरगिज़ हानिस न हुआ या’नी (सौगन्ध तोड़ने वाला-Perjured) न हुआ.”

(हवाला : ◆ हिदाया ◆ फ़तावा हिन्दिया (आलमगीरी) ◆ दुरे मुख़ार ◆ रददुल मोहतार (शामी) और ◆ फ़तावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-५७६)

नोट :

“इस मस्अले से साबित हुआ कि मस्जिद का सेह्न मस्जिद के हुक्म में है. मस्जिद का सेह्न ख़ारिजे-मस्जिद या’नी मस्जिद से जुदा और मस्जिद से अलग के हुक्म में नहीं वर्ना मस्जिद के सेह्न में आते ही क़सम टूट जानी चाहिये.”

मस्जिद

“ मो’तकिफ़ (ए’तेफ़ाक में बैठने वाले) को ए’तेफ़ाक की हालत में मस्जिद के सेह्न में आना-जाना, बैठना, रहेना यकीनन जाइज़ और रवा (योग्य) है.” (फ़तावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-५७६)

नोट :

“इस मस्अले से भी येह साबित हुआ कि मस्जिद का सेह्न भी मस्जिद के हुक्म में है. अगर मस्जिद का सेह्न मस्जिद के हुक्म में न होता, तो मो’तकिफ़ को ए’तेफ़ाक की हालत में मस्जिद के सेह्न में आना-जाना, बैठना रहना वगैरह मना होता.”

फ़रआत

“ मस्जिद का सेहन जुजूवे-मस्जिद या'नी मस्जिद का ही हिस्सा है। मस्जिद के सेहन में नमाज़ पढ़ना मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के हुक्म में है। मस्जिद के पटे हुए (ढके-Covered) हिस्से को या'नी छत वाले हिस्से को मस्जिदे-शतवी या'नी मौसमे-सर्मा की मस्जिद और सेहन को मस्जिदे-सयफी या'नी मौसमे-गर्मा की मस्जिद कहते हैं।”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-५८२)

फ़रआत

“ मस्जिद के अन्दरूनी हिस्से (Internal Portion) और बैरूनी हिस्से (External Portion) या'नी सेहन में नमाज़े-जनाज़ा पढ़ने की शरअन इजाज़त नहीं।”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-५८२)

फ़रआत

“ मस्जिद का हुजरा फिना-ए-मस्जिद (Environs) है और फिना-ए-मस्जिद के लिये मस्जिद का हुक्म है।”

(अलमगीरी, फतावा रज़वीया, जिल्द-३ सफहा-५९४)

मस्जिद के अदबो-एहतेराम के शरई अहकाम

फ़रआत

“ नापाक तेल मस्जिद में जलाना जाइज़ नहीं।”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-५९८)

फ़रआत

“ मस्जिद का चिराग़ घर नहीं ले जा सकते और तिहाई (१/३) रात तक चिराग़ (Light) जला सकते हैं, अगरचे जमाअत हो चुकी हो। इससे ज़ियादा

की इजाज़त नहीं। मस्जिद के चिराग़ से कुतुब बीनी (Book Reading) और दर्सी-तदरीस (दीन का इल्म सिखना/सिखाना-Learning) तिहाई (१/३) रात तक तो मुत्लक़न कर सकते हैं। उसके बाद इजाज़त नहीं।”

(अलमगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-१८५ और फतावा रज़वीया, जिल्द-१, सफहा-७३४)

फ़रआत

“मस्जिद का कूड़ा-कचरा (Dust) ज़ाड़ कर के ऐसी जगह न डालें, जहां बे अदबी हो।” (दुरे मुख़्तार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-१८४)

फ़रआत

“मुबाह बातें भी मस्जिद में करने की इजाज़त नहीं और आवाज़ बुलन्द करना भी जाइज़ नहीं।”

(दुरे मुख़्तार, सगीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-१८५)

फ़रआत

“ शोरो-शर (घोंघाट-Out cry) करना भी मस्जिद में हराम है। और दुन्यवी बातों के लिये मस्जिद में बैठना हराम है और नमाज़ के लिये जा कर दुन्यवी तज़केरा (वार्तालाप-Talk) मस्जिद में मना है।”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-६०३)

फ़रआत

“ दुन्यवी बातों के लिये मस्जिद में जाकर बैठना हराम है। मस्जिद में दुनिया का कलाम (बातचीत) नेकियों को ऐसा खा जाता है, जैसे आग लकड़ी (Wool) को। यह तो मुबाह बातों का हुक्म है, फिर अगर बातें खूद बुरी हों, तो वोह सख़्त हराम, दर हराम और मौजिबे-अज़ाबे-शदीद हैं।” (या'नी कष्ट दायक शिक्षा का कारण है।)

(हवाला : सदर-Ditto)

फरिश्ता

“दुनिया की बात, जब कि “ फी नफसेही” (मूल स्वरूप-Essentially) मुबाह और सच्ची हो, मस्जिद में बिना ज़रूरत करनी हराम है. हदीस शरीफ में है कि; “जो लोग मस्जिद में दुनिया की बातें करते हैं, उन के मुंह से वोह गंदी “बू-ए-बद” (दुर्गन्ध-Bad Smell) निकलती है कि जिससे फरिश्ते (तकलीफ पाने की जवह से) अल्लाह तआला के हुजूर उनकी शिकायत करते हैं.” एक रिवायत में है कि “ एक मस्जिद अपने रब के हुजूर शिकायत करने चली कि लोग मुज़ में दुनिया की बातें करते हैं. राह (मार्ग) में फरिश्ते उसे आते मिले और बोले कि हम उन को हलाक (सत्यानाश-Perdition) करने को भेजे गए हैं.” (हवाला : अल-अशबाह-वन-नजाइर, मदरिक शरीफ, गमजुल उयून, हुदयक़ा नदिया शरहे तरीक़-ए-मुहम्मदिया, और फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-४०३)

नोट :

“ अफसोस है कि इस ज़माने में लोगों ने मस्जिदों को चौपाल या'नी पंचायत घर या मुसाफिर ख़ाना बना रखा है. यहां तक कि कुछ लोगों को मस्जिदों में गालियां बकते, लड़ते, ज़गड़ते और हंगामा करते देखा जाता है.”

फरिश्ता

“ मस्जिद में हंसना (Laughing) क़ब्र में अंधेरी (Darkness) लाता है. मस्जिद में हंसने की सख़्त मुमानेअत (मनाई) वारिद है.”

(अहकामे शरीअत, हिस्सा-१, मस्अला-३१, सफ़हा-७४)

फरिश्ता

“ मस्जिद को रास्ता बनाना या'नी उस में से होकर गुज़रना (पसार होना) ना जाइज़ है. अगर इस की आदत (टेव-Habit) करे, तो फ़ासिक है.” (दुरे मुख़ार, रददुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-१८२)

नोट :

“ कुछ मस्जिदें इस तरह होती हैं कि उसके दो (२) दरवाज़े (Gate) होते हैं. एक दरवाज़ा एक तरफ की गली (Street) या सड़क पर होता है और दूसरा दरवाज़ा दूसरी तरफ की गली या रोड पर पड़ता है. कुछ लोग एक गली से दूसरी गली में जाने के लिये मस्जिद के एक दरवाज़े से घुस कर दूसरे दरवाज़े से निकलते हैं, ताकि उनको येह Short Cut रास्ता की वजह से लम्बा राउन्ड न लेना पड़े. येह शरअन मना और नाजाइज़ है.”

फरिश्ता

“मस्जिद में ना समज़ बच्चों और पागलों को ले जाना मना है. इब्ने माजा ने हज़रत मकहूल से और अब्दुर्रज़ाक ने अपनी मुसन्नफ में उन्हीं से, और उन्हीं ने हज़रत मआज़ इब्ने जबल रदीयल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत फरमाई है कि हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, “जन्ने बू-मसाजिदकु म-सिबयानकु म-व-मजानीनकु म-व-शाराअकु म-व-बयअकु म-व-खुसूमातकु म-व-रफआ-अस्वातकु म” (तर्जुमा) “ अपनी मस्जिदों को बचाओ अपने ना समज़ बच्चों और मजनूनों (पागलों-Mads) के जाने से और ख़रीदो-फरोख़्त से और ज़गड़ों और आवाज़ बुलन्द करने से.”

(रददुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-१८२ और फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-४०३)

नोट :

“ ना-समज़ बच्चों और पागलों को मस्जिद में ले जाने की मुमानेअत की वजह यह है कि उनको पेशाब-पाख़ाने का शुउर (भान) नहीं होता, लिहाज़ा, मस्जिद का फर्श नजासत (नापाकी) से मुलव्विस (गंदा-Defiled) होने का एहतेमाल (शक्यता-Possibility) है. इलावा अर्ज़ी उनके शोरो-गुल और लगवियात(घोंघाट,अर्थहीन चेष्टाओ)का भी इम्कान रहता है.”

मस्जिदा

“ मस्जिद में हद्स या'नी रीह खारिज करना (पादना-Farting) गैर मो'तकिफ़ को मकरूह है. उसे चाहिये कि ऐसे वक़्त मस्जिद से बाहर चला जाए और मस्जिद से बाहर जाकर 'रीह' खारिज करके फिर वापस चला आए. कुछ लोगों की रीह में 'बू-ए-शदीद' (तीव्र दुर्गंध) होती है ऐसे लोगों को ऐसे वक़्त में मस्जिद में बैठना जाइज़ नहीं कि बू-ए-बद (दुर्गन्ध) से मस्जिद को बचाना वाजिब है.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-६, सफ़हा-३९३)

मस्जिदा

“मस्जिद की छत पर बिला ज़रूरत नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं कि मस्जिद की छत पर ज़रूरत के बगैर चढ़ना ममनूअ और बे अदबी है और गर्मी का बहाना सुना नहीं जाएगा.हां, अगर नमाज़ियों की कसरत (भीड-Crowd) की वजह से नीचे का तबका (विभाग-Portion) भर जाए और लोगों को नमाज़ पढ़ने के लिये जगह नहीं, तो इस सूरत में मस्जिद की छत पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है.”

(अलमगीरी, फतावा रज़वीया, जिल्द-६, सफ़हा-४२०/४४८)

मस्जिदा

“ मस्जिद के एहाता (निकटवर्ती विस्तार-Surrounding Area) के

अन्दर दरख़्तों (पेड-Trees) से या मस्जिद की मिलक (मालिकी-Ownership) के दरख़्तों में से किसी दरख़्त का फल या फूल कीमत अदा (Pay) किए बगैर खाना या लेना जाइज़ नहीं.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-६०२, और जिल्द-६, सफ़हा-४५०)

मस्जिदा

“मस्जिद में मसारिफे ख़ैर या'नी नेक कामों के लिये चन्दा (फंड-Donation) करना जाइज़ है, जब कि किसी किस्म की चपक़लश या'नी दंगा और हुजूम (Crowding - शोर बकोर) न हो और चन्दा करने में कोई बात मस्जिद के अदब के ख़िलाफ न हो. मस्जिदों में मसारिफे ख़ैर के लिये चन्दा करने का जवाज़ (जाइज़ होना) सहीह हदीसों से साबित है. इसी तरह मस्जिद में वअज़ (धार्मिक व्याख्यान - Sermon) की भी इजाज़त है, जब कि वाईज़ (धर्मोपदेशक - Preacher) अ़लिम और सुन्नी सहीहुल अकीदा हो.”

(अहेकाम-शरीअत, हिस्सा-१, मस्अला-२४, सफ़हा-७७ और फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-४२२/४२६)

मस्जिद की दीवारे-किब्ला में तुग़रा

और दीगर चीज़ें लगाना

मस्जिदा

“मस्जिद की दीवारे-किब्ला या'नी पश्चिम- West दिशा की दिवार में ऐसी चीज़ों को नसब (जड़ित-Fixture) करना जिस की वजह से लोगों का नमाज़ में ध्यान बटे (विचलन-Dispersing) हो. और उन चीज़ों (मस्लन तुग़रा वगैरह) को इतना नीचा लगाना कि खुत्बा में इमाम की पुशत (पीठ) उस की तरफ हो, यह और भी

(ज़ियादा) ना मुनासिब (अयोग्य) है.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-५९१)

परअला

“मस्जिद की क़िब्ला (पश्चिम) की तरफ की दीवार (Wall) में आम नमाज़ियों के मौज़-ए-नज़र तक या'नी नज़र के सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिये कि जिससे दिल (ध्यान) बटे और अगर ऐसी कोई चीज़ हो, तो कपड़े से छुपा देनी चाहिये.

इमाम अहमद और अबू दाउद हज़रत उस्मान इब्ने तल्हा रदीय्यल्लाहो तअ़ाला अन्हो से रावी कि हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम का'ब-ए-मोअज़्ज़मा में तशरीफ फरमा हुए. का'बा शरीफ के कलीद बरदार (चाबी रखने वाले-Key Holder) हज़रत उस्मान बिन तल्हा रदीय्यल्लाहो तअ़ाला अन्हो को तलब फरमाया (बुलाया) और इरशाद फरमाया कि हमने का'बा में दुम्बे (मेंढा-Sheep) के सींग (Horn) मुलाहेज़ा फरमाए थे (वोह दुम्बा जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातो वस्सलाम का फ़िदया/बदला - Ransom हुआ, उसके सींग का'बा मोअज़्ज़मा की दीवारे ग़रबी /पश्चिम में लगे हुए थे) और हमें तुम से येह फरमाना याद न रहा कि उनको ढांक दो, लिहाज़ा अब ढांक दो कि नमाज़ी के सामने कोई ऐसी चीज़ न चाहिये कि जिससे दिल बटे.” हां अगर इतनी बुलन्दी पर हो कि सर उठा कर देखे तो ही नज़र आए, तो येह नमाज़ी का कुसूर है, उसे आसमान की तरफ निगाह उठाना कब जाइज़ था.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-६०७ और जिल्द-६, सफहा-

४७५)

किस को मस्जिद में आने से रोका

और निकाला जाएगा ?

परअला

“जो शख़्स मुज़ी (तकलीफ पहुंचाने वाला-Pernicious) हो, कि नमाज़ियों को तकलीफ देता है या बुरा भला कहता है और शरीर (दुष्ट-Vicious) है और उसके ज़रीए (द्वारा) शर (दुराचरण-Deparvity) का अंदेशा रहेता है, तो ऐसे शख़्स को मस्जिद में आने से मना करना जाइज़ है. और कोई गुमराह और बद मज़हब मस्लन वहाबी, नजदी, देवबन्दी, राफज़ी, ग़ैर मुक़ल्लिद, नेचरी, तफज़ीली, नदवी, तबलीगी वग़ैरह मस्जिद में आकर नमाज़ियों को बहेकाता है और अपने नापाक मज़हब और अक़ीदों की तरफ बुलाता है, तो उसे मना करना और मस्जिद में आने से रोकना वाजिब है.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-५८२)

परअला

“दफ-ए-फित्ना व फसाद बःक़द्रे कुदरत फर्ज़ है या'नी लडाई ज़गड़े को यथा शक्ति रोकना फर्ज़ है. और मुफसिदों (लड़ने वालों) और मूज़ियों को बःशर्ते इस्तेताअत (शक्ति की मर्यादा मुजब) मस्जिद से रोका जाएगा. उमदतुल का़री शरहे सहीह बुख़ारी शरीफ और दुर्रे मुख़्तार शरीफ में है कि; “युम्नअो-कुल्बो-मूज़िन-व-लव-बे-लिसानेहि” (तर्जुमा) “मस्जिद से हर मूज़ी को रोका जाएगा अगरचे वोह अपनी ज़बान से इज़ा (कष्ट) पहुंचाता हो.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-५८३)

परअला

“जो शख्स मस्जिद में आकर अपनी ज़बान से लोगों को इज़ा देता हो, उसको मस्जिद से निकालना, बल्कि हर मूज़ी को मस्जिद से निकालना बःशर्ते इस्तेताअत वाजिब है, अगरचे वोह सिर्फ अपनी ज़बान से इज़ा देता हो, खुसूसन वोह जिसकी इज़ा मुसलमानों में बद मज़हबी फैलाना और लोगों को गुमराह करना हो.” (उमदतुल कारी शरहे बुखारी, दुर्रे मुख़्तार, रददुल मोहतार, फतावा रज़वीया जिल्द-६, सफहा-१०९/४३३/४४७)

परअला

“बिला वजह (बिना कारण-Without reason) किसी सुन्नी मुसलमान को मस्जिद में आने से मना करना हाराम है.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-५८३)

मस्जिद की जायदाद, माल-सामान और आम्दनी के मुतअल्लिक

परअला

“ एक मस्जिद की जायदाद (मिल्कत-Property) और वक़फ़ की आम्दनी (आवक-Income) दूसरी मस्जिद के मसारिफ़ (खर्च-Expenses) में खर्च करना हरगिज़ जाइज़ नहीं. यहां तक कि अगर एक मस्जिद में लोटे (Jug) हाज़त से ज़ियादा हों और दूसरी मस्जिद में लोटे न हों, तो भी एक मस्जिद के लोटे दूसरी मस्जिद में भेजने की इजाज़त नहीं.” (हवाला : दुर्रे मुख़्तार, रददुल मोहतार, फतावा अफरीका, मस्अला नं. १०७, सफहा-१७७, फतावा रज़वीया, जिल्द-६, सफहा-३८४)

परअला

“मस्जिद की आम्दनी दूसरे अवक़ाफ़ (वक़फ़ो/संस्था) में सर्फ़ (खर्च) करना हाराम है, अगरचे येह मस्जिद को हाज़त भी न हो. मस्जिद की आम्दनी दूसरे अवक़ाफ़ में सर्फ़ करना हाराम हाराम अशद (सख़्त) हाराम है. अगर किसी मस्जिद का माल किसी दूसरे वक़फ़ या किसी दूसरी मस्जिद में दे दिया है और वोह माल अभी बः ऐनेही (यथार्थ-Exactly) मौजूद है, तो वापस ले लिया जाए, और अगर वोह माल खर्च (Use) हो गया, तो उसका ‘तावान’ (हरजाना-Recompense) मुन्तज़ेमीन (व्यवस्थापकों) पर लाज़िम है. उनसे वुसूल (Recover) किया जाए और उन मुन्तज़ेमीन को मा’जूल (ओहदे से बरतरफ-Disposted) करना वाजिब है कि वोह गासिब (Seizes) और ख़ाइन (Embezzler) हैं.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-६, सफहा-४६०)

परअला

“मस्जिद के किसी हिस्से को तिजारात की दुकान कर देना हाराम, हाराम, सख़्त हाराम और मज़हबे-इस्लाम में दस्त अंदाजी है. इन दुकानों (Shops) में किसी दुन्यवी काम के लिये बैठना, या उसका किराया (Rent) लेना, या उसमें कोई चीज़ बेचना-ख़रीदना, या बेचने-ख़रीदने के लिये उस में जाना हारामे-क़तई है. इन दुकानों को वापस ख़ास मस्जिद बना देना वाजिब है. मुसलमानों पर उसे मस्जिद बाकी रखना और “ता हद्दे-कुदरत” (यथा शक्ति) हर जाइज़ तरीके से उसे मस्जिद में रहेने देने में पूरी कोशिश करना फर्ज़-क़तई है. जो इसमें कोताही (बेदरकारी-Deficiency) करेगा, सख़्त अज़ाबे-इलाही का मुस्तहिक़ (लायक/पात्र) होगा.”

(दुर्रे मुख़्तार, बहरूर राइक, रददुल मोहतार, फतावा रज़वीया, जिल्द-६, सफहा-४७१)

अज्ञान हो जाने के बाद मस्जिद से बाहर

निकलने के मुतअल्लिक

परअला

“अज्ञान हो जाने के बाद मस्जिद से निकलने की इजाज़त नहीं। हदीस शरीफ में है कि अज्ञान के बाद मस्जिद से नहीं निकलता मगर मुनाफिक़। लेकिन वोह शख्स कि जो किसी काम के लिये गया और जमाअत से पहले वापसी का इरादा रखता है।”

(फिकह की तमाम किताबें और बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-१८६)

परअला

“अगर कोई शख्स उस वक्तकी नमाज़ पढ़ चुका है, तो अज्ञान के बाद मस्जिद से जा सकता है, लेकिन जोहर और इशा के वक्त अगर जमाअत की इक़ामत हो रही हो, तो मस्जिद से न निकले बल्कि नफ़्ल की निय्यत से जमाअत में शरीक हो जाए और बाकी नमाज़ों या'नी फज़्र, अस्स और मग़रिब में अगर तकबीर हुई और येह तन्हा पढ़ चुका है तो बाहर निकल जाए।”

(बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-१८६)

परअला

“किसी ने फर्ज़ पढ़ लिये हैं और मस्जिद में जमाअत काइम हुई, तो जोहर और इशा में (नफ़्ल की निय्यत से) ज़रूर शरीक हो जाए। अगर वोह तकबीर या'नी इक़ामत सुन कर बाहर चला गया, या वहीं बैठा रहा और जमाअत में शरीक न हुआ, तो मुब्तेला-ए-किराहत (धृणास्पद चेष्टा में समाविष्ट) और जमाअत तर्क करने के मामले (आक्षेप) में मुलव्विस (समाविष्ट-Involved in Averson) हुआ,

लैकिन, फज़्र, अस्स और मग़रिब में शरीक न हो। क्योंकि फज़्र और अस्स के बाद नफ़्ल मकरूह और मना है, और मग़रिब में तीन (३) रकअत फर्ज़ होने की वजह से शरीक न हो। अगर मग़रिब की जमाअत में नफ़्ल की निय्यत से शरीक हुआ और चौथी रकअत मिलाई, तो इमाम की मुख़ालेफ़त की किराहत लाज़ीम आएगी और अगर जमाअत में शरीक न हुआ और वैसे ही बैठा रहा, तो किराहत मज़ीद अशद (ज़ियादा सख़्त) होगी। लिहाज़ा फज़्र, अस्स और मग़रिब के वक्त बाहर चला जाए।”

(फ़तावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-६१३/३८३)

परअला

“अगर मुहल्ले की मस्जिद में जमाअत न मिली, तो अगर किसी दूसरी मस्जिद में जमाअत मिल सकती है, तो वहां जमाअत से पढ़ना अफज़ल है। और अगर दूसरी मस्जिद में भी जमाअत मिलना मुम्किन नहीं, तो मुहल्ले की मस्जिद में तन्हा पढ़ना अवला (बेहतर) है। यूंही अगर अज्ञान कही और जमाअत के लिये कोई भी न आया, तो मोअज़्ज़ुज़न (बांगी) तन्हा पढ़ ले, दूसरी मस्जिद में न जाए।”

(सग़ीरी, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-१८६)

परअला

“अगर मुहल्ले की मस्जिद का इमाम मआज़ल्लाह (अल्लाह की पनाह) बद अकीदा, या ज़ानी (व्यभिचारी-Adulterer) या सूद (ब्याज) ख़ोर है, या उसमें कोई ऐसी ख़राबी है कि जिसकी वजह से उसके पीछे नमाज़ मना हो, तो मुहल्ले की मस्जिद छोड़ कर सहीहुल अकीदा इमाम वाली मस्जिद को जा सकता है।”

(गुन्या शरहे मुन्या, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-१८६)

मस्जिद में सोया था और

एहतेलाम हो गया, तो क्या करे ?

परअला

“ मस्जिद में कोई शख्स सोया हुआ था और उसे एहतेलाम (स्वप्न दोष- Nocturnal Pollution) हो गया, तो उस पर फर्ज है कि मस्जिद से फौरन निकल जाए, क्योंकि जनाबत (नापाकी) की हालत में मस्जिद में ठहेरना हराम है. यूँही जनाबत की हालत में मस्जिद में चलना भी हराम है. लिहाजा उस पर वाजिब है कि फौरन अपनी जगह पर ही ‘तयम्मूम’ कर ले. उसे सिर्फ इतनी ही दैर ठहेरने की इजाज़त है, जितनी दैर (समय) में वोह तयम्मूम कर सके. इलावा अर्जी उसे एक लम्हा (क्षण-Moment) भी तयम्मूम करने में ताखीर (विलम्ब-Late) करना रवा नहीं कि इतनी दैर बिना ज़रूरत जनाबत की हालत में मस्जिद में ठहेरना होगा और येह हराम है.

लिहाजा :-

अगर उसके करीब कोई मिट्टी का बरतन रखा हुआ है और दीवार क़दम भर दूर है, तो वाजिब है कि उसी बरतन से फौरन तयम्मूम कर ले. और अगर दीवार करीब है और बरतन दूर है, तो दीवार से तयम्मूम कर ले. और अगर दीवार और बरतन दोनों दूर हैं, तो जहां वोह बैठा है, उस जगह की ज़मीन से तयम्मूम कर ले. उसे इजाज़त नहीं कि जनाबत की हालत में सरक (खिसक कर- Movement) दीवार तक जाए, बल्कि मस्जिद की ज़मीन से ही तयम्मूम कर ले.

अल ग़रज़ ! जो जल्द हो सके वोह करे और तयम्मूम करने के बाद फौरन मस्जिद से निकल जाए. अगर मस्जिद में चन्द दरवाजे

हैं, तो वोह दरवाजा इख़्तियार करे जो करीब तर (ज़ियादा समीप- Nearest) हो.”

(हवाला : फतावा इमाम काज़ी खान, ज़खीरा, अल इख़तेयार फी शर्हील मुख़ार, मुहीत, फतावा रज़वीया, जिल्द-१, सफहा-६३६)

सुब्बत और नफल नमाज़ घर में पढ़ना

अफज़ल है या मस्जिद में पढ़ना अफज़ल है ?

परअला

“ तरावीह और तहय्यतुल मस्जिद के सिवा तमाम नवाफ़िल (नफ़्लें) और सुनन (सुन्नते) ख़्वाह मोअक्केदा हों या ग़ैर मोअक्केदा हों, घर (Residence) में पढ़ना अफज़ल और बाइसे-सवाबे-अकमल (सम्पूर्ण-Entire) है. बुख़ारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; “*अलयकुम-बिस्सलाते-फी-बुयूतेकुम-फ-इब्ना-ख़यरस-सलातिल-मराए-फी-बयतेहि-इल्ला-मकतूबते*” (तर्जुमा) ‘ तुम पर लाज़िम है घरों में नमाज़ पढ़ना कि मर्द के लिये बेहतर नमाज़ उसके घर में है, सिवा फर्ज के.’

(बुख़ारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ)

परअला

“सुनन और नवाफ़िल का घर में पढ़ना अफज़ल है और यहीं हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम की आदते-तय्येबा और हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लमने हमे यूँही हुक्म फरमाया है.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-४५७/४५८)

फर्ज

“अस्ल हुक्मे इस्तेहबाबी या'नी मुस्तहब यही है कि सुन्नते-क़बलिया या'नी फर्ज के पहले की सुन्नतें या'नी फज़ की दो (२) ज़ोहर की चार (४) अस्र की चार (४) और इशा की चार (४) तो मुल्लक़ घर में पढ़ कर ही मस्जिद में जाए कि ज़ियादा सवाब पाए.

और सुन्नतें-बा'दिया या'नी फर्ज के बाद की सुन्नतें या'नी ज़ोहर के बाद की दो (२) मग़रिब के बाद की दो (२) और इशा के बाद की दो (२) के लिये यह हुक्म है कि जिसे अपने नफ़स पर इत्मेनाने-क़ामिल (Self Concious) हासिल हो कि घर जाकर किसी ऐसे काम में मशगूल (व्यस्त-Busy) न हो जाएगा जो उसे सुन्नतें पढ़ने से बा'ज (वंचित-Faraway) रखे, तो वोह फर्ज मस्जिद में पढ़ कर पलट आए और सुन्नतें घर ही में पढ़े तो बेहतर है, और इस से सवाब की एक ज़्यादाती (वृद्धि-Augmentation) यह हासिल होगी कि सुन्नतें अदा करने के लिये जितने क़दम (पग-Step) मस्जिद से घर तक चलेगा, वोह सब हसनात (नेकियों) में लिखे जाअंगे. और जिस शख़्स को येह इतमेनान न हो, वोह सुन्नतें मस्जिद में पढ़ ले, ताकि अफज़लीयत हासिल करने का लिहाज़ करने में अस्ल नमाज़ ही कहीं फ़ौत न हो जाए.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-४५८)

जरूरी

फर्ज

“लैकिज़ अब आम तौर पर एहले इस्लाम सुन्नत और नफ़्ल नमाज़ मस्जिद में ही पढ़ने पर अमल करते हैं. मस्जिद में एक मश्लेहत येह भी है कि घर के मुकाबले मस्जिद में दिली इत्मेनान ज़ियादा होता है. इलावा अर्जी अग़र कोई शख़्स मस्जिद में सुन्नतें पढ़े ही नहीं, तो ख़्वा-म-ख़्वा लोग उसकी बे:समजे (व्यर्थ) मुख़ालेफ़्त, ताअन

और अंगुशत नुमाई और गीबत करने में मुब्तिला होंगे. घर में सुन्नतें पढ़ने का जो मश़ाला उपर दर्ज किया गया है, वोह हुक्म इस्तेहबाबी यानी मुस्तहब दर्जे का है, और अग़र मुस्तहब काम के करने से अ़वामुन्नास (आम जनता) की मुख़ालेफ़्त (विरोध), अंगुशत नुमाई (ऊंगली उठाना), बद्दुमानी और गीबत का अ़देशा (संदेह) है, तो मस्जिद ही में सुन्नत और नफ़्ल नमाज़ पढ़ना बेहतर है. अइम्म-उ-दीन फरमाते हैं कि “अल-ख़ुर्रजो-अनिल-आदते-शहरतुन-मकरह.”

(संदर्भ हवाला : फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-४५९)

प्रकरण
(१८)

‘मर्द और औरत की नमाज़ का फर्क’

- ◆ “ जिस तरह बालिग़ मर्द पर नमाज़ फर्ज़ है, इसी तरह बालिग़ औरत (स्त्री) पर भी नमाज़ फर्ज़ है.”
- ◆ “ हैज़ (मासिक स्राव-Menses) और निफ़ास (प्रसव के बाद जो खून आता है-Blood after delivery) की हालत में औरत को नमाज़ पढ़ना मना है. इन दिनों में औरत को नमाज़ माफ (Exempted) है और इन दिनों की नमाज़ की कज़ा भी नहीं.”
(बहारे शरीअत, हिस्सा-२, सफ़हा-८२)
- ◆ “मर्द और औरत के नमाज़ पढ़ने के तरीक़े (पद्धति-Method) में भी फर्क है. वोह फर्क ज़ैल (निम्न-Below) में मरकूम (आलेखित) है. क़ारेईने-किराम एक नज़र में मर्द और औरत की नमाज़ का फर्क आसानी से समज़ लेंगे.

कहाँ फर्क है	फर्क नंबर	मर्द (पुरुष-Male) के लिये क्या हुक़म है ?	औरत (स्त्री-Female) के लिये क्या हुक़म है ?
तकबीरे तहरीमा	(१)	◆ अपनी हथेलियाँ आस्तीन के बाहर रखे.	◆ अपनी हथेलियाँ आस्तीन या चादर के अन्दर छुपा कर रखे.
	(२)	◆ अपने दोनों हाथ कानों तक उठाए.	◆ अपने दोनों हाथ सिर्फ़ मूढ़ों (Shoulder) तक उठाए.
क़याम	(१)	◆ नाफ (डुंटी-Nevel) के नीचे हाथ बांधे.	◆ पिस्तान(स्तन-Breast) के नीचे हाथ बांधे.

	(२)	◆ दायें हाथ की हथेली बायें हाथ की हथेली के जोड़ (Joint) पर रखे और छिनालियाँ (छोटी ऊंगली-Littlefinger) और अंगूठा (Thumb) को कलाई (Wrist)के इर्द गिर्द (फरते) हलक़ा (Round) की शक्ल में रखे और दायें हाथ की बीच की तीनों ऊंगलियों को बायें हाथ की कलाई की पुश्त पर बिछा दे.	◆ बायें हाथ की हथेली (Palm) को पिस्तान के नीचे रखकर उसकी पुश्त (Back) पर दायें हाथ की हथेली रखे.
रुकूअ़	(१)	◆ पूरा झुके, इस तरह कि अगर पीठ पर पानी का प्याला भर कर रख दिया जाए तो ठहेर जाए, इतनी पीठ बिछाए.	◆ सिर्फ़ इतना झुके कि हाथ घुटनों (Knee) तक पहुंच जाए. पीठ को झुका कर न बिछाए.
	(२)	◆ अपना सर पीठ के महाज़ (समांतरParaller) में रखे, न नीचा झुकाए न ऊंचा.	◆ अपना सर पीठ के महाज़ से ऊंचा उठाए रखे.
	(३)	◆ हाथों पर टेक लगाए या'नी वज़न दे.	◆ हाथों पर टेक न लगाए या'नी वज़न न दे.
	(४)	◆ घुटनों को हाथों से पकड़े.	◆ हाथों को घुटनों पर सिर्फ़ रखे और घुटने पकड़े नहीं

	(५) ◆ घुटनों पर हाथ रख कर ऊंगलियां खूब खुली हुई और कुशादा रखे. (६) ◆ अपनी टांगे मुल्लक न झुकाए, बल्कि सीधी रखे.	◆ हाथों की ऊंगलियां कुशादा न करे बल्कि मिली हुई रखे. ◆ अपनी टांगे झुकी हुई रखे, मर्दों की तरह सीधी न रखे.
सजदा	(१) ◆ फैल कर और कुशादा हो कर सजदा करे. (२) ◆ बाजू को करवट से, पेट को रान से और रान को पिन्डलियों से जुदा रखे. (३) ◆ कलाइयां और कोहनियां ज़मीन पर न बिछाए बल्कि हथेलियां ज़मीन पर रखकर कलाइयां और कोहनियां उपर को उठाए रखे.	◆ सिमट कर सजदा करे ◆ बाजू को करवट से, पेट को रान से, रान को पिन्डलियों से, और पिन्डलियों को ज़मीन से मिलादे. ◆ कलाइयां और कोहनियां ज़मीन पर बिछाए या'नी ज़मीन से लगाए.
जल्सा और का'दा	(१) ◆ अपना बायां (LEFT) क़दम बिछा कर उस पर बैठे और दायां क़दम इस तरह खड़ा रखे कि तमाम ऊंगलियां (क़िब्ला की तरफ) हो.	◆ दोनों पांव दायीं तरफ निकाल दे और बायें (Left) सुरीन या'नी चूतर (कुला-Rump) के बल ज़मीन पर बैठे.

	(२) ◆ अपनी हथेलियां रान पर रखे और ऊंगलियां अपनी हालत पर छोड़ दे या'नी ऊंगलियां न कुशादा (खुली रखे) और न मिली हुई रखे.	◆ अपनी हथेलियां रान पर रखे और ऊंगलियां मिली हुई रखे.
आगे से गुज़रने वाले को मुतनब्बेह (सचेत) करना	(१) ◆ नमाज़ पढ़ रहा है और कोई शख्स आगे से गुज़रे तो 'सुब्हानल्लाह' कहे कर उस गुज़रने वाले को मुतनब्बे या'नी सचेत -Circumspect करे.	◆ नमाज़ पढ़ रही है और कोई व्यक्ति आगे से गुज़रे तो हाथ पर हाथ मार कर मुतनब्बेह करे. इस को शरई इस्तेलाह में 'तस्फीक' कहते हैं. या'नी औरत तस्फीक करे.
नमाज़े फज़्र	(१) ◆ नमाज़े-फज़्र में अस्फार तक ताखीर (विलम्ब-late) करना मुस्तहब है. या'नी इतना उजाला हो जाएकि ज़मीन रोशन हो जाए और आदमी एक दूसरे को आसानी से पहचान ले. (२) ◆ Nil	◆ फज़्र की नमाज़ 'ग़ल्स' या'नी अक्वल वक़्त अंधेरे (Darkness) में पढ़े. ◆ औरत फज़्र की नमाज़ मर्दों की जमाअत काइम होने से पहले या'नी

			उजाला फैलाने से पहले पढ़े. बाकी तमाम नमाज़ों में मर्दों की जमाअत का इन्तेज़ार करे या'नी मर्दों की जमाअत हो जाने के बाद पढ़े.
नमाज़े जुम्आ व ईदैन	(१)	◆ मर्द पर जुम्आ की नमाज़ फर्ज़ है और ईदैन या'नी दोनों ईदों की नमाज़ वाजिब है.	◆ औरत पर जुम्आ व ईदैन की नमाज़ नहीं.

ज़रूरी तम्बीह और मसाइल

परअल

“औरत भी खड़ी होकर (Standing) ही नमाज़ पढ़े.

जिन नमाज़ों में या'नी फर्ज़, वाजिब और सुन्नते-मोअक्केदा में मर्दों पर क़याम फर्ज़ है, उन नमाज़ों में औरतों पर भी क़याम फर्ज़ है. अगर बिला उज्जे-शरई उन नमाज़ों को बैठ कर पढ़ेगी, तो नमाज़ नहीं होगी.

परअल

“तमाम रकअतें खड़ी होकर पढ़े. एक रकअत खड़ी होकर और बाकी रकअते बैठ कर पढ़ेगी, तो उन रकअतों में क़याम का फर्ज़ तर्क होगा, लिहाज़ा नमाज़ न होगी.”

नोट :

हमारी कुछ कम-इल्म मां बहेनें फर्ज़, वाजिब और सुन्नते-मोअक्केदा नमाज़ में भी तमाम या बा'ज़ (कुछ) रकअतें बैठ कर पढ़ती हैं. उनकी नमाज़ नहीं होती, लिहाज़ा ऐसी नमाज़ की कज़ा करें और आइन्दा के लिये तौबा करें और हमेशा खड़े होकर लाज़मी तौर पर नमाज़ पढ़ने की आदत डालें.

- ◆ “शरई उज्ज के बग़ैर बैठ कर नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं.”
- ◆ “क़याम या'नी खड़े होकर नमाज़ पढ़ने के मुतअल्लिक़ जो अहेकाम मर्दों के लिये हैं, वोह तमाम अहेकाम औरतों पर भी लाज़मी (अनिवार्य) हैं.”
- ◆ “नफ़्ल नमाज़ बग़ैर किसी उज्ज (कारण-Reason) के भी बैठ कर पढ़ सकती हैं.

प्रकरण
(१९)

“चन्द ज़रूरी मसाइल”

मरआला

“ सोते हुए (Sleeping) आदमी को नमाज़ के लिये जगाना जाइज़ है, बल्कि ज़रूरी है.”

(अहकामे शरीअत, मस्अला नं. ६६, हिस्सा नं. २, सफहा नं. १०२ और फतावा रज़वीया, जिल्द नं. ३, सफहा नं. १९८)

मरआला

“ हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम का मुबारक नामे-पाक मुख़तलिफ जल्सों में जितनी मरतबा ले (बोले) या सुने, हर मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है. अगर दरूद शरीफ नहीं पढ़ेगा, तो गुनाहगार होगा और सख़्त वर्इदों में गिरफतार होगा.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-८१)

मरआला

“ जो शख़्स सिर्फ वज़ीफा पढ़े और नमाज़ न पढ़े, वोह फासिक है और मुरतकिबे कबाइर (बड़े गुनाह करने वाला - Performing Heavy Sins) है. उसका वज़ीफा उस के मुंह पर मारा जाएगा. ऐसों ही के मुतअल्लिक हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया गया है कि ;“बहुतेरे (बहुत से-Somany) कुरआन पढ़ते हैं, और कुरआन उन्हें ला'नत (शाप-Malediction) करता है.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-८२)

मरआला

“ हदीसे सहीह में ऐसी जगह बुलन्द आवाज़ से कुरआने मजीद पढ़ने की मुमानेअत फरमाई गई है, जहां लोग नमाज़ पढ़ रहे हों, कुरआने-मजीदने हुकम फरमाया है कि “ जब कुरआन पढ़ा जाए, कान लगा कर सुनो और चुप रहो.” तो ऐसी जगह जहर (बुलन्द आवाज़-Loudly) से पढ़ना मना है.

और दो (२) या चन्द आदमियों का मिल कर (सामूहिक) बुलन्द आवाज़ से इस तरह कुरआन शरीफ पढ़ना कि एक दूसरे की आवाज़ टकराए और शोरो-गुल (घोंघाट-Out cry) उठे (हो), सख़्त ममनूअ और कुरआन के हुकम के ख़िलाफ और कुरआने अज़ीम की बेहुरमती (बे:अदबी) है. इन लोगों को चाहिये कि आहिस्ता पढ़ें.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-१२८)

मरआला

“ कुछ लोगों में येह बात ग़लत राइज़ है कि नमाज़ में “सूर-ए-अल्लहब” (तब्बत-यदा) हत्तुल इम्कान (जहां तक हो सके) नहीं पढ़नी चाहिये, येह ग़लत वहम-व-गुमान (संश्य-Suspicion) है. लैकिन हकीक़त येह है कि नमाज़ में ‘सूर-ए-अल्लहब’ पढ़ने में कोई हर्ज़ नहीं.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-१२९)

मरआला

“ तवाइफ (रंडी) का रक्स (नृत्य-Dance) देखने वाला शख़्स फासिक और फ़ाजिर है और इमामत के लाइक नहीं.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-१६२)

मरआला

“ ता'ज़ियों की ता'ज़ीम करने वाला और ना जाइज़ मरसियों को पढ़ने वाला फासिक और बिदअती है. दोनों सूरतों (परिस्थिति) में ऐसे शख़्स के

पीछे नमाज़ मकरूहे तहरीमी है.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-१९८)

परअला

“अपने मां-बाप को मारनेवाला, सताने वाला, गालियां देने वाला, इज़ा देने वाला और उसकी इज़ा रसाई (कष्ट देने) से उसके मां बाप नाराज़ हैं, तो ऐसा शख्स शरअन फासिक, फाज़िर और ‘आक़’ (Disobedient) है और उसके पीछे नमाज़ मकरूहे-तहरीमी, वाजेबुल एआदा और उसको इमाम बनाना गुनाह है.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-२२७/२२९)

परअला

“मज़ामीर (संगीत-Music) हराम हैं, उनका सुनना भी हराम है, जो शख्स ऐलानिया (ज़ाहिर में-Openly) मज़ामीर सुनता है, वोह शख्स इमामत के लाइक नहीं. उसकी इक्तेदा मे नमाज़ किराहत से किसी हाल से ख़ाली नहीं.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-२५१)

परअला

“तहज्जुद की नमाज़ सुन्नते-मस्तहब्बा है और तमाम मुस्तहब नमाज़ों से आज़म (भव्य-Greatest) और अहम (महत्वपूर्ण-Important) है. कुरआने-मजीद और अहादीसे-करीमा हुज़ूर पुरनूर सय्येदुल मुरसेलीन उसकी तरगीब (प्रोत्साहन-Stimulation) से माला-माल (भरपूर) हैं. मज़हब की सब किताबों में तहज्जुद की नमाज़ को मन्दूबात और मुस्तहब्बात में शुमार किया गया है. हालांकि येह नमाज़ सुन्नते-मोअक्केदा नहीं, लेकिन फिर भी इसका तारिक (छोड़ने वाला) फज़ले-कबीर (महालाभ) और खैरे-कसीर (भलाई) से महरूम (वंचित) है, लेकिन गुनाहगार नहीं.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-४५४)

परअला

“इब्तेदा-ए-अम्र (शुरू में-In begining) में तहज्जुद की नमाज़ हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम पर और हुज़ूर की उम्मत पर फर्ज़ थी, लेकिन बाद में ब-दलीले-इज्माए-उम्मत (उम्मत के आलिमों की संगठित दलीलों द्वारा-By Arguments of Oloma's Assembling) इस नमाज़ की फर्ज़ीयत (फर्ज़ होना) उम्मत के हक़ में मन्सूख़ (नाबुद-Abolish) हो गई.

उम्मुल मो'मेनीन सय्यदेतेना हज़रत आएशा सिद्दीका रदीय्यल्लाहो तआला अन्हा से हदीस मर्वी है कि; “क़यामे लैल” (रात की नमाज़/तहज्जुद) हुज़ूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम परफर्ज़ और उम्मत के हक़ में सुन्नत थी.”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-४५५/४५६)

परअला

“आशूरा (दसवीं मुहर्रम) का दिन बहुत ही फज़ीलत का दिन है. उस दिन तिलावते कुरआन, ज़िक्रो-अज़कार और नवाफिल पढ़ने की बहुत फज़ीलत है, आशूरा के दिन के ‘मुअय्येना’ (प्रचलित-Established) नवाफिल जो ख़ास, बःतरीके मख़सूसा (नियुक्त पद्धति से) पढ़ने के मुतअल्लिक जो हदीस रिवायत की जाती है, उस हदीस को अइम्म-ए-दीन मौजूअ (विपरीत-Subjective) और बातिल (अर्थहीन-Absurd) बताते हैं. अल्लामा इमाम अली इब्ने सुल्तान मुहम्मद हर्वी, कारी, मक्वी, हन्फी अल मा'रूफ ब 'मुल्ला अली क़ारी' (वफात सं. हि. १०१४) रहमतुल्लाह तआला अलैहे अपनी किताब “मौजूआते-कबीर” में आशूरा की नमाज़ के मुतअल्लिक फरमाते हैं कि “सलातो-आशूरह-मौजूउन-बिल-इत्तेफाक़.” (तर्जुमा) ‘आशूरा की नमाज़ बिल इत्तेफाक (एक

मत से-Concord) मौजूब है।”

(फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-४६०)

नमाज़ी के आगे से गुज़रने (पसार होने)

के मुतअल्लिक

परआता

“ नमाज़ी के आगे से गुज़रना बहुत सख्त गुनाह है. नमाज़ी के आगे से गुज़रने (पसार होने) वाला गुनाहगार होता है. नमाज़ी की नमाज़ में कोई खलल (नुकशान-Prejudice) नहीं आता.”

(बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-१५७ और फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-४०१)

“ नमाज़ी के आगे से गुज़रने की सख्त मुमानेअत है. हदीसों में इस पर सख्त वईदें वारिद हैं. मस्लन :-

हदीस

“ इमाम अहमद हज़रत अबी जहीम रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत करते हैं कि हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं; ‘अगर नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाला जानता कि उस पर कितना गुनाह है, तो चालीस बरस (वर्ष-Year) खड़ा रहेना, उस गुज़र जाने से उसके हक़ में बेहतर था.’”

हदीस

“इब्ने माजा की रिवायत में हज़रत अबू हुरैरह रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से है कि हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं

कि; “लव-या’लमो-अहदोकुम-मा-लहू-फी-अंय-यमुरा-बयना-यदा-अखीहे-मो’तरेज़न-फीरसलाते-काना-ले-अंय-युकीमा-मिअता-आमीन-ख़यख़ल-लहू-मिबल-ख़ुतवति-लती-ख़ताहा.” (तर्जुमा) “ अगर कोई जानता कि अपने भाई के सामने नमाज़ में आड़े होकर (आगे से) गुज़रने में कितना गुनाह है, तो सो (१००) बरस खड़ा रहेना, उस एक क़दम (Step) चलने से बेहतर समझता.”

हदीस

“अबू बकर इब्ने अबी शयबा अपनी मुसन्नफ में हज़रत अब्दुल हमीद बिन अब्दुरहमान रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो से रावी कि हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; “लव - या’लमुल - मारो - बयना - यदल -मुस्त्व्वी - ल - अहब्बो - अंय - यकसरा - फख़ज़ोहु - वला - यमुरो - बयना - यदयहि.” (तर्जुमा) “ अगर नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाला जानता कि इस तरह गुज़रना कितना बड़ा गुनाह है तो चाहता कि उस की रान (जांघ-Thigh) टूट जाए मगर नमाज़ी के सामने से न गुज़रे.”

(तीनों हदीसों ब: हवाला : फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-३१६/३१७)

परआता

“ अगर कोई शख़्स मकान या छोटी मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हो, तो दीवारे-क़िब्ला (पश्चिम तरफ की दीवार-West Wall) तक उसके आगेसे गुज़रना (निकलना) जाइज़ नहीं, जब कि बीच में ‘सुत्ता’ (आड़-Inter-vene) न हो.

अगर कोई शख़्स सहेरा (मैदान/रेगिस्तान-Plain, Desert) या बड़ी मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हो, तो उसके आगे से सिर्फ मौज़-ए-

सुजूद (सजदा करने की जगह) तक निकलने की इजाज़त नहीं, उससे बाहर के हिस्से से गुज़र सकता है. मौज़-ए-सुजूद के ये मा'नी हैं कि आदमी जब क़्याम में अपनी निगाह को खास सजदा करने की जगह यानी जहां सजदे में उसकी पैशानी (ललाट-Forehead) होगी, वहां जमाता (स्थित करता) है और अगर जब सामने कोई रोक (अवरोध) न हो, तो जहां निगाह जमाता है, वहां से कुछ आगे को निगाह (द्रष्टि) बढ़ती है. तो निगाह आगे बढ़ कर जहां तक जाए, वोह सब जगह मौज़-ए-सुजूद में शामिल है. उस जगह के अन्दर नमाज़ी के आगे से निकलना हराम है और उससे बाहर जाइज़ है.”

(हवाला : ♦ दुर् मुख़्तार ♦ रद्दुल मोहतार ♦ बदाएउस्सनाए, ♦ निहाया ♦ फ़तुल क़दीर शरहे हिदाया ♦ मिन्हतुल ख़ालिक़ हाशिया बहरूर राइक़ ♦ तजनीस ♦ बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-१५८ और फ़तावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-४०१)

परतीला

“ मस्जिदुल हराम शरीफ़ या'नी ख़ान-ए-क़ा'बा में नमाज़ पढ़ने वाले नमाज़ी के आगे से तवाफ़ करने वाले लोग गुज़र सकते हैं.”

(रद्दुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-१६०)

परतीला

“ नमाज़ पढ़ने वाले के आगे 'सुत्रा' हो या'नी कोई ऐसी चीज़ हो जो आड़ हो जाए, तो सुत्रा के बाद से गुज़रने में कोई हर्ज़ नहीं.”

(बहारे शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-१५८ और फ़तावा रज़वीया, जिल्द-३, सफ़हा-४०१)

परतीला

“सुत्रा एक हाथ जितना ऊंचा (लम्बा-Long) और एक उंगली के बराबर मोटा (Thick) होना चाहिये.”

(रद्दुल मोहतार, दुर् मुख़्तार)

परतीला

“ सुत्रा बिल्कुल नाक (Nose) की महाज़ (सीध-Line) पर न हो बल्कि दायीं या बायीं आंख के भवों (नेण-Eye brow) की सीध पर हो और दाहने (Right) की सीध पर होना अफ़ज़ल है.”

(दुर् मुख़्तार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-१५८)

परतीला

“ दरख़्त (पेड़-Tree), आदमी, लकड़ी, (Wood) लोहे की सलाख़ (Iron Bar) जानवर वगैरह का भी 'सुत्रा' हो सकता है कि उनके बाद गुज़रने में हर्ज़ नहीं मगर आदमी का सुत्रा इस हालत में (इस तरह) किया जाए कि उस की पीठ नमाज़ी की तरफ़ हो, कि नमाज़ी की तरफ़ मुंह करना मना है.”

(गुन्या शरहे मुन्या, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफ़हा-१५९)

परतीला

“ नमाज़ी के सामने सुत्रा नहीं और कोई शख़्स उस नमाज़ी के आगे से गुज़रना चाहता है, या सुत्रा है, मगर कोई शख़्स सुत्रा और नमाज़ी के दरमियान से गुज़रना चाहता है, तो नमाज़ी को रूख़सत (इजाज़त) है कि उसे गुज़रने से रोके. चाहे 'सुब्हानल्लाह' कहे, या बड़ी आवाज़ (जहर) से क़िरात करे, या हाथ, या सर, या आंख के इशारे से मना करे. इससे ज़ियादा की इजाज़त नहीं, मस्लन गुज़रने वाले के कपड़े पकड़ कर ज़टकना या मारना. अगर नमाज़ की हालत

में ऐसा किया, तो अमले-कसीर हो जाएगा और नमाज़ फासिद हो जाएगी.”

(दुर्रे मुख्तार, रददुल मोहतार, बहारे-शरीअत, हिस्सा-३, सफहा-१६०)

परअता

“ औरत (स्त्री) नमाज़ पढ़ रही है और कोई व्यक्ति उसके आगे से गुज़रना चाहता है, तो नमाज़ पढ़ने वाली औरत उस गुज़रने वाले व्यक्ति को ‘तस्फीक’ से मना करे, या’नी अपने दाहिने हाथ की ऊंगलिया बायें हाथ की हथेली की पुशत पर मार कर आवाज़ पैदा कर के गुज़रने वालो को मुतनब्बेह (सचेत) करे और उसे गुज़रने से रोके.”

(दुर्रे मुख्तार)

परअता

“ अगर मर्द ने ‘सुब्हानल्लाह’ कहने के बदले ‘तस्फीक’ की, या औरत ने तस्फीक के बदले ‘सुब्हानल्लाह’ कहकर सामने से गुज़रने वाले को रोकने के लिये मुतनब्बेह (ख़बरदार) किया, तो भी नमाज़ फासिद न होगी, अलबत्ता सुन्नत के खिलाफ हुआ.”

(दुर्रे मुख्तार)

परअता

“ अगर कोई शख्स नमाज़ी के आगेसे गुज़र रहा है, तो नमाज़ी को इख़्तियार (अधिकार-Authority) है कि उस गुज़रने (पसार) होने वाले को रोके बल्कि नमाज़ पूरी कर के उससे ‘कि़ताल’ (लड़ाई-Strife) करने की भी इजाज़त है.”

हदीस

“ इमाम अहमद, इमाम बुख़ारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाउद और इमाम नसाई ने हज़रत अबू सईद खुदरी रदीय्यल्लाहो तआला

अन्हो से रिवायत की कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि; “ *इज़ा-सल्ला-अहदो कुम-इला शयइन - यस्तोरोहू - मिनन - नासे - फ - अरादा - अहदुन - अंय - यजताज़ा - बयना - यदयहे - फल - यद - फअहू - फ - इन - अबा- फल - युकातिल्हु - फ -इब्नमा - हुवशयतानो*” (तर्जुमा) “ जब तुम में से कोई शख्स सुत्रा (आड़) की तरफ नमाज़ पढ़ता हो और कोई सामने से गुज़रना (पसार होना) चाहे, तो उसे दफ़अ करे (रोके) और अगर न माने, तो उससे कि़ताल (ज़गड़ा) करे, कि वोह शैतान है.”

(हदीस का हवाला : फतावा रज़वीया, जिल्द-३, सफहा-३१७)

नोट :

नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाले से ज़गड़ा करने की इजाज़त सिर्फ इस सूत्र में है कि उसे मना करने पर न माना और मना करने के बावजूद भी नमाज़ी के आगे से क़स्दन (जान बूझकर) गुज़रा.”

“ अज़ान और इक़ामत में नामे-अक़दस

“मुहम्मद” सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम
सुनकर अंगूठे चूमना और आंखों से लगाना”

सदियों से मिल्लते-इस्लामिया में यह तरीका राइज़ (प्रचलित-Customary) है कि हुज़ुरे-अक़दस रहमते-अ़ालम सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम का मुबारक नाम सुनकर अहले-इमानों-मुहब्बत अपने अंगूठे या कल्मे की ऊंगलियां चूमकर आंखों से लगाते हैं. खुसूसन अज़ान में “अश्हदो-अब्बा-मुहम्मदरसूल्लाह” (सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम) का मुक़दस जुम्ला (वाक्य) सुनकर हर आमो-खास मुहब्बतो-ता’जीमे-रसूल के तकाज़े से अपने अंगूठे चूमकर आंखों से लगाते हैं.

मुहब्बते-रसूल के तकाज़े से किए जाने वाले इस मुस्तहब और मुबारक काम से दौरे-हाज़िरा (वर्तमान युग) के मुनाफ़िक़ लोग चिढ़ते (चीढ़-Annoy) हैं और मुसलमानों को अपने प्यारे नबी और आका के मुक़दस नाम की ता’जीम करने से रोकने के बद-इरादे (दुष्ट आशय) से इस मुबारक काम को भी “बिदअत” और मना कहते हैं.

तक़बीले-इब्हामैन या’नी अंगूठे (Thumbs) चूमने का मस्अला आजकल अ़वाम में बहुत ज़ियादा ज़ेरे-बहस (चर्चास्पद) बल्कि सख़्त मुतनाज़ेआ (उग्र विवाद-स्पद-Wragling) है. नामे-अक़दस सुनकर अंगूठे चूमने की मनाई करने वाले बातिल फ़िक़े (असत्य पंथ) के मुत्तबेईन (अनुयायी) मुमानेअ़त की कोई दलील पैश नहीं करते बल्कि सिर्फ़ ‘बिदअत है’. ‘बिदअत है’ की रट लगाते हैं. इलावा अज़ीं अ़वाम (जनता) से इस बात का इस्सार (आग्रह) करते हैं कि इस काम के जवाज़ (जाइज़ होने) की दलील पैश करो. अ़वाम बेचारे बे:

इल्मी (अज्ञानता) की वजह से दलील पैश नहीं कर सकते, अलबत्ता, यह ज़रूर कहते हैं कि हम ने दीने-इस्लाम के महान बुजुर्गों, अ़लिमों और अपने बाप दादा (पूर्वजो-Ancessor) को ऐसा करते, देखते और सुनते आए हैं, बल्कि इब्तिदा-ए-इस्लाम से यह मुबारक काम मिल्लते-इस्लामिया (मुस्लिम सम्प्रदाय-Mohammadan Sect) में राइज़ (प्रणालिकागत-Conventional) है, लैकिन अज़मते-रसूल सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम के मुन्किर (Denying) अ़वाम की एक नहीं सुनते और मुमानेअ़त पर मुसिर (आग्रही) रहते हैं बल्कि तशहुद (अतिरेक) की हद तक मुमानेअ़त करते हैं.

अज़ान में, इक़ामत में और दीगर मवाकेअ़ (अन्य प्रसंग) में नामे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम सुनकर अंगूठे या अंगुशताने-शहादत (कल्मे की ऊंगलियां) चूम कर आंखों से लगाना क़तअन (निःसंदेह) जाइज़ बल्कि मुस्तहब है. इसके जाइज़ और मुस्तहब होने की अनैक दलीलें मौजूद हैं. मस्लन :-

दलील नं. १ :

दयलमी ने मुस्नदुल फ़िरदौस में रिवायत किया है कि;

“ असदकुस्सादेकीन, इमामुल मुत्तकीन, ख़लीफ़तुल मुस्लेमीन अमीरुल मो’मेनीन, हज़रत सय्येदुना सिद्दीके अक़बर रदीय्यल्लाहो तअ़ाला अन्हो ने अज़ान मे मोअज़िज़न को “अश्हदो-अब्बा-मुहम्मदर-रसूल्लाह” कहते सुना तो यह दुआ पढ़ी कि; “अश्हदो-अब्बा-मुहम्मदन-अब्दोहू-व-रसूलोहू-रदयतो-बिल्लाहे-रख़व-व-बिल-इस्लामे-दीनव-व-बे-मुहम्मदिन-सल्लल्लाहो-अलैहे वसल्लम-नबियन” और फिर दोनों कल्मे की (पहली) ऊंगलियों के अन्दर की

जानिब के पौरै (टेरवे-Tips) को चूम कर आंखों से लगा लिया. इस पर हुजुरे-अक़दस रहमते अ़लाम सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम ने फरमाया कि “*मन-फ़अला-मिसला-मा-फ़अला-ख़लीली-फ-क़द-हल्लत-अलैहे-शफ़ाअती*” (तर्जुमा) “ जो ऐसा करे जैसा मेरे प्यारे ने किया, उस पर मेरी शफ़ाअत हलाल हो गई.”

दलील नं. २

इमामे अजल अल्लामा अली इब्ने सुल्तान हरवी क़ारी मक्की हन्फी अल मा'रूफ (प्रसिद्ध - Known) “ मुल्ला अ़ली क़ारी” अलैहे रहमतुल बारी अपनी मा'रैकतुल आरा (भव्य-Great) किताब “मौजूआते-कबीर” में नामे अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम सुनकर अंगूठे चूम कर आंखों से लगाने के मुतअल्लिक़ (सदर्भ मे) फरमाते हैं कि;

“ *व - इज़ा - सबता - रफ़अहू - इलस - सिद्दीके - रदीय्यल्लाहो - तअ़ाला अन्हो - फ - यकफी - लिल - अमले - बेहि - ले - क़ौलेहि - अलैहिरसलातो - वरसलाम - अलैकुम - बे - सुन्नती - व - सुन्नतिल - ख़लोफा - इर - राशेदीन*”

(तर्जुमा) “ हज़रत सिद्दीके अकबर रदीय्यल्लाहो तअ़ाला अन्हो से इस फ़ै'ल (काम) का सुबूत अमल करने के लिये काफी है, क्योंकि हुजुरे अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम पर लाज़िम करता हूँ अपनी सुन्नत और ख़ोलोफा-ए-राशेदीन की सुन्नत.”

दलील नं. ३ :

इमामे अजल शम्सुद्दीन सख़ावी ने अपनी बुनियादी (आधारभूत) किताब

“मक़सिदे-हसना” में इस (उपरोक्त-Above) हदीस को रिवायत फरमाया है और अंगूठे चूमने के फ़ै'ल (काम) को मुस्तहब फरमाया है.”

दलील नं. ४

हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का इरशाद

इमामे जलील हज़रत अबुल अब्बास अहमद बिन अबीबक्र रवाद यमनी सूफ़ीने अपनी किताब “मोज़िबातुर-रहमते-व-अज़ाइमुल-मगफ़िरते” में एक रिवायत हज़रत सय्येदुना ख़िज़र अलैहिस्सलातो वस्सलाम से रिवायत की कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलातो वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि;

“ *मन - क़ाला - हीना - समिअल - मोअज़िज़ना - यकूलो - अशहदो - अब्ना - मुहम्मदर - रसूलुल्लाहे - मरहमब - बे - हबीबी - व - कुरतो - अयनी - मुहम्मदब - नो - अब्दुल्लाहे - सल्लल्लाहो - तअ़ाला - अलैहे - वसल्लम - सुम्मा - यकबलो - इब्हामयहे - व - यजअलोहो - अला - अयनयहे - लम - यरमुद - अबदन*” तर्जुमा “जो शख़्स मोअज़िज़न से “ *अशहदो-अब्नामुहम्मदर-रसूलुल्लाहे*” सुनकर “*मरहमब-बे-हबीबी-व-कुरतो-अयनी-मुहम्मदब-नो-अब्दुल्लाहे-सल्लल्लाहो-तअ़ाला-अलैहे-वसल्लम*” कहे, फिर दोनों अंगूठे चूम कर आंखों पर रखे उसकी आंखे कभी न दुखें.”

दलील नं. ५

“ आंखों से कंकरी फौरन निकल गई ”

इसी किताब या'नी ‘मोज़िबातुर-रहमते’ में हज़रत फ़कीह मुहम्मद इब्ने अलबाबा के भाई से रिवायत की कि वोह अपना हाल बयान करते हैं कि;

“इन्नहू-हब्बत-रीहुन-फ-वक़अत-मिन्हो-हसातुन-फी-
अयनयहि-व-आ'याहू-ख़ुर्रजहा-व-अलमत्हू-अशद्दुल-
अलमे-व-इन्नहू-लमा-समिअल-मोअज्जिना-यकूलो-
अशहदो-अन्ना-मुहम्मदर-रसूलुल्लाहे-क़ाला-ज़ालेका-फ-
ख़रजतिल-हसातो-मिन-फ-वरेहि-क़ालर-रवादो-
रहमहुल्लाहो-तअ़ाला-व-हाज़ा-यसीरो-मिन-जन्बे-
फज़ाइलिर-रसूले-सल्लल्लाहो-तअ़ाला-अलैहे-वसल्लमा.”

(तर्जुमा) “एक मरतबा तेज़ हवा (आंधी) चली और एक कंकरी (Tiny Stone) उन की आंख में पड़ (घूस) गई. निकालते-निकालते थक गए लेकिन न निकली और निहायत शदीद दर्द (Terrific Pain) पहुंचाया. उसी वक़्त उन्होंने मोअज्जिन को ‘अशहदो-अन्ना-मुहम्मदर-रसूलुल्लाहे’ कहते सुना, तो उन्होंने यही कहा, (या'नी दलील नं. ४ में मज़कूर दुआ “महरबम-बे हबीबी” पूरी अंत तक) उनकी आंख से फ़ौरन कंकरी निकल गई. हज़रत रवाद रफमाते हैं कि हुज़ुरे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम के फज़ाइल के सामने इतनी बात क्या चीज़ है ?”

दलील नं. ६

हज़रत सय्येदुना इमाम हसन का

इरशादे-गिरामी

मदीना तय्येबा के ख़तीब और इमाम हज़रत शम्सुद्दीन मुहम्मद बिन सालेह मदनी अपनी ‘तारीख’ में इरशाद फरमाते हैं कि;

“ रोविया - अ़निल - फकीह - मुहम्मद -
इब्ने - सईदिल - ख़वलानी - क़ाला -
अख़बरनी - फकीहुल - अ़लिमो - अबुल -
हसन - अ़ली - इब्नो - हदीदुल - हुसैयनी -
अख़बरनील - फकीहुज़ - ज़ाहिदुल - बिलाली
- अ़निल - हसन - अलैहिस्सलाम - अन्नहु
- क़ाला - मन - क़ाला - हीना - यस्मअो -
मोअज्जिना - यकूलो - अशहदो - अन्ना -
मुहम्मदर - रसूलुल्लाहे - मरहबम - बे -
हबीबी - व - कुर्रतो - अ़यनी - मुहम्मदुब -
नो -अब्दुल्लाहे - सल्लल्लाहो - अ़लैहे -
वसल्लमा - व - यक़बलो - इब्हामयहे - व -
यजअलोहोमा - अला - अ़यनयहे - लम
या'मा - व- लम - यरमुद”

तर्जुमा : “ फकीह मुहम्मद इब्ने सईद ख़ौलानी से मर्वी है कि उन्होंने फरमाया मुज़े फकीह अ़लिम अबूल हसन अ़ली इब्ने मुहम्मद इब्ने हदीद हुसैनी ने ख़बर दी कि मुज़े फकीह ज़ाहिद बिलालीने हज़रत इमाम हसन रदीय्यल्लाहो तअ़ाला अन्हो से ख़बर दी कि हज़रत इमाम हसन रदीय्यल्लाहो तअ़ाला अन्होने फरमाया कि;

“ जो शख़्स मोअज्जिन को ‘अशहदो-अन्ना-मुहम्मदर-रसूलुल्लाह’ कहते सुनकर ‘मरहबम-बे-हबीबी-व-कुर्रतो-अ़यनी-मुहम्मदुब-नो-अब्दुल्लाहे-सल्लल्लाहो-अलैहे-वसल्लम” येह दुआ पढ़े और अपने अंगूठे चूम कर आंखों पर रखे, वोह शख़्स न कभी अंधा हो और न कभी उसकी आंखें दुखें.”

दलील नं. ७

मदीना मुनव्वरा के इमाम और ख़तीब हज़रत शम्सुद्दीन मुहम्मद इब्ने सालेह मदनी ने अपनी 'तारीख़' में हज़रत मुजिद मिस्री कि जो सल्फ़ सालेहीन से हैं, ज़िक्र (वर्णन) फरमाया कि हज़रत मुजिद मिस्री फरमाते हैं कि;

“*इज़ा-समिआ-ज़िकरहू-सल्लल्लाहो-अलैहे-वसल्लमा-फील-अज़ाने-व-जमआ-अस्बअयहिल-मुस्बहते-वल-इब्हामे-व-क़ब्बलहुमा-व-मसहा-बेहिमा-अयनयहे-लम-यरमुद-अबदन*”

तर्जुमा : “जो शख़्स नबी-ए-करीम सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम का ज़िक्रे पाक अज़ान में सुनकर कल्मे की ऊंगली और अंगुठा मिलाए और उन्हें बोसा (चुंबन) देकर आखों से लगाए, उसकी आंखें कभी न दुखें।”

दलील नं. ८ :

हज़रत इब्ने सालेह का पक्ष यकीन कि;

मैं कभी अंधा नहीं होऊंगा, मेरी आंखें अच्छी रहेंगी.

इमामे जलील हज़रत अबूल अब्बास अहमद बिन अबीबक्र रवाद यमनी सूफ़ी अपनी किताब 'मोजिबातुर-रहमते-व-अज़ाइमुल-मग़फ़िरते' में फरमाते हैं कि;

“*क़ाला - इब्नुस - सालेहो - व - समेअतो - ज़ालेका - ऐज़न - मिनल - फकीह - मुहम्मदुब - नोज़ - ज़रनदी - अन - बा'जे - शुरुखिल - इराके - वल - अजमे - व - इब्नहू - यकूलो - इब्दा - यमसहो - अयनयहे - सल्लल्लाहो - अलैका - या - सय्येदी - या - रसूलल्लाह - या - हबीबा - क़ल्बी - व - या - नूरा - बसरी - व या - कुरता - अयनी - व - क़ाला - ली - कुल्लो - मुब्ज़ो - फ़अल्तोहू - लम - तरमुद - अयनी*”

तर्जुमा :

“ हज़रत इब्ने सालेह फरमाते हैं कि मैंने यह अम्र (मामला) हज़रत फकीह मुहम्मद इब्ने ज़रनदी से भी सुना है कि इराक और अज़म के चन्द मशाइख़ से रावी थे और उन की रिवायत में यूं है कि अंगूठों को आंखों से मस (स्पर्श) करते वक्त यह दरूद शरीफ अर्ज़ करते हैं की; “ *सल्लल्लाहो - अलैका - या - सय्येदी - या - रसूलल्लाहे - या - हबीबा - क़ल्बी - व- या - नूरा - बसरी - व- या - कुरता - अयनी*” और इन दोनों साहेबों या'नी शैख़ फकीह मुहम्मद ने मुज़ से बयान किया कि जब से हम यह अमल करते हैं, हमारी आंखें नहीं दुखीं।”

फिर हज़रत इब्ने सालेह फरमाते हैं कि;

“ *व - लिल्लाहिल - हम्दो - वश - शुक्रो - मुब्ज़ो - समेअतोहू - मिन्हुमा - इस्तअमल्तोहू - फ़ - लम - तरमुद - अयनी - व - अरजू - अब्ना - मा - फीतोहोमा - तदुमो - व - इब्नी - अस्लमो - मिनल - अमा - इन - शाअल्लाहो - तआला*”

तर्जुमा :

“ अल्लाह के लिये हम्द और शुक्र है कि जब से मैंने यह अमल इन दोनों साहेबों से सुना, अपने अमल में रखा (या'नी मैंने भी इस पर अमल करना शुरू कर दिया) आज तक मेरी आखों में दर्द नहीं हुआ और उम्मीद करता हू कि, मेरी आखें हंमेशा अच्छी रहेंगीं और मैं कभी भी अन्धा (अन्ध / **Blind**) नहीं होऊंगा. इन्शा अल्लाह तआला.

दलील नं. ९

नामे अक़दस सुनकर अंगूठे चूमनेवाले को हुजूरे अक़दस जन्नत में ले जायेंगे.

फिक़ह (शरीअत के क़ानून) की मशहूरो-मा'रूफ़ किताब " जामेउल मुज़मेरा शरहे कुदूरी" के मुसन्निफ़ (लेखक) इमामे अजल उस्तादुल ओलोमा अल्लामा युसूफ़ इब्ने उमर के शार्गिद इमाम फ़कीह आरिफ़ बिल्लाह सय्येदी फज़ूलुल्लाह इब्ने मुहम्मद बिन अय्यूब सुहरवर्दी अपने "फ़तावा सूफ़िया" में और इमामे अजल मरज-ए-ओलोमा अल्लामा अब्दुल अली बरजन्दी अपनी मशहूरो-मा'रूफ़ किताब "शरहे-नकाया" में फ़रमाते हैं कि;

“व - ए'लम - अन्नहू - यस्तहिब्बो - अंय - युक़ाला - इन्दा - सिमाइल - अत्त्वले - मिन्शहादते - सल्लल्लाहो - तआला - अलैका - या - रसूलल्लाहे - व - इन्दस - सानियते - मिन्हुमा - कुरतो - अयनी - बेका - या रसूलल्लाहे - सुम्मा - युक़ालो - अल्लाहुम्मा - मत्तेअनी - बिस्समअे - वल बसरे - बा'दा - वज़ए - ज़फ़रल - इब्हामयने - अलल - अयनयने - फ़ - इन्नहू - सल्लल्लाहो - तआला - अलैहे - वसल्लमा - यकूनो - लहू - काइदन - इलल - जन्नते - व - कज़ा - फी - कन्ज़िल - एबादे”

तर्जुमा :

“ और जान लो कि बेःशक़ मुस्तहब है कि अज़ान में पहली मरतबा

“ अशहदो - अन्ना - मुहम्मदर - रसूलुल्लाहे ” सुने तब “सल्लल्लाहो-अलैका-या-रसूलल्लाह” कहे और जब दूसरी मरतबा सुने तब “कुरतो - अयनी-बेका-या-रसूलल्लाह” कहे फिर अंगूठों के नाखून (नख-Nail) आंखों पर रख कर कहे कि “अल्लाहुम्मा-मत्तेअनी-बिस्समअे-वल-बसरे” ऐसा करने वाले को हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम अपने पीछे-पीछे (साथ-साथ) जन्नत में ले जायेंगे. और एसा ही बयान (वर्णन) किताब 'कन्ज़ुल ए'बाद' में है.

दलील नं. १०

शैखूल मशाइख़ ख़ातेमुल मोहक्क़ीन सय्येदुल ओलोमा-ए-हन्फिया-बे-मक्तुल-मुर्करमा अल्लामा शाह जमाल इब्ने उमर मक्की रहमतुल्लाहे तआला अलैहे अपने फ़तावा में फ़रमाते हैं कि ;

“ सोइल्तो - अन्न - तक्बीलिल - इब्हामयने - व - वज़ओहा - अलल - अयनयने - इन्दा - ज़िक़े - इस्मेहि - सल्लल्लाहो - तआला - अलैहे - वसल्लमा - फील - अज़ाने - हल - हुवा - जाइजुन - अम - ला ? अजिबतो - बेमा - नस्सहू - नअम ● तक्बीलुल इब्हामयने - व - वज़अहोमा - अलल - अयनयने - इन्दा - ज़िक़े - इस्मेहि - सल्लल्लाहो - तआला - अलैहे - वसल्लमा - जाइजुन - बल - हुवा - मुस्तहब्बुन - हाकज़ा - सरहा - बेहि - मशाइख़ोना - फी - कुतुबिम - मुतअद्देदा”

तर्जुमा : “ मुज़ से सवाल हुआ कि अज़ान में हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम का ज़िक़-शरीफ़ सुनकर अंगूठे चूमना और आंखों पर रखना जाइज़ है या नहीं ? मैंने इन लफ़्ज़ों (शब्दों) से जवाब दिया कि, हां ! अज़ान में हुजूरे अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम का नामे-पाक

सुन कर अंगूठे चूमना और आंखों पर रखना जाइज़ बल्कि मुस्तहब है. हमारे मशाइखे मज़हब ने मुतअद्दिद (अनेक-Various) किताबों में इस के मुस्तहब होने की तस्रीह (स्पष्टीकरण-Manifestation) फ़रमाई है.

मोहतरम कारेइने-किराम (आदरणीया वांचक वर्ग) की खिदमत में इस मस्अले के जाइज़ और मुस्तहब होने के सुबूत में मज़ीद दलाइल (विशेष पुरावे) भी अल हम्दो लिल्लाह पैश किए जा सकते हैं, जिनको पढ़कर इश्के-रसूले अकरम जाने-ईमान सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम का कैफ़ और सुरूर तारी हो जाएगा, लेकिन फ़कीर सरापा तक़सीर गदा-ए-आस्तान-ए-बरकातिया ने **“तिलका-अशरतुज-कामेलतुज”** (दस “१०” पूरे) दलाइल पर इक्तिफ़ा (संतुष्ट) किया है.

मिल्लते इस्लामिया के जलीलुल क़द्र अइम्म-ए-किराम (महान इमामों) ने हुजूरे अक़दस रहमते-अ़ालम सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम का नामे-पाक अज़ान में सुनकर अंगूठे या अंगुशताने-शहादत (कलमे की ऊंगलियां) चूम कर आंखों पर लगाने के फ़ै'ल (काम) को जाइज़ बल्कि मुस्तहब फरमाया है. फ़िक़ह की मुस्तनद और मो'तमद (प्रमाणित तथा विश्वसनीय) किताबों में इस के मुस्तहब होने की तफ़सील (विस्तृत विगत-Detail) मौजूद है. मस्लन :-

- ◆ इमामे अजल, अल्लामा, मुहक्किफ़, अमीनुद्दीन मुहम्मद इब्ने आबेदीन शामी की मशहूरो-मा'रूफ़ किताब **“रहुल मोहतार हाशिया दुर्रे मुख़्तार”** अल मा'रूफ़ ब (प्रसिद्ध) **“फतावा शामी”**
- ◆ इमामे-जलील, ख़ातेमुल मुहक्क़ीन, अल्लामा, शम्सुद्दीन कहस्तानी की सर्वमान्य किताब **“जामेउर रूमूज़”**

- ◆ इमामे-ज़ीशान, मरज-ए-ओलोमा, अल्लामा अब्दुल अली बरजन्दी की अज़ीमुश्शान किताब **“शरहे नक़ाया बरजन्दी”**
 - ◆ इमाम, फ़कीह, आरिफ़ बिल्लाह, अल्लामा सय्येदी फ़ज़ूलुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अय्यूब सुहरवर्दी के फ़तावा का मजमूआ (संग्रह) **“फतावा सुफिया”**
 - ◆ इमाम अबूल बरकात अब्दुल्लाह इब्ने अहमद साअदी की किताब **“कन्जुल इबाद”**
 - ◆ अल्लामा ज़ैन तल्मीज़ इमाम इब्ने हजर मक्की शाफ़ई की किताब **“कुरतुल ऐन”**
- वग़ैरह कुतुबे-मो'तमेदा (आधारभूत किताबों) में इस फ़ै'ल (काम) के जाइज़ होने की साफ़ तशरीह (स्पष्टता-Clearness) मौजूद है.

और अगर.....

बिल फ़र्ज़ (धार लो / मान लो/) नामे अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम सुनकर अंगूठे चूम कर आंखों से लगाने के जाइज़ होने की शरीअत में कोई दलील न भी हो, तो भी इस फ़ै'ल (काम) के मना होने की कोई दलील न होना ही, इस काम के जाइज़ होने के लिये काफ़ी है. जो लोग नामे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम सुनकर अंगूठे चूमकर आंखों से लगाने की मुमानेअत (मनाई) करते हैं, उन पर लाज़िम है कि मुमानेअत की साफ़ और शरीह (स्पष्ट-Clearness) दलीलें पैश करें.

एक ज़रूरी बात

नामे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम सुनकर मुहब्बत और ता'ज़ीम के तकाज़े से अंगूठे या अंगुशताने शहादत को बोसा देकर आंखों से मस (स्पर्श) करने की मुमानेअत करनेवाला कोई शख़्स आपके पास आए और इस मुबारक काम से रोकने की हरकत (चेष्टा) करे, तो

उस रोकने और मनाई करने वाले शख्स से पूछो कि जनाब ! आप हमें क्यों मना कर रहे हैं ? जवाब में वोह शख्स यही कहेगा कि इस फै'ल (काम) का सुबूत (Evidence) नहीं. हालांकि उसका येह जवाब सरासर (सदंतर-Absolute) ग़लत है. क्योंकि अवरकै-साबेका (अगले पृष्ठों-Former Pages) में इस मुबारक काम के जाइज़ और मुस्तहब होने के सुबूत में कुल दस (१०) दलीलें पैश की गई हैं. बिल फर्ज़ मान लो कि आपको वोह दलीलें याद नहीं, तो उस मना करने वाले से कहो कि जब आप मना कर रहे हैं, तो आप की जिम्मेदारी है कि आप शरीअत से कोई ऐसी दलील पैश करो कि जिस में साफ तशरीह हो कि नामे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम सुनकर अंगूठे चूमना और आंखों से लगाना मना है.

या'नी...

- ◆ कुरआने-मजीद की ऐसी कौन सी आयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि "जब मेरे हबीब सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम का अज़ान में नाम सुनो, तब अंगूठे चूमकर आंखों से मत लगाना.
- ◆ ऐसी कौन सी हदीस है जिसमें हुजूरे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब अज़ान, इक़ामत या दीगर मौकों पर मेरा नाम सुनों, तो मेरा नाम सुनकर अंगूठे चूम कर आंखों से मत लगाना.
- ◆ ऐसे कौन से सहाबी, ताबई या तब-ए-ताबईन का ऐसा कौल या फै'ल (कथन या आचरण) है कि उन्होंने नामे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम सुन कर अंगूठे या अंगुशताने-शहादत चूम कर आंखों से मस करने की मुमानेअत फरमाई हो.

आपका येह जवाब सुनकर वोह मना करनेवाला बौखला (व्यथित व्यग्र-Uneasy) जाएगा. अगर मना करनेवाल निरा जाहिल है, तो वोह यही कहेगा कि मना होने की दलील की क्या

ज़रूरत है. येह काम 'बिदअत' है, इस लिये नहीं करना चाहिये. तब उससे सवाल पूछो कि अगर बिदअत है, तो कौन सी किस्म (प्रकार) की बिदअत है.

- ◆ बिदअते-ए'तेक़ादी है ?
 - ◆ बिदअते-अमली है ?
 - ◆ बिदअते-हसना है ?
 - ◆ बिदअते-सय्येआ है ?
 - ◆ बिदअते-मोहरमा है ?
 - ◆ बिदअते-मकरूहा है ?
 - ◆ बिदअते-वाजिबा है ?
 - ◆ बिदअते-जाइज़ा है ?
 - ◆ बिदअते-मुस्तहब्बा है ?
- इन अक़साम में सो कौन सी किस्म की बिदअत है ? आप का येह सवाल सुनकर वोह मना करने वाला फ़ौरन नौ दो ग्यारह हो जाएगा (भाग जाएगा).

अगर मना करने वाला थोड़ा कुछ पढ़ा हुआ है, तो वोह जाइज़ होने की दलीलें सुनकर येह जवाब देगा कि आपने हज़रत सय्येदुना सिद्दीके-अकबर वाली जो हदीस पैश की है, वोह हदीस और दीगर दलाइल जो पैश किए हैं, वोह तमाम के तमाम जईफ (निर्बल-Feeble) हैं, लो हुई न बात ? वाह ! क्या कहना ? जब मना होने की दलील न पैश कर सके, तो जाइज़ होने की दलीलों को जईफ कहे दिया.

ख़ैर कोई बात नहीं. उस मना करनेवाले से कहो कि नामे-अक़दस सुनकर अंगूठे चूमकर आंखों से लगाने के जवाज़ (जाइज़ होने) में हमारी पेश कर्दा (वर्णन की हुई) दलीलें जब आपके नज़दीक "जईफ" हैं, तो आप पर लाज़िम है कि मुमानेअत (मना होने) की ऐसी दलीलें पैश करो, जो हमारी दलीलों के मुक़ाबले में ज़ियादा क़वी और मज़बूत (प्रबल, संगीन-Strong, Solid) हों.

वोह मना करने वाला आप की इस बात का जवाब क्या देगा ? बल्कि आप की ये बात सुनकर वोह अपनी बग़लें (-Armpits) ज़ांकता हुआ राहे-फरार (भागने का मार्ग) अपनाएगा.

लम्ह-ए-फिक्रिया

(विचारवत क्षण-Thoughtful Moment)

वहाबी-तबलीगी जमाअत का जाहिल (अज्ञान-Ignorant) बल्कि अजहल (जूयादा जाहिल-Barbarous) मुबल्लिग (प्रचारक) तबलीगी टोली के साथ एक आध चिल्ला या गश्त (प्रशिक्षण-Perambulation) कर के आता है, तो न जाने कोन सी शराबे-तकब्बुर (अभिमान की मदिरा) पीकर आता है कि अनानियत (आत्म स्तुति-Boasting), गुरूर (अहंकार-Egotism) और खुदबीनी (Arrogance) के नशे और खुमार (Intoxication) में मुब्तिला होकर अपने आप को मौलाना, मोलवी, मुफ्ती, मुहद्दिस या मुजतहिद से कम नहीं समजता. जिस को इस्तिन्जा (विशुद्धिकरण-Purification), तहारत और नमाज़ के ज़रूरी मसाइल की क़त्अन (बिल्कुल) मा'लूमात (जानकारी) नहीं, वोह ईमान और अक़ाइद के उसूली (मूलाधार-Fundamental) मसाइल में अपनी बेतुकी (कहंगी) मन्तिक (तर्क-Logic) छंटता हुआ घूमता है. हुब्बे-रसूल और अजमते-रसूल के जाइज़ और मुस्तहब कामों को इनादन (शत्रुभाव-Enemy) और दिलेरी से ना-जाइज़ और बिदअत के फत्वे देता है.

हैरत (आश्चर्य) तो इस बात पर है कि बिदअत का फत्वा देने वाले जाहिल मुफ्ती (मुफ्ती नहीं) को बिदअत का सहीह तलफ़ुज़ (उच्चारण-Pronunciation) तक मा'लूम नहीं होता और बिदअत को "बिद्दत" बोलता है.

नाज़ेरीने-किराम (वांचक वर्ग) ब-नज़रे-अमीक (गहरी द्रष्टि) से गौर फरमाओं कि एक तरफ बारगाहे-रिसालत के गुस्ताखों की ना-जाइज़ कहने की बकवास है और दूसरी तरफ मिल्लते इस्लामिया के जलीलुल कद्र इमामों के

ईमानी और इरफ़नी अक़वाले-ज़री (सुनहरे कथन) हैं, जो जाइज़ और मुस्तहब होने की ताइद (समर्थन-Confirmation) फरमाते हैं. मस्लन..

- ◆ इमामे जी-शान, अल्लामा दयलमी ने "मुस्नदल-फिरदौस" में;
- ◆ इमामे-अजल, अल्लामा अली इब्ने सुलतानी हरवी क़ारी मक्की (मुल्ला अली क़ारी) ने "मौजूआते-क़बीर" में;
- ◆ इमामे-अजल, मरज-ए-ओलोमा, अल्लामा, शम्शुद्दीन, सखावी ने "मक़ासिदे-हसना" में;
- ◆ इमामे-जलील, हज़रत अबूल अब्बास अहमद इब्ने अबीबक्ररवाद यमनी सूफ़ी ने "मौजिबातुर-रहमते-व-अज़ाइमुल-मग़फ़िरते" में;
- ◆ इमामो-ख़तीब-मदीना मुनव्वरा हज़रत शम्सुद्दीन मुहम्मद इब्ने सालेह मदनी ने अपनी "तारीख़" में;
- ◆ इमाम, फ़कीह, आरिफ़ बिल्लाह, सय्येद फज़लुल्लाह इब्ने मुहम्मद बिन अय्यूब सुहरवर्दी ने "फतावा सूफिया" में;
- ◆ शैख़ुल मशाइख़, ख़ातेमुल मुहक्किनीन, सय्यदुल ओलोमा-ए-हन्फिया मक्क-ए-मुकर्रमा, अल्लामा शाह जमाल इब्ने अब्दुल्लाह उमर मक्की अपने मजमूअ-ए-फतावा में,
- ◆ ख़ातेमुल मुहक्किनीन, इमामे अजल, अल्लामा, मुहक्कि, अमीनुद्दीन मुहम्मद इब्ने आबेदीन शामी "रददुल मोहतार हाशिया दुर्रे मुख़्तार" अल मा'रूफ (प्रचलित-Famous) "फतावा शामी" में,
- ◆ इमामे जलील, अल्लामा, अब्दुल अली बरजन्दी "शरहे नकाया" में;
- ◆ इलावा फिक़ह की मशहूर और मो'तमद किताबें मुख़्तसरूल वक़ाया, कन्ज़ुल इबाद वग़ैरह में नामे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम सुनकर अंगूठे या अंगुशताने-शहादत को बोसा देकर आंखों से मस करने के मुबारक काम को जाइज़ बल्कि मुस्तहब फरमाया है.

◆ तो अब सवाल यह पैदा होते हैं कि;

- (१) नामे अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम सुनकर अंगूठे चूमकर आंखों से लगाना अगर बकौल मुनाफिक़े ज़माना ना-जाइज़ या बिदअ़त है, तो क्या मिल्लते इस्लामिया के महान इमामों और अ़ालिमों को इस के ना-जाइज़ या बिदअ़त होने का इल्म नहीं था ? क्या किसी ने भी इस मस्अले को सहीह तौर पर नहीं समज़ा ?
- (२) जो काम इब्तिदा-ए-इस्लाम (इस्लाम के आरंभ युग) से आज तक सहाबा, ताबेईन, तब-ए-ताबेईन, अइम्मा, औलिया, सूफिया और सल्फ़ सालेहीन में राइज़ और मा'मूल (प्रणालिगत और प्रचलित-Established Customary) था और जिस काम पर मिल्लते-इस्लामिया की अज़ीम शख़िसयतों (महानुभावों) ने अ़मल किया बल्कि इस पर अ़मल करने की तल्क़ीन (सूचना-Instruction) और तरगीब (प्रोत्साहन-Stimulation) फरमाई, वोह काम अब चौदह सो (१४००) साल (Year) के बाद ना-जाइज़ और बिदअ़त हो गया ?
- (३) जिसका साफ मतलब येह हुआ कि चौदह सौ (१४००) साल तक हो जाने वाले सहाबा, अइम्मा, ओलोमा, फुक्हा, औलिया, सुलहा, सुफिया, वगैरह किसी ने इस्लाम को सहीह मा'नों में समज़ा ही नहीं था ?
- (४) क्या इस्लाम को सहीह मा'नों में समज़ने वाले अब चौदहवीं सदी में ही पैदा हुए हैं ?
- (५) क्या माज़ी (भूतकाल-Past) के तमाम इस्लामी अफ़राद (व्यक्ति-Persons) बे-इल्म और गुमराह थे ?

अल-हासिल :

नामे-अक़दस सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम सुनकर अंगूठे

आंखों से लगाना बे:शक़ जाइज़ है. हमारे लिये इसके जाइज़ और मुस्तहब होने के लिये सिर्फ़ यही दलील काफ़ी (पर्याप्त-Sufficient) है कि मिल्लते इस्लामिया के जलीलुल कद्र इमामों और अज़ीमुल मरतबत औलिया ने इस मुबारक काम को जाइज़ समज़ कर किया है, हम तो उन इमामों और औलिया के इस फे'ल (काम) के "मुतमस्सिक-ब-अस्ल" (जड़ को पकड़ने वाले, अनुयायी-Follow of Source) हैं और शरअ़न जो "मुतमस्सिक-ब-अस्ल" होता है, वोह दलील का मोहताज नहीं. अलबत्ता, जो नाजाइज़ बताए उस पर लाज़मी है कि मना होने का साफ़ और सरीह (स्पष्ट-Apparent) सुबूत पैश करे.

ज़रूरी और अहम (Important) बात

एक अहम बात खूब अच्छी तरह याद रखें कि एक मो'मिन के लिये ता'ज़ीमे-रसूल सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम ऐन ईमान बल्कि ईमान की जान है. लिहाज़ा, जो कुछ भी, जिस तरह भी, जिस वक़्त भी, जिस जगह भी और जो कोई काम भी हुजूरे-अक़दस जाने-ईमान रहमते-अ़लम सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम की ता'ज़ीम के लिये किया जाए, ख़्वाह (चाहे) वोह काम ब-अयनेही (बिलकुल इसी तरह-Exactly) मन्कूल (Transcribed) हो, या न हो, सब जाइज़ व मन्दूब (स्वीकृत-Acceptable) व मुस्तहब व मतलूब (इच्छनीय-Demanded) व मरगूब (प्रिय-Amiable) व पसन्दीदा, व खूब है. जब तक उस ख़ास (Particular) काम से किसी किस्म (प्रकार) की शरई मुमानेअ़त न आई हो और जब तक उस ख़ास काम के करने से कोई हर्जे-शरई न हो.

ता'जीमे रसूल सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम के लिये किये जाने वाले जाइज़ काम अल्लाह तबारक व तआला के इस मुक़द्दस इरशादे-आली में शामिल (समाविष्ट-Involve) हैं कि; “ले - तू'मेनू - विल्लाहे - व - रसूलेहि - व - तुअज़्जेरुहो - व - तुवक्वेरुहो” (कुरआन शरीफ, पारा-२६, सूर-ए-फ़तह, आय नं. ९)

तर्जुमा :-

“ताकि, ए लोगो ! तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और रसूल की ता'जीम और तौकीर करो.” (कन्जुल ईमान)

हल्ले लुग़त (शब्द कोष-Lexicon)

ता'जीम	= अति आदर, सम्मान, आदरभाव
और	
तौकीर	= Reverence, Honouring, Respecting

लिहाज़ा, जो मो'मिन ता'जीमे रसूल सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम की गरज़ (इरादा-Intention) से अज़ान, या इक़ामत, या कहीं भी नामे-पाक “मुहम्मद” सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम सुनकर अंगूठे चूम कर आंखों से लगाता है, वोह नबी-ए-पाक की ता'जीमो-तौकीर के हुक्मे इलाही की बजा आवरी (पालन-Follow out) करता है, और फ़जूले-जलील उसे हासिल है.

एक हवाला पैशे खिदमत है;

फ़ह्ल कदीर, मुसन्नफ़ मुतवस्सित और फ़तावा आलमगीरी में है कि; “कुल्लो - मा - काना - अदख़ला - मिनल - अदवे - वल - अजलाले - काना - हसनन” (तर्जुमा) ‘ जो काम अदब और अज़मत में दाख़िल है, वोह काम पसन्दीदा (पसन्द किया गया) है.’”

फ़कीर सरापा तक़सीर ने नामे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम सुनकर अंगूठे चूमकर आंखों से लगाने के मुबारक काम के जाइज़ और मुस्तहब होने की येह मुख़्तसर (संक्षिप्त-Short) बहस (चर्चा) इमामे-इश्को-मुहब्बत

आ'ला हज़रत मुजद्दिदे-दीनो-मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेल्वी रदीय्यल्लाहो तआला अन्हो की मुन्दरजा ज़ैल दो(२)किताबों से इस्तेफ़ादा (सौजन्य) करके इरक़ाम (आलेख)की है;

(१) “मुनीरूल-अैन-फी-हुक्मे-तक़बीलुल-इब्हामैन”

(२) “नहजुस्सलामा-फ़ी-तहलीले-तक़बीलुल-इब्हामैने-फ़ील-इक़ामा”

जिन हज़रात को इस मस्अले की मबसूत और मुफ़स्सल वज़ाहत (विस्तारपूर्वक और पर्याप्त स्पष्टता-Expansive and ample explanation) की ज़रूरत हो, वोह इन दोनों किताबों की तरफ़ रूजूअ़ करे.

नोट : (एक ज़रूरी मस्अला)

हालते-नमाज़ में कुरआन शरीफ़ सुनते वक़्त और खुल्बा सुनते वक़्त नामे-अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम सुनकर तक़बीलुल इब्हामैन या'नी अंगूठे चूमकर आंखों से लगाने का फ़ै'ल (काम) नहीं करना चाहिये, क्योंकि इन मवाज़ेअ़ और मवाक़ेअ़ (स्थानों/प्रसंगों) में किसी भी किस्म की हरकत (हिलचाल-Motion) करना मना है.”

(फ़तावा रज़वीया शरीफ, जिल्द-२, सफ़हा-५४४)

अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीबे-आज़म व अकरम सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम के सदक़े में तमाम सुन्नी मुसलमानों को ईमान की सलामती के साथ नैक अमल करने की तौफीक़ अता फ़रमाए और इस किताब को मक़बूले-आमो-खास बनाकर मेरे लिये सदक़-ए-जारिया और नजातो-मग़फ़िरत का सबब बनाए. आमीन.

“व - सल्लल्लाहो - तआला - अला - ख़ैरे - ख़ल्केहि - व - नूरे - अर्शीहि - सय्येदेना - व - नबीय्येना - व - मावाना - व - मल्जाना - व - शफीअना - व - मौलाना - मुहम्मदिंव - व - अला - आलेहि - व - अरहाबेहि - अजमईना - इला - यवमल - कियामते - व - अलैयना - मअहुम - आमीन - या - रब्बल - आलमीन.”